

बोर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या ४२७६-
काल नं १३२.१
खण्ड

जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचारः

**जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचारः
ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक
अध्ययन**

डा. दरबारीलाल जैन कोठिया

न्यायतीर्थ, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य
एम॰ ए०, पी-एच० डी०

[सम्पादक—न्यायदीपिका, आसपरीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाणप्रमेयकलिका,
अध्यात्मकमलमार्त्तण्ड, शासनचतुर्स्त्रशिका, श्रीपुर-पालवर्णनाथ,
प्राकृतपद्धानुक्रमणी आदि]
प्राप्त्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

वीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट प्रकाशन

जाती हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डॉ० उपराजिके द्वारा संकीर्तन

Treatment of Inference in Jain Logic :

A Historical and Critical Study

जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार :
ऐतिहासिक एवं सभीज्ञात्मक अध्ययन

by

Dr. Darbari Lal Jain Kothia, M. A. Ph. D.

प्रकाशक

मंत्री, बीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट

ट्रस्ट-संस्थापक

आ० जुगलकिशोर मुख्तार 'युगबोर'

●

प्राप्तिस्थान

१. मंत्री, बीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट

चमोली कुटीर,

१/१२८, डुमराव बाग, बस्सी, वाराणसी-५

२ डा० श्रीचन्द जैन संगल

कोषाव्याख, बीर सेवा मन्दिर-ट्रस्ट

जी० टी० रोड, एटा (उ० प्र०)

●

प्रथम संस्करण ५०० प्रति

ज्येष्ठ बी० नि० २४९५

मई १९६९

मूल्य : सोलह रुपए

●

मुद्रक

बाबूलाल जैन फागुल्ल

महाबीर प्रेस,

बेलूपुर, वाराणसी-१



आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'
सम्पादक व प्रबन्धक—दीर सेवा मन्दिर व ट्रस्ट

राष्ट्र और समाजसेवी
जैन सांहित्य, हितहास और पुरातत्त्वविद्
भृद्धेय आचार्य औगलकिशोरजी मुख्तार शुगवीर
को
उनकी ६२वीं वर्षगांठपर
साहस्र समर्पित
श्रद्धावनत
दरबारीलाल कोठिया

प्राकृत्यना

प्रस्तुत पुस्तक या शोषप्रबन्धके लेखक डा० दरबारीलाल कोठिया जैन दर्शनके जाने-माने विद्वान् हैं, उनका भारतके दूसरे दर्शनोंसे भी अच्छा परिचय है। अब तक वे मुख्यतया जैनदर्शन एवं धर्म सम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन एवं अनुवाद कर चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तकका विषय तर्कशास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। भारतीय दर्शनमें ज्ञानमीमांसाका, और उसके अन्तर्गत प्रमाणमीमांसाका, विशेष स्थान रहा है। प्रमाणविचारके अन्तर्गत यहाँ अन्वेषण-पद्धतियोंपर उतना विचार नहीं हुआ जितना कि प्रमा अथवा यथार्थज्ञानके स्रोतोंपर। इन स्रोतोंको प्रमाणसंज्ञा दी गयी। प्रमाणोंमें भी प्रत्यक्ष और अनुमान सर्वस्वीकृत है, और उनपर विभिन्न सम्प्रदायोंके दार्शनिकोंने विशेष विमर्श किया है। कुछ विद्वानोंने भारतीय अनुमान और अरस्तूके सिलाजिज्ममें समानता देखनेका प्रयास किया है, किन्तु वस्तुतः इन दोनोंमें बहुत अंतर है। 'भारतीय न्याय' अथवा 'पंचावयववाक्य' बाहरसे अरस्तूके सिलाजिज्मके समान दिखता है, यह सही है, किन्तु अपनी अन्तरंग प्रक्रियामें दोनोंके आधार भिन्न हैं। भारतीय अनुमानकी मूल भित्ति हेतु और साध्यका सम्बन्ध है, जिसे व्याप्ति कहते हैं। हमारे तर्कशास्त्रियोंने हेतुके विविध रूपोंपर विस्तृत विचार किया है। इसके विपरीत अरस्तूके अनुमानकी मूल भित्ति वर्गसमावेशका सिद्धान्त है। अरस्तूने सिलाजिज्मके १९ प्रामाणिक रूप (मूँ) माने हैं, और ४ अवयवसंस्थान, जिनमें विभिन्न अनुमानरूपोंको व्यवस्थित किया जाता है। इन सबको देखते हुए भारतीय अनुमानका स्वरूप बहुत संक्षिप्त एवं सरल जान पड़ता है। भारतीय तर्कशास्त्रियोंने अपना ध्यान मुख्यतः हेतुके स्वरूप एवं विविधतापर संसक्त किया। चूंकि भारतीय दार्शनिकोंके सामने चिन्तन और अन्वेषणके बे अनेक तरीके उपस्थित नहीं थे, जिनसे विविध विज्ञानोंने हमें परिचित बनाया है, इसलिए वे अनुमान-प्रक्रियापर बड़े मनोयोगसे विचार कर सके। हमारे देशके अनेक विचारक कई दूसरे प्रमाणोंको भी मानते हैं, जैसे अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। बौद्ध तर्कशास्त्री धर्मकीर्तिने बड़ी चतुराइसि शेष प्रमाणोंका अन्तर्भव अनुमानमें करनेकी कोशिश की है। भारतीय तर्कशास्त्रमें जिस चीजका अभाव सबसे ज्यादा खटकता है वह है—प्राकृत्यना (हाइपोथेसिस) की धारणाकी अवगति या अपर्याप्ति अवगति। यों व्याप्तिग्रहके साथनोंपर विचार करते हुए वे आगमनात्मक चिन्तनके अनेक तत्त्वोंपर प्रकाश ढाल सके थे। योरोपीय तर्कशास्त्रमें प्राकृत्यनाका महत्व धीरे-धीरे ही स्वीकृत हुआ है। न्यूटन प्राकृत्यनाओंको शंकाकी दृष्टिसे देखता था। किन्तु

६ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

आजका मणिमूलक—भौतिक विज्ञान प्राक्कल्पनाओंके विना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता ।

आलोच्य पुस्तकमें सामान्यतः भारतीय तर्कशास्त्रके और विशेषतः जैन तर्क-शास्त्रके अनुमान-सम्बन्धी विचारोंका विशद आकलन हुआ है । संभवतः हिन्दीमें कोई दूसरा ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें एक जगह अनुमानसे सम्बन्धित विचार-ग्रन्थोंका इतना सूक्ष्म और सटीक प्रतिपादन हुआ हो । जो दो चार पुस्तकें मेरी नज़रमें आयी हैं उनमें प्रायः न्यायके तर्कविप्रह जैसे संग्रहग्रन्थोंपर आधारित नियायिकोंके तर्कसिद्धान्तका छात्रोपकारी संकलन रहता है । इसके विपरीत प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय दर्शनके समग्र तर्क-साहित्यके आलोड़न-विलोड़नका परिणाम है । लेखकने निष्पक्षभावसे वास्त्वायन, उद्घोतकर आदि हिन्दू तार्किकोंके और धर्मकीति, अर्मोत्तर, अर्चट आदि बौद्ध तार्किकोंके भतोंका विवेचन उतनी ही सहानुभूतिसे किया है जितना कि जैनाचार्योंके मन्तब्योंका । विद्वान् लेखकने सूक्ष्म-से-सूक्ष्म समस्यायोंको उठाया और उनका समाधान किया है । विभिन्न अध्यायोंके अन्त-गत संस्कृतके लेखकों और ग्रन्थोंके प्रचुर संकेत समाविष्ट हुए हैं, जिससे भारतीय तर्कशास्त्रमें शोध करनेवाले विद्यार्थी विशेष लाभान्वित होंगे । अपनी इस परिश्रमसे लिखी गयी विद्वत्तापूर्ण कृतिके लिए लेखक दर्शन-प्रेमियों और हिन्दी जगतकी बधाइके पात्र हैं ।

२५ अप्रैल, १९६९
हिन्दू विद्वविद्यालय } }

—देवराज

पुरोवाक्

भारतीय चिन्तकोंने सही तर्क करनेके मियमोंको न्यायशास्त्र कहा है। सही ज्ञान या तत्त्वज्ञानके लिए ज्ञानका स्वरूप, ज्ञानके साधन, ज्ञानकी प्रक्रिया, ज्ञानकी कसौटी, ज्ञानका विस्तार प्रभृति ज्ञानसम्बन्धी प्रश्नोंका विषिवत् अध्ययन अपेक्षित है। भारतीय न्यायशास्त्रमें तर्क, अनुमान आदि प्रमाणविषयक प्रश्नोंका सविस्तर अध्ययन किया जाता है। अतः न्यायशास्त्र ज्ञानके सही साधनों द्वारा वस्तुकी सम्यक् परीक्षा प्रस्तुत करता है। पर्याप्त बौद्धिक विश्लेषणके अनन्तर जो चरम सत्य सिद्ध होता है, वही सिद्धान्तरूपने ग्राह्य है।

तर्कका कार्य ज्ञानकी सत्यता और असत्यताका परीक्षण करना है। मनुष्य तर्कद्वारा ज्ञानका बहुत बड़ा अंश अजित करता है। नवा अनुभव नये हेतुके मिलनेपर ही स्वेच्छित होता है। अतएव यह स्थृष्ट है कि तर्ककी सहायतासे मनुष्य अपने ज्ञानका संबद्धन एवं सत्यापन करता है। तर्कज्ञ ज्ञान ही उसे असत्यसे सत्यकी ओर ले जाता है।

न्यायशास्त्रमें तर्क और अनुमान दो भिन्न ज्ञानविन्दु हैं। अनुमानमें किसी लिङ्ग या हेतुके ज्ञानके आधारपर किसी दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त किया जाता है; क्योंकि उस वस्तु तथा लिङ्गके बीच एक प्रकारका सम्बन्ध है, जो व्याप्ति द्वारा अभिहित किया जाता है। आशय यह है कि अनुमानके पक्षधर्मता और व्याप्ति ये दो आधार हैं। पक्षधर्मताका ज्ञान द्वाएँ विना अनुमानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। पक्षधर्मता अनुमानकी प्रथम आवश्यकता है; किन्तु पक्षधर्मताके रहनेपर भी व्याप्ति ज्ञानके विना अनुमान हो नहीं सकता। अतएव अनुमानके लिए पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनोंके संयुक्त ज्ञानकी आवश्यकता है। यथा—“पर्वतो वह्निमान् धूमवरचाल्” इस उदाहरणमें पर्वत पक्ष है, यतः पर्वतके सम्बन्ध या पक्षमें ही अग्निका अनुमान होता है। ‘अग्नि’ साध्य है, क्योंकि इसीके द्वारा पर्वतमें अग्निकी सिद्धि की जाती है। इस प्रकार अनुमानमें पक्ष, साधन और साध्य ये तीन पद रहते हैं।

अन्वय और व्यतिरेकके निमित्तसे होनेवाले व्याप्तिके ज्ञानको तर्क कहा जाता है^१। किसी भी अनुमानमें हेतुकी गमकदा अविनाभावपर निर्भर करती है और

^१ उल्लम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिशास्त्रमृदः—परीक्षामुख है।^२

तर्कं व्याख्यस्य व्यापकस्य च वाचनिकचयः कारणमिति—न्यायबोधिनी, पूना, पृष्ठ २६।

तर्कं आपाद्यव्यतिरेकनिकचयः आपाद्यव्यतिरेकनिकचयः व्याप्तिनिरचयित्वं कारणमिति—नीलकण्ठी।

पृष्ठ १६।

इस अविनाभावका ज्ञान तर्कके द्वारा होता है। अतएव स्पष्ट है कि अनुमानको सत्यताका निर्णय तर्क द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्रमें तर्क और अनुमानके मध्यमें विभेदक सीमारेखा विद्यमान है। दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि तर्कका क्षेत्र अनुमानसे बाहरे है। अनुमानके दोषोंका निराकरण कर उसके अध्ययनको व्यवस्थित रूप प्रदान करना तर्कका कार्य है। अतः “तर्कशास्त्र वह विज्ञान है, जो अनुमानके व्यापक नियमों तथा अन्य सहायक मानसिक क्रियाओंका अध्ययन इस व्येष्ये करता है कि उनके व्यवहारसे सत्यताकी प्राप्ति हो।” इस परिमाणाके विश्लेषणसे दो तथ्य प्रस्फुटित होते हैं—

१. अनुमानके दोषोंका विश्लेषण तर्क द्वारा होता है तथा उसकी अविसंबद्धिताकी पुष्टि भी तर्कसे होती है।

२. तर्कद्वारा अनुमानमें सहायक मानसिक क्रियाओंका भी अध्ययन किया जाता है।

आशय यह है कि गलत अनुमानसे बचनेका उपाय तर्कका आश्रय ग्रहण करना है। यत् तर्कशास्त्रका सम्बन्ध विशेषत् अनुमानसे है। अनुमानको तर्कशास्त्रसे हटा देनेपर तर्कशास्त्रका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जायगा। भूत और भविष्यको मानवके सम्पर्कमें लानेका कार्य अनुमान ही करता है। अनुमानके सहारे ही भविष्यकी खोज और भूतकी परीक्षा की जाती है। यहाँ यह स्मरणीय है कि अनुमानजन्य ज्ञानका क्षेत्र प्रत्यक्ष ज्ञानके क्षेत्रसे बहुत बड़ा है। अल्प ज्ञानसे महत् अज्ञानकी जानकारी अनुमान द्वारा होती है। प्रत्यक्षकी प्रमाणतामें सन्देह होनेपर अनुमान ही उन्ह सन्देहका निराकरण कर प्रामाण्यकी प्रतिष्ठा करता है। प्रत्यक्ष जहाँ अनुमानके मुख्यमें रहता है, वहाँ प्रत्यक्षकी प्रामाणिकता कभी-कभी अनुमानपर अवलम्बित देखी जाती है। जहाँ युक्ति द्वारा प्रत्यक्षके किसी विषयका समर्थन किया जाता है वहाँ आपाततः अनुमान आ जाता है।

अनुमानके महत्वका निरूपण करते हुए श्री गज्जेश उपाध्यायने लिखा है—“प्रत्यक्षपरिकलितमध्यर्थमनुमानेन कुभुस्तन्ते तर्करसिका।^३ अर्थात् विचारशोल ताकिक प्रत्यक्षद्वारा अवगत भी अर्थको अनुमानसे जाननेकी इच्छा करते हैं। अतएव असम्बद्ध और अवर्त्मान—अतीत, अनागत, दूरवर्ती और सूक्ष्म-अवहित भूयोंका ज्ञान अनुमानसे होता है। इस प्रकार भारतीय चिन्तकोंने बस्तुज्ञान और व्यवस्थाके लिए अनुमानकी आवश्यकता एवं उपयोगितापर प्रकाश ढाला है। पाइचात्य तर्कशास्त्रमें वर्णित ‘काज एण्ड इफेक्ट्स’ (Cause and effects) की अन्वेषणविधियाँ भी भारतीय अनुमानमें समाचिष्ट हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका महत्व अन्य प्रमाणोंसे कम नहीं है।

१ तत्त्वात्तिनियं—परीक्षामुख्यम् ११५।

२ तत्त्वचिन्तामणि ४४ ४२४।

डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठियाने जैन अनुमानके अध्ययनके सम्बन्धमें भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर भारतीय न्यायशास्त्रको एक मौलिक कृति प्रदान की है। उनका यह अध्ययन तत्वों-के प्रस्तुतीकरणकी दृष्टिसे तो महत्वपूर्ण है हो, पर तत्त्वोंकी पृष्ठिके लिए प्रब्लम्स-न्तरासे उपस्थित किये गये प्रमाणोंकी दृष्टिसे भी समृद्ध है। विषय-सामग्रीकी मौलिकता एवं विषय-प्रतिपादनकी स्वच्छ और विशद शैली नवीन शोध-कर्ताओंके लिए अनुकरणीय है।

इसकी सामग्री शोध-खोजकी दिशामें एक नया चरणचिन्ह है। व्याप्ति और हेतुस्वरूपके सम्बन्धमें इतनी विचारपूर्ण सामग्री अन्य किसी ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं है। व्याप्तिप्राहके साधनोंकी तटस्थ वृत्तिसे आलोचना करते हुए जैन नैयायिकोंके व्याप्तिप्राहक तर्कका विशेषरूपसे निरूपण किया है। डॉ० कोठियाने तर्कके क्षेत्रकी व्यापकता बतलाते हुए प्रभावन्द्रके आधार पर लिखा है—“प्रत्यक्ष जहाँ सञ्चिहितको, अनुमान नियत देश-कालमें विद्यमान अनुमेयको, उपमान सादृश्यको और आगम शब्दसंकेतादिपर निर्भरितको जानते हैं, वहाँ तर्क सञ्चिहित-असञ्चिहित, नियत-अनियत देश-कालमें विद्यमान साध्य-साधनगत अविनाशावको विषय करता है।”¹ इस प्रकार अनेक प्रमाण और युक्तियोंके आधार पर व्याप्ति-सम्बन्धप्राप्ति तर्ककी प्रामाणिकता सिद्ध की है।

उल्लेखनीय है कि डॉ० कोठियाने इसमें जैन दृष्टिसे अनुमानके लिए साध्य, साधन और उनके व्याप्तिसम्बन्धको आवश्यक तथा पक्ष और पक्षधर्मताको अनावश्यक बतलाकर भारतीय चिन्तकोंके समक्ष एक नये विचारका और उद्घाटन किया है। साथ ही अनुमानके समस्त घटकोंका विस्तारपूर्वक समालोचनात्मक अध्ययन कर केवल जैन परम्पराके अनुमानका वैशिष्ट्य ही प्रदर्शित नहीं किया है, अपितु भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानकी सर्वाङ्गीण अर्हता स्थापित की है।

निस्सन्देह अनुमानपर इतना अच्छा शोधपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी भाषामें सर्वप्रथम लिखा गया है। इसके अध्ययनसे न्यायशास्त्रमें रुचि रखनेवाले प्रत्येक जिज्ञासुका ज्ञान-वर्द्धन होगा। डॉ० कोठिया अपने विषयके मर्मज्ञ एवं प्रतिमासम्पन्न मनीषी हैं, उन्होंने विषयके प्रामाणिक विश्लेषणात्मक अध्ययनके साथ प्रत्येक मान्यताके सम्बन्धमें अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनकी प्रतिक्रिया एक ऐसे विद्वान्‌की प्रतिक्रिया है, जिसने मूलप्रबन्ध, भाष्य और टीकाओंके गम्भीर अध्ययनके साथ सूक्ष्मतम समन्याओंका भी अनुचितन किया है।

विषय-प्रतिपादनकी शैली चिलाकर्यक और सुवोष है तथा विषयके साथ मार्गापर भी अच्छा अधिकार है। तर्कशास्त्रकी गहन और दुर्ल सामग्रीको सरल

एवं स्पष्टरूपमें प्रस्तुत कर देना इस अन्यका अपना मूल्य है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि प्रस्तुत प्रन्थने न्यायशास्त्रकी श्रीवृद्धि की है। मैं डॉ० कोठियाको हृष्टयसे बधाई देता हूँ और आशा अन्त करता हूँ कि उनकी लेखनीसे इस प्रकार-की समालोचनात्मक महत्त्वपूर्ण तर्कशास्त्र सम्बन्धी अन्य कृतियाँ भी निबद्ध होंगी। हिन्दी भाषा और साहित्यकी यह अभिवृद्धि तकनीकी बाह्यके निमणिकी दृष्टिसे विशेष दलाल्य है।

सरस्वती श्रुतमहतो न हीयताम्

नेमिचन्द्र शास्त्री,

ह० दा० जैन कालेज, आरा
मगध विश्वविद्यालय
बैशास्त्री पूर्णिमा, वि० सं० २०२६

एम० ए०, पी-ए० डी०, डी० लिट०
ज्योतिषाचार्य न्याय-काव्यतीर्थ
अध्यक्ष—संस्कृत-प्राकृत-विभाग



प्रकाशकीय

प्राक्तनविद्यामहार्णव, प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगबीर' द्वारा संस्थापित एवं प्रबत्तित और सेवा मन्दिर-टूस्टसे मार्च १९६३ में उनके निवासोंका प्रथम संघ्रह—युगबीर-निष्ठावाली प्रथम भाग, दिसम्बर १९६३ में उन्हींके द्वारा सम्पादित अनूदित तत्त्वानुशासन, दिसम्बर १९६४ में पष्ठित हीरालालजी शास्त्री द्वारा अनुवादित तथा ऐरे द्वारा सम्पादित एवं लिखी प्रस्तावना सहित समाजिकरणोऽसाहीपक, जून १९६७ में मुख्तारवाहवद्वारा अनूदित-सम्पादित और मेरो प्रस्तावना युक्त देवागम (आसमीभाषा) और दिसम्बर १९६७ में उनके ही निवासोंका द्वितीय संघ्रह—युगबीर निष्ठावाली द्वितीय भाग ये पाँच महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

आज उसी टूस्टसे 'जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार : ऐतिहासिक एवं सभी-क्षात्मक अध्ययन' नामकी कृति, जो मेरा शोध-प्रबन्ध (thesis) है, 'युगबीर-समन्तभद्र-ग्रन्थमालाके' अन्तर्गत उसके प्रथम ग्रन्थाङ्कके रूपमें प्रकट हो रही है। लेद है कि इसे टूस्टसे प्रकाशित करनेकी जिनकी प्रेरणा, मोजना और स्वीकृति रही उन टूस्ट-संस्थापक श्रद्धेय आ० युगलकिशोर मुख्तार 'युगबीरका' गत २२ दिसम्बर १९६८ को निधन हो गया। वे होते तो उन्हें इसके प्रकाशनसे बड़ी प्रसन्नता होती।

प्रस्तुत सन्दर्भमें इतना ही प्रकट कर देना पर्याप्त होगा कि इसके प्रकाशमें आपेक्ष जैन अनुमानके विषयमें ही नहीं, अन्य भारतीय दर्शनोंके अनुमान-सम्बन्ध में भी अध्येताओंको कितनी ही महत्वपूर्ण एवं नयी जानकारी प्राप्त होगी। अत एवं विश्वास है जिज्ञासु विद्वानों और अनुसन्धित्सु छात्रों द्वारा यह अवश्य समावृत होगी तथा राष्ट्रभाषा हिन्दीके दार्शनिक साहित्य-भण्डारकी अभिवृद्धिमें योगदान करेगी।

१६ अप्रैल १९६९
अक्षयतृतीया, विं सं० २०२६
बाराणसी

बरबारीलाल जैन कोठिया
मंत्री, वीर सेवा मन्दिर-टूस्ट

प्रस्तुत कृति

जैन बाह्यमय इतना विशाल और अगाध है कि उसके अनेक प्रमेय कितने ही विद्वानोंके लिए अक्षात् एवं अपरिचित हैं और जिनका सूख्म तथा गहरा अध्ययन अपेक्षित है। जीवसिद्धान्त, कर्मवाद, स्पाद इद, अनेकान्तवाद, नयवाद, निक्षेपवाद, सप्तभज्ञी, गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमाप्ति प्रभूति ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी चर्चा और विवेचन जैन धर्ममें ही उपलब्ध है। परन्तु यह भारतीय ज्ञानराशि-की बहुमूल्य एवं असामान्य ज्ञान-सम्पदा होने पर भी अध्येताओंका उसके अध्ययन, मतन और शोधकी ओर बहुत ही कम व्याप्त गया है।

ऐसा ही एक विषय 'जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार' है, जिसपर शोधा-त्मक विमर्श प्रायः नहीं हुआ है। जहाँ तक हमें ज्ञात है, जैन अनुमानपर अभी-तक किसीने शोध-प्रबन्ध उपस्थित नहीं किया। अतएव हमने जनवरी १९६५ में ३० नन्दकिशोर देवराजके परामर्शसे उन्हींके निर्देशनमें उसपर शोध-कार्य करनेका निश्चय किया और काशी हिन्दूविश्वविद्यालयसे उसको विधिवत् अनुमति प्राप्त की। फलतः तीन वर्ष और तीन माह बाद ६ मई १९६८ को उक्त विषयपर अपना शोध-प्रबन्ध विश्वविद्यालयको प्रस्तुत किया, जिसे विश्वविद्यालयने स्वीकृत कर गत ३० मार्च १९६८ को अपने दीक्षान्त-समारोहमें 'डॉक्टर आफ फिल्डसाक्षी' की उपाधि प्रदान की। प्रसन्नता है कि वही प्रबन्ध प्रस्तुत कृतिके रूपमें भनीष्योंके समझ है।

स्मरणीय है कि इस प्रबन्धमें जैन तर्कशास्त्रमें उपलब्ध अनुमान-विचारका ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते समय भारतीय तर्कशास्त्रकी सभी शाखाओंमें विहित अनुमान-विचारका भी सर्वेक्षण किया गया है, क्योंकि उनका उनिह सम्बन्ध है और परस्परमें वे कई विषयोंमें एक-दूसरेके जूणी हैं। इससे तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको एक जगह भारतीय अनुमानकी प्रायः पूरी सामग्री मिल सकेगी।

इसमें पौच अध्याय और बारह परिच्छेद हैं। प्रथम अध्यायमें, जो प्रास्ताविक-रूप है, चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें भारतीय बाह्यमयके आधारसे अनु-मानके प्राचीन मूल रूप और न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, भीमांसा, वेदान्त एवं सांख्य दर्शनगत अनुमान-विकासको विस्तारा है। द्वितीयमें जैन परम्पराका अनुमान-विकास प्रदर्शित है। तृतीयमें अनुमानका स्वरूप, अनुमानाङ्क (पक्षघर्मता और व्याप्ति तथा जैन दृष्टिकोणवाल व्याप्ति), अनुमानमेव, अनुमानावयव और अनुमानबोध इन सभी अनुमानोंय उपादानोंका संक्षिप्त विवरण अर्थात् है। चतुर्थ परिच्छेदमें भार-तीय अनुमान और पाश्चात्य तर्कशास्त्रपर विद्मान तुलनात्मक अध्ययन निवद्ध है।

द्वितीय अध्यायमें दो परिच्छेद हैं। प्रथममें जैन प्रमाणवादका विवेचन करते हुए उसमें अनुमानका कथा स्थान है, इसे बताकर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेदोंकी भीमांसा, परोक्षप्रमाणमें अनुमानका अन्तर्गत, स्मृति आदि परोक्ष प्रमाणोंका संक्षिप्त विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेदमें जैनागमके आलोक-में अनुमानका प्राचीन रूप, अनुमानका महत्व एवं अनिवार्यता, जैन दृष्टिसे अनु-मान-परिभाषा एवं क्षेत्र-विस्तार इन सबपर प्रकाश ढाला गया है।

तृतीय अध्यायमें भी दो परिच्छेद हैं। पहलेमें अनुमानके विविध भेदोंपर भारतीय दर्शनोंमें किया गया विचार द्रष्टित है तथा अकलज्ञ, विद्यानन्द, वादि-राज, प्रभावन्द आदि जैन तांत्रिकोंकी तत्सम्बन्धीय भीमांसा एवं विमर्श निबद्ध है। प्रत्यक्षको अमूमानकी तरह परार्थ माननेवाले सिद्धसेन और देवसूरिका भत तथा उसकी समीक्षा प्रदर्शित है। स्वार्थ और परार्थ अनुमानोंकी मूलकल्पना, उद्गम-स्थान एवं पृष्ठभूमि, उनके अङ्ग एवं अवयवोंका चिन्तन भी इसमें अद्वित है। द्वितीय परिच्छेदमें व्यासिका स्वरूप, उपाधिमीमांसा, उपाधि-विमर्श-प्रयोजन, व्यासिस्वरूपके सम्बन्धमें जैन तांत्रिकोंका नया दृष्टिकोण, व्यासिश्वरूप-समीक्षा, व्यासिश्वरूपमें एकमात्र तर्कोंका स्वीकार करनेवाले जैन विचारकोंका अभिनव चिन्तन तथा व्यासिभेद (समव्यासि-विषमव्यासि, अन्वयव्यासि-व्यतिरेकव्यासि, वहिर्व्यासि, सकलव्यासि, अन्तर्व्यासि, साधर्घ्य-वैधर्घ्यव्यासि, तथोपपत्ति-अन्यथानु-पत्ति) इन सबका विवर्ण है।

चतुर्थ अध्यायमें दो परिच्छेद हैं। प्रथममें सामान्य तथा व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न प्रतिपादाओंकी अपेक्षासे अवयवोंका विचार, प्रतिक्षा, हेतु आदि प्रत्येक अवयवका विशिष्ट स्वरूप-चिन्तन और भद्रबाहु प्रतिपादित पंचरुद्धियो सहित दशावयवोंके सम्बन्धमें दिग्म्बर और वैष्णवान्बर तांत्रिकोंका विचारमें विवेचित है। द्वितीयमें हेतु-के विभिन्न दार्शनिकलक्षणों (द्विलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण, पंचलक्षण, षट्लक्षण, और सप्तलक्षण) की समीक्षा तथा एकलक्षण (अन्यथानुपपन्नत्व) की जैन मान्य-ताका विवर्ण है। परिच्छेदके अन्तमें हेतुके विभिन्न प्रकारों—भेदोंका चिन्तन है।

पञ्चम अध्यायके अन्तर्गत दो परिच्छेद हैं। आच विच्छेदमें समन्वयन्दि, सिद्धसेन, अंकलज्ञ, माणिक्यनन्दि, देवसूरि और हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित पक्षा-भासादि अनुमानाभासोंका विवेचन है। धर्मसूखण, चारकीर्ति और यशोविजयने अनुमानदोषोंपर जो चिन्तन किया है वह भी इसमें संक्षेपमें निबद्ध है। माणिक्य-नन्दि द्वारा अभिहित चतुर्विष वालप्रयोगाभास भी इसीमें विवेचित है जो सर्ववा नया है और अच मारतीय तर्कान्वयोंमें अनुपलब्ध है। तूसरे परिच्छेदमें वैशेषिक, न्याय और लौह परम्पराओंमें चर्चित एवं विकसित अनुमानदोषोंका विचार अद्वित है, जो तुलसात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे उपादेय एवं ज्ञातव्य है।

उपसंहारमें जैन अनुभावकी कृतिपद उपलब्धियोंका निर्देश है जो जैन तार्किकोंके स्वतन्त्र विचारका फल कही जा सकती है।

ऊपर कहा गया है कि यह शोष-प्रबन्ध माननीय डा. नलदिकिशोर देवराज एम. ए., डी. फिल., डी. लिट., अध्यक्ष दर्शन-विभाग तथा निर्देशक उच्चानुशीलन दर्शन-संस्थान और डीन आर्ट्स फैकल्टी काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके निर्देशनमें तैयार किया। डा. देवराजसे समय-समयपर बहुमूल्य निर्देशन और मार्यादादर्शन प्राप्त हुआ। सम्प्रति उन्होंने प्राक्कथन भी लिख देनेकी कृपा की है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

सुहृदर डा. नेमिचन्द्र शास्त्री एम. ए (संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी), पी-एच. डी., डी. लिट., ज्योतिषाचार्य, अध्यक्ष प्राकृत-संस्कृत विभाग जैन कालेज आराको नहीं भूल सकता, जिन्होंने निरन्तर प्रेरणा, परामर्श और प्रवर्तन तो किया ही है अपना पुरोत्तम् भी लिखा है। वे मुख्य अग्रज मानते हैं, पर विशिष्ट और बहुमुखी मेष्ठाकी अपेक्षा मैं उन्हें ज्ञानाग्रजके रूपमें देखता व मानता हूँ। अतएव मैं उन्हें अन्यवाद हूँ तो उचित ही है।

जिन साहित्य-तपस्वी अद्वेय आ० जुगलकिशोर मुख्तारने सतत वर्ष तक निरन्तर साहित्य-साधना और समाज-सेवा की तथा साधना और सेवाका कभी प्रतिदान या पुरस्कार नहीं चाहा, आज उनका अभाव अखर रहा है। आशा है इस प्रबन्ध-कृतिसे, जिसे मैंने उनके ६२ वें जन्मदिनपर उन्हें एक मुद्रित कर्मा द्वारा समर्पण किया था और जिसका प्रकाशन उनकी सुदिङ्गानुसार उन्हींके दृस्टसे हो रहा है, उनकी उस सदिङ्गाकी अवश्य पूर्णता होगी। मेरा उन्हे परोक्ष नमन है।

स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणीके अकलंक सरस्वतीभवनसे शतक ग्रन्थोंका उपयोग किया और जिन्हे अधिक काल तक अपने पास रखा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके गायकबाड़ ग्रन्थागार, जैन सिद्धान्त भवन आरा और पार्श्वनाथ जैन विद्याश्रम वाराणसीसे भी कुछ ग्रन्थ प्राप्त हुए। हमारे कालेजके सहयोगी प्राध्यापक भित्रवर डा गजानन मुशलगावकरने मीमांसादर्शनके और श्री मूलशंकर अ्यासने वेदान्तके दुर्लभ ग्रन्थ देकर सहायता की। अनेक ग्रन्थकारों और ग्रन्थ-सम्पादकोंके ग्रन्थोंसे उद्धरण लिए। प्रथम घर्मचन्द्र जैन एम. ए. ने विषय-सूची और परिक्षिष्ट बनाये। इन सबका हृदयसे अन्यवाद करता हूँ। साथ ही अपनी गृहिणी सौ० चमेलीबाई 'हिन्दीरत्न' को भी उसकी सतत प्रेरणा, सहायता, परिचयी और अनुरूप सुविद्या प्रदानके लिए अन्यवाद है।

अन्तमें महाबीर प्रेसके संचालक श्री बाबूलालजी फागुल्लको भी अन्यवाद दिये जिना नहीं रह सकता, जिन्होंने ग्रन्थका सुखर मुद्रण किया और मुद्रण-सम्बन्धी परामर्श दिये।

—इरवारीकाल कोठिया

तिष्ठय-सूची

प्रथम-अध्याय

प्रास्ताविक

प्रथम परिच्छेद

भारतीय बाह्यमय और अनुमान

अनुमानका विकास-क्रम

(क)	न्याय-परम्परामें अनुमान-विकास	८
(ख)	वैशेषिक-परम्परामें अनुमानका विकास	१७
(ग)	बौद्ध-परम्परामें अनुमानका विकास	१९
(घ)	मीमांसक-परम्परामें अनुमानका विकास	२२
(ङ)	वेदान्त और सास्य-परम्परामें अनुमान-विकास	२२

द्वितीय परिच्छेद

जैन परम्परामें अनुमान-विकास

(क)	षट्खण्डागममें हेतुवादका उल्लेख	२३
(ख)	स्थानाज्ञसूत्रमें हेतु-निरूपण	२३
(ग)	भगवतीसूत्रमें अनुमानका निर्देश	२५
(घ)	अनुयोगसूत्रमें अनुमान-निरूपण	२५
१—अनुमान भेद		२५
१.	पुष्टवं	२५
२.	सेसवं	२५
३.	दिदुसाहम्मवं	२५
१—पुष्टवं		२५
२—सेसवं		२५
(१)	कार्यानुमान	२६
(२)	कारणानुमान	२६
(३)	गुणानुमान	२६
(४)	अवयवानुमान	२६
(५)	आशयो-अनुमान	२६
३—दिदुसाहम्मवं		२७
(१)	सामन्वयितु	२७
(२)	विसेसवितु	२७

१२ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

२—कार्यभेदसे अनुमानका वैविध्य	२७
१. अतीतकालग्रहण	२७
२ प्रत्युत्पन्नकालग्रहण	२८
३. अनागतकालग्रहण	२९
(ठ) अवयव-वर्चा	२९
(च) अनुमानका मूल रूप	३०
(छ) अनुमानका तार्किक-विकास	३१
तृतीय परिच्छेद	३३-५२
संक्षिप्त अनुमान-विवेचन	३३
अनुमानका स्वरूप	३३
अनुमानके बंग	३४
(क) प्रश्नधर्मता	३५
(स) व्याप्ति	३७
अनुमानभेद	४१
अनुमानावयव	४४
अनुमानदोष	४८
चतुर्थ परिच्छेद	५३-५७
भारतीय अनुमान और पाश्चात्य तर्कशास्त्र	५३
अन्वयविधि	५३
संयुक्त अन्वय-व्यतिरेकविधि	५४
व्यतिरेकविधि	५४
सहचारी वैविध्यविधि	५५
अवशेषविधि	५६
द्वितीय अध्याय	
प्रथम परिच्छेद	५८-७५
जैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमानका स्थान	५८
(क) तत्त्व	५८
(स) प्रमाणका प्रयोजन	५९
(ग) अन्य तार्किकों द्वारा अनिहित प्रमाणका स्वरूप	६०
(च) जैन चिन्तकों द्वारा प्रमाणका स्वरूप-विवरण	६२

समन्वयभौति और सिद्धान्त	६२
पूज्यपाद	६३
अकलकृत	६५
विद्यानन्द	६६
माणिक्यनन्द	६७
देवसूरि	६७
हेमचन्द्र	६७
धर्मभूषण	६८
निष्कर्ष	६८
(अ) प्रमाण-भेद	६९
(इ) जैनव्यायमें प्रमाण-भेद	७०
(उ) परोक्ष-प्रमाणका विवरण	७४
त्रितीय परिच्छेद	७६—१०७
अनुमान-समीक्षा	७६
(क) अनुमानका मूल रूप : जैनागमके आलोकमें	७६
(ल) अनुमानका महत्व एवं आवश्यकता	८५
(ग) अनुमानकी परिभाषा	९०
(प) अनुमानका संक्षेपिता : अर्थापति और अभावका अन्तर्भूति	९८
अर्थापति और अभाव अनुमानसे पृथक् नहीं हैं	१०१
सम्भवका अनुमानमें अन्तर्भूति	१०४
प्रातिभक्ता अनुमानमें समावेश	१०५

तृतीय अध्याय

प्रथम परिच्छेद	१०८—१२९
अनुमानभेद-विमर्श	१०८
वैशेषिक	१०८
मीमांसा	१०९
न्याय	१०९
सांख्य	१११
बीदु	११२
जैन तार्किकों द्वारा अनुमानभेद-समीक्षा	११२
(क) अकलकृतोक्त अनुमानभेद-समीक्षा	११३
(ल) विद्यानन्दकृत अनुमानभेद-मीमांसा	११५

१४ : शिर उक्तवाक्यमें अनुमान-विचार

(ग) वादिराज द्वारा अभिहित अनुमानभेद-समीक्षण	११७	
(घ) प्रभासन्द प्रतिपादित अनुमानभेद-आलोचना	११८	
अनुमानभेद-समीक्षाका उपसंहार	११९	
स्वार्थ और परार्थ	१२०	
वादिराजकृत मुख्य और गौण अनुमानभेद	११-१२	१२१
प्रत्यक्ष परार्थ है : सिद्धेन और देवसूरिका मत : उसकी भीमांसा	१२४	
स्वार्थानुमानके अङ्ग	१२६	
धर्मोकी प्रसिद्धता	१२६	
परार्थानुमानके अङ्ग और अवयव	१२९	
हितीय परिच्छेद	१३०-१५८	
व्यासि-विमर्श	१३०	
(क) व्यासिस्वरूप	१३०	
(ल) उपाधि	१३२	
(ग) उपाधिनिरूपणका प्रयोजन	१३३	
(घ) जैन दृष्टिकोण	१३५	
(ङ) व्यासि-ग्रहण	१३७	
(१) बौद्ध व्यासि-ग्रहण	१३८	
(२) वैदान्त व्यासि-स्थापना	१३९	
(३) सांक्षय व्यासि-ग्रहण	१४०	
(४) भीमांसा व्यासि-ग्रह	१४०	
(५) वैशेषिक व्यासि-ग्रह	१४१	
(६) न्याय व्यासि-ग्रह	१४२	
(च) जैन विचारकोंका मत : तर्क द्वारा व्यासिग्रहण	१४६	
निष्कर्ष	१५३	
(छ) व्यासि-भेद	१५५	
समव्यासि-विषमव्यासि	१५५	
अन्वयव्यासि-व्यतिरेकव्यासि	१५५	
साधर्म्यव्यासि-वैषम्यव्यासि	१५६	
तथोपपत्ति-अन्यथानुपत्ति	१५६	
बहिर्व्यासि, सकलव्यासि, अन्तव्यासि	१५७	
चतुर्थ-अध्याय	१५९-१८८	
प्रथम परिच्छेद	१५९	
अवयव-विमर्श	१६१	

अवयवोंका विकासक्रम	१५९
प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयवप्रयोग	१६३
तुल्यारम्भ अवयव-विचार	१६६
(१) प्रतिज्ञा	१६९
(२) हेतु	१७३
(३) वृष्टान्त	१७६
(४) उपनय	१८१
(५) निगमन	१८३
(६-१०) पंच शुद्धियाँ	१८६
द्वितीय परिच्छेद	१८९-२२५
हेतु-विमर्श	१८९
१—हेतुस्वरूप	१८९
द्विलक्षण	१९०
त्रिलक्षण	१९०
चतुर्लक्षण	१९२
पंचलक्षण	१९२
षट्लक्षण	१९३
सप्तलक्षण	१९४
जैन तार्किको द्वारा स्वीकृत हेतुका एकलक्षण : अन्य—	
लक्षणसमीक्षा—	१९४
२—हेतु-भेद	२०४
हेतुभेदोका सर्वेक्षण	२०४
जैन परम्परामें हेतुभेद	२०६
स्थानांगसूत्रनिर्दिष्ट हेतुभेद	२०७
अकल्पक्षेपत्रिपादित हेतुभेद	२०८
विद्यानन्दोक्त हेतुभेद	२११
(१) विषिसाधक विषिसाधन (भूत-भूत) हेतु	२१२
(१) कार्य	२१२
(२) कारण	२१२
(३) अकार्यकारण	२१२
१. व्याप्त	२१२
२. सहचर	२१२
३. पूर्वचर	२१२
४. उत्तरचर	२१२

१६ : श्रीमद्भागवतम् अनुमान-विचार

(२) प्रतिवेषसाधन विविसाधन (अभूत-भूत)	२१२
(क) साक्षात्कृतु	२१२
(१) विशद्वकार्य	२१३
(२) विशद्वकारण	२१३
(३) विशद्वकार्यकारण	२१३
१. विशद्वव्याप्त	२१३
२. विशद्वसहचर	२१३
३. विशद्वपूर्वचर	२१३
४. विशद्वउत्तरचर	२१३
(ल) पररपराहेतु	२१३
(१) कारणविशद्वकार्य	२१४
(२) व्यापकविशद्वकार्य	२१४
(३) कारणव्यापकविशद्वकार्य	२१४
(४) व्यापककारणविशद्वकार्य	२१४
(५) कारणविशद्वकारण	२१४
(६) व्यापकविशद्वकारण	२१४
(७) कारणव्यापकविशद्वकारण	२१४
(८) व्यापककारणविशद्वकारण	२१४
(९) कारणविशद्वव्याप्त	२१४
(१०) व्यापकविशद्वव्याप्त	२१५
(११) कारणव्यापकविशद्वव्याप्त	२१५
(१२) व्यापककारणविशद्वव्याप्त	२१५
(१३) कारणविशद्वसहचर	२१५
(१४) व्यापकविशद्वसहचर	२१५
(१५) कारणव्यापकविशद्वसहचर	२१५
(१६) व्यापककारणविशद्वसहचर	२१५
(३) विविसाधन प्रतिवेषसाधन (भूत-अभूत)	२१६
१. विशद्वकार्यनुपलब्धि	२१६
२. विशद्वकारणानुपलब्धि	२१६
३. विशद्वस्वभावानुपलब्धि	२१६
४. विशद्वसहचरानुपलब्धि	२१६
(४) विविप्रतिवेषक प्रतिवेषसाधन (अभूत-अभूत)	२१७
(१) अविशद्वकार्यनुपलब्धि	२१७

(२) अविरुद्धकारणानुपलब्धि	२१७
(३) अविरुद्धव्यापकानुपलब्धि	२१७
(४) अविरुद्धसहचरानुपलब्धि	२१७
(५) अविरुद्धपूर्वचरानुपलब्धि	२१७
(६) अविरुद्धउत्तरचरानुपलब्धि	२१७

पंचम अध्याय

प्रथम परिच्छेद	२२६-२४६
जैन परम्परामें अनुमानाभास-विमर्श	२२६
समन्तभद्रद्वारा निर्दिष्ट अनुमानदोष	२२६
सिद्धसेननिरूपित अनुमानाभास	२२७
अकलज्ञीय अनुमानदोषनिरूपण	२२८
१. साध्याभास	२२९
२. साधनाभास	२३०
(१) असिद्ध	२३३
(२) विरुद्ध	२३३
(३) सन्दिग्ध	२३४
(४) अकिञ्चित्कर	२३४
३. दृष्टान्ताभास	२३५
(१) सावर्णदृष्टान्ताभास	२३५
(१) साध्यविकल	२३५
(२) साधनविकल	२३५
(३) उभयविकल	२३५
(४) सन्दिग्धसाध्यान्वय	२३५
(५) सन्दिग्धसाधनान्वय	२३५
(६) सन्दिग्धोभयान्वय	२३६
(७) अनन्वय	२३६
(८) अप्रवशितान्वय	२३६
(९) किञ्चित्तान्वय	२३६
(२) वैवर्ण्यान्ताभास	२३६
(१) साध्यान्वयावृत्त	२३६
(२) साधनान्वयावृत्त	२३६

१६ : जैन लक्षणस्त्रमें अनुमान-चिकार

(३) उभयास्थावृत	२३६
(४) संदिग्धसाध्यव्यतिरेक	२३६
(५) संदिग्धसाधनव्यतिरेक	२३६
(६) संदिग्धोभयव्यतिरेक	२३७
(७) अव्यतिरेक	२३७
(८) अप्रदर्शितव्यतिरेक	२३७
(९) विपरीतव्यतिरेक	२३७
 माणिक्यनन्दद्वारा अनुमानाभास-प्रतिपादन	 २३७
(१) त्रिविष पक्षाभास	२३८
१. बाधित	२३८
२. अनिष्ट	२३८
३. सिद्धवाधित	२३८
(१) प्रत्यक्षबाधित	२३८
(२) अनुमानबाधित	२३८
(३) बागमबाधित	२३९
(४) लोकबाधित	२३९
(५) स्ववचनबाधित	२३९
(२) चतुर्विष हेत्वाभास	२४०
(३) द्विविष दृष्टान्ताभास	२४०
(१) अन्वयदृष्टान्ताभास	२४०
(२) व्यतिरेकदृष्टान्ताभास	२४०
(४) चतुर्विष बालप्रयोगाभास	२४०
(१) द्वि-अवयवप्रयोगाभास	२४१
(२) त्रि-अवयवप्रयोगाभास	२४१
(३) चतुरवयवप्रयोगाभास	२४१
(४) विपरीतावयवप्रयोगाभास	२४१
 देवसूरि-प्रतिपादित अनुमानाभास	 २४२
हेमचन्द्रोत्तर अनुमानाभास	२४४
अन्य जैन तार्किकोंका मन्तव्य	२४४
(१) अर्मभूषण	२४४
(२) आश्कीर्ति	२४५
(३) यशोविजय	२४६

हितीय परिच्छेद	२४७-२५४
इतरपरम्पराओंमें अनुमानाभास-विमर्श	२४७
वैशेषिकपरम्परा	२४७
न्यायपरम्परा	२४८
बौद्धपरम्परा	२५०
उपसंहार	२५५-२६३
अनुमानका परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भाव	२५७
अर्थापत्ति अनुमानसे पृथक् नहीं	२५७
अनुमानका विशिष्ट स्वरूप	२५८
हेतुका एकलच्छण (अन्यथानुपपञ्चत्व) स्वरूप	२५९
अनुमानका अंग एकमात्र व्याप्ति	२५९
पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतुओंकी परिकल्पना	२५९
प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा अनुमानप्रयोग	२६०
व्याप्तिका ग्राहक एकमात्र तर्क	२५०
तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति	२६१
साध्याभास	२६१
अकिञ्चित्कर हेत्वाभास	२६१
बालप्रयोगाभास	२६२
अनुमानमें अभिनिवोष-मतिज्ञानरूपता और शुतरूपता	२६२



जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार :
ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक
अध्ययन

अध्याय : १ :

प्रथम परिच्छेद प्रास्ताविक

भारतीय वाङ्मय और अनुमान

भारतीय तर्कशास्त्रमें अनुमानका महत्वपूर्ण स्थान है। बार्वाकि (लौकायत) दर्शनके अतिरिक्त शेष सभी भारतीय दर्शनोंने अनुमानको प्रमाणकृपमें स्वीकार किया है और उसे परोक्ष पदार्थोंकी व्यवस्था एवं तत्त्वज्ञानका अन्यतम साधन माना है।

विचारणीय है कि भारतीय वाङ्मयके तर्कशब्दोंमें^१ सर्वांगिक विवेचित एवं प्रतिपादित इस महत्वपूर्ण और अधिक उपयोगी प्रमाणका संघवहार कबसे आरम्भ हुआ ? दूसरे, जात सुदूरकालमें उसे अनुमान ही कहा जाता था या किसी अन्य नामसे वह व्यवहृत होता था ? जहाँ तक हमारा अध्ययन है भारतीय वाङ्मयके निबन्धनपूर्ण उपलब्ध नव्यवेद आदि संहिता-नन्दोमें अनुमान या उसका पर्याय शब्द उपलब्ध नहीं होता। हाँ, उपनिषद्-साहित्यमें एक शब्द ऐसा अवश्य आता है जिसे अनुमानका पूर्व संस्करण कहा जा सकता है और वह शब्द है 'वाकोवाक्यम्'^२। छान्दोग्योपनिषद्‌के इस शब्दके अतिरिक्त नव्यविन्दूपनिषद्-

१. गौतम अङ्गपाद, न्यायसू. १।११; मारदीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी।

२. ऋच्येदं मगवोऽर्थेत्...वाकोवाक्यमेकार्थं...अध्येति।

—छान्दो० ४।१२; लिंगवसागर मेस कर्मी; सन् १९३२।

२ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

मेरे अनुमानके अनुकूल हेतु और दृष्टान्त तथा मैत्रायणी-उपनिषदमें^३ अनुमानसूचक 'अनुभीयते' क्रियाशब्द मिलते हैं। इसी तरह सुबालोपनिषदमें^४ 'न्याय' शब्दका निर्देश है। इन उल्लेखोंके अध्ययनसे हम यह तथ्य निकाल सकते हैं कि उपनिषद् कालमें अध्यात्म-विवेचनके लिये क्रमशः अनुमानका स्वरूप उपस्थित होने लगा था।

शास्त्रर-भाष्यमें^५ 'वाकोवाक्यम्'का अर्थ 'तर्कशास्त्र' दिया है। डा० भगवान-दासने "भाष्यके इस अर्थको अपनाते हुए उसका तर्कशास्त्र, उत्तर-प्रत्युत्तरशास्त्र, युक्ति-प्रतियुक्तिशास्त्र व्याख्यान किया है। इन (अर्थ और व्याख्यान)के आधारपर अनुभवगम्य अध्यात्मज्ञानको अभिव्यक्त करनेके लिए छान्दोग्योवनिषदमें व्यवहृत 'वाकोवाक्यम्'को तर्कशास्त्रका बोधक मान लेनेमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। ज्ञानोत्पत्तिकी प्रक्रियाका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि आदिम मानवको अपने प्रत्यक्ष (अनुभव) ज्ञानके अविसंबद्धादित्वकी सिद्धि अथवा उसकी सम्पुष्टिके लिए किसी तर्क, हेतु या युक्तिकी आवश्यकता पड़ी होगी।

प्राचीन बौद्ध पाली-प्रन्थ ब्रह्मालसुत्तमें^६ तर्कों और तर्क शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो क्रमशः तर्कशास्त्री तथा तर्कविदाके अर्थमें आये हैं। यद्यपि यहीं तर्कका अध्ययन आत्मज्ञानके लिए अनुपयोगी बताया गया है, किन्तु तर्क और तर्कों शब्दोंका प्रयोग यहीं क्रमशः कुतुर्क (वितण्डावाद या व्यर्थके विवाद) और कुतर्की (वितण्डावादी) के अर्थमें हुआ जात होता है। अथवा ब्रह्मालसुत्तका उक्त कथन उस युगका प्रदर्शक है, जब तर्कका दुरुपयोग होने लगा था। और इसीसे सम्भवतः ब्रह्मालसुत्तकारको आत्मज्ञानके लिए तर्कविदाके अध्ययनका निषेध करना पड़ा। जो हो, इतना तो उससे स्पष्ट है कि उसमें तर्क और तर्कों शब्द प्रयुक्त हैं और

१. 'हेतुब्रह्मान्तरवित्तम्' :

—ब्रह्माबिन्द० पठाक ४; निर्णयसागर प्रस बहवैः; १३३२।

२. '... वृहीरात्मा गवन्तरात्मनानुमोक्षते' :

—मैत्रायणी० ५।१; निर्णयसागर प्रस बहवैः, १३३२।

३. 'शासा कल्पो...न्याया मांमासा ..' :

—सुबालोपनिषद् १० संख्या २; प्रकाशन स्थान व समय वही।

४. वाकोवाक्य तर्कशास्त्रम्।

—आ० शहूर, छान्दोग्यो० माध्य ७।१।२, शीतामेस गोरखपुर।

५. डा. भगवानदास, दर्शनका प्रयोगन् पृ. १।

६. 'इष, भिक्षुते, पक्षच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा तपको होति बीमंसी। सो तत्क्षमरियाहृतं बीमंसानुभरितं ...।'

—राम देविदिक (सम्पादक), ब्रह्मालसु० १।३२।

तर्कविद्याका अध्ययन आत्मकान के लिए न सही, वस्तु-अवस्थाके लिए आवश्यक था ।

‘न्यायसूत्र’ और उसकी व्याख्याओंमें^१ तर्क और अनुमानमें यथापि भेद किया है—तर्कको अग्रभान नहीं, अनुमानका अनुभाहक कहा है । पर यहाँमें बहुत उत्तरकालीन है । किसी समय हेतु, तर्क, न्याय और आन्वीक्षा ये सभी अनुमानार्थक माने जाते थे । उद्घोतकरके^२ उल्लेखसे यह स्पष्ट जान पड़ता है । न्यायकोशकारनें^३ तर्कशब्दके अनेक अर्थ प्रस्तुत किये हैं । उनमें आन्वीक्षिकी विद्या और अनुमान अर्थ भी दिया है ।

बाल्मीकि रामायणमें^४ आन्वीक्षिकी शब्दका प्रयोग है जो हेतुविद्या या तर्कशब्दके अर्थमें हुआ है । यहाँ उन लोगोंको ‘अनर्थकुशल’, ‘बाल’, ‘पण्डितमानी’ और ‘दुर्बुच’ कहा है जो प्रमुख वर्माशब्दोंके होते हुए भी अर्थ आन्वीक्षिकी विद्याका सहारा लेकर कथन करते या उसकी पुष्टि करते हैं ।

महाभारतमें^५ आन्वीक्षिकीके अतिरिक्त हेतु, हेतुक, तर्कविद्या जैसे शब्दोंका भी प्रयोग पाया जाता है । तर्कविद्याको तो आन्वीक्षिकीका पर्याय ही बतलाया है । एक स्थानपर^६ याज्ञवल्कयने विश्वावसुके प्रस्तोतोंका उत्तर आन्वीक्षिकीके माध्यमसे दिया और उसे परा (उच्च विद्या कहा है । दूसरे स्थलपर^७ याज्ञवल्क्य राजर्णि जनकको आन्वीक्षिकीका उपदेश देते हुए उसे चतुर्थी विद्या तथा मोक्षके लिए नयी, बार्ता और दण्डनीति तीनों विद्याओंसे अधिक उपयोगी बतलाते हैं । इसके अतिरिक्त एक अन्य जगह^८ शास्त्रशब्दणके अनविकारियोंके लिए ‘हेतुदुष्ट’ शब्द आया है, जो असत्य हेतु प्रयोग करनेवालोंके गहनका बोधक प्रतीत होना है । अ्यातव्य है कि जो अर्थ तर्कविद्या (आन्वीक्षिकी) पर अनुरक्त है उन्हें महाभारतकारने^९

१. अकापाद गौतम, न्यायसू. १।१।३, १।१।४० ।

२. वात्स्यायन, न्यायमाण्य १।१।३, १।१।४०; उपोत्तकर, न्यायवा. १।१।३, १।१।४० ।

३. अपरे अनुमान तर्क इत्यातुः । हेतुस्तकों न्यायाऽन्वेषा । इत्यनुमानमाल्यायत इति ।

—उद्घोतक, न्यायवा, १।१।४०; त्रौजमा विद्यामध्यन, सन् १९१६ ।

४. बीमाचार्य (सम्यादक), न्यायकोश, ‘तर्क’ शब्द, पृ० ३२१, प्राच्यविद्यासंशोधन मन्दिर, बम्बई, सन् १९२८ ।

५. बाल्मीकि, रामायण अब्दो० का. १००।३८, ३९, गोतामेस गोरखपुर, वि. सं. २०३७ ।

६. व्यास, महाभारत शान्तिपर्व २१०।२२, १८।१।४७; गोतामेस गोरखपुर, वि. स. २०१७ ।

७. वही, शा० प० ३।१।३४ ।

८. वही, शा० प० ३।१।३५ ।

९. वही, अनुष्ठा० प० ३।४।१७ ।

१०. वही, शा० प० १।०।४७ ।

४ : वैद तर्कसामने अनुमान-विचार

बाल्मीकि रामायणकी तरह पण्डितक, हेतुक और देवनिन्दक कहकर उनकी मत्स्यवा भी की है। तात्पर्य यह कि तर्कविद्याके सदुपयोग और दुष्प्रयोगकी ओर उन्होंने संकेत किया है। एक अन्य प्रकरणमें^१ नारदको पंचावयवयुक्त बायके गुणदोषोंका बेता और 'अनुमानविभाषवित्' बतलाया है। इन समस्त उल्लेखोंसे अवश्यत होता है कि महाभारतमें अनुमानके उपादानों और उसके व्यवहारकी चर्चा है।

आन्वीक्षिकी शब्द अनुमानका बोधक है। इसका यीगिक अर्थ है अनु—पश्चात् + इक्षा—देखना वर्णति किर जीव करना। वात्स्यायनके^२ अनुसार प्रत्यक्ष और आगमसे देखे-जाने परार्थको विशेष रूपसे जाननेका नाम 'अन्वीक्षा' है और यह अन्वीक्षा ही अनुमान है। अन्वीक्षापूर्वक प्रवृत्ति करनेवाली विद्या आन्वीक्षिकी—न्यायविद्या—न्यायशास्त्र है। तात्पर्य यह कि जिस शास्त्रमें वस्तु-सिद्धिके लिए अनुमानका विशेष व्यवहार होता है उसे वात्स्यायनने अनुमानशास्त्र, न्यायशास्त्र, न्यायविद्या और आन्वीक्षिकी बतलाया है। इस प्रकार आन्वीक्षिकी न्यायशास्त्रकी संज्ञाको घारण करती हुई अनुमानके रूपको प्राप्त हुई है। ढा० सतीशचन्द्र विद्याभूषणने^३ आन्वीक्षिकीमें आत्मा और हेतु दोनों विद्याओंका समावेश किया है। उनका मत है कि साध्य, योग और लोकायत आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि और असिद्धिमें प्राचीन कालसे ही हेतुवाद या आन्वीक्षिकीका व्यवहार करते आ रहे हैं।

कीटिल्यके अर्थशास्त्रमें^४ आन्वीक्षिकीके समर्थनमें कहा गया है कि विभिन्न युक्तियों द्वारा विषयोका बलाबल इसी विद्याके आश्रयसे ज्ञात होता है। यह

१. व्याप्ति, महाभारा० समा० पर्व ५४, = ।

२. प्रत्यक्षागमाभितमनुमान साऽन्वीक्षा। प्रत्यक्षागमाभ्यामीर्जितस्यान्वीक्षणमन्वाभ्या। तथा प्रवर्तते हत्यान्वीक्षिको न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्।—वात्स्यायन, न्यायभा० १।१।१, पृ० ७।

३. Ānvīksiki deald in fact with two subjects, viz Ātmā, Soul, and Hetu, theory of reasons Vātsyāyana observes that Ānvīksiki without the theory of reasons would have like the upanisad been a mere Ātmā-vidyā or Adhyātma-vidyā. It is the theory of reasons which distinguished it from the same the Sāmkhya, yoga & Lokāyata, in so far as they treated of reasons affirming of denying the existence of Soul, were included by Kovtilya in the Ānvīksiki.

—A History of Indian Logice, Calcutta University 1921,
page 5.

४. कौटिल्य, अर्थशास्त्र विद्यासम्बुद्ध ११, पृ० १०, ११।

लोकका उपकार करती है, दुःख-सुखमें बुद्धिको स्वैर्य प्रदान करती है, प्रश्ना, वचन और क्रियामें कुशलता लाती है। जिस प्रकार दोषक समस्त पदार्थोंका प्रकाशक है उसी प्रकार यह विद्या भी सब विद्याओं, समस्त कायों और समस्त घटोंकी प्रकाशिका है। कौटिल्यके इस विवेचन और उपर्युक्त वर्णनसे आन्वीक्षिकी विद्याको अनुमानका पूर्वरूप कहा जा सकता है।

अनुसृतिमें^३ जहाँ तक और तर्की शब्दोंका प्रयोग मिलता है वहाँ हेतुक, आन्वीक्षिकी और हेतुशास्त्र शब्द भी उपलब्ध होते हैं। एक स्थानपर^४ तो वर्म-तत्त्वके जिज्ञासुके लिए प्रत्यक्ष और विविध आगमरूप शास्त्रके अतिरिक्त अनुमानको भी जाननेका स्थृत निर्देश किया है। इससे प्रतीत होता है कि अनुसृतिकारके समयमें हेतुशास्त्र और आन्वीक्षिकी शब्दोंके साथ अनुमान शब्द भी व्यवहृत होने लगा था और उसे असिद्ध या विवादापन्न वस्तुओंकी सिद्धिके लिए उपयोगी माना जाता था।

षट्खण्डागममें 'हेतुवाद', स्थानाङ्गसूत्रमें^५ 'हेतु', भगवतीसूत्रमें^६ 'अनुमान' और अनुयोगसूत्रमें^७ अनुमानके भेद-प्रभेदोंकी चर्चा समाहित है। अतः जैनागमोंमें भी अनुमानका पूर्वरूप और अनुमान प्रतिपादित है।

इस प्रकार भारतीय वाक्यमयके अनुशीलनसे अवगत होता है कि भारतीय तर्कशास्त्र आरम्भमें 'वाकोवाक्यम्', उसके पश्चात् आन्वीक्षिकी, हेतुशास्त्र, तर्क-विद्या और न्यायशास्त्र या प्रमाणशास्त्रके रूपोंमें व्यवहृत हुआ। उत्तरकालमें प्रमाणमीमांसाका विकास होनेपर हेतुविद्यापर अधिक बल दिया गया। फलतः आन्वीक्षिकीमें अर्थसंकोच होकर वह हेतुपूर्वक होनेवाले अनुमानकी बोधक हो गयी। अतः 'वाकोवाक्यम्' आन्वीक्षिकीका और आन्वीक्षिकी अनुमानका प्राचीन मूल रूप ज्ञात होता है। ●

१. विशेषके लिये देखिय, डा० सतीशचन्द्र विकामूर्त्ति, ए हिन्दूरी आंक इण्डियन लॉजिक १० ४०।

२. मनुसृति १२। १०६, १२। १११, ७। ४३, २। ११; चोक्ष्वा सं० सी० वाराणसी।

३. प्रत्यक्ष अनुमान च शास्त्रं च विविधम्।

त्रयं सुविदित कायं वर्मगृहिमभोसता ॥

—वही, १२। १०५।

४. मूलवली-पुष्पदन्त, ए० १० ५४५, सोलापुर संस्करण, सं० १६५५ ई०।

५. मुनि कलहैवालाल; स्था० स० १०९, ११०; व्यावर संस्करण, वि० सं० २०१०।

६. मुनि कलहैवालाल; स० स० ५४। १६८-१६९; भगवतसिंह कलहैवा।

७. मुनि कलहैवालाल, अनु० स० मूलसुताणि, स० ५१९; व्यावर संस्करण, वि० सं० २०१०।

अनुमानका विकास-क्रम

अनुमानका विकास निबद्धरूपमें अक्षपादके न्यायसूत्रसे आरम्भ होता है। न्यायसूत्रके व्याख्याकारों—बात्स्यायन, उद्योतकर, बाचम्पति, जयन्त भट्ट, उदयन, श्रीकण्ठ, गंगेश, बद्धमानउपाध्याय, विश्वकाम प्रभृति—ने अनुमानके स्वरूप, आधार, भेदोपमेद, व्याप्ति, पक्षघर्मता, व्याप्तिप्रहृण, अवयव आदिका विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। इसके विकासमें प्रशस्तपाद, माठर, कुमारिल जैसे वैदिक दार्शनिकोंके अतिरिक्त वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकोर्ति, घर्मोत्तर, प्रकाकर, शान्तरक्षित, अचट आदि बौद्ध नैयायिकोंतथा समन्तभद्र, सिद्धसेन, पात्रल्बामी, अकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, देवसूरि, हेमचन्द्र प्रमृक्ष जैन ताकिकोंने भी योगदान किया है। निःसन्देह अनुमानका क्लासिक विकास तर्कशास्त्रकी दृष्टिसे जितना महत्वपूर्ण एवं रोचक है उससे कहीं अधिक भारतीय धर्म और दर्शनके इतिहासकी दृष्टिसे भी। यतः भारतीय अनुमान केवल कार्यकारणरूप बौद्धिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि नि श्रेयस-उपलब्धिके साधनोंमें परिणित है^१। यही कारण है कि भारतीय अनुमान-परम्पराका जितना विचार तर्कशास्त्रमें उपलब्ध होता है उतना या उससे कुछ कम धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और पुराणग्रन्थोंमें भी पाया जाता है। पर हमारा उद्देश्य स्वतन्त्र दृष्टिसे भारतीय तर्कशास्त्रोंमें अनुमानपर जो चिन्तन उपलब्ध होता है उसीके विकासपर यहाँ समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत करना है।

(क) न्याय-परम्परामें अनुमान-विकास

गौतमने अनुमानकी परिभाषा केवल “तत्पूर्वकम्”^२ पद द्वारा ही उपस्थित की है। इस परिभाषामें “तत्” शब्द केवल स्पष्ट है, जो पूर्वलक्षित प्रत्यक्षके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह बतलाता है कि प्रत्यक्ष-पूर्वक अनुमान होता है, किन्तु वह अनुमान है क्या? यह जिज्ञासा अतृप्त ही रह जाती है। सूत्रके अद्वाशमें अनुमानके पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट ये तीन भेद उपलब्ध होते हैं। इनमें प्रथमके दो भेदोंमें आगत ‘बत्’ शब्द भी विचारणीय है। शब्दार्थको दृष्टिसे ‘पूर्वके समान’ और ‘शेषके समान’ यही अर्थ उससे उपलब्ध होता है तथा ‘सामान्यतोदृष्ट’से ‘सामान्यतः दर्शन’ अर्थ ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त

१. भद्रोपः सर्वविद्याना० ॥११५॥ तत्प्राप्तमविद्यायामात्प्रादितत्प्रज्ञान० ॥११६॥

—बात्स्यायन न्यायमा० १।१।६, पृष्ठ ११।

२. गौतम अक्षपाद न्यायसू० १।१५।

उसके स्वरूपका कोई प्रबंधन नहीं होता।^१

सोलह पदार्थोंमें एक अवयव पदार्थ परिणित है। उसके प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पाँच भेदोंका परिमाणासहित निर्देश किया है।^२ अनुमान इन पाँचसे सम्पूर्ण एवं सम्पूर्ण होता है। उनके बिना अनुमानका आत्मकाल नहीं होता। अतः अनुमानके लिए उनकी आवश्यकता असन्दिग्ध है। 'हेतु' शब्दका प्रयोग अनुमानके लक्षणमें, जो मात्र कारणसामग्रीको ही प्रदर्शित करता है, हमें नहीं मिलता, किन्तु उक्त पञ्चावयवोंके मध्य द्वितीय अवयवके रूपमें 'हेतु'का और हेत्वाभासके विवेचन-सन्दर्भमें 'हेत्वाभासोंका' स्वरूप अवश्य प्राप्त होता है।^३

अनुमान-परीक्षा के प्रकरणमें रोध, उपधात और सादृश्यसे अनुमानके मिथ्या होनेको आशंका व्यक्त को है।^४ इस परीक्षासे विदित है कि गौतमके समयमें अनुमानकी परम्परा पर्याप्त विकसित रूपमें विद्यमान थी—‘वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणम्, प्रस्थक्षानुपपत्ते।’^५ सूत्रमें ‘अनुपपत्ति’ शब्दका प्रयोग हेतुके रूपमें किया है। वास्तव में ‘अनुपपत्ति’ हेतु पञ्चम्यन्तकी अपेक्षा अधिक गमक है। इसीसे अनुमानके स्वरूप-को भी निर्धारित किया जा सकता है। एक बात और स्मरणोय है कि ‘व्याहृत-स्वात् अहेतुः’^६ सूत्रमें ‘अहेतु’ शब्दका प्रयोग सामान्यार्थक मान लिया जाए तो गौतमकी अनुमान-सरणियमें हेतु, अहेतु और हेत्वाभास शब्द भी उपलब्ध हो जाते हैं। अतएव निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गौतम अनुमानके मूलभूत प्रतिशा, साध्य और हेतु इन तीनों ही अंगोंके स्वरूप और उनके प्रयोगसे सुपरिचित थे। वास्तवमें अनुमानकी प्रमुख आधार-शिला गम्य-गमक (साध्य-साधन) भाव योजना ही है। इस योजनाका प्रयोगात्मक रूप साधर्म्य और वैधर्म्य दृष्टान्तोंमें पाया जाता है।^७ पञ्चावयवाक्यकी साधर्म्य और वैधर्म्यरूप प्रणालीके मूललेखक गौतम अधिपाद जान पड़ते हैं। इनके पूर्व कणादके वैशेषिकसूत्रमें अनुमानप्रभाणका निर्देश ‘लैलिक’ शब्दद्वारा किया गया है,^८ पर उसका विवेचन न्यायसूत्रमें ही प्रथमतः दृष्टिगोचर

१. न्यायसू. १।१।५।

२. वही, १।१।३२-३९।

३. वही, १।२।५-६।

४. वही, १।१।३८।

५. वही, १।१।४३।

६. वही, १।१।२५।

७. साध्यसम्बन्धात्मकाद्यादी दृष्टान्त उदाहरणम्। तद्विपर्यादा विपरीतम्।

—वही १।१।३६, ३७।

८. उपोनिषदः प्रत्यक्षादैगिकाभ्याम्। अस्येवं कार्य कर्त्तव्य संबोधि विरोधि समवायि चेति छेनिकल्।

—वैशेषिकद० १०।१।६, १।२।१।

१०० : औन उक्तसाक्षरमें अनुमान-विचार

होता है। अतः अनुमानका निबद्धरूपमें ऐतिहासिक विकासक्रम गौतमसे भारत्मकर रुद्रनारायण पर्यन्त अंकित किया जा सकता है। रुद्रनारायणने अपनी तत्त्वरौद्रीमें गंगेश उपाध्याय द्वारा स्थापित अनुमानको नव्याध्यायपरम्परामें प्रयुक्त नवीन पदा-बलीका विशेष विश्लेषण किया है। यद्यपि मूलभूत सिद्धान्त तत्त्वचिन्तामणिके ही हैं, पर भाषाका रूप अध्यात्मन है और अवच्छेदकावच्छिन्न, प्रतियोगिताकाभाव आदिको नवीन स्थाणाबलीमें स्पष्ट किया है।

गौतमका न्यायसूत्र अनुमानका स्वरूप, उसकी परीक्षा, हेत्वाभास, अवश्य एवं उसके भेदोंको ज्ञात करनेके लिए महत्त्वपूर्ण यन्त्र है। यद्यपि यह सत्य है कि अनुमानके निर्धारित तथ्य पक्षप्रमत्ता, व्याप्ति और परामर्शका उल्लेख इसमें नहीं पाया जाता, तो भी अनुमानकी प्रस्तुत की गयी समीक्षासे अनुमानका पूरा रूप खड़ा हो जाता है। गौतमके समयमें अनुमान-सम्बन्धी जिन विशेष भारोंमें विवाद था उनका उन्होंने स्वरूप विवेचन अवश्य किया है^१। यथा— प्रतिज्ञाके स्वरूप-निर्धारणके सम्बन्धमें विवाद था—कोई साध्यको प्रतिज्ञा मानता था, तो कोई केवल घर्मोंको प्रतिज्ञा कहता था। उन्होंने साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा क्रहकर उस विवादका निरसन किया।^२ इसी प्रकार अवश्य, हेतुओ, हेत्वाभासों एवं अनुमान-प्रकारोंके सम्बन्धमें वर्तमान विप्रतिपत्तियोंका भी उन्होंने समाचान प्रस्तुत किया और एक मुद्दे परम्परा स्थापित की।

न्यायसूत्रके भाष्यकार वात्स्यायनने मूर्त्रोंमें निर्दिष्ट अनुमान सम्बन्धी मधी उपादानोंकी परिभाषाएँ अंकित की और अनुमानको पृष्ठ और सम्बद्ध रूप प्रदान किया है। यथार्थमें वात्स्यायनने गौतमको अमर बना दिया है। व्याकरणके क्षेत्रमें जो स्थान भाष्यकार पतंजलिका है, न्यायके क्षेत्रमें वही स्थान वात्स्यायनका है। वात्स्यायनने सर्वपद्धम 'तत्पूर्वकम्' पदका विस्तार कर 'लिङ्गलिंगिनोः सम्बन्धदर्शनपूर्वकमनुमानम्'^३ परिभाषा अंकित की। और लिंग-लिंगीके सम्बन्ध-दर्शनको अनुमानका कारण बतलाया।

गौतमने अनुमानके त्रिविध भेदोंका मात्र उल्लेख किया था। पर वात्स्यायनने उनकी सोदाहरण परिभाषाएँ भी निर्दिष्ट की है।^४ वे एक प्रकारका परिष्कार देकर ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु प्रकारान्तरसे दूसरे परिष्कार भी ग्रथित किये हैं।^५ इन व्याख्यामूलक परिष्कारोंके अध्ययन बिना गौतमके अनुमानरूपोंको अवगत करना असम्भव है। अतः अनुमानके स्वरूप और उसकी भेदव्यवस्थाके स्पष्टीकरणका श्रेय बहुत कुछ वात्स्यायनको है।

१. साध्यनिर्देशः मंत्रिष्ठा ।—न्यायसू. १।१।३३ ।

२. न्यायसू. १।१।५, पृष्ठ २१ ।

३।४।५. वही, १।१।५, पृष्ठ २१, २२ ।

उपने समयमें प्रचलित दशावयवकी सभीका करके न्यायसूत्रकार द्वारा स्थापित वंचावयव-मान्यताका युक्तिपुरस्तर समर्थन करना भी उनका उल्लेखनीय बैशिष्ट्य है।^१ न्यायमाध्यमें^२ साधर्म्य और वैष्णव्य प्रयुक्त हेतुहोंकी व्याख्या भी कम महत्वकी नहीं है। द्विविध उदाहरणका विवेचन भी बहुत सुन्दर और विशद है। व्यात्यन्य है कि बात्स्यायनने 'पूर्णस्मिन् इहान्ते यौ तौ चमौ साध्यसाधनं भूतौ पश्यति, साध्येऽपि तदोः साध्यसाधनमावमनुभिनोति।'^३ कहकर साधर्म्यदृष्टान्तको अन्यवदृष्टान्त कहने और अन्यव एवं अन्यवयवसिं दिखानेका संकेत किया जान पड़ता है। इसी प्रकार 'दशरथस्मिन् इहान्ते तयोर्धर्मं योरेकस्याभावादितरस्थाभावं पश्यति, तदोरेकस्याभावादितरस्थाभावं साध्येऽनुभिनोतीति।'^४ शब्दों द्वारा उन्होंने वैष्णव्यदृष्टान्तको व्यतिरेकदृष्टान्त प्रतिपादन करने तथा व्यतिरेक एवं व्यतिरेक-व्याप्ति प्रदर्शित करनेकी ओर भी दृष्टिकोण किया है। यदि यह ठीक हो तो यह बात्स्यायन की एक नयी उपलब्धि है। सूत्रकारने हेतुका सामान्यलक्षण ही बतलाया है।^५ पर वह इनमा अपर्याप्ति है कि उससे हेतुके सम्बन्धमें स्पष्टता जानकारी नहीं हो पाती। भाष्यकारने हेतु-लक्षणको उदाहरण द्वारा^६ स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। उनका अभिमत है कि 'साध्यसाधनं हेतुः' तभी स्पष्ट हो सकता है जब साध्य (पक्ष) तथा उदाहरणमें धर्म (पक्षधर्म हेतु) का प्रतिसञ्चान कर उसमें साधनता बतलायी जाए। हेतु समान और असमान दोनों ही प्रकारके उदाहरण बतलाने पर साध्यका साधक होता है। यथा—न्यायसूत्रकारके प्रतिज्ञालक्षण^७को स्पष्ट करनेके लिए उदाहरणस्वरूप कहे गये 'शब्दोऽनित्यः' को 'दशप्रतिधर्मंकवात्'^८ हेतुका प्रयोग करके सिद्ध किया गया है। तात्पर्य यह कि भाष्यकारने हेतुस्वरूपवीयक सूत्रकी उदाहरणद्वारा विशद व्याख्या तो की ही है, पर 'साध्यप्रतिज्ञालक्षण धर्मंसुदाहणे च प्रतिसञ्चाय तस्य साधनतावचनं हेतुः'^९ कथन द्वारा साध्यके साथ नियत सम्बन्धीको हेतु कहा है। अतः जिस प्रकार उदाहरणके क्षेत्रमें उनको देन है उसी प्रकार हेतुके क्षेत्रमें भी।

१. न्यायमा० १।१।३२, पृष्ठ ४७।

२. वदी, १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४६।

३. वदी, १।१।३७, पृष्ठ ५०।

४. वदी, १।१।३७, पृष्ठ ५०।

५. न्यायस० १।१।३४, ३५।

६. 'उत्पत्तिधर्मंकवात्' हति। उत्पत्तिधर्मंकमनिय यूहमिति।

—न्यायमा० १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४८, ४९।

७. साध्यनिर्देशः प्रतिष्ठा—न्यायस० १।१।३३।

८. न्यायमा० १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४८, ४९।

९. वदी, १।१।३४, ३५, पृष्ठ ४८, ४९।

अनुमानकी प्रामाणिकता या सत्यता लिंग-लिंगीके सम्बन्धपर आधित है। वह सम्बन्ध नियत साहचर्यरूप है। सूत्रकार भीतम उसके विषयमें भीन है। पर भाष्यकारने^१ उसका स्पष्ट निर्देश किया है। उन्होंने लिंगदर्शन और लिंगस्मृतिके बतिरिक लिंग (हेतु) और लिंगी (हेतुमान्-साध्य) के सम्बन्ध दर्शनको भी अनुभितिमें आवश्यक बतला कर उस सम्बन्धके मर्मका उद्घाटन किया है। उनका मत है कि सम्बद्ध हेतु तथा हेतुमानके भिन्नेसे हेतुस्मृतिका अभिसम्बन्ध होता है और स्मृति एवं लिंगदर्शनसे अप्रत्यक्ष (अनुमेय , अर्थका अनुमान होता है। भाष्यकारके इस प्रतिपादनसे प्रतीत होता है कि उन्होंने 'सम्बन्ध' शब्दसे व्याप्ति-सम्बन्धका और 'लिंगलिंगिनोः सम्बद्धयोदर्शनम्' पदोसे उस व्याप्ति सम्बन्धके ग्राहक भूयोदर्शन या सहचारदर्शनका सकेत किया है जिसका उत्तरर्थता आचार्योंने स्पष्ट कथन किया तथा उसे महत्त्व दिया है।^२ प्रस्तुत लिंग-लिंगीको सम्बद्ध देखनेका नाम ही सहचारदर्शन या भूयोदर्शन है, जिसे व्याप्तिब्रह्ममें प्रयोजक माना गया है। अत. वात्स्यायनके मतसे अनुमानकी कारण-सामग्री केवल प्रत्यक्ष (लिंगदर्शन) ही नहीं है, किन्तु लिंग-दर्शन, लिंग-लिंगीसम्बन्धदर्शन और तत्सम्बन्धस्मृति ये तीनों हैं। तथा सम्बन्ध (व्याप्ति) का ज्ञान उन्होंने प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिपादन किया है, जिसका अनुसरण उत्तरर्थता ताकिकोने भी किया है।^३

वात्स्यायनकी^४ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिं और उल्लेख्य है। उन्होंने अनुमान-परीक्षा प्रकारणमें त्रिविध अनुमानोंके भिन्नात्मकी आशंका प्रस्तुत कर उनकी सत्यताकी सिद्धिकेलिए कई पकारसे विचार किया है। आपत्तिकार कहता है कि 'उपरके प्रदेशमें वर्षा हुई है, क्योंकि नदीमें बाढ़ आयी है,'^५ वर्षाहोमी, क्योंकि चीटियाँ आई लेकर जा रही हैं ये दोनों अनुमान सदोष हैं, क्योंकि कही नदीकी घारामें रुकावट होनेपर भी नदीमें बाढ़ आ सकती है। इसी प्रकार चीटियोंका अण्डों सहित संचार चीटियोंके बिलके नष्ट होनेपर भी हो सकता है। इसी तरह सामान्यतो-

१. लिंगलिंगिनोः सम्बन्धदर्शनं लिंगदर्शनं चाप्रसम्बद्धते। लिंगलिंगिनोः सम्बद्धयोदर्शनेन लिंगस्मृतरभिसम्बद्धते। स्मृत्या लिंगदर्शनेन चाप्रत्यक्षोऽस्मोऽनुभीयते। —न्यायमा० १।१५, पृष्ठ २१।

२. "वदास्वं भूयोदर्शनसहायानि स्वाभाविकसम्बन्धप्रहणे प्रमाणन्युन्तेत्यानि...। —वाचस्पति, न्यायमा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६७।

३. वद्यत्तकर, न्यायमा० १।१५, पृष्ठ ४४। न्यायमा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६७। उद्यवन, न्यायमा० ता० टी० परिशृ० १।१५, पृष्ठ ७०१। गणेश, तत्त्वजिन्दामणि, जगद्वा० पृष्ठ ३७८, आदि।

४, ५; ६. न्यायमा० २।१३८, पृष्ठ ११४।

इस अनुमानका उदाहरण—‘मोर बोल रहे हैं, अतः वर्षा होती’—भी व्याख्यानमान है, क्योंकि पुराण भी परिहास या आजीविकाकेलिए मोरकी बोली बोल सकता है।^१ इतना ही नहीं मोरके बोलने पर भी वर्षा नहीं हो सकती; क्योंकि वर्षा और मोरके बोलनेमें कोई कार्य-कारणसम्बन्ध नहीं है। वात्स्यायन^२ इन समस्त आपसियों (व्याख्याचार-दांकाओं) का निराकरण करते हुए कहते हैं कि उक्त आपसियाँ ठीक नहीं हैं, क्योंकि उक्त अनुमान अनुमान नहीं हैं, अनुमानाभास हैं और अमुमानभासोंके अनुमान समझ लिया गया है। तथ्य यह है कि विशिष्ट हेतु ही विशिष्ट साध्यका अनुमापक होता है^३। अतः अनुमानकी सत्यताका आधार विशिष्ट (साध्यादिनाभावी) हेतु ही है, जो कोई नहीं। यहाँ वात्स्यायनके प्रतिपादन और उनके ‘विशिष्ट हेतु’ पदसे अव्याख्यातारी हेतु अभिप्रेत हैं जो नियमसे साध्यका अपक होता है। वे कहते हैं^४ कि यह अनुमानोंका ही अपराध माना जाएगा कि वह अव्यविसेषवाले अनुमेय अर्थको सामान्य अर्थसे जाननेकी इच्छा करता है, अनुमानका नहीं।

इस प्रकार वात्स्यायनने अनुमानके उपादानोंके परिष्कार एवं व्याख्यामूलक विशदीकरणके साथ कितना ही नया चिन्तन प्रस्तुत किया है।

अनुमानके क्षेत्रमें वात्स्यायनसे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य उद्योतकरका है। उन्होंने लिंगपरामर्शको^५ अनुमान कहा है। अब तक अनुमानकी परिभाषा कारणसामग्रीपर निर्भर थी। किन्तु उन्होंने उसका स्वतन्त्र स्वरूप देकर नयी परम्परा स्थिर की। व्याख्याविशिष्ट पक्षभर्ताका ज्ञान ही परामर्श है। उद्योतकरको^६ दृष्टिमें लिंगलिंगिसम्बन्धसमृद्धिसे युक्त लिंगपरामर्श अभीष्टार्थ (अनु-मेयार्थ) का अनुमापक है। वे कहते हैं^७ कि अनुमान वस्तुतः उसे कहना चाहिए, जिसके अनन्तर उत्तरकालमें शोषार्थ (अनुमेयार्थ) प्रतिपत्ति (अनुमिति) हो और ऐसा केवल लिंगपरामर्श ही है, क्योंकि उसके अनन्तर नियमतः अनुमिति उत्पन्न होती है। लिंगलिंगिसम्बन्धसमृद्धि आदि लिंगपरामर्शसे व्यवहित हो जानेसे अनुमान नहीं है। उद्योतकरकी यह अनुमान-परिभाषा इतनी दृढ़ एवं बढ़मूल हुई कि

१. न्यायबाद २।१।३८, पृष्ठ ११४।

२. वही, २।१।३६, पृष्ठ ११४, ११५।

३.४. वही २।१।३५, पृष्ठ ११५।

५. न्यायबाद १।१।५, पृष्ठ ४५ आदि।

६. वही १।१।५, पृष्ठ ४५।

७. ‘तस्मात् स्मृत्यनुगृहीते लिंगपरामर्शोऽमाहर्यप्रतिपादकः’—वही, १।१।५, पृष्ठ ४५।

८. वस्मालिङ्गपरामर्शादनन्तरं शोषार्थप्रतिपत्तिरिति। तस्मालिङ्गपरामर्शोऽन्याय इति।

स्मृतिनं यथावद्। किं कारणम्? स्मृत्यनन्तरमप्रतिपत्तेः***।—वही, १।१।५, पृष्ठ ५।

१४ : वैद संक्षेपात्मकमें अनुमान-विचार

उत्तरवर्ती प्रायः सभी व्याख्याकारोने^१ अपने व्याख्या-वन्द्योंमें उसे अपलाया है। व्यक्ति-नैयायिकोंने^२ तो उसमें प्रभूत परिष्कार भी उपस्थित किये हैं, जिससे तकनीकास्त्रके क्षेत्रमें अनुमानने व्यापकता प्राप्त की है और नया मोड़ लिया है।

न्यायवाचिककारने^३ गौतमोक्त पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट इन तीनों अनुमान-भेदोंकी व्याख्या करनेके अतिरिक्त अन्ययो, व्यतिरेकी और अन्यव्यतिरेकी इन तीन नये अनुमान-भेदोंकी भी सूचित की है, जो उनसे पूर्व न्यायपरम्परामें नहीं थे। 'त्रिविधम्' सूत्रके इन्होने कई व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं।^४ निवेदयतुः उनका यह सब निरूपण उनकी मौलिक देन है। परवर्ती नैयायिकोंने उनके द्वारा रचित व्याख्याओंका ही स्पष्टीकरण किया है।

उद्योतकरदारा बोहदसन्दर्भमें की गयी हेतुलक्षणसमीक्षा भी महत्वकी है। 'बोद्ध'^५ हेतुका लक्षण त्रिष्पू मानते हैं। पर उद्योतकर न केवल उसकी ही आलोचना करते हैं, अपितु द्विलक्षणकी भी भीमासा करते हैं।^६ किन्तु सूत्रकारोक एवं भाव्यकार समर्पित द्विलक्षण, त्रिलक्षणके साथ चतुर्लक्षण और पञ्चलक्षण हेतु उन्हें इष्ट^७ है। अन्यव्यतिरेकोंमें पञ्चलक्षण और केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकोंमें चतुर्लक्षण घटित होता है। यहाँ उद्योतकरकी विशेषता यह है कि वे न्यायभाव्यकारकी आलोचना करनेसे भी नहीं चूकते। वात्स्यायनने^८ 'तथा वैधम्' इस वैधम्य प्रयुक्त हेतुलक्षणका उदाहरण साधम्य प्रयुक्त हेतुलक्षणके उदाहरण 'उत्पत्तिधर्मकरवात्' को ही प्रस्तुत किया है। इसे वे^९ 'युक्तिसंगत न मानते

१. वाचस्पति, न्यायवा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६९। तथा उदयन, ता० टी० परिष्क० १।१५, पृष्ठ ७०७।

२. गणेश उपाध्याय, तत्त्वचिन्तामणि, जागदीशी, ५० १३, ७८। विश्वनाथ, सिद्धान्तमु० पृष्ठ ५०। आदि

३. न्यायवा० १।१५, पृष्ठ ४६।

४. वही, १।१५, पृष्ठ ४६-४८।

५. न्यायप्रवेश, पृष्ठ १।

६. 'शिलक्षणं च हेतु तुवायेन—अहेतुविमिति प्राप्तम् ।...ताहु गविनाभाविधमोषदक्षर्णं वेत्तुरित्यपरे... ताहु त्वा विना न भवतीत्येन दद्य छम्यते—।'—न्यायवा० १।१५, ५० १३।

७. च शास्त्रात् प्रत्यक्षागमाविकर्त्त नेत्रेवं चतुर्लक्षणं पञ्चलक्षणमनुमानमिति।—वही, १।१५, पृष्ठ ४६।

८. न्यायवा० १।१५, पृष्ठ ४९।

९. न्यायस० १।१३५।

१०. एतत् न सम्बज्ञमिति प्रथमः प्रयोगमात्रमेदात् ॥। उदाहरणमात्रमेदात् ॥। तस्यान्वेदै उदाहरणं न्यायमिति। उदाहरणं तु 'नेद निरामक जोवच्छरोरं अग्राणिदमत्तमसमादिति' ।—न्यायवा० १।१५, पृष्ठ १२५।

हुए कहते हैं कि यह तो मात्र प्रयोगभेद है और प्रयोगभेदसे वस्तु (हेतु) भेद नहीं हो सकता । अबवा वह केवल उदाहरणभेद है—आत्मा और घट । यदि उदाहरण-भेदसे भेद हो तो 'तथा वैचर्यात्' यह सूत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदाहरणके भेदसे ही हेतुभेद अवगत हो जाता है और भेदक उदाहरणसूत्र 'तद्विषयम् विश्वास्त्रितम्' सूत्रकारने कहा ही है । अतः 'उत्पत्तिवर्मकत्वात्' यह वैचर्यप्रयुक्त हेतुका उदाहरण ठीक नहीं है । किन्तु 'भेदं विश्वास्त्रितम् विश्वास्त्रितम्' यह उदाहरण उचित है । इस प्रकार न्यायभाष्यकारकी मीमांसा सूत्रकारद्वारा प्रतिपादित हेतुदृश्यकी पुष्टि ही की गयी है । अतएव उद्योतकर अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुए लिखते हैं ' कि परोक्त हेतुलक्षण सम्भव नहीं है, यही आर्ब (सूत्रकारोक्त) हेतुलक्षण संगत है ।

न्यायभाष्यकारके^२ समय तक अनुमानावयवोंकी मान्यता दो रूपोंमें उपलब्ध होती है—(१) प्रावयव और (२) दशावयव । वास्त्यावयनने दशावयवमान्यताकी मीमांसा करके सूत्रकार प्रतिपादित पंचावयवमान्यताको संपुष्टि की है । पर उद्योतकरने^३ अवयवनमान्यताकी भी समीक्षा की है । यह मान्यता बौद्ध तार्किक विडनागकी है, क्योंकि दिहनागने^४ ही अधिक-से-अधिक तीन अवयव स्वीकार किये हैं । साथ्य विडान् माठरने^५ भी अनुमानके तीन अवयव प्रतिपादित किये हैं । यदि माठर दिहनागने पूर्ववर्ती हैं तो अवयवमान्यता उनकी समक्षना चाहिए । इस प्रकार कितनी ही स्थापनाओं और समीक्षाओंके रूपमें उद्योतकरकी उपलब्धियाँ हम उनके न्यायवातिकमें पाते हैं ।

वाचस्पतिकी^६ भी अनुमानके लिए महत्वपूर्ण देन है । व्याजिग्रहकी सामग्री-में तकका प्रवेश उनकी ऐसी देन है जिसका अनुसरण उत्तरवर्ती सभो नैयायिकोंने किया है । उद्योतकरद्वारा प्रतिपादित 'लिङपरामर्शरूप' अनुमान-परिभाषाका समर्थन करके उसे पुष्ट किया है । दो अवयवकी मान्यताका भी उल्लेख करके उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है । यह दो अवयवकी मान्यता घर्मकीतिकी^७ है ।

२. न्यायवा०, १।१।३५, पृष्ठ १३४ ।

३. न्यायमा० १।१।३२, पृष्ठ ४७ ।

४. न्यायवा० १।१।३२, पृष्ठ १०८ ।

५. यज्ञहेतुदृष्टान्ता इति अवयवम् ।—माठर २० का० ५।

६. न्यायवा० ता० टी० १।१।५, पृष्ठ १६७, १७०, १७८, १८५ तथा १।१।३२, पृष्ठ १६७ ।

७. 'अथवा तत्त्वैव साधनस्य वक्तांगं प्रतिष्ठोपनविनियोगमनादि...' ।

—वादन्याय० पृष्ठ ६१: किन्तु कर्मकीलि, न्यायविन्दु (पृष्ठ ९१) में वृहान्तको हेतुसे पूछकू नहीं मानते और हेतुको ही साधनावयव बताते हैं । प्रमाणवातिक (१-१२८) में भी 'हेतुरेव हि केवलः' कहते हैं ।

१६ : जैन तत्कालास्थमें अनुमान-विचार

न्यायदर्शीनमें अविनाभावका सर्वप्रथम स्वीकार या पञ्चमर्त्तवादि पाँच स्पोके अविनाभावहारा संप्रहका विकार उन्हींके द्वारा प्रष्ठित हुआ है। लिंग-लिंगीके सम्बन्धको स्वाभाविक प्रतिपादन करना और उसे निष्पादित अंगीकार करना उन्हींको सूझ है।

जयन्तभट्टका भी अनुमानके लिए कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। उन्होंने स्थागमंजरी और न्यायकलिकामें अनुमानका सागोपांग निरूपण किया है। वे स्वतन्त्र चिन्तक भी रहे हैं। यही हम उनके स्वतन्त्र विचारका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। न्यायमंजरीमें^१ हेत्वाभासोंके प्रकरणमें उन्होंने अन्यथासिद्धत्व नामके एक छठे हेत्वाभासकी चर्चा की है। सूत्रकारके उल्लंघनकी बात उठनेपर वे कहते हैं कि सूत्रकारका उल्लंघन होता है तो होने दो, सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक हेत्वाभासका अपलूप नहीं किया जा सकता। पर अन्तमें वे उसे उद्घोतकरकी तरह असिद्धर्थमें अन्तर्मूल कर लेते हैं। 'अथवा' के साथ यह भी कहा है कि अप्रयोजकत्व (अन्यथासिद्धत्व) सभी हेत्वाभासवृत्ति अनुगत सामान्यरूप है। न्यायकलिकामें^२ भी यही मत स्थिर किया है। समव्याप्ति और विषमव्याप्तिका निर्देश भी उल्लेखनीय है। अवयव-समीक्षा, हेतुसमीक्षा आदि अनुमान-सम्बन्धी विचार भी महत्वपूर्ण हैं।

उदयनका^३ चिन्तन सामान्यतया पूर्वपरम्पराका समर्थक है, किन्तु अनेक स्थलोपर उनकी स्वस्थ और सूक्ष्म विचार-धारा उनकी मौलिकताका स्पष्ट प्रकाशन करती है। उपाधि और व्याप्तिकी जो परिभाषाएँ उन्होंने प्रस्तुत कीं, उत्तरकालमें उन्हींको केन्द्र बनाकर पुष्टकल विचार हुआ है।

अनुमानके विकासमें अभिनव कान्ति उदयनसे आरम्भ होती है। सूत्र और व्याख्यापद्धतिके स्थानमें प्रकरण-पद्धतिका जन्म होता है और स्वतन्त्र प्रकरणों द्वारा अनुमानके स्वरूप, आधार, अवयव, परामर्श, व्याप्ति, उपाधि, हेतु एवं पञ्च-सम्बन्धी दोषोंका इस कालमें सूक्ष्म विचार किया गया है।

यंगेशने तत्त्वचिन्तामणिमें अनुमानकी परिभाषा तो वही दी है जो उद्घोतकर ने न्यायदात्तिकमें उपस्थित की है, पर उनका वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने अनुमिति की ऐसी परिभाषा^४ प्रस्तुत की है जो न्यायपरम्परामें अब तक प्रचलित नहीं थी।

१. न्यायमंजरी पृष्ठ १३१, १६३-१६५।

२. अप्रयोजकत्व च संहेत्वाभासानामनुगतं इयम्।

—न्यायक० पृष्ठ १५

३. किरणावली० पृष्ठ २६७।

४. तत्र व्याप्तिविशिष्टप्रकरणमें तात्पात्रत्वान्वयं शालमतुमितिः, तत्परत्वमनुमानम्।

—त० च० अनुमानलक्षण, पृष्ठ १३।

उसमें प्रयुक्त व्याप्ति^३ और पक्षवर्ती^४ पदोंका उन्होंने सर्वथा अभिवक्त तथा विस्तृत स्वरूप प्रदर्शित किया है। व्याप्तिश्वासके साथलोगे सामान्यलक्षणाप्रत्यास्तिकर^५ उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। उनका अभियत है कि बड़ि सामान्यलक्षणा न हो तो अनुकूल तकार्दिकके बिना धूमादिमें आशंकित व्यभिचार जहाँ बन सकेगा, क्योंकि प्रसिद्ध धूममें बहुत्सम्बन्धका ज्ञान हो जानेसे कालान्तरीय एवं देशान्तरीय धूमके सञ्चारका साधक प्रमाण न होनेसे उसका ज्ञान नहीं होता। सामान्यलक्षण द्वारा तो समस्त धूमोंको उपस्थिति हो जाने और धूमान्तरका विशेष वर्णन न होने से व्यभिचारकी आशंका। सम्भव है। तात्पर्य यह कि व्यभिचारशंकाके क्रिए सामान्यलक्षणका मानना आवश्यक है और व्यभिचारशंकाके होने पर ही तकार्दिकी उपयोगिता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार गंगेशने अनुमानके सम्बन्धमें भौतिक विवेचन नव्यव्यायके बालोकमें कर नये सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं।

विश्वनाथ, जगदीश तकालिकार, मधुरानाथ तर्कबागीश, गदाधर बादि नव्यनीयायिकोंने भी अनुमानपर बहुत ही सूक्ष्म विचार करके उसे समृद्ध किया है। केशव मिश्रकी तर्कभाषा और अप्रभृद्गुकी तर्कसंग्रह प्राचीन और नवीन व्यायायकी प्रतिनिधि तर्ककृतियाँ हैं जिनमें अनुमानका सुवोष और सरल भाषामें विवेचन उपलब्ध है।

(स) वैशेषिक-परम्परामें अनुमानका विकास

वैशेषिकदर्शनसूत्रप्रणेता कणादने^६ स्वतन्त्र दर्शनका प्रणयन करके उसमें पदार्थ-की सिद्धि (व्यवस्था) प्रत्यक्षके अतिरिक्त लैगिक द्वारा भी प्रतिपादित की है और हेतु, अपदेश, लिङ, प्रमाण जैसे हेतुवाची पर्याय-शब्दोंका प्रयोग तथा कार्य, कारण, संयोग, विरोधि एवं समवायि इन पाच लैगिकप्रकारों और त्रिविधि हेत्वाभासोंका निर्देश किया है। उनके इस संक्षिप्त अनुमान-निष्पत्तिमें अनुमानका सूत्रपात मात्र दिखता है, विकसित रूप कम भिलता है। पर उनके भाष्यकार प्रसस्तपादके भाष्यमें अनुमान-समीक्षा विशेष रूपमें उपलब्ध होती है। अनुमानका

१. नन्वनुमितिहेतुव्याप्तिशाने का व्याप्तिः । न तावदव्यभिचरितवद् । “नापि”...। अत्रोच्यते । अतिरिक्तव्यसमानाधिकारप्रयत्नसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियागितावच्छेदकावच्छेदवद्वयति तेन सर्व तस्य सामान्याधिकरण्यं व्याप्तिः ।

—त० चिऽ अनुमान छक्षण, पृष्ठ ७७, ८६, १७१, १७६, १८१, १८६-२०६ ।

२. वही, पृष्ठ ८३ ।

३. व्याप्तिश्वस्त्र सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्वा सकलधूमादिविवरक...। बाद सामान्यलक्षणा नास्ति वदा....।

—वही, पृष्ठ ८३, ८५ ।

४. वैशेषि० द० १०११३, तथा ११२१,४ ।

कठाण प्रशस्तपादने इस प्रकार विद्या है—‘डिमदर्शनात्संबाधमानं छेगिकम्’^१ अर्थात् किमदर्शनसे होनेवाले ज्ञानकी लैगिक कहते हैं। इसी सन्दर्भमें उन्होंने^२ लिङका स्वरूप बतलानेके लिए काशयपकी दो कारिकाएँ उद्धृत की हैं जिनका आशय प्रस्तुत करते हुए लिखा है^३ कि जो अनुमेय अर्थके साथ किसी देशविशेष या कालविशेषमें सहचरित हो, अनुमेयधर्मसे समन्वित किसी दूसरे सभी अथवा एक स्थानमें प्रसिद्ध (विद्यमान) हो और अनुमेयसे विपरीत सभी स्थानोंमें प्रमाणसे असत् (व्यावृत) हो वह अप्रसिद्ध अर्थका अनुमापक लिंग है। किन्तु जो ऐसा नहीं वह अनुमेयके ज्ञानमें लिंग नहीं है—लिंगभास है। इस प्रकार प्रशस्तपादने सर्वप्रथम लिंगके विषय वर्णित किया है। बौद्ध तार्किक दिङ्नागने^४ भी हेतुको विरूप बतलाया है। सम्प्रबतः वह प्रशस्तपादिका अनुसरण है।

व्यासिप्रहणके प्रकारका निरूपण भी हम प्रशस्तपादके भाष्यमें^५ सर्वप्रथम देखते हैं। उन्होंने उसे बतलाते हुए लिखा है कि ‘जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है और अग्नि न होने पर धूम भी नहीं होता, इस प्रकारसे व्यासिको ग्रहण करने वाले व्यक्तिको असन्दिग्ध धूमको देखने और धूम तथा वहिंके साहचर्यका स्मरण होनेके अनन्तर अग्निका ज्ञान होता है। इसी तरह सभी अनुमानोंमें व्यासिका निष्ठय अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक होता है। अत समस्त देश तथा कालमें साध्याविनाभूत लिंग साध्यका अनुमापक होता है।’ व्यासिप्रहणके प्रकारका इस तरहका स्पष्ट निरूपण प्रशस्तपादसे पूर्व उपलब्ध नहीं होता।

प्रशस्तपादने^६ ऐसे कठिपय हेतुओंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जिनका अन्तर्भव सूत्रकार कणादके उक्त कार्योंदि पञ्चविध हेतुओंमें नहीं होता। यथा—चन्द्रोदयसे समुद्रवृद्धि और कुमुदविकासका, शरदमें जलप्रसादसे अगस्त्योदयका अनुमान करना। अतएव वे सूत्रकारके हेतुकथनको अवशारणार्थक न मानकर ‘अस्येदम्’

१. प्रश्न० भा० पृष्ठ ६६।

२. हे. वही, पृष्ठ १००, १०१।

३. हेतुस्त्ररूपः। कि पुनर्त्वे स्वयम्। पक्षक्षभर्त्वं सपक्षं सत्वं विपक्षे चास्त्रमिति।—न्यायप्र० पृ० १।

४. विषिस्तु यत्र धूमस्त्रवाग्निरन्याभावे धूमोऽपि न भवतीति। एव प्रसिद्धसमयस्यासन्दिग्ध-धूमदर्शनात् साहचर्यानुस्मरणात् तदनन्तरमन्यव्यवसायो भवतीति। एव सर्वत्र वैशक्षालाविनाभूतमितरस्य लिंगम्।—प्रश्न० भा० पृष्ठ १०२, १०३।

५. कासने कार्यादियहर्ष निदर्शनार्थं हत नावधारणार्थम्। कस्मात् ? व्यतिरेकदर्शनात्। तथापि—व्यक्तिहितस्य हेतुलिङ्गम्, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकाशस्य च'। वही, पृष्ठ १०४।

इस सम्बन्धमात्रके मूलक वचनसे अन्दोदयादि हेतुओंका, जो कार्यादिकप नहीं हैं, संघर्ष कर लेते हैं। यह प्रतिपादन भी प्रशस्तपादकी अनुमानके क्षेत्रमें एक देन है।

अनुमानके दृढ़ और सामान्यतोड़टके भेदसे दो भेदों^१ तथा स्वनिश्चिताधिनु-मान और पराधिनुमानके भेदसे भी दो भेदों^२ का वर्णन, शब्द, चेहा, उपमान, अवधिपत्ति, सम्भव, अभाव और ऐतिह्यका अनुमानमें अन्तर्भव-प्रतिपादन,^३ पराधिनुमानकाक्षयके प्रतिक्षा, अपदेश, निदर्शन, अनुसन्धान, प्रत्याख्याय इन पाँच अवधिवर्द्धोंकी परिकल्पना,^४ हेत्वाभासोंका अपने ढंगका चिन्तन,^५ अनध्यवसितनामके हेत्वाभासकी कल्पना और फिर उसे असिद्धके भेदोंमें ही अन्तर्भूत करना^६ तथा निदर्शनके विवेचनप्रसंगमें निदर्शनाभासोंका कथन,^७ जो न्यायवर्णनमें उपलब्ध नहीं होता, केवल जैन और बौद्ध तर्कप्रम्योंमें वह शिलता है, आदि अनुमान-सम्बन्धी सामग्री प्रशस्तपादभाष्यमें पर्याप्त विद्यमान है।

व्योमशिव, श्रीधर आदि वैशेषिक तार्किकोंने भी अनुमानपर विचार किया है और उसे समृद्ध बनाया है।

(ग) बौद्ध परम्परामें अनुमानका विकास

बौद्ध तार्किकोंने तो भारतीय तर्कशास्त्रको इतना प्रभावित किया है कि अनु-मानपर उनके द्वारा संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे गये हैं। उपलब्ध बौद्ध तर्कग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन तर्कशास्त्र^८ और उपायहृदय^९ नामक दो ग्रन्थ माने जाते हैं। तर्क-शास्त्रमें तीन प्रकरण हैं। प्रथममें परस्पर दोषापादन, खण्डनप्रक्रिया, प्रत्यक्ष-विश्व, अनुमानविश्व, लोकविश्व तीन विश्वोंका कथन, हेतुफलन्याय, सापेक्ष-न्याय, साधनन्याय, तथतान्याय चार न्यायोंका प्रतिपादन आदि हैं। द्वितीयमें खण्डनभेदों और तृतीयमें उन्हीं बाह्य नियायस्थानोंका अधिघान है, जिनका गौतमके न्यायसूत्रमें है। किन्तु गौतमकी तरह हेत्वाभास पाँच वर्णित नहीं हैं,

१. मशा० भा० पृष्ठ १०४।
२. वही, पृष्ठ १०६, ११२।
३. वही, पृष्ठ १०६-११२।
४. वही, पृष्ठ ११४-१२७।
५. वही, पृष्ठ ११६-१२१।
६. वही, पृष्ठ ११६ तथा १२०।
७. वही, पृष्ठ १२२।
८. ओरियाटल ईस्टी-इंडिया कॉम्पनी Pre-Dinnaga Buddhist texts on Logic From Chinese Sources के अन्तर्गत।
९. वही।

अपितु असिद्ध, विशद् और अनैकानिक तीन अभिहृत हैं।^१ जैवो युक्तियाँ और प्रतिमुक्तियाँ इसमें प्रदर्शित हैं उनसे अनुमानका उपहास ज्ञात होता है। परं^२ इतना स्पष्ट है कि शास्त्रार्थमें विजय पाने और विरोधीका मूँह बन्द करनेके लिए सदू-असदू तर्क उपस्थित करना उस समयकी प्रवृत्ति रही जान पड़ती है।

उपायहृदय^३ चार प्रकरण है। प्रथममें बादके गुण-दोषोंका वर्णन करते हुए कहा गया है^४ कि बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बाद करनेवालोंको विपुल क्रोध और अहंकार उत्पन्न हो जाता है चित्त विभ्रान्त, मन कठोर, पर-पाप प्रकाशक और स्वकीय पाण्डित्यका अनुमोदक बन जाता है। इसके उत्तरमें कहा गया है कि तिरस्कार, लाभ और स्थातिके लिए बाद नहीं, अपितु सुलक्षण और हुर्लक्षण उपदेशको इच्छासे वह किण जाना चाहिए। यदि लोकमें बाद न हो तो मूलोंका बाहुल्य हो जाएगा और उससे मिथ्याज्ञानादिका साम्राज्य जम जाएगा। फलतः संसारकी हुर्गति तथा उत्तम कार्योंकी शति होगी। इस प्रकरण-में न्यायमूलकी तरह प्रत्यक्षादि चार प्रमाण और पूर्ववदादि तीन अनुमान वर्णित हैं। आठ प्रकारके हेत्वाभासों आदिका भी निरूपण है। द्वितीयमें बादधर्मों आदि का, तृतीयमें दूषणों आदिका और चतुर्थमें दीस प्रकारके प्रश्नोत्तर धर्मों, जिनका न्यायमूलमें जातियोंके रूपमें कथन है, आदिका वर्णन है।^५ उल्लेख है कि इसमें पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदृष्ट इन अनुमानोंके जो उदाहरण दिये गये हैं^६ वे न्यायभाष्यगत उदाहरणोंसे भिन्न तथा अनुयोगसूत्र^७ और युक्तिदीर्पिकासे^८ अभिष्ठ हैं। इससे प्रतीत होता है कि इसमें किसी प्राचीन परम्पराका अनुसरण है।

यहाँ इन दोनों ग्रन्थोंके संक्षिप्त परिचयका प्रयोजन केवल अनुमानके प्राचीन स्रोतको दिखाना है। परन्तु उत्तरकालमें इन ग्रन्थोंकी परम्परा नहीं अपनायी गयी। न्यायप्रबोध^९ में अनुमानसम्बन्धी अभिनव परम्पराएँ स्थापित की गयी हैं।

^१ यथापूर्वमुक्तास्त्रिविधा। असिद्धाऽसैकान्तिको विशदैवेति हेत्वाभासाः।—लक्षणात्म पृष्ठ ४०।

^२ वही, पृष्ठ ३।

^३ उपायहृदय पृष्ठ ३।

^४ वही पृष्ठ ६-१७, १८-२१, २२-२५, २६-२२।

^५ यथा पर्वगुणिं संपिदकमूर्धनं वार्ण वृष्ट्रा पश्चादृद्ध बहुमृत देवदत्तं दृष्टा वर्णगुणिस्म-रणात् सोऽप्यमिति पूर्ववत्। शेषवत् यथा, सामासलिङ्गं वीत्वा तत्त्ववण ममनुभूय शेष-माप सर्वलर्णं तुल्यमेव लक्षणमिति……।—वही, पृष्ठ १३।

^६ सं० मुनशो कन्हैयालाल, मूलमुत्तराणि, अ० स० पृष्ठ ४३।

^७ त्र० वी० का० ५, पृष्ठ ४५।

^८ त्र० वी० म० पृष्ठ १-८।

साधन (परापरामूलान) के बज, हेतु और दृष्टान्त तीन अवधि, हेतुके पक्षपर्वत, सप्तमसत्त्व और विष्वाससत्त्व तीन रूप, पक्ष, सप्तल और विष्वके लक्षण तथा पक्ष-सप्तलमें प्रत्यक्षाक्षविश्व विशेषज्ञका प्रवेश, जो प्रशस्तपादके अनुसारणका सूचक है, नवविष विषाभास, तीन हेत्वाभास और उनके प्रभेद, द्विविष दृष्टान्ताभास और प्रत्येकके पाँच-पाँच भेद, प्रत्यक्ष और अनुमानके भेदसे द्विविष प्रमाण, लिंगसे होने वाले अर्थ (अनुमेय) दर्शनको अनुमान; हेत्वाभासपूर्वक होनेवाले ज्ञानको अनुमानाभास, दूषण और दूषणाभास आदि अनुमानोपयोगी तत्त्वोंका स्पष्ट निरूपण करके बौद्ध तर्कशास्त्रको अत्यधिक पूष्ट तथा पल्लवित किया गया है। इसी प्रयोगको पुष्ट और बढ़ावा देनेके लिए दिङ्नागने न्यायद्वार, प्रमाणसमुच्चय सबृति, हेतुचक्षसमर्थन आदि प्रन्थोंकी^१ रचना करके उनमें प्रमाणका विशेषतया अनुभान-का विचार किया है।

धर्मकीर्तिने प्रयाणसमुच्चयपर अपना प्रमाणकार्तिक लिखा है, जो उच्चोत्करणे न्यायवात्तिककी तरह व्याख्येय प्रन्थसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण और यथास्वी हुआ। इन्होंने हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु आदि स्वतन्त्र प्रकरण-प्रन्थोंकी भी रचना की है^२ और जिनसे बौद्ध तर्कशास्त्र न केवल समृद्ध हुआ, अपिनु अतेक उपलब्धियाँ भी उसे प्राप्त हुई हैं। न्यायबिन्दुमें अनुमानका लक्षण और उसके द्विविष भेद तो न्यायप्रवेश प्रतिपादित ही है। पर अनुमानके अवयव धर्मकीर्तिने तीन न मानकर हेतु और दृष्टान्त ये दो^३ अवयवा केवल एक हेतु^४ ही माना है। हेतुके तीन भेद (स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि), अविनाभावनियामक तादात्म्य और तदुत्पत्तिसम्बन्धद्वय, यारह अनुपलब्धियाँ आदि चिन्तन धर्मकीर्तिकी देन हैं। इन्होंने जहाँ दिङ्नागके विचारोंका समर्थन किया है वहाँ उनको कई मान्यताओंकी आलोचना भी की है। दिङ्नागने विश्व हेत्वाभासके भेदोंमें इष्टविषातकृत नामक तृतीय विश्व हेत्वाभास, अनेकान्तिकभेदोंमें विश्वदाव्यभिचारी और साधनावयवोंमें दृष्टान्तको स्वीकार किया है। धर्मकीर्तिने न्यायबिन्दुमें इन तीनोंको समीक्षा की है।^५ इनकी विचार-धाराको

१. प० दलसुखमार्ग मालवणिया, घर्मोत्तर-प्रदीप, प्रस्ताव० पृष्ठ ४१।

२. घर्मोत्तरप्रदीप, प्रस्तावना, पृष्ठ ४४।

३. अवयवा तत्त्वस्य साधनस्य व्यापादानं प्रतिष्ठोपनयनिगमनादित्।

—राजुल साक्षात्यायन, वादन्वा० पृष्ठ ६१।

४. धर्मकीर्ति, न्यायबिन्दु तृतीय पर्व० पृष्ठ ९१।

५. (क) तत्र च तृतीयोऽभीष्विषातकृद्विश्वः। *** स इह कस्मात्तोक्तः। अन्योदेवान्तमावद।

(ख) विश्वदाव्यभिचार्यपि संक्षयहेतु रूपतः। स इह कस्मान्नोक्तः। अनुमानविक्षेप-सम्बन्ध।

(ग) प्रिलुपो हेतु रूपतः। तावैवार्थमत्तोविरिति त वृष्टवृष्टान्ता नाम साधनावयवः कविचित्।

—न्यायबिन्दु पृष्ठ ५६-५०, ५३, ९१।

४४ : बैत्री तकनीशास्त्रमें अनुमान-विचार

उल्लंघन किया होने वाले देवेन्द्रदुष्टि, शान्तभग्नि, विनीतदेव, अर्चट, अर्मो-स्तर, प्रशाकर आदि ने पृष्ठ किया और अपनी व्याख्याओं-टौकाओं आदि द्वारा प्रवृद्ध किया है। इस प्रकार बौद्धतर्कशास्त्रके विकासने भी भारतीय अनुमानको अनेक रूपोंमें समृद्ध किया है।

(घ) मीमांसक-परम्परामें अनुमानका विकास

बौद्धों और नैयायिकोंके व्याख्यास्त्रके विकासका अवध्यम्भावी परिणाम यह दुष्टि कि मीमांसक जैसे दर्शनोंमें, जहाँ प्रमाणकी चर्चा गौण थी, कुमारिलने श्लोक-वार्तिक, प्रभाकरने बृहती, शालिकानाथने बृहतीपर परिचार और पार्थसारथिने शास्त्रदीपिकान्तर्गत तर्कपाद जैसे ग्रन्थ लिखकर तकनीशास्त्रको मीमांसक दृष्टिसे प्रतिष्ठित किया। श्लोकवार्तिकमें तो कुमारिलने^१ एक स्वतन्त्र अनुमान-परिच्छेदकी रचना करके अनुमानका विशिष्ट चिन्तन किया है और व्याप्त ही कहाँ गमक होता है। इसका सूक्ष्म विचार करते हुए उन्होंने व्याप्त एवं व्याप्तिके सम और विषम दो रूप बतलाकर अनुमानकी समृद्धि की है।

(ङ) वेदान्त और सांख्यपरम्परामें अनुमान-विकास

वेदान्तमें भी प्रमाणशास्त्रको दृष्टिसे वेदान्तपरिभाषा जैसे ग्रन्थ लिखे गये हैं। सांख्य विद्वान् भी वीचे नहीं रहे। ईश्वरकृष्णने अनुमानका प्रामाण्य स्वोकार करते हुए उसे त्रिविध प्रतिपादित किया है। माठर, युक्तिदीपिकाकार, विज्ञानभिक्षु और वाचस्पति आदि अपनी व्याख्याओंद्वारा उसे सम्पूर्ण और विस्तृत किया है।



द्वितीय परिच्छेद

जैन-परम्परामें अनुमान-विकास

सम्प्रति विचारणीय है कि जैन बाद्ययमें अनुमानका विकास किस प्रकार हुआ और आरम्भमें उसका क्या रूप था ?

(क) षट्खण्डागममें हेतुवादका उल्लेख

जैन श्रुतका आलोड़न करनेपर ज्ञात होता है कि षट्खण्डागममें श्रुतके पर्याय-नामोंमें एक 'हेतुवाद'^१ नाम भी परिणित है, जिसका व्याख्यान आचार्य बीर-सेनने हेतुदारा तत्सम्बद्ध अन्य वस्तुका ज्ञान करना किया है और जिसपरसे उसे स्पष्टतया अनुमानार्थक माना जा सकता है, क्योंकि अनुमानका भी हेतुसे साध्यका ज्ञान करना अर्थ है। अतएव हेतुवादका व्याख्यान हेतुविद्या, तर्कशास्त्र, युक्तिशास्त्र और अनुमानशास्त्र किया जाता है। स्वामी समन्तभद्रने सम्भवत् ऐसे ही शास्त्रको 'युक्त्यनुशासन'^२ कहा है और जिसे उन्होंने दृष्ट (प्रत्यक्ष) और आगमसे अविरुद्ध अर्थका प्रलूपक बतलाया है।

(ख) स्नानागसूत्रमें हेतु-निरूपण

स्नानागसूत्र^३ में 'हेतु' शब्द प्रयुक्त है और उसका प्रयोग प्रामाणसामान्य-तथा अनुमानके प्रमुख अंग हेतु (साधन) दोनोंके अर्थमें हुआ है। प्रामाणसामान्य-के अर्थमें उसका प्रयोग इस प्रकार है—

१. "...हेतुवादो नववादो पवरवादो मध्यवादो मुद्वादो..."।

—भूतबली-पुष्पदन्त, षट्खण्डा० ५।५।५८; सोलापुर संस्करण १६६५।

२. दृष्ट्यामाभ्यामविरुद्धमर्यप्रक्षर्णं युक्त्यनुशासनं ते ।

—समन्तभद्र, युक्त्यनुशा० ४।४।४८; बीरसेवामन्दिर दिल्ली।

३. अवदा हेठ चठिव्वहे पछते तं जहा—पच्चख्वे अनुमाने उवमे आगमे। अवदा हेठ चठिव्वहे पछते त जहा—अतिव त अतिव सो हेठ, अतिव तं अतिव सो हेठ, अतिव तं अतिव सो हेठ, अतिव तं अतिव सो हेठ ।

—स्नानागसू० पृष्ठ ३०५—३१०।

४. हिनोति परिच्छाप्तस्यर्थमिति हेतुः ।

६४ : तैति उक्तास्त्रमें अनुभाव-विचार

१. हेतु चार प्रकारका हैं—

- (१) प्रत्यक्ष
- (२) अनुभाव
- (३) उपभाव
- (४) जाग्रत्त

गीतमें व्यायसूत्रमें भी ये चार भेद अभिहित हैं। पर वहाँ इन्हें प्रमाणके भेद कहा है।

हेतुके अर्थमें हेतु शब्द निम्न-प्रकार व्यवहृत हुआ है—

२. हेतुके चार भेद हैं—

- (१) विधि-विधि—(साध्य और साधन दोनों सद्भावरूप हों)
- (२) विधि-निषेध—(साध्य विधिरूप और साधन निषेधरूप)
- (३) निषेध-विधि—(साध्य निषेधरूप और हेतु विधिरूप)
- (४) निषेध-निषेध—(साध्य और साधन दोनों निषेध रूप हों)

इन्हें हम क्रमशः निम्न नामोंसे व्यवहृत कर सकते हैं—

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (१) विधिसाधक विधिरूप ^१ | अविधिद्वयपलविधि ^२ |
| (२) विधिसाधक निषेधरूप | विधिद्वानुपलविधि |
| (३) निषेधसाधक विधिरूप | विधिद्वयपलविधि |
| (४) प्रतिषेधसाधक प्रतिषेधरूप | अविधिद्वानुलविधि ^३ |

इनके उदाहरण निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं—

- (१) अग्नि है, क्योंकि धूम है।
- (२) इस प्राणीमें व्याधिविशेष है, क्योंकि निरामय चेष्टा नहीं है।
- (३) यहाँ शोतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता है।
- (४) यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि अग्नि का अभाव है।

१. अर्मसूत्रण, व्यायदी० पृ० ५५-५६।

२. माणिक्यनन्दि, परीक्षासु० ३।५७-५८।

३. तुलना कीजिए—

४. एवतोऽवधिमन्मान् भूमत्वान्वानुपत्तेः—अर्मसूत्रण, व्यायदी० पृ० ५५।

५. व्याधिस्त्रिम् माणिक्यिन्व्याधिविशेषोऽस्मि निरामयचेष्टानुपत्तेः।

६. नास्त्यत्र शोतस्पर्श औष्णता।

७. नास्त्यत्र धूमोऽस्मन्मेः।

—माणिक्यनन्दि, परीक्षासु० ३।८७, ४६, ८२।

(ग) भगवतीसूत्रमें अनुमानका निर्देश

भगवतीसूत्रमें^२ भगवान् महाबीर और उनके प्रधान शिष्य दीतम (इन्द्रभूति) गणवरके संबादमें प्रमाणके पूर्वोक्त चार भेदोंका उल्लेख आया है, जिनमें अनुमान भी सम्मिलित है ।

(घ) अनुयोगसूत्रमें अनुमान-निरूपण

अनुमानकी कुछ अधिक विस्तृत चर्चा अनुयोगसूत्रमें उपलब्ध होती है । इसमें अनुमानके भेदोंका निर्देश करके उनका सोदाहरण निरूपण किया गया है ।

१. अनुमान-भेद :

इसमें^३ अनुमानके तीन भेद बताए हैं । यथा—

- (१) पुष्टवं (पूर्ववत्)
- (२) सेसवं (शेषवत्)
- (३) दिहसाहस्मवं (दृष्टसाधम्यवत्)

१. पुष्टवं^४—जो वस्तु पहले देखी गयी थी, कालान्तरमें किञ्चित् परिवर्तन होनेपर भी उसे प्रत्यभिज्ञाद्वारा पुर्वलिङ्गदर्शनसे अवगत करता 'पुष्टवं' अनुमान है । जैसे बचपनमें देखे गये बच्चेको युवावस्थामें किञ्चित् परिवर्तनके साथ देखने पर भी पूर्व चिन्हों द्वारा ज्ञात करता कि 'वही विषु' है । यह 'पुष्टवं' अनुमान क्षेत्र, वर्ण, लाल्छन, मस्सा और तिल प्रभूति चिन्होंसे सम्पादित किया जाता है ।

२. सेसवं^५—इसके हेतुभेदसे पाँच भेद हैं—

- (१) कार्यानुमान
- (२) कारणानुमान
- (३) गुणानुमान

१. गोप्यमा जो तिथिहे समझे । १. से कि तं पमाणे ? पमाणे चरच्चिह्ने पश्यते । तं जहा-पचक्षे अणुमाणे ओवम्भे जहा अणुयोगादरे तदा पेयवं पमाणे ।

—भगवत्ती० ५, १६१-१२ ।

२. ३, ४. अणुमाणे तिथिहे पश्यते । तं जहा—१. पुष्टव, २. सेसवं, ३. दिहसाहस्मवं । से कि पुष्टवं ? पुष्टवं—

माता पुर्ण जहा नहु झुकायं पुणरायं ।

काई पञ्चभिजाणेका पुञ्चलिङ्गेण केणहै ॥

तं जहा—खेतेय वा, वण्णेय वा, लौङ्गण्णेय वा, मसेय वा, तिळण्णेय वा । से तं पुष्टवं ? से कि तं सेसवं ? सेसवं वंचिह्ने पश्यत । तं जहा—१. कलीणं, २. कर्मणं, ३. शुपेणं, ४. अवयवेण, ५. आसरणं ।

—मुनि भीक्ष्मैयाहाल, अनुयोगादास्त, मृष्टसुषाणि, शुष्ट पृष्ठ ।

१६ : जैत रक्षासमें अनुमान-विचार

(४) अवयवानुमान

(५) आश्रयो-अनुमान

(१) कार्यानुमान—कारणसे कारणको अवगत करना कार्यानुमान है। जैसे— शब्दसे शंखको, ताढ़नसे भेरीको, छाड़नेसे वृषभको, केकारवसे मधूरको, हिन्हिनाने (होखित) से अश्वको, गुलगुलायित (चिंचाडने) से हाथीको और घणाघणायित (घनघनाने) से रथको अनुभित करना ।^१

(२) कारणानुमान—कारणसे कार्यका अनुमान करना कारणानुमान है। जैसे—ताल्लुसे पटका, बीरणसे कटका, मृत्यिष्ठसे घड़ेका अनुमान करना। तात्पर्य यह कि जिन कारणोंसे कार्योंकी उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा उन कार्योंका अवगम प्राप्त करना 'कारण' नामका 'सेसब' अनुमान है।^२

(३) गुणानुमान—गुणसे गुणीका अनुमान करना गुणानुमान है। यथा— गन्धसे पुष्पका, रससे लवणका, स्पर्शसे वस्त्रका और निकपसे सुवर्णका अनुमान करना।^३

(४) अवयवानुमान—अवयवसे अवयवोंका अनुमान करना अवयवानुमान है। यथा—सींगसे महिषका, शिखासे कुकुटका, शुण्डादण्डसे हाथीका, दाढ़से बराहका, पिछ़लसे मधूरका, लागूलसे बानरका, खुरासे अश्वका, नखसे व्याघ्रका, बालाघ्रसे चमरीगायका, दो पैरसे मनुष्यका, चार पैरसे गौ आदिका, बहुपादसे कनयोजर (पटार) का, केसरसे सिंहका, ककुभसे वृषभका, चूड़ीसहित बाहुसे महिलाका, बद्धपरिकरतासे योद्धाका, वस्त्रसे महिलाका, धान्यके एक कणसे द्रोण पाकका और एक गाढ़ासे कविका अनुमान करना।^४

१. कलजेण—सख्त सहेण, मोरं ताडिण, वसभ ढकिकण, मोरं किकाइण, हर्यं हेसिण, गंधं गुलगुलाइण, रहं घणवणाइण, से त कलजेण।

—अनुयोग० उपक्रमाधिकार प्रमाणद्वार, पृष्ठ ५३९।

२. कारणेण—तनवा पदस्त कारणं य पदो तंतुकारण, बीरण कटस्त कारणं य कठो बीरणाकारणं, मिथिंदो वदस्त कारणं य पदो मिथिंदकारणं, से तं कारणेण।—बही, पृष्ठ ५४०।

३. गुणेण—सुउर्णं निकलेण, प्रपरं गरेण, लवण रसेण, मशर आसावण, वाश फासेण, से तं गुणेण।

—बही, पृष्ठ ५४०।

४. अवयवेण—महिलं सिरेण, कुरुकुर्दं सिहापण, हरिं विसासेण, बराहं दाढापण, मोरं पिच्छेण, आसं सुरेण, बर्वं नहेण, चमरं बालग्नेण, बाणरं लंगुलेण, दुपरं मणुस्सादि, चढपर्वं गवमादि, क्षुपरं गोमि आदि, सीरं केसरेण, वसहं कुहेण, महिलं वलय-बाहाप, गाहान-परिवर्वर्वेण मर्दं गायिका। महिलियं विवसणेण, सित्येण दोषपारं, कवि च एकहाए गाहाप, से तं अवयवेण।

—बही, पृष्ठ ५४० :

(५) आश्वी-अनुमान—आश्वीसे आश्वीका अनुमान करना आश्वी-अनुमान है। यथा—चूपसे अग्निका, बलाकासे जलका, विशिष्ट मेचोंसे दृष्टिका और सील-समाचारसे कुलपुत्रका अनुमान करना।

शेषबत्तके इन पौर्णों भेदोंमें अविनाभावी एकसे शेष (अवशेष) का अनुमान होनेसे उन्हें शेषबत्त कहा है।

१. दिहुसाहम्मवं—इस अनुमानके दो भेद हैं। यथा—

- (१) सामन्तदिहु (सामान्य-दृष्ट)
- (२) विसेसदिहु (विशेषदृष्ट)

(१) किसी एक वस्तुको देखकर तत्सजातीय सभी वस्तुओंसा साधर्म्य ज्ञान करना या बहुत वस्तुओंको एक-सा देखकर किसी विशेष (एक) में तत्साधर्म्यका ज्ञान करना सामान्यदृष्ट है। यथा—जैसा एक मनुष्य है, वैसे बहुतसे मनुष्य हैं। जैसे बहुतसे मनुष्य हैं वैसा एक मनुष्य है। जैसा एक करिशावक है वैसे बहुतसे करिशावक है, जैसे बहुतसे करिशावक है वैसा एक करिशावक है। जैसा एक कार्यापण है वैसे अनेक कार्यापण हैं, जैसे अनेक कार्यापण है, वैसा एक कार्यापण है। इस प्रकार सामान्यवर्मदर्शनद्वारा ज्ञानसे अज्ञातका ज्ञान करना सामान्यदृष्ट अनुमानका प्रयोजन है।

(२) जो अनेक वस्तुओंमेंसे किसी एकको पृष्ठकरके उसके वैशिष्ट्यका प्रत्ययित्वान कराता है वह विशेषदृष्ट है। यथा—वोई एक पुरुष बहुतसे पुरुषोंके बीचमेंसे पूर्वदृष्ट पुरुषका प्रत्ययित्वान करता है कि यह वही पुरुष है। या बहुतसे कार्यापणोंके मध्यमें पूर्वदृष्ट कार्यापणको देखकर प्रत्ययित्वान करता कि यह वही कार्यापण है। इस प्रकारका ज्ञान विशेषदृष्ट दृष्टसाधर्म्यवत् अनुमान है।

२. कालभेदसे अनुमानका त्रैविध्य^३ :

कालकी दृष्टिसे भी अनुयोग-द्वारमें अनुमानके तीन प्रकारोंका प्रतिपादन उपलब्ध है। यथा—१. अतीतकालग्रहण, २. प्रत्युत्पन्नकालग्रहण और ३. अनागत-कालग्रहण।

१. आसरण—अग्निं वूमेण, सहिलं बहुमेण, तुष्टि अभ्यविकारेण, कुरुपुर्णं सीलसमाधारेण। से तं आसरणं। से चं सेसवं ।

—अनुयोग० उपक्रमाभिकार भगवान्दार, शुड ५४०-५१

२. से किं तं दिहुसाहम्मव ? दिहुसाहम्मव दुष्टिहं पण्णार्ण । जहा—सामन्तदिहुं च विसेसदिहुं च । —वही, शुड ५४१-५२

३. तत्स समासङ्गो तिविहं गहणं भवते । तं जहा—१. अतीतकालग्रहणं, २. प्रत्युत्पन्न-कालग्रहणं, ३. अपागतकालग्रहणं । ***—वही, शुड ५४२-५४३ ।

१८ : देव लक्षणस्थाने अनुमान-विचार

१. अतीतकालग्रहण—उत्सूण बन, निष्पत्तिस्थापुर्खो, जलपूर्ण कुण्ड-नर-नदी-दीर्घिका-नदाग आदि देखकर अनुमान करना कि सुवृद्धि हुई है, यह अतीतकालग्रहण है।

२. प्रत्युत्पत्तकालग्रहण—भिक्षाचयमि प्रचुर भिक्षा भिलती देख अनुमान करना कि सुभिता है, यह प्रत्युत्पत्तकालग्रहण है।

३. अनागतकालग्रहण—बादलकी निर्मलता, कृष्ण पहाड़, सविद्युत् मेघ, मेघगर्जन, बातोद्भ्रम, रक्त और प्रस्तिनाश सन्ध्या, बारुण या माहेन्द्रसम्बन्धी या और कोई प्रशास्त उत्पात इनको देख कर अनुमान करना कि सुवृद्धि होगी, यह अनागतकालग्रहण अनुमान है।

उक्त लक्षणोंका विपर्यय देखने पर तीनों कालोंके ग्रहणमें विपर्यय भी हो जाता है। अर्थात् सूखी जमीन, शुष्क तालाब आदि देखने पर वृष्टिके अभाव-का, भिक्षा कम मिलने पर वर्तमान दुर्भिक्षका और प्रसन्न दिशाओं आदिके होने पर अनागत कुवृष्टिका अनुमान होता है, यह भी अनुयोगद्वारमें सोदाहरण अभिहित है। उल्लेखनीय है कि कालभेदसे तीन प्रकारके अनुमानोंका निर्देश चरक-सूत्रस्थान (अ० १। २। २२) में भी मिलता है।

न्यायसूत्र^१, उपायहृदय^२ और सार्थकारिका^३में भी पूर्ववत् आदि अनुमानके तीन भेदोंका प्रतिपादन है। उनमें प्रथमके दो वही हैं जो ऊपर अनुयोगद्वारमें निर्दिष्ट हैं। किन्तु तीसरे भेदका नाम अनुयोगकी तरह दृष्टसाधमर्यवत् न हो कर सामान्यतोडृष्ट है। अनुयोगद्वारगत पूर्ववत् जैसा उदाहरण उपायहृदय (पृ० १३) में भी आया है।

इन अनुमानभेद-प्रभेदों और उनके उदाहरणोंके विवेचनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योत्सुके न्यायसूत्रमें जिन तीन अनुमानभेदोंका निर्देश है वे उस समयकी अनुमान-चर्चामें वर्तमान थे। अनुयोगद्वारके अनुमानोंकी व्याख्या अभिधामूलक है। पूर्ववत्का शान्तिक अर्थ है पूर्वके समान किसी वस्तु-को वर्तमानमें देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना। स्मरणीय है कि दृष्टव्य वस्तु पूर्वोत्तरकालमें मूलतः एक ही है और जिसे देखा गया है उसके सामान्य धर्म पूर्वकालमें भी विद्यमान रहते हैं तथा उत्तरकालमें भी वे पाये जाते हैं। अतः पूर्वदृष्टे आधारपर उत्तरकालमें देखो वस्तुकी जानकारी प्राप्त करना पूर्ववत् अनुमान है। इस प्रक्रियामें पूर्वांश अज्ञात है और उत्तरांश ज्ञात। अतः ज्ञातसे अज्ञात (अतीत) अंशकी जानकारी (प्रत्यभिज्ञा)की जाती है। जैसा कि अनुयोग

१. अक्षयाद्, न्यायदृ० १। १। ५।

२. उपायहृद० पृ० १६।

३. ईश्वरकृष्ण, सौ० का० ५, ६।

और उपाध्यक्षमें दिये गये उदाहरणसे प्रकट है। शेषवत्तमें कार्य-कारण, गुण-गुणों, अवयव-अवयवी एवं आध्य-आध्योमें से अविनाभावी एक अंशको जातकर शेष (अवशिष्ट) अंशको जाना जाता है। शेषवत् शब्दका अभिवेद्यार्थ भी यही है। साध्यार्थको देखकर तत्त्वज्ञका ज्ञान प्राप्त करना दृष्टसाध्यार्थवत् अनुमान है। यह भी वाच्यार्थमूलक है। यद्यपि इसके अधिकांश उदाहरण सादृश्यप्रत्यभिज्ञानके तुल्य हैं। पर शब्दार्थके अनुसार यह अनुमान सामान्यदर्शनपर आश्रित है। दूसरे, प्राचीन कालमें प्रत्यभिज्ञानको अनुमान ही जाना जाता था। उसे पृथक् मानने-की परम्परा बास्तविकोंमें बहुत पीछे आयी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुयोगसूत्रमें उक्त अनुमानोंकी विवेचना पारिभाषिक न होकर अभिष्ठामूलक है।

पर न्यायसूत्रके व्याख्याकार वात्स्यायनने उक्त तीनों अनुमान-भेदोंकी व्याख्या वाच्यार्थके आधारपर नहीं की। उन्होंने उनका स्वरूप पारिभाषिक शब्दावलीमें व्यष्टि किया है। इससे यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि पारिभाषिक शब्दोंमें प्रतिपादित स्वरूपको अपेक्षा अवयवार्थ द्वारा विवेचित स्वरूप अधिक मौलिक एवं प्राचीन होता है तो अयुक्त न होगा, क्योंकि अभिष्ठाके अवन्तर ही लक्षण या व्यंजना या रूढ़ शब्दावलों द्वारा स्वरूप-निर्धारण किया जाता है। दूसरे, वात्स्यायनकी त्रिविधि अनुमान-व्याख्या अनुयोगद्वारसूत्रकी अपेक्षा अधिक पुष्ट एवं विकसित है। अनुयोगद्वारसूत्रमें जिस तथ्यको अनेक उदाहरणों द्वारा उपस्थित किया है उसे वात्स्यायनने संक्षेपमें एक-दो पंक्तियोंमें ही निबद्ध किया है। अतः भाषाभिज्ञान और विकास-सिद्धान्तको दृष्टिसे अनुयोगद्वारका अनुमान-निरूपण वात्स्यायनके अनुमान-व्याख्यायनसे प्राचीन प्रतीत होता है।

(ड) अवयव-चर्चा :

अनुमानके अवयवोंके विषयमें आगमोंमें तो कोई कथन उपलब्ध नहीं होता। किन्तु उनके आधारसे रचित तत्त्वार्थसूत्रमें तत्त्वार्थसूत्रकारने^१ अवयव अवयवों-का नामोलेख किये बिना पक्ष (प्रतिज्ञा), हेतु और दृष्टान्त इन तीनके द्वारा मुक्तजीवका ऊर्ध्वर्गमन सिद्ध किया है, जिससे ज्ञात होता है कि आरम्भमें जैन परम्परामें अनुमानके उक्त तीन अवयव मान्य रहे हैं। समन्तभद्र^२, पूज्यपाद^३ और सिद्धसेनने^४ भी इन्हीं तीन अवयवोंका निर्देश किया है। भद्रबाहुने^५ दशवैकालिक

१. त० स० १०५, ६, ७।

२. आसमी० ५, १७, १८ तथा युक्त्यनु० ५३।

३. स० सिं० १०५, ६, ७।

४. न्यायाव० १३, १४, १७, १८, १९।

५. दशवै० निं० गा० ४५-१३७।

१० : जैन तत्त्वात्मक अनुमान-विचार

लिंगुलिंगे अनुमानवाक्यके दो, तीन, पाँच, छह और दस इस प्रकार पाँच तरहसे अवयवोंको चर्चा की है। प्रतीत होता है कि अवयवोंकी यह विभिन्न संख्या विभिन्न प्रतिपादोंको^१ अपेक्षा बहुतायी है।

ध्यातव्य है कि वास्त्यायन द्वारा समालोचित तथा युक्तिदीपिकाकार द्वारा विवेचित जितासादि दशावयव भद्रबाहुके दशावयवोंसे भिन्न है।

उल्लेखनोर्य है कि भद्रबाहुने मात्र उदाहरणसे भी साध्य-सिद्धि होनेकी बात कही है जो किसी प्राचीन परम्पराका प्रदर्शक है।^२

इस प्रकार जैनागमोंमें हमें अनुमान-भोगासाके पुष्कल बीज उपलब्ध होते हैं। यह सही है कि उनका प्रतिपादन केवल निष्ठेयसाधिगम और उसमें उपयोगी तत्त्वोंके ज्ञान एवं व्यवस्थाके लिए ही किया गया है। यही कारण है कि उनमें व्यायदर्शनकी तरह बाद, जल्प और वितण्डापूर्वक प्रवृत्त कथाओं, जातियों, निष्प्रहस्यानों, छलों तथा हैत्वाभसरोंका कोई उल्लेख नहीं है।

(च) अनुमानका मूल-रूप

आगमोत्तर कालमें जब ज्ञानमीमांसा और प्रमाणमीमांसाका विकास आरम्भ हुआ तो उनके विकासके साथ अनुमानका भी विकास होता गया। आगम-वर्णित मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानोंको प्रमाण करने और उन्हें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दो भेदोंमें विभक्त करने वाले सर्वप्रथम आचार्य गृहुपिच्छु^३ हैं। उन्होंने शास्त्र और लोकमें व्यवहृत स्मृति, सज्जा, चिन्ता और अभिनिवोध इन चार ज्ञानोंको भी एक सूत्र द्वारा पराक्र-प्रमाणके अन्तर्गत समाविष्ट करके प्रमाणतात्त्वके विकास-का सूत्रपात किया तथा उन्हें परोक्ष प्रमाणके आद्य प्रकार मातज्ञानका पर्याय प्रतिपादन किया। इन पर्यायोंमें अभिनिवोधका जिस क्रमसे और जिस स्थान पर निर्देश हुआ है उससे ज्ञात होता है कि सूत्रकारने^४ उसे अनुमानके अर्थमें प्रयुक्त किया है। स्वष्ट है कि पूर्व-पूर्वकों प्रमाण और उत्तर-उत्तरकों प्रमाण-कल-

१. प्रवोपयरिपादी तु यत्प्राप्यानुरोधतः ।

—प्र० परा० ४४ ७२ मैं उद्दत् कुमारनन्दिका वाक्य ।

२. श्रीरामसुखभाई मालवणिया, आगमद्युगका जैन दर्शीन, प्रमाणस्त्र, पृ० १५७।

३. मतिश्रुताविमलः प्रथमकेवलानि ज्ञानम्; तत्प्रमाणे; ग्रामे पराक्रमः प्रत्यक्षमन्यत् —तत्त्वा० ८० १९, १०, ११, १२।

४. मतिः स्वृतिः संशा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यन्यान्तरम् ।

—वही, ११६, ।

५. गृहपिच्छु, त० ८० ११३।

बहुलागा उन्हें बधीह है। मति (अनुभव-वारण) पूर्वक स्मृति, स्मृतिपूर्वक संज्ञा, संज्ञापूर्वक चिन्ता और चिन्तापूर्वक अभिनिबोध ज्ञान होता है, ऐसा सूत्रसे ध्वनित है। यह चिन्तापूर्वक होनेवाला अभिनिबोध अनुमानके अतिरिक्त अन्य नहीं है। अतएव जैन परम्परामें अनुमानका मूलरूप 'अभिनिबोध' और पूर्वोत्तर 'हेतुवाद' में दसी प्रकार समाहित है जिस प्रकार वह वैदिक परम्परामें 'वाको-वाक्यम्' और 'आन्वेषिकी' में निविष्ट है।

उपर्युक्त मीमांसासे दो तथ्य प्रकट होते हैं। एक तो यह कि जैन परम्परामें इसी पूर्व शाताभियोंसे ही अनुमानके प्रयोग, स्वरूप और भेद-प्रभेदोंकी समीक्षा की जाने लगी थी तथा उसका व्यवहार हेतुजन्य ज्ञानके अर्थमें होने लगा था। दूसरा यह कि अनुमानका क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक था। स्मृति, संज्ञा और चिन्ता, जिन्हें परवर्ती जैन तार्किकोंने परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत स्वतन्त्र प्रमाणोंका रूप प्रदान किया है, अनुमान (अभिनिबोध) में ही सम्मिलित है। वादिराजने^१ प्रमाणनिर्णयमें सम्भवतः ऐसी ही परम्पराका निर्देश किया है को उन्हें अनुमानके अन्तर्गत स्वीकार करती थी। अर्थापति, सम्भव, अभाव जैसे परोक्ष ज्ञानोंका भी इसीमें समावेश किया गया है।^२

(४) अनुमानका तार्किक विकास

अनुमानका तार्किक विकास स्वामी समन्तभद्रसे आरम्भ होता है। आसमी-मासा, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूस्तोत्रमें उन्होंने अनुमानके अनेकों प्रयोग प्रस्तुत किये हैं, जिनमें उसके उपादानो—साध्य, साधन, पक्ष, उदाहरण, अविनाभाव आदिका निर्देश है। सिद्धसेनका न्यायावतार न्याय (अनुमान) का अवतार ही है। इसमें अनुमानका स्वरूप, उसके स्वार्थ-परार्थ द्विविध भेद, उनके लक्षण, पक्ष-का स्वरूप, पक्षप्रयोगपर बल, हेतुके तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति द्विविध प्रयोगोंका निर्देश, साधर्म्य-वैषम्य दृष्टान्तदृश्य, अन्तर्घट्टिके द्वारा ही साप्तसिद्धि होने पर भार, हेतुका अन्यथानुपपत्तत्वलक्षण, हेतुवाभास और दृष्टान्ताभास जैसे अनुमानोपकरणोंका प्रतिपादन किया गया है। अकलंकके न्याय-विवेचनने तो उन्हें 'अकलंक न्याय' का संस्थापक एवं प्रवर्तक ही बना दिया है। उनके विशाल न्याय-प्रकरणोंमें न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह, लघीयस्त्रय और सिद्धविनिश्चय जैन

१. अनुमानमपि द्विविध गौणमुखविकल्पात् । तत्र गौणमनुमान त्रिविधं स्मरणं प्रत्यमित्वा तक्षणेति । —।

—वादिराज, प० लिं० ४४ ३५; माणिक्यचन्द्र अन्यमाला ।

२. अकलंकदेव, त० ला० १२०, पृ० ७८; मारतीन ज्ञानीठ काशी ।

४१ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुभाव-विचार

प्रमाणशास्त्रके मूर्धन्य ग्रन्थोंमें परिषणित है। हरिभद्रके शास्त्रवातारासिमुच्चय, क्षेत्र-कान्त-जयपताका आदि ग्रन्थोंमें अनुभाव-चर्चा निहित है। विद्यानन्दने अहसहस्री, तत्त्वार्थकलोकवार्तिक, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा जैसे दर्शन एवं न्याय-प्रबन्धोंको रचकर जैन न्यायवाड़मध्यको समृद्ध किया है। माणिक्यनन्दका परीक्षामुख, प्रभाचन्द्रका प्रमेयकमलमात्तर्णद्यायकुमुदचन्द्र-युगल, अभ्यरेवको सम्पत्तिरक्टीका, देवसूरिका प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार, अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चयटीका, वादिराजका नायविनिश्चयविवरण, लघु अनन्तवीर्यकी प्रमेयरत्नमाला, हैमचन्द्रकी प्रमाणभीमासा, घर्मभूयणकी न्यायदीपिका और यशोविजयकी जैन तर्कभाषा जैन अनुभावके विवेचक प्रमाणग्रन्थ हैं।



तृतीय परिच्छेद

संक्षिप्त अनुमान-विवेचन

अनुमानका स्वरूप

भ्याकरणके अनुसार 'अनुमान' शब्दकी निष्पत्ति अनु + मा + ल्युट् से होती है। अनुका अर्थ है पश्चात् और मानका अर्थ है ज्ञान। अतः अनुमानका शाब्दिक अर्थ है पश्चाद्वर्ती ज्ञान। अर्थात् एक ज्ञानके बाद होने वाला उत्तरवर्ती ज्ञान अनुमान है। यहाँ 'एक ज्ञान' से क्या तात्पर्य है? मनोविद्योंका अभिमत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही एक ज्ञान है जिसके अनन्तर अनुमानकी उत्पत्ति या प्रवृत्ति पायी जाती है। गौतमने इसी कारण अनुमानको 'तत्पूर्वकम्'—प्रत्यक्षपूर्वकम् कहा है। वात्स्यायनका^१ भी अभिमत है कि प्रत्यक्षके बिना कोई अनुमान सम्भव नहीं। अतः अनुमानके स्वरूप-लाभमें प्रत्यक्षका सहकार पूर्वकारणके स्वरूपमें अपेक्षित होता है। अतएव तर्कशास्त्री ज्ञात—प्रत्यक्षप्रतिपत्ति अर्थसे अज्ञात—परोक्ष वस्तुकी जानकारी अनुमान द्वारा करते हैं।^२

कभी-कभी अनुमानका आधार प्रत्यक्ष न रहने पर आगम भी होता है। उदाहरणार्थ शास्त्रों द्वारा आत्माकी सत्ताका ज्ञान होने पर हम यह अनुमान करते हैं कि 'आत्मा शास्त्र है, क्योंकि वह सत् है'। इसी कारण वात्स्यायनने 'प्रत्यक्षागामाभित्तिमनुमानम्' अनुमानको प्रत्यक्ष या आगमपर आश्रित कहा है। अनुमानका पर्यायशब्द अन्वीक्षा^३ भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक वस्तुज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात् दूसरी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना है। यथा—धूमका ज्ञान प्राप्त करनेके बाद अग्निका ज्ञान करना।

१. अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्।

—स्यापद्ध० १।१५।

२. अष्टवा पूर्वविदिति—यत्र पथापूर्वं प्रत्यक्षमूलयोरन्यतरदशान्वेनान्यतरस्याप्रत्यक्षस्य अनुमानम्। यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य वहेऽप्यमनुमानम्।

—स्यापद्धा० १।१५, पृष्ठ २२।

३. यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य वहेऽप्यमनुमानम्।

—वही, १।१।४७, पृष्ठ १२०।

४. वही, १।१।१। पृष्ठ ७।

५. वही, १।१।१, पृष्ठ ७।

उपर्युक्त उदाहरणमें धूगढ़ारा वल्लिका ज्ञान इसी कारण होता है कि धूम वल्लिका साधन है। धूमको अग्निका साधन या हेतु माननेका भी कारण यह है कि धूमका अग्निके साथ नियत साहचर्य सम्बन्ध—अविनाभाव है। जहाँ धूम रहजा है वहाँ अग्नि अवश्य रहती है। इसका कोई अपवाद नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह कि एक अविनाभावी वस्तुके ज्ञान द्वारा तत्सम्बद्ध इतर वस्तुका निष्पत्ति करना अनुमान है।^३

अनुमानके अग :

अनुमानके उपर्युक्त स्वरूपका विश्लेषण करने पर ज्ञान होता है कि धूमसे अग्निका ज्ञान करनेके लिए दो तत्त्व आवश्यक है—१. पर्वतमें धूमका रहना और २. धूमका अग्निके साथ नियत साहचर्य सम्बन्ध होना। प्रथमको पक्षधर्मता और द्वितीयको व्याप्ति कहा गया है। यही दो अनुमानके आधार अथवा अंग हैं। जिस वस्तुसे जहाँ सिद्धि करना है—उसका वहाँ अनिवार्य रूपसे पाया जाना पक्षधर्मता है। जैसे धूममें पर्वतमें अग्निको सिद्धि करना है तो धूमका पर्वतमें अनिवार्य रूपसे पाया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त व्याप्तिका पक्षमें रहना पक्षधर्मता है।^४ तथा साधनरूप वस्तुका साध्यरूप वस्तुके साथ ही सर्वदा पाया जाना व्याप्ति है। जैसे धूम अग्निको होने पर ही पाया जाता है—उसके अभावमें नहीं, अत धूमकी वल्लिके नाथ व्याप्ति है। पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनों अनुमानके आधार हैं। पक्षधर्मताका ज्ञान हुए दिना अनुमानका उद्भव सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ— पर्वतमें धूमकी वृत्तिताका ज्ञान न होने पर वहाँ उससे अग्निका अनुमान नहीं किया जा सकता। अतः पक्षधर्मताका ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी अनुमानके निए परमावश्यक है। यत् पर्वतमें धूमदर्शनके अनन्तर भी तब तक अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, जब तक धूमका अग्निके साथ अनिवार्य सम्बन्ध स्थापित न हो जाए। इस अनिवार्य सम्बन्धका नाम ही

१. माध्यविनाभावित्वेन निष्पत्तिः हेतुः ।

—माणिक्यनन्द, परीक्षामु० ३।१५ ।

२. व्याप्तस्य शानेन व्यापकस्य निष्पत्तिः; यदा विष्पृ॑स्य ध्वापक इति धूमस्तस्य व्याप्ति तयोर्भू॒यः सहचर्यं पाकस्यानादौ दृष्टा पश्चात्पर्वतादौ उद्यमानशिष्यस्य धूमस्य दशने तत्र त्राहसीति निष्पत्तीयते ।

—वाचस्पत्यम्, अनुमानशन्द, प्रथम जिल्ड पृष्ठ १६१, चौखम्बा, वाराणसी, सन् १९६२ ई० ।

३. अनुमानस्य द्वे अंगे व्याप्तिः पक्षधर्मता च ।

—केशवभिक्ष, तर्कमात्रा, अनु० निर० पृष्ठ ८८, ८९ ।

४. व्याप्तस्य पर्वतादिवृत्तिर्व पक्षधर्मता ।

—महामधु०, तर्कस० अनु० वि०, पृष्ठ ५७ ।

नियत साहचर्य सम्बन्ध या व्याप्ति है।^१ इसके अभावमें अनुमानकी उत्पत्तिमें भूमज्जानका कुछ भी महत्व नहीं है। किन्तु व्याप्तिज्ञानके होने पर अनुमानके लिए उक्त घूमज्जान महत्वपूर्ण बन जाता है और वह अग्निज्ञानको उत्पन्न कर देता है। अतः अनुमानके लिए पक्षधर्मता और व्याप्ति इन दोनोंके संयुक्त ज्ञान भी आवश्यकता है। इमउग रहे कि जैन तात्काळीने^२ व्याप्तिज्ञानको ही अनुमानके लिए आवश्यक माना है, पक्षधर्मताके ज्ञानको नहीं, क्योंकि अपक्षधर्म कृतिकोदय आदि हेतुओंसे भी अनुमान होता है।

(क) पक्षधर्मता :

जिस पक्षधर्मताका अनुमानके आवश्यक अंगके रूपमें ऊपर निर्देश किया गया है उसका व्यवहार न्यायशास्त्रमें कबसे आरम्भ हुआ, इसका यहाँ ऐतिहासिक विमर्श किया जाता है।

कणादके वैशेषिकसूत्र और अक्षपादके न्यायसूत्रमें न पक्ष शब्द मिलता है और न पक्षधर्मता शब्द। न्यायसूत्रमें^३ साध्य और प्रतिज्ञा शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है, जिनका न्यायभाव्यकारने^४ प्रकापनीय घर्मसे विशिष्ट घर्मों अर्थ प्रस्तुत किया है और जिसे पक्षका प्रतिनिधि कहा जा सकता है, पर पक्षशब्द प्रयुक्त नहीं है। प्रश्नस्तपादभाव्यमें^५ यद्यपि न्यायभाव्यकारकी तरह घर्मों और न्यायसूत्रकी तरह प्रतिज्ञा दोनों शब्द एकत्र उपलब्ध हैं। तथा लिङ्गको त्रिस्पृष्ठ बतलाकर उन तीनों रूपोंका प्रतिपादन काव्यपके नामसे दो कारिकाएँ उढ़ूत करके किया है।^६ किन्तु

१. यत्र यथा घूमस्तन्त्र तत्राविनिरात्रं साहचर्यानयम् न्यायाः।

—तर्कसं०, पृ४ ५४। तथा केशवमिश्र, तर्कसां० पृष्ठ ७२।

२. पक्षधर्मतव्यादीनोऽपि गमकः कृत्तिकादयः।

अन्तव्यादीतेरतः सैव गमकत्वप्रसाधनी॥

—बालीभिसह, स्वां० सिं० ४।१६-८४।

३. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा।

—अक्षपाद, न्यायस० १।१।३३।

४. प्रकापनीयेन घर्मेण घर्मिणो विशिष्टयं परियहवचन ग्रातिशा साध्यानडेशः अनित्यः शब्द इति।

—बाल्स्यायन, न्यायस० १।१।३३ तथा १।१।३४।

५. अनुमोदेशोर्ध्वमात्रोधि प्रतिज्ञा। ग्रातिपाद्याद्यवित्तधर्माद्विशिष्टय घर्मिणोऽपदेश-विषय-मापादयित्तुमुद्देशमात्रं ग्रातिशा । । ।

—पक्षस्तपाद, वैशिं० भाष्य पृष्ठ ११४।

६. अनुमेयेन सम्बद्धं घर्मिण० च तदन्विते।

उद्दाने च नास्येव तत्त्विण्यमनुमाप्तम्।

—बाही, पृष्ठ १००।

४६ : जैन तर्कवास्त्रमें अनुमेय-विचार

उन तीन रूपोंमें भी पक्ष और पक्षधर्मता शब्दोंका प्रयोग नहीं है।^१ हाँ, 'अनुमेय सम्बद्धिलिङ्' शब्द अवश्य पक्षधर्मका बोधक है। पर 'पक्षधर्म' शब्द स्वयं उप-सब्द नहीं है।

पक्ष और पक्षधर्मता शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग सर्वप्रथम सम्भवत। बौद्ध तार्किक शंकरस्वामीके न्यायप्रबेशमें^२ हुआ है। इसमें पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, पक्षवचन, पक्षधर्म, पक्षधर्मवचन और पक्षधर्मत्व ये सभी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। साथमें उनका स्वरूप-विवेचन भी किया है। जो घर्मोंके रूपमें प्रसिद्ध है वह पक्ष है। 'शब्द अनित्य है' ऐसा प्रयोग पक्षवचन है। 'क्योंकि वह कृतक है' ऐसा वचन पक्षधर्म (हेतु) वचन है। 'जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, यथा घटादि' इस प्रकारका वचन सपक्षानुगम (सपक्षसत्त्व) वचन है। 'जो नित्य होता है वह अकृतक देखा गया है, यथा आकाश' यह व्यतिरेक (विपक्षासत्त्व) वचन है। इस प्रकार हेतुको त्रिलूप प्रतिपादन करके उसके तीनों रूपोंका भी स्पष्टीकरण किया है। ये तीन रूप हैं—१. पक्षधर्मत्व, २. सपक्षसत्त्व और ३. विपक्षासत्त्व। ध्यान रहे, यहीं 'पक्षधर्मत्व' पक्ष धर्मात्मके लिए ही आया है। प्रशस्तपादने जिस तथ्यको 'अनुमेयसम्बद्धत्व' शब्दसे प्रकट किया है उसे न्यायप्रबेशकारने 'पक्षधर्मत्व' शब्द द्वारा बतलाया है। तात्पर्य यह कि प्रशस्तपादके मतसे हेतुके तीन रूपोंमें परिगणित प्रथम रूप 'अनुमेयसम्बद्धत्व' है और न्यायप्रबेशके अनुसार 'पक्षधर्मत्व'। दोनोंमें केवल शब्दभेद है, अर्थभेद नहीं। उत्तरकालमें सो प्रायः सभी भारतीय तार्किकोंके हारा तीन रूपों अथवा पौच रूपोंके अन्तर्गत पक्षधर्मत्वका बोधक पक्षधर्मत्व या पक्षधर्मता पद हो अभिप्रेत हुआ है। उच्चोत्तरकर^३, वाचस्पति^४, उदयन^५, मंगेश^६ केशव^७ प्रभूति वैदिक नैयायिकों तथा धर्मकीर्ति,^८ धर्मोत्तर^९, अर्चट^{१०} आदि बौद्ध तार्किकोंने अपने ग्रन्थोंमें उसका प्रतिपादन किया

१. प्र० मा० पृष्ठ १००।

२. पक्षः परिद्धो धर्मा । देहुस्त्रिकृपः । किं पुनहवेकृप्यन् ? पक्षधर्मत्वं सपक्षे सावेव विपक्षे चासावर्मिति ।...तथाऽ । अनित्यः शब्द इति पक्षवचनम् । कृतक्षब्दादिति पक्षधर्मत्व-नम् । यहूर्कर्त्तव्यनित्यं हृष्टं यथा घटादिरिति सपक्षानुगमवचनम् । विकृत्ये तदकृतकं दृष्टं यथाISSकाशर्मिति व्यतिरेकवचनम् ।

—शंकरस्वामी, न्यायप्र० पृष्ठ १०२ ।

३. उच्चोत्तरकर, न्यायवाचा० १। १३५, पृष्ठ १२६, १३१ ।

४. वाचस्पति, न्यायवाचा० १०० दी० १। १४५, पृष्ठ १७१ ।

५. उदयन, किरणा० पृष्ठ २६०, २६४ ।

६. उ० चिं जागदी० दी० पृ० १४, ७५ ।

७. केशव मिश्र, उक्तमा० अनु० निर० पृष्ठ ८८, ८९ ।

८-९. धर्मकीर्ति, न्यायविं०, दि० परिं पृष्ठ २२ ।

१०. अर्चट, हेतुविं० दी० पृष्ठ २४ ।

है। परं जैन नैदायिकोंने^१ पक्षघर्मतापर उतना बल नहीं दिया, जितना व्याप्ति-पर दिया है। सिद्धसेन^२, अकलंक^३, विद्यानन्द^४, वार्षीभसिंह^५ आदिने तो उसे अभावशयक एवं व्यर्थ भी बतलाया है। उतना मन्तव्य है^६ कि 'कल सूर्यका उदय होगा, क्योंकि वह आज उदय हो रहा है', 'कल शनिवार होगा, क्योंकि आज शुक्रवार है', 'आपर देशमें वृष्टि हुई है, क्योंकि अधोदेशमें प्रवाह दृष्टिगोचर हो रहा है', 'अहंतवादीको भी प्रमाण इष्ट है, क्योंकि इष्टका साधन और अनिष्टका दृष्टण अन्यथा नहीं हो सकता' जैसे प्रचुर हेतु पक्षघर्मताके अभावमें भी मात्र अन्तर्व्याप्तिके बलपर साध्यके अनुमापक हैं।

(ख) व्याप्ति :

अनुमानका सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग व्याप्ति है। इसके होनेपर ही साधन साध्यका गमक होता है, उसके अभावमें नहीं। अतएव इसका दूसरा नाम 'अविनाभाव' भी है। देखना है कि इन दोनों शब्दोंका प्रयोग कबसे आरम्भ हुआ है।

अक्षपाद^७ के 'न्यायमूल और वान्स्यायन'^८ के 'न्यायभाष्यमें' न व्याप्ति शब्द उपलब्ध होता है और न अविनाभाव। 'न्यायभाष्यमें' मात्र इतना मिलता है कि लिंग और लिंगीमें सम्बन्ध होता है अथवा वे सम्बद्ध होते हैं। परं वह सम्बन्ध व्याप्ति अथवा अविनाभाव है, इसका वही कोई निर्देश नहीं है। गौतमके हेतुलक्षण-प्रदर्शक सूत्रों^९ से भी केवल यही ज्ञान होता है कि हेतु वह है जो उदाहरणके साधार्य अथवा वैवर्यमें साध्यका साधन करे। तात्पर्य यह कि हेतुको पक्षमें रहने के अतिरिक्त सप्तश्चेत् विश्वामित्र और विपक्षसे व्यावृत्त होना चाहिए, इतना ही अर्थ हेतुलक्षणसूत्रोंसे व्यनित होता है, हेतुको व्याप्ति (व्याप्तिविशिष्ट या अविना-

१. न्यायविद् २१७६।

२. सिद्धसेन, न्यायाव० का० २०।

३. न्यायविद् २२२१।

४. प्रमाणपरी० पृष्ठ ७२।

५. वार्षीभसिंह, न्या० सिं० ४८७।

६. अकलंक, लघीव० १३।१४।

७. न्यायस० १।१५, ३४, ३५।

८. न्यायमा० १।१५, ३४, ३५।

९. लिङ्गलिंगिनोः सम्बन्धदशैनं लिङ्गदशैनं चाभिसम्बन्धते। लिङ्गलिंगिनोः सम्बद्धयोदशैनेन लिङ्गस्यूतिरमिसम्बन्धते।

—न्यायमा० १।१५।

१०. उदाहरणसत्त्वमात् साध्यसाधनं हेतुः। तथा वैवर्यात्।

—न्यायस० १।१४, ३५।

भावी) भी होना चाहिए, इसका उनसे कोई संकेत नहीं मिलता । उच्छोतकर^१ के न्यायबार्तिकमें अविनाभाव और व्याप्ति दोनों शब्द प्राप्त हैं । पर उच्छोतकरमें उन्हें परमतके रूपमें प्रस्तुत किया है तथा उनकी आलोचना भी की है । इसमें प्रतीत होता है कि न्यायबार्तिककारको भी न्यायसूत्रकार और न्यायभाष्यकारकी तरह अविनाभाव और व्याप्ति दोनों अमान्य हैं । उल्लेख्य है कि उच्छोतकर अविनाभाव और व्याप्तिकी आलोचना (न्यायवा० १११५, पृष्ठ ५८, ५५) करते ही थे । पर स्वकीय सिद्धान्तकी व्यवस्थामें उनका उपयोग उन्होंने असन्दिग्ध रूपमें किया है ।^२ उनके परवर्ती वाचस्पति मिश्रने^३ अविनाभावको हेतुके पाँच रूपोंमें समाप्त करकर उसके द्वारा ही समस्त हेतुरूपोंका संग्रह किया है । किन्तु उन्होंने भी अपने कथनको परम्परा-विरोधी समझकर अविनाभावका परित्याग कर दिया है और उच्छोतकरके अभिप्रायानुसार पक्षधर्मत्वादि पाँच हेतुरूपोंको ही महत्व दिया है, अविनाभावको नहीं । जयन्त भट्टने^४ अविनाभावको स्वीकार करते हुए भी उसे पक्षधर्मत्वादि पाँच रूपोंमें समाप्त बतलाया है ।

इस प्रकार वाचस्पति और जयन्त भट्टके द्वारा जब स्पष्टतया अविनाभाव और व्याप्तिका प्रबोध न्यायपरम्परामें हो गया तो उत्तरवर्ती न्यायशास्त्रकारोंने उन्हे अपना लिया और उनकी व्याख्याएं बारम्ब कर दी । यही कारण है कि बोद्ध

१. (क) अविनाभावेन पतिवादधर्तोति चेत् । अपापीद स्यात् अविनाभावाऽन्यूभवारतो षूग्मद् । नादान्तं प्रतिपदत इति । तत् । विक्ष्यानुपपत्तेः । आभन्दूषयोऽवापाव इति कांडवः ।^१ कि कांचकारणभाव । उत्तकांसमवादः तत्सम्बन्धमात्र वा ... ।
—उच्छोतकर, न्यायवा० १११५, पृष्ठ ५०, चौलम्भा, काशी, १९१६ ई० ।
(ख) अयात्तरमधोरणमवाप्तते तस्य व्याप्तिर्थः तदाप्यनुमेयमवधारित व्याप्त्या न भमो, यत एव करणं ततोऽन्यवाकपारणांमाति । समवव्याप्त्या चालनेय नियत...।
—वही, १११५, पृष्ठ ५५, ५६ ।

२. (क) सामान्यतोदृष्ट नाम अकाशोकारणमूलेन यत्राविनाभाविना विशेषणेन विशेषमाणो वर्ण गम्भते तत् । सामान्यतोदृष्ट यथा बलाक्या सलिलानुमानम् ।
—न्यायवा० १११५, पृष्ठ ५७ ।

(ख) प्रसिद्धमिति पठो व्याप्तक, सदिति सजातीयेऽरित, असन्दिग्धमाति सजातीय-विनाभावि ।—वही, १११५, पृष्ठ ५८ ।

३. यद्याविनाभाव । य चतु चतुर्पुर्व वा क्षेत्रु लिङस्य समावयते इत्यविनाभावेनैव सर्वाणि लिङरूपाणि सर्वाणि, तदापीह प्रसिद्धस्तद्वाभा इयोः संगृहे गोवलार्ददन्यावेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यार्थेकासत्प्रतिपक्षत्वादाधितविषयत्वानि संगृह्णाति ।
—न्यायवा० दा० टी० १११५, पृष्ठ १७८, चौलम्भा, १९२५ ई० ।

४. एतेषु पञ्चलक्षणेषु अविनाभावः समाप्तते ।
—न्यायविकाण्ठिका पृष्ठ २ ।

तर्किकों द्वारा मुख्यतया प्रयुक्त अनन्तरीबक (या नान्तरीबक) तथा प्रतिबन्ध और जैव सर्कारीबकारों द्वारा प्रचलितया प्रयोगमें आने वाले अविनाभाव एवं व्याप्ति जैसे शब्द उद्योतकरके बाद न्यायदर्शनमें समाचिह्न हो गये एवं उन्हें एक-दूसरेका पर्याय माना जाने लगा। अब उन्हें अविनाभावका स्पष्टीकरण करनेके लिए व्याप्ति, नियम, प्रतिबन्ध और साध्याविनाभावित्वको उसीका पर्याय बतलाया है। बाचस्पति मिथ्ये^१ कहते हैं कि हेतुका कोई भी सम्बन्ध हो उसे स्वाभाविक एवं नियत होना चाहिये और स्वाभाविकका अर्थ वे उपाधिरहित बतलाते हैं। इस प्रकारका हेतु ही गमक होता है और दूसरा सम्बन्धी (साध्य) गम्य। तात्पर्य यह कि उनका अविनाभाव या व्याप्तिशब्दोंपर जो नहीं है। पर उद्यन्त^२, केशव मिथ्ये^३, अनन्तभट्ट^४, विश्वनाथ पंचानन्द^५ प्रभूति नैयायिकोंने व्याप्ति शब्दको अपनाकर उसीका विशेष व्याख्यान किया है तथा पक्षधर्मताके साथ उसे अनुमानका प्रमुख अंग बतलाया है। गंगेश और उनके अनुबर्ती बर्दुमान उपाध्याय, पक्षधरमिश्र, वासुदेव मिथ्ये, रघुनाथ शिरोमणि, मधुरानाथ तकङ्कवगीश, जगदीश तकर्णिकार, गदाधर भट्टाचार्य आदि नव्य नैयायिकोंने^६ व्याप्तिपर सर्वाधिक चिन्तन और निवन्धन किया है। गज्ज्वेशने तत्त्वचिन्तामणिमें अनुमानलक्षण^७ प्रस्तुत करके उसके व्याप्ति^८ और पक्षधर्मता^९ दोनों अंगोंका नव्यप्रदृष्टिसे विवेचन किया है।

प्रशस्तपाद-भाष्यमें^{१०} भी अविनाभावका प्रयोग उपलब्ध होता है। उन्होंने अविनाभूत लिंगको लिंगीका गमक बतलाया है। पर वह उन्हें त्रिलक्षणरूप ही अभिप्रेत है।^{११} यही कारण है कि टिप्पणिकारने^{१२} अविनाभावका अर्थ 'व्याप्ति' एवं

१. अविनाभावो व्याप्तिनियम, प्रांतबन्ध, साध्याविनाभावित्वामत्यर्थः।

—नैयायकलिंग पृष्ठ २।

२. तस्मादो वा स बाऽस्तु, सम्बन्धः, केवलं वस्यादौ स्वाभाविको नियतः स एव गमको गम्य-इच्छेतः सम्बन्धोति युक्त्यते। तथा हि धूमादीना वहशादिसम्बन्धः स्वाभाविकः, न तु वहशादीना धूमादिभिः। ... तस्माद्विपाप्तिं प्रबन्देनान्विष्यन्तीऽनुपलभयाना नात्तोत्पवयम्य स्वाभाविक्लवं सम्बन्धस्य निश्चिन्मुमः।

—व्याख्याना० ता० टी० ११५, पृष्ठ ११५।

३. किरणा० पृष्ठ २५०, २५४, २९५-२०२।

४. तकङ्का० पृष्ठ ७२, ७८, ८२, ८३, ८८।

५. तकङ्का० पृष्ठ ८२-८५।

६. सिंहु० का० ८८, पृष्ठ ५१-५५।

७. इनके अन्योद्दरण विस्तारमयसे यही अप्रस्तुत है।

८. त० चिं० अनु० स्तु०, प० १३।

९. वही, प० ७०-८२, ८६-८९, १७१-२०८, २०६-४२।

१०. वही, अनु० स्तु० पृष्ठ ६२३-६३१।

११-१२. प्र० का० प० १०३ तथा १००। १३. वही, द्विष्टिराज शास्त्री, टिप्प० प० १०३।

६० : जैव तांत्रिकास्त्रमें अनुभाव-विचार

‘अन्यगिरित सम्बन्ध’ दे करके भी शंकरमिश्र द्वारा किये गये अविनाभावके साप्तनसे सहमति प्रकट की है और ‘बस्तुतस्ववौपाधिकसम्बन्ध एव वयाहि:’^१ इस उदयनोक्त^२ व्याप्तिलक्षणको ही मान्य किया है। इससे प्रतीत होता है कि अविनाभावको मान्यता वैशेषिकदर्शनको भी स्वोपन एवं भौलिक नहीं है।

कुमारिलके भीमांसाश्लोकवार्तिकमें^३ व्याप्ति और अविनाभाव दोनों शब्द मिलते हैं। पर उनके पूर्व न जैमिनिसूत्रमें वे हैं और न शावर-भाष्यमें।

बौद्ध तांत्रिक शंकरस्वामीके न्यायप्रवेशमें^४ भी अविनाभाव और व्याप्ति शब्द नहीं हैं। पर उनके अर्थका बोधक नान्तरीयक (अनन्तरीयक) शब्द पाया जाता है। वर्मकीर्ति^५, घर्मोत्तर^६, अर्चट^७ आदि बौद्ध नैयायिकोंने अवश्य प्रतिबन्ध और नान्तरीयक शब्दोंके साथ इन दोनोंका भी प्रयोग किया है। इनके पश्चात् तो उक्त शब्द बौद्ध तर्कग्रन्थोंमें बहुलतया उपलब्ध है।

तब प्रश्न है कि अविनाभाव और व्याप्तिका मूल स्थान क्या है ? अनुसन्धान करने पर ज्ञात होता है कि प्रशस्तपाद और कुमारिलसे पूर्व जैन तांत्रिक समन्त-भद्रने^८, जिनका समय^९ विक्रमकी २री, ३री शती माना जाता है, अस्तित्वको नास्तित्वका और नास्तित्वको अस्तित्वका अविनाभावी बतलाते हुए अविनाभाव-का अवहार किया है। एक दूसरे स्थल पर^{१०} भी उन्होंने उसे स्पष्ट स्वीकार किया है। और इस प्रकार अविनाभावका निर्देश मान्यताके रूपमें सर्वप्रथम समन्तभद्रने किया जाना पड़ता है। प्रशस्तपादकी तरह उन्होंने उसे त्रिलक्षणरूप स्वीकार नहीं किया। उनके पश्चात् तो वह जैन परम्परामें हेतुलक्षणरूपमें ही प्रतिष्ठित हो गया। पूज्यपादने^{११}, जिनका अस्तित्व-समय ईसाकी पौच्छी शताब्दी है, अवि-

१. प्र० भा० टिप्प० पृष्ठ १०३।

२. किरणा० पृ० २६७।

३. भी० श्लोक अन० ३०० श्लो० ४, १२, ४३ तथा १६१।

४. न्या० प्र० पृष्ठ ४, ५।

५. प्रमाणवा० ११३, ११२ तथा न्यायवि० पृ० ३०, ९३। हेतुवि० पृ० ५४।

६. न्यायवि० टी० पृष्ठ १०।

७. हेतु वि० टी० पृष्ठ ७, ८, १०, ११ आदि।

८. भी जुगल्कक्षोर मुख्तार, स्वामी समन्तभद्र पृष्ठ १९६।

९. अस्तित्वं प्रतिवेच्येनाविनाभाव्येकधर्मिण।

नास्तित्वं प्रतिवेच्येनाविनाभाव्येकधर्मिण।

—आन्यमी० का १७, १८।

१०. घर्मस्म्यावलभावः सिद्धात्मन्वोन्यवीक्षणा।

—यही, का० ७५।

११. स० त्रि० ५८८, १०४।

नाशाच और व्यासि दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है। 'सिद्धेन', पात्रस्वामी^३, बुधारनस्ति^४ अकलंक^५ माणिक्यनन्दि^६ आदि जैन तर्कप्रत्यक्षारोंने अविनाभाव, व्यासि और अन्यथानुपपत्ति या अन्यथानुपपत्ति तीनोंका अवहार पर्यायशब्दोंके रूपमें किया है। जो (साधन) जिस (साध्य)के बिना उपपत्ति न हो उसे अन्यथानुपपत्ति कहा गया है।^७ असम्भव नहीं कि शावरभाव्यमत^८ अवापिस्थु-स्थापक अन्यथानुपपत्तिमान और प्रभाकरकी वृहतीमें^९ उसके लिए प्रयुक्त अन्यथा-नुपपत्ति शब्द अवधिपति और अनुमानको अभिभ्र मानने वाले जैन तार्किकोंसे अप-लाये गये हों, क्योंकि ये शब्द जैन न्यायदण्डोंमें अधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त मिलते हैं और शान्तरक्षित^{१०} आदि प्राचीन तार्किकोंने उन्हें पात्रस्वामीका भत कह कर उद्भूत तथा समालोचित किया है। अतः उनका उद्गम जैन तर्कपत्तोंसे बहुत कुछ सम्भव है।

प्रस्तुत अनुशोलनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि न्याय वैशेषिक और बौद्ध दर्शनोंमें आरम्भमें पक्षधर्मता (सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति सहित) को तथा मध्याकाल और नवध्युगमें पक्षधर्मता और व्यासि दोनोंको अनुमानका आधार माना गया है। पर जैन तार्किकोंने आरम्भसे अन्त तक पक्षधर्मता (अन्य दोनों रूपों सहित) को अनावश्यक तथा एकमात्र व्यासि (अविनाभाव, अन्यथानुप-पत्त्व) को अनुमानका अपरिहार्य अंग बतलाया है।

अनुमान-भेद :

प्रश्न है कि यह अनुमान कितने प्रकारका माना गया है? अध्ययन करनेपर प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम कणादने^{११} अनुमानके प्रकारोंका निर्देश किया है। उन्होंने उसको कण्ठत् संस्थाका तो उल्लेख नहीं किया, किन्तु उसके प्रकारोंको

१. न्यायाव० १३, १८, २०, २२।

२. तत्त्वसं० १०० ४०६ पर उद्भूत 'अन्यथानुपपत्त्व' आदि का०।

३. प्र० १० १०० ७२ में उद्भूत 'अन्यथानुपपत्त्येकलभ्यं' आदि का०।

४. न्या० विं २।१८७, ३२३, ३२७, ३२८।

५. परो० सु० ३।११, १५, १६, १४, १५, १६।

६. साधनं प्रकृतामावेऽनुपत्तं—।—न्यायविं २।६६, तथा प्रमाणसं० २१।

७. अवापितिरपि हृष्टः मुतो बार्तोऽन्यथा नोपपत्ते हायवंकल्पना।

—शावरमा० १।१५, वृहती, १४ ११०।

८. केवलन्यथानुपपत्तिनाम ? ...न हि अन्यथानुपपत्तिः प्रत्यक्षसमिगमना।

—वृहती १० ११०, १११।

९. तत्त्वसं० १०० ४०५-४०६।

१०. वैशे० सु० ३।२।१।

४६ : वेद उक्तास्त्रमें अनुमान-विचार

गिनाया है। उनके परिगणित प्रकार निम्न हैं— १) कार्य, (२) कारण, (३) संयोगी, (४) विरोधी और (५) समवायि। यतः हेतुके पौच भेद हैं, अतः उनसे उत्पन्न अनुमान भी पौच हैं।

‘न्यायसूत्र’, उपायहृदय^१, चरक^२ सास्यकारिका^३ और अनुयोगद्वारासूत्रमें^४ अनुमानके पूर्वोलिलित पूर्ववत् आदि तीन भेद बताये हैं। विशेष यह कि चरकमें त्रिवसंस्थाका उल्लेख है, उनके नाम नहीं दिये। सास्यकारिकामें भी त्रिविषट्क-का निर्देश है और केवल तीसरे सामान्यतोदृष्टका नाम है।^५ किन्तु माठर^६ तथा युक्तिदीपिकाकार^७ ने तीनोंके नाम दिये हैं और वे उपर्युक्त ही हैं। अनुयोगद्वार-में प्रथम दो भेद तो वही हैं, पर तीसरेका नाम सामान्यतोदृष्ट न होकर वृष्टसा-धर्मवत् नाम है।

इस विवेचनसे ज्ञात होता है कि ताकिकोने उस प्राचीन कालमें कणाढकी पंचविष अनुमान-परम्पराको नहीं अपनाया, किन्तु पूर्ववदादि त्रिविष अनुमानकी परम्पराको स्वीकार किया है। इस परम्पराका मूल क्या है? न्यायसूत्र है या अनुयोगसूत्र आदिमें से कोई एक? इस सम्बन्धमें निर्णयपूर्वक कहना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय पूर्वगति त्रिविष अनुमानकी कोई सामान्य परम्परा रही है जो अनुमान-स्थर्में वर्तमान थी और जिसके स्वी-कारमें किसीको सम्भवतः विवाद नहीं था।

पर उत्तरकालमें यह त्रिविष अनुमान-परम्परा भी सर्वगान्य नहीं रह सकी। प्रशस्तपादने^८ दो तरहसे अनुमान-भेद बतलाये हैं— १ दृष्ट और २ सामान्यतो-दृष्ट। अथवा १. स्वनिविच्छारनिमान और २ परावर्तनिमान। मीमांसादर्शनमें शब्दरने^९ प्रशस्तपादके प्रथमोक्त अनुमानहैंविद्यको ही कुछ परिवर्तनके साथ स्वीकार किया है— १ प्रत्यक्तोदृष्टसम्बन्ध और २ सामान्यतोदृष्टसम्बन्ध।

१. न्यायसूत्र १।१।५।

२. उपायहृद ४० ४३।

३. चरकसूत्रस्वान १।२१, २२।

४. स०० का० का० ५।

५. मुनि काहैवालाल, अनुयो० स० प० ५३६।

६. स०० का० का० ६।

७. माठरह० का० ५।

८. युक्तिदी० का० ५, पृष्ठ ४३, ४४।

९. प्रश० भा० प० १०४, १०६, ११३।

१०. शास्त्रमा० १।१।५, पृष्ठ ४६।

सांख्यकर्णनमें बाचस्पति^१ अनुसार थीत और अबीत ये दो भेद भी मान लिये हैं। थीतानुमानको उन्होंने पूर्ववत् और सामाज्यतोदृष्ट द्विविधक्य और अबीता-नुमानको शेषकर्तृक्य मानकर उक्त अनुमानशैविध्यके साथ समन्वय भी किया है। अ्यात्यध्य है कि सांख्योंकी सत्त्विष अनुमान-मान्यताका भी उल्लेख उच्छोतकर^२, बाचस्पति^३ और प्रभाचन्द्रने^४ किया है। पर वह हमें सांख्यकर्णनके उपकरण ग्रन्थोंमें प्राप्त नहीं हो सकी। प्रभाचन्द्रने तो प्रत्येकका स्वरूप और उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट भी किया है।

आगे चलकर जो सर्वाधिक अनुमानभेद-परम्परा प्रतिष्ठित हुई वह है प्रशस्त-पादकी उक्त — १. स्वार्थ और २. परार्थभेदवाली परम्परा। उच्छोतकरने^५ पूर्ववदादि अनुमानशैविध्यकी तरह केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी इन तीन नये अनुमान-भेदोंका भी प्रदर्शन किया है। किन्तु उन्होंने और उनके उत्तरवर्ती बाचस्पति तकके नैयायिकोंने प्रशस्तपादनिर्दिष्ट उक्त स्वार्थ-परार्थके अनुमानद्वैविध्यको अंगीकार नहीं किया। पर जयन्तभट्ट और उनके पादचात्-वर्ती केशव मिश्र^६ आदिने उक्त अनुमानद्वैविध्यका मान लिया है।

बौद्ध दर्शनमें दिह्नाशसे पूर्व उक्त द्वैविध्यकी परम्परा नहीं देखी जाती। परम्तु दिह्नाशने^७ उसका प्रतिपादन किया है। उनके पश्चात् तां घर्मकिंति^८ आदिने इसीका निरूपण एवं विशेष अ्यास्यान किया है।

जैस तात्किकोने^९ इसी स्वार्थ-परार्थ अनुमानद्वैविध्यको अंगीकार किया है और अनुयोगद्वाराविपत्तिपादित अनुमानशैविध्यको स्थान नहीं दिया, प्रत्युत उसकी समीक्षा की है।^{१०}

१. स०० त० कौ० का० ५, प० ३०-३२।

२. न्यायवा० १।३५, पृष्ठ ५७।

३. न्यायवा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६५।

४. न्यायकु० च० ३।१४, पृष्ठ ४६२।

५. न्यायवा० १।१५, पृष्ठ ५६।

६. न्यायम० पृष्ठ १३०, १३१।

७. उक्तमा० प० ७७।

८. ब्राह्मसम्म० २।१।

९. न्यायवि० प० २१, द्वि० ८८।

१०. सिद्धसेन, न्यायवा० का० १०। अकलीक, सि० वि० ६।२, पृष्ठ ३७३। विशालन्द, म० १० प० १० ७६। मायिक्यनिर्दि, परी० मु० १५७, ५५। देवद्वारि, म० ८० त० १।१६, १०, । हैमचन्द्र, ब्राह्मणमी० १।२।८, पृष्ठ १९ नामि।

११. अकलीक, न्यायविलि० ३।४१, ३।४२, । स्वाधावर० पृष्ठ ५२७। कालि।

इस प्रकार अनुमान-भेदोंके विषयमें भारतीय तांत्रिकोंकी विभिन्न मान्यताएं तर्कप्रम्बोंमें उपलब्ध होती हैं। तथ्य यह कि कणाद जहाँ साधनभेदसे अनुमानभेदका निरूपण करते हैं वहाँ न्यायसूत्र आदिमें विषयभेद तथा प्रशस्तपादभाष्य आदिमें प्रतिपत्ताभेदसे अनुमान-भेदका प्रतिपादन जात होता है। साधन अनेक हो सकते हैं, जैसा कि प्रशस्तपादने^१ कहा है, अतः अनुमानके भेदोंकी संख्या पाँचसे अधिक भी हो सकती है। न्यायसूत्रकार आदिकी दृष्टिमें चूंकि अनुमेय या तो कार्य होगा, या कारण या अकार्यकारण। अतः अनुमेयके त्रैविषयसे अनुमान विविध है। प्रशस्तपाद द्विविध प्रतिपत्ताओंकी द्विविध प्रतिपत्तियोंकी दृष्टिसे अनुमानके स्वार्थ और परार्थ दो ही भेद मानते हैं, जो बुद्धिको लगता है, क्योंकि अनुमान एक प्रकारकी प्रतिपत्ति है और वह स्व तथा पर दोके द्वारा की जाती है। सम्भवतः इसीसे उत्तराखण्डमें अनुमानका स्वार्थ-परार्थद्विविध सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हुआ।

अनुमानावयव :

अनुमानके तीन उपादान हैं,^२ जिनसे वह निष्पन्न होता है—१. साधन, २. साध्य और ३. धर्म। अथवा^३ १. पक्ष और २. हेतु ये दो उसके अंग हैं, क्योंकि साध्यधर्म विशिष्ट धर्मोंको पक्ष कहा गया है; अतः पक्षको कहनेसे धर्म और धर्मी दोनोंका ग्रहण हो जाता है। साधन गमकरूपसे उपादान है, साध्य गम्यरूपसे और धर्मी साध्यधर्मके आधाररूपसे, क्योंकि किसी आधार-विशेषमें साध्यकी सिद्धि करना अनुमानका व्येय नहीं है, क्योंकि वह व्याप्ति-निष्पत्त्यकालमें ही अवगत हो जाता और न केवल धर्मोंकी सिद्धि अनुमानके लिए अपेक्षित है, क्योंकि वह सिद्ध रहता है। किन्तु 'पर्वत अभिनवाला है' इस प्रकार पर्वतमें रहने वाली अभिनवा ज्ञान करना अनुमानका लक्ष्य है। अतः धर्मी भी साध्यधर्मके आधार रूपसे अनुमानका अंग है। इस तरह साधन, साध्य और धर्मी ये तीन अथवा पक्ष और हेतु ये दो स्वर्णानुमान तथा परार्थानुमान दोनोंके अंग हैं। कुछ अनुमान ऐसे भी होते हैं जहाँ धर्मी नहीं होता। जैसे—सोमवारसे मंगलका अनुमान आदि। ऐसे अनुमानोंमें साधन और साध्य दो ही अंग हैं।

उपर्युक्त अंग स्वार्थानुमान और ज्ञानात्मक परार्थानुमानके कहे गये हैं। किन्तु वचनप्रयोग द्वारा प्रतिवादियों या प्रतिपाद्योंको अभिवेद्य-प्रतिपत्ति करना जब अभिप्रेत होता है तब वह वचनप्रयोग परार्थानुमान-वाक्यके नामसे अभिहित

१. मका० सा० प० १०४।

२. धर्मसूक्ष्म, न्यायदी० द० मकाल प० ७२।

३. यही, पृ० ७२-७३।

होता है और उसके विषयक अध्योक्ते अवश्य कहा गया है । परार्थनिमानवाक्य-के किन्तु अवश्य होने चाहिए, इस सम्बन्धमें ताकिकोंके विभिन्न मत है । व्याय-सूत्रकारका^१ मत है कि परार्थनिमान वाक्यके पौच अवश्य हैं—१. प्रतिज्ञा, २. हेतु, ३. उदाहरण, ४. उपनय और ५. निगमन । भाष्यकारने^२ सूत्रकारके इस अनुका न के बल समर्थन ही किया है, अपितु अपने कालमें प्रचलित दशावश्यव-भास्यताका निरास भी किया है । वे दशावश्य हैं—उक्त ५ तथा ६. जिज्ञासा, ७. संशय, ८. शब्दप्राप्ति, ९. प्रयोजन और १०. संशयब्युदास ।

यही प्रश्न है कि ये दश अवश्य किनके द्वारा माने गये हैं? भाष्यकारने उन्हें 'दशावश्यवानेके नैवाचिका वाच्ये संचक्षते^३' शब्दों द्वारा 'किन्हीं नैयायिकों'की मान्यता बतलाई है । पर मूल प्रश्न असमाचेय ही रहता है ।

हमारा अनुमान है कि भाष्यकारको 'एके नैयायिका:' पदसे प्राचीन सांख्य-विद्वान् युक्तिदीपिकाकार अभिप्रैत है, क्योंकि युक्तिदीपिकामें^४ उक्त दशावश्यवोंका न केवल निर्देश है किन्तु स्वमतरूपमें उनका विशद एवं विस्तृत व्याख्यान भी है । युक्तिदीपिकाकार उन अवश्यवोंको बतलाते हुए प्रतिपादन करते हैं^५ कि 'जिज्ञासा, संशय, प्रयोजन, शब्दप्राप्ति और संशयब्युदास ये पौच अवश्य व्याख्यान हैं तथा प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपसंहार और निगमन ये पौच परप्रतिपादनांग । तात्पर्य यह कि अधिक्षेयका प्रतिपादन दूसरोंके लिए प्रतिज्ञादि द्वारा होता है और व्याख्या जिज्ञासादि द्वारा । पुनरुक्ति, वैयर्थ्य आदि दोषोंका निरास करते हुए युक्तिदीपिकामें कहा गया है^६ कि विद्वान् सबके अनुग्रहके लिए जिज्ञासादिका अभिधान करते हैं । यत व्युत्पाद्य अनेक तरहके होते हैं—सन्दिग्ध, विषयस्त और अव्युत्पन्न । अतः इन सभीके लिए सन्तोंका प्रयास होता है । दूसरे, यदि प्रतिवादी प्रश्न करे कि क्या जानना चाहते हो? तो उसके लिए जिज्ञासादि अवश्यवोंका व्यवन आवश्यक है । किन्तु प्रश्न न करे तो उसके लिए वे नहीं भी कहे जाएं ।

१. व्यायसू. १।१।३२।

२-३. न्यायमा० १।१।३२, पृष्ठ ४७ ।

४-५. तस्य पुनरवश्यवाः—जिज्ञासा-संशय-प्रयोजन-शब्दप्राप्ति-संशयब्युदासलक्षणाद्यच व्याख्यानश्च, प्रातिज्ञा-हेतु-दृष्टान्तोपसंहार-निगमनानं परमार्थप्राप्तनागमाति ।

—युक्तिदीपोक्ता० का० ६, पृष्ठ ४७ ।

६. अत्र व्यूमः—न, उक्तवाद॑ । उक्तमेतद् पुरस्तात् व्याख्यानं जिज्ञासाद्यः । सर्वस्य चानु-प्राप्तः कर्त्तव्य इत्येवमर्थं च शास्त्रव्याख्यानं विपरिच्छद्यमः प्रत्याप्तेः, न स्वार्थं स्वप्राप्त-इत्यर्थं वा ।

—यही० का० ६, पृष्ठ ४७ ।

१६ : दैव संकलनमें अनुमान-विचार

बन्तमें लिखकर लिकालते हुए 'युक्तिदीपिकाकार' कहते हैं कि इसीसे हमने औ वीतानुमानके दशावयव कहे वे सर्वथा उचित हैं। आचार्य^२ (ईश्वरकृष्ण) उनके प्रयोगको न्याय-संगत मानते हैं।^३ इससे अवगत होता है कि दशावयवकी मान्यता युक्तिदीपिकाकारकी रही है। यह भी सम्भव है कि ईश्वरकृष्ण या उनसे पूर्व किसी साक्ष विद्वान्‌ने दशावयवोंको माना हो और युक्तिदीपिकाकारने उनका समर्थन किया हो।

जैन विद्वान् भद्रबाहुने^४ भी दशावयवोंका उल्लेख किया है। जैसा कि पूर्वमें लिखा गया है। किन्तु उसके वे दशावयव उपर्युक्त दशावयवोंसे कुछ भिन्न हैं।

प्रशस्तपादने^५ पाँच अवयव माने हैं। पर उनके अवयवनामों और न्याय-सूत्रकारके अवयवनामोंमें कुछ अन्तर है। प्रतिज्ञाके स्थानमें तो प्रतिज्ञा नाम ही है। किन्तु हेतुके लिए अपदेश, दृष्टान्तके लिए निर्दर्शन, उपनयके स्थानमें अनु-सन्धान और निगमनकी जगह प्रत्याम्नाय नाम दिये हैं। यहाँ प्रशस्तपादकी^६ एक विशेषता उल्लेखनीय है। न्यायसूत्रकारने जहाँ प्रतिज्ञाका लक्षण 'साध्यनिर्देश-प्रतिज्ञा' यह किया है वहाँ प्रशस्तपादने 'अनुभंगीदेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा' यह कहकर उसमें 'अविरोधो' पदके द्वारा प्रत्यक्ष-घिरदृ आदि पाँच विरुद्धसाध्यो (साध्य-मासो)का भी निराप किया है। न्यायप्रवेशकारने^७ भी प्रशस्तपादका अनुसरण करते हुए स्वकीय पश्चलक्षणमें 'अविरोधि' जैसा हो 'प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध' विशेषण दिया है और उसके द्वारा प्रत्यक्षविरुद्धादि साध्यमासोंका परिहार किया है।

न्यायप्रवेश^८ और माठरवृत्तिमें^९ पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव स्वीकार

१. 'तस्मात् सूक्ष्म दशावयवो वीतः। तस्य पुरतात् प्रयोगं न्यायमाचार्या मन्यन्ते।'

—यु० द०० का० ६, पृ० ५१।

२. अवयवः पुनर्जिञ्चासापदः प्रतिज्ञादद्यक्षच। तत्र प्रज्ञामादयो न्यायव्याख्याम्, प्रातिज्ञादयः प्रप्रत्यक्षाद्यविरुद्धम्। तानुतरत्र वक्ष्यामः।

— वही० का० १ की भूमिका पृ० ३।

२. युक्तिदीपिकाकारने इसी बातको आचार्य (ईश्वरकृष्ण) की कारिकाओ—१, १५, १६, १५ और ५७ के प्रतीकों द्वारा समर्थित किया है।

—यु. दा. का० १ की भूमिका पृ० ३।

३. दशव० नि० गा० ४९-५३।

४. अवयवः पुनः प्रतिज्ञाप्रवेशानिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः।

—प्रश० मा० ४० ११४।

५. वही, पृ० ११४, ११५।

६. न्यायम० ४० १।

७. वही, ४० १, २।

८. माठर० का० ५।

किये हैं। घर्मकीर्तिने^१ उक्त तीन अवयवोंमेंसे पक्षको निकाल दिया है और हेतु तथा दृष्टान्त ये दो अवयव माने हैं। न्यायविन्दु और प्रमाणवार्तिकमें उन्होंने केवल हेतुको ही अनुमानाबयव माना है।^२

बीमासक विद्वान् शालिकानाथने^३ प्रकरणपंचिकामें, नारायण भट्टने^४ भास-मेयोदयमें और पार्षदसारविने^५ न्यायरत्नाकरमें प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंके प्रयोगको प्रतिपादित किया है।

जैन तात्किं समन्वयभट्टका सकेत तत्त्वार्थसूत्रकारके अभिप्रायानुसार पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंको माननेकी ओर प्रतीत होता है। उन्होंने आप्त-मीमांसा (का० ६, १७, १८, २७ आदि) में उक्त तीन अवयवोंसे साध्य-सिद्धि प्रस्तुत की है। सिद्धसेनने^६ भी उक्त तीन अवयवोंका प्रतिपादन किया है। पर अकलंक^७ और उनके अनुवर्ती विद्यानन्द^८, माणिक्यनन्द^९, देवसूरि^{१०}, हेमचन्द्र^{११}, घर्मभूषण^{१२}, यशोविजय^{१३} आदिने पक्ष और हेतु ये दो ही अवयव स्थीकार किये हैं और दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका निरास किया है। देवसूरिने^{१४} अत्यन्त व्युत्पन्नकी अपेक्षा मात्र हेतुके प्रयोगको भी मान्य किया है। पर साथ ही वे यह भी बतलाते हैं कि बहुलतासे एकमात्र हेतुका प्रयोग न होनेसे उसे सूत्रमें ग्रथित नहीं किया। हमरण रहे कि जैन न्यायमें उक्त दो अवयवोंका प्रयोग व्युत्पन्न प्रतिपादा की दृष्टिसे अभिहित है। किन्तु अव्युत्पन्न प्रतिपादोंकी अपेक्षासे तो दृष्टान्तादि अन्य अवयवोंका भी प्रयोग स्वीकृत है।^{१५} देवसूरि^{१६}, हेमचन्द्र^{१७} और यशोविजयने^{१८}

१. वादन्या० पृ० ६१। प्रमाणवा० १।१२८। न्यायवि० पृ० ९१।

२. प्रमाणवा० १।१२८। न्यायवि० पृ० ६१।

३. म० प० पृ० २२०।

४. मा० म० पृ० ६४।

५. न्यायरत्ना० पृ० ३६१ (मी० क्लोक अनु० परि० क्लोक ५३)।

६. न्यायाव० ११-१२।

७. न्या० वि० का० ३८१।

८. पञ्चपरो० पृ० ६।

९. परीक्षाद्व० ३।३७।

१०. म० न० त० ३।२८, २९।

११. म० मी० २।१।

१२. न्याय० दी० पृ० ७६।

१३. जैनत० पृ० १६।

१४. म० न० त० ३।२३, पृ० ५४८।

१५. परो० मु० ३।४६। म० न० त० ३।४८। म० मी० ३।१।१०।

१६. म० न० त० ३।४८, पृ० ५६५।

१७. म० मी० २।१।१०, पृ० ५२। १८. जैनत० मा० पृ० १६।

भद्रबाहुकथित पक्षादि पौर्व शुद्धियोंके भी वाक्यमें समावेशका कथन किया और भद्रबाहुके दक्षावयवोंका समर्थन किया है।

अनुमान-दोष :

अनुमान-निरूपणके सन्दर्भमें भारतीय तात्किकोने अनुमानके सम्भव दोषोंपर भी विचार किया है। यह विचार इसलिए आवश्यक रहा है कि उससे यह ज्ञानान्वय है कि प्रयुक्त अनुमान सदोष है या निर्दोष ? क्योंकि जब तक किसी ज्ञानके प्रामाण्य या अप्रामाण्यका निश्चय नहीं होता तब तक वह ज्ञान अभिप्रेत अर्थकी सिद्धि या असिद्धि नहीं कर सकता। इसीसे यह कहा गया है^१ कि प्रमाणसे अर्थ-संसिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे नहीं। और यह प्रकट है कि प्रामाण्यका कारण गुण है और अप्रामाण्यका कारण दोष। अतएव अनुमानप्रामाण्यके हेतु उसकी निर्दोषताका पता लगाना बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि तर्क-प्रथमें प्रमाण-निरूपणके परिप्रेक्ष्यमें प्रमाणाभास-निरूपण भी पाया जाता है। न्यायसूत्रमें^२ प्रमाणपरीक्षा प्रकरणमें अनुमानकी परीक्षा करते हुए उसमें दोषाशंका और उसका निरास किया गया है। वात्स्यायनने^३ अनुमान (अनुमानाभास) को अनुमान समझनेकी चर्चा द्वारा स्पष्ट बतलाया है कि दूषितानुमान भी सम्भव है।

अब देखना है कि अनुमानमें क्या दोष हो सकते हैं और वे कितने प्रकारके सम्भव हैं ? स्पष्ट है कि अनुमानका गठन मुख्यतया दो अङ्गों पर निर्भर है—१ साधन और २ साध्य (पक्ष)। अतएव दोष भी साधनगत और साध्यगत दो ही प्रकारके हो सकते हैं और उन्हें क्रमशः साधनाभास तथा साध्याभास (पक्षाभास) नाम दिया जा सकता है। साधन अनुमान-प्राप्तादका वह प्रधान एवं महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसपर उसका भव्य भवन निर्मित होता है। यदि प्रधान स्तम्भ निर्बल हो तो प्राप्ताद किसी भी क्षण क्षतिग्रस्त एवं चराशायी हो सकता है। सम्भवतः इसीसे गौहमने^४ साध्यगत दोषोंका विचार न कर भाव साधनगत दोषोंका विचार किया और उन्हें अवयवोंकी तरह सोलह पदावयोंके अन्तर्गत स्वतन्त्र पदावयका स्थान प्रदान

१. प्रमाणादव्यसंसिद्धिस्तद्वापासाद्विपर्ययः ।
—माणिक्यनन्दि परी० मु० मंगलश्छो० १ ।
२. न्यायसू० २।१।३६, ६९ ।
३. न्यायमा० २।१।३९ ।
४. न्यायसू० १।२।४९ ।

किया है। इससे गौतमकी दृष्टियें उनकी अनुभावमें प्रमुख प्रतिबन्धकता प्रकट होती है। उन्होंने^१ उम साधनगत दोषोंको, जिन्हें हेत्वाभासके नामसे उल्लिखित किया गया है, पौच बतलाया है। वे हैं—१. सम्बिचार, २. विकद, ३. प्रकरणसम, ४. साध्यसमय और ५. कालातीत। हेत्वाभासोंकी पौच संख्या सम्भवतः हेतुके पौच रूपोंके बाबापर आधारित जान पड़ती है। यद्यपि हेतुके पौच रूपोंका निर्देश न्यायसूत्रमें उपलब्ध नहीं है। पर उसके व्याख्याकार उद्घोतकर प्रमृति ने उनका उल्लेख किया है। उद्घोतकरने^२ हेतुका प्रयोजक समस्तरूपसम्पत्तिको और हेत्वाभासका प्रयोजक असमस्तरूपसम्पत्तिको बतला कर उन रूपोंका संकेत किया है। वाचस्पतिने^३ उनकी स्पष्ट परिणामा भी कर दी है। वे पौच रूप हैं— पक्षाधर्मत्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षासत्त्व, अवाचितविषयत्व और अस्तप्रनिपक्षत्व। इनके अभावसे हेत्वाभास पौच ही सम्भव है। जयन्तभट्टने^४ तो स्पष्ट लिखा है कि एक-एक रूपके अभावमें पौच हेत्वाभास होते हैं। न्यायसूत्रकारने एक-एक पृष्ठ सूत्र द्वारा उनका निरूपण किया है। वात्स्यायनने^५ हेत्वाभासका स्वरूप देते हुए लिखा है कि जो हेतुलक्षण (पंचरूप) रहित हैं परन्तु कलिपय रूपोंके रहनेके कारण हेतु-सादृश्यसे हेतुकी तरह आभासित होते हैं उन्हें अहेतु अर्थात् हेत्वाभास कहा गया है। सर्वदेवने^६ भी हेत्वाभासका यही लक्षण विद्या है।

कणादने^७ अप्रसिद्ध, विशद और सन्दिग्ध ये तीन हेत्वाभास प्रतिपादित किये हैं। उनके भाष्यकार प्रशस्तपादने^८ उनका समर्थन किया है। विशेष यह कि उन्होंने^९ काशयपको दो कारिकाएँ उद्भूत करके पहली द्वारा हेतुको त्रिरूप और दूसरी द्वारा उन तीन रूपोंके अभावसे निष्पत्त होने वाले उक्त विशद, असिद्ध और

१. सम्बिचारविशदप्रकरणसमताव्यवस्थातोत्ता हेत्वाभासाः ।

—न्यायसू० १२१४ ।

२. समस्तलक्षणोपतिरसमस्तलक्षणोपतिरूच ।

—न्यायवा० १२१४, पृष्ठ १६४ ।

३. न्यायवा० ता० दो० १२१४, पृष्ठ १६० ।

४. हेतोः पञ्चलक्षणानि पक्षाधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेषामेकैकापाये पौच हेत्वाभासा भवन्ति असिद्ध-विशद-अनेकान्तिक-कालात्यवापदिष्ट-प्रकरणसमाः ।

—न्यायकठिका पृ० १४ । न्यायम० पृ० १०१ ।

५. हेतुलक्षणाभावादहेतुनो हेतुसामान्याद्युवदाभासमानाः ।

—न्यायवा० १२१४ को उत्तरानिका, पृ० ६३ ।

६. प्रमाणम० पृष्ठ ९ ।

७. वै० स० ३।११५ ।

८. मृश० मा० प० १००-१०१ ।

९. मृश० मा० प० १०० ।

संक्षिप्त तीन हेत्वाभासोंको बताया है। प्रशस्तपादका^१ एक वैशिष्ट्य और उल्लेख है। उन्होंने निर्दर्शनके निकटगत-अन्तर्गतमें बारह निर्दर्शनाभासोंका भी प्रतिपादन किया है, जबकि न्यायसूच और न्यायभाष्यमें उनका कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। पीछे प्रतिकाभासों (पक्षाभासों)का भी कथन प्रशस्तपादने^२ किया है, जो विकल्प नया है। सम्भव है न्यायसूचमें हेत्वाभासोंके अन्तर्गत विस कालांतीव (आवितविषय—कालात्यपापदिव)का निर्देश है उसके द्वारा इन प्रतिकाभासोंका संघ ह्यानसूत्रकारको अमोह हो। सबंदेशने^३ उह हेत्वाभास बताये हैं।

उपायवृद्धयमें^४ आठ हेत्वाभासोंका निरूपण है। इनमें चार (कालांतीत, प्रकरणसम, सम्बन्धिताव और विकल्प) हेत्वाभास न्यायसूच जैसे ही हैं तथा छोड़ चार (वाक्षल, सामान्यक्षल, संशयसम और वर्ष्यसम) नये हैं। इनके अतिरिक्त इसमें अन्य दोषोंका प्रतिपादन नहीं है। पर न्यायप्रवेशमें^५ पक्षाभास, हेत्वाभास और दृष्टान्ताभास इन तीन प्रकारके अनुमान-दोषोंका कथन है। पक्षाभासके नी^६, हेत्वाभासके^७ तीन और दृष्टान्ताभासके^८ दस भेदोंका सोदाहरण निरूपण है। विशेष यह कि अर्णकान्तिक हेत्वाभासके छह भेदोंमें एक विशदाधिभिचारों^९ भी कथन उपलब्ध होता है, जो तार्किकों द्वारा अधिक चर्चित एवं समालोचित हुआ है। न्यायप्रवेशकारने^{१०} दश दृष्टान्ताभासोंके अन्तर्गत उभयासिद्ध दृष्टान्ताभासको द्विविध वर्णित किया है और जिससे प्रशस्तपाद जैसी ही उनके दृष्टान्ताभासोंको संख्या द्वादश हो जाती है। पर प्रशस्तपादोंके द्विविध आश्रयासिद्ध उन्हें अभीष्ट नहीं हैं।

कुमारिल^{११} और उनके व्याख्याकार पार्थसारथिने^{१२} मीमांसक दृष्टिसे उह प्रतिकाभासों, तीन हेत्वाभासों और दृष्टान्तदोषोंका प्रतिपादन किया है। प्रतिकाभासोंमें प्रत्यक्षविरोध, अनुमानविरोध और सब्दविरोध ये तीन प्रायः प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेशकारकी तरह ही हैं। हाँ, शब्दविरोधके प्रतिकातविरोध, लोक-

१. म० भा०, प० १२२, १२३।

२. वही, प० ११५।

३. ममाणम० प० १।

४. ड० ह० प० १४।

५. पक्षां पक्षहेतुदृष्टान्ताभासाना वचनानि साधनाभासम्।

—न्या० म० प० २० २-७।

६. ७. ८. वही, २,३-७।

९. वही, प० ४।

१०. न्यायम० प० ७।

११. मी० फलोक अनु० फलोक० ४८-४९, १०८।

१२. न्यायरत्ना० मी० फलोक० अनु० ५८-५९, १०८।

प्रतिरिदिविरोध और पूर्वसंबन्धविरोध के तीन भेद किये हैं। तर्था अवर्गपतिविरोध, उपमानविरोध और अमानविरोध ये तीन भेद सर्वथा नये हैं, जो उनके मतानुस्वर हैं। 'विशेष' यह कि इन विरोधोंको बर्च, अर्थ और उभयके सामान्य तथा विशेष स्वरूपत बतलाया गया है। विशेष हेत्वाभासोंके अवान्तर भेदोंका भी प्रदर्शन किया है और न्यायप्रवेशको भाँति कुमारिके^१ विश्वास्यभिवारी भी माना है।

सांख्यकार्यमें युक्तिवीचिका आदिमें तो अनुमानदोषोंका प्रतिवादन नहीं मिलता। किन्तु माठरने^२ असिद्धादि चउद्ध हेत्वाभासों तथा साध्यविकलादि वा साधर्म्य-वैषम्य निदर्शनाभासोंका निरूपण किया है। निदर्शनाभासोंका प्रतिवादन उन्होंने प्रशस्तपादके अनुसार किया है। अन्तर इतना ही है कि माठरने प्रशस्तपादके बारह निदर्शनाभासोंमें दशको स्वीकार किया है और आश्वासिद्ध नामक दो साधर्म्य-वैषम्य निदर्शनाभासोंको छोड़ दिया है। पक्षाभास भी उन्होंने नो निर्दिष्ट किये हैं।

जैत परम्पराके उपलब्ध न्यायप्रवेशमें सर्वप्रथम न्यायावतारमें अनुमान-दोषों-का स्पष्ट कथन प्राप्त होता है। इसमें पक्षादि तीनके वचनको परार्थानुमान कहकर उसके दोष भी तीन प्रकारके बतलाए हैं^३—१. पक्षाभास, २. हेत्वाभास और ३. दृष्टान्ताभास। पक्षाभासके सिद्ध और बाचित ये दो^४ भेद दिखाकर बाचितके प्रत्यक्षबाचित, अनुमानबाचित, लोकबाचित और स्ववचनबाचित—ये चार^५ भेद गिनाये हैं। असिद्ध, विश्व और अनैकान्तिक तीन^६ हेत्वाभासों तथा छह साधर्म्य और छह^७ वैषम्य कुल बारह दृष्टान्ताभासोंका भी कथन किया है। न्यायावृत्त है कि साध्यविकल, साधनविकल और उभयविकल ये तीन साधर्म्य-दृष्टान्ताभास तथा साध्याव्यावृत्त साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त ये तीन वैषम्य दृष्टान्ताभास तो प्रशस्तपादभाष्य और न्यायप्रवेश जैसे ही हैं किन्तु सन्दिग्धसाध्य, सन्दिग्ध-साधन और सन्दिग्धबोभय ये तीन साधर्म्यदृष्टान्ताभास तथा सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्ति, सन्दिग्धसाधनव्यावृत्ति और सन्दिग्धबोभयव्यावृत्ति ये तीन वैषम्यदृष्टान्ताभास न प्रशस्तपादभाष्यमें हैं^८ और न न्यायप्रवेशमें।^९ प्रशस्तपादभाष्यमें आश्वासिद्ध,

१. भी० इलो०, अनु० परि० इलोक ७०, तथा व्याख्या।

२. वही, अनु० परि० इलोक ९२ तथा व्याख्या।

३. माठरह० का० ५।

४. न्यायव० का० १३, २४-२५।

५-६. वही, का० २५।

७. वही, का० २२, २३।

८. ९. वही, का० २४, २५।

९. वही भा० ८० १२३।

१०. न्यायव० १० ५-७।

५१ : जैन तर्कास्त्रमें अनुमान-विचार

अनुगत और विपरीतानुगत ये तीन साधर्म्य तथा आधरसिद्ध, अर्थात् और विपरीतव्यावृत्त ये तीन वैषम्यनिदर्शनाभास हैं। और न्यायप्रवेशमें अनन्य तथा विपरीतान्य ये दो साधर्म्य और अव्यतिरेक तथा विपरीतव्यतिरेक ये दो वैषम्य दृष्टान्ताभास उपलब्ध हैं। पर ही, वर्मकोटि के न्यायबिन्दुमें^१ उनका प्रतिपादन मिलता है। वर्मकीटिने सन्दिग्धसाध्यादि उक्त तीन साधर्म्यदृष्टान्ताभासों और सन्दिग्धव्यतिरेकादि तोन वैषम्यदृष्टान्ताभासोंका स्पष्ट निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त वर्मकीटिने न्यायप्रवेशगत अनन्य, विपरीतान्य, अव्यतिरेक और विपरीतव्यतिरेक इन चार साधर्म्य-वैषम्य दृष्टान्ताभासोंको अपनाते हुए अप्रदशितान्य और अप्रदर्शितव्यतिरेक इन दो नये दृष्टान्ताभासोंको और सम्प्रलिप्त करके नव-नव साधर्म्य-वैषम्य दृष्टान्ताभास प्रतिपादित किये हैं।

अकलंकने^२ पक्षाभासके उक्त सिद्ध और बाधित दो भेदोंके अतिरिक्त अनिष्ट नामक तीसरा पक्षाभास भी बर्णित किया है। जब साध्य शक्य (अवाधित), अभिप्रेत (इह) और असिद्ध होता है तो उसके दोष भी बाधित, अनिष्ट और सिद्ध ये तीन बहुत जाएंगे। हेत्वाभासोंके सम्बन्धमें उनका मत है कि जैन न्यायमें हेतु न विकल्प है और न पौर्व-रूप, किन्तु एकमात्र अन्यथानुपपञ्चत्व (अविनाभाव) रूप है। अतः उसके अभावमें हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर। असिद्ध, विकल्प और अनैकान्तिक ये उसीका विस्तार है। दृष्टान्तके विषयमें उनको मान्यता है कि वह सर्वत्र आवश्यक नहीं है। जहाँ वह आवश्यक है वहाँ उसका और उसके साध्यविकलादि दोषोंका कथन किया जाना चाहिये है।

माणिक्यनान्द^३, देवसूरि, हेमचन्द्र^४ आदि जैन तात्किकोंने प्रायः सिद्धसेन और अकलकका ही अनुसरण किया है।

इस प्रकार भारतीय तर्कप्रबन्धोंमें अनुमानस्वरूप, अनुमानभेदों, अनुमानागों, अनुमानावयवों और अनुमानदोषोंपर पर्याप्त चेतन उपलब्ध है।

१. न्या० वि० त० परि० पृष्ठ १४-१०२।

२. न्यायविनिं० का० १७२, २७६, २८५, २८६, ३७०, ३८१।

३. परीक्षासु० ६। १२८३०।

४. ममाणन० ६। ३८-४२।

५. ममाणमो० १। ११४४, २। १। १६-२७।

चतुर्थ परिच्छेद

भारतीय अनुमान और पाश्चात्य तकनीशास्त्र

यही भारतीय अनुमानका पाश्चात्य तकनीशास्त्रके साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रकृत विषयके अनुरूप एवं उपयोगी होगा ।

विश्वमें घटित होनेवाली घटनाएँ प्रायः मिथित और अनेक स्थितियोंमें सम्भव होती हैं । इन अनेक स्थितियों या परिस्थितियों (Factors) में से कुछ अनावश्यक और कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ रहती हैं । अतएव जब तक व्यर्थ या अनावश्यक परिस्थितियोंका परिहार न किया जाय तब तक हम घटनाके वास्तविक कारणको अवगत नहीं कर सकते और न कार्यकारण-शूद्धलाकी निश्चित जानकारी हो प्राप्त की जा सकती है । मिल (Mill) ने भारतीय कार्य-कारणपरम्पराके अनुसार ही कौन एवं इफेक्ट्स (Cause and Effects) के अन्वेषणको पांच विधियों द्वारा प्रदर्शित किया है—

- (१) अन्वयविधि (Method of agreement).
- (२) अंतिरेकविधि (Method of Difference).
- (३) संयुक्त अन्वय-अंतिरेकविधि (Joint Method).
- (४) सहभागी वैक्षिक्यविधि (Method of Concomitant Variations).
- (५) अवशेषविधि (Method of residues)

इन विधियोंमें दो प्रकारकी प्रक्रियाएँ उपयोगमें लायी जाती हैं—भावात्मक और अभावात्मक ।

अन्वयविधि :

यदि किसी घटनाके दो-तीन घटाहरणोंमें एक ही समान्य घटक (Common circumstance) पाया जाय तो वह परिषट्क, जिसमें समस्त उदाहरणोंकी समानता व्याप्त है, उस घटनाका कार्य वा कारण मालूम होता है । इस विधिमें कारण मालूम होने पर कार्य और कार्य मालूम होने पर कारण ज्ञात किया जाता है । यह विधि ‘अब वज्र अमस्त्र तज्र वह्निः’ वाली भारतीय प्रक्रियाके प्रायः समान है । भारतीय अन्वय-विधियमें साधनके संदर्भमें साध्यका सम्भाव विद्यकांया जाता है और इस प्रक्रियामें कारणों द्वारा कार्योंका अवका

५४ : वैद संक्षात्कारमें अनुभाग-विचार

कार्यों द्वारा कारणोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मिल (Mill) ने निरीक्षण और प्रयोगात्मक दोनों ही विधियोंसे उदाहरणोंका संकलन कर कार्य-कारण-शृङ्खलाका विवेचन किया है।¹

संयुक्त-अन्वयव्यतिरेकविधि :

यदि जीज को बानेवाली घटनाओंके दो तोन उदाहरणोंमें कोई एक ही परिषटक सामान्य हो और ऐसे दो अन्य दो-तोन उदाहरणोंमें यह घटना या घटनाएं घटित न हुई हों, पूर्व सामान्य परिषटकके अभाव या अनुपस्थितिके अतिरिक्त कुछ भी सामान्य न हो तो इस प्रकारके उदाहरणोंमें व्यतिरेक (Differing) परिषटक कारण या कार्यके कारणका अवश्य अज्ञ होगा। इस विधिमें भावात्मक (Positive) और अभावात्मक (Negative) दोनों प्रकारकी घटनाएं उदाहरण के रूपमें प्रहृण की जा सकती हैं। भावात्मक उदाहरण अन्वयविधिके हैं और कारणकार्यकी स्थापना निवारित करते हैं। अभावात्मक उदाहरण अन्वयविधिके हैं, जो उक्त कारणकार्यकी स्थापनाको निश्चित रूप देते हैं। इस संयुक्त विधिको द्वयन्वयविधि भी कहा जाता है।²

इस संयुक्त अन्वय-अन्वयविधिकी तुलना हम भारतीय अन्वय-व्यतिरेक-व्याप्तिसे कर सकते हैं। प्रायः इस विधिमें वे ही परिणाम निकलते हैं जो परिणाम भारतीय अन्वय-अन्वयविधिक्वासिमें निकाले जाते हैं।

व्यतिरेकविधि :

अन्वय तथा अन्वय-अन्वयविधियोंमें कार्यकारणकी सम्भावना ही निर्धारित को जा सकती है, पर उसके 'निश्चयीकरण' या सत्यताके लिए अन्वयविधि की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दोंमें हम यो कह सकते हैं कि अन्वय तथा अन्वय-

1. If two or more instances of the phenomenon under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause (or effect) of the given phenomenon.

—System of Logic; By John Stuart Mill, Longmans green and Co. London, 1898, Page, 255.

2. If an instance in which the phenomenon under investigation occurs and an instance in which it does not occur, have every circumstance in common save one, that one occurring only in the former; the circumstance in which alone the two instances differ is the effect or the cause, or an indispensable part of the cause, of the phenomenon,

—वरी, पृष्ठ २५६।

व्यतिरेकविविधी निरीक्षणको ही समव्याख्ये जानेके कारण केवल कारणकार्यको सूचित कर सकतो है, पर प्रभावीकरणके लिए व्यतिरेकविविधी आवश्यकता है। यह प्रयोगविधि है। अतः प्रयोगात्मकपूर्णसे घटनाकोंका विश्लेषण कर कार्य-कारणसम्बन्धका परिचालन किया जाता है। इसी कारण इष्ट विधिको सर्वथेह विधि कहा जाया है।

इस विधिकी परिभाषामें बताया है—“यदि किसी एक भावात्मक उदाहरणमें एक परिषटक उपस्थित हो और फिर किसी एक अभावात्मक उदाहरणमें वह परिषटक न हो तथा इस एक परिषटकके अतिरिक्त दोनों उदाहरण सभी प्रकार से एक समान हों तो वह परिषटक, जिसमें भावात्मक और अभावात्मक उदाहरण मेद है, कार्य या कारण अथवा आवश्यक कारणाश होता है।” स्पष्टीकरणके लिए यों माना जा सकता है कि दो पात्र हैं, जो एक ही समान शीर्षसे निर्मित हैं, लेत्र और वजन भी दोनोंका समान है, दोनोंमें एक ही प्रकारकी विद्युतधंतिकाएं भी लगी हैं, पर दोनोंमें अन्तर इतना ही है कि प्रथम पात्रमें वायु है और द्वितीयमें नहीं। अब हम देखते हैं कि उक्त अन्तरका परिणाम यह है कि प्रथम पात्रमें घण्टिकाकी छवि सुनाई पड़ती है पर द्वितीयमें नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकालना सहज है कि वायु स्वद-संचारका विशेष कारणांश या आसन्न कारण है।

इस व्यतिरेकविविधीकी तुलना भारतीय बन्नुमालके अङ्ग व्यतिरेकव्याप्तिको जा सकती है। वास्तवमें व्यतिरेकव्याप्ति ही, जिसे जीन तार्किकोंने बन्नव्याप्तिया अन्यथानुपर्याप्ति कहा है और जिसपर ही सर्वाधिक भार दिया है, अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतिरूप है। मिल (Mill) ने अपने उक्त सिद्धान्तमें अविनाभाव सम्बन्धका ही विश्लेषण किया है।

सहचारी वैविध्यविधि :

कुछ ऐसे स्वायो कारण हीं जिनका अभावात्मक उदाहरण प्राप्त नहीं होता,

1. If two or more instances in which the phenomenon occurs have only one circumstance in common, while two or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of that circumstance, the circumstance in which alone the two sets of instances differ is the effect or the cause, or an indispensable part of the cause of the phenomenon.

—System of logic, Longmans green and co. 1898, page 259.

५६ : नीति संक्षेपालमें अनुमोदन-विचार

पर ये स्वाधी कारण चिन्ह-भिन्न परिभाषमें उपलब्ध होते हैं। अतः इसमें सह-चारी वैविध्यविधिका प्रयोग किया जाता है। मिल (Mill) ने इसको परिभाषा दर्शाते हुए लिखा है—“यदि किसी एक घटनामें परिवर्तन होनेसे दूसरी घटनामें विद्युत प्रकारसे परिवर्तन हो तो उम् घटनाओंमें कार्यकारणका सम्बन्ध होता है।” घटनाओंके अनुपाती क्रममें घटने-बढ़नेका प्रकार चार तरहका हो सकता है—

(१) दोनों कारण और कार्य एक-दूसरेके अनुपातसे बढ़े; यथा जितना गुड़ उतनी मिठास।

(२) दोनों कारण और कार्य एक-दूसरेके अनुपातसे घटें; यथा-गुड़के घटने-से मिठासका घटना।

(३) कारण तो बढ़े, पर कार्य घटें; यथा—जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे-वैसे बायुका दबाव कम होता जाता है।

(४) कारण घटे तो कार्य बढ़े; यथा—किसी कामको करनेके लिए मज़दूरोंकी संख्या जितनी घटती जाती है, कार्य करनेकी अवधि उतनी बढ़ती जाती है।

यों तो सहचारी वैविध्यविधि कहीं अन्वयव्याप्तिका रूप प्राह्ण करती है, तो कहीं व्यतिरेकव्याप्तिका। पर यह विधि शुद्ध अन्वयविधि या शुद्ध व्यतिरेकविधिसे भिन्न है; क्योंकि इसके परिणाम अविक स्वस्थ और निर्णयात्मक होते हैं।

अवशेष विधि (Method of residues)

इस विधिमें पूर्व ज्ञानकी विशेष आवश्यकता होती है। जब हमें एक मिथित घटनाके कारणका अवशेष करना होता है और बहुतसे कार्यफलके कारणांशोंको अवगत कर लेते हैं तो अवशेष कार्यफलके कारणको जाननेके लिए इस विधिकी आवश्यकता होती है। इसकी परिभाषमें बताया है—“यदि पूर्व आगमनके द्वारा यह निर्धारित हो कि किसी घटनाके कार्यफलका एक भाग कुछ पूर्ववर्ती परिघटकों-

1. Subduct from any phenomenon such part as is known by previous induction to be the effect of certain antecedents and the residue of the phenomenon is the effect of the remaining antecedents.

—System of Logic, by Mill, Longmans green and Co, 1898, page 260,

के द्वारा उत्पन्न होगा'।" उदाहरणार्थ यों समझा जा सकता है कि गाढ़ी और ऊख़का बजन तीस मन है और गाढ़ीका बजन दश मन है तो हम अवशेषविधि द्वारा ऊख़का बजन निकाल सकते हैं। अर्थात् तीस मन बजनमें से दश मन गाढ़ीका बजन निकाल देनेपर ऊख़का बजन बीस मन रह जायगा।

तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कारणसंयोग मालूम होने पर और एक ज्ञात कारणांशसे दूसरे ज्ञात कारणांशको अवगत कर लेना अवशेषविधिका कार्य है।

यह अवशेषविधि भारतीय अन्य-अ्यतिरेकविधिसे विशेष भिन्न नहीं है। जिस घेणीके कार्यकारणभावको अन्य-अ्यतिरेकविधि द्वारा अवगत किया जाता है प्रायः उसी घेणीके कार्यकारपाभावको उक्त अवशेषविधि द्वारा ज्ञात किया जाता है।

अतएव भारतीय अनुमानप्रणाली और पाइकात्य तर्कप्रणाली कार्यकारण-सम्बन्धकी दृष्टिसे समान हैं। पर यह स्मरणीय है कि भारतीय अनुमान पाइकात्य तर्ककी अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें ऐसे सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं, जिनका प्रह्लण पाइकात्य तर्कशास्त्रमें न तो तादात्मसम्बन्ध द्वारा होता है और न कार्य-कारणसम्बन्ध द्वारा ही। यथा—'एक मुहूर्त बाद शक्टका उदय होगा, क्योंकि कृतिकाका उदय है' में उक्त दोनों प्रकारके सम्बन्धोंमें से कोई भी सम्बन्ध नहीं है किर भी यह अनुमान समीचीन है; क्योंकि इसमें हेतुका साध्यके साथ अन्यबानुप-प्रत्यत्व (अविनाभाव) विद्यमान है। अतएव भारतीय अनुमानका क्षेत्र पाइकात्य तर्ककी अपेक्षा अधिक है। अतः अनुमानमें तो पाइकात्य तर्कका अन्तभाव सम्भव है पर पाइकात्य तर्कमें अनुमानका नहीं।



1. whatever phenomenon varies in any manner whenever another phenomenon varies in some particular manner, is either cause or an effect of what phenomenon, or is connected with it through some fact of causation.

—System of Logic, by mill, Longmans, green and Co.
1898, 263.

अध्याय : १ :

प्रथम परिच्छेद

जैन प्रमाणवाद और उसमें अनुमान का स्थान

अनुमानका विस्तृत विचार करनेसे पूर्व यह आवश्यक है कि प्रमाणके प्रयोग, स्वरूप, भेद एवं परोक्ष-प्रमाणपर भी विमर्श किया जाय, क्योंकि प्रमाणकी चर्चाके बिना अनुमानके स्वरूप आदिका स्पष्टोकरण सम्भव नहीं है। अतएव यहाँ प्रथमतः प्रमाणपर विचार किया जाता है।

(क) तत्त्व :

तत्त्व, अर्थ, वस्तु और सत् ये चारों शब्द पर्याप्तिवाची हैं। जो अस्तित्व स्वभाववाला है वह सत् है तथा तत्त्व, अर्थ और वस्तु ये सीनों अस्तित्व स्वभावसे बाहर नहीं हैं। इसलिए सत्का जो अर्थ है वही तत्त्व, अर्थ और वस्तुका है और जो अर्थ इन तीनोंका है वही सत्का है। निष्कर्ष यह कि ये चारों शब्द एकार्थक हैं। तत्त्व दो समूहोंमें विभक्त है—१. उपायतत्त्व और २. उपेयतत्त्व। उपायतत्त्व दो प्रकारका है—१. शापक और २. कारक। शापक भी दो तरहका है—१. प्रमाण और २. प्रमाणाभास।

प्रमाण और प्रमाणाभासमें यह अन्तर है कि प्रमाण द्वारा यथार्थ जानकारी

१. 'उपायतत्त्व शापक कारक चेति द्विविभृत्। तत्र शापक यकाशस्तुपायतत्त्वं द्वारा कारकं तु प्राप्ततत्त्वस्तुपायतत्त्वादित्।'

—ब्रह्मसंख्या ३० २५६।

होती है, पर प्रमाणाभाससे नहीं। यही कारण है कि जब प्रमाणका विचार किया जाता है तो प्रमाणाभासकी भी भीमांसा की जाती है।^१

कारकतत्त्व वह है जो कार्यकी उत्पत्तिमें आपृत होता है। अर्थात् कार्यके उत्पादक कारणोंका नाम कारक है। प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिदो कारणोंसे होती है—१. उपादान और २. निमित्त (सहकारी)। उपादान वह है जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त वह है जो उसमें सहायक होता है। उदाहरणार्थ घड़ेकी उत्पत्तिमें मृत्युण्ड उपादान है और दण्ड, बक, चौबर, कृम्भकार प्रभूति निमित्त हैं। न्यायदर्शनमें इन दो कारणोंके अतिरिक्त एक तीसरा कारण भी स्वीकृत है। वह है असमवायि। पर समवायिकारणगतरूपादि और संयोगरूप होनेसे उसे अन्य सभी दर्शनोंने उक्त दोनों कारणोंसे भिन्न नहीं माना।

उपेयतत्त्वके भी दो भेद हैं—१. ज्ञाप्य (ज्ञेय) और २. कार्य। जो ज्ञानका विषय होता है उसे ज्ञाप्य कहा जाता है और जो कारणों द्वारा विष्णात्व या निष्पत्त है उसे कार्य :

(स) प्रमाणका प्रयोजन :

प्रस्तुतमें हमारा प्रयोजन ज्ञाप्यक-उपेयतत्त्व-प्रमाणसे है।

जहाँ तक प्रमाणके विचारका प्रश्न है, इस उद्देश्यको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि विश्वके प्राणियोंकी, चाहे वे पशु-पक्षी हों, कीड़े-मकोड़े हों या मनुष्य, इष्टानिष्ट वस्तुओंके ज्ञानके लिए उसी प्रकार प्रवृत्ति (जिज्ञासा) पायी जाती है जिस प्रकार ज्ञानेमें और भोगनेकी वस्तुओंको प्राप्त करनेकी। इससे स्पष्ट है कि प्राणियोंमें ज्ञानेकी प्रवृत्ति (जिज्ञासा) स्वाभाविक है। मनुष्य इतर प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक गुद्धिमान और विचारशोल है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि उसे इष्टानिष्ट अथवा ज्ञातव्य वस्तुओंका ज्ञान अआन्त हो। प्रमाणकी जिज्ञासा मनुष्यमें सम्भवतः इसीसे जागृत हुई होगी। यही कारण है कि प्रमाणकी भीमांसा न केवल अध्यात्मप्रवचन भारतके मनीषियों द्वारा ही की गयी है, अपितु विश्वके सभी विचारकों एवं दार्शनिकोंने भी की है। आवार्य माणिक्य-नन्दि^२ प्रमाणका प्रयोजन बतलाते हुए स्पष्ट लिखते हैं कि प्रमाणसे पदार्थोंका

१. प्रमाणादर्थसंतिदिस्तुदाभासादिपर्वेषः ।

सति वद्ये तदोलंक्ष्य सिद्धमर्य लभीवसः ॥

—माणिक्यनन्दि, एरी० मु०, मर्तिषाम्भोक १ ।

२. वही, प्रतिषाम्भोक १ ।

१० : ये तर्कोंमें अनुसार-विचार

सम्भव ज्ञान और सम्भव प्राप्ति होती है, परं प्रमाणाभाससे नहीं। आचार्य 'विद्यानन्दने' भी इसी तथ्यको व्यक्त किया है।

(ग) अन्य तर्किकों द्वारा अभिवृत प्रमाणका स्वरूप :

'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रमाण वह है जिसके द्वारा वस्तु प्रमित हो, अर्थात् सही रूपमें जानी जाए। प्रश्न है कि सही जानकारी किसके द्वारा होती है? इस प्रश्नपर प्रायः सभी प्रमाणशास्त्रियोंने विचार किया है। कणादने^१ बतलाया है कि प्रमाण (विद्या) वह है जो निर्दोष ज्ञान है। गौतम के न्यायमूलमें प्रमाणका लक्षण उपलब्ध नहीं होता, परं उनके भाष्यकार वात्स्यायनने^२ अबहय 'प्रमाण' शब्दसे कलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण) को प्रमाण सूचित किया है। उद्योतकर^३, जयन्तभट्ट^४ आदि नैवायिकोंने वात्स्यायनके द्वारा सूचित उपलब्धि-साधनका प्रमाकरणको ही प्रमाणलक्षण स्वीकृत किया है।

यद्यपि उदयनने^५ यथार्थनुभवको प्रमा कहा है। परं वह उन्हें ईश्वर-प्रमाणका ही लक्षण अभिप्रेत है। जात होता है कि अनुभूतिको प्रमाण भावनेवाले मीमांसक प्रभाकरका यह उनपर प्रभाव है, क्योंकि उदयनके पूर्व न्यायपरम्परामें प्रमाणसामान्यके लक्षणमें 'अनुभव' पदका प्रबेश उपलब्ध नहीं होता। उनके पहचात् तो 'विद्वनाथ'^६, 'केशव मिश्र'^७, 'अन्तम्भट्ट'^८ प्रभृति नैवायिकोंने अनुभवघटित हो प्रमाणका लक्षण किया है।

१. प्रमाणा दृष्टसिद्धिरन्वयात्प्रमाणः ।

—विद्यानन्द प्र० १० पृ० ६३ ।

२. 'अदृष्ट विद्या' । —वैश० म० १२।१२ ।

३. न्यायमा० १।१३, १० १६ ।

४. न्यायवा० १।१३, १० ५ ।

५. प्रमीयते येन तत्प्रमाणामात् करणार्थाभिधिनः प्रमाणशब्दात् प्रमाकरणं प्रमाणम्-गम्यते ।

—न्यायम० पृ० २५ ।

६. यथार्थानुभवा मानमनपेक्षयतेष्यते ।

—उदयन, न्यायकुस्त० ४।५ ।

७. .. दुदिस्तु दिविशा मता । अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥

—विद्वनाथ, सिद्धान्तम० ३।० ५। ।

८. का तुतः प्रमा, वस्ता: करणं प्रमाणम् । उभयते—यथार्थानुभवः प्रमा ।

—केशवमिश्र, तर्कमा० १० १४ ।

९. अन्तम्भट्ट, तर्कम० पृ० ३२ ।

तैत्र प्रभाणशास्त्र और उसमें अनुभविता स्थान : ५१

मीमांसक-मनीषी कुमारिल भट्टने प्रभाणका सक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो अपूर्वार्थविषयक, निश्चित, वाचाओंसे रहित, निर्दोष कारणोंसे उत्पन्न और स्तोकसम्मत है वह प्रभाण है। इस प्रकार उन्होंने प्रभाणलक्षणमें पांच विशेषणोंका विवेश किया है। यथा—

तत्रापूर्वार्थविज्ञानं विशिष्टं वाचवजितम् ।
अदुष्कारणार्थं प्रभाणं स्तोकसम्मतम् ॥

पिछले सभी भाट मीमांसकोंने इसी लक्षणको मान्यता दी है। दूसरे दार्शनिकोंकी^३ आलोचनाका विषय भी यही लक्षण रहा है।

मीमांसकपरम्पराके दूसरे सम्प्रदायके प्रभाकरने^४ अनुभूतिको प्रभाण कहा है और शालिकानाथ आदिने उसका समर्थन किया है।

सांस्कृतदर्शनमें ईश्वरकृष्ण^५ आदि विदानों द्वारा एन्ड्रियवृत्तिको प्रभाण बतलाया गया है।

बौद्ध-दर्शनमें अङ्गातारार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रभाण माना गया है।^६ दिङ्नागने^७ विषयाकार अर्थनिश्चय और स्वर्णवितिको प्रभाणका फल कहकर उन्हे ही प्रभाण कहा है, क्योंकि इस दर्शनमें प्रभाण और फलको अभिन्न स्वीकार किया गया है।

१. यह छात्रक ग्रन्थकारोंने कुमारिलकर्तुंक माना है। परं वह उनके बर्तमान मीमांसा-स्तोकवातिकमें उपलब्ध नहीं है। हो सकता है वह मर्तार्णापिकारों द्वारा छूट गया हो या उनके किसी अन्य ग्रन्थकार हो, जो आज अनुपलब्ध है। —सै०।

२. विशालन्द, त० स्तोक० १।१०।७^१।

३. अनुभूतिश्च नः प्रभाणम् ।

—प्रभाकर, बृहती १।१।५।

४. (क) स्पादिषु दंचालामालोचनमात्रमित्यते वृत्तिः ।

—सांस्कृता २६।

(ख) कुदिरहकारी मनः चतुः श्वेतानि चत्वारि तु गुणद् रूपं पश्यन्ति, अर्थं स्थाणुः अर्थं पुरुषः इति “एवमेवा तु गुणवत्तु तु वस्त्रं वृत्तिः” क्रमशः इति ।

—माठर २०।४७।

(ग) एन्ड्रियप्रणालिकया अर्थसत्तिकर्त्तेण लिङ्गशालारिना वा आदी तु देः अर्थाकारा वृत्तिः जायते ।

—नैव्यम् ० मा० २०।४७। योगद० असामाय ५०।२७ एव दोगदा० २०।३०।

५. अङ्गातारार्थापकं प्रभाणस्मिति प्रभाणसमान्वयकाणम् । —प० स० का० १, प४।१।

६. स्वर्णवितिः पठ्ठ चाच तद्योगार्थनिश्चयः । विकाशाकार एवात्मं प्रभाणं तेन मीषते ॥
—वही, १।१०।

‘बर्मकीर्ति’ ने ‘अविसंवादि’ पद और जोड़कर दिक्षनाम के प्रमाणलक्षण को प्राप्ति परिष्कृत किया है। तस्वसंग्रहकार शान्तरतिक्रियाने से साहृष्ट्य—तुदाकारता और बोधवत्ता को प्रमाणका लक्षण बतलाया है, जो एक प्रकारसे दिक्षनाम और बर्मकीर्ति के प्रमाण-सामान्यलक्षण का ही फलितार्थ है। इस तरह बौद्ध-बर्मनमें स्वसंबोधी अकारार्थज्ञापक अविसंवादि ज्ञानको प्रमाण स्वीकार किया है।

(च) जैन चिन्तकों द्वारा प्रमाणस्वरूप-विमर्शः

जैन परम्परामें प्रमाणका क्या लक्षण है? आरम्भमें उसका क्या रूप रहता है और उत्तरकालमें उसका किस तरह विकास होता? इत्यादि प्रश्नोंपर यही विचार प्रस्तुत है।

१. समन्तभाष्य और मिहसेन :

सर्वप्रथम स्वामी समंतभद्रने प्रमाणका लक्षण निबट्ठ किया है, जो इस प्रकार है—

³ स्वपरगवमासकं यथा प्रमाणं सुवि बुद्धिलक्षणम् ।

जो ज्ञान अपना और परका अवभास कराये वह प्रमाण है। जो केवल अपना या केवल परका अवभास कराता है वह ज्ञान प्रमाणकोटि में सम्मिलित वही है। प्रमाणकोटि में वही ज्ञान समाविष्ट हो सकता है जो अपनेको जानने के साथ परको और परको जानने के साथ अपनेको भी अवभासित करता है। और उसी उसमें सम्पर्णता आती है।

सिद्धसेनने समन्तभद्रके एक लक्षणको अपनाने हुए उसमें एक विशेषण और दिया है। वह है 'वादविवर्जितम्' ।

यद्यपि 'स्वरूपस्य स्वतो गते', 'स्वरूपाभिगतेः परम्' आदि प्रतिपादनों द्वारा विज्ञानाद्वैतवादी बोल प्रमाणको स्वसंबोधी स्वोकार करते हैं तथा 'अज्ञातायां-

१. प्रमाणर्थितवाद शान्त, अर्थकथालिखितः ।
अविस्वादन, ॥
 - धर्मकीति प्रमाणवा० २-१, पृष्ठ २९।
 २. विषयाभिगतिक्षाप्र प्रमाणफलमिथ्यते । स्वविलिङ्गं प्रमाणं तु साक्ष्यं योग्यतापि वा ।
—शान्तरक्षित, तस्यस० का० १३४४।
 ३. स्वय० स्तो० का० ६६।
 ४. प्रमाणं स्वपरामासि शान्तं वापविलिङ्गम् ।
—न्यायाव०, का० ५।
 ५. धर्मकीति, प्रमाणवा० २१४।
 ६. वही, २१५।

‘शापक प्रमाणम्’ , ‘अज्ञाताध्यप्रकाशो वा^३’ , ‘प्रमाणमविसंबादि ज्ञानमध्यक्षिया-स्थितिः^४’ आदि कथनों द्वारा सौत्रान्तिक (बहिरर्थाद्वितवादी) बौद्ध उसे केवल परसंबोधी मानते हैं । पर किसी भी तांकिकने प्रमाणको स्व और पर दोनोंका एक साथ प्रकाशक नहीं माना । जैन तांकिकोंने ही प्रमाणको स्व और पर दोनोंका एक साथ शापक स्वीकार किया है । उनका मन्तव्य है कि ज्ञान चमत्कारा हीरा अथवा ज्योतिष्पुरुष दीपक है जो अपनेको प्रकाशित करता हुआ उसी कालमें योग्य वाह्य पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है । और यह स्वपराप्रकाशक यथार्थ ज्ञान ही प्रमाण है । प्रमाणकी व्युत्पत्ति द्वारा हम देख चुके हैं कि ‘प्रभीयतेऽनेन प्रमाणम्’—जिसके द्वारा प्रमाण—ज्ञानाननिवृत्ति हो वह प्रमाण है । नैयायिक यह प्रमा सञ्चिकर्ण-से मानते हैं । अतः उनके अनुसार सञ्चिकर्ण प्रमाण है । वैदेविकोंका भी यही मत है । साथ्य इन्द्रियवृत्तिसे; भौमासक इन्द्रियसे, बौद्ध सारूप्य एवं योग्यतासे प्रभिति स्वीकार करते हैं, अतः उनके यही क्रमशः इन्द्रियवृत्ति, इन्द्रिय और सारूप्य एवं योग्यताको प्रमाण माना गया है । समस्तभद्रने स्वपरावभासक ज्ञानको प्रमाण प्रतिपादन करके उन्हें मतोंको अस्वीकार किया है ।

पूर्वपाद :

पूर्वपादने^५ समस्तभद्रका अनुसरण तो किया ही । साथमें सञ्चिकर्ण और इन्द्रियप्रमाण सम्बन्धी मान्यताओंकी समीक्षा भी प्रस्तुत की है । उनका कहना है कि सञ्चिकर्ण या इन्द्रियको प्रमाण माननेपर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थोंके साथ इन्द्रियोंका सञ्चिकर्ण सम्बन्ध न होनेसे उनका ज्ञान असम्बन्ध है । फलत् सर्वज्ञताका अभाव हो जाएगा । दूसरे, इन्द्रियाँ अल्प—केवल मात्र स्थूल, और वर्तमान एवं आसन्न विषयक हैं और ज्ञेय (सूक्ष्म, व्यवहितादिरूप) अपरिमित हैं । ऐसी स्थितिमें इन्द्रियोंसे समस्त ज्ञेयों (अतीत-अनागतों) का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । तीसरे, चक्षु और मन ये दोनों अप्राप्यकारी होनेके कारण सभी इन्द्रियोंका पदार्थोंके साथ सञ्चिकर्ण भी सम्बन्ध नहीं है । चक्षु स्पृष्टका प्रहण न करने और योग्य दूर स्थितका प्रहण करनेसे अप्राप्यकारी है ।^६ यदि चक्षु अप्रा-

१. विक्रनाग, प्र० समु० (स्वोपकाश०) १ ।

२. प्रमाणवाद० २१५ ।

३. चही, २११ ।

४. पूर्वपाद, सर्व० सिं० ११० ।

५. (क) अप्राप्यकारि चक्षुः स्पृष्टव्यवहात् । यदि अप्राप्यकारि स्वाद् त्वग्निन्द्रियवद् सूक्ष्मं वर्कने गृहीयात् न तु गृहीयात्पतो मनोवद्वप्राप्यकारीति ।

—त० सिं० ११९, शुष्ठ ११४ ।

(ख) अपराकृ, त० वा० ११६, प० ४७, ६८, ।

(ग) वा० महेन्द्रकुमार वैदेव, वैदेव धर्मेन शुष्ठ १७० ।

४५ : जैन संक्षेपमें अनुमान-विचार

प्राप्यकारी न हो—प्राप्यकारी हो तो उसे स्वर्यमें लगे अंजनको देख लेना चाहिए। इसरे, स्पर्शनादि इन्द्रियोंकी तरह वह सभीपवर्ती वृक्षकी शाखा और दूरवर्ती चन्द्रमाको एक साथ नहीं देख सकती। तो सरे, चम्भु बल्लक, कौच और स्फटिक आदिसे आच्छादित पदार्थोंको भी देख लेती है, जब कि प्राप्यकारी स्पर्शनादि इन्द्रियी उन्हें नहीं जान पातीं। चौथे, यह आवश्यक नहीं कि जो कारण हो वह पदार्थसे संयुक्त होकर ही अपना काम करे। चुम्बक दूरसे ही लोहेको लीच लेता है। पाँचवें, चम्भुको प्राप्यकारी माननेपर पदार्थमें दूर और निकटका व्यवहार नहीं हो सकता। इसी तरह संशय और विवर्य ज्ञान भी नहीं हो सकते। इन सब कारणोंसे जैन दर्शनमें चम्भुको अप्राप्यकारी माना गया है।

‘पूज्यापादने’ ज्ञानको प्रमाण माननेपर सञ्चिकर्य और इन्द्रियप्रमाणवादियों द्वारा उठायी गयी आपत्तिका भी परिहार किया है। आपत्तिकारका कहना है कि ज्ञान-को प्रमाण स्वीकार करनेपर फलका अभाव हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणका फल ‘अर्थज्ञान’ है और उसे प्रमाण मान लेनेपर उसका कोई फल कीप नहीं रहता। सञ्चिकर्य या इन्द्रियको प्रमाण स्वीकार करनेपर तो स्पष्टतया उसका ‘अर्थज्ञान’ फल बन जाता है? इस आपत्तिका परिहार करते हुए पूज्यपाद कहते हैं कि सञ्चिकर्य या इन्द्रियको प्रमाण माननेपर उसके फलको भी सञ्चिकर्यकी तरह दोमें रहनेवाला मानना पड़ेगा, फलतः घट, पट आदि अचेतन पदार्थोंमें भी ज्ञानके संदूकावक प्रसङ्ग आयेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञानका समवाय चेतन आत्मामें है, घटादि अचेतन पदार्थोंमें नहीं, क्योंकि आत्माको ज्ञानभाव न माननेसे अन्य अचेतनोंको तरह उसमें भी ज्ञानका समवाय सम्भव नहीं है और आत्माको ज्ञानभाव स्वीकार करनेपर सिद्धान्त-विरोध आता है।

ज्ञानको प्रमाण माननेपर फलके अभावका प्रसंग उपस्थित नहीं होता, क्योंकि पदार्थका ज्ञान होनेके उपरान्त प्रीति देखी जाती है।^१ यह प्रीति ही उसका फल है। अथवा उपेक्षा या अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका फल है। राग या द्वेषका न होना उपेक्षा है और अन्धकारतुल्य अज्ञानका दूर हो जाना अज्ञाननाश है।^२

१. स० सि० ११०, पृष्ठ ७७।

२. ननु चोवतं शाने प्रमाणे सति फलाभाव हति, नैष दोषः, अर्थात् विज्ञाने ग्रीतिशंशानात्।

श्वस्मावस्थात्मनः कर्ममलोमसस्य करणाल्मनादर्थनिष्ठये ग्रीतिशृण्यावते। सा फल-

मित्युच्यते। उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्। रागद्वेषकोरप्रणिधानमुपेक्षा। अन्धकार-

फलप्राप्ताननाशो या फलमित्युच्यते।

—चही, १-१०, पृष्ठ ७७, ६८।

३. (क) उपेक्षा फलमाप्तस्य शेषस्यादानहानवोः।

पूर्वा बाऽज्ञाननाशो वा सर्वेस्थात्य त्वचोचरे॥

—समन्तमद्व आसमी० का० १०३, ।

(च) अज्ञाननिवृत्तिः हालोपादानोपेक्षाऽप्य फलम्। —माणिक्यनन्द, परीक्षा० ५१।

स्मरणीय है कि बास्तवायन^१ और जयन्तभट्टने^२ भी ज्ञानको प्रमाण स्वीकार किया है तथा उसका फल हानि, उपादान और उपेक्षाबुद्धि बतलाया है। पर यह सत्य है कि न्यायदर्शनमें मुख्यतया उपलब्धिसाधनरूपमें सन्ति कर्य या कारक-साक्ष्यको ही प्रमाण माना गया है और ज्ञानको सभीने एक मतसे अस्वसंबोधी प्रतिपादन किया है।

अकलज्ञः :

अकलंकने समन्तभद्रोपज्ञ उक्त प्रमाणलक्षण और पूज्यपादकी प्रमाणभीमासा-को मान्य किया है। पर सिद्धसेन द्वारा प्रमाणलक्षणमें दिया गया 'वाचविवित' विशेषण उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उसके स्थानपर उन्होंने एक दूसरा ही विशेषण दिया है जो न्यायदर्शनके प्रत्यक्षलक्षणमें^३ निहित है, पर प्रमाणसामान्यलक्षण-वादियों और जैन तार्किकोंके लिए वह नया है। वह विशेषण है—‘व्यवसायात्मक’^४। अकलंकका मत है कि चाहे प्रत्यक्ष हो और चाहे अन्य प्रमाण। प्रमाण-मात्रको व्यवसायात्मक होना चाहिए। कोई भी ज्ञान हो वह निर्विकल्पक, कल्पनापोदया अव्यपदेश नहीं हो सकता। यह सम्भव ही नहीं कि अर्थका ज्ञान हो और विकल्प न उठे। ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है। इस प्रकार इस विशेषण द्वारा अकलंकने जहाँ बोद्धदर्शनके निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी^५ भीमासा की है वहाँ न्याय-दर्शनमें मान्य अव्यपदेश्य^६ (अविकल्पक) प्रत्यक्षज्ञानकी भी सभीका की है। अकलंकने समन्तभद्रके प्रमाणलक्षणमें 'स्व' और 'पर' पदके स्थानमें ज्ञानः 'आत्मा' और 'अर्थ' पदोंका समावेश किया है तथा 'अवभासक' पदकी जगह 'शाहक' पद रखा है। पर बास्तवमें अर्थकी दृष्टिसे इस परिवर्तनमें कोई अन्तर नहीं—मात्र शब्दोंका भेद है। अकलंकदेवने प्रमाणके अन्य लक्षण भी निष्ठ-भिन्न

१. यदा सन्ति कर्त्तव्य ज्ञान प्रमिति: यदा ज्ञान तदा हनोपादानोपेक्षाबुद्धयः फलम् ।

—न्यायभा० १।१।३ ।

२. प्रमाणताया सामग्र्यात्मकान् कल्पभित्ते ।

तस्म प्रमाणमात्रे तु फलं हनादिदुद्धयः ॥ —न्यायम् १४ ६२ ।

३. इन्द्रियाद्यसंक्षिकार्णोत्पर्ण ज्ञानमन्यपदेशवमन्वित्वारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ।

—आशपाद, न्यायद० १।१।४ ।

४. व्यष्टिपि स्थानान्गस्त्र (१८५) में 'व्यवसाय' पद आया है पर तक्तघन्योंके लिए वह नया ही था ।

५. प्राचीर्ण कल्पनापोदं नामज्ञात्मवर्त्तुतम् ।

—दिक्षनाग, म० ८० (म० परि०) का० ३ ।

६. यह हि द्वयी मत्यक्षमात्रिकल्पिका सविकल्पिका चेति ।

—आचरणि, न्यायभा० ८० ८० १।१।४, १४ १२५ ।

११ : जैन संक्षेपालक्रम अनुसार-विचार

'स्वलोपर' दिये हैं। इन कक्षणोंमें मूळ आचार सो आत्मार्थप्राहृकत्व एवं व्यष्टि-सायात्मकत्व ही है, पर उनमें वर्णके विशेषणहरपसे कहीं उन्होंने 'अनिष्टित', और कहीं 'अनिर्णीत' पदको दिया है। तथा कहीं ज्ञानके विशेषणहरपसे 'अविसंबोधि' ^३ पदको भी रखा है। ये पद कुमारिल तथा धर्मकीर्तिसे लिये गये हों तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनके प्रमाणलक्षणोंमें ये पद पहलेसे निहित है। ^४ 'अविसंबोधि' पद तो धर्मकीर्तिसे पूर्व जैन चिन्तक पूज्यपादने भी सर्वार्थ-सिद्धि (१-१२) में दिया है।

विद्यानन्द :

विद्यानन्दने यद्यपि संक्षेपमें 'सम्यक्कान'को^५ प्रमाण कहा है, जो आचार्य 'गृद्धपितृके' अनुसरणको व्यक्त करता है। पर पीछे उसे उन्होंने 'स्वार्थव्यवसायात्मक'^६ भी सिद्ध किया है। इस प्रकार उनके प्रमाणलक्षणमें अकलंककी तरह 'अनिष्टित' विशेषण प्राप्त नहीं है। फिर भी उन्हें सम्यक्कानको अनिष्टितार्थविषयक या अपूर्वार्थविषयक मानना अनिष्ट नहीं है। अकलंककी तरह उन्होंने भी स्मृत्यादप्रमाणोंमें अपूर्वार्थताका स्पष्टतया समर्थन किया है। ^७ वे उनकी प्रमाणता में अपूर्वार्थताको प्रयोजक बतलाते हैं। प्रमाणके सामान्यलक्षणमें जो उन्होंने 'अपूर्व-

१. २. प्रमाणमार्गसर्वाद शानम्, अनिष्टितार्थविगमलक्षणत्वात्।

—अष्टश० वा० मी० का० ३६, पृष्ठ २२। तथा देखिय 'अनिष्टित' और 'अनिष्टित' पदों^८ के लिये इसी ग्रन्थकी १००वीं का० की अ० शा०।

३. (क) तथापूर्वार्थविषयान्...।—कुमारिल।

(ख) प्रमाणमार्गसंबोधि शानम्...।—धर्मकीर्ति, प्र० वा० २।।

४. सम्यक्कान प्रमाणम्।

—प० १० पृष्ठ ५८।

५. त० स० १९, १०।

६. कि पुनः सम्यक्कानत्वः? अभिवैयते—स्वार्थव्यवसायात्मकं सम्यक्कान सम्यक्कानत्वात्।

—प० १० पृष्ठ ५८।

७. (क) 'सकलदेशकालभ्याससायसाधनसम्बद्धोहापोहलक्षणो हि ततः प्रमाणविव्यः, तस्य कर्त्तव्यिदपूर्वार्थत्वात्।'

—प० १० पृष्ठ ७०।

(ख) स्तूर्तिः प्रमाणान्तरमुक्तं...न चासावप्रमाणमेव संवादकत्वात्, कर्त्तव्यिदपूर्वार्थ-माहित्वात्।

—प० १० पृष्ठ ७०।

(ग) शृहीतप्रहणात्मकोऽप्रमाणमिति नेत्र वै। तस्यापूर्वार्थविदित्वात्पुरुषोगविशेषतः।।

—त० क्षेत्र० ११३।१२, पृष्ठ १६५।

वर्ण' का 'अपूर्वित' विशेषणका नहीं किया उसका इतना ही लापर्य है कि प्रत्यक्ष तो अपूर्वितशाही होता ही है और यनुमानादि भी प्रत्यक्षादिसे अनुहोत देखकालादिविषय्ट बस्तुको विषय करनेसे अपूर्वार्थ-प्राहक सिद्ध हो जाते हैं। विद्यानन्दने जिस अपूर्वार्थको समीक्षा की है वह कुमारिकका अभिप्रेत सर्वथा अपूर्वार्थ है, कथंचिद् अपूर्वार्थ नहीं। कथंचिद् अपूर्वार्थ तो उन्हें इह है।

माणिक्यनन्दिः

विद्यानन्दके परबर्ती माणिक्यनन्दिने^१ अकलंक तथा विद्यानन्द द्वारा स्वोकृत और समर्पित समन्तभद्रोक्त लक्षणको ही अपनाया है। उन्होंने समन्तभद्रका 'स्व' पद ज्यों-का-स्यों रहने दिया और 'अर्थ' तथा 'व्यवहारात्मक' पदोंको छेकर एवं अर्थके विशेषण रूपसे 'अपूर्व' पदको उसमें जोड़कर 'स्वापूर्वार्थःव्यवसायात्मक शानं प्रमाणम्' प्रमाणलक्षण सृजित किया है। यद्यपि 'अपूर्वार्थ' विशेषण कुमारिल के प्रमाणलक्षणमें हम देख सके हैं तथापि वह अकलंक और विद्यानन्द द्वारा 'कथं-चिद् अपूर्वार्थ' के रूपमें जैन परम्परामें भी प्रतिष्ठित हो चुका था। माणिक्यनन्द ने उसे ही अनुसृत किया है। माणिक्यनन्दिका यह प्रमाणलक्षण इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरबर्ती अनेक जैन तात्कालीने उसे ही कुछ आधिक परिवर्तनके साथ अपने तर्कग्रन्थोंमें मूर्खन्य स्थान दिया है।

देवसूरिः

देवसूरिने^२ अपना प्रमाणलक्षण प्रायः माणिक्यानन्दिके प्रमाणलक्षणके आधारपर लिखा है।

हेमचन्द्रः

हेमचन्द्रने^३ उक्त लक्षणोंसे भिन्न प्रमाणलक्षण अंकित किया है। इसमें उन्होंने 'स्व' पदका समावेश नहीं किया। उसका कारण अतलाते हुए वे कहते हैं^४ कि

१. त० कोक० ११०।७, ७८, ७६।

२. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक शानं प्रमाणम्।

—२० द्व०, १।१।

३. स्वपूर्वार्थव्यवसायात्मक शानं प्रमाणमिति।

—२० न० त० १।२।

४. सम्बोधेनिर्णयः प्रमाणम्।

—२० मी०, १।१।२।

५. स्वनिर्णयः सञ्चयलक्षणम्, अप्रमाणेऽपि प्रावाद।***। न हि काचित् शानमात्रा साक्षि वा न सहस्रिता नाम। उठो व स्वनिर्णयो छञ्चलमुक्तोऽस्यामिः, इदैतु परो-
शान्मुपलिपिः।

—२० मी०, १।१।३, १० ४।

६८ : जैन तांत्रिकान्वये अनुमान-विचार

'स्वपूर्व' होता अवश्य है किन्तु वह प्रमाण-अप्रमाण सभी ज्ञानोंका सामान्य वर्तम है। अतः उसे प्रमाण-लक्षणमें निविष्ट नहीं किया जा सकता। कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो स्वपूर्वेदी न हो। अतएव हमने उसे प्रमाणका लक्षण नहीं कहा। बृहदोनि जो उसे प्रमाणलक्षण माना है वह केवल परीक्षा अथवा स्वरूप प्रदर्शनके लिए ही। हेमचन्द्रने^१ प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व' पदको भी अनावश्यक बतलाया है। गृहीत्प्रमाण अर्थके प्राहुक ज्ञानकी तरह गृहीत अर्थके प्राहुत ज्ञानको भी प्रमाण माननेमें वे कोई बाधा नहीं देखते। यह व्याप देने योग्य है कि एवेताम्बर परम्पराके जैन तांत्रिकोंने प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व' विशेषण स्वीकार नहीं किया।

धर्मभूषण :

अभिनव धर्मभूषणने^२ विद्यानन्दकी तरह सम्पर्कज्ञानको ही प्रमाणका लक्षण प्रतिपादन किया है। पर उन्होंने उसका समर्थन एवं दोष-परिहार माणिक्यनन्दिके 'स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्' इस प्रमाणलक्षणके आलोकमें ही किया है। तथ्य यह है कि वे समन्वयभद्रके लक्षणको भी स्मरण रखते हैं।^३ इस तरह धर्मभूषणने प्रमाणके लक्षणको सविकल्पक, अग्रहीतप्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक लिङ्ग किया है तथा धर्मकीर्ति, प्रभाकर, भाष्ट और नेयायिकोंके प्रमाण-लक्षणोंकी समालोचना की है।^४

निष्ठकर्ष :

उपर्युक्त विवेचनसे हम इस निष्ठकर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन परम्परामें सम्पूर्ण ज्ञानको प्रमाण माना है और उसे स्वपरम्पर्यवसायात्मक बतलाया गया है। कुछ ग्रन्थकार उसमें 'अपूर्व' विशेषणका भी निवेदन करके उसे अग्रहीतप्राही प्रकट करते हैं। उनका मत है कि जितने भी प्रमाण हैं वे सब नये (अनिष्ठित एवं समारोपित) विषयको प्राहृण करके अपनी विशेषता स्थापित करते हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम ये वस्तुके उन अंशोंको प्राहृण करते हैं जो पूर्वज्ञानोंसे अग्रहीत रहते हैं। उदाहरणार्थ अनुभवके पदचात् होने वाली स्मृति भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालोंमें व्याप वस्तुके अतीत अंशको विषय करती है जब कि अनुभव वर्तमान वस्तुव्यष्टिको। स्मरण रहे कि अंशके साथ अंशी अनुस्यूत रहता है। यही प्रत्यभिज्ञा आदिकी स्थिति है। अतः ये

१. गृहीत्प्रमाणग्राहिण इव गृहीत्प्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम्।

—स० मी०, १।१।४, प० ४।

२. सम्पर्कज्ञान प्रमाणम्।

—स० दी० पृ० ४।

३. ज्ञानं तु स्वपरामाणसर्वं प्रवीपादिवस्त्रीत्।

—वही, पृ० १२, १।१।३।

४. वहा, पृ० १८-२२।

प्रमाणकार प्रमाणलक्षणमें 'अपूर्व', 'अनविगत', 'अनिविचित', 'अनिर्णति' और 'अज्ञात' जैसा विशेषण आवश्यक समझते हैं। इस शब्दीमें अकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यमन्ति, प्रमाणग्र और सर्वभूयण प्रभृति विद्वान हैं। पर कलिपय ग्रन्थ-लेखक उक्त पदको आवश्यक नहीं समझते। इनका मन्तव्य है कि प्रमाण गृहीत-शाही भी रहे तो उसका प्रामाण्य समाप्त नहीं होता।^१ यह विचार देवसूरि, हेमचन्द्र प्रभृति तांकिकोंका है। इतना तथ्य है कि प्रमाणको 'स्वार्थव्यवसायात्मक' समीने स्वीकार किया है।

(घ) प्रमाण-मेद :

उक्त प्रमाण कितने प्रकारका है और उसके भेदोंका सर्वप्रथम प्रतिपादन करनेवाली परम्परा क्या है? दार्शनिक प्रन्थोंका आलोड़न करनेपर ज्ञात होता है कि प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार भेदोंको पारगणना करनेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे भी पूर्व प्रमाणके अनेक भेदोंकी मान्यता रही है, क्योंकि उन्होंने ऐतिह्य, अर्थापति, सम्बद्ध और अभाव इन चारका स्पष्ट रूपमें उल्लेख करके उनको अतिरिक्त प्रमाणताकी समीक्षा की है तथा शब्दमें ऐतिह्यका और अनुमानमें शेष तीनका अन्तर्भाव प्रदर्शित किया है। प्रशास्तपादने प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंका ही समर्थन करते हुए उल्लिखित शब्द आदि प्रमाणोंका^२ इन्हीं दोमें समावेश किया है। तथा चेष्टा, निर्णय, आर्य (प्रातिभ) और सिद्धदर्शनको भी इन्हींके अन्तर्गत सिद्ध किया है।^३

प्रशास्तपादसे पूर्व कणादने प्रत्यक्ष और लैङ्गिकके अतिरिक्त अन्य प्रमाणोंकी कोई सम्भावना या गौतमकी तरह उनके समावेशादिकी चर्चा नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि प्रमाणके उक्त दो भेदोंकी मान्यता प्राचीन है। चारकिके "मात्र अनुमान-समीक्षण और केवल एक प्रत्यक्षके समर्थनसे भी यही अवगत होता है। जो हो, इतना तथ्य है कि प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोको वैशेषिकों^४ और

१. गृहीतप्राहिण इव गृहीतप्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम् ।

—प० मो०, १।१५, शृ० ४ ।

२. न चतुर्वदम्, ऐतिहार्यपतितसम्बद्धावभावप्रामाण्यात् । शब्द ऐतिहार्यान्तरभावादनुमानेऽपतितसम्बद्धावभावान्तरभावाच्चाप्रतिपेष्ठः ।

—न्या० स० २।२।१, २ ।

३. कष्टदीनमध्यनुमानेऽन्तमावः समाविविलात् ।....।

—प्रशा० भा० दृष्ट १०६-१११ ।

४. वही, दृष्ट १२७-१२९ ।

५. मात्रावाच्च, सर्वद० स० (चारकिकर्त्त्व), दृष्ट १ ।

६. तयोर्लिप्तिः प्रत्यक्षलैणिकाम्यात् ।

—कणाद, व० द० १०।१।

४० : जैन तत्त्वास्वरूपमें अनुमान-विचार

बीद्रोने^१; प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीनको सांख्योने^२; उपमाव सहित चारको नीयायिकोने^३ और अर्थापत्ति तथा अभाव सहित छह प्रमाणोंको जैविकीयों (मीमांसकों)ने^४ स्वीकार किया है। आगे चलकर जैमिनीय दो सम्प्रवादोंमें विभक्त हो गये—१ भाट्ट और २ प्राभाकर। भाट्टोने तो छहों प्रमाणोंको मान्य किया। पर प्राभाकरोंने अभावको छोड़ दिया तथा शेष पाँच प्रमाणोंको स्वीकार किया। इसीसे भाट्ट मीमांसक छह प्रमाणवादी और प्राभाकर पाँच प्रमाणवादीके रूपमें विश्वृत है। इस तरह विभिन्न दर्शनोंमें प्रमाणभेदको मान्यताएँ उपलब्ध होती हैं।^५

(क) जैन न्यायमें प्रमाणके भेदः

जैन न्यायमें प्रमाणके सम्बन्ध भेदोंपर विस्तृत झट्टापोह उपलब्ध है। इवेता-ब्दर परम्पराके भगवतीसूत्रमें^६ चार प्रमाणोंका उल्लेख है—१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान और ४ आगम। इसी प्रकार स्थानागसूत्रमें^७ प्रमाणशब्दके स्थानमें हेतु शब्दका प्रयोग करके उसके उपर्युक्त प्रत्यक्षादि चार भेदोंका निर्देश किया गया है। प्राचीन कालमें हेतुशब्द प्रमाणके अर्थमें भी प्रयुक्त होता था। चरकमें^८ हेतुशब्द-से प्रमाणोंका निर्देश हुआ है। इसके अतिरिक्त उपायदूदयमें^९ भी 'एक चत्वारों

१. प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हि द्विलक्षणम् ।

प्रमेयं तत्त्वयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत् ॥

—दिङ्गाम, प० स० (प० परिं०) का० २, प० ४ ।

२. हृष्मनुमानमासवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् ।

त्रिविध्य प्रमाणमिहं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणादिः ॥

—ईतिवरकृष्ण, सांख्यका० ४ ।

३. प्रत्यक्षानुमानोपमानकशब्दाः प्रमाणानि ।

—गौतम अक्षयाद, न्यायस० १।१।३ ।

४. शास्त्रभा० १।१।५ ।

५. जैमिनेः च॒ प्रमाणानि चत्वारि न्यायवादिनः ।

सांख्यस्य त्रीणि वाच्याभिं दे वैषेषिकत्रौदयोः ॥

—अनन्तवीर्यं, प्रमेयरत्न० २।२ के द्विष्ठामें उद्दृत पद, पृ१ ४३ ।

६. 'अहवा हेक चरब्जिहे पण्ठों, तं जहा—यच्चकहे अणुमाणे ओवन्मे आगमे ।'

—स्था० स० ३१८ ।

७. 'गोवणा—से किं त प्रमाण ? प्रमाणे चरविन्हि हे पण्ठाते—तं जहा पचवक्षे अणुमाणे ओवन्मे आगमे जहा अणुओगदारे तहा गोवन्वं प्रमाण ।

म० स० ५।३।१६।१६।१६।

८. चब हेतुराम चरकाच्चिकारणं तद् प्रत्यक्षमनुमानमैति॒हा॒मौप्रमिति ।

—चरक० चिकित्सान बा० ८, स० ३३ ।

९. उपायदूदय प० १४ ।

जीव प्रमाणवाद और वस्तुवैज्ञानिक स्थायें : १५

देखें।' कह कर प्रमाणोंकी हेतु कहा है। 'स्वातंगसूत्रमें' एक दूसरी बगह अब्द-साके तीन भेदों द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणोंका भी कथन किया है। सम्भव है सिद्धेन^३ और हरिभद्रके^४ तीन प्रमाणोंकी मान्यता-का आधार यही स्वानाम हो। और दलसुल मालवणियाका^५ मन्त्रव्य है कि उप-मुक्त चार प्रमाण नैयायिकादिसम्मत और तीन प्रमाण साक्षादिस्वीकृत परम्परा-मूलक हों तो आश्वर्य नहीं। इस प्रकार भगवतोत्तम और स्वानाममें चार और तीन प्रमाणोंका उल्लेख है, जो लोकानुसरणका सूचक है।

पर आगमोंमें मूलतः ज्ञान-मीमांसा ही प्रस्तुत है। 'षट्सण्डगममें' विस्तृत ज्ञान-मीमांसा दी गयी है। यहीं तीन प्रकारके मिथ्याज्ञानों और पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञानोंका निरूपण किया गया है तथा उन्हें वस्तुपरिच्छेदक बताया गया है। यद्यपि वहीं प्रमाण और प्रमाणाभास सब अवधा उस रूपमें विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता। पर एक वर्गके ज्ञानोंको सम्यक् और दूसरे वर्गके ज्ञानोंको मिथ्या प्रतिपादित करनेसे अवगत होता है कि जो ज्ञान सम्यक् कहे गये हैं वे सम्यक् परिच्छिति करानेसे प्रमाण तथा जिन्हें मिथ्या बताया गया हैं वे मिथ्या ज्ञान कराने से अप्रमाण (प्रमाणाभास) इष्ट हैं। हमारे इस कथनकी संपूर्ण धर्मार्थसूत्रकार-के निम्न प्रतिपादनसे भी होती है—

मतिश्रुतावचिमनःपर्याकेवलानि ज्ञानम् ।^६ तथ्यमाने ।^७

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल ये पाँच ज्ञान सम्यक्ज्ञान हैं और वे प्रमाण हैं।

आशय यह कि षट्सण्डगममें प्रमाण और प्रमाणाभासरूपसे ज्ञानोंका

१. 'तिविहे वक्षादपवक्षते—तं जहा पक्षक्षेषे पक्षवित्ते आकृमिष' ।

—स्था० स० १६५ ।

२. स्वातंग० का० ८ ।

३. अन० ज० द०० १०२ १४२, २१५ ।

४. ज्ञानसुग्राक जैनदर्शन १० १३६-१३८ ।

५. ज्ञानाणुवादेण अतिथि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभेद-ज्ञानों आभिजिदोहिय-ज्ञानी सुदण्णाणी ओहि-ज्ञानो मणपञ्च-ज्ञानो केवलण्णाणी चेदि। (ज्ञानको अपेक्षा माति-ज्ञान, शुल-ज्ञान, विमेग्ज्ञान, आभिजिदेभिक्षान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्य-वक्षन और केवलज्ञान ये आठ ज्ञान हैं। इनमें आदिके तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान और अन्तिम पाँच ज्ञान सम्यक्ज्ञान हैं।)

—शूद्रवली-पुस्तकन्त, षट्स० ११११५ ।

६. ७. गृहपिच्छ, त० स० १९, १० ।

५२ : जैन उत्तराधिकारी अमृतानन्द-विचार

विवेचन न होनेपर भी उस समझकी प्रतिपादनहीनीके^१ अनुसार औ उसमें पौच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान और तीन ज्ञानोंको मिथ्याज्ञान कहा गया है वह प्रमाण उत्तर प्रयाणाभास्त्रका अवबोधक है। राजप्रसन्नीय, बन्धीसूत्र और अगवतीसूत्रमें भी ज्ञान-भीमांसा पायी जाती है। इस प्रकार सम्यग्ज्ञान या प्रमाणके मति, श्रुत आदि पौच भेदोंकी परम्परा आगममें उपलब्ध होती है।

पर इतर दर्शनोंके लिए वह अज्ञात एवं अलौकिक जैसी रही, क्योंकि अन्य दर्शनोंके प्रमाण-निरूपणके साथ उसका मेल नहीं लाता। अतः ऐसे प्रयत्नकी आधारकृता थी कि आगमका सम्बन्ध भी हो जाए और अन्य दर्शनोंके प्रमाण-निरूपण-के साथ उसका मेल भी बैठ जाए। इस दिशामें सर्वप्रथम दार्शनिककपसे तत्त्वार्थसूत्रकारने समाधान प्रस्तुत किया।^२ उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रमें ज्ञानमीमासाको निबद्ध करते हुए स्पष्ट कहा^३ कि जो मति आदि पौच ज्ञानहृषि सम्यग्ज्ञान वर्णित है वह प्रमाण है और मूलमें वह दो भेदरूप है—१. प्रत्यक्ष और २. परोक्ष। अर्थात् आगममें जिन पौच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान कहा गया है वे प्रमाण हैं तथा उनमें मति और श्रुत ये दो ज्ञान परसापेक्ष होनेसे परोक्ष तथा अवश्य, मन पर्यय और केवल ये तीन परसापेक्ष न होने एवं आत्ममात्रकी अपेक्षासे होनेके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आचार्य गृह-पिछ्छकी यह प्रमाणदृश्योजना इतनी विचारयुक्त तथा कौशल्यपूर्ण हुई कि प्रमाणोंका आनन्द भी इन्हीं दोमें समाविष्ट हो जाता है। उन्होंने अतिसंक्षेपमें मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्ययमिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिवोष (अनुमान), को^४ भी प्रमाणान्तर होनेका संकेत करके और उन्हें मतिज्ञान कहकर 'आचे परोक्षम्' सूत्रद्वारा उनका परोक्ष प्रमाणमें समावेश किया, क्योंकि ये सभी ज्ञान परसापेक्ष हैं। वैशेषिकों और बौद्धोंने भी प्रमाणदृश्य स्वीकार किया है परं उनका प्रमाण-

१. वैशेषिकदर्शनके मततंक कथादने भी इसी शैलीसे तुदिके अविद्या और विद्या ये दो में बतलाकर अविद्याके संशय आदि चार तथा विद्याके प्रत्यक्षादि चार में फैले हैं तथा दूसित शान (मिथ्याज्ञान) की अविद्या और निवोष शान (सम्यग्ज्ञान)-की विद्याका उल्लङ्घण प्रतिपादन किया है।
—देखिय, वैष० स० १०२७, ८, १० से १५ तथा १०११॥६।

२. वद्यपि स्वानाम (२, पृ० ४६, ८) और मगवती (५, उ० ६, मात्र २, पृ० २११) में भी प्रत्यक्ष-परोक्षरूप प्रमाणहस्तका विभाग विद्यिष्ट है, परं ज्ञे १० सुखडालगी संघी निर्युक्तिकार भद्रचारुके बाइका मालते हैं जिनका समय विक्रमकी छठो शताब्दी है।
देखिय—प्रमाणमी० दि० पृ० २० ॥

३. 'मतिभूतावधिमनःपर्ययवैवल्लानि शानम्।' 'तत्त्वमात्रे, 'आचे परोक्षम्', प्रत्यक्षमन्वयत्।'
—शह० १९, १०, ११, १२।

४. वही, ११२।

इब प्रत्यक्ष और अनुभावस्थ है और अनुभावमें स्मृति, प्रत्यमित्रान् और तर्कका समावेश सम्भव नहीं है। अतः आ० गृद्धपिच्छोने उसे स्वीकार न कर प्रत्यक्ष और परोक्षस्थ प्रमाणदृश्यका व्यापक विभाग प्रतिष्ठित किया। उत्तरवर्ती जैन तार्किकों के लिए उनका यह विभाग आधार सिद्ध हुआ। प्रायः सभीने अपनी कृतियोंमें उसीके अनुसार ज्ञानमीमांसा और प्रमाणमीमांसा उपस्थित की है। गृद्धपादने^१ न्यायदर्शन आदि दर्शनोंमें पृथक् प्रमाणके स्थमें स्वीकृत उपमान, अर्थापति और आगम आदि प्रमाणोंको परसापेर होनेसे परोक्षमें अनुभाव किया और उत्तरवर्ती-सूत्रकारके प्रमाणदृश्यका समर्थन किया है। अकलंकने^२ भी इस प्रमाणदृश्यकी सम्मुहि की, साथ ही नये आलोकमें प्रत्यक्ष-परोक्षकी परिमाणाओं और उनके भेदोंका भी बहुत स्पष्टताके साथ प्रतिपादन किया है। परोक्षकी स्थृत संख्या हमें सर्वप्रबन्ध उनके प्रन्थोंमें ही उपलब्ध होती है^३ और प्रत्येकके लक्षण भी बहीं मिलते हैं। लगता है कि गृद्धपिच्छ और अकलंकने जो प्रमाण-निरूपणको दिखा प्रदर्शित की उसीपर उत्तरवर्ती जैन तार्किक चले हैं। विद्यानन्द^४, माणिक्यनन्द^५, हेमचन्द्र^६ और धर्मभूषण^७ प्रमृति तार्किकोंने उनका अनुगमन किया और उनके कथनको पहलवित किया है।

स्मरणीय है कि आ० गृद्धपिच्छके इस प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणदृश्य विभागसे कुछ भिन्न प्रमाणदृश्यका प्रतिपादन भी हमें जैन दर्शनमें उपलब्ध होता है। वह प्रतिपादन है स्वामी समन्तभद्रका। स्वामी समन्तभद्रने^८ प्रमाण (केवलज्ञान)का

१. अत उपमाणवादीनामत्रैवान्तर्भावः ।

—पूज्यपाद, स० सिं० १११ ।

२. प्रत्यक्ष विद्यर्थ शान्तं सुख्यसंव्यवहारतः ।

परोक्षं शेषविद्यानं प्रमाणे हति संश्रहः ॥

—अकलंक, छांचि० १११ ।

शानस्वैव विद्यादिनिमांसिनः प्रत्यक्षतम्, इतरस्य परोक्षता ।

—छांचि० स्तो० १० १११ ।

३. शानमाय यतिः संहा चिन्ता चामिनिवोचिकर् ।

प्राद् नामवोज्ञात् शोर्णं शुर्तं शष्टानुयोज्ञात् ॥

—छांचि० १११, तथा १११ ।

४. विद्यानन्द, प्र० ५०, पू० ६६ ।

५. माणिक्यनन्द, प० शु० १११, २ तथा १११, २ ।

६. प्र० मी० १११, १० तथा १११, २ ।

७. स्वा० दो० प्रस्तुत मकाल, १० २३ तथा परोक्षप्रकाश १० ५३ ।

८. तत्त्वानं प्रमार्थ ते त्रुप्रकाशनम् । क्यमादि च तत्त्वानं स्वाद्यानयसंलक्षणम् ॥

—समन्तभद्र, आ० मी० का० १०१ ।

स्वरूप युगपत्सर्वभासी तत्प्रशान बताकर ऐसे ज्ञानको कल्पनभाषी और कल्पकः अस्परिच्छेदी ज्ञानको कल्पनभाषी कहकर प्रमाणको दी भागोंमें विभक्त किया है। समन्वयद्वाके इन दो भेदोंमें जहाँ अक्लभावि मात्र केवल है और कल्पनभावि मति, श्रुति, अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान अभिमत हैं वहाँ गृहणपिच्छके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणभेदोंमें प्रत्यक्ष तो अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान हैं तथा परोक्ष मति और श्रुति में दो ज्ञान हैं हैं। प्रमाणभेदोंकी इन दोनों विचारधाराओंमें वस्तुमूल कोई बन्तर नहीं है। गृहणपिच्छका विकल्प वहाँ कल्प-कारणोंकी सापेक्षता और विरपेक्षतापर आधूत है वहाँ समन्वयद्वाका प्रतिपादन विवराधिगमके कल्प और अक्लमपर निर्मार है। पदार्थो—ज्ञेयोंका कल्पसे होनेवाला ज्ञान कल्पनभावि और युगपत् होने वाला अक्लभावि प्रमाण है। पर इस विभागकी अपेक्षा गृहणपिच्छका प्रमाणद्वय विभाग अधिक प्रसिद्ध और ताकिंकों द्वारा अनुसृत हुआ है।

(च) परोक्ष-प्रमाणका दिग्दर्शन :

प्रमाणके प्रथम भेद प्रत्यक्षके स्वरूप और उसके भेद-प्रभेदोंकी वहाँ चर्चा न कर प्रकृत अनुमानसे सम्बद्ध उसके दूसरे भेद परोक्षकी परिभाषा और उसके भेदों पर संक्षेपमें प्रकाश ढाला जाता है। पूज्यपादने परोक्षकी परिभाषा निम्न प्रकार प्रस्तुत की है—

पराणीन्द्रियाणि मनहृष्टं प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीक्ष्य तदावरण-कर्मक्षयोपशमापेक्षस्थात्मनो मतिश्रुतं तत्प्रशान्नं परोक्षनिमित्याक्यायते ।

'परोक्ष' पदमें स्थित 'पर' शब्दसे आत्मातिरिक्त इन्द्रियों, मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तोंका प्रहण विवक्षित है। उनकी सहायता तथा मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरणकर्मके अयोपशम (ईषद् अमाव)की अपेक्षासे आत्मामें जो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं वे परोक्ष कहे जाते हैं। तात्पर्य यह कि पराचीन ज्ञानोंको 'परोक्ष' कहते हैं। इस परिभाषाके अनुसार इन्द्रियजन्म और मनोजन्म ज्ञान, जिन्हें इतरदर्शनोंमें^१ इन्द्रियप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्ष कहा गया है, परोक्ष हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति और आगम ये ज्ञान भी परसापेक्ष^२ होनेसे परोक्षमें परिणित हैं। परसापेक्ष

१. स० सिं० १११, द० १०१ ।

२. कुलोऽस्य परोक्षत्वम् १ परावरत्वाद् । —वहो, १११, द० १०१ ।

३. तच्चतुर्विक्षम् । इन्द्रियज्ञानम् । स्वविवेकानन्वरविवेकसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समन्वय-प्रस्थयेन ज्ञानं तन्मलोपिष्ठानम् । —वर्षकोपिं, न्या० वि० श० परि० श० १३,१३ ।

४. संचिविवेकाव्याप्त्यं परोक्षस्य प्रत्यक्षानप्रत्यक्षानप्रत्यक्षानेनोपादिः ।

—सम्मूलम्, न्या० द० १० ५३ ।

होने वाले यदि और भी ज्ञान हों तो वे सब परोक्षान्तर्गत ही हैं। इस प्रकार परोक्षका क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है।

इसके मुख्यतया दोच भेद माने गये हैं—१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क ४ अनुमान और ५ आगम।

पूर्वानुभूत वस्तुके स्मरणको स्मृति कहते हैं।^१ यथा 'वह' इस प्रकार से उल्लिखित होने वाला ज्ञान। अनुभव तथा स्मरणपूर्वक होने वाला जोड़कृप ज्ञान प्रत्यभिज्ञा या प्रत्यभिज्ञान या संज्ञा है।^२ जैसे—'यह वही देवदत है' अथवा 'गौके समान गवय होता है' या 'गौसे भिज महिष होता है' आदि। उपमान प्रमाण इसीका एक भेद—सादृश्यप्रत्यभिज्ञान है। अन्य और व्युत्पत्तिरैक्यपूर्वक होने वाला व्यतिका ज्ञान तर्क है।^३ इसीको यह अथवा चिन्ता भी कहा गया है। इसका उदाहरण है—इसके होने पर ही यह होता है और नहीं होने पर नहीं हो होता। जैसे—अग्निके होने पर ही धूम होता है और अग्निके अभावमें धूम नहीं होता। निश्चित साध्याविनाभावी साधनसे होने वाला साध्यका ज्ञान अनुमान कहलाहा है।^४ यथा—धूमसे अग्निका ज्ञान करना। शब्द, संकेत आदि पूर्वक जो ज्ञान होता है वह आगम है। जैसे—'मेर आदिक है' शब्दोंको सुन कर सुनेरु पर्वत आदिका बोध होता है। ये सभी ज्ञान ज्ञानान्तरापेक्षा हैं।^५ स्मरणमें अनुभव; प्रत्यभिज्ञानमें अनुभव तथा स्मरण; तर्कमें अनुभव, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान; अनुमानमें लिङ्गदर्शन, व्याप्तिस्मरण और आगममें शब्द एवं संकेतादि अव्येक्षित हैं, उनके बिना उनकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है। अतएव ये और इस जातिके अन्य सापेक्ष ज्ञान परोक्ष प्रमाण माने गये हैं।^६ इस प्रकार अनुमानको जैनवर्णनमें परोक्ष प्रमाणका एक भेद स्वीकार किया है।



१. प्रत्यक्षादिनिमित्तं सृष्टिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम् ।

—माणिक्यनन्दि, १० मु० ३।२ ।

२. वही, १।३, ४ ।

३. वही, १।५, ६ ।

४. वही, १।७, ८, ९ ।

५. वही, १।१०, ११ ।

६. वही, १।१२, १३, १४ ।

७. अकलीक, छपीय० स्थ० १० का० १० ।

८. 'अर्थापतिरनुमानाद् प्रमाणान्तरं नवेति किञ्चिन्तया सर्वस्य परोक्षेऽनुमानावात् ।'

—अकलीक, छपीय० स्थ० १० का० २१ ।

द्वितीय परिच्छेद

अनुमान-समीक्षा

प्रमाणसामान्यके अनुचिन्तन और परोक्ष-मेदोंके विवरणके उपरान्त अब हम अनुमानके मूलरूप, उसकी आवश्यकता एवं महत्व, उसको परिभाषा और केव-विस्तारपर विचार प्रस्तुत करेंगे।

(क) अनुमानका मूलरूप : जैनागमके आलोकमें :

यह लिखा गया है कि आचार्य गृद्धपिच्छने आगममें वर्णित मति, श्रुत आदि पांच ज्ञानोंको दो बारोंमें विभक्त किया है—१. प्रत्यक्ष और २. परोक्ष । मति और श्रुत इन दोको उन्होंने परोक्ष तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल इन तीन ज्ञानोंको प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाया है। गृद्धपिच्छने यह भी कहा है^१ कि मति (अवग्रहादिरूप अनुभव)^२, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिवोष ये पांच ज्ञान इन्द्रियों तथा मनकी सहायतासे^३ उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञानके पर्याय हैं।

इनमें आचार्य चार ज्ञान तो अन्य दर्शनोंमें भी प्रसिद्ध हैं—मले हो उन्हें उन दर्शनोंमें प्रमाण या अप्रमाण माना गया हो।^४ परन्तु ‘अभिनिवोष’ संज्ञक ज्ञान उन दर्शनोंमें प्राप्त नहीं है तथा चारविकाके अतिरिक्त शोष सभी दर्शनोंमें स्थोक्तुत और सबसे अधिक प्रसिद्ध अनुमान उक्त मति आदि पांच ज्ञानोंके मध्यमें दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः विचारणीय है कि पुरातन जैन परम्परामें अनुमानको माना गया है या नहीं? यदि माना गया है तो आ० गृद्धपिच्छने तत्त्वार्थसूत्रमें स्मृति आदि ज्ञानोंका निरूपण करते समय उसका निर्देश क्यों नहीं किया? इन महत्व-पूर्ण प्रकल्पोंपर चिन्तन एवं अन्वेषण करनेके उपरान्त जो सत्य उपलब्ध हुए हैं उन्हें हम यहीं प्रस्तुत कर रहे हैं—

१. गृद्धपिच्छ, त० स० ११४।

२. अवग्रहादिरूपभारणः ।

—वही, ११५।

३. तदित्रिवाचनिनिद्रवनिमित्तम् ।

—वही, ११५।

४. शैदादि दर्शनोंमें अनुभवको तो श्वाय स्वीकार किया है, वर स्वत्वादिको अप्रमाण माना है।

(१) प्राचीन ऐसे परम्परामें अनुमान प्रमाणको स्वीकार किया गया है । तत्त्वार्थसूत्रमें यद्यपि 'अनुमान' शब्द उपलब्ध नहीं होता, पर उसका निर्देश 'अभिनिबोध' शब्दके द्वारा किया गया है । यह 'अभिनिबोध' ही अनुमानका प्राचीन मूल रूप है और उसे परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत परिगणित किया गया है ।

(२) 'अभिनिबोध' अनुमानका प्राचीन रूप है, इस कथनकी पुष्टि अकलंक, विद्यानन्द और श्रुतसागर प्रभृति व्याख्याकारोंकी व्याख्यानोंसे होती है । अकलंकने लघुविद्ययमें एक कारिकाकी व्याख्याके प्रसंगमें 'अभिनिबोध'का व्याख्यान 'अनुमान' किया गया है—

'अभिसंबादस्त्वते. कल्पस्य हेतुत्वात् प्रमाणं वारणा स्वृति. संज्ञायाः प्रत्यय-मर्शस्य । संज्ञा चिन्तायाः तत्स्य । चिन्ता अभिनिबोधस्य अनुमानादेःः ।'.....'

यहाँ अकलंकने अभिनिबोधका अर्थ 'अनुमान' दिया गया है ।

विद्यानन्द तत्त्वार्थशब्दकात्तिकमें अभिनिबोधशब्दकी अनुत्पत्ति द्वारा उसका अनुमान अर्थ फलित करते हैं और आगममें 'अभिनिबोध' शब्द मतिज्ञान-सामान्यके अर्थमें प्रयुक्त होनेसे उत्पन्न सिद्धान्त-विरोधका वे परिहार भी करते हैं । यथा—

तत्साध्याभिसुलो ओधो निषतः साधनेन वः ।

कुरोऽनिन्द्र्ययुक्तेनाभिनिबोधः स लक्षितः ॥^३

इस वातिककी व्याख्यामें उन्होंने लिखा है कि साध्यादिनाभावो साधनसे जो व्यष्टि, अभिप्रेत और असिद्धरूप साध्यका ज्ञान होता है वह अनुमान है । और यह अनुमान ही अभिनिबोधका लक्षण (स्वरूप) है, क्योंकि साध्यकोटिमें प्रविष्ट और नियमित अर्थके मनसहित साधन द्वारा होने वाले अभिबोध (ज्ञान) को अभिनिबोध कहा जाता है । यद्यपि आगममें^३ अभिनिबोध शब्द मतिज्ञानसामान्यके अर्थमें आया है, स्वार्थानुमानरूप मतिज्ञानविशेषके अर्थमें नहीं, तथापि प्रकरण-विशेष और शब्दान्तरके संनिधान आदिसे सामान्यशब्दकी प्रवृत्ति विशेषमें भी देखी जाती है । जैसे 'गो' शब्द व्यामा, हृष्ण आदि गोविशेषके अर्थमें प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है । तात्पर्य यह कि अभिनिबोध शब्द मतिज्ञानसामान्य-वाची होते हुए भी प्रकरणवश स्वार्थानुमानरूप मतिज्ञानविशेषका बोधक है ।

विद्यानन्द इसी प्रन्थमें आगे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

१. लघोग्रं स्तोऽहूऽकाऽ१० ।

२. द० लघोऽ११६।१२२, शृऽ१७, १९६ ।

३. एक्षा० १।१।१५, तता १।५-१।४ और ४।४।२। आदि ।

यः साध्याभिमुखो बोधः साध्यवेदाभिनिन्द्रियसहकारिणा विद्यमितः सोऽभिमि-
त्वोऽप्तः स्वार्थानुभावमिति ।

मन सहकृत साधन द्वारा जो साध्याभिमुख एवं नियमित बोध होता है वह
अभिनिवोष है और वह स्वार्थानुभाव है ।

यही विद्यानन्द द्वारा एक महत्वपूर्ण लंका-समाधान भी प्रस्तुत किया
गया है ।

शंकाकार शंका करता है कि इन्द्रिय और मन दोनोंसे होनेवाला नियमित
और स्वविषयाभिमुख बोध ही अभिनिवोष प्रसिद्ध है न कि केवल मन सहकृत
लिंगसे होनेवाला लिंगीका नियमित बोध । अन्यथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और
तर्क ये अभिनिवोष नहीं हो सकेंगे । ऐसी स्थितिमें अपरिहार्य सिद्धान्तविरोध
आता है ?

इसका समाधान उपस्थित करते हुए विद्यानन्द कहते हैं कि हम अभिनिवोष-
का यह व्याकृतान नहीं कर रहे कि लिंगजन्य ही बोध अभिनिवोष है, अपितु यह
कह रहे हैं कि शब्दयोजनासे रहित लिंगजन्य बोध अभिनिवोष हो है । इस प्रकार-
के कथनसे लिंगजन्य बोधको अलग प्रमाण नहीं मानना पड़ेगा और सिद्धान्तका
संघर्ष भी हो जाएगा । इन्द्रिय और मन दोनोंसे ही होने वाला स्वविषयाभिमुख
एवं नियमित बोध अभिनिवोष है, ऐसा सिद्धान्त नहीं है, अन्यथा स्मृति आदि
अभिनिवोष नहीं माने जा सकेंगे, क्योंकि वे मनसे ही उत्पन्न होते हैं ।^१ अतः मन-
से भी उत्पन्न होने वाला बोध अभिनिवोष सिद्धान्तसम्मत है ।

विद्यानन्दके इस विस्तृत एवं विशद विवेचनसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रमें मति-
ज्ञानके पर्यालामोंमें पठित अभिनिवोषसे स्वार्थानुभावका ग्रहण अभिप्रेत है ।
विद्यानन्द बलपूर्वक यह भी कहते हैं कि यदि लिंगज बोध—स्वार्थानुभावको अभि-
निवोष नहीं माना जाएगा तो उसका स्मृति, प्रत्यभिज्ञा और तर्कमें अन्तर्भुवि न
होनेसे उसे अलग प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा । अतः हमने लिंगज बोधको अभि-

१. इन्द्रियाभिनिन्द्रियाभ्यां नियमितः कृतः स्वविषयाभिमुखो दोषोऽभिनिवोषः प्रसिद्धो न पुनर-
निन्द्रियसहकारिणा लिंगेन लिंगिनियमितः केवल एव... ।

सत्यं स्वार्थानुभावं तु दिना पञ्चाष्टशोऽननात् ।

तन्मानान्तरतां मात्रादिति न्यास्यावते तथा ॥

न हि लिंगज एव दोषोऽभिनिवोष इति व्याचक्षणे । किं सर्वं । लिंगजो बोधः शब्दयो-
ज्ञानरहितोऽभिनिवोष एवेति तस्य प्रमाणान्तरतनिवृत्तिः कृता मत्ति सिद्धान्तस्य संगृ-
हीतः स्वात ।

—८० एषोऽप्यात् ११३१६४, ११८८, १० २१६ ।

१. अकलंकारेव भी स्मृति, ग्रन्थभिज्ञा, तर्क और अभिनिवोष इन चारों शास्त्रोंको मालोक्त्वा

विवोधका व्याख्यान किया है। इससे प्रमाणान्तर नहीं मानता पड़ेगा और इसमें सिद्धान्तका कोई विरोध भी नहीं है।

विद्वान्मनो यही प्रतिपादन अतिसंक्षेपमें प्रमाणपरीक्षामें भी किया है।^१ इतना विशेष है कि वहाँ परार्थ अनुमानको ओत्रमतिकाल-पूर्वक होनेके कारण अत-
क्षात् (अबर और अनकर बोलों) बतलाया है। तबा वचनात्मक परार्थ अनु-
मानकी मोमांसा करते हुए उसे उपचारसे परार्थ अनुमान कहा है।

अत्यागरसूरिने^२ भी अभिनिवोधका अर्थ अनुमान किया है।

इन व्याख्याकारोंके अनुसार स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रमें अभिनिवोध शब्द स्वार्थ-
मुमानका बोधक है।

(३) वयलाकार बीरसेनने अभिनिवोधकी दो विभिन्न स्थानोंपर व्याख्याएँ
प्रस्तुत की हैं। हम दोनों स्थानोंकी व्याख्याएँ यहाँ दे रहे हैं।

अहिमुह-जियमित्य-अत्यावदोहो आभिनिवोधो। घूकवहमाण-अवांतरिद्य-अत्या-
अहिमुहा। चर्क्षितद्विष रुद्धं जियमित्यं, सोदिदिष्ट सहो, वाजिदिष्ट वंधो, जि-
दिमद्विष रमो, फार्सिद्विष फासो, जोइद्विष दिद्य-सुवाणुभृदत्या जियमित्या। अहि-
मुहजियमित्यद्वेषु जो बोधो सो अहिमिवोधो।^३

अभिमुख और नियमित अर्थके अबदोधको अभिनिवोध कहते हैं। स्थूल, वर्त-
मान और अनन्तरित अर्थात् व्यववानरहित अबोधको अभिमुख कहते हैं। चतु-
रिन्द्रियमें रूप नियमित है, ओत्रेन्द्रियमें शब्द, प्राणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्वेन्द्रियमें रुक्ष
स्पर्शनेन्द्रियमें स्पर्श और नोहन्द्रिय अथोत् मनमें दृष्ट, अत और अनुभूत पदार्थ

प्रतिपादन करते हैं—

(क) अनिन्द्रियप्रत्यक्ष सूक्ष्मिकाचिन्ताभिनिवोधात्मकम्।

—ठबो० ८०० २०० ५०० ६१, ।

(ख) ममापत्रेष्ठि स्मृतिप्रत्यभिन्नान्विचिन्द्राऽभिनिवोधात्मकादाः कारणप्रतिपरिचित्तार्थ-
विवरत्वात् ।

—वही०, ५०० ६६, ।

१. तदेतत्साधनात् साव्यविज्ञानमनुमानं स्वार्थमिनिवोधलक्षणं विविष्टमतिविशानम्,
साध्यं प्रत्यभिन्नाचित्तमितात्तदात्मादुपजातदोषस्य तत्कालस्याभिनिवोध इति संशापति-
पादनात् परार्थमनुमानमनकरमुत्तानं अक्षरमुत्तानं च, तस्य ओत्रमतिपूर्वकत्वं न
तदात्मोपरते : ।

—प० ५० १०० ५६, ।

२. वृत्तादिवश्चात्मन्वादिमतीतिरत्यानमभिनिवोध अधिष्ठीते ।

—सत्त्वा० २०० १००, १०० ६६, ।

३. ५० दी०, १००।१००।

विवित है। इस प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थोंमें जो विष होता है वह अभिनिवोष है।

- 'दूसरे स्वास्थपर अभिनिवोषकी व्याख्या इस प्रकार उपलब्ध होती है—
- तथा अहिमुह-जिवमिहत्यहस्त बोहणमाभिजिबोहितं जाम जाणं । जो अहिमुहत्यो ? हृदिय-बोहृदियाणं गहणयजोग्यो । कुदो तस्य जियमो ? अचक्षय अप्यवत्तीदो । अर्तियदियालोगुचजोगेहितो चेव माणुसेसु रुचणाणुप्यतो । अर्तिय-दियठवजोगेहितो चेव स्त-गंध-सदृ-फासणाणुप्यती । विह-सुदाणुभृद्ध-मणेहितो जोहृदियजाणुप्यती । एसो एव जियमो । पृथेण जियमेण अभिमुहत्येसु अमु-प्यजडि जाणं तमाभिजिबोहियाणं जाम ।'

इसका तात्पर्य यह है कि अभिमुख और नियमित अर्थका जो ज्ञान होता है उसे आभिनिवोषिकज्ञान कहते हैं। अभिमुखका अर्थ है इन्द्रिय और गोइन्द्रियके द्वारा प्राप्त करने वोर्थ और नियमितका आशय है अभिमुखको छोड़ कर अन्यत्र हन्दिय और नोइन्द्रियके प्रवृत्ति न होना। अर्थात् अर्थ, इन्द्रिय, आलोक और उपयोगके द्वारा मनुष्योंको रूपज्ञान होता है। अर्थ, इन्द्रिय और उपयोगके द्वारा रस, गन्ध, शब्द और स्वर्णज्ञानकी उत्पत्ति होती है। दृष्टि, श्रुति और अनुभूत अर्थ तथा मनके द्वारा नोइन्द्रियज्ञान उत्पन्न होता है, यह यहाँ नियम है—नियमितका अर्थ है। इस नियमके अनुसार अभिमुख अर्थोंका जो ज्ञान होता है वह आभिनिवोषिक ज्ञान है।

अभिनिवोषकी इन दोनों व्याख्याओंमें यथापि स्वार्थानुमान अर्थ परिलक्षित नहीं होता तथापि यह स्पष्ट है कि दृष्टि, श्रुति और अनुभूत अर्थका मन द्वारा जो ज्ञान होता है वह भी अभिनिवोष है। स्मृति, प्रत्ययज्ञान, तर्क और अनुमान (स्वार्थ) ये चारों ज्ञान यतः दृष्टि, श्रुति और अनुभूत अर्थमें ही मन द्वारा होते हैं, अतः इन सब ज्ञानोंको अभिनिवोष कहा जा सकता है। अकलंकदेवने^१ इन ज्ञानोंको मनोमतिज्ञान अथवा अभिनिय प्रत्यक्ष कहा है। तथ्य यह है कि उन्होंने ज्ञानविद्येषके अर्थमें अभिनिवोषको दिया है। और इसीसे उन्होंने स्मृति, प्रत्यय-ज्ञान, तर्क इनके स्वतन्त्र निर्देशके साथ अभिनिवोषका भी स्वतन्त्र उल्लेख करके उन सभीको अभिनिय प्रत्यक्ष अथवा मनोमति प्रतिपादित किया है। उनका अभिप्रेत वह ज्ञानविद्येष स्वार्थानुमान ही सम्बन्ध है। बीरसेन द्वारा अभिनिवोषका भृतिज्ञानसामान्य अर्थ किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वे जिस घट्काढागमके व्याख्याकार हैं उसमें सर्वत्र अभिनिवोष (आभिनिवोषिक) शब्द भृतिज्ञान

१. ५० दी०, पाप्यार१, पृ० २०६, २१०।

२. ४३० स्तो० पृ० का० ६१ तथा ६६।

सामान्यके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निष्कर्ष यह कि अकर्लक, विकासन्द और श्रुत-सागरकी व्याख्याओंके आधारपर मतिज्ञानविचेष—अभिनिबोधविचेष (स्वार्थ-नुमान) भी अभिनिबोध सामान्यका अर्थ किया जा सकता है। जैसे गोकर्णके इष्टामा आदि गोविचेष अर्थ ग्रहण किया जाता है।

(४) बीरसेनने इसी वल्ला-टीकामें श्रुतज्ञानका भी व्याख्यान दो स्वल्लोपर किया है। वह भी इष्टव्य है—

(क) तथ्य सुदृगाणं जाम इंदिरेहि गहिदत्यादो तदो पुष्पमूर्खमगाहर्णं, जहादो बदादो बडादीणमुवक्तंभो, भूमादो अगिगस्तुवलंभो वा ।^१

इन्द्रियोंसे ग्रहण किये गये पदार्थसे, उससे पृथक्-भूत पदार्थका ग्रहण करना श्रुतज्ञान है।^२ जैसे—शब्दसे वट आदि पदार्थोंका जानना, अथवा भूमसे अभिनका ग्रहण करना ।

(ल) मदिणाणेण गहिदत्यादो असुप्तज्ञदि अण्णेसु अत्येसु जायं तं सुख-जायं जाम। चूमादो उपउपमाणाभविगणाणं, यदीपूरजिददवरिविद्धि-विज्ञाणं, देसंतरसंपत्तीप जगिद-दिग्बरगमणविसविष्णाणं, सहादो सहतुपच्छाणाणं च सुदृगाणमिदि भणिदं होदि।^३

अर्थात् मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके नियमितसे जो अन्य अर्थोंका ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। भूमके नियमितसे उत्पन्न हुआ अभिनका ज्ञान, नदीपूरके नियमितसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमें बृहिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके नियमितसे उत्पन्न हुआ सूर्यका गमनविषयक विज्ञान और शब्दके नियमितसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञान है।

श्रुतज्ञानकी इन दोनों व्याख्याओंमें जो उसके उदाहरण दिये गये हैं वे ही सब अनुमानका स्वरूप समझानेके लिए भी दिये जाते हैं। भूमसे अभिनका ज्ञान, नदीपूरसे ऊपरी भागमें वर्षाका ज्ञान, देशान्तर-प्राप्तिसे सूर्यमें गतिका ज्ञान अनुमान-से किया जाता है, यह प्रतिष्ठा है। अतएव श्रुतज्ञानकी इन व्याख्याओंसे अनुमान श्रुतज्ञानके अन्तर्गत सिद्ध होता है। यहो कारण है कि बीरसेनकी अभिनिबोध-सम्बन्धी व्याख्याओंमें अनुमान या स्वार्थानुमान अर्थ उपलब्ध नहीं होता ।

१. वल्ला १९।१।१४, पृ० २१।

२. जहादो अव्यर्तसुवल्लैमर्तं गणति सुदृगाणं ।

अभिविष्योहिष्युपर्व विवसेविह तदव्यं पुर्वं ॥

—आ० नेमिचन्द्र, श० ३० श० ११४ ।

३. वल्ला ५।५।२१, पृ० २१०।

४१ : डॉ. रामकृष्णानन्दमें अनुमान-विचार

(५) वट्टस्थागममें श्रुतज्ञानके इकतालोसे पर्याप्तशब्द दिये यद्ये हैं । उनमें एक 'हेतुवाद' है । इस 'हेतुवाद' का व्याख्यान बीरसेनने निम्न प्रकार किया है—

हेतुः साध्यादिनाभावि लिङं अन्यथानुपपर्येकलक्षणोपलक्षितः । स हेतु-हिंविषः साधनदूषणभेदेन । तत्र स्वपक्षसिद्धये प्रयुक्तः साधनहेतुः । प्रतिपक्ष-निलोहनाथ प्रयुक्तो दूषणहेतुः । हिनांसि गमधसि परिच्छिनत्यर्थमात्मार्थं चेति प्रमाणपञ्चकं वा हेतुः । स उच्चते कथ्यते अनेनेति हेतुवादः श्रुतज्ञानम् ।^३

साध्यके अभावमें न होने वाले लिंगको हेतु कहते हैं । और वह अन्यथा-नुपपत्तिसूप एक लक्षणसे युक्त होता है । वह दो प्रकारका है—१. साधन-हेतु और २. दूषण हेतु । इनमें स्वपक्षकी सिद्धिके लिए प्रयुक्त हेतुको साधन हेतु और प्रतिपक्षका साधन करनेके लिए प्रयुक्त हेतुको दूषणहेतु कहते हैं । अथवा हेतुशब्दको व्युत्पत्तिके अनुसार जो अर्थ (वस्तु)का और अपना ज्ञान कराता है उस प्रमाणपञ्चकको हेतु कहा जाता है । यहाँ प्रमाणपञ्चकसे बीरसेनको मति, श्रुत आदि पांच ज्ञान अभिप्रेत प्रतीत होते हैं । उक्त प्रमाणपञ्चकसूप हेतु जिसके द्वारा अभिहित हो वह हेतुवादरूप श्रुतज्ञान है ।

बीरसेनके इस हेतुवाद-व्याख्यानसे असन्दिग्ध है कि यहाँ हेतुवादके अन्तर्गत वह हेतु विवक्षित हैं-जो साध्यादिनाभावि लिंगसे होने वाले साध्यज्ञान (अनुमान)में प्रयुक्त होता है और जिसके बलपर अनुमानको लिंगज वा लैंगिक कहा जाता है । हेतुवादशब्दका प्रयोग अनुमानके अर्थमें हमे अन्य दर्शनोंमें भी मिलता है । निष्कर्ष यह कि बीरसेन अनुमानको श्रुतज्ञान मानते हैं, उसे मतिज्ञान माननेकी ओर उनका इक्किंत प्रतीत नहीं होता ।

यहाँ हम उनका एक महत्वपूर्ण उद्घरण और दे देना आवश्यक समझते हैं । इस उद्घरणसे स्पष्ट हो जाएगा कि बीरसेन अनुमानको श्रुतज्ञानके अन्तर्गत स्वीकार करते हैं । यथा—

"सुदृशानं दुष्किंह—सहकिंगञ्च असदृकिंगञ्च चेदि । भूमिंगादो भक्षणाद-गमो असदृकिंगमो । अवरो सहकिंगमो । किंतक्षण लिङं ? अण्हापुष्ववक्ति-कम्तण । पक्षाभमंत्वं सपष्ठो सर्वं विषयो चासद्वित्येतैस्त्रिभिलंक्षणैर्हपलक्षितां वस्तु किं न लिंगमिति चेत्, न, अभिवारात् । तथाच—एववान्याज्ञफकाम्ये-

१. पात्रवर्ण पवरणीयं पवरणहो... हेतुवादो पवरवादो पवरवारो ममवादो सुदृशादो पर-वादो होइवादो लापुतीयवादो...चेदि ।

—सूतवली-पुष्पदन्त, वट्टला, ५५५०, ५५५५०, ५०२८० ।

२. वट्टला ५५५०, ५०२८० ।

कलासाप्रभवत्तात् युपदुष्टाप्रभवत्, स इवानः तत्पुरुषादित्यरुपवत्,....इत्यादीनि साधनानि विज्ञाप्तान्वयि न सार्वत-सिद्धये अवश्यित । विद्यमनेकान्तात्मक सम्भावा....इत्यादीनि साधनानि अविज्ञाप्तान्वयि सार्वसिद्धये प्रभवश्यित । ततः इत्यग्न्यरेण इत्यमनुष्ठानमितीद्येष लक्षणं किंगम्येति ग्रन्थेत्यवद् ।^१

यही श्रुतज्ञानके वर्णन-प्रसंगमें उसके दो भेद बतलाये हैं—(१) शब्द-लिङ्ग और (२) अशब्दलिङ्ग । अशब्दलिङ्ग श्रुतज्ञानका उदाहरण है—धूम-के निमित्तसे अग्निका ज्ञान करना । आगे लिंगका लक्षण वही दिया है जो अनुमान-निरूपणमें कहा जाता है । इससे वीरसेनका स्पष्ट मत है कि अनुमान अशब्द-लिङ्ग श्रुतज्ञान है ।

६. वीरसेनका यह मत बट्खण्डागमपर आधृत है । बट्खण्डागममें आचार्य भूतबली-पृष्ठदन्तने ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा चिन पांच सम्यज्ञानों और तीन मिथ्याज्ञानोंका निरूपण किया है उनमें प्रथम सम्यज्ञानका नाम 'आभिनिबोधिक' है, मतिज्ञान नहीं है, मति तो उसके बार पर्याचिमें परिगणित तीसरे ज्ञानका नाम है । यथा—

सण्णा सदी मदी चिता चेदि ॥^२

संज्ञा, स्मृति, मति और चिन्ता ये आभिनिबोधिक ज्ञानके पर्याय हैं ।

बट्खण्डागमके इस सूत्रमें आभिनिबोधिक ज्ञानके पर्यायामोको गिनाते हुए जहाँ अनुमानके पूर्वमें आवश्यक रूपसे रहने वाले चिन्ता आदि ज्ञानोंका निर्देश है वही अनुमानका अनुमानशब्दसे या उसके बोधक किसी पर्यायशब्दसे कोई उल्लेख नहीं है । इससे अवगत होता है कि बट्खण्डागममें अनुमानको आभिनिबोधिक ज्ञान नहीं माना । इसका कारण यह ज्ञात होता है कि आभिनिबोधिक ज्ञान इन्द्रियव्यापार या मनोव्यापार-पूर्वक उत्पन्न होते हैं । चाक्षुष आदि इन्द्रियज्ञान इन्द्रियव्यापारसे पैदा होते हैं । अतः ये ज्ञान तो 'इन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तम्' के अनुसार आभिनिबोधिक हैं । पर अनुमान सीधे मनोव्यापार या इन्द्रियव्यापारसे उत्पन्न न होकर साध्यादिनाभावी साधनसे उत्पन्न होता है । जैसे धूमसे अग्निका ज्ञान होता है । यह सत्य है कि साधनमें इन्द्रिय और मन सहायक हैं, क्योंकि उनके बिना साधनका वर्णन और व्यापिका स्मरण नहीं हो सकता । पर ये साध्यज्ञानके उत्पादक नहीं हैं—उनका उत्पादक तो अविनाभावित साधनका ज्ञान है । ऐसी स्थितिमें अनुमान आभिनिबोधिक ज्ञान न होकर श्रुतज्ञान होता, क्योंकि एक अर्थसे दूसरे अर्थ

१. चक्रा पृष्ठात्तद, पृ० २४५ ।

२. बट्खण्ड ५१४४८, पृ० २४४ ।

का बोच करने वाला ज्ञान अनुप्रान कहा गया है।^१ चूपके निमित्ससे अभिका ज्ञान करता नदीपूरसे ऊपरी आगमें वर्णिका ज्ञान करता, देशान्तर प्राप्तिसे सूर्य-में भवितका ज्ञान करता, ये सब अनुप्रानके उदाहरण हैं और अनुमानके भी यही उदाहरण है। ज्ञान हीता है कि इसीसे वट्टखण्डागममें अनुमानको आभिनिवोधिक ज्ञानके पर्यायितामोंमें वर्णित नहीं किया। किन्तु अनुप्रानके एकार्थकाची इकातालीस नाममें इस 'हेतुवाद' द्वारा उसका अनुप्रानमें संप्रह अधिका अन्तर्भवि किया है। अतः वट्टखण्डागमके स्थान्याकार वीरसेनका उपर्युक्त मत (स्थान्याम) वट्टखण्डागमके अनुरूप है।

(३) प्रश्न है कि आगमको जब ऐसी प्रस्तुपणा (स्थान्या) है तो आचार्य गृहपित्तने तत्त्वार्थसूत्रमें आगमोक्त आभिनिवोधिक ज्ञानके स्थानमें मतिज्ञान नाम और उसके पर्यायितामोंमें पहलेसे अनुपलब्ध अभिनिवोध शब्द कैसे रखा ? और उनके इस परिवर्तनका कारण क्या है ?

हमारा विचार है कि तत्त्वार्थसूत्रकार उस दर्शनयुगमें हुए हैं जब प्रमाणज्ञास्त्र की चर्चा बहुलतासे होने लगी थी और प्रत्येक दर्शनके लिए आवश्यक था कि वह अपने अभिमत प्रमाणोंका निर्धारण करे। चार्चाके अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शनोने अनुमानको स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमें मान लिया था और उसका मूल रूप 'वाकोवाक्यम्' एवं 'आन्वीक्षिकी' विद्यामें स्वेच्छा निकाला था। आर्हत दर्शन की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। वह ऐसे समयपर मौन नहीं रह सकता था। उसे भी अपनी ओरसे यह निर्णय करना आवश्यक था कि वह कितने प्रमाण मानता है और वे कौन-कौनसे हैं तथा वह अनुमानको स्वीकार करता है या नहीं ? यद्यपि वट्टखण्डागम, प्रबन्धनसार, अनुयोगद्वारा, स्थानांग, भगवती आदि आगम ग्रन्थोंमें ज्ञानमीमांसा तथा प्रमाण-मीमांसा विस्तृत रूपमें विस्तृत एवं चर्चित थी। विषयनिरूपणमें हेतुवादका भी आध्यय लिया जाता था। पर ये सभी ग्रन्थ प्राकृतमें निवढ़ थे और युग था संस्कृतके माध्यमसे दार्शनिक विषयोंके निरूपणका। अत तत्त्वार्थसूत्रकारने संस्कृतके माध्यमसे आर्हतदर्शनके प्रायः सभी विषयोंका प्रतिपादन करनेके लिए तत्त्वार्थसूत्रकी रचना की। यह उपलब्ध जैन संस्कृत-नून-ग्रन्थोंमें आदा संस्कृत-सूत्रग्रन्थ है। इसमें घर्म और दर्शन दोनोंका निरूपण है। उनका गहन कार्य था आगमिक प्रमेयोंको दर्शन द्वारा प्रस्तुत करना। इस कार्यमें उन्हें नि.सन्देह अभूतपूर्व सफलता मिली। अत्य दर्शनोंकी तरह उन्होंने भी नि.-अधेयस और नि.अधेयस भागका ज्ञान इस ग्रन्थमें विस्तृत किया। आगमानुसार ज्ञान-मीमांसाको प्रस्तुत करते हुए उसमें प्रतिपादित पांच ज्ञानोंमें इस आभिनिवो-

१. आ० नेमिकन्द्र, गो० बो० ३१५।

विकल्प अतिशब्दकी अपेक्षा, जो उसीका एक पर्यावर्ती है, उन्हें कुछ बटिल कहा। अतएव उसके स्वार्थमें मतिको रखकर उसे सरक बना दिया तथा उसके पर्यायोंमें अभिनिवोषको भी सम्मिलित कर दिया। यह अभिनिवोषशब्द भी आभिनिवेषिको अपेक्षा अधिक सुश्रम है, अतः उसके द्वारा उन्होंने चिन्ता (तक) पूर्वक होने वाले लिंगज्ञोष—अनुमानके संग्रहकी ओर संकेत किया। इस परिवर्तनमें कोई औलिक सिद्धान्त-ओदय या सिद्धान्त-विपरीतता नहीं है। फलतः अकलंक, विद्यानन्द जैसे मूर्खन्य मनीषी विचारक उनके इस परिवर्तनसे प्रभावित हुए और उससे प्रकाश पाकर उन्होंने अभिनिवोषकी व्याख्या अनुमानपरक प्रस्तुत की। सिद्धान्त-विरोधकी बात उठने पर विद्यानन्दने^१ सामान्य शब्दको विसेष-वाची बतलाकर इस विरोधका परिहार किया। साथ ही अकलंकका आवाय^२ ग्रहण करके यह भी कह दिया^३ कि अभिनिवोषात्मकज्ञान शब्दज्ञानसे पूर्व अवश्यित् शब्दज्ञानसे रहित दशामें स्वार्थानुमान है। पर शब्दज्ञानसे विशिष्ट होने पर वह अभिनिवोषपर्वक होने वाला श्रुतज्ञान है, जिसे परार्थानुमान कहा जाता है।^४ तात्पर्य यह कि मतिज्ञानके पर्यायनामोंमें पठित 'अभिनिवोष' से स्वार्थ-नुमानका और आगममें आये हेतुवादसे, जो श्रुतज्ञानके पर्यायवत्तनामोंमें सामहित है, परार्थानुमानका ग्रहण विवक्षित है। निष्कर्ष यह कि स्वार्थानुमानका प्राचीन मूल रूप अभिनिवोष है और परार्थानुमानका मूल रूप हेतुवाद है। इस तरह जैन अनुमान अभिनिवोष (मतिज्ञान) और श्रुत वोनोंका प्रतिनिधि है। इसमें तत्त्वार्थ-सूत्रकार और उनके व्याख्याकारों तथा बट्टक्षणागम और घबलाके व्याख्यानों एवं निष्कृष्टणोंमें कोई विरोध या असंगति नहीं है।

(स) अनुमानका महस्त्र एवं आवश्यकता :

प्रत्यक्षकी तरह अनुमान भी वर्णसिद्धिका महस्त्रपूर्ण साधन है। सम्बद्ध और वर्तमान, आसन्न और स्थूल पदार्थोंका ज्ञान इन्द्रियप्रत्यक्षसे किया जा सकता है। पर असम्बद्ध और वर्वर्तमान—अतीत-अनागत तथा दूर और सूक्ष्म अर्थोंका ज्ञान उससे सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारके पदार्थोंको ज्ञाननेकी अमता इन्द्रियोंमें

१. त० को० १।१३।३=३-३८८, पृष्ठ २१६।

२. लघीय० का० १०,११।

३. य० १० पृष्ठ ७६, तथा त० को० १।१३। ३८८, पृष्ठ २१६।

४. तपेकसाधनात् साधविज्ञानमनुमान स्वार्थमिनिवोषहठार्थ विशिष्टमतिज्ञानम्, साध्ये प्रथमिमुख्याधिक्षमितात्साधनाहुपवात्तोषस्य तक्षफलस्वामिनिवोष धति संशामतिपाद-नात्। परार्थानुमानमनक्षरभूतज्ञाने अक्षरभूतज्ञान च तस्य गोक्षमतिपूर्वकस्य च तथा-त्वोपर्तोः।

—विज्ञानन्द, य० १० पृष्ठ ७६।

८६ : जैवलक्षणात्ममें अनुमान-विचार

महीं है। अतः ऐसे पदार्थोंका ज्ञान अनुमान द्वारा किया जाता है। इसे चार्डाक वर्षनको छोड़कर सेप सभी दर्शनोंने स्वीकार किया है और उसे प्रत्यक्षकी ही तरह प्रमाण एवं अर्थसिद्धिका सबल साधन माना है। चार्डाक इसे न माननेके निम्न कारण प्रस्तुत करते हैं—

(१) यतः अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है। अतः वह प्रत्यक्षसे भिन्न नहीं है। 'कारणसदृश हि लोके कार्यं इहम्' इस सिद्धान्तके अनुसार अनुमान जब प्रत्यक्षका कार्य है तो उसे अपने कारण—प्रत्यक्षसदृश ही होना चाहिए, विसदृश नहीं।

(२) सबसे पहले प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद अनुमान। अतः प्रत्यक्ष मुख्य है और अनुमान गौण। अतएव अनुमान गौण होनेसे प्रमाण नहीं है।^१

(३) अनुमानमें विसंबाद देखा जाता है। कभी-कभी शक्तमूर्धा (बाबी) और गोपालघटिकामें धूमका भ्रम हो जानेसे वहां भी अग्निका अनुमान होने लगता है। इसके अतिरिक्त वृक्षका जब विशेषसे अनुमान किया जाता है तो विशेषा वृक्ष ही हो, ऐसा तो नहीं है, कहीं विशेषा लता भी होती है। ऐसी स्थितिमें विशेषा हेतु व्यभिचारी (वृक्षके अभावमें भी रहने वाली) होनेसे वृक्षका यथार्थ अनुमायक नहीं हो सकता। अनुपलक्षितसे अभावकी सिद्धि करना भी दोषपूर्ण है। परमाणु, विशाचादि उपलक्ष नहीं होते, फिर भी उनका सदृश भाव बना रह सकता है— अनुपलक्षितसे उनका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस तरह अनुमानके जनक सभी प्रमुख हेतु व्यभिचारी होनेसे वह अविसंबादी सम्भव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, पर अनुमान प्रमाण नहीं है।^२

ये तीन कारण हैं जिनसे चार्डाक अनुमानको प्रमाण नहीं मानता। यहीं इन तीनों कारणों पर विचार किया जाता है—

(१) प्रत्यक्षपूर्वक होनेसे यदि अनुमान प्रत्यक्षसे भिन्न नहीं है तो कही (पर्वतादिकमें अग्निका) प्रत्यक्ष भी अनुमानपूर्वक होनेसे अनुमानसे भिन्न सिद्ध नहीं होगा। जैसे पर्वतमें अनुमानसे अग्निका निश्चय करके उसे प्रत्यक्षसे भी जाननेके लिए प्रवृत्त पुरुषको अग्निका जो प्रत्यक्ष होता है वह अनुमानपूर्वक होने-

१. प्र० १० पृष्ठ ६४।

२. प्रमेयरत्नमाला २१२, पृष्ठ ४६। तथा प्र० १० पृष्ठ ६४।

३. प्रमेयरत्नमाला २१२, पृष्ठ ४४।

से अनुमान कहा जाएगा । अतः अनुमानप्रामाण्यके विवेचका प्रयत्न कारण युक्त नहीं है, वह अतिप्रसंग दोष-सहित है ।^१

(२) यह सच है कि कभी अनुमानसे पहले प्रत्यक्ष होता है, पर यह सार्व-दिक् एवं सार्वत्रिक नियम नहीं है । कहीं और कभी प्रत्यक्षसे पूर्व अनुमान भी होता है । जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि कोई पुरुष अग्निका अनुमान करके बादको वह उसका प्रत्यक्ष (साकारात्कार) करता है । ऐसी दशामें अनु-मान प्रत्यक्षसे पूर्वतीर्ती होनेके कारण मुख्य माना जाएगा और प्रत्यक्ष गौण । तब प्रत्यक्ष गौण होनेसे अप्रमाण और अनुमान मुख्य होनेसे प्रमाण सिद्ध होगा । अतः दूसरा कारण भी अनुमानके प्रामाण्यका प्रतिवेचक सिद्ध नहीं होता ।^२

(३) तीसरा कारण भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमानमें विसंदादित्व बतानेके लिए जो उदाहरण दिये गये हैं वे सब अनुमानाभासके उदाहरण हैं । जो हेतु साध्यका व्यभिचारी है वह हेतु ही नहीं है—वह तो हेत्वाभास है । शक्तमूर्धा और गोपालघटिकामें जो धूमसे अग्निके अनुमानकी बात कही गयी है उस पर हमारा प्रश्न है^३ कि शक्तमूर्धा और गोपालघटिका अग्निस्वभाव हैं या नहीं ? यदि अग्निस्वभाव हैं तो अग्निसे उत्पन्न धूम अग्निका व्यभिचारों कैसे हो सकता है ? और यदि वे अग्निस्वभाव नहीं हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला पदार्थ धूम कैसे कहा जा सकता है ? लोकमें अग्निसे पैदा होने वाले अविच्छिन्न पदार्थको ही धूम कहा जाता है । साध्य-साधनके सम्बन्धका अविनाभावका ज्ञान उक्त प्रकारकी भूल नहीं कर सकता । वह अविनाभावी साधनसे ही साध्यका ज्ञान—अनुमान करेगा, अविनाभावरहित हेतुसे नहीं । वह भले ही कपरसे हेतु जैसा प्रतीत हो, पर हेतुलक्षण (अविनाभाव) रहित होनेके कारण वह हेत्वाभास है और हेत्वाभाससे उत्पन्न साध्यज्ञान दोषपूर्ण अर्थात् अनुमानाभास समझा जाएगा । अतः शक्तमूर्धा और गोपालघटिकामें दृष्ट धूम धूम नहीं है, धूमाभास है—उसे अग्नसे धूम समझ लिया है । और इसलिए उसके द्वारा उत्पन्न अग्निका ज्ञान अनुमान नहीं, अनुमानाभास है ।^४

१. प० परी० दृष्ट ६४ ।

२. वही, दृष्ट ६४ ।

३. अग्निस्वभावः शक्त्य धूर्द्धा वेदग्निरेव सः ।
अथानग्निस्वभावोऽसौ धूसत्तत्र कर्त्य भवेत् ॥

—धर्मस्कृति, प० चा० १३६, तथा अमेक० मा० २१२, प० ४६ ।

४. याहुसो हि धूर्द्धा अवलक्ष्यं धूर्दन्त्वादावतिपृष्ठप्रस्तुत्वा प्रसंग्नुप्रस्तुत्वे न
ताहुसो गोपालघटिकादाविति ।

—अमेक० मा० २१२, दृष्ट ४६ ।

इसी प्रकार स्वाभावहेतुमें^१ जो व्यभिचार दिक्षाया गया है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल स्वभावको हेतु स्वीकार नहीं किया है, अपितु व्याप्त्य-कृप स्वभावको ही व्यापकके प्रति गमक माना गया है। और यह तथ्य है कि व्याप्त कभी भी व्यापकका व्यभिचारी नहीं होता, अन्यथा वह व्याप्त ही नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अविनाभावी स्वभाव-हेतुको व्यभिचारी मानने पर चार्किं प्रत्यक्षमें अविसंबादित्व और अगोणत्वरूप स्वभावहेतुओंसे प्रामाण्य निश्चय नहीं कर सकता। अनुपलब्धिहेतुमें व्यभिचारप्रदर्शन भी विचारशून्य है। यथार्थमें अविनाभावी अनुपलब्धिहेतु अभावका साधक माना गया है। जो साध्याविनाभावी नहीं है वह हेतु हो नहीं है—हेत्वाभास है, यह हम घर कह आये हैं। अतः चाहे दृश्यानुपलब्धि हो और चाहे अदृश्यानुपलब्धि, दोनों अविनाभावविशिष्ट हो कर ही अभावसाधिका हैं, अन्यथा नहीं।

इस प्रकार अनुमानप्रामाण्यके निवेदमें दिये गये तीनों ही कारण युक्ति-युक्त नहीं हैं। अब ऐसे तथ्य उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे चार्किं दर्शनको भी अगत्या अनुमान मानना पड़ता है। यथा—

(१) जब चार्किसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण क्यों है और अनुमान प्रमाण क्यों नहीं ? तो इसका उत्तर वह यहीं देता है कि प्रत्यक्ष अगोण और अविसंबादी होनेसे प्रमाण है, पर अनुमान गौण तथा विसंबादी होनेसे प्रमाण नहीं है। इस प्रकारका कथन करके वह स्वभावहेतु-जनित अनुमानको स्वयमेव स्वीकार कर लेता है। अगोणत्व और अविसंबादित्व प्रमाणका स्वभाव है। और उन्हें हेतु बनाकर प्रत्यक्षके प्रमाण्यको सिद्ध करना निश्चय ही अनुमान है तथा गौणत्व एवं विसंबादित्वको हेतुरूपमें प्रस्तुत करके अनुमानको अप्रमाण सिद्ध करना भी अनुमान है। अगोणत्व एवं अविसंबादित्वकी प्रामाण्यके साथ और गौणत्व तथा विसंबादित्वकी अप्रामाण्यके साथ ज्ञाति है और व्याप्तिशानपूर्वक ज्ञान होता है वह अनुमान कहा जाता है। अतः चार्किको प्रत्यक्षमें प्रामाण्य सिद्ध करने और अनुमानमें अप्रामाण्य स्थापित करनेके लिए उक्त प्रकारका अनुमान मानना पड़ेगा।

(२) इस (शिष्य)में बुद्धि है क्योंकि बोल रहा है अन्यथा चेष्टाविकर रहा है, इस प्रकार चार्किको शिष्यादिमें बुद्धिका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, क्यों-

१. यदपि स्वभावहेतुव्यभिचारात्मावन्मुक्तम्, तदव्यनुकितमेव, स्वभावमात्रस्याहेतुत्वात् ।

व्याप्तकृपमेव स्वभावस्य व्यापकं प्रति गमकत्वान्मुख्यमात् । न च व्याप्तस्य व्याप्त-व्यभिचारित्वम्, व्यापत्वविरोधमहंगात् ।

—ग्रन्थरूपमा०, २१२, पृष्ठ ४५ ।

कि उत्तरदिक् प्रत्यक्षसे ज्ञान्य है। और इस तरह उसे कार्य-हेतु-विनियोग अनुमान स्वीकार करना पड़ता है।

(३) यदि चार्चाक्षरे प्रश्न किया जाए कि आप परलोक (स्वर्गनरकादि या अनुमान्तर), क्यों नहीं मानते ? तो वह यही उत्तर देता कि परलोक उपलब्ध न होनेसे नहीं है। जिसकी उपलब्धि होती है उसका अस्तित्व माना जाता है। जैसे पृथिव्यादि भूततत्त्व । उसके इस उत्तरसे स्पष्ट है कि उसे परलोकादिका अभाव सिद्ध करनेके लिए अनुपलब्धि-लिय-विनियोग अनुमान भी स्वीकार करना पड़ता है।

इस विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि चार्चाक्षरे के लिए भी अनुमान प्रमाण मानना आवश्यक है। भले ही वह लोकव्यवहारमें उसे मान्यता प्रदान करे और परलोकादि अतीनिदिव पदार्थोंमें उसका प्रामाण्य निराकरण करे।^३ पर उसकी उपयोगिता और आवश्यकताको वह टाल नहीं सकता। जब प्रत्यक्षके प्रामाण्यमें सन्देह बढ़मूल हो जाता है तो अनुमानकी कस्तीटीपर कसे जानेपर ही उसकी प्रमाणताका निकार होता है। इससे अनुमानकी उपयोगिता विनकर-प्रकाशकी तरह प्रकट है। वास्तवमें ये दोनों उपजीव्य-उपजीवक हैं। वस्तुसिद्धिमें अनुमान-का प्रत्यक्षसे कम मूल्य नहीं है। यह सच है कि प्रत्यक्ष अनुमानके मूलमें विद्यमान रहता है, उसके बिना उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्यक्षकी प्रतिष्ठा अनुमानपर निर्भर है। सम्भवतः इसीसे 'युक्त्या यन्म छानुपैति तदृहं एष्ट्वाऽपि न अहो'^४, 'प्रत्यक्षपरिकितमव्यथ-मनुमानेन कुमुखसन्ते तकरसिका':^५ जैसे अनुमानके मूल्यवर्द्धक वाक्य उपलब्ध होते हैं और यही कारण है कि अनुमानपर जितना चिन्तन हुआ है—स्वतन्त्र एवं संस्कारद्वयोंका निर्माण हुआ है—उतना किसी अन्य प्रमाणपर नहीं। व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, विज्ञान प्रभृति सभी पर प्रायः अनुमानका प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। लोकव्यवहारमें अस्पृश भी कार्यकारणभावकी घूंसला बोझते हैं। बिना पानीके प्यास नहीं बुझती, बिना भोजनके शुष्ठा शान्त नहीं

१. प्रमाणेतरसामान्यस्त्रेतरम्यक्षियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रत्येषाच्च नस्त्वचित् ॥

—उद्भृत—म० १० पृष्ठ ६४ ।

यह कारिका जेन ग्रन्थोंमें चमोकीतिके बाससे उद्भृत पायी जाती है। पर वह उनके प्रमाणवालिंकरणमें उपलब्ध नहीं है।

२. 'वदि पुनर्लोकव्यवहारात् प्रतिपत्त एवानुमानं लोकावतिकैः, परलोकादावेषानुमानस्य निराकरणात्, वस्त्राभावोदिति गत्य, तदापि कुरुः परलोकव्यवहारावर्तिपृष्ठिः ।'

—विद्यानन्द, म० १० पृष्ठ ६४ ।

३. अकर्तुकरेष, वाह्यः अहस० पृष्ठ २१४, उद्भृत ।

४. गणेश, त० चिन्ता० पृष्ठ ४३४ ।

५० : अनुमानशब्दमें अनुमान-विचार

होती, यह उब कार्यकारको अधिक्षित पूर्वका ही तो है। इस तरह हम अनुमानके महसूस, उपयोगिता, आवश्यकता और अनिवार्यताको अनावास आक सकते हैं।

(म) अनुमानकी परिभाषा :

अनुमानशब्दकी निश्चिक (अनु + मान)के अनुसार पश्चाद्वर्ती ज्ञानकी अनु-मानहोता है।

प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्षको छोड़कर शेष सभी (स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि) ज्ञान प्रत्यक्षके पश्चात् ही होते हैं। ऐसी स्थितिमें ये सब ज्ञान भी अनुमान कहे जायेगे। अतः अनुमानसे पूर्व वह कौन-सा ज्ञान विवक्षित है जिसके पश्चात् होने वाले ज्ञानको अनुमान कहा है ?

इसका उत्तर यह है कि अनुमानका अव्यवहित पूर्ववर्ती वह ज्ञानविशेष है, जिसके अव्यवहित उत्तरकालमें अनुमान उत्पन्न होता है। वह ज्ञानविशेष है व्यासि-निर्णय (तर्क-उद्ध-चिन्ता)। उसके अनन्तर नियमसे अनुमान होता है। लिंगदर्शन, व्यासिस्मरण और पक्षधर्मताज्ञान व्यासि-नियमसे अव्यवहित है। अतः लिंगदर्शन, व्यासिस्मरण और पक्षधर्मताज्ञान व्यासि-नियमसे अव्यवहित होनेसे अनुमानके साक्षात् पूर्ववर्ती नहीं है। यद्यपि पारम्पर्यसे उन्हें भी अनुमानका जनक माना जा सकता है। पर अनुमानका अव्यवहित पूर्ववर्ती ज्ञान व्यासि-नियमसे अव्यवहित ही है, क्योंकि उसके अव्यवहित उत्तरकालमें नियमसे अनुमान आत्मलाभ करता है। अत व्यासिनियमसे ही अनुमानका पूर्ववर्ती ज्ञान है। आ० बादिराज भी यही लिखते हैं—

अनु व्यासिनिर्णयस्य पश्चाद्भावित मानमनुमानम् ।^२

व्यासि-निर्णयके पश्चात् होने वाले ज्ञान—प्रमाणको अनुमान कहते हैं।

वात्स्यायन अनुमानशब्दकी निश्चिक इस प्रकार बतलाते हैं—‘मितेन लिंगेन लिंगिनोऽप्यस्य पश्चाद्भानमनुमानम्’^३—प्रत्यक्षप्रमाणसे ज्ञात लिंग द्वारा लिंगी—अर्थके अनु—पश्चात् उत्पन्न होने वाले ज्ञानको अनुमान कहते हैं। तात्पर्य यह कि लिंगज्ञानके पश्चात् जो लिंगी—साध्यका ज्ञान होता है वह अनुमान है। वे एक दूसरे स्वल्पपर और कहते हैं कि—‘स्मृत्या लिंगदर्शनेन ज्ञा-

१. व्यासिनिर्णयका जनकज्ञानस्य कालमनुसिद्धिः । अत्प्रत्यक्षमनुमानम् ।

—गोपा, १० विं अनु० आदी० शुक्ल १६ ।

२. व्यास० विं विं द्विं व्या० वा० १११ ।

३. व्यास० १११ ।

प्रत्यक्षोऽयोऽनुभीषते' ।^१ — लिंगदर्शनसम्बन्धसृष्टि और लिंगदर्शन द्वारा अ-
प्रत्यक्ष अर्थका अनुमान किया जाता है। इस प्रकार वास्त्वायनका अभिप्राय
'अनु' उन्दसे 'सम्बन्धस्मरण और लिंगदर्शनके पश्चात् अर्थको भ्रहण करनेका
प्रतीत होता है। न्यायावादिकारका मत है कि 'वस्मार्किंगपरामर्शादिनन्दर दोषार्थ-
प्रतिपत्तिरिति । तस्मार्किंगपरामर्शार्थो न्याय इति,'^२ — यतः लिङ्गपरामर्शके
अनन्तर दोषार्थ (अनुभेदार्थ)का ज्ञान होता है, अतः लिंगपरामर्शको अनुमान
मानना न्याययुक्त है। इस तरह उद्योतकरके मतानुसार लिंगपरामर्श वह ज्ञान
है जिसके पश्चात् अनुभिति उत्पन्न होती है। न्यायावादारके संस्कृतटीकाकार सिद्धिं
गणि वास्त्वायनका अनुसरण करते हैं।^३ किन्तु तथ्य यह है कि लिङ्गदर्शन आदि
व्याप्तिनिष्ठयसे व्यबहृत है। अतः व्याप्तिज्ञान ही अनुमानसे अव्यवहृत पूर्ववर्ती है।

अनुमानशब्दकी निष्ठिके बाब अब देखना है कि उद्योगस्थ जैन तर्कव्याख्योंमें
अनुभावको क्या परिभाषा की गयी है? स्वामी सदनन्दमहार्दने आसीमासामे 'अनु-
मेयत्व'^४ हेतुसे सर्वज्ञकी सिद्धि की है। आगे अनेक स्थलोंपर 'स्वरूपादिवतुष्ट्यात्'^५,
'विशेषणत्वात्'^६ आदि अनेक हेतुओंको दिया है और उनसे अनेकात्मक वस्तुकी
व्यवस्था तथा स्थानादको स्थापना की है।^७ उनके इन 'अनुमेयत्व' आदि
हेतुओंके प्रयोगसे अवगत होता है कि उनके कालमें स्थानादन्याय (जैन न्यायमें)
विवादग्रस्त एवं अप्रत्यक्ष पद्धार्थोंकी सिद्धि अनुमानसे की जाने रगी थी। जिन
उपादानोंसे अनुमान निष्पत्त एवं सम्पूर्ण होता है उन उपादानोंका उल्लेख भी
उनके द्वारा इसमें बहुलतया हुआ है।^८ उदाहरणार्थ हेतु, साध्य, प्रतिज्ञा, सधर्म,
अविनाभाव, सप्तम, साधर्म्य, वैष्णव्य, दृष्टान्त जैसे अनुमानोपकरणोंका निर्देश इसमें
किया गया है। परं परिभाषादन्य न होनेसे उनकी परिभाषाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
यही कारण है कि अनुमानकी परिभाषा इसमें दृष्टिगत नहीं होती। एक स्थलपर
हेतु (नय) का लक्षण^९ अव्यवहृत निबद्ध है, जिसमें अन्यथानुपपत्तिविशिष्ट विलक्षण

१. वही, १।१५।

२. न्यायवा० १।१५, पृष्ठ ४५।

३. अनुवादक-विजयमृति, न्यायवा० का० ५, पृष्ठ ४९।

४. आसीमी० का० ५।

५. वही, का० १५।

६. वही, का० १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२।

७. सधर्मणीव साधस्य साधर्म्यादविरोधतः।

स्थानादभिमत्तार्थ-विशेष-व्यञ्जको नयः ॥

—जा० मी० का० १०५।

१२। वैत लक्षणशब्दे अनुमान-विचार

सेतुको साध्यका प्रकाशक कहा है, केवल विकाशको नहीं। अकलक^१ और विद्या-नुपर्य^२ द्वारा प्रस्तुत उसके व्याख्यानोंसे भी यही व्यवहर होता है। आशय यह कि आत्मभासासाके इस सम्बद्धसे इतना ही जात होता है कि समन्वयभृको अन्वयानुप-प्रस्तवविशिष्ट त्रिलक्षण हेतुसे होनेवाला साध्यका अनुभाव इह रहा है।

सिद्धसेनने^३ स्पष्ट शब्दोंमें अनुमानलक्षण विद्या है—

साध्याविनाभुवो लिङात् साध्यनिश्चायकं स्मृतम् ॥

अनुमानं तद्वान्तं प्रमाणत्वात् समध्यत् ॥

साध्यके विना न होनेवाले लिंगसे जो साध्यका निश्चायक ज्ञान होता है वह अनुमान है।

इस अनुमानलक्षणमें समन्वयभृका हेतुलक्षणगत 'अविरोधतः' एव, जो अन्यथा-नुपर्यति—अविनाभावका वोधक है, वीजरूपमें रहा हो तो आशर्य नहीं है।

अकलकने न्यायविनिश्चय और लघीयस्त्रय दोनोंमें अनुमानकी परिभाषा अंकित की है। न्यायविनिश्चयको अनुमान-प्रतिभाषा निम्न प्रकार है—

साधनात्साध्यावज्ञानमनुमानं तदस्थये ।^४

साधन (हेतु) से जो साध्य (अनुभेय) का विशिष्ट (नियत) ज्ञान होता है वह अनुमान है।

अकलकका यह अनुमान-लक्षण अत्यन्त सरल और सुगम है। परवर्ती विद्या-नुन्द, माणिक्यनन्दि, बादिराज, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, घर्मभूषण प्रभूति तार्किकोंने इसीको अपनाया है। स्मरणीय है कि जो साधनसे साध्यका नियत ज्ञान होता है वह साधनगत अविनाभावके निश्चयके आधारपर ही होता है। जब तक साधन-के साध्याविनाभावका निश्चय न होगा तब तक उससे साध्यका निर्णय नहीं हो सकता।

१. अब 'सप्तशब्दे साध्यस्य साध्यांत्' 'इत्यनेन हेतोस्त्रेष्वाध्यम्, 'अविरोधत्' इत्यन्यानु-नुपर्यति च दशता केवल स्पष्ट त्रिलक्षणस्यासाध्यमत्वमुर्कं तत्पुत्रत्वादिवत्। यकलक्षणस्य तु गमकत्वं 'नियत्वेकान्तपक्षेऽपि विक्षिप्ता नोपपत्ते' इति वहुलमन्यवानुपपत्तेरेव समाध्यात्।

—अष्टश० अष्टस० पृष्ठ २८६।

२. यदी, पृष्ठ २८६।

३. न्यायाद० का० ५।

४. न्या० वि० वि० मा० २१६।

यहाँ प्रश्न है कि इस अनुमान-परिधाया से ऐसा प्रतीत होता है कि वैद परम्परामें साधनको ही अनुमानमें कारण भाना गया है, साधनके ज्ञानको नहीं ? इसका समाचार^१ यह है कि उक्त 'साधन' पदसे 'निश्चयपत्तप्राप्त साधन' वर्ण विविलित है, क्योंकि विस घूमादि साधनका साध्याविनाभावित्वरूपसे निश्चय नहीं है वह साधन नहीं कहलाता । अन्यथा अज्ञायमान घूमादि लिंगसे सुन तथा अवृहीत घूमादि लिंग बालोंको भी बहुत आदिका ज्ञान हो जाएगा । अतः 'साधन' पदसे 'अविनाभावित्वरूपसे निर्णीत साधन' वर्ण अभिप्रेत है, केवल साधन नहीं । विवरणकारने भी उसका यही विवरण किया है । मथा—

साधनं साध्याविनाभावनिश्चयैकलक्षणं बक्ष्यमाणं लिंगम् ।^२

साधन वह है जिसके साध्याविनाभावरूप नियमका निश्चय है । इसीको लिंग (लोकप्रत्यक्षमर्थ गमयति)—चिह्ने हुए अप्रत्यक्ष वर्णका अवगम कराने वाला भी कहते हैं ।

अकलंकदेव स्वयं उक्त वर्णकी प्रकाशिका एक दूसरी अनुमान-परिमाणा लघी-यस्त्रयमें निम्न प्रकार करते हैं—

लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिवैकलक्षणात् ।

लिंगिदीरनुमानं तत्कलं द्वाविदुदयः ॥^३

साध्यके बिना न होनेका जिसमें निश्चय है, ऐसे लिंगसे जो लिंगी (साध्य-वर्ण)का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं । हान, उपादान और उपेक्षाका ज्ञान होना उसका फल है ।

इस अनुमानलक्षणसे स्पष्ट है कि साध्यका गमक वही साधन वर्णवा लिंग हो सकता है जिसके अविनाभावका निश्चय है । यदि उसमें अविनाभावका निश्चय

१. ननु मवता मर्ते साधनमेवानुमाने हेतुनं तु साधनशानं साधनात्साध्यविनाभमनुमानमिति ।

—चर्मभूषण, न्या० द्वी० प० ६७ ।

२. 'न, 'साधनात्' इत्यत्र निश्चयपत्तप्राप्ताद्यूमावैरिति विवक्षयात् । अनिश्चयपत्तप्राप्तस्य धूमादेः साधनत्यपत्त्वापृटनात् । ...साधनाव्यावस्थमानाद्यूमादेः साध्येऽन्यादौ लिंगिनि वदिशानं तदनुमानम् । अव्यावस्थत्वं तत्य साध्यहानननक्षत्रे हि द्व्यादीनामगृहात्-मादीलामव्यव्यादिशानात्पिपस्तंगः ।

—वही, प० ६७ ।

३. वादिराज, न्या० द्विं द्विं द्विं मा० २१, प० १ ।

४. उपीच० चा० १२ ।

४५ : जीव साधनमें अनुमान-विचार

महो है तो वह साधन नहीं है।^१ अगले ही उसमें तीन रूप और पांच रूप भी विचारान हों। जैसे 'स इवामः तत्त्वज्ञात् इतरपुत्रवत्', 'बद्धं ओहडेकर्व याविष्वस्वात् काहवत्' इत्यादि हेतु तीन रूपों और पांच रूपोंसे सम्बन्ध होने वर भी अविनामावके अभावसे संदेतु नहीं है, अपितु हेत्वाभाव है और इसीसे वे अपने साध्योंके गमक—अनुमापक नहीं हैं। इस सम्बन्धमें हम विशेष विचार हेतु-लक्षणके प्रसंगमें करेंगे।

विद्यानन्दने अकलंकदेवका अनुमानलक्षण आदृत किया है और विस्तार-पूर्वक उमका समर्थन किया है। यथा—

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुरुचाः।^२

"साध्याभावात्सम्भविष्वस्त्रक्षणात् साधनादेव सक्षयाभिव्रेतापसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्यैव विज्ञानं लदनुमानं आवार्य विदुः।^३—

तात्पर्य यह कि जिसका साध्यके अभावमें न होनेका नियम है ऐसे साधनसे होनेवाला जो ज्ञान, अभिप्रेत और अप्रसिद्धरूप साध्यका विज्ञान है उसे आवार्य (अकलङ्घ)ने अनुमान कहा है।

विद्यानन्द^४ अनुमानके इस लक्षणका समर्थन करते हुए एक महत्वपूर्ण युक्ति उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि अनुमानके लिए उक्त प्रकारका साधन और उक्त प्रकारका साध्य दोनोंको उपस्थिति आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यदि उक्त प्रकारका साधन न हो तो केवल साध्यका ज्ञान अनुमान प्रतीत नहीं होता। इसी तरह उक्त प्रकारका साध्य न हो तो केवल उक्त प्रकारका साधनज्ञान भी अनुमान ज्ञात नहीं होता। आवाय यह कि अनुमानके मुख्य दो उपादान हैं—साधनज्ञान और साध्यज्ञान। इन दोनोंकी समग्रता होने पर ही अनुमान सम्पन्न होता है।

माणिक्यनन्द अकलंकके उक्त अनुमानलक्षणको सूत्रका रूप देते हैं और उसे स्पष्ट करनेके लिए हेतुका भी लक्षण प्रस्तुत करते हैं। यथा—

साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्।^५ साध्याभिवामावित्वेन निविच्छो हेतुः।^६

१. (क) साध्याभावात्सम्भविष्वमनिक्षयमनुरेण साधनत्वासम्भवात्।

—विद्यानन्द, त० ष्ठ०० ११३।२००, पृष्ठ २०६।

(ख) साध्याभिवामावित्वेन निविच्छो हेतुः।

—माणिक्यनन्द, प० सू० ३।१५।

२. त० ष्ठ०० ११३।१२०, पृष्ठ १९७।

३-४. वही, १।१३।१२० पृष्ठ १६७।

५. प० सू० ३।१४।

६. वही, ३।१५।

'भूमध्यने' भी व्याख्याननिकों तरह बकलंककी ही अनुमान-परिभाषा असरवा: स्वीकार की है और उसे उन्हींकी भाँति सूत्ररूप प्रदान किया है।

बर्मभूषणने^१ अकलंकका व्याख्यानिश्चयोक साधन प्रस्तुत करके सक्ता विशेषीकरण किया है। इस विशेषीकरणसे वह आन्ति नहीं रहती जो 'साधन' पदसे साधनको ही जैस दर्शनमें अनुमानका कारण मानने और साधनज्ञानको न मानने सम्बन्धी होती है। तात्पर्य यह कि उन्होंने 'साधन' पदका 'निश्चयपद प्राप्त साधन' अर्थ देकर उस आन्तिको भी दूर किया है। इसके अतिरिक्त बर्म-भूषणने^२ उद्घोतकर द्वारा उपश तथा बाचस्पति आदि द्वारा समर्चित 'लिंगपरा-महोऽनुमानम्'^३ इस अनुमान-परिभाषाकी समीक्षा भी उपस्थित की है। उसका कहना है कि यदि लिंगपरामर्श (लिंगज्ञान-लिंगदर्शन)को अनुमान माना जाय तो उससे साध्य (अनुमेय) का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि लिंगपरामर्शका अर्थ लिंगज्ञान है और वह केवल लिंग—साधन सम्बन्धी अज्ञानको ही दूर करनेमें समर्थ है, साध्यके अज्ञानको नहीं। यथार्थमें 'वह लिंगपरामर्श अनुमानम् पर्वतः' इस प्रकारके, लिंगमें होने वाले व्याख्यानिश्चय तथा पक्षधर्मताके ज्ञानको परामर्श कहा गया है—'व्याख्यानिश्चयपक्षधर्मताज्ञानम् परामर्शः।' अतः परामर्श इतना ही बतला सकता है कि भूमादि लिंग अग्नि आदि साध्योंके सहचारी हैं और वे पर्वत आदि (पक्ष)में हैं। और इस तरह लिंगपरामर्श मात्र लिंगसम्बन्धी अज्ञान-का निराकरण करता है एवं लिंगके वैशिष्ट्यपक्ष ज्ञान कराता है, अनुमेय-सम्बन्धी अज्ञानका निरास करता हुआ उसका ज्ञान करानेमें वह असमर्थ है। अतएव लिंगपरामर्श अनुमानकी सामग्री तो हो सकता है, पर स्वयं अनुमान नहीं। अनुमानका अर्थ है अनुमेयसम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति पूर्वक अनुमेयार्थका ज्ञान। इस लिए साध्य-सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्तिरूप अनुमित्यमें साधकतम करण तो साक्षात् साध्यज्ञान ही हो सकता है। अतः साध्यज्ञान ही अनुमान है, लिंगपरामर्श नहीं। यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार बारणानामक अनुमय स्मृतिमें, तात्कालिक अनुभव और स्मृति प्रत्यभिज्ञानमें, एवं साध्य तथा साधन विषयक स्पर्श, प्रत्यभिज्ञान और अनुभव तरंगें कारण माने जाते हैं,

^१ १. साधनात्साध्यविज्ञानम् अनुमानम्।

—प० सी० ११२७, पृष्ठ ३८।

२. न्याय दी० १०० ३५, ३७।

३. नहीं, पृष्ठ ६६।

४. न्यायाय १११५, पृष्ठ ४५।

उदी प्रकार व्याप्तिस्मरण आदि उहित लिंगशास्त्र (लिंगपरामर्श) अनुमानकी उत्पत्तिमें कारण है ।

यही ज्ञातव्य है कि लिंगपरामर्शको अनुमानकी परिभाषा माननेमें जो आपत्ति वर्षभूषणने प्रदिशित की है वह उद्योतकरके भी व्यावरमें रही है अबवा उनके समस्त भी प्रस्तुत की गयी जान पड़ती है ।^३ अतएव उन्होंने 'मवतु वाऽयमधों लैंगिकी प्रसिद्धिरनुमानमिति' अर्थात् 'लैंगिकी प्रतिपत्ति (लिंगोका ज्ञान) अनुमान है' कहकर साध्यज्ञानको अनुमान मान लिया है । जब उनसे कहा गया कि साध्य-ज्ञानको अनुमान मान लेने पर फलका अभाव हो जाएगा तो वे उत्तर देते हैं कि 'नहीं, हान, उपादान और उपेक्षाकुद्दिष्टी उसका फल है । उद्योतकर यही एक वही महत्वपूर्ण बात और कहते हैं ।^४ वह यह कि सभी प्रमाण अपने विषयके प्रति भावसाधन है—'प्रमितिः प्रमाणम्' अर्थात् प्रमिति ही प्रमाण है और विषयान्तरके प्रति करण साधन है—'प्रमोयतेज्ञेनेति' अर्थात् जिसके द्वारा अर्थ प्रमित हो उसे प्रमाण कहते हैं । इस प्रकार वे अनुमानकी उक्त साध्यज्ञानरूप परिभाषा भावसाधनमें स्वीकार करते हैं । वर्षभूषणने इसी महत्वपूर्ण तथ्यका उद्घाटन किया तथा साध्यज्ञान ही अनुमान है, इसका समर्थन किया ।

इस प्रकार जैन अनुमानको परिभाषाका मूल रूप स्वामी समन्तभद्रकी 'सद्बृमणीय साध्यस्त्र' इस आसमीमासाकी कारिका (१०६)में निहित है और उसका विकासित रूप सिद्धेनके न्यायावलार (का० ५)से आरम्भ होकर अकलंगकी उपर्युक्त लघीयस्त्रय (का० १२) और न्यायविनिश्चय (द्वि० भा० २१) तक दोनों परिभाषाओंमें पारसमाप्त है । लघीयस्त्रयको अनुमानपरिभाषा तो इतनी व्यवस्थित, युक्त और पूर्ण है कि उसमें किसी भी प्रकारके सुधार, संशोधन, परिवर्द्धन या परिष्कारकी भी गुंजायश नहीं है । अनुमानका प्रयोजक-तत्त्व क्या है और स्वरूप क्या है, ये दोनों बारें उसमें समाविष्ट हैं ।

गोतमको 'तत्पूर्वकमनुमानम्'^५, प्रशस्तपादकी 'किंगदर्शनात् संज्ञायमान लैंगि-

१. धारणास्त्रोऽनुभवः सृष्टौ हेतुः । तदातिवकानुभवसृष्टौ प्रत्यक्षिणाने । सृष्टिप्रत्यक्षिमिश्वानानुभवः साध्यसाधनविषयात्मकः । तदलिंगशास्त्रं व्याप्तिस्मरणादिसहकरमनुमानोत्तमो निवन्धनमित्येतत्सुर्वंगतमेव ।

—न्यायद१० शुल् ६६, ६७ ।

२. मवतु वाऽयमधों लैंगिकी प्रतिपत्तिरनुमानमिति । अनु च फलाभावो दोष उक्तः । न दोषः । हानोपादानोपेक्षाकुद्दीना फलवाद ।

—न्यायद१० १११३, शुल् २६, २८ ।

३. यही, १११३, शुल् २६ ।

४. न्या० स७ १११५ ।

कर् ॥ और उद्घोतकरकी किंगपरमसर्वभुमानम् ॥^१ परिवाराद्वये हर्ये केशव कारणका निर्देश मिलता है, अनुमानके स्वरूपका नहीं। उद्घोतकरकी एक अन्य परिमाणा 'कैगिकी प्रतिपचिरनुमानम्'में^२ स्वरूपका ही उल्लेख है, कारणका उसमें कोई सूचन नहीं है। विद्वानामी किंगादधेदर्कम्^३ अनुमानपरिमाणमें यथापि कारण और स्वरूप दोनोंकी अभिव्यक्ति है, परन्तु उसमें लिंगको कारणके रूपमें सूचित किया है, लिंगके ज्ञानको नहीं। किन्तु तथ्य यह है^४ कि अज्ञायमान धूमादि लिंग अग्नि आदिके जलक नहीं हैं। अन्यथा जो पुरुष सोया हुआ है, अग्नीहीतव्यासिक है उसे भी पर्वतमें धूमके सदभावमात्रसे अनुमान हो जाना चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं है। पर्वतमें अग्निका अनुमान उसी पुरुषको होता है जिसने पहले महानस आदिमें धूम-अग्निको एक साथ अनेकबार देखा और उनका अविनाभाव प्रहण किया, फिर पर्वतके समोप पहुँच कर धूमको देखा, अग्नि और धूमकी व्याप्ति (अविनाभाव)का स्पर्श किया और फिर पर्वतमें उनका अविनाभाव जाना तब उस पुरुषको 'पर्वतमें अग्नि है' ऐसा अनुमान होता है।^५ केवल लिंगके सदभाव-मात्रसे नहीं। अतः विद्वानामके उक्त अनुमानलक्षणमें 'किंगाद्'के स्वावयें 'किंग-मर्कमात्' यद होने पर ही वह पूर्ण अनुमानलक्षण हो सकता है।

अकलंकदेवका 'किंगास्साध्याचिनामाकामिनिषोद्देशकमात् । किंगिष्ठीस्तु-मानं तत्कलं हानादितुदद्यः ॥'^६ यह अनुमानलक्षण उक्त दोबोंसे मुक्त है। इसमें अनुमानके साक्षात् कारणका भी प्रतिपादन है और उसका स्वरूप भी निर्दिष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्होंने 'तत्कलं हानादितुदद्यः' लक्षणों द्वारा अनुमानके कलका भी विवेश किया है। सम्बन्धः इन्हीं सब बातोंसे उत्तरवर्ती सभी जैन तार्किकोंने अकलंककी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिमाणको ही

१. प्रश्न० मा० पृष्ठ ५५ ।

२. न्यायवा० १।१।५, पृ० ४५ ।

३. वहो, १।१।३, पृ० २८ ।

४. न्या० म० पृ० ४४७ ७ ।

५. अज्ञायमानस्तत्प्य (लिंगस्त) साध्यादानकनकत्वे हि दुष्टादीनामगृहीतभुमादीनामय-स्वयादिक्षानोपतिप्रसंगः ।

—न्या० दी०, पृ० ६७ ।

६. अग्नीहीतव्याप्तेरित्य गृहीतविस्तृतव्याप्तेरित्य पुंसोऽनुमानसुद्देशम ज्ञायिस्तृतेरज्ञनु-मितिहेतुलक्षण । धूमदशेनाच्चोद्युदत्तंस्तकारो व्याप्तिं लक्षिति । यों को धूमवाप्तं ल सो-अग्निमान् बद्ध महानस हति । तेन धूमदशेन जाते व्याप्तिस्तृतो धूमार्ण वद्युत्तेवानं तद् उत्तोम्य "धूमवाप्तव्यम्" हति । उदेवान्मिममधुमाप्तिं जान्वत् ।

—तत्कामा० पृ० ४८, ४९ ।

७. छान्नीव० का० १२ ।

१८ : लेखकानन्दमें अनुमान-विचार

उन्हें उर्ध्वशब्दोंमें अवलाभा है। विद्यानन्द जैसे तार्किकमूर्द्द्यने तो '....अनुमानविद्युत्तुवः' कह कर और 'आचरणी' द्वारा उसे कठित बतला कर उसके महत्व-प्रभाव भी क्षयापन किया है।

(८) अनुमानका लेख-विस्तार : अर्थापति और अभावका अन्तर्भाव :

जैसा कि हम पहले निर्देश कर आये हैं कि परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं—
(१) स्मृति, (२) प्रत्यक्षज्ञान, (३) तर्क, (४) अनुमान और (५) आगम। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमाणान्तर जैसे दर्शनमें अस्तुपगत नहीं हैं।

विचारणीय है कि जिन उपमान, अर्थापति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य, निर्णय, प्रातिभाव, आर्थ, सिद्धदर्शन और चेष्टाका उत्तेजक करके उनके प्रमाण होने अवधा न होनेकी चर्चा अन्य दर्शनोंमें की गयी है उनके विषयमें जैसे दर्शनका कथा दृष्टिकोण है? उनका स्वीकृत प्रमाणोंमें अन्तर्भाव किया गया है या उन्हें अप्रमाण कहा गया है?

जौतमने^१ प्रत्यक्ष, अनुमान और सम्भवके अतिरिक्त उपमानको भी चौथे प्रमाण-के रूपमें स्वीकार किया है। भीमासादर्शनके भाष्यकार शब्दरस्तामीने^२ उक्त चार प्रमाणोंके साथ अर्थापति और अभावका भी पाँचवें तथा छठे प्रमाणके सममें प्रतिपादन किया है। सम्भव आदिको किन्होंने प्रमाण माना है, इसका स्पष्ट निर्देश उपलब्ध न्याय एवं दर्शनके शब्दोंमें नहीं मिलता। परं प्रशस्तपादने^३ उनका उत्तेज-पूर्वक यथामोय अन्तर्भाव अवधाव विलाभा है।

प्रशस्तपादका मत^४ कि चौबीस गुणोंमें जो बुद्धि है, जिसे उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय नामोंसे कहा जाता है, वह अनेक प्रकारके अवौकों जाननेके कारण यद्यपि अनेक प्रकारकी है फिर भी उसे दो बगोंमें विभक्त किया जा सकता है—(१) अविचार और (२) विचार। अविचार चार प्रकारकी है—(१) संक्षय, (२) विपर्यय (३) अनव्यवसाय और (४) स्वप्न। विचारके भी चार भेद हैं—(१) प्रत्यक्ष, (२) लैंगिक, (३) स्मृति और (४) आर्थ। इनमें प्रत्यक्ष* और लैंगिक* ये दो

१. त० स्लो० ११३, प० १६७।

२. न्या० स० ११३।

३. यो० द० मा० ११५।

४. मध० मा० प० १०६-१२६।

५. वही, प० ८३-९३।

६. वही, प० ९४।

७. वही, प० ९५, ६६।

८. वही, प० १०६।

विचारें प्रमाण हैं। पर सृष्टि और वार्ष ये मात्र विचारें (आनं) हैं। वे न अतिरिक्त प्रमाण हैं और न उक्त दो प्रमाणोंमें अन्तर्भूत हैं क्योंकि वे परिष्कृतकामात्र हैं, अवस्थापक नहीं^१। प्रशस्तपादने 'बाहदादीनामध्यमुमानेऽन्तर्भूतः समानविचित्वात्'^२ कहकर शब्द, वेष्टा, उपमान, अर्थापति, सम्भव तथा ऐतिहासिक अनुमानमें अन्तर्भूत किया है। लिखित^३ एक विशेषदर्शनसे उत्पन्न अवधारणात्मक ज्ञान है जो कहीं प्रत्यक्षात्मक होता है और कहीं अनुमानात्मक। प्रत्यक्षात्मक लिखित प्रत्यक्षप्रमाणमें और अनुमानात्मक लिखित अनुमानमें अन्तर्भूत है। वार्ष^४ वार्षज्ञानरूप है। इसीको प्रतिभ महत्व है। यह अनुविवेषोंको होता है, जो आत्म-मन संयोग और वर्मविवेषसे फँस्तोंमें कवित अवधा अकवित वर्मादि अतीन्द्रिय पदोंको विषय करता है। यह बलौकिक प्रातिभ (वार्ष) है। लौकिकोंको भी यह कभी कदाचित् होता है। उदाहरणार्थ 'कम्यका अवीति इवः मे आता ३३गम्भैति हृष्टम् भे कथयति' अर्थात् कन्या कहती है कि कल मेरा भाई आएगा, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। 'हित्वदर्शनको'^५ प्रशस्तपादने अलग ज्ञानान्तर तो नहीं माना, पर उसे प्रत्यक्ष और अनुमानके अन्तर्गत ही उत्कादा है। कदाचित् वार्षमें भी उसका अन्तर्भूत हो सकता है। इस प्रकार प्रशस्तपादने ज्ञानोंके अन्तर्भूतिका संक्षेपमें प्रतिपादन किया है।

गौतमने^६ ऐतिहास, अर्थापति, सम्भव और अभावका उल्लेख करके उनकी अतिरिक्त प्रमाणात्मकी भीमांसा करते हुए शब्दमें ऐतिहासिक और अनुमानमें अर्थापति, सम्भव तथा अभाव इन तीनोंका अन्तर्भूत किया है।

जैन तात्किकोंने भी इन पर सूक्ष्म विचार किया है और उनकी पुष्टिल चर्चा प्रस्तुत को है। जैनायमोंमें ज्ञान और उसके विभिन्न प्रकारोंका विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध है। आहृतदर्शनमें^७ ज्ञानको आत्माका स्वपरावभासक असाधारण गुण माना गया है और उसे उसका आत्मरूप (स्वभाव) स्वीकार किया है, संयोगज या समवायी नहीं। आवरणके न्यूनाधिक अभावसे वह मन्द, मन्दतर,

१. प० भा०, शृङ् १२६, १२७।

२. वही, प० १०६-११२।

३. वही, प० १२७, १२८।

४. वही, प० १२८, १२९।

५. वही, प० १३६।

६. न्यायस० २२१, २।

७. तत्र ज्ञानं तावदात्मनः स्वपरावभासकः असाधारणो गुणः। स च अस्पदाविनिषुक्तस्य
मात्रत इव निरत्समस्तपरपर वीक्ष्य समावस्थूः कैवल्यानन्धपरदेहं कृमते।

—यशोविजय, ज्ञानवि० प० १४ १।

अन्यतर, सीधा, सीधातर, सोडातम जैसे अद्विक्षेक भेदोंके बारण करता है उनका आमतमाधारमें मति, अत, अवधि, मतःपर्यय और केवल पीछे मूल शब्दों द्वारा अवश्यक होता है। इनमें आश्च चार जानोंके भी अनेक उपलेख हैं। पर 'केवल' एक रूप है और पूर्ण है। उसमें अंश-भेद नहीं है। यह जीवन्मुक्तों (अर्हतों) तथा शूर्य मुक्तात्माओं (सिद्धों)के ही होता है। जीवोचिकोंके सिद्धवर्णनसे उसकी कुछ लक्षण एवं पहचान की जा सकती है, सूक्ष्म, अवश्यित और दूरस्थ सभी पदार्थोंको यह युगपत् जानता है (तत्त्वज्ञानं प्रमाणं से युगपत्तर्वभास्तव्य—आ० मी० १०१) और निरावरण होनेके अनन्तर फिर नह नहीं होता—यदा विद्यमान रहता है। इसीसे इसे अविनाशी, असीम, पूर्ण और अनन्त कहा जाया है।

तर्कयुगमें इन्हीं जानोंको परोक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रमाणोंमें विभाजित किया है। मति और अत ये दो इन्द्रियादि परायेक होनेसे परोक्ष कहे जाये हैं और शेष सीन इन्द्रियादिकी अपेक्षा न रखनेके कारण प्रत्यक्ष माने जाये हैं। परोक्ष प्रमाण-का लेन इतना व्यापक और विस्तृत है कि इसमें उम सभी जानोंका समावेश हो जाता है जिनमें इन्द्रिय और मनकी सहायता अपेक्षित है। ऐसे कुछ जानोंका उल्लेख 'मति स्मृतिं सज्जा चिन्तामिनिकीष्ट इत्यनर्थान्तरम्' सूत्र द्वारा आचार्य बृद्धपिङ्गलने किया है और 'इति' शब्दसे इसी प्रकारके अन्य जानोंके भी संप्रहकी उन्होंने सूचना की है। वे अन्य ज्ञान कोन हैं, इसका स्पष्ट निर्देश हमें आ० निदानन्दके विवेचनसे मिलता है। उन्होंने लिखा है^१ कि सूत्रकारने 'इति' शब्दसे, जो प्रकाराधार्यक है, बुद्धि, मेघा, प्रज्ञा, प्रतिभा, अभाव, सम्भव, अर्थापत्ति और उपमानका संग्रह किया है। अर्थग्रहणकी जिसमें शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। यह मति (अवप्रहादि अनुभवविद्योग)का प्रकार है। अर्थात् वह अनुभवरूप मतिज्ञानका एक भेद है। शब्दस्मरणकी शक्ति मेघा है। वह किन्हीं-किन्हीं महा-

१. त० स० ३।१३ ।

२. इति शब्दस्मरणकाराचार्यौ तु द्विमेषा च गृह्णते ।
प्रज्ञा च अतिमात्रामात्रः सम्भवोपमिती तथा ॥
द्विमेषीः मकारः स्याद्यंग्रहणाक्षितका ।
मेषा भृतोः तथा शब्दस्मृतिशक्तिमनस्त्वनाम् ॥
क्षहायोहर्तिका प्रज्ञा चिन्तावा: प्रतिभेष्या ।
साहृद्य पाठिके भावे साहृदये तादृशवरणे ॥
प्रवर्त्तमाना केषाचिद् दृष्टा साहृदयसंविदः ।
संशावाः, सम्भवाचस्तु लैमिक्षम् क्षमात्मणः ॥
—००० छो० १।१३।३, ५,६,७, १४ १८६ ।

भवानोंके उत्तम होती है और स्मरणसामान्यसे विकिषित होती है। यह स्मरणका प्रकार है। लग्नपोहफ प्रकार है। उसका चिन्ता (शर्क)में समावेश है। प्रसादवन्म-से युक्त नवीन-नवीन अबोंके ज्ञानको व्यक्त करनेवाली प्रतिभा भी चिन्ता का प्रकार है। सादृश्य-विकिषित वस्तुमें या वस्तु-विकिषित सादृश्यमें होने वाला सादृश्यज्ञानका उपमान संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान)का प्रकार है। अर्थात् 'मोंके सदृश गवय होता है' इस वृद्धवाच्यका स्मरण कर अर्थमें गवयको देखकर 'ऐसी ही गाय होती है' ऐसा सदृशका ज्ञान होना वच्चा इसका सादृश्य नाममें है, ऐसा सादृश्यका ज्ञान होना उपमान है। यह सादृश्यप्रत्यभिज्ञानसे भिन्न नहीं है।

इसी सन्दर्भमें लिङ्गानन्दने सम्मेव, अर्थापिति, अभाव और कोई उपमानज्ञान-को लिङ्गान्य होनेसे उन्हें लैंगिक (अनुमान)के अन्तर्भुत प्रतिपादन किया है। हम पीछे प्रश्नस्तुपादका उल्लेख कर आए हैं। उन्होंने भी इन चारों ज्ञानोंको लिङ्गान्य बताकर कर उनका अनुमानमें अन्तर्भूत किया है।

अर्थापिति और अभाव अनुमानसे पृथक् नहीं हैं :

मीमांसक अर्थापितिको अनुमानसे पृथक् प्रमाण ज्ञानमें प्रधान युक्ति यह देते हैं कि अनुमानमें दृष्टान्तकी अपेक्षा होती है और साध्यसाधनके अविनाभाव (व्याप्ति)का निर्णय दृष्टान्तमें होता है। पर अर्थापितिमें दृष्टान्त अपेक्षित नहीं होता और न अन्यवानुपपदमान तथा कल्पित अर्थके अविनाभावका निरूपण दृष्टान्तमें होता है, अपितु पक्षमें ही होता है। इसी प्रकार अनुमानमें अहिर्वासिदिलायी जाती है। परन्तु अर्थापितिमें केवल अन्तर्व्याप्तिको माना गया है। अतः अर्थापिति अनुमानसे पृथक् प्रमाण है ?

जैन तात्किकोका^१ मत है कि अर्थापिति और अनुमानका उपर भेद वास्त-

१. दृष्टान्तनिरपेक्षात्वं लिङ्गस्वापि विवेदितम् ।

तन्म मानान्तरं लिङ्गादर्थापस्तारिवेदनम् ॥

सिद्धः साध्याविनाभावो अर्थापितोः प्रमाणकः ।

—त० क०० ११३।३५०, ३८६, पृष्ठ २१० ।

(ख) ततो वयाऽविनाभावः प्रमाणात्तिवक्षान्वेद ।

अदृष्टान्तेऽपि निर्णीतस्तदा स्पादन्यहेतुऽु ॥

—वादीभासिह, स्याऽ स्ति० १५३, पृष्ठ ३२ ।

(ग) ननु लिङ्गस्य दृष्टान्तभविष्यति प्रवृत्तमाध्यक्षसात्त्वोपसंहारेण स्पादन्यनियतत्व-निष्ठयः, अर्थापस्तुत्यापकार्यस्य तु साध्यमिष्येद प्रवृत्तमाध्यक्षसात्त्वोपसंहारे-प्रवृत्तमाध्यक्षानुपपदमानत्वनियतय इत्यन्वेदः, वैत्यकृतम्, न हि लिङ्ग सप्तका-सुप्तकानेण गमकन्, वप्तव्य छोड़क्षेत्रत्वे पार्वितवत्वत्, इत्यमन्वे तत्प्रत्यक्षवदा ।

तिर्त्यैः 'अन्तर्व्याप्तिवक्षे' इति ॥—४

—अन्तर्व्याप्तिवक्ष, अवेषक० स्ता० २१३, पृष्ठ १९५ ।

विक नहीं है। यथार्थमें अनुमानमें भी दृष्टान्त आवश्यक नहीं है। 'सर्वमन्त्र-काम्तात्मकं सरवाद्, प्रमेषत्वाहा'—सभी बस्तुएं अनेकान्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे सब हैं अवश्या प्रमेष हैं, 'अद्वैतवादिवोऽपि प्रमाणाचि सम्बिल इटानिष्ठसाधनदूष-वाप्तवान्मुपयते'—अद्वैतवादीके भी प्रमाण हैं, अथवा इहका साधन और अनिष्ट का दूषण नहीं बन सकेगा, इत्यादि अनुमानोंमें दृष्टान्त नहीं है और उनकी व्याप्तिका निर्णय पक्षमें ही होता है। अतः जिस तरह इन अनुमानोंमें दृष्टान्तके बिना भी पक्षमें ही अविनाभावका निर्णय हो जाता है उसी तरह अन्य हेतुओंमें भी समझ केना चाहिए। यही कहा जा सकता है कि बिना दृष्टान्तके साध्य-साधनके अविनाभावका निर्णय पक्षमें कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ साध्य तो अज्ञात है और जब तक साध्य तथा साधन दोनोंका ज्ञान नहीं होगा तब तक उनके अविनाभावका निर्णय असम्भव है? यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तके बिना भी उल्लिखित हेतुओंमें अविनाभावका निर्णय विषयमें बाधक प्रमाणके प्रदर्शन एवं तर्कसे होता है। यही दोनों समस्त अनुमानोंमें व्याप्ति-निर्णयाक है। व्याप्तिनिर्णयके लिए यह आवश्यक नहीं कि साध्यका ज्ञान होने पर ही उसका निर्णय हो, क्योंकि व्याप्ति ही हेतुका स्वरूप है^१ और हेतुका ज्ञान हेतु प्रयोगके समय ही जाता है। तात्पर्य यह कि दृष्टान्तके बिना भी केवल पक्ष-में अवश्या पक्षके अभावमें भी विषयमें बाधक प्रमाणके बल तथा तर्कसे साध्य-साधनके अविनाभावका निर्णय हो जाता है। अतः दृष्टान्तका सद्भाव-असद्भाव अनुमान और अर्थापिति के पार्थक्यका प्रदोषक नहीं है।

बहिर्घर्षित और अन्तर्घर्षित भी अनुमान और अर्थापितिकी भेदक रेखाएँ नहीं हो सकतीं। यथार्थमें बहिर्घर्षित अवध्यमिचारिणी व्याप्ति नहीं है। 'स श्वासः तत्पुत्रत्वाद् इतरतपुत्रवत्' इत्यादि स्थलोंमें बहिर्घर्षितके विषयमान रहने पर भी

१. दृष्टान्तरहिते कर्मादविनाभावनिर्णयः ।
अन्यथा शातसम्बन्धसाधनाभन्नोमवेत् ॥
पक्षे तन्मित्यो न स्वास्त्वाभ्यस्य अविषितिः ।
साध्यसाधनविदो हि पक्षे तन्मित्यो मवेत् ॥
इति वेतन्न एव स्वादविनाभावनिर्णयः ।
पिण्डे वाप्तसामव्याप्तात्माद्वास्य विनिष्ठवः ॥
—वादीविदिष्ट, स्वादादिष्ट ६।१०, १२, ११ ।
२. एति वेतनाभावः साध्यसाधनेऽपि वक्षते ।
तस्मै हेतोः स्वस्यत्वात्त्वामव्याप्तोऽस्य निर्णयः ॥
—वही, ५।४ ।

अन्तर्बार्तिके अभावमें 'त्रिशुलस्य' आदि हेतु साम्यके गमक नहीं है।' वास्तवमें अन्तर्बार्तिके बजसे ही हेतुको जैनदर्शनमें गमक माला यथा है। अतः अन्तर्बार्तिही वास्तविक व्याप्ति है, बहिर्बार्तिनहीं और अन्तर्बार्तिसे विशिष्ट हेतु द्वारा उत्पन्न ज्ञातको ही अनुमान कहा यथा है। अतएव अर्थप्रति और अनुमानमें कोई भेद नहीं है—अनुमानमें ही उसका अन्तर्भाव है क्योंकि दोनोंका प्रयोजक तत्त्व एक अविनाभाव (अन्यानुपयोगिता-अन्तर्बार्तिः) ही है और उससे विशिष्ट—अविनाभावी लिंगसे ही दोनों उत्पन्न होते हैं। अन्यानुपयोगिता अर्थ और अविनाभावी लिंगमें तात्पर्यक फोर्म अन्तर नहीं है। पश्चात्मनत्वसहिता अर्थप्रति, पश्चात्मनार्थप्रति, अनुमानार्थप्रति, उपमानार्थप्रति, शब्दार्थप्रति, अर्थप्रतिपूर्विका अर्थप्रति और अविनाभावप्रति में अर्थप्रतिके भेद अविनाभावरूप एकलक्षणसे लक्षित होनेसे अनुमानका ही विस्तार है।

अभावको प्रमाणान्तर स्वीकार करने वाले भाटू नीमातकोंका मत है^३ कि यतः वस्तु भावाभावात्मक है, अतः उसके भावांशका ग्रहण तो प्रत्यक्षादि वांच भावप्रमाणोंसे हो सकता है। परन्तु उसके अभावांशका परिज्ञान उसके द्वारा सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रमेय भिन्न है। अतएव वहां प्रत्यक्षादि वांच प्रमाणोंका प्रबोध नहीं है वहां अभावको प्रमाण भाला यथा है। प्रत्यक्षसे जब हम घटरहित भूतलको देखते हैं और प्रतियोगी घटका स्पर्श करते हैं तो 'यहां घड़ा नहीं है' इस प्रकारका इन्द्रियनियोग मानसिक नास्तिकाभाव होता है। यह वास्तिकता-प्राही ज्ञान ही अभावप्रमाण है ?

जैन विचारकोंका मन्त्रमय है कि जब वस्तु भावाभावात्मक है और भावांश अभावांशसे भिन्न नहीं है तो जो प्रमाण भावांशको जानेगा वहीं अभावांशको जान लेगा, उसे जाननेके लिए अलग प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। तथ्य है कि जब यह

१. किं च पक्षादिवर्यमेऽप्यन्तर्बार्तेवैरभावतः ।

तत्पुत्रलादिहेतुल्यं गमकहर्व न वृक्षयते ॥

पक्षादिवर्यमहीनोऽपि गमकः कृपिकोदयः ।

अन्तर्बार्तेवैरतः सैव गमकलमसाधनी ॥

—स्याऽऽस्ति०, छा०२०, ६४—६५ ।

२. प्रमाणपूर्वकं यत्र वस्तुपूर्वे न जावते ।

वस्तुसत्तावदोषार्थं तत्राभावप्रमाणता ॥

गृहोत्तरा वस्तुसत्तार्थं स्मृत्वा च प्रतिबोधिनम् ।

मानसं नास्तिकाद्वाने जापतेऽक्षान्वेषण्या ॥

न तावदिन्द्रियेणां नास्तीत्युत्पादते मतिः ।

मावांशेनैव सम्भवो दोषात्त्वादिन्द्रियस्य हि ॥

—कृमारिण, मी० छठो० अध्यात्म० १० को० १, ३५, ६५ ।

कहते हैं कि 'हम घटरहित भूतलको देखते हैं' तो भूतलके साथ उसके विशेषण-सम्पर्क से घटरहितको भी देखते हैं। यह असम्भव है कि दण्डवाले देवदत्तको देखे और दण्डकी न देखें। यतः विशेषणके ज्ञानके बिना 'दण्डवाला देवदत्त' ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार घटरहित भूतलको देखते समय उसके घटरहितता-विशेषणका ज्ञान हुए बिना 'घटरहित भूतल' ऐसा विशिष्ट प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः जब हम ऐसा ज्ञानते हैं या यज्ञप्रयोग करते हैं कि 'घटरहित भूतल है' या 'भूतल घटरहित है' तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष (मानस प्रत्यक्ष) हारा ही घटाभावका ज्ञान होता है।^५ किन्तु जब हम ऐसा ज्ञानते या ज्ञान करते हैं कि 'यहां घड़ा नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता', तो यह घटाभावज्ञान अनुपलब्धिलिङ्गजनित अनुमान है।^६ सच यह है कि अनेकबार भूतल पर घड़ा देखा था, परन्तु अमुक बार उसका दर्शन नहीं हुआ तो वहां स्वभावतः अकेले भूतलको देखने और भूतलसंसृष्टि घड़ेका स्मरण होने पर 'यहां घड़ा नहीं है, क्योंकि वह देखनेमें नहीं आता, यदि होता तो वस्त्र दिखाई देता' इस प्रकारका अनुपोह (तर्क) पूर्वक उत्पन्न यह लैकिक (अनुमान) ज्ञान ही है, जले ही उसे मानस कहा जाए, क्योंकि अनुमान भी मानसज्ञानका एक प्रकार है। अतः अभावप्रमाण अनुमानसे अवर्णन्तर नहीं है—उसीमें उसका समावेश है। यही कारण है कि अनुमानके प्रधान अंग हेतुके भेद-प्रभेदोंमें प्रतिवेषसाधक उपलब्धि हेतु और विचित्रता प्रतिवेषसाधक अनुपलब्धि हेतुओंकी भी परिमणना की गयी है^७ और उससे होने वाले अनुमेयार्थ—अभावके ज्ञानको अनुमान प्रतिपादन किया है।

सम्भवका अनुमानमें अस्तमविंशति :

सम्भव प्रमाण भी अनुमानसे मिल नहीं है। यह एक प्रकारका सम्भाव-

१. भावाभावत्मके माने भावविस्थादभाववित् ॥

भावाभावाभावमावश्या नन्वावप्यमा, ततः ।

भावभमाणतोऽन्यावास्तस्या एवनिरीक्षणात् ।

—वादीमसिंह, सम्पादकरात्रीलाल कोठिया, स्थादादसि० १२१८, १.३ ।

निषेधाभारो वस्तवन्तरं प्रतिवेगिरहस्यं प्रतीयते असंस्कृतं वा । ... ।

द्वितीयको अमावप्रमाणपैदवर्ष्यम्, प्रत्यक्षेष्वै प्रतिवेगिनोऽमावप्रतोऽतः ।

—प्रभावन्तः, प्रभेषक० मा० २।२, शुक्ल २०३ ।

२. अत्रेति ज्ञानमध्यक्षं प्रतिवेषाते वटे स्मृतिः ।

अनुपलभ्यतो नात्तोत्युक्तावनुभितिमन्तेत् ॥

स्वाधार्वान्दूतिसम्भूतिपैदविस्मरणे भवेत् ।

हेत्वादिवचने तत्स्वात्पराद्योऽपि च सद्गुमा ॥

वादीमसिंह, स्था० लि० १२१९, ५ ।

३. परोक्षासुख १५४, ६७-८१ ।

नास्तिक ज्ञान है। जैसे 'सद्गुरुत्वं सहजे शब्दः' अर्थात् हृषीकरमें सौ सम्बन्ध है। अब वह दो सेर बस्तुको देखकर उसमें एक सेर बस्तुकी सम्भालना करता। यह ज्ञान अनुमानके अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष—सहज या दो सेरको देखकर परोक्ष—सौ या एक सेरका अनुमान किया जाता है। विद्यानन्दने इसका उल्लेख करके इसे अनुमानमें अन्तर्भूत किया है।'

प्रातिभक्ता अनुमानमें समावेश :

विद्यानन्दने^३ प्रातिभक्तानका भी निर्देश किया और उसका अनुमानमें समावेश किया है। जिस रत्नादिके प्रभाव एवं मूल्यादिको सामान्यज्ञन न जान सकें, किन्तु अस्यत्त अन्यासाके कारण तद्विशेषज्ञ अवक्षित उसके प्रभाव एवं मूल्यादिको तत्काल जान लें, ऐसे ज्ञानको प्रातिभ कहा गया है। यह ज्ञान अनुमान ही है, क्योंकि जिन हेतुबोर्से यह होता है वे लिंगसे भिन्न नहीं हैं। अतः यह लैंगिक ही है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यानन्दसे पूर्व अकलंकने^४ भी तत्त्वार्थवार्तिकमें उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापिच्छि, सम्बन्ध और ज्ञानादके उल्लेख-पूर्वक उपमान, शब्द और ऐतिह्यका श्रुतमें एवं अर्थापिति, सम्बन्ध और अभावका अनुमानमें अन्तर्भवित किया है। अकलंककी यहाँ एक विशेषता परिलिङ्गित होती है। उन्होंने^५ अनुमानका भी श्रुतमें समावेश किया है। उनका भत है कि स्वप्रतिपत्तिकालमें वह अक्षर रथ्युत है और परप्रतिपादन (प्रतिपत्ति) कालमें अक्षररथ्युत। यहाँ अकलंकदेवने वट-सण्डागमकी परम्परानुसार अनुमानको श्रुत बतलाया है। हम पहले लिख चुके हैं कि आगममें एक अर्थसे दूसरे अर्थके जाननेको श्रुत कहा गया है। अनुमानमें भी एक अर्थ (चूमादिक)से दूसरे अर्थ (अन्यादिक)की प्रतिपत्ति की जाती है। अतः आगमकी परम्पराको व्याख्यानमें रखकर ही अकलंकदेवने तत्त्वार्थवार्तिकमें अनुमानको श्रुत (अक्षररथ्युत और अक्षररथ्युत)में अन्तर्भूत किया है। ज्यान रहे कि

१. सम्बन्धः प्रमाणान्तरमादकं वृष्ट्वा सम्बन्धस्त्रांडकमिति प्रतिपत्तेन्द्रवा विरोधाद्।

***सम्बन्धादेव यो हेतुः सोऽपि हिंगान्न विष्टते।

त० षष्ठो वा० ११६३।३८८, ३८९, १० २१७।

२. प्रातिभं च प्रमाणान्तरमत्ताभ्यासादन्यज्ञनावेदस्य रत्नादिप्रमावस्य इटिति प्रतिपत्ते-
देशान्तरिक्षमें तात् प्रतीदसुव्यते...।

—वही, ११६३।३८८, शुष्ठ २१७।

३. तत्त्वार्थवा० १२०।१५, प० ७८।

४. 'वस्त्रादेतान्तुमादादेति श्रुते अन्तर्भूतिं' तदेतत्त्विद्यमयि (अनुमान) स्वप्रतिपत्ति-
काले अक्षररथ्युते परप्रतिपादनकाले अक्षररथ्युत्।

—तत्त्वार्थवा० ११६।१५, शुष्ठ ७८।

१०५ : जीव वर्क्षात्ममें अनुमान-विचार

उहोने^१ उपग्रह, अर्थापति, सम्बन्ध और अभावको भी स्वप्रतिपत्तिकालमें अन्तरध्युत और परप्रतिपत्तिकालमें अन्तरध्युत कहा है, जबोकि इनके द्वारा भी दोनों प्रकारकी प्रतिपत्ति होती है।

पर विद्यानन्द^२ स्वप्रतिपत्तिकालमें होने वाले अनुमान—स्वार्थानुमानको तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य गृहपितृज्ञके अभिप्रायानुसार अभिनिवोषक्तामक विशिष्ट मतिज्ञान बतलाते हैं, उसे वे ध्रुत (अनकरध्युत) कहते कहते, क्योंकि वह स्वद्योज्ञानारहित होता है।^३ किन्तु वे परार्थानुमान (परप्रतिपत्तिकालमें होनेवाले अनुमान) को ही अशोत्रमति और शोत्रमतिवस्त्र अनकरध्युत और अकरध्युत दोनोंरूप प्रतिपादन करते हैं।^४ इस तरह हम देखते हैं कि विद्यानन्द परार्थानुमानको ही ध्रुतके अन्तर्गत मानते हैं, स्वार्थानुमानको नहीं।

यहा अकलंक और विद्यानन्दके प्रतिपादनोंमें एक सूक्ष्म अन्तर और दिलाई देता है। अकलंक स्वप्रतिपत्तिकालमें होनेवाले अनुमान (स्वार्थानुमान) को अनकरध्युत और परप्रतिपत्तिकालमें होनेवाले अनुमान (परार्थानुमान)को अकरध्युत कहते हैं।^५ किन्तु विद्यानन्द परार्थानुमानको ही अनकरध्युत और अकरध्युत दोनोंरूप प्रकट करते हैं।^६ इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वे स्वार्थानुमान को स्वद्योज्ञानारहित विशिष्टमतिज्ञान (अभिनिवोष-मतिज्ञान) मानते हैं और अपनी इस माध्यताका आचार तत्त्वार्थसूत्रकारके 'मतिःस्तुति....' आदि सूत्रमें आये 'अभिनिवोष' को, जो मतिज्ञानका पर्याय है और जिसे दर्कका कल

१. 'वदा गौतमा गवः केवल सास्नारहितः' हस्तुप्रमाणमपि स्वपरप्रतिपत्तिविषयताद-
करानकारध्युते अन्तर्भृते।...परेवाप्यवद्यत्वादीलामनुमानसम्यानत्वमिति
पूर्वकर अनुमानत्वात्।

—तत्त्वार्थवाद १२०।१५, प० ७८।

२. तदेतसाधनात् सार्थविद्यानमनुमानं स्वार्थानभिनिवोषहक्षणं विशिष्टमतिज्ञानं सार्थं स्व-
भिसुखाक्षियमितात्साधनात्पुरात्प्रतिपादनात्
—प० १० १० ७६।

३. छिगजो शोः स्वद्योज्ञानारहितोऽभिनिवोष एवेति।...सत्यं स्वार्थानुमानं तु विना
वच्छब्दयोज्ञात्।'

—तत्त्वार्थवल्लो वा० ११३।१८, प० २१६।

४. परार्थानुमानमनकरध्युतशानं अकरध्युतशानं च, तत्वाभोक्त्रमतिपूर्वकस्य शोषमति-
पूर्वकस्त्र च तथादेवपत्तेः।
—प० १० १० ७६।

५. तदेतत्त्वत्यमपि (अनुमान) स्वप्रतिपत्तिकाले अनकरध्युतं परप्रतिपादनकाले अकरध्युतम्।
—त० वा० ११३।१५, प० ७८।

६. प० १० १० ७६। तथा पिङ्गले शुद्धका शुद्धलोऽ।

७. तत्त्वार्थसूत्र १।१६।

कहा जाता है,' बतलाते हैं। कुछ भी हो, अनुमान वाहे मतिज्ञान हो, वाहे अनुमान। वह परोक्षप्रमाण तो है ही, और वह इतना व्यापक एवं विस्तृत सेवाका है कि उसमें अवधिति, सम्बन्ध और अभावका अन्तर्भूत हो जाता है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। अकलके इतना विशेष और प्रतिपादन किया है कि ये तीनों तथा उपमान स्वप्रतिपत्ति भी कराते हैं और परप्रतिपत्ति भी। चेष्टा और प्रातिभ भी लिगज होनेसे अनुमानमें ही अन्तर्भूत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन अनुमानका क्षेत्र बहुत विस्तृत और विशाल है। नामा ज्ञानोंको एकत्र लाने, जोड़ने और उन्हें 'अनुमान' जैसी व्यापक संज्ञा देनेवाली जो महत्वपूर्ण कठोर है वह है 'अन्यथानुपपत्त्वत्व'^१ अर्थात् जो ज्ञान अन्यथानुपपत्त्वसाधनज्ञानजन्य है वे सब अनुमान हैं। अन्यथानुपपत्त्वत्वका^२ विचार आगे किया जाएगा।



१. साधनानुपथात्वोपचय उक्तस्तत्वम्***।

—प० १० दृढ़ उद्द.

२. 'इदमनुपपत्त्वम्' इसके बिना वह नहीं होता—अग्निके बिना भूम नहीं होता, इस प्रकारके अनुमान-प्रयोगका दलको 'अन्यथानुपपत्त्व' कहा गया है।

अध्याय : ३ :

प्रथम परिच्छेद

अनुमानभेद-विमर्श

पिछले अध्यायमें अनुमानके स्वरूपकी मीमांसा की गयी है। यहाँ उसके भेदोंपर विमर्श किया जायेगा।

वैशेषिक :

वैशेषिकसूत्रकारने^१ लिङ्ग (हेतु)से उत्पन्न होनेवाले लैङ्गिक (अनुमान)के पाँच भेदोंका निर्देश किया है। ये ये है— १ कार्य, २ कारण, ३ संयोगि, ४ विरोधि और ५ समवायि। पर वस्तुतः ये लिङ्गके भेद हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हें लैङ्गिकके भेद कहा गया है। भाष्यकार प्रशस्तपादने^२ अन्य दो प्रकारसे अनुमानके भेदोंका प्रतिपादन किया है। प्रथम प्रकारसे दृष्ट और सामान्यतोदृष्ट ये दो भेद हैं तथा द्वितीय प्रकारसे स्वनिकितार्थानुमान और परार्थानुमान ये दो हैं। द्वितीय प्रकारसे इन दो भेदोंकी कल्पना भाष्यकारकी स्वोपन्न जान पड़ती है,

१. अस्येद कार्यं कारणं संयोगं विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकम्।

—बैठो० दृ० ६२। १।

२. (क) ततु द्विविधं दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च।

—गण० धा० ४० १०४।

(ख) अथवाऽग्निशानभेदं प्रमाणं प्रभितिरज्ञी गुणदोषमाघस्य-दशांमित्येतत्त्वनिकित-
तार्थानुमानम्।

पञ्चाववेन वाक्येन स्वनिकितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्। पञ्चाववेन वाक्येन
संयोगित-विपर्यस्तान्युपज्ञाना परेतां स्वनिकितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानं हेतम्।

—गही० ४० १०६, ११३।

क्योंकि वह उनसे पूर्व दर्शन-प्रबन्धोंमें उपलब्ध नहीं होती। जब लिङ्गसे किसी (अनुमेयार्थ) का ज्ञान स्वयं किया जाता है तब स्वनिश्चितज्ञाननुमान (स्वार्थ-नुमान) कहलाता है और जब स्वनिश्चित ज्ञाननुमेयार्थका प्रतिपादन पठन्वादयत्व वालय द्वारा दूसरोंके लिए किया जाता है, जिन्हें अनुमेयमें सम्बद्ध, भ्रान्ति या अनिश्चय है, तब वह परावर्तननुमान कहा जाता है।

मीमांसा :

मीमांसादर्शनमें शब्दरस्वामी द्वारा प्रशस्तपादकी तरह अनुमानके द्वितीय प्रकारके भेद तो स्वीकृत नहीं हैं, किन्तु प्रथम प्रकारके भेद स्वीकृत है^१। इतना ही अन्तर है कि प्रशस्तपादके अनुमानके प्रथम भेदका नाम 'दृष्ट' है और शब्दरस्वामीके अनुमानका आद्य भेद 'प्रथम्भृतोदृष्टसम्बन्ध'। इसी तरह अनुमानके दूसरे भेदका नाम प्रशस्तपादने 'सामान्यतोदृष्ट' और शब्दरने 'सामान्यतोदृष्टसम्बन्ध' दिया है। दोनों लगभग समान ही हैं। सम्भव है दोनों दर्शनोंके इन अनुमान-भेदोंके मूलमें एक ही विचारधारा रही हो या एकने दूसरेका कुछ परिवर्तनके साथ अनुसरण किया हो।

इन दोनों दर्शनोंके अनुमानके दूसरे भेदपर गौतमके न्यायसूत्रोंका तीसरे अनुमान 'सामान्यतोदृष्ट' का प्रभाव हो, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि न्यायसूत्रमें वह उनसे पहले उपलब्ध है।

न्याय :

अक्षपादने^२ अनुमानके तीन भेद प्रतिपादित किये हैं—१. पूर्वकत्, २. शेषकत् और सामान्यतोदृष्ट।

न्यायभाष्यकारने^३ इन्हीं तीनका समर्थन किया है और उनकी दो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। न्यायवाचिकारने^४ न्यायसूत्र और न्यायभाष्यके समर्थनके अतिरिक्त अनुमानके केवलान्वयों, केवलव्यतिरेकी और अन्यव्यतिरेकी ये तीन नये भेद भी परिकल्पित किये हैं। 'क्रिविषम्'की व्याख्याकालपर्यामें उन्होंने सर्वप्रथम यहीं तीन भेद विकाये हैं। इसके बाद अन्य व्याख्याएँ दी हैं। इन व्याख्याओंमें न्यायभाष्योक्त

१. तत् दिविषम् । ग्रन्थतोदृष्टसम्बन्ध सामान्यतोदृष्टसम्बन्ध च ।

—न्या० ३० ११५, प० ६६ ।

२. अथ तत्पूर्वक निविषमनुमाने पूर्ववच्छेष्वतामान्यतोदृष्ट च ।

—न्या० ३० ११५ ।

३. न्या० ३० ११५, प० २६ ।

४. क्रिविषमिति । अन्यकी व्यतिरेकी अन्यव्यतिरेकी चेति ।

न्या० ३० ११५, प० ४६ ।

दोनों स्थानाभावोंके बचनाते हुए तीन व्याख्याएँ और प्रस्तुत की हैं और इस उद्घाटनोत्तरकरने 'त्रिविष्यम्' पदकी छह व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। उन्होंने^४ सूचोकत 'क' शब्दसे चतुर्लक्षण और पञ्चलक्षण अनुमानोंका भी संग्रह करनेकी सूचना की है। साथ ही 'त्रिविष्यम्'को नियमार्थक (तीन ही है, ऐसा) मानकर अन्य विभिन्न अनुमानोंका पूर्ववत् आदि तीन अनुमानोंमें ही संग्रह करनेका संकेत किया है^५। तथा उन अनेक प्रकारके अनुमानों (३, ५, १५, ६० और अनन्त) का दिशाबोध कराया है^६। स्मरणीय है कि उद्घोतकरने^७ बीत और अवीतके भेदसे दो प्रकारके अनुमानोंका भी निर्देश किया है। वाचस्पतिमिथने व्यायभाष्य और व्यायवार्तिकका विशदीकरण किया है।

जयन्तभट्टने^८ अवश्य एक नयी परम्परा स्वापित की है। व्यायमंजरीमें उन्होंने प्रशस्तपादोक स्वार्थ और परार्थ द्विविध अनुमानोंका कथन किया है, जिसका व्यायदर्शनमें अभीतक प्रवेश नहीं हो सका था। इसके बाद केशवमिथनमें^९ तो बहुत ही स्पष्टतया अनुमानके यही दो भेद वर्णित किये हैं। उन्होंने न पूर्ववत् आदि तीनका और न केवलान्वयी आदि तीनका निरूपण किया है। हाँ, केवलान्वयी आदिको हेतुभेदोंमें प्रदर्शित किया है। वास्तवमें पूर्ववत् आदि और केवलान्वयी आदि हेतुभेद ही हैं। कारणमें कार्यका उपचार करके उन्हे अनुमान कहा गया जान पड़ता है। विश्वनाथने^{१०} अनुमानके पूर्ववत् आदि भेद न कहकर उद्घोतकरो-पक्ष केवलान्वयी आदि त्रिविष्य भेदोंका प्रतिपादन किया है। गङ्गेश उपाध्यायने^{११} भी तत्त्वचिन्तामणिमें उद्घोतकरका अनुगमन किया है और पूर्ववत् आदि व्याय-सूत्रीय त्रिविष्य अनुमान-परम्पराको छोड़ दिया है। असम्भट्टकी^{१२} तर्कसंग्रहमें

१. चतुर्दात् प्रत्यक्षाणमाविश्व चेत्येव चतुर्हेत्पर्णं पश्चात्काषमनुमानमिति ।

—न्या० वा०, १।१।५, प० ४६।

२.३. अथवा त्रिविष्यमार्त नियमार्थं अनेकथा विज्ञानानुमानस्य त्रिविषेन पूर्ववदादिना संग्रह इति नियमं दर्शयति ।

—वही, १।१।५, प० ४६।

४. वही, १।१।१५, प० १२३-१२५।

५. न्या० म० प० १३०-१३१।

६. तर्कमा० प० ७९-८०।

७. त्रिविष्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदः ।

त्रिविष्यमिति । अनुमानं हि त्रिविष्य केवलान्वयिभेदात् व्यतिरेकव्यतिरेकव्यतिरेकभिभेदात् ।

—सिं० मु० का० १४२, प० १२५।

८. तत्त्वानुमानं त्रिविष्य केवलान्वयिभेदात् व्यतिरेकव्यतिरेकव्यतिरेकभिभेदात् ।

—तत्त्वाचि० जगदीशी, प० ७९५।

९. तर्कस० प० ५७-५८।

वाचस्पति और केवलमिथ द्वारा अनुसृत स्वार्थ-परार्थ द्विविष भेदवाली अनुमान-परम्परा ही अपनायी गयी है, अब्य अनुमानभेद उसमें वर्चित नहीं है। केवलान्वयी आदिको इन्होंने भी छिङ्गभेदोंमें परिणित किया है।

लगता है कि न्यायदर्शनमें अनुमान-भेदोंके सम्बन्धमें एकवाक्यता नहीं रही। वाचस्पति तक तो न्यायसूत्रोक्त निविष भेदवाली अनुमान-परम्परा मिलती है और उनके उत्तरकालमें या तो उद्घोतकरकी केवलान्वयी आदि तीन भेदोंवाली या जयन्तभट्ट द्वारा स्वीकृत प्रशस्तपादोक्त स्वार्थ-परार्थ द्विविष भेदवाली परम्परा बढ़त है। इस प्रकार न्यायदर्शनमें अनुमानभेदोंकी तीन परम्पराएं उपलब्ध होती हैं जो समयक्रमसे प्रतिष्ठित हुई हैं। तीसरी परम्परापर तो स्पष्टतः वैशेषिकों और सम्भवतः बौद्धोंका प्रभाव परिलक्षित होता है।

सांख्य :

सांख्यदर्शनके प्राचीन ग्रन्थ सांख्यकारिकामें^१ अनुमानके तीन भेद बताये हैं। परन्तु उनकी परिणामना नहीं की। अगली कारिकामें एक सामान्यतोदृष्टि^२ अनुमानका अवश्य निर्देश किया और उससे अतीन्द्रिय पदार्थोंकी सिद्धिका कथन किया है। पर युक्तिदोषिकाकार^३, माठरवृत्तिकार^४ और तत्त्वकौमुदीकारने^५ अपनी व्याख्याओंमें उन भेदोंको स्पष्ट किया है। वे भेद वही हैं जो न्यायसूत्रमें वर्णित हैं। वाचस्पतिने^६ उद्घोतकरकी तरह अनुमानके बीत और अबीत ये दो भेद भी प्रदर्शित किये हैं। बीतको पूर्ववत् और सामान्यतोदृष्टि तथा अबीतको शेषवत् बल-लाकर उन्होंने सांख्य और न्यायपरम्पराके अनुमानविविष्यके साथ समन्वय भी किया है। उद्घोतकरके^७ संकेतानुसार वाचस्पतिने^८ एक प्राचीन कारिकाके उल्लंघनपूर्वक सांख्यदर्शनके सत्तविष अनुमानोंका भी उल्लेख किया है और 'हस्तपि

१. निविषमनुमानमास्यातम् ।

—हेष्वरकृष्ण, सांख्यका० ५ ।

२. सामान्यतस्तु इष्टादतीन्द्रियार्था प्रतीतिरनुमानात् ।

वही, का० ६ ।

३. तु० दी० प० ४३ ।

४. माठर, माठरह० का० ५ ।

५. तत्सामान्यतो छान्तितमनुमान विशेषतित्रिविषम्—पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतोदृष्टि वेति ।
—सा० द० कौ० का० ५, प० १० ।

६. तत्र प्रथमं दावत् द्विविषम्—बीतमधीतं च।...क्षत्राकीर्तं शेषवत् ।...बीतं देशा—पूर्ववत् सामान्यतोदृष्टि च ।

वही, का० ५, द० १०-११ ।

७. न्यायवा० ११३१५, द० ५७ ।

८. न्यायवा० ता० दी० १११५, द० १५५ ।

११२ : जैन तर्कसामाजिक अनुमान-विचार

पराकृतं वेदितम् व्यवहारं कहकर उनका निराप किया है। प्रभावन्वये^१ भी उक्त सांख्यकनुमानोंका सविवेचन समालोचन किया है। इससे प्रतीत होता है कि सांख्य-दर्शनमें सत्त्विष अनुमानोंकी भी मात्रता रही है। पर यह सत्त्विष अनुमानकी मात्रता सास्थवर्धनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें दृष्टिगोचर नहीं होती।

चरकशास्त्रमें^२ भी न्यायसूत्र के अनुसार बिलकुल उन्हीं नामोंसे अनुमानके तीन भेद निर्दिष्ट हैं।

बोढ़ :

बोढ़दर्शनमें अनुमान-मेदोंकी दो परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। एक तो उपर्युक्त तीन भेदवाली न्यायसूत्रोंका न्यायपरम्परा और दूसरी दो भेदवाली दूसरी वैशेषिकपरम्परा। पहली उपायहृदयमें^३ मिलती है और दूसरी दिङ्नागके प्रमाण-समुच्चयमें। ज्ञात होता है कि दिङ्नागसे पूर्व चौथी शती ईस्टो तक बोढ़ दर्शनमें न्यायपरम्पराका अनुसरण रहा है। दिङ्नागने उसे छोड़कर प्रशस्तपादोक्त स्वार्थ-परार्थभेदद्वयवाली वैशेषिकपरम्पराको स्वीकार किया। विशेष यह कि उन्होंने इन दोनोंका निरूपण प्रमाणसमुच्चयके छह परिच्छेदोंमें सूतरे और तीसरे दो परिच्छेदोंमें विस्तारपूर्वक किया है। उनके नाम भी स्वार्थानुमान परिच्छेद और परार्थानुमान परिच्छेद रखे हैं। दिङ्नागके बाद उनके शिष्य शंकरस्वामीने^४ भी इन्हीं दो भेदोंका प्रतिपादन किया है। न्यायप्रवेशमें उन्होंने साधनको परसंचित् और अनुमानको आत्मसंवित्तके लिए कहकर 'साधन' पदसे परार्थानुमान और 'अनुमान' पदसे स्वार्थानुमान लिया है। घटकोत्ति^५ आदि उत्तरवर्ती बोढ़तार्किकों-ने दिङ्नागका अनुसरण किया और उपायहृदयकी त्रिविष भेदवाली न्यायपरम्परा-को छोड़ दिया है।

जैन तार्किकों द्वारा अनुमानभेद-समीक्षा :

प्रथम अध्यायमें अनुयोगद्वारवर्णित पूर्ववदादि त्रिविष अनुमानोंका उल्लेख तथा स्वरूपविवेचन किया जा चुका है। परन्तु अनुयोगसूत्रकी यह त्रिविष अनुमानभेद-परम्परा जैन तर्कग्रन्थोंमें अनुसृत नहीं हुई। इसका कारण यह जान पड़ता है कि इस त्रिविष अनुमानभेद-परम्पराको तर्ककी कसौटीपर रखने (परीक्षण करने) पर वह सदोष (अव्याप्त और अतिव्याप्त) विकारी पड़ी। अतएव

१. न्यायकुमु० च० १०१४, पृ० ४६२।

२. चरकस० २१, २२।

३. व० १०१० १०११।

४. न्या० श० पृ० १।

५. न्या० वि० पृ० २१, ४६।

उसका न केवल परिस्थाप हुआ, अपितु शीतादि, मात्रामात्रिकादि और संयोगी आदि अनुमानभेदोंकी तरह उसकी समीक्षा भी की गयी है।

(क) अकलज्ञोक अनुमानभेदः-समीक्षा :

‘अकलज्ञोने’ उक्त अनुमानोंके वैविध्य और आतुर्विध्य अथवा पाठ्यविध्य नियमों (पूर्ववत् आदि तीन प्रकारका ही अनुमान है, जोत आदि तीन तरहका ही अनुमान है, संयोगी आदि चार या पाँच विध ही अनुमान है) की समीक्षा करते हुए उन्हें अव्याप्त बतलाया है। ‘अस्ति आत्मा प्रमाणतः उपलब्धे.’, ‘सर्वशोऽस्ति सुनिश्चितासम्भवाद्याकप्रमाणत्वात्’, ‘खरविचारणं नास्ति अनुपलब्धे.’ आदि समीक्षीत हेतु हैं, क्योंकि अपने साध्योंके साथ उनका अविनाभाव (व्याप्ति) है। पर ये हेतु न पूर्ववत् आदि तीनके अन्तर्गत आते हैं, न जोत आदि तीनमें अन्तर्भूत होते हैं और न संयोगी आदिमें उनका समावेश सम्भव है, क्योंकि उपलब्धि या अनुपलब्धि आत्मादिका कार्य या कारण आदि नहीं है। दूसरी बात यह है कि उक्त हेतुओं (पूर्ववदादि) को पक्षधर्मत्वादि त्रिलक्षणों या पंचलक्षणोंके आधारपर यदि गमक माना जाए तो ‘सन्ति प्रमाणानि इहसाधनात्’, ‘उद्देश्यति शक्टं कृति-कोदयात्’^३ इत्यादि हेतु गमक नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें न पक्षधर्मस्वादि त्रिलक्षणोंके अन्यथानुपपत्त्वसहित (अपने साध्यके अभावमें न होने वाले) हैं वे ही साध्यकान (अनुमान) के जनक हैं और जो अन्यथानुपपत्त्वरहित (अपने साध्यके अभावमें भी रहने वाले) हैं वे हेतु नहीं, हेत्वाभास है और उनसे उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमानभास है। तात्पर्य यह कि पूर्ववदादि अथवा जोतादि^४ या संयोगी आदि हेतु तीन रूपों या पाँच रूपोंसे सम्पूर्ण होने पर भी यदि अन्यथानुपपत्त्वरहित है तो वे हेत्वाभास हैं। स्पष्ट है कि ‘स इयामस्तस्युत्त्वात् इतरतस्युत्त्वात्’, ‘बस्त्रं लोहलेखं पार्यिवस्थात् धातुवत्’, ‘इमान्यास्त्रकानि पक्षानि आस्त्रकान्त्वात् प्रसिद्धास्त्रकान्त्वत्, इत्यादि हेतु त्रिलक्षणों और पंचलक्षणोंसे युक्त हैं, पर अपने साध्योंके

१. एतेन पूर्ववदोत्त-संयोग्यादौ कथा गाता ।

तत्त्वज्ञानप्रश्नात् निषेद्योऽन्यथा दिक्षा

—न्यायविद० २।१७३, १७४ ।

२. वादिराज, न्या० विद० २।१७३, पृ० २०३ ।

३. पक्षधर्मत्वहीनोऽपि गमकः कृतिकोदयः ।

बन्तव्याप्तेरतः सैव गमकत्वप्रसाधनी ॥

—वादीयसिंह, स्था० सिद० ४।८३-४ ।

४. उग्रोतकर, न्या० वा० १।१३५, पृ० १२३ ।

साथ उसका अन्यथानुपत्तविद्या (असिं) नहीं है । आशय यह कि यह निवाम (असिं) नहीं है कि उसका पुत्र होनेसे उसे श्वाम होना चाहिए, पार्षिव होनेसे बच्चको लोहलेख्य होना चाहिए और आप्रफल होने मात्रसे इन आभोको पके होना चाहिए, क्योंकि उसका पुत्र होने पर भी वह (गर्भस्य पुत्र) अश्वाम सम्बन्ध है, पार्षिव होनेपर भी बच्च लोहलेख्य होता है और आप्रफल होनेपर भी कुछ आप्रफल बपके (कच्चे) हो सकते हैं । अतएव ये हेतु हेत्वाभास है । अकलंकके इसी आशयको अप्त करते हुए उनके विवरणकार वादिराजने लिखा है—

अन्यथानुपत्तिश्चेत्, पांचरूप्येण किं कलम् ।
विनापि तेन तन्मात्रात् हेतुभावावक्षयनात् ॥
नान्यथानुपत्तिश्चेत् पांचरूप्येण किं कलम् ।
सतापि अविचारस्य तेनाशाक्यनिराकृतेः ॥
अन्यथानुपत्तिश्चेत् पांचरूप्येऽपि कलम्यते ।
शाश्रूप्यात् पञ्चरूपत्वनिवार्यो नावलिष्ठते ॥
पांचरूप्यात्मिकैवेदं नान्यथानुपत्त्वा ।
पञ्चरूपमत्त्वाद्यभावेऽपि चास्याः सच्चोपपादनात् ॥^१

निष्कर्ष यह कि अन्यथानुपत्तविद्या ही एक हेतु अथवा अनुमान है । वह न त्रिविष है और न चार्तुविष आदि । अतः अनुमानका त्रैविष्य और चार्तुविष्य उक्त प्रकारसे अध्यात एव अतिअध्यात है । अकलंकके इस विवेचनसे प्रतीत होता है कि अन्यथानुपत्तविद्या अपेक्षासे हेतु एक ही प्रकारका है और तब अनुमान भी एक ही तरहका सम्भव है^२ । यही कारण है कि उन्होंने अन्यथानुपत्तविद्याके अभावसे हेत्वाभास भी एक ही प्रकारका माना है^३ । वह है अकिञ्चित्कर । असिद्धादि तो उसीका विस्तार है ।

इस प्रकार अकलंकने पूर्ववत् आदि अनुमानोंकी मीमांसाका सूत्रपात दिया, जिसका अनुसरण प्रायः सभी उत्तरवर्ती जैन तार्किकोंने किया है । फलतः विद्या-

१. न्या० वि० २।१७४, १५९१-१५३४, प० २१० ।

२,३. (क) साथन प्रकृताभावेऽनुपत्त्वं ततोऽपरे ।

विश्वातिदसनिदिश्या अकिञ्चित्करकित्तरः ॥

—न्या० वि० २।१०१, १०२, प० १३७, १२६ ।

(ख) अन्यथानुपत्तविद्यारहिता ये विलम्बाः ।

अकिञ्चित्कारकान् सर्वान् तान् वर्णं संकिरतमहे ॥

—वही, २।२०२, प० २४२ ।

सन्द', वादिराजे^४ प्रभासन्द^५ प्रभूति मनोविद्योंने भी अपने तर्कप्रबन्धोंमें उस भीमा-हाको विशुद्ध तथा पश्चिमित किया है।

(स) विद्यानन्दकृत अनुमानभेद-भीमांसा :

विद्यानन्दकृत^६ भीमांसाकी दो बातें उल्लेखनीय हैं। एक यह कि उन्होंने न्याय-भार्तिकमें उल्लिखित एवं प्रतिपादित बीत और बीत हेतुवयके अतिरिक्त बीताबीत नामके एक तीसरे हेतुका भी निवेश किया है जो उन्हें किसी प्राचीन न्यायप्रबन्धसे प्राप्त हुका होगा, क्योंकि न्यायभाष्य, न्यायभार्तिक आदि न्याय-प्रबन्धोंमें वह उपलब्ध नहीं होता। हाँ, जैन प्रबन्ध न्यायवित्तिव्यविवरणमें उसे वादिराजने^७ अवश्य दिया है, जो या तो विद्यानन्दसे लिया गया है और या विद्यानन्दकी तरह उन्होंने भी उसी प्राचीन न्यायप्रबन्धसे लिया है जो आज उपलब्ध नहीं है। विद्यानन्दने इसका स्वरूप और उदाहरण भी दिया है। वे लिखते हैं कि बीतानुमान तो वह है जो स्वरूपतः विधिरूप अर्थका परिच्छेदक है। जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि वह उत्पत्तिवर्भ बाला है, जैसे घड़ा। अबीतानुमान वह है जो निषेषमुख्यसे अर्थका ज्ञापक है। यथा—यह जीवित शरीर आत्मशून्य नहीं है, क्योंकि उसमें प्राणादिके अभावका प्रसंग आएगा, जैसे घटादि। तथा बीताबीतानुमान वह है जो विधि और निषेष दोनों रूपसे अर्थकी परिच्छिति करता है। यथा—यह पर्वत अग्निसहित है, निरग्नि नहीं है, क्योंकि धूम बाला है, अन्यथा धूमके अभावका प्रसंग आएगा। विद्यानन्द इनकी समीक्षामें एक ही बात कहते हैं^८। वह यह कि ये दोनों हेतु यदि

१. त० छो० १।१६, प० २०५, २०६।

२. न्या० वि० वि०, २।१७३, १७४, पृष्ठ २०१-२१०।

३. प्रभेक० मा० १।१५, पृष्ठ ३६२।

४. यद्यप्यविकावाचि—उदाहरणसाधन्यात्तिव्यवसाधनं हेतुरिति बीतलकर्ण लिङ्गं तत्त्वकपेण-श्वरिच्छेदकर्त्वं बीत व्यवहारत्। तथा—अनित्यः शब्द उत्पत्तिवर्भकर्त्वाद् शब्द-विदित। उदाहरणसाधन्यात्तिव्यवसाधनम्, हेतुरित्यबीतलकर्णम्...। उदाहरणसाधन्यवै-भर्मांश्यां साध्यवाचनमनुमानिति बीताबीतलकर्णं स्वप्रकाशितमेन परप्रकाशितमेन चार्च-परिच्छेदहेतुराद्।...।

—त० छो० १।१६।२०२, पृष्ठ २०६। तथा प्र० म० पृष्ठ ५५।

५. न्या० वि० वि० २।१७३, पृष्ठ २०८।

६. तदेतदोत्तादिवर्य यदि साध्याभावासम्भूत्यु तदाऽन्यवाचनुपरिचितादेव गमकर्त्वं न पुनर्बीतादित्वैवेत्यन्यवाचनुपरिचितविहेऽपि गमकर्त्वप्रसगात्। यदि पुनरन्यवाचनुपरिचित-बीतादित्वं न्याय हेतोलक्षणं तदा ‘देवता न्याय हरीतकी विरेचनते’ इति क्षयचित्सु-मावितमायात्। हरीतकव्यव्यतिरेकानुविधानादिरेखलस्य स्वदेवतोपयागिनी तदन्यव-व्यतिरेकानुविधानभावात्तात्त्वस्येति मङ्गेऽपि समानम्। हेतोन्यवाचनुपरिचितसदसत्त्वप्रयुक्त-तात्त्वमत्यानेतत्वात् सर्वेदासंग्रहात्त्वं।

—त० छो० १।१६।२०२, प० २०६।

साध्यके अभावमें नहीं होते तो अन्यथानुपर्यात्मिके बलसे ही उनमें गमकता माननी चाहिए, न कि बीतादिरूपता होनेसे ही। अन्यथा अन्यथानुपर्यात्मिके अभावमें भी उन्हें गमक भानमा पड़ेगा। तात्पर्य यह कि 'वज्र लोहलेख' है क्योंकि वह पार्थिव है, जैसे अन्य 'सुवर्णादि धातुएं' यह बीत हेतु है। पर पार्थिवत्वकी लोहलेखत्वके साथ व्याप्ति (अन्यथानुपर्यात्मिक) न होनेसे हेत्वाभास है। अतः कोई भी हेतु क्यों न हो, यदि वह अन्यथानुपर्यात्मिक है तो साध्यका अवश्य अनुमापक होगा। इसलिए हेतुकी गमक-ताका प्रयोजक तत्त्व अन्यथानुपर्यात्मिक है, बीतत्त्व, बीततत्त्व और बीतादिरूपत्व नहीं। यदि कहा जाए कि अन्यथानुपर्यात्मिक बीतादिरूपको प्राप्त करके ही हेतुका लक्षण है तो यह 'देवतां प्राप्य हरीतकी विरेचयते' अर्थात् 'देवताको पाकर हरीतकी विरेचन (पाचन) कराती है' कहावत चरितार्थ होती है। विरेचनका हरीतकीके साथ अन्यथा-अव्यतिरेक होनेसे वह देवतोपयोगिनों होती है, देवताके साथ विरेचनका सीधा अन्यथा-अव्यतिरेक नहीं है, ऐसा माननेपर तो प्रकृतमें भी यही कहा जा सकता है, क्योंकि अन्यथानुपर्यात्मिके होनेपर हेतु गमक होता है और उसके अभावमें वह गमक नहीं होता। अतः बीतादिरूपत्वके होनेसे हेतुमें गमकता नहीं है। इसके अतिरिक्त समस्त हेतुभेदोंका उस (बीतादिरूप) में संप्रह भी नहीं हो पाता है।

'विद्यानन्दको'^१ दूसरी उल्लेखयोग्य बात वह है कि वे पूर्ववत् आदि अनुमानोंके बीचिघ्यनियमको अव्याप्त बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार (१) कारणसे कार्यका अनुमान पूर्ववत् अनुमान है। यथा—ये मेघ वृष्टि करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है, क्योंकि गम्भीर गर्जना और चिरप्रभाव युक्त होकर छाये हुए हैं, जैसे अन्य वर्षने वाले मेघ। (२) कार्यसे कारणका अनुमान क्षेष्वत् अनुमान है। यथा—यहा अग्नि है, क्योंकि भूम है, जैसे रसोई घर। (३) जो न कार्य है और न कारण है उससे अनुभयात्मक (अकार्यकारण) का अनुमान सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। यथा—इस फलका मधुर रस है, क्योंकि इसका रूप है, जैसे उसी तरहके अन्य फल। उसी प्रकार उभयात्मक (कारणकार्यरूप) हेतुसे उभयात्मक (कारणकार्यरूप) साध्यका ज्ञान (अनुमान) सम्भव है, क्योंकि जिनमें परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव होता है उनमें अविनाभाव देखा जाता है। उदा-

१. उभयात्मनोऽपि वस्तुनो भावात् । यथैव हि कारणात्मक्येऽनुमानम्—वृष्ट्यात्मादन-
शक्तिकोऽप्ती मेघ गम्भीरभानत्वे चिरप्रभावत्वे च सति समुन्नतत्वात् प्राप्तिद्वैर्व विभेद-
वदिति । कार्योत्कारणे—विहित्र भूमान्यहानतवदिति । अकार्यकारणादनुभयात्मनि-
शानम्—यद्युत्तरसमिद् फलविभृग्मत्वाचादृशान्वकलवदिति । तथैवोभयात्मकत् लिङा-
दुभयात्मके लिंगिनं शालमविकल्पम्, परस्परोपकार्योपकारकवेदविनाभावदेशोनात् । यथा
बोधाकुरसन्तानवो : । ००० ।'

हरणके लिए हम बीजसन्तान और अंकुरसन्तानको ले सकते हैं। प्रकट है कि बीज-सन्तान अंकुरसन्तानके और अंकुरसंतान बीजसन्तानके अभावमें नहीं होता, तब उसमें परस्पर गम्यतामकभाव क्यों नहीं होगा? अतः हम अनुमान कर सकते हैं कि 'यहाँ यद्यपी जसन्तान है, क्योंकि यद्यकुरसन्तान देखा जाता है'। इसी प्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता है कि 'यहाँ यद्यकुरसन्तान है, क्योंकि यद्यपी उपलब्ध होता है'। इस तरह कार्यकारणरूप चौथा अनुमान भी सिद्ध होता है। कोई बजह नहीं कि कारणानुमान, कार्यानुमान और अकार्यकारणानुमान ये तीन अनुमान तीन माने जाएं, पर कारणकार्यानुभायानुमान न माना जाए।

(ग) वादिराज द्वारा अभिहित अनुमानभेद-समीक्षण :

यहा वादिराजकी भी दो विशेषताएं दृष्ट्य हैं। उनका कहना है कि अनुमान तीन या चार भेदोंमें ही सीमित नहीं है। अनेक हेतु ऐसे हैं जो न पूर्वत् हैं, न शेषवत् और न सामान्यतोदृष्टि। उदाहरणार्थ 'विषम तुलाके छोरोंमें पाये जाने वाले नाम और उत्ताप परस्पर अविनाभूत हैं, क्योंकि वे एक दूसरेके अभावमें उपपश्च नहीं होते' अधवा 'इस समान तुलामें उत्ताप (ऊचाई) नहीं है, क्योंकि नाम (नीचाई) अनुपलब्ध है।' ये दोनों सहचर अनुमान सम्यक् अनुमान हैं। पर ये न पूर्वत्तमें आते हैं, न शेषवत्तमें और न सामान्यतोदृष्टमें। अतः त्रैविष्य का नियम नहीं बनता। इसके सिवाए तीन प्रकारका अनुमान कालत्रयकी अपेक्षा नी त्रैविष्यकी भी सम्भव है।^१ यदि इन भेदोंकी अपेक्षा न कर केवल व्यापारभेदसे तीन अनुमान कहे जाएं तो उन व्यापारत्रयकी भी अपेक्षा न कर एक केवल अन्यानुपपत्तिकी ही अपेक्षासे एक ही प्रकारका अनुमान मानना उचित है। अन्यानुपपत्तिका क्षेत्र इतना व्यापक और विशाल है कि उसमें वे पूर्वत् आदि तीन और बीतादि तीन अनुमान तो समा हो जाते हैं। किन्तु उनके अलावा उक प्रकारके सहचर आदि अनुमान भी उसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

१. नापि तथा त्रैविष्यनियमः, उन्नामादीनामपूर्वत्वेन तत्त्वामन्तर्भावात् । पूर्वतामेव स्वयमन्वयादीना व्याप्त्यानात् ।

—न्या० वि० २।१७३, पृष्ठ २०८।

२. त्रिविषद्वत्त्वं सतः कालभेदापेक्षया नवविषद्वत्त्वं नवविषद्वत्त्वापि पुनर्ब्युपपत्तिद्विषद्वत्त्वविषद्वत्त्वं स्तुत्यपूर्तिपत्तिया सप्तविषद्वत्तिविषद्वत्त्वया पि सम्भवात् । त्रिविषद्वत्तिविषद्वत्त्वमेव अन्यानुपपत्तिनिवन्धनभेदविषयेव तथा विषयेव ।

—वही, २।१७३, पृष्ठ २०८।

बादिराजकी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने बैशेषिक-सम्पत्ति चानुविधि या पंचविधि अनुमानकी भी समीक्षा की है। इस समीक्षामें उन्होंने बतलाया है^१ कि अनेक हेतु ऐसे हैं जो न संयोगी हैं, न एकार्थसमवायी, न समवायी और न विरोधी। फिर भी वे गमक (अनुमानजनक) हैं। उदाहरणके लिए निम्न दो हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) एक मुहूर्तके अन्तमें शक्ट नामक वक्तव्यका उदय होगा, क्योंकि अभी कृतिकाका उदय हो रहा है।

(२) एक मुहूर्त पहले भरणिका उदय हो चुका है, क्योंकि अब कृतिकाका उदय हो रहा है।

इनमें पहला पूर्वचर है और दूसरा उत्तरचर। ये दोनों हेतु उक्त चारोंमेंसे किसीमें भी अन्तर्भूत नहीं हो सकते—न संयोगीमें, न समवायीमें, न एकार्थसमवायीमें और न विरोधीमें। ये केवल अन्यथानुपपत्तिके आधारसे ही अपने साध्योंके नियमतः साधक (अनुमापक) हैं। इन्हें अहेतु या हेत्याभास भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे साध्यके अभावमें नहीं होते। अत बैशेषिकोंका भी अनुमान-चानुविधिनियम नहीं ठहरता। उन्हें उक्त चारके अतिरिक्त इन और इन जैसे अन्य हेतुओंको भी मानना पड़ेगा।

(घ) प्रभाचन्द्रप्रतिपादित अनुमानभेद-आलोचना :

प्रभाचन्द्रने भी प्रमेयकमलमार्त्तण्ड^२ और न्यायकुमुदचन्द्रमें^३ उक्त अनुमान-भेदोंकी सीमासा प्रस्तुत की है। विशेष यह कि इन्होंने बैशेषिकोंके पाच और सात्प्यों-के सप्तविधि अनुमानोंका भी उल्लेख करके उनकी आलोचना की है तथा कृतिकोदयादि हेतुओंका उनमें अन्तर्भवि न हो सकनेसे उन्हे अन्यापक बतलाया है।^४ साथ ही अविनाभावके बलपर ही हेतुको अनुमानाग होनेका प्रतिपादन किया है। उनकी यह विचारणा बहुत सरल और तर्कपूर्ण है।

१. यथा संयोगादिमेदकल्यनमपि, तत्रापि प्रागुक्तहेतुनामन-तर्मावात् । न हि कृतिकोदयः शक्टोदयस्य संयोगो, कालाव्यवधानेन परस्परमप्राप्तः । बदपि संयोगिन उदाहरणं तद्वयवधानादेव नाद्यो तस्य समवायी... संयोगसमवायिनारिव एकार्थसमवायिन्यपि तस्मानन्तर्मावात्... ।

—न्या० वि० २।१७३, पृ० २०८-२१० ।

२. य० क० मा० ३।१५, पृ० ३६२ ।

३. न्या० कुम० ३।१४, पृ० ४६०-४६१ ।

४. न्या० कुम०, पृ० ४६२ ।

अनुमानभेद-समीक्षाका उपसंहार :

निष्कर्ष यह कि पूर्ववत् आदिरूपसे या बीसादिरूपसे अभिमत तीन अनुमानों, संयोगी आदिरूपसे या कारण आदिरूपसे स्वीकृत चार या पाँच अनुमानों और मात्रामात्रिक आदिरूपसे अंगीकृत सात अनुमानोंकी संख्या अपूर्ण तथा अतिप्रसल्क है।^१ पर साध्य और साधनमें अनिवार्यरूपसे आवश्यक अन्यथानुपपत्तत्व या अन्यथानुपपत्तिके आधारसे अनुमान-संख्या माननेमें न अपूर्णताका दोष आता है और न अतिप्रसल्क, क्योंकि अन्यथानुपपत्तत्व एक ऐसा व्यापक एवं अव्यभिचारी आधार है, जिसमें सभी प्रकारके समीक्षीन हेतुओंका समावेश हो जाता है और असभी-चीजें हेतु (हेत्वाभास) उसके द्वारा निरस्त हो जाते हैं।^२ अतः जैन तार्किकोंने इसीको हेतुका निर्दोष एवं प्रधान लक्षण बतलाया है, त्रैरूप्य और पाचरूप्यको नहीं। पर अन्य तार्किक जितना बल त्रैरूप्य और पांचरूप्यपर देते हैं उतना अविनाभावपर नहीं। यही जैन तार्किकों और अन्य तार्किकोंके अनुमान-सम्बन्धी चिन्तन एवं प्रतिपादनमें मौलिक अन्तर है।

स्वार्थ और परार्थ :

यद्यपि ऊपरके विवेचनसे हम इस तथ्यपर पहुँचते हैं कि अनुमानके प्रधान अंग हेतुका प्रयोजक तत्त्व एकमात्र अन्यथानुपपत्तत्व है और उसके एक होनेसे उससे आत्मलाभ करने वाला अनुमान भी एक ही प्रकारका सम्भव है, तथापि वह अन्यथानुपपत्तत्व द्वारे द्वारा गृहीत होता है—(१)स्व और (२) पर। जब वह स्वके द्वारा गृहीत होता है तो उसके आधारसे होने वाला अनुमान उस (स्व) की साध्यप्रतिपत्तिके लिए होता है और वह स्वार्थनिमान कहा जाता है। स्वार्थनिमाना किसी परके उपदेश (प्रतिज्ञादि प्रयोग)के बिना स्थमं ही निश्चित अविनाभावी साधनके ज्ञानसे साध्यका ज्ञान करता है। उदाहरणार्थ—जब वह धूमको देखकर अनिका ज्ञान, रसको चखकर उसके सहचर रूपका ज्ञान या कृतिकाके उदयको देखकर एक मुहूर्त वाद होने वाले शक्टके उदयका ज्ञान आदि करता है तब उसका वह ज्ञान स्वार्थनिमान कहलाता है। और जब वही स्वार्थनिमाना उक्त हेतुओं और साध्योंको बोलकर दूसरोंको उन साध्य-साधनोंको व्याप्ति (अन्यथानुपपत्ति)

१.२. अख्येद कारण कार्य...इति सुक्षेपाता एव पंचहेतुबो छैविकांगम् ...तत्त्ववृत्त नैवा-
विक्षाना (वैशेषिकाण्या)मनुमानसंस्थानिकमो न अवतिष्ठेत, तदसमीक्षितामिथाल्लु,
तदतिरिक्तानां इत्तिकोदयादिहेतुगा तदेवत्वप्रतिपादनात्। अविनाभावव्यादि हेतो-
रनुमानांगत्वं न कारणादिरूपतामात्रेण, अस्याव्यापकत्वादिदिमसंगाच्च। अविनाभा-
वत्वं तु सकलहेतुग्राहापव्यापित्वात्तदामासेन्द्रो व्याकृतत्वाच्च तद्वादेव हेतोर्गमकर्त्त
प्रतिपत्त्वम्।

—स्याऽहु ११४, पृष्ठ ४६१।

ग्रहण करता है तथा दूसरे उसके वचनोंको सुनकर व्यासिग्रहण करके उक्त हेतुओंसे उक्त साध्योंका ज्ञान करते हैं तो दूसरोंका वह अनुमानज्ञान 'परार्थ-नमान' कहा जाता है। और वे परार्थनुमान कहे जाते हैं। अंतः अनुमानके उपादानभूत हेतुका प्रयोजक तत्त्व अव्याधानुपपन्नत्व स्व और पर दोके द्वारा गृहीत होने तथा दोनों अव्याधानुपपन्नत्व-गृहीताओंको अनुमान होनेसे प्रदेशमेद, अक्षिमेद या प्रयोजनमेदकी अपेक्षासे अनुमानके अधिक-से-अधिक दो प्रकार हो सकते हैं—
(१) स्वार्थनुमान और (२) परार्थनुमान। सम्भवतः इन दो भेदोंको परिकल्पनाके मूलमें प्रशस्तपाद^१ और दिङ्नामगकी भी यही दृष्टि रही है।

यद्यपि प्रशस्तपाद^२ या दिङ्नामग अथवा न्यायप्रबेशकारने^३ इन अनुमानभेदोंकी परिणयना नहीं की, तथापि उनके द्वारा किया गया इन अनुमानोंका निरूपण स्पष्ट बतलाता है कि उन्हें ये दो भेद अभिप्रेत हैं।

जैन परम्परामें सबसे पहले इन दो भेदोंका प्रतिपादन सिद्धसेनने^४ किया जान पड़ता है। उन्होंने यद्यपि 'स्वार्थनुमान'का^५ उल्लेख नहीं किया—केवल परार्थनुमानका निर्देश किया है और उसका उसी प्रकार स्वरूप बतलाया है जिस प्रकार प्रशस्तपादने^६ प्रशस्तपादभाव्यमें और प्रमाणवातिकालंकारकारने^७ प्रमाणवातिकालंकारमें एक उद्भूत पद्य द्वारा प्रस्तुत किया है। सिद्धसेनने^८ परार्थनुमानका एक लक्षण और दिया है जो न्यायप्रबेशकारके परार्थनुमानलक्षणपर आधृत है। फिर भी सिद्धसेनने 'स्वनिश्चयवत्' पदके द्वारा स्वार्थनुमानका ग्रहण किया है। दूसरी

१. मध्य० भा० प० १०६।

२. वही, प० १०६, ११३।

३. न्या० म० पृष्ठ २, ७।

४. स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं त्रैःः।

परार्थं मलमाल्यात् वाच्य तदुपचारतः।

—न्यायाव० का० १०।

५. मध्य० भा० प० १०६।

६. स्वनिश्चयवदन्येषा निश्चयोत्पादनेच्छया।

पक्षधर्मत्वसम्बन्धसाध्योत्तरेन्यवर्जनम्॥

—म० वातिकाल० पृष्ठ ४८७।

७. साध्यावि नामुवो हेतोवचो वर्यतिपादकम्।

परार्थमनुमान तद् पक्षादिवचनात्मकम्॥

—न्यायाव० का० १३।

८. साध्याविनामुनो हिंगाद् साध्यनिश्चायकं सूतम्।

अनुमानं तद्भान्तं प्रमाणत्वाद् समकावत्॥

—वही, का० ५।

बात यह है कि उन्होंने परार्थनुमानके लक्षणसे पूर्व जो सामान्य अनुमानका लक्षण प्रस्तुत किया है वह स्वार्थनुमानका लक्षण है।

सिद्धिविनिश्चयमें अकलंकदेवने^१ स्वार्थनुमान और परार्थनुमान दोनोंका उल्लेख किया है तथा दोनोंमें पक्ष-मेद बललाते हुए कहा है कि स्वार्थनुमानमें तो जिज्ञासाके विषयभूत विशेष (अग्नि आदि)से विशिष्ट धर्मी (पर्वत आदि) पक्ष होता है। किन्तु परार्थनुमानमें जनवानेके इच्छाके विषयभूत विशेष (अग्नि आदि)से विशिष्ट धर्मी पक्ष होता है, क्योंकि स्वनिश्चयको तरह दूसरोंको भी निश्चय करानेके लिए पक्षको स्वीकार करना आवश्यक है। तात्पर्य यह कि प्रति-पक्षके भेदसे अनुमानके स्वार्थ और परार्थ भेद उन्हें भी अभिप्रेत हैं।

विद्यामन्दः^२ भी अनुमानके उक्त दो भेदोंका प्रतिपादन करते हैं। इतमा विशेष है कि वे^३ परार्थनुमानके भी दो भेदोंका निर्देश करते हैं—(१) अनक्षर-भूत और (२) अक्षरभूत। तथा उन्हें क्रमशः अध्योत्रमतिकान और ओत्रमति-ज्ञानपूर्वक होनेके कारण परोक्ष अनुप्रमाणमें अन्तर्भव करते हैं।

वादिराज कृत मुख्य और गौण अनुमानमेद :

वादिराजने^४ उक्त अनुमान-भेदोंसे भिन्न दो अन्य भेदोंका प्रतिपादन किया है। वे हैं—(१) गौण और (२) मुख्य। इनमें गौण अनुमानके तीन भेद हैं—(१) स्मरण, (२) प्रत्यभिज्ञा और (३) तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञाका, प्रत्य-भिज्ञा तर्कका और तर्क अनुमानका कारण होनेसे तीनों गौण अनुमान हैं। साध्याविनाभावी साधनसे होनेवाला साध्यका ज्ञान मुख्यानुमान है। परन्तु वादि-राजकी इस द्विविध अनुमान-भान्यताको उत्तरवर्ती किसी जैन तार्किकने नहीं अप-नाया और वह उन्हीं तक सीमित रही है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि

१. स्वार्थनुमाने जिज्ञासितविशेषो धर्मी पक्षः। परार्थनुमाने तुनः जिज्ञापविचितविशेषः स्वनिश्चयवहन्येवां निहच्योतपादनाय पक्षपरिग्रहात्।

—सिं ० विं २० ६।२, पृष्ठ ३७३।

२. प्र० १० प० २० ७६।

३. परार्थमनुमानमनक्षरभूतशानं अक्षरभूतशानं च तस्याऽन्नमतिपूर्वकस्य ओत्रमतिपूर्वकस्य च तथात्वोपपत्तेः।

—वाही, पृष्ठ ७६।

४. अनुमानं द्विविध गौणमुख्यविकल्पात्। तत्र गौणमनुमानं जिविर्भ—स्मरणं प्रत्यभिज्ञा तर्कं इच्छति। तस्य चानुमानतर्वं यथा पूर्वगुणरोतरहेतुतयाऽनुमाननिवन्धनत्वात्। *** एवं मुख्य-स्थापि। कि तादिति चेत्, साधनात्माच्चे विशालमेव, साधने साध्याविनाभावनियमलक्षणं तस्मान्निश्चयपदवासाक्षात्स्थ साधयितुं शक्य स्याप्रसिद्धस्य विद्यानं उद्दनुमानम्।

ममा० निं ० २० १६, १६।

यहि स्वरक्षादिको अनुमानका कारण होनेसे अनुमान जाना जाए तो प्रत्यक्षको भी अनुमानका हेतु होनेसे अनुमान जाना जाहिए और इस तरह स्वरक्षादिकी तरह प्रत्यक्ष भी योग अनुमान कहा जाएगा, जो जिसी भी तार्किको अभियंत नहीं है। सम्बन्धतः इसीसे उत्तरवर्ती तार्किकोमें कठिनाक्षे इह अनुमानद्विवक्षये स्वीकार नहीं किया।

'माणिक्यनन्दिने' अनुमानके उक्त स्वार्थ और परार्थ भेदोंका विशद विस्तृत किया है। उनके बाद तो सभी परवर्ती प्रवाचनक्र^३ अनन्तकीर्य^५, देवसूरि^४, हेमचन्द्र^६ आदि इसी द्विविष अनुमान-जान्यताको अनुसृत किया है। देवसूरि और हेमचन्द्रका यहीं एक वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है। वह यह कि उन्होंने एक ही सूत्र द्वारा अनुमानके दो प्रकारोंकी सूचना और उब दोनों प्रकारोंका निर्देश किया है, माणिक्यनन्दिनीकी तरह उन्होंने दो सूत्रोंकी रचना नहीं की। इन दोनों तार्किकोंकी एक विशेषता और उल्लेख्य है। इन्होंने अनुमान-जान्यताके लक्षणके अतिरिक्त स्वार्थानुमानका अलग लक्षण प्रस्तुत किया है जो बहुत विशद और उचित है। माणिक्यनन्दिने^७ सिद्धसेनकी तरह सामान्यलक्षणको ही स्वार्थानुमानका लक्षण बताया है। घ्यातव्य है कि हेमचन्द्रका स्वार्थानुमान-लक्षण देवसूरिके स्वार्थानुमान-लक्षणसे भिन्न और निर्देश है। हेमचन्द्रने^८ 'स्वयं निणीत साध्याविनाभाववाके साधनसे होनेवाले साध्यानुमानको स्वार्थानुमान' कहा है जो परार्थानुमानमें अतिव्याप्त नहीं है। पर देवसूरिने^९ जो 'हेतुप्रहृण और सम्बन्धस्मरणपूर्वक होनेवाले साध्य-

१. तदनुमानं देवा, स्वार्थपरावर्तेदात्, स्वार्थमुक्तलक्षणम्, परार्थं तु तदर्थपरामधिक्षिवच-
नाड्यात्म, तद्वचनमपि उद्देतुवाद्।

—५० म० ३।४२, ५३, ५४, ५५, ५६।

२. म० क० मा० ३।४२-५६।

३. म० र० मा० ३।४८-५२।

४. अनुमानं द्विग्राहारं स्वार्थं परार्थं चेति । तत्र हेतुप्रहृणसक्षस्मरणकारणकं साध्यविद्यानं
स्वार्थमिति । पक्षाद्विवचनालक्षणं परार्थमनुमानमुपचारादिति ।

—५० न० त० ३।६, १०, २६।

५. तद् द्विधा स्वार्थं परार्थं च ।

स्वार्थं स्वानिविचतसाध्याविनाभावैक्तलक्षणात्, साध्यात्, साध्यानम् ।

—हेमचन्द्र, ममाणमी० १।२।८,६।

यदोक्तसाधनविद्यानः परार्थम् । वचनसुपचारात् ।

—वही, २।१।१,२।

६. स्वार्थमुक्तलक्षणम् ।

—परीक्षामु० ३।५४।

७. म० मी० १।२।९, १० ११।

८. म० न० त० ३।१०।

ज्ञातकी स्वार्थीनुमान' बतायाथा है कह परार्थीनुभावमें अतिष्यात है, क्योंकि हेतुका शहू और सम्बन्धस्वरूप परार्थीनुभावमें भी रहते हैं, जैसे ही वे स्वार्थीनुभावके बचनात्मि हों। हेतुका' यही एक बात और स्मरणीय है। उन्होंने बचनात्मक परार्थीनुभावको दो प्रकारोंमें प्रतिपादन किया है—(१) तबोपपति और (२) अन्यथानुपपति। परन्तु मानिक्यवलिद^१, प्रभासन्द, अनन्तवीर्य और देवसूरि^२ प्रवृत्तिमें बचनात्मक परार्थीनुभावको दो प्रकारका न मानकर हेतुप्रयोगको दो प्रकारका कहा है जो लिखेनके^३ न्यायावतारके सर्वका अनुरूप है। बचनात्ममें हेतुका प्रयोग दो तरहसे किया जाता है—एक तबोपपतिकष्टसे और दूसरा अन्यथानुपपति क्षणसे। यथा—

अग्निमात्रम् देवस्तत्पैदं भूमध्यस्त्रोपत्तेः, भूमध्यस्त्रान्यथानुपपत्तेवां ।

यह प्रवेश अग्नि वाला है, क्योंकि उसके होने पर ही भूम होता है अथवा अग्निके अभावमें भूम नहीं होता।

यहाँ हेतुका ही प्रयोग दो तरहसे हुआ है, पहला प्रयोग तो एक ही प्रकारसे है। और परार्थीनुभाव (बचनात्मक) एक तथा हेतु दोनोंके बचनको कहा गया है।^४ देवसूरिने^५ स्वह क्षमोंमें हेतुप्रयोगको ही दो प्रकारका बताया है। उस्के-समीक्षा है कि उन्होंने^६ दो स्वतन्त्र क्षमों द्वारा उन (तबोपपति और अन्यथानुपपति दोनों) का स्वरूप भी प्रतिपादन किया है। उभो जैस तार्किक इस विषयमें एकमत है कि हेतुका चाहे तबोपपतिकष्टसे प्रयोग किया जाए और चाहे अन्यथानुपपति-

१. तद् देवेऽत्योपत्तेः तद्योपत्तेऽन्यथानुपपतिमेदात् ।

—प० मी० २१६,४, पृ० ४६ ।

२. अन्यथानुपपत्तेऽस्तु तद्योपत्तेऽन्यथानुपपत्तेव वा ।—प० मु० ३५४ ।

३. हेतुप्रयोगस्त्वयोपपति-अन्यथानुपपतिभ्यां दिवकार हर्त ।—प० न० १०० ३२९ ।

४. हेतुस्त्रोपत्तेवा वा स्वतन्त्रीयोऽन्यथापि वा ।

दिवियोऽन्यतरैर्यापि तात्पर्यिदिनेवेदिति ॥

—न्यायाव० का० १६ ।

५. प० मु० ३५५ ।

६. पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुभावस्तुवचाराद् वनि ।

—देवसूरि, प० म० १० ३२६ ।

७. हेतुप्रयोगस्त्वयोपत्तेऽन्यथानुपपतिभ्यां दिवकार हर्ति ।

—पही, ३२९ ।

८. सत्येव साध्ये हेतुस्त्रोपत्तेऽन्यथानुपपतिरिति ।

असति साध्ये हेतुप्रयोगस्त्रोपत्तेऽन्यथानुपपतिरिति ।

—पही, ३१०, ३१ ।

करते । अत्यधिकोंके लिए दोनोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है,^१ उनके लिए दो किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त है और वे उनसे मात्र से व्याप्ति-ग्रहण तथा साध्य-का ज्ञान कर लेते हैं । देवसूरिको^२ एक विशेषता और विलाई देती है । वे अवन्त महु की तरह श्रोताके स्वार्थनुमान मानते हैं और बक्ताको परार्थनुमानका प्रयोगता । उनका कहना है कि श्रोता बक्ताके बचनमात्रसे साध्यका ज्ञान नहीं करता और उ बक्ता ही यह मानता है कि श्रोताने मेरे बचनोंसे साध्यका ज्ञान किया । किन्तु बक्ता मानता है कि मैं उसे अनुमानसे बोध कराता हूँ तथा श्रोता भी यह समझता है कि मैंने साध्याविनाभावी साधनसे साध्यका ज्ञान किया । अतः बक्ताका अनुमान श्रोताके साध्यज्ञानका कारण होनेसे परार्थ कहा जाता है और श्रोताका स्वार्थनुमान । देवसूरिका यह विचार बुद्धिको स्पर्श करता है । वास्तवमें अनुमान उसीको होता है जिसने व्याप्तिका ग्रहण कर रखा है । जिसने व्याप्तिका ग्रहण नहीं किया, उसे अनुमान नहीं होता । अतः बक्ता पक्ष और हेतु बचन बोलकर प्रतिपाद्यको व्याप्ति ग्रहण कराता है । व्याप्ति ग्रहणके बाद प्रतिपाद्य स्वयं साधनसे साध्यका ज्ञान कर लेता है । अतएव उसका वह साध्यज्ञान स्वार्थनुमान ही कहा जाएगा, परार्थनुमान नहीं । परार्थनुमान तो बक्ताका पक्ष और हेतुबचन तथा उनसे उत्पन्न श्रोताका व्याप्तिज्ञान माना जाएगा, जो श्रोताके स्वार्थनुमानके कारण है । तात्पर्य यह कि श्रोताका साध्यज्ञान हर हालतमें स्वार्थनुमान है, भले ही उसके इस स्वार्थनुमानमें कारण पड़नेसे बक्ताके पक्ष और हेतुबचनों तथा उनसे होने वाले श्रोताके व्याप्तिज्ञानको परार्थनुमान कहा जाए ।

प्रत्यक्ष परार्थ है : सिद्धेन और देवसूरिका मत : उसकी भीमांसा :

सिद्धेनने^३ न्यायावतारमें अनुमानकी तरह प्रत्यक्षको भी परार्थ प्रतिपादन किया है । उनका कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रसिद्ध अर्थको प्रकाशन करते हैं और दोनों ही परके प्रसिद्धार्थ-प्रकाशनके उपाय हैं । अतः दोनों परार्थ हैं । जब प्रत्यक्ष प्रतिपाद्य अर्थका दूसरोंके लिए बचनद्वारा प्रतिपादन किया जाता है तो वह बचन भी ज्ञानमें कारण होनेसे प्रत्यक्ष कहा जाता है । उनके इस विचारका

१. ५० मु० ३।९६, ९७ । म० मी० २।१।६ ।

२. स्वा० २० ३।२३, ४० ५४६, ५४६ ।

३. प्रथमेणानुमानेन प्राप्तिपाद्यप्रकाशनात् ।

परस्य तदुपायत्वात् परार्थत्वं द्वयोरपि ॥

प्रत्यक्षप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादि च वहचः ।

प्रत्यक्षं प्रतिपाद्य निमित्तात्मादं तदुच्छये ॥

—न्यायाव० का० ११, १२ ।

अनुसुरण देवसूरिने^१ भी किया है और उनकी कारिकाके उदारणपूर्वक उचका समर्थन किया है। ये यो ही ऐसे ताकिक हैं जिन्होंने प्रत्यक्षको परार्थ बतलाया है। जैन या इतर परम्परामें, जहाँ तक हमें जात है, अन्य किसी तर्किकने प्रत्यक्षको परार्थ नहीं कहा।

तथ्य यह है कि चाहे प्रत्यक्षप्रतिपक्ष अर्थको कहने वाला वचन हो और चाहे अनुमानप्रतिपक्ष अर्थको। दोनों ही प्रकारके वचनोंको धोगेन्द्रिय द्वारा प्रहण करना तो श्रोत्र-प्रत्यक्ष है। पर उन्हें सुनकर श्रोताको जो उनके द्वारा प्रतिपाद्य अर्थका ज्ञान होगा वह अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान हीनेसे अनुमान कहा जाएगा, परार्थ प्रत्यक्ष नहीं। सच तो यह है कि प्रपिपत्ति दो प्रकारकी होती है—(१) स्वार्थ और (२) परार्थ। स्वार्थ प्रपिपत्तिका साधन ज्ञान (प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और स्वार्थनुमान) है तथा परार्थप्रपिपत्तिका उपाय एकमात्र ज्ञान है। अतः जिस प्रकार अनुमानगम्य अनिं आदिको बतानेवाले धूमादि साधनका प्रतिपादक धूमादिवचन है उसी प्रकार प्रत्यक्षगम्य घटादिको कहने वाला घटादि वचन है और यह घटादिवचन धूमादिवचनकी तरह वचनात्मक परार्थनुमान है, परार्थ प्रत्यक्ष नहीं।

अनुमानके स्वार्थ-परार्थ भेदोंका मलिलषेणे^२ भी कथन किया है और उनके लक्षण देवसूरि जैस ही बतलाये हैं।

पन्द्रहवीं शताब्दीके आरम्भमें होनेवाले विश्रुत ताकिक धर्मभूषणने न केवल उक्त स्वार्थ-परार्थ द्विविध अनुमान-भेदों तथा उनके लक्षणोंको ही कहा है, अपितु उनका विशद एवं विशेष वर्णन भी किया है। स्वार्थनुमानका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने लिखा है—

परोपदेशामनयेऽव इवयमेव निविच्छतात्प्राकृतकानुभूतम्भा। हिस्मरणसहृष्टात्मू-
मादे साधनादुपर्यां पर्वतादौ अर्थिष्वमध्यादे: साध्यस्य ज्ञानं इव। अर्थानुमानभित्यर्थः।
यथा पर्वतोऽयमनिमात् धूमवस्थादिति ।^३

अर्थात् प्रतिज्ञा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा न करके स्वयं ही निविच्छत तथा इससे पूर्व तर्क द्वारा गृहीत व्याप्तिके स्मरणसे सहृष्ट धूमादि साधनसे उत्पन्न हुए पर्वत आदि वर्मीमि अनिं आदि साध्यके ज्ञानको स्वार्थनुमान कहते हैं। जैसे यह पर्वत अविवाका है, क्योंकि वह धूमवाका है।

१. प्र० न० त० इ१२६, १७।

२. अनुमानप्रतिपक्ष स्वार्थ परार्थ च। तत्रान्यथा नुपर्येकलक्षणप्रत्येकुपर्याप्तसम्बन्धमरणकारणका साध्यविवान स्वार्थम्। पलाहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचाराद।

—स्वा० म० पृष्ठ १२२।

३. न्या० दी० पृष्ठ ७६, १-२६।

बहुपि स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक नहीं, फिर भी उसका स्वरूप बदालेके लिए कि स्वार्थानुमान इस तरह अनुमान करता है, शब्द द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे 'यह चढ़ा है' इस शब्द द्वारा उटप्रत्यक्षका निर्वेष होता है।^१

स्वार्थानुमानके अङ्गः :

बर्मभूषणने^२ इस स्वार्थानुमानके सम्पादक तीन अंगोंका भी विवेचन किया है। वे तीन अंग इस प्रकार हैं—धर्मी, साध्य और साधन। साधन तो गमकरूपसे अंग है, साध्य गम्यरूपसे और धर्मी दोनोंका आधाररूपसे। वास्तवमें आधारविशेषमें ही अनुमेयकी तिद्धि करता अनुशासनका प्रयोजन है। धर्ममात्र (अग्निसामान्य) की सिद्धि तो उसी समय हो जाती है जब 'जहा जहां धूम होता है वहां वहा अग्नि होती है' इस प्रकारसे तर्क द्वारा व्याप्ति गृहीत होती है। इन तीनों अंगोंमेंसे एक भी न हो तो स्वार्थानुमान सम्भव नहीं हो सकता। अतः तीनों आवश्यक हैं।

पक्ष और हेतुके भेदसे उन्होंने^३ स्वार्थानुमानके दो भी अंग बतलाये हैं। जब साध्य वर्मको धर्मसे पृथक नहीं माना जाता तब साध्यवर्म विशिष्ट धर्मीको पक्ष कहा जाता है और उस स्थितिमें पक्ष तथा हेतु ये दो ही स्वार्थानुमानके अंग हैं। इन दोनों निरूपणोंमें उक्तिवैचित्र्यको छोड़कर और कोई भेद नहीं है, यह स्वयं बर्मभूषणने^४ स्पष्ट किया है।

धर्मीकी प्रसिद्धता :

व्याप्त रहे कि धर्मी प्रसिद्ध होता है।^५ हाँ, उसको प्रसिद्धि^६ कही प्रत्यक्षादि प्रमाणसे होती है, जैसे अग्निको सिद्ध करनेमें पर्वत प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है। कही विकल्प (प्रतीति)से सिद्ध मान लिया जाता है, जैसे अस्तित्व सिद्ध करनेमें सर्वज्ञ और नास्तित्व सिद्ध करनेमें ज्ञानविवाण विकल्पसिद्ध धर्मी है। और कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनोंसे धर्मी सिद्ध रहता है, जैसे अनित्यता सिद्ध करनेमें शब्द उभय-

१. न्या० दी०, प० ७२, ३-२३।

२. वही, प० ७० ७२, ३-२४।

३. ४. अथवा पक्ष हेतुरत्यंगद्यते स्वार्थानुमानस्य, साध्यधर्मविशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्।

तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मिणाध्यसाधनमेदात्रीष्यगानि। पक्षसाधनमेदादंगद्यते चेति तिद्धन्, विवक्षावैचित्र्यात्। पूर्वत्र हि धर्मिणमेदविवक्षा। उत्तरत्र तु तस्मुदाध्यविवक्षा।

—न्या० दी० पृष्ठ ७२, ७३, ३-२५।

४. स एव धर्मिणेवामिक्तः प्रसिद्ध पदः। तदुक्तमिक्तुक्ते—‘प्रसिद्धो धर्मी’ (परीक्षामु० ३-२६) हति।

—वही, प० ७० ७३, ३-२५।

५. वही, प० ७० ७३, ३-२६।

सिद्ध चर्मी है। प्रकट है कि दोष देशस्य और वर्तमानकालमें सब भावनात्मकासे
सिद्ध हैं उत्ता तृस्त्व और जलीय एवं भावी शब्द विकल्पसिद्ध हैं। चर्मीकी प्रकृति-
दृष्टाका निष्पत्त जैन परम्परामें वर्तमानके सिद्धाव उनके पूर्व भागिक्यनिष्ठि^१;
देवसूरि^२, हेतुपत्र^३ प्रमूलिने भी किया है। उल्लेखनीय है कि न्यायप्रवेक्षकारने
चर्मीको प्रसिद्ध तो माना है, पर वे उसे प्रमाणसिद्ध ही स्वीकार करते प्रतीत होते
हैं, विकल्पसिद्ध और प्रमाणविकल्पसिद्ध नहीं, क्योंकि उठे उन्होंने बाज प्रत्यक्षा-
वाचिकरुद्ध कहा है, जिसका तात्पर्य है कि चर्मी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाविरोधी होना
चाहिए। चर्मकीतिने^४ तो विकल्पसिद्ध और प्रमाणविकल्पसिद्ध चर्मीकी मान्यतापर
आक्षेप करके उनका निराकरण भी किया है। यह कहना कठिन है कि उनका
आक्षेप किनपर है? पर इतना निश्चित है कि चर्मकीतिके आक्षेपका सविस्तर
उत्तर उनके उस आक्षेपप्रदर्शक पद्धतिके उद्धरणपूर्वक जैन तर्कशब्दोंमें^५ ही उपलब्ध
होता है। अतः सम्भव है कि उक्त तीन प्रकारके चर्मी (पक्ष)को माननेवाले जैन
ताकिकोपरही उनका वह आक्षेप हो। देवसूरिने^६ स्पष्टतया चर्मकीतिके आक्षेपका
उत्तर देते हुए उनके उल्लेखपूर्वक कहा ओ है कि चर्मकीतिको स्वयं विकल्पसिद्ध
चर्मी मानना पड़ता है। अन्यथा 'प्रधानादि नहीं हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं
होती' आदि प्रयोग वे कैसे कर सकेंगे, क्योंकि प्रधानादि उनकी दृष्टिमें प्रमाणसिद्ध
नहीं हैं। इसी तरह देवसूरिने विकल्पसिद्ध चर्मीको स्वीकार न करनेवाले नैयान-
पिकोंकी भी सुयुक्तिक समीक्षा की है। तात्पर्य यह कि उक्त तीन प्रकारके चर्मी
की मान्यता जैन ताकिकों द्वारा प्रस्तुत जात होती है और केवल प्रमाणसिद्ध चर्मी
की मान्यता अन्य ताकिकोंकी।

१. प्र० स० ३।२७-३१।

२. प्र० न० त० ३।२०-२२।

३. प्र० म०० १।२।२६-१७।

४. तत्र पक्षः प्रसिद्धो चर्मी प्रसिद्धविवेषण विविष्टतया स्वयं साध्यवेनेपितः। प्रत्यक्षादि-
विकल्प इति बाक्यसेवः।

—या० प्र० पृ४ १।

५. नासिद्धे भावमौर्त्तित व्यमित्रायुमतात्मयः।

चर्मी विषद्युत्प्राप्तस्य सा सत्ता दाख्यते शब्दः॥

—प्र० वा० १।१६२।

६. प्र० २० वा० ३।२५; स्वा० रज्ञा० ३।२२ प० वी० १।३।१७।

७. न च विकल्पाद्यत्तिर्मित्यसिद्धि नान्यशोलन् भवन्तः। न उन्निति भवन्ताद्योऽनुपलब्धेतिवादि-
प्रयोगाणां चर्मकीतिना स्वयं समर्थनात्।

—स्वा० २० ३।२२, १० ५४२।

१३६ : शेष संक्षिप्तांशबदमें अनुमान-विचार

वर्षभूषणने स्वार्थानुमानका प्रदर्शक एक महस्तपूर्ण एवं प्राचीन दलोक^१ उद्भूत किया है, जिसमें दृष्टाको स्वार्थानुमान होनेका उल्लेख है तथा 'साधनात्' पदका 'दृश्यमानात्'^२ (देखे गये) यह वर्ण देकर उन्होंने जो साधन बात कही है वह यह कि अनुमानमें प्रयुक्त साधनको वर्तमानकालिक (दृश्यमान) होना चाहिए । [इससे उस सम्बन्धायमतकी समीक्षा प्रतीत होती है, जिसमें भूत या भावि भूमादिसे भूत या भावि अग्नि आदिकी सिद्धि अभिहृत है । वास्तवमें जो साधन अनुभूयमान है वही अनुमानका प्रयोजक हो सकता है । किन्तु भूत या भावि साधनोंमें व्याप्ति भूहोत न हो सकनेसे वे अनुमानके प्रयोजक नहीं हो सकते । 'यह यशस्वाला अनिमती थी या होगी, क्योंकि भूतकालमें भूम या या भविष्यमें होगा'^३ इस प्रकारके अनुमान जैन दर्शनमें मात्र नहीं हैं, क्योंकि ऐसे हेतुबोन्की व्याप्तिका प्रहण सम्भव नहीं है । व्याप्तिके प्रहणके लिए साधनका वर्तमान कालमें होना आवश्यक है । साध्य भले ही भूत या भावि हो ।

परार्थानुमानका स्वरूप बतालाते हुए वर्षभूषणने^४ लिखा है कि प्रतिज्ञा और हेतुरूप परोपदेशकी अपेक्षा लेकर श्रोताको जो साधनसे साध्य (अनुमेयार्थ) का ज्ञान उत्पन्न होता है वह परार्थानुमान है । यहाँ भी उनका 'श्रोता' पद उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि श्रोताको परार्थानुमान होता है, स्वार्थानुमान नहीं । स्वार्थानुमान तो दृष्टाको होता है । मालूम होता है कि वर्षभूषणने यहाँ जयन्तभट्ट^५ और बादि देवसुरिके^६ उस मतकी आलोचना की है जिसमें उक्त तार्किकोने श्रोताके भी स्वार्थानुमान बतलाया है और बक्ताको परार्थानुमानका प्रयोक्ता कहा है । पर हम पहले इन दोनों तार्किकोके मतपर विचार प्रकट करते हुए कह आये हैं कि बक्ता परार्थानुमानबचनप्रयोग द्वारा श्रोताको व्याप्तिज्ञान कराता है या बक्ताके उक्त प्रकारके बचनप्रयोगसे श्रोताको व्याप्ति-

१. परोपदेशामानेऽपि साधनात्साध्यबोधनम् ।

यदद्वृग्नावते स्वार्थानुमान तदुच्चरते ॥

—न्या० दो० पृष्ठ ७५ ।

२. भद्रेवं परोपदेशामानेऽपिः साधनाद् दृश्यमानाद्भिन्नेऽत्यथा साध्ये विद्यानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम् ।

—बहो, पृष्ठ ७५ ।

३. 'इवं यशस्वाता विहितमती भविष्यति माविभूमात् । इवं यशस्वाता विहितमतीत् भूत्वमात् ।'

—सिं मु० (टिप्प०) पृष्ठ ५६ ।

४. भवितव्याहेतुरूपपरोपदेशबचनात् श्रोतुरूपर्वते साधनात्साध्यविद्यानं परार्थानुमानमित्यर्थः ।

—न्या० दो० पृष्ठ ७५ ।

५. न्या० में० पृष्ठ १३०-१३१

६. न्या० २० रात्र० पृष्ठ ५४८, ५४९ ।

ज्ञान होता है। परन्तु व्यासिज्ञानके अनन्तर साधनसे साध्यका ज्ञान वह स्वयं करता है। अतः उसका साध्यज्ञान स्वार्थनुमान ही है। हाँ, औताका व्यासिज्ञान उसके स्वार्थनुमानका कारण होनेसे परार्थ अनुमान कहा जा सकता है। तथा वक्ताके प्रतिज्ञा-हेतुरूप वचन भी औताके व्यासिज्ञानके कारण होनेसे परार्थनुमान कहे जा सकते हैं।

परार्थनुमानके अंग और अवयव :

धर्मभूषणकी एक विशेषता और उल्लेख्य है। उन्होंने^१ स्वार्थनुमानकी दरह परार्थनुमानके भी अंगोंका निर्देश किया है। अर्थात् परार्थनुमान भी स्वार्थनु-मानकी भाँति धर्मी, साध्य और साधन इन तीन अवयवा पक्ष और हेतु इन दो अंगों से सम्पन्न होता है। यह ज्ञानात्मक परार्थनुमानके सम्बन्धमें उनका विवेचन है। पर वचनात्मक परार्थनुमान (परार्थनुमान-प्रयोजक-वाक्य) के उन्होंने^२ दो अवयव बतलाये हैं—(१) प्रतिज्ञा और (२) हेतु। और इनका समीक्षा पूर्वक प्रतिपादन किया है। इनपर हम आगे 'अवयव विमर्श' प्रकरण में विशेष विचार करेंगे।

इस प्रकार जैन तर्कप्रबन्धमें अनुमानके स्वार्थ और परार्थ यही दो भेद अभिमत है।



१. तस्येतत्परार्थनुमानस्वार्थसम्पत्तिः स्वार्थनुमानश्च।

—स्था० दी० पृष्ठ ७६।

२. परार्थनुमानप्रयोजकश्च च वाक्यश्च द्वावयवो, प्रतिज्ञा हेतुश्च।

—वही, पृष्ठ ७६।

द्वितीय परिच्छेद

व्याप्ति-विमर्श

(क) व्याप्ति-स्वरूप :

अनुभानका मूलाधार व्याप्ति है। अतएव उसका यहाँ विशेषतया स्वरूप विवेचित किया जाता है।

'व्याप्ति' (वि + आप्ति) का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्राप्ति—विशेष सम्बन्ध। उस विशेष सम्बन्धका नाम व्याप्ति है जो न विच्छिन्न होता है और न व्यभिचरित। प्रश्न है कि वह विशेष सम्बन्ध क्या है? तर्कशास्त्रमें यह विशेष सम्बन्ध उन दो पदार्थोंके नियत साहचर्यको कहा गया है जिनमें गम्यगमकभाव या साध्यसाधनभाव विवक्षित है। अबवा लिंग-लिंगी या साधन-साध्यमें गमक-गम्यभाव या साधन-साध्यभावका प्रयोजक जो सम्बन्ध है वह विशेष सम्बन्ध है। यथा—विशिष्ट मेघ और वृष्टिका सम्बन्ध। सामान्यतया साहचर्य दो प्रकारका है—(१) अनियत और (२) नियत। अनियतका अर्थ है व्यभिचरित और नियतका अव्यभिचरित। वहाँ और धूमका सम्बन्ध अनियत सम्बन्ध है, क्योंकि कदाचित् वहाँके रहते हुए भी धूम नहीं होता। जैसे अंगारे या कोयलेकी अग्नि। इस सम्बन्धमें एकको उपस्थिति दूसरेके बिना भी सम्भव है। अतएव इस प्रकारका साहचर्य-सम्बन्ध अनियत या व्यभिचरित कहलाता है। यहाँ अनियम या व्यभिचारका अर्थ हो है एकके अभावमें दूसरेका सञ्चालन। पर जिन दोका साहचर्य नियत (अव्यभिचरित) होता है उनमें विशेष सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति मानी गयी है।^१ यथा—धूम और वहाँका सम्बन्ध। जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अवश्य होती है, जैसे—पाकशाला। और जहाँ वहाँ नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता, जैसे—जलाशय। इस प्रकार धूम-की वहाँके साथ व्याप्ति है—उस (वहाँ) के होनेपर ही वह (धूम) होता है, न होनेपर नहीं होता। अतः धूम और वहाँका साहचर्य सम्बन्ध नियत एवं अव्यभिचरित सम्बन्ध है। तात्पर्य यह कि जिस साधन और साध्यके साहचर्य सम्बन्धमें अनियम या व्यभिचार न पाया जाए उसे नियत एवं अव्यभिचरित सम्बन्ध कहा गया है और ऐसे सम्बन्धका नाम ही व्याप्ति है।

विचारणीय है कि प्राचीन न्यायप्रन्थोंमें व्याप्तिका स्वरूप क्या बतलाया है?

१. यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राभिनिरिति साहचर्यभिन्नमो व्याप्तिः ।

—अशम्भृ, तक्तसं० पृष्ठ ५४ । लेखाव मित्र, तक्तमा० पृष्ठ ७२ ।

व्यासिसंबीक्षण-प्रकरणमें यह कहा जा सकता है कि गौतमके न्यायसूच, वाचस्पत्यन-
के न्यायभाष्य और उद्घोषकरके न्यायवार्तिकमें व्यासिको स्वीकार नहीं किया।
अतः इन सम्बोधें व्यासिका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। बौद्ध तार्किक धर्मकीति^१
और उनके व्यास्थाकार अर्थटमें^२ अवश्य उसका स्वरूप निर्दिष्ट किया है। उन्होंने
बताया है कि व्यापकके होने पर ही व्यापका होना अथवा व्यापके होने पर
व्यापकका होना ही हेतुको व्यासि है। यहीं व्यापक और व्याप्य दोनोंके धर्मको
व्यासि कहा गया है। जब यह कहा जाता है कि व्यापकके होने पर ही व्याप्यका
होना व्यासि है तब व्याप्य-धर्म व्यासि विवक्षित है। और जब यह प्रतिपादन
किया जाता है कि व्याप्यके होने पर व्यापकका होना ही व्यासि है तब व्यापक-
धर्म व्यासि अभिप्रेत है।

न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकाकार वाचस्पतिने यथापि व्यासिको लक्ष्य मानकर
उसका स्वरूप नहीं दिया, क्योंकि उन्हे न्यायपरम्परानुसार व्यासि स्वीकार्य नहीं
है, पर उन्होंने^३ साध्यके साथ साधनका स्वाभाविक सम्बन्ध मानकर उसका
जैसा विवेचन किया है वह व्यासि जैसा है। उदयनने^४ उनके आशयका उद्घाटन
व्यासिपरक किया है। वाचस्पतिने लिखा है कि कोई सम्बन्ध हो, वह जिसका
स्वाभाविक एवं नियत है वही गमक और इतर सम्बन्धी गम्य होता है। और
स्वाभाविकका अर्थ है कोई उपाधि न होना। जैसे धूमादिकका वहूऽधादिके साथ
स्वाभाविक सम्बन्ध है, क्योंकि उसमें कोई उपाधि नहीं है। पर वहूऽधादिका
धूमादिके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वहूऽधादि धूमादिकके बिना
भी उपलब्ध है। अतः यहीं आदेन्वनादि उपाधिका अनुभव किया जाता है।
तात्पर्य यह कि नाचस्पतिके^५ अभिप्रायानुसार निरपाधिक स्वाभाविक सम्बन्धका
नाम व्यासि है। उदयनने^६ वाचस्पतिका अनुसरण करते हुए स्पष्टतया स्वाभा-

१. तत्त्व व्यासिहि व्यापकस्य तत्र भाव एव। व्यापक्य वा तत्रैव भावः।

—हेतुविद् १० ५३।

२. तत्त्व पञ्चमस्य सत्त्वो व्यासिः—यो व्यानोति यस्त्व व्याप्यते तदुभयर्थमंतया प्रताते :

—हेतुविद् १० १०४ १७-१८।

३. तस्माद्यो वा स वाचस्पत्य सम्बन्धः, केवलं यस्यासी स्वाभाविको नियतः स एव गमको
गम्यस्त्रेतरः सम्बन्धीति गुणवत्ते ।***।

—न्या० वा० ता० दी० १।१५, पृ० १६५।

४. न्यायवा० ता० परि० १।१५, पृ० ६७६।

५. तस्मादुपाधि प्रयत्नेनाभिव्यक्ततोऽनुपलभमाना। नास्तोऽयवगम्य स्वाभाविकत्वं सम्बन्धस्य
निश्चिन्मुः ।

—न्या० वा० ता० दी० १।१५, पृ० १६५।

६. ननु कोऽये प्रतिबन्धो नाम। अनीपाधकः सम्बन्ध इति लूः ।

—किरणा० प० २६७ तथा ३००।

१४२ : जैन तक्षशालमें अनुमान-विचार

विकास का अर्थ अनौपाधिक किया है और उपाधिके विशदीकरणके साथ उसके मेवों-का भी विवेचन किया है ।

वाचस्पति और उदयनके इस निष्कर्षसे अवगत होता है कि साध्य-साधन या सम्भव-गमकरूपसे अभिमत दो वस्तुओंमें नियत सम्बन्धका कारण अनौपाधिकता है और अनियतसम्बन्धका कारण अौपाधिकता (उपाधि) । उपाधि न होनेसे साधन साध्यका नियमसे अनुमापक होता है और उपाधिके रहनेसे साधन साधन न रह-कर साधनाभास हो जाता है और वह साध्यका सम्भव गमक नहीं होता । उदाहरणार्थ 'अबोगोलक धूमबत् वह्नः' इस अनुमानमें आद्रेन्धनसंयोग उपाधि है । अतएव 'वह्नि' हेतु सौपाधिक होनेसे व्याप्त्यत्वासिद्ध या व्यभिचारो हेत्वाभास माना गया है । और इसलिए उससे यथार्थ अनुभिति सम्भव नहीं है । अतः साध्य-साधनमें नियत सम्बन्धके निणायार्थ उसका उपाधिरहित होना आवश्यक है ।

(ख) उपाधि :

यतः नियतसम्बन्ध—व्याप्तिका उपर्युक्त स्वरूप उपाधिधटित है, अतः उपाधि-का विश्लेषण आवश्यक है । इसका अभिवेद्यार्थ है—‘उप समीपवर्तिनि आदधाति स्वकीय रूपमिति उपाधि’^१—जो समीपवर्ती वस्तुमें अपना रूप आरोपित करे वह उपाधि है । उदाहरणके लिए जपाकुसुमको लिया जा सकता है । यदि जपाकुसुमको स्वच्छ स्फटिकमणिके समीप रख दें तो उसकी लालिमा उसमें आरोपित हो जाती है । यतः यह लालिमा जपाकुसुमरूप उपाधिके संसर्गसे उसमें आयी है, अतः वह अौपाधिक है, स्वाभाविक नहीं । इसी प्रकार वह्नि हेतुसे धूमानुमान करनेमें धूम-सामग्री (आद्रेन्धनसंयोग) उपाधि है, क्योंकि उसके संसर्गसे 'वह्नि' में धूमव्याप्तिका आरोप (आघान) होता है । अतः 'वह्नि' हेतु आद्रेन्धनसंयोगरूप उपाधियुक्त होनेके कारण साध्यका गमक नहीं है ।

उपाधिकी उदयनकृत परिभाषाके^२ अनुसार भी आद्रेन्धनसंयोग साध्यका व्यापक और साधनका अव्यापक होनेसे उपाधि है और उपाधिसहित होनेके कारण 'वह्नि' हेतु धूम-साध्यका साधक नहीं है । इसी तरह 'स इयामो मैत्री-

१. वही, पृ० ३००, ३०१ ।

२. हेत्वाभासविशेषपयोजकीभूतेऽर्थः (उपाधि) । यद्यमिचारित्वेन साधनस्य साध्यव्य-मिचारित्वं सः । उदयनाचार्यमेते उपाधिपदं दीपस्तद् । अत्र व्युत्पत्तिः । उप समीपवर्तिनि आदधाति संकामयति स्वीय धर्मस्त्वयुपाधि:, इति ।... यथा स्फटिकलौहित्ये जपाकुसुमसुपाधिरित्वत्र लीहात्पसंकामकर्तव्यः ।... ।

—भीमाचार्य, न्यायकोश पृ० १७७, 'उपाधि' शब्द ।

३. साध्यव्यापकवे साधनाव्यापकव्यमिति ।

—किरणाद० पृ० ३०० ।

उत्तरध्याद्, इतरतनयत्वत्^१ इस असद्-अनुमानमें भी अन्नपानादिपरिणतिविशेष या शाकपाकजन्मत्व उपाधि विवरण होनेसे मैत्रीतनयत्वहेतु अपने दयामतासाध्य-का अनुमापक नहीं है।

उदयनके पश्चात् केशबमिश्र^२, अग्रम्भट^३, विश्वनाथ^४ आदि अनेक नैयाधिकोंने भी व्याप्ति और उपाधिपर चिन्तन एवं निबन्धन किया है। किन्तु सर्वाधिक विचार और लेखन गंगेश उपाध्याय (१२०० ई०)ने किया है। उन्होंने^५ पूर्वपक्षमें प्रबन्धतः उन व्यापिलक्षणोंको प्रस्तुत करके उनकी समोक्षा की है, जो या तो अन्य तार्किकों द्वारा अभिमत है या उन्होंने स्वयं अपनी प्रतिभाके बलपर उनकी समालोचनार्थ परिकल्पना की है। तदनन्तर सिद्धान्तपक्षके रूपमें अपना परिष्कृत व्याप्ति-लक्षण उपस्थित किया और उसमें सम्भाव्य दोषोंका परिहार करके उसे निर्दृष्टि सिद्ध किया है। ये सभी व्यापिलक्षण नव्यन्यायपद्धतिसे चर्चित हैं। इनपर रघुनाथ शिरोमणिने दीर्घिति, मथुरामाथ तर्कवागीशने माधुरी, अगदीश तर्कलिंकारने जागदीशी और गदाधर भट्टाचार्यने गदाधरो व्याख्याएं लिखकर उन्हे विस्तृत, जटिल और दुरवबोध बना दिया है। पर दुरवबोधके कारण उनका अध्ययन-अनुशोलन अवशुद्ध नहीं हुआ, वह मिथिला और नवद्वीपसे बाहर आकर धोरेधीरे महाराष्ट्र, मद्रास और काश्मीरमें होता हुआ प्रावः सारे भारतमें प्रसूत हो गया।^६ आजसे एक पोछा पूर्व तक उक्त अध्ययनकी धारा बहती रही, परन्तु अब वह क्षीण होती जा रही है।

(ग) उपाधि-निरूपणका प्रयोजन :

प्रश्न है कि व्याप्ति-निरूपणके साथ उपाधि-निरूपणका प्रयोजन क्या है? इसका समाधान करते हुए गंगेश आदि तार्किकोंने^७ कहा है कि यदि किसी अनुमानमें उपाधिका सञ्चाल है तो स्पष्ट है कि हेतु साध्यव्यभिचारी है, क्योंकि जो साध्यके

१. न च व्यापादितु मैत्रतनयादौनां स्वाभाविकप्रतिबन्धसम्बद्धः, अन्नपानपरिणतिमेदस्तो-पाये: द्यामतावा मैत्रतनयसम्बन्धं प्रति विवरणात्वेन मैत्र तनयत्वस्यागमक्षात्।—न्यायवा० ता० दी० १।१५, पृष्ठ १६७।
२. तर्कमा० पृष्ठ ७२, ७५, ७६।
३. तर्कसं० पृष्ठ ७८-८२ तथा ८२।
४. चि० मु० पृ० ५३-७६ तथा १२२।
५. त० चि०, जागदी० पृ० ७८-८२, ८६-८८, ९५-१२१, १२१, १३७, १७८, १८१, १८६, १९७, २०१, २०२, २०६, तथा २०९-२१०।
६. चिक्षेकर सिद्धान्तशिरोमणि, तर्कमाधा-मूर्मिका, पृष्ठ ४८।
७. तवाहि-समव्याप्तस्य विवरणाप्रस्पृष्ट वा साध्यव्याप्तस्य व्यभिचारेण साखतस्य साध्यव्यभिचारः स्फृत इव, व्यापकव्यभिचारिकस्तद्याव्यभिचारनियमात्।—द० चि० वापिशाद्, पृष्ठ ३४५।

३४४ : शैव संक्षेपालमें अनुमान-विचार

व्याप्तका व्यभिचारी होता है वह साध्य (व्याप्त)का व्यभिचारी अवश्य होता है । उदाहरणार्थं 'चूमबत् वह्नेः' वही आद्रेन्झनसंयोग उपाधि है । आद्रेन्झनसंयोग चूम (साध्य)का व्यापक (समव्याप्त) है और वह्नि (हेतु) आद्रेन्झनसंयोग-का व्यभिचारी है—वह उसके अभाव (अयोगोलक आदि)में भी रहता है । अतः 'वह्नि' हेतु 'चूम' साध्यके व्यापक (आद्रेन्झनसंयोग)का व्यभिचारी होनेसे चूम (साध्य-व्याप्त)का भी व्यभिचारी है । तात्पर्य यह कि उपाधिके सद्भावसे हेतुमें व्यभिचार और उपाधिके अभावसे उसमें अव्यभिचारका अनुमान होता है ।^३ अतः यदि किसी हेतुमें उपाधि उपलब्ध होती है तो उससे उस हेतुमें व्यभिचारका निश्चय होता है और व्यभिचारके निश्चयसे तउजन्य अनुमान दूषित-अनुमान समझा जाता है और यदि उपाधि नहीं पायी जाती तो उसके अभावसे हेतुमें अव्यभिचारका निर्णय किया जाता है और अव्यभिचारके निर्णयसे तदुन्पन्न अनुमान निर्दोष माना जाता है ।^४ यही उपाधि-विचारका प्रयोजन है ।

एक प्रश्न और है । वह यह कि उपाधिके सद्भाव और असद्भावका निर्णय कैसे होता है ? इस सम्बन्धमें वाचस्पतिका^५ मत है कि प्रश्नसे उपाधिका अन्वेषण किया जाए । यदि अन्वेषण करने पर वह उपलब्ध न हो तो 'उपाधि नहीं है' ऐसा अवगत करके विवक्षित साधनके सम्बन्धकी स्वाभाविकता (अनोपाधिकता)का निश्चय कर सकते हैं । उदयन^६ वाचस्पतिके इस मन्त्रव्याप्तिको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष-गम्य उपाधियोंका निराकरण तो योग्यानुपलब्धिसे हो जाता है और प्रमाणान्तरगम्य व्यापक-अव्यापक नित्य-अनित्य सम्भाव्य उपाधियोंका निरास परीका (सर्वशङ्खा-निवर्तक तर्क) द्वारा होता है । मही कारण है कि उपाधिको न देखने पर विरोधि-प्रमाणके होने-न-होनेके निश्चयमें व्यग्र रहनेके कारण अनुमाता अनुमित्तमें कुछ कालका विलम्ब कर देते हैं । अन्ततोगत्वा उपाधिके अनुपलम्भसे उसके अभावका

१. उदयन, किरणावली, पृष्ठ ३०१ ।

२. व्यभिचारस्यानुमानसुपारेश्तु मयोजनम् ।

—विश्वनाथ, सिंहमुक्ता का० १४०, पृ० २२३ ।

३. तस्मादुपाधिवक्तव्यं व्यभिचारोऽनुपाधिवक्तव्यमव्यभिचारः... ।

—न्यायवा० ता० परि० १।१५, पृ० ६७२ तथा किरणावली पृष्ठ ३०० ।

ता० चि० उपाधिवाद, पृ० ३९४-९५ ।

४. तस्मादुपाधि प्रयत्नेतान्विष्यन्तोऽनुपलभयाना नास्तीपवगम्य स्वाभाविकर्त्त्वं सम्बन्धय निवृत्तिमः ।

—न्यायवा० ता० दो० १।१५, पृ० १६५ ।

५. प्रत्यक्षोपलम्भास्तात्पर्यात्पोनुपलब्धेरेव निरस्तः । प्रमाणान्तरपरिदृष्टानामपि व्यापका-नसुपार्थने वहेः सार्वभिक्षापवर्गं अव्यापकानामपि निष्यन्तसुपार्थवेऽपि ॥ अत एवो-परिषमपक्षन्तोऽपि मुहूर्तमनुमित्ती विलम्बमाहेऽपि ॥ ॥

—न्यायवा० ता० परि० १।१५, पृ० ६६२-६५ । तथा किरणा० पृ० ३०१ ।

निश्चय हो जाता है। यथा भूमके स्वाभाविक सम्बन्धमें उपाधिके अनुपलग्नसे उसके अभावका निश्चय किया जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी दृष्टव्य है। उक्त स्पष्टीकरणके पश्चात् भी एक शंका बनी रहती है, जिसकी ओर वर्द्धमाणो-पाठ्याद्यने संकेत किया है^१। वह यह कि उक्त प्रकारसे प्रत्यक्षगम्य उपाधियोंके अभावका निश्चय होने पर भी अतीन्द्रिय (अयोग्य) या शक्ति उपाधियोंके अभावका निश्चय कैसे होगा ? उदयनने^२ इसका भी समाधान प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि विष्णवाधक तरक्से उक्त प्रकारकी उपाधियोंके अभावका भी निश्चय हो जाता है। इस सम्बन्धमें केशव मिथका^३ समाधान भी उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि अतीन्द्रिय उपाधियोंकी आशंका नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अतीन्द्रिय होनेसे वे उपाधि-आविष्करणकी ज्ञात नहीं हैं और अज्ञात स्थितिमें उनके सद्भावकी शंका निर्मूल है। तात्पर्य यह कि प्रमाणसिद्ध उपाधिकी आशंका की जानी चाहिए।^४ अन्यथा भ्रोजनादिमें भी विषादिके सद्भावकी शंका रहने पर उनमें लौकिकोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी।^५ निष्कर्ष यह कि प्रमाणोपपत्ति उपाधि-के निश्चयसे व्यभिचारका निश्चय और व्यभिचारके निश्चयसे विवक्षित साध्य-साधनमें व्यापिके अभावका निर्णय होता है। तथा उपाधिके अभावनिश्चयसे व्यभिचारके अभावनिश्चयका और व्यभिचारके अभावनिश्चयसे व्यापिका निश्चय होता है।

(घ) जैन दृष्टिकोण :

माणिक्यनन्दिं^६ आदि जैन ताकिकोंने व्यापिका स्वरूप देते हुए किया है— ‘इसके होने पर हो यह होता है, नहीं होने पर नहीं हो होता’ यह व्यापि है। इसीको अविनाभाव अथवा अन्यथानुपपत्ति भी कहते हैं। अतएव साधनको अवि-

१. द्व्यामोपाठ्याय, न्यायवा० तात्प० परि० न्यायनिकन्यमकाशटी० पृ० ६९५।
२. तर्कश सर्वशकानिराकरणपटीयात् विराजते (विजयते) :
—उदयन, न्यायवा० ता० परि० १।१।५, पृ० ६९५, तथा किरणा० पृ४ ३०१।
३. अयोग्यस्त शक्तितुमशक्त्वात् । . . . —केशवमिम, तर्कभा० पृ० ७६।
४. व्यभिचार एव प्रतिबन्धाभावः । उपाधेव व्यभिचारशक्ता, प्रमाणसिद्धिस्त एवोपाधिवेन शंकनीयः । —उदयन, न्यायवा० ता० परि० १।१।५, पृ० ६७६-७७।
५. तथा चापाभाषिकोपाधिशंका व्यभिचारित्वशक्तानुभावादिनिरूपित्वाऽपाभाषिका-नवशक्तयेव विशिष्टाहारमोभनादिनकृतिः ।
—वही, प० ६७६, तथा पृ४ ६७५।
६. इदमस्मिन् सत्येव मत्यत्वसति तु न मत्यत्वेव ।
व्यापाभावावे चूमरतदभावे न मत्यत्वेवेत च ।
—माणिक्यनन्दि, प० सु० १।८३, १९।

११५ : जैन सर्कारी संस्कृत अनुमान-विचार

नाभावो अथवा अन्यथानुपपत्ति बहुलाभा गया है।^१ इसका अर्थ है को साधन साध्य-के अभावमें न हो, उसके होने पर ही हो वही गमक है और उसका साध्य-गम्य।^२ पर जो साधन साध्यके अभावमें उपलब्ध है वह उस साध्यका साधन नहीं और वह साध्य भी उस साधनका गम्य (विषय) नहीं—दोनों ही क्रमशः साधनाभास तथा साध्याभास हैं।^३ वस्तुतः इस अविनाभावके रहनेसे ही धूम, अग्नि-का गमक होता है। अतः धूम साधन है और वहाँ साध्य। किन्तु 'अयोगोलक धूमवाला है, क्योंकि उसमें वहाँ है' इस अनुमानमें हेतुरूपसे प्रयुक्त वहाँ धूमके अभावमें भी पायो जाती है। इस कारण वह धूमकी अविनाभाविनी न होनेसे वह उसकी गमक नहीं है। अतः वह साधनाभास है और धूम साधनाभासका विषय होनेसे साध्याभास। प्रत्यक्ष है कि अयोगोलकमें वहाँ होने पर भी धूम नहीं होता। अतएव 'अग्नि अनुष्ठ है, क्योंकि वह द्रव्य है' इस अनुमानगत अनुष्ठान्त्वसाध्य-की तरह उक्त अनुमानमें प्रयुक्त धूम-साध्य प्रत्यक्षविशद्—साध्याभास है। तथा उसे सिद्ध करनेके लिए उत 'अग्नि' हेतु प्रत्यक्षाधित नामक कालात्यापदिष्ट साधनाभास है। उसमें आदेष्यनसंयोगरूप उपाधिकी कल्पना करके उसके सद्भावसे अग्निमें व्यभिचारका निश्चय और व्यभिचारके निश्चयसे व्याप्तिके अभावका निश्चय जैन ताकिक नहीं करते। उनका मन्त्रव्य है कि उसमें मात्र परम्परा-परिश्रम और अन्योन्याश्रय है।^४ यह देखना चाहिए कि वहाँका धूमके साथ अविनाभाव है या नहीं? स्पष्ट है कि वहाँ अंगारे आदिमें धूमके बिना भी उपलब्ध होती है। अतः वहाँका धूमके साथ अविनाभाव नहीं है और अविनाभाव न होनेसे वह साधनाभास है। इसी तरह 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः इयामो अविनुभहंति मैत्रीतनयस्वात्' यहाँ भी मैत्रीतनयत्वहेतुका इयामत्वसाध्यके साथ अविनाभाव नहीं है और अविनाभावके न होनेसे मैत्रीतनयत्वहेतु हेत्वाभास है।^५ प्रकट है कि गर्भस्थ पुत्रको मैत्रीका पुत्र होनेसे इयाम होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसके गोरे

१. साध्याविनाभावित्वेन निविदो हेतुः ।

—१० मु० ३।१५ ।

साधन ग्रहणाभेदनुपर्यं ततोऽपरे ।

—अकालीक, न्यायविनि० २।२६६ तथा प्रमाणवं० ३।०६ ।

२. तथान्यत्रापि वाऽसिद्धं वद्विना वदिहन्वते ।

तत्र तद्गमकं तेन साध्यधीनी च साधनम् ॥

—न्यायविनि० २।२२१ ।

३. वही, २।३४४, २।३७२ ।

४. गर्भस्थण, न्या० दी० प० ११० ।

५. वही, प० ६२ ।

होनेकी भी सम्भावना है। यथार्थमें^१ मैत्रीतयत्त्वहेतुका स्यामस्त्वकाल्पनिके साथ न सहभावनियम है और न क्रमभावनियम, क्योंकि कोई यदि यह व्यभिचार-शंका करे^२ कि गर्भस्थ पुत्रमें 'मैत्रीका पुत्रपन' तो हो, किन्तु 'कालापन' न हो, तो इच्छा व्यभिचार-शंकाका निवर्तक ऐसा अनुकूल तर्क नहीं है कि 'यदि गर्भस्थ पुत्रमें कालापन न हो तो उसमें 'मैत्रीका पुत्रपन' भी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भस्थ मैत्रीपुत्रमें 'मैत्रीके पुत्रपन' के रहने पर भी कालापन सन्दिग्ध है। और विषयमें बाधकप्रमाणों—व्यभिचार-शंकाका निवर्तक अनुकूल तर्कोंके बलसे हेतु और साध्यमें व्याप्तिका निश्चय होता है और व्याप्तिके निश्चयसे सहभाव अथवा क्रमभावका निर्णय होता है। तथा सहभाव और क्रमभावनियम ही अविनाभाव है।^३ अतः मैत्रीतयत्त्वहेतुमें शाकपाकजन्यत्व उपाधिके सञ्चालनसे व्यभिचार और व्यभिचारसे व्याप्तिका अभाव नहीं है, अपितु व्यभिचारशंकानिवर्तक अनुकूल तर्कके न होनेसे ही उसमें व्याप्तिका अभाव है। यही दृष्टिकोण जैन तर्किकोने सभी सद-असद अनुमानोंमें अपनाया है। तात्पर्य यह कि जैन तर्कशास्त्रमें हेतुकी गमकता और अगमकतामें प्रयोजक क्रमशः उसके साध्याविनाभावका निश्चय और साध्याविनाभावके अभावका निश्चय स्वीकृत है। तथा अविनाभावका निश्चय एकमात्र तर्कप्रतिरिहित है, ^४ जैसा कि आगे विवेचित है।

(क) व्याप्ति-ग्रहण :

इस व्याप्तिके ग्रहण (निश्चय) का ऊहापोह चार्वाकके अतिरिक्त शेष सभी भारतीय विचारकोंने किया है। चार्वाक^५ व्याप्ति-ग्रहणको असम्भव बतलाकर अनुमानके प्रामाण्यका निषेध करता है और प्रत्यक्षको ही एकमात्र ज्ञानोपलब्धिका साधन मानता है। किन्तु अन्य समस्त अनुमानप्रमाणवादी अनुमानके आधारभूत व्याप्ति-ग्रहणको सम्भव बतलाते और उसके ग्रहण-प्रकारका प्रतिपादन करते हैं। यहीं दार्शनिकोंके व्याप्तिग्रहणसम्बन्धी मर्तोंपर विचार किया जाता है।

१. न हि मैत्रीतयत्त्वस्य हेतुव्याप्तिमतस्य इयामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रमभावो वा निष्पोऽस्ति, येन मैत्रीतयत्त्वं हेतुः स्यामत्वं साध्यं गमयेत् ।

—न्या० दो० पृ४ ६२ ।

२. वही, पृ४ ६३ ।

३. सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।

—माणिक्यमन्त्र, १० मु० ३।१६ ।

४. सत्यप्रवलविद्याने स तर्कप्रतिरिहितः ।

अविनाभावसम्बन्धः साकृत्येनावधार्येते ॥

—अक्षलंक, न्या० द्वि० २।६२६ ।

५. म्याचन्द्र, प्र० क० मा० २।४, पृ४ १७७, द्वितीय संस्करण ।

(१) बौद्ध व्यासिनग्रहण :

धर्मकीर्तिके^१ अनुसार व्यासि दो सम्बन्धोंपर आधृत है—(१) तदुत्पत्ति और (२) तादात्म्य ।

जिन दो वस्तुओंमें कार्यकारणभाव होता है उनमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध माना गया है। जैसे धूम और बहूँ। तथा जिन दोमें व्याप्यव्यापकभाव होता है उनमें तादात्म्य स्वीकार किया गया है। यथा सत्त्व और अणिकत्व अथवा शिशपात्र और बृकात्व। इन दो सम्बन्धोंको छोड़कर अन्य कोई सम्बन्ध या प्रभाण अविनाभावका नियामक (स्थापक) नहीं है। न ही दर्शन (अन्वय या प्रत्यक्ष) से उसकी स्थापना सम्भव है और न अदर्शन (व्यतिरेक या अप्रत्यक्ष-अनुपलम्भ) से। अर्चटने^२ धर्मकीर्तिके इस कथनका समर्थन करते हुए लिखा है कि तादात्म्य और तदुत्पत्तिके साथ अविनाभाव और अविनाभावके साथ वे दोनों व्याप्ति हैं। जिनमें न तादात्म्य है और न तदुत्पत्ति उनमें अविनाभाव नहीं होता ।

परन्तु पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर आदि कितने हो ऐसे हेतु हैं जिनमें न तादात्म्य है और न तदुत्पत्ति, फिर भी उनमें अविनाभाव रहता है तथा अविनाभाव रहनेसे उन्हें गमक स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ^३ ‘इवं सविताऽउद्देता अशत्तम्-सवितुस्तद्यात्’, ‘शक्तं उद्देष्यति कृतिकोदयात्’, ‘उद्गाव्यमरणः कृतिकोदयात्’, ‘इससमानकालं रूपं जातं रसात्’, ‘चन्द्रोदयो जातं समुद्रवृद्धेः’ इत्यादि हेतुओंमें न तादात्म्य है और न कार्यकारणभाव है और इसलिए वे गमक हैं ।

१. कार्यकारणभावादा स्वभावादा नियमकात् ।

अविनाभावनियमो दर्शनात् नादर्शनात् ॥

—प्र० बा० २०, ३० ।

२. तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविमामाप्ति व्याप्ति, तयोस्तत्रावश्यमावात् । तस्य च तयोरेव भावा-दत्तत्वमावस्यात्तदुत्पत्तेश (तदनायकत) या तदव्यमिच्चारनियमामावात् ।

—हे० बि० टी० पृष्ठ ८ ।

३. चन्द्रादेवजलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तवानुमा ॥

न हि जलचन्द्रादेवः चन्द्रादिः स्वभावः कार्यं वा ।

भविष्यतप्रतिपद्धते शक्तं कृतिकोदयात् ।

व आदित्य उद्देतेति यहर्ण वा भविष्यति ॥

—लघीय० का० १३, १४ ।

४ तदेतस्मिन् प्रतिकल्पनियमे कार्यं चन्द्रादेवर्वाग्नाशर्दनात्, परमामोऽनुमीयेत । नामवोः कार्यकारणभावः सहैव भावात् । न च तादात्म्यं, लक्षणमदात् । अलमन्यवानुपपत्तेरन-वधमनुमानम् ।

—सिद्धिवि० ६१२, पृष्ठ १७३ ।

उत्सेष्मनीय है’ कि सर्वदर्शनसंग्रहकारने बौद्धोंके कार्यकारणभावनिश्चयके प्रकारका भी लिंगेष्ट किया है। वह प्रकार है ‘पंचकारणी’। उन्होंने लिखा है कि बौद्ध नैयायिक पंचकारणी प्रक्रियाके द्वारा कार्यकारणभावका निश्चय करते हैं और कार्यकारणभावके निश्चयसे अविनाभावका निश्चय’। यह प्रतिपादन वर्मकीर्तिका है, जिसे उन्होंने हेतुविन्दुमें^३ किया है। परन्तु वर्मकीर्ति और उनके टीकाकारोंने अविनाभावको कार्यकारणभाव और स्वभाव (तादात्म्य) इन दोमें ही नियन्त्रित कर उसके व्यापक स्वरूप एवं ज्ञेयको संकुचित बना दिया है, कलतः उक्त पूर्व-चरादि हेतुबोर्में व्याप्तिकी स्वापना नहीं हो सकती।

(२) वेदान्त व्याप्तिस्थापना :

वेदान्त दर्शनमें^४ व्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्ष द्वारा माना गया है। उसका मत है कि साध्य-साधनके साहचर्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यक्ष भूवोदर्शन, व्यभिचारादर्शन आदि सहकारियोंसे सहकृत हो कर व्याप्तिका निश्चय करता है। जहां पूर्वसंस्कार प्रबल रहते हैं वहां व्याप्तिका निर्णय अनुभाव और आगम द्वारा भी होता है। यथा—‘ब्रह्मणो न हन्तन्यः’, ‘गोर्ज पादाःसृष्टृष्टाः’ जैसे स्थलोंमें व्याप्तिका ग्रहण आगमद्वारा ही सम्भव है।

बौद्धों और वेदातिन्योंको व्याप्तिस्थापनामें यह अन्तर है कि बौद्धोंके “अनुसार

१. तस्मात्तुपत्तिनिश्चयेनाविनाभावो निश्चीयते । तदुपत्तिनिश्चयश्च कार्यहेतोः प्रत्यक्षोप-
लम्भानुपलभ्यते चक्रनिकन्धनः । कार्यस्योत्तरोः प्राग्नुपलभ्यः, कारणोपलभ्ये सति अ-
लम्भः उपलभ्यत्वं पश्यात् कारणानुपलभ्यनुपलभ्य इति पंचकारण्या धूमधूमज्ञवोः
कार्यकारणभावो निश्चीयते ।
—मार्यादाचार्यं, सर्वदर्शनसंग्रह शौद्धदर्शन० पृष्ठ २० ।
२. वेदादि, स्वादादरत्नाकरं १८, पृष्ठ ५१३, ५१५ भी इहन्य है ।
३. कार्यहेतौ कार्यकारणभावसिद्धिः यजेदयस्योपलभ्ये उपलभ्यते उपलभ्यत्वलक्षणमासमनुपल-
भ्यमपलभ्यते, सत्त्वत्वमन्येतु हेतुपु अस्यामावे न भवतीति वस्तद्वावे भावस्तद्वावेऽमावश्य
प्रत्यक्षानुपलभ्यसाधनः कार्यकारणभावः तत्य सिद्धिः ।
—हेतु० विं पृष्ठ ५४ ।
४. वेदान्तिनिष्ठवाहुः । प्रत्यक्षं व्याप्तिग्राहकम् । तथा च साहचर्याद्विषयः प्रत्यक्षस्य भू-
दशीन्द्रियविनाशदर्शनोपायभावनिश्चयाः सहकारिणः । स्वभावनालाभावयि व्याप्ति-
ग्राहकौ । तत्रागमेन व्याप्तिग्राहस्तु ‘ब्रह्मणो न हन्तन्यः’, ‘गोर्ज पादाः सृष्टृष्टाः’ इति ।
अत्र युक्तान्तोऽपेक्षा नास्ति ।
—नायकोत्तरा, पृ० ८३३ ।
५. (क) वय प्रवक्ष्यादप्तमाविविक्षयात् साकल्येन साभ्यसाधनभावप्रतिपत्तेन प्रमाणान्तरं
तदर्थं सुखमित्यपरः ।
—प० २० मा० २१२, पृष्ठ ५६ ।
- (ख) यस्यात्मानमन्तरेण सामान्यं न प्रतीयते तस्यात्य दोषोऽस्माकं तु प्रत्यक्षपृष्ठमादि-
भाव विकल्पेन व्यक्तिविभात् सामान्यं प्रतीयते ।
—हेतुविन्दु०, पृष्ठ २६, २४ । तत्र मनोरेणः पृष्ठ ७ ।

विविकल्पक प्रत्यक्ष के बाद होने वाला सविकल्पक व्याप्तिग्राहक है, जो उक्त दो सम्बन्धोंपर निर्भर है। पर वैदान्तदर्शनमें भूयोदर्शनादि सहकृत विविकल्पक अनुभव व्याप्तिको ग्रहण करता है।

(३) सांख्य व्याप्ति-ग्रहण :

सांख्यदर्शनमें व्याप्तिग्रह प्रत्यक्ष द्वारा माना गया है। पर भाष्यकार विज्ञान-मिथु^३ नियम (अव्यभिचार—व्याप्ति)का ग्रहण अनुकूल तर्क द्वारा भी प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य यह है कि साध्य और साधन दोनोंके अवधा केवल साधनके नियत साहचर्यका नाम व्याप्ति है और इस व्याप्तिका ग्रहण व्यभिचारशंकानिवर्तक अनुकूल तर्क सहकृत दर्शनसे होता है। अतएव व्याप्तिदर्शनके अनन्तर जो वृत्तिरूप साध्यज्ञान होता है उसे अनुमान कहा गया है।

(४) मीमांसा व्याप्ति-ग्रह :

प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने^४ अव्यभिचारको व्याप्ति कह कर उसका ग्रहण असङ्कृदर्शनसे अतलाया है। उनका अभिमत है कि जिस प्रमाणसे उस साधन सम्बन्ध-विशिष्ट गृहीत होता है उसी प्रमाणसे उस साधनका व्याप्ति-सम्बन्ध भी गृहीत हो जाता है। उसके ग्रहणके लिए प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं होती। उदाहरणार्थ 'वह धूम अपि सम्बद्ध है' ऐसा प्रत्यक्ष (असङ्कृदर्शन)से ज्ञान होने पर उसकी सम्बन्धिता (धूमनिष्ठ व्याप्तिसम्बन्ध) का भी ज्ञान उसीसे हो जाता है। अतः असङ्कृदर्शन व्याप्तिग्राहक है।

मटु कुमारिलने^५ भाष्यकार शब्दरके अनुमानलक्षणगत 'सम्बन्धको' व्याप्ति

१. प्रबन्धदृष्टा प्रांतबद्धानमनुमानम्। प्रतिक्वन्तो व्याप्तिः। व्याप्तिदर्शनाद् व्यापकक्षाने वृक्तिरूपमनुमाने प्रमाणमिति ।

—सा० द० झ० भा० १-१०० ।

२. निष्ठार्थमनादित्यमुमयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः। ...तथा चोभयोः साध्यसाधनयोरेकतरस्य साधनमात्रस्य वा नियतः अव्यभिचरितो यः सहचारः स व्याप्तिः...नियमश्चानुकूल-तर्केण ग्राह्य इति...।

—विशालमिथु, वही ४।२९ ।

३. अव्यभिचारो ह व्याप्तिः...। ...वदस्तु येन प्रमाणेन सम्बन्धविशिष्टं गृह्णते—यथा प्रत्यक्षेण धूमोऽन्यिसम्बन्धविशिष्टः तस्य तेनैव प्रमाणेन सम्बन्धे व्याप्ततापि गम्यते। ...अव्यभिचारसबसङ्कृदर्शनगम्यः।

—झ० पंचिका १।१५, शुष्ट १५-१६ ।

४. सम्बन्धो व्याप्तिरिद्वाऽत्र लिङ्गर्थमस्तु लिङ्गिना ।

व्याप्तस्य गमक्षत्वं च व्यापकं गम्यमित्यते ॥

भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यर्थमयोः ।

कावये भेदह्यानेन क्वचिच्छायि विशेषयोः ।

—मी० षष्ठा० १।१५, अनु० परिं, पृष्ठ १४८ ।

बताते हुए उसे भूयोदर्शनगम्य प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि जाहे सम्बन्धित हो या विषमस्याति, दीनोंमें व्याप्त ही गमक होता है और व्यापक ही गम्य, क्योंकि व्याप्तके ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान अवश्य होता है। परन्तु व्यापकके ज्ञानसे व्याप्तका नहीं। अतः व्याप्तमें व्याप्तता (व्याति) और व्यापकमें व्यापिता (व्यापकता) है। जब-जब धर्मन्तर (महानास)में धूम देखा गया तब-तब वहाँ बहिं भी देखी गयी। इसकिए धर्मन्तर (सप्तष्ठ) में हृषी धूम और बहिंका अनेक-बारका सहदर्शन (भूयोदर्शन) ही धूम और बहिंमें व्याप्ति-सम्बन्धका निश्चय करता है। विशेष यह कि कुमारिल^१ उस व्याति-सम्बन्धको केवल पूर्वदृढ़ महानसादिगत ही मानते तथा उसे ही अनुमानांग कहते हैं, सकलदेशकालगत नहीं। पार्थसारथी^२ कुमारिलके आशयको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बहुत दर्शनोंसे धूम और बहिंके साहित्य (साहचर्य)का ज्ञान होने और उनमें व्यभिचारका ज्ञान न होने पर महानसादिमें अग्निके साथ धूमकी व्याति अवगत हो जाती है। किन्तु उसके पश्चात् जो ऐसा ज्ञान होता है कि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है,' वह परोक्षकृप होनेसे आनुमानिक है। इससे प्रतीत होता है कि कुमारिल और उनके अनुवर्ती भीमासक तार्किक व्यासिको केवल सप्तष्ठगत मानते हैं, उसे सर्वोपराहरणती नहीं। इसी कारण वे उसे प्रत्यक्ष (भूयोदर्शन) गम्य बतलाते हैं।

(५) वैशेषिक व्याति-ग्रह :

वैशेषिकदर्शनमें सर्वप्रथम प्रधस्तपादने^३ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा व्यातिग्रह प्रतिपादन किया है। वे कुमारिलकी तरह व्यातिको केवल सप्तष्ठगत नहीं मानते;

१. तेन धर्मन्तरेऽवेषा तस्य येनैव वाकृषी ।

देशे यावर्ति काले वा व्याप्तवा प्राहृनिषिता ॥

तस्य तावर्ति वाकृष दृष्टो धर्मन्तरे पुलः ।

व्याप्ताशो व्यापकाशस्य तथैव मतिपादकः ॥

—मी० छला० वा० १।१५, अनुमानपरि० फलो० १०, ११ ।

२. वहुभिस्तु दशनैर्वद्युषु देशोऽपु धूमस्याग्निना साहित्यं गमयते, स्त्रिमेश्चावगते व्यभिचारे चानवगते व्याप्ताद्युषु धूमस्याग्निना व्यातिरवगता भवति ।... तावतैव वहुशोऽवगताग्निं साहित्यस्य धूमस्य परिदृष्टेतु देशकालेतु वह्निनिवामोऽवगतो भवति, तावदेवानुमानांग, तदनन्तर तु यत्र यत्र धूमः तत्र तथाग्निरिति योऽवगमः सोऽवानुमानिक एव परोक्ष-कृपतात् तस्य तु प्रत्यक्षत्वं संविदिष्यते ।

—वही, न्या० रत्ना० १।१५, अनु० १० १०, ११, पृष्ठ ३५० ।

३. विष्वित्यु यत्र धूमस्तपादिग्निरन्वयमापे भूयोऽपि न भवतीति । यत्र प्रसिद्धसमवस्था-सन्दिग्धधूमक्षेत्रानाद् साहचर्यानुस्मरणात्तदनन्तरमन्वयव्याप्तवक्तामो भवतीति । यत्र सर्वं देशकालाग्निमूलं वितरत्वं किम् ।

—प्रश्न० भा० १० १०२, १०३ ।

अपितु समस्त देश और समस्त कालानुभायी बतलाते हैं। उदाहरणार्थ 'जहां भूमि होता है वहां अग्नि होती है और जहां अग्नि नहीं होती वहां भूमि भी नहीं होता।' इस अन्य-व्यतिरेक प्रदर्शक उदाहरणसे प्रश्नस्तपादका अभिप्राय व्याप्तिको सर्वोच्च संहारवती बतलानेका स्थृत ज्ञात होता है। अन्यथका अर्थ दर्शन और व्यतिरेकका अर्थ अशर्वन है। इन दर्शन-अशर्वनसे व्याप्ति-निष्ठव्य किया जाता है। प्रश्नस्त-पादभाष्यके टीकाकार उदयनका^३ मत है कि सावन और साव्य दोनों सम्बन्धी हैं और दोनों महानसादिमें प्रत्यक्षसे अवगत हैं, अतः उनकी व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध) बाह्येन्द्रियजन्य-सविकल्पकप्रत्यक्षप्राप्त ही है। संज्ञा और स्मरण उसके प्रकारान्तर भी सम्भव है। टिप्पणकारने^३ भूयोदर्शनसहकृत अन्य-व्यतिरेकको व्याप्तिप्राप्ति सूचित किया है।

(६) न्याय व्याप्तिग्रह :

न्यायादर्शनमें व्याप्तिग्रहणपर कुछ अधिक विस्तृत विचार मिलता है। गौतमने^५ अनुमानका कारण प्रत्यक्ष बतलाया है। वात्स्यायन^६ उनके प्रत्यक्षपदसे लिङ्गलिंगीके सम्बन्धदर्शन तथा लिंगदर्शनका ग्रहण करते हैं। साथ ही सम्बद्ध लिंग-लिंगीके दर्शनसे उन्हें लिंगसमृत अभीष्ट है और इस तरह वात्स्यायन समृत और लिंगदर्शन पूर्वक अप्रत्यक्ष अर्थका अनुमान मानते हैं। 'सम्बन्धदर्शन' पदसे उन्हें 'व्याप्तिदर्शन' विवक्षित जान पड़ता है। यदि ऐसा हो तो कहा जा सकता है कि उन्होंने व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे स्वीकार किया है। उद्घोतकरने^७ वात्स्यायनका ही समर्थन किया है। उनका वैशिष्ट्य है कि उन्होंने लिंगलिंगीसम्बन्धदर्शनको^८ प्रथम प्रत्यक्ष, लिंग-

१. उदयन, किरणाव० प० ३०१।

२. कि पुनर्व्याप्तिप्राप्ति प्रमाणार्थं तस्माद् व्याप्तिः प्रत्यक्षयोस्सम्बन्धिनोर्वाह्येन्द्रियजन्यस-
विकल्पकप्राप्तेन सशास्मरणस्य चात्र प्रकारान्तरेणापि सम्भवात् ॥

—उदयन, वादी, पृष्ठ ३०१, ३०२।

३. विपरित्विति । अविनाभावग्रहणप्रकारस्त्वयः । अनेन भूयोदर्शनसहकृतावन्वयव्यति-
रेकावेन तद्युप्राप्ताय शति सूचितम् ।

—तुष्टिदराज शास्त्री, प्रश्ना० मा० दि० पृष्ठ १०२ ।

४. गौतम अश्वापाद, न्यायस० १।१५।

५. 'तत्पूर्वकम्' इत्यनेन लिङ्गलिंगिनोः सम्बन्धदर्शनं लिंगदर्शनं चाभिसम्बन्धते । लिंग-
लिंगिनोः सम्बद्धयोर्दर्शनेन लिंगस्तृतिरमिसम्बन्धते । सृष्ट्या लिंगदर्शनेन चाप्रत्यक्षो-
स्यांडुमीपते ।

—वात्स्यायन, न्यायमा० १।१५, पृष्ठ २१ ।

६. उद्घोतर, न्यायबा० १।१५, पृष्ठ ४४ ।

७. लिंगलिंगिलम्बन्धदर्शनमप्यप्रत्यक्षं लिंगदर्शनं द्वितीयम् ।……तदिदृ अन्तिर्म प्रत्यक्षं
पूर्वाभ्यां प्रत्यक्षाभ्यां सृखा चानुग्रहायार्थं परमार्थसमनुमानं भवति ।
—उद्घोतकर, न्यायबा० १।१५, पृष्ठ ४४ ।

दर्शनको द्वितीय प्रत्यक्ष, लिंगदर्शनके अवन्तर होने वाली स्मृति और स्मृतिके बाद होने वाले 'यह भूम है' इस प्रकारके ज्ञानको तृतीय (अन्तिम) प्रत्यक्ष कह कर उन्हें अनुभितिकी सामग्री बतलाया है और उक दोनों प्रत्यक्षों द्वारा स्मृतिसे अनुगृहीत तृतीय लिंगदर्शनको, जिसे परामर्श कहा है, अनुमान प्रतिपादन किया है। यद्यपि उच्चोक्तरने^५ प्रसंगतः कतिपय अन्य अनुमानपरिभाषाओंकी समीक्षा भी प्रस्तुत की है। पर व्यासिग्रहणपर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। बाचस्पति मिथने अबहय व्यासिग्रहणपर चिन्तन किया है। साथ ही तदुत्पत्ति और तादात्म्यसे व्यासिकी स्थापना करने वाले बौद्धोंकी भीमांसा भी की है^६। साध्य-साधनके स्वाभाविक सम्बन्धपर बल देते हुए उन्होंने प्रतिपादन किया है कि वहाँ कोई उपाधि उपलब्ध नहीं होती वहा स्वाभाविक सम्बन्ध होता है^७।

प्रश्न है कि इस स्वाभाविक सम्बन्धका प्रहण होता कैसे है ? बाचस्पतिका^८ मत है कि जहा सम्बन्धी (साधन-साध्य) प्रत्यक्ष है वहाँ उनके सम्बन्धका प्रहण प्रत्यक्षसे होता है और जहा सम्बन्धी (साधन-साध्य) प्रत्यक्षातिरिक्त प्रभावोंसे विदित है वहा उनके स्वाभाविक सम्बन्धका निर्णय भूयोदर्शन सहकृत अन्य प्रभावोंसे सम्पन्न होता है। उन अन्य प्रभावोंमें मुख्य तर्क है। वह तर्क इस प्रकार है—'जो हेतु स्वभावतः अपने साध्यके साथ प्रतिबद्ध है वे यदि साध्यके द्विना हो जाएं तो वे स्वभावसे ही च्युत हो जाएंगे' इस प्रकारके तर्ककी सहायतासे जिनके साध्य-मात्रमें रहनेका सन्देह निरस्त हो जाता है वे हेतु अपने साध्यके उपस्थापक (गमक)

१. (क) अपरे तु दुष्टे नान्तरोयकार्यदर्शनं तदिदोऽनुमानांविति । (ल) एतेन तद्वगविभाविधमोपदर्शनं हेतुरिति प्रत्युक्त । (ग) अपरे तु मन्वन्ते—अनुभेद्य ततुल्ये सद्ग्रावो नास्तिताऽसतीत्यनुमानम् ॥१॥

—उच्चोक्तकर न्यायबा० १।१५, पृष्ठ ५४, ५५ ।

२. अपि च रसादन्यदूर्धं रससमानकालमनुभिक्तेऽनुमातारः, न चायनप्रैस्ति कार्य-कारणभावः तादात्म्यं वा ॥२॥ अपि चायनस्य सवितुरुद्दद्य शास्त्रनेन सवितुरुद्दयेन चन्द्रोदयस्य च समानकालस्य समुद्रवृद्धया, मध्यनक्षवृद्धया चाणमास्तमयोदयस्य च कार्यकारणभावस्तादात्म्यं वा, अथ च दूषो गम्यगम्यभावः ।

—न्यायबा० ता० टी० १।१५, पृष्ठ १६१, १६२। तथा उद्यम, न्यायबा० ता० टी० परिशू० १।१५, पृ० ६६७-६६९ ।

३. वही, पृ० १६५ ।

४. केन पुनः प्रमाणेन स्वाभाविकः सम्बन्धो गृह्णते । प्रत्यक्षसम्बन्धितु प्रत्यक्षेण ॥३॥ एवं मानान्तरविदितसम्बन्धितु मानान्तरात्मेव यवास्वं मूलोदर्शानसहायानि स्वाभाविकसम्बन्ध-प्रहणे प्रमाणान्युज्जेतव्यानि । स्वभावतस्य प्रतिबद्धा इतवा स्वसाध्येन यदि साध्यमन्तरेण मनेतुः, स्वभावादेव प्रध्यवेरित्वा तपांसहाया विरत्तसाध्यव्यविरेकहृत्सन्देहा वश उपासनम् स्वसाध्यमुपस्थापयन्तेव ।

—वही, पृष्ठ १६६, १६७ ।

ब्रह्मण्य होते हैं। तात्पर्य^१ यह कि प्रत्यक्षसम्बन्धिस्वरूप मूयोदर्शनजन्य संस्कारसे मुक्त इन्द्रिय ही भूमादिका अन्यादिके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध प्राप्त कर लेती है। पर प्रमाणात्मक अन्यादियोंके स्वाभाविक सम्बन्धका निश्चय मूयोदर्शनसहकृत तर्क द्वारा होता है। उल्लेख है कि वाचस्पति^२ मूयोदर्शनको सूक्ष्म विशेषताओंको व्यक्त करनेके लिए उत्तमजातिके मणिका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उत्तम जातिका मणि अपनी विभिन्न विशेषताओंके कारण विविध व्यवहारोंका प्रयोजक एवं भारविताके भिन्न-भिन्न फलविशेषोंका सम्बादक अनुभित होता है और उसकी उन सूक्ष्म विशेषताओंका निर्णय जौहरी कर लेते हैं उसीप्रकार मूयोदर्शनोंकी सूक्ष्म विशेषताएँ भी परीक्षक-अनुमाताओं द्वारा विदित हो जाती हैं। सर्वप्रथम मूयोदर्शन काकतालीयन्यायका निरास करता है। इसके अनन्तर भूमगत सातत्य-उद्घवगत्वादिका विशेष ज्ञान करता है और उसके पश्चात् उपाधिशंकाको दूर करता है। वारसंस्थाका उसमें नियम नहीं है। यह प्रतिपत्ताओंपर निर्भर है कि उन्हें कितने भूयोदर्शन अपेक्षित हैं। क्योंकि वे कोमल, मध्य और तीव्र बुद्धिके भेदसे अनेक प्रकारके होते हैं। अतः मूयोदर्शनकी संख्या कम-बढ़ भी हो सकती है। तात्पर्यपरिशुद्धिमें उदयनने^३ वाचस्पतिके इस व्याख्यायका वैचारेन उद्घाटन किया है। स्मरण रहे वाचस्पतिको स्वाभाविक सम्बन्धसे व्याप्ति अभिप्रेत है, जिसे उदयनने स्पष्ट किया है।

बद्धमानोपाध्यायने^४ मूयोदर्शनकी भीमासा करते हुए अपने पिता (गंगेश उपाध्याय) के मतानुसार व्यभिचारज्ञान-विरहसहकृत सहचारदर्शनको व्याप्तिग्राहक प्रतिपादन किया तथा सत्तकसे व्याप्तिप्रमा और तक्तमाससे व्याप्ति-अप्रमा-का वर्णन किया है।^५ उन्होंने^६ तर्कपर विशेष बल देते हुए यहा तक कहा है कि जो

१-२. तस्माद्भिजातमणिभेदतत्त्वबद् भूयोदर्शनज्ञितसंस्कारसहितमन्द्रियमेव भूमादोना बहुमादिभिः स्वाभाविकसम्बन्धग्राहीति तुक्तुत्यव्याप्तमः ।

—व्याख्याता० ता० दी० १।१५ पृष्ठ १६७ ।

३. यदा मणिवैयैविशेषैस्तत्त्वद्व्यवहारविचिको भवति भारवितुवच तत्त्वकलभेदसम्पादकश्चीन्द्रिये ते ते सूक्ष्मा विशेषा: परीक्षकैन्द्रियोनते मूयोदर्शनैस्तद्वात्रापीति । तथा हि प्रथम-तत्त्वावसूयोदर्शन काकतालीयन्यायव्युदासाय । ततः ‘‘सुदुमभ्यातिमात्रुद्धिभेदेन पुंसा विचित्रव्याप्तित्वात् ।

—उदयन, व्याख्या० ता० परि० १।१५, पृष्ठ ७०१,७०२ ।

४. वही, बद्धमान उपाध्याय, व्याख्यानिवन्धय० दी० पृष्ठ ६६४-७०२ ।

५. तथा च सत्तकात् व्याप्तिप्रमा, तदमावादप्रमेति न काचित् ज्ञातिः ।

—वही, १।१५, पृष्ठ ७०१ ।

६. येषां तर्हं विनैष सहचारदर्शनादेव व्याप्तिप्रहः तेषां पश्चेतरत्वमुपाधिः स्वादि-खण्डम् ।

—वही, पृष्ठ ७०१ ।

तर्कके बिना मात्र सहचारदर्शनसे ही व्यासिग्रह मानते हैं उनके अनुमानोंमें 'पक्षे-तरत्व' उपाधि होती है। जहां व्यभिचारज्ञानविरहसहकृत सहचार दर्शन नहीं है वहां शब्द और अनुमानसे व्यासिग्रह होनेका भी उन्होंने उल्लेख किया है।^१

बहुमान उपाध्यायके जिस प्रतिपादनका लघुर उल्लेख किया गया है वह गंगेशने^२ तत्त्वचिन्तामणिमें विस्तारपूर्वक दिया है। उन्होंने भीमासाकादिद्वारा अभिमत भूयोदर्शनादि व्यासिग्रहोपायोंकी समीक्षा करते हुए भूयोदर्शनको संशायक और तर्कको अनवस्थाप्रस्त निरूपित किया है और उत्तरपक्षके स्पष्टमें व्यभिचार-ज्ञानविरहसहकृत सहचारदर्शनको व्यासिग्राहक बतलाया है। उनका भ्रत है कि व्यभिचारनिष्ठय और व्यभिचारदर्शकोंका दोनोंका अभाव कहों तो विपक्षाधिक तर्कसे और कही स्वयं ही सिद्ध होता है। जब तक व्यभिचारको आशंका रहती है तब तक तर्क अपेक्षित होता है। अतः तर्कको किसी सीमा तक व्यासिग्राहक माननेपर अनवस्थाका प्रसंग नहीं आता। इसी प्रकार जहां विरोधी प्रमाणके प्रदर्शनसे शंका हो अवतरित नहीं होती, वहां तर्कके बिना ही व्यासिग्रह हो जाता है।

विद्वनाथ^३, केशव^४, अनन्ममट्ट^५, प्रभुति नैयायिकोंने प्रायः गंगेशका ही अनुसरण किया है। संक्षेपमें न्यायदर्शनमें व्यासिग्रहके निम्न साधन वर्णित हैं—

- (१) भूयः सहचारदर्शन
- (२) व्यभिचारज्ञानविरह

१. इयं च प्रत्यक्षव्यासिग्रहसामग्री तदभावेऽपि शब्दानुमानात्मा व्यासिग्राहादिति संक्षेपः ।

—नहीं, पृष्ठ ७०२।

२. अत्रात्म्यते । व्यभिचारविरहसहकृत सहचारदर्शन व्यासिग्राहकम् । ज्ञान निवचयः शंका च । सा च क्वचिद्दुपाधिसन्देहात्, क्वचिद्दिशेवादशेनलादृतसाधारणमेवशेनात् । तांदरहृष्णच क्वचिच्छिदिपक्षाधिकतर्कात्, क्वचित् स्वतः सिद्ध एव । तर्कस्य व्यासिग्रहमूलक-स्थेनानवशेषित चेत् । न । यावदात्मकं तक्षानुसरणात् । यत्र च व्यासातेन शक्ते नावत-रति तथा तर्के विनेत्र व्यासिग्रहः ।

—त० चिं, जागेशीरी, न्यासिग्रहोपाय, पृ० ३७८ ।

३. व्यभिचारस्याधोऽपि सहचारप्रहस्त्या ।

हेतुव्यासिग्रहे, तर्कः क्वचिच्छिक्षणविवरणः ॥

—सिं मू० का० १३७, पृष्ठ १३१, १२२ ।

४. एति उक्तसहकारिणाऽनुग्रहमन्तर्नायेन प्रत्यक्षेष्ठेष्वोपाध्यमावेऽप्यथार्वते । तथा च उदाहरणाव्यासिग्राहणनितसंस्कारसहकृते साहचर्यंप्राप्तिष्ठाप्ता प्रत्यक्षेष्ठेष्व भूमान्व्योक्त्यासिरवशायेते ।

—तर्कमा० अनु० पृष्ठ ७६ ।

५. स्वक्षेप भूयोदर्शनेन वत्र यत्र पूर्मतत्र तत्रामिनरिति महान्वसदौ व्यासिं गृहीत्वा पर्वत-समीर्य गतः ॥

—त० सं० पृष्ठ ५८ ।

१४६ : जैन तर्कालम्ब में अनुमान-विचार

- (१) तर्क (विषयवाचक वचना व्याख्यारणकानिवर्तक प्रमाणप्रदर्शन)
- (२) अनुपलम्ब (व्यतिरेक)
- (३) भूयोदर्शनजनित संस्कार
- (४) सामान्यलक्षणा
- (५) शब्द और अनुमान

इनमें प्रथमके दो साधन प्रत्यक्ष-सम्बन्धी स्थलोंमें और विशेष अन्यत्र व्यस्त या समस्त रूपमें यथायोग्य लापेक्षित हैं ।

व्यासिग्रहके उपर्युक्त विवेचनसे हम इस निष्कर्ष एवं तथ्य पर पहुँचते हैं कि निःसम्बद्ध सार्वत्रिक और सार्वदिक व्यासिके प्रगतिकी एक समस्या रही है और सम्भवतः इसीसे चार्चाक, जयराशिभट्ट, श्रीहर्ष आदिने अनुमानका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया ।^१ पर यह समस्या ऐसी नहीं है, जिसका समाधान न हो । हम ऊपर देख चुके हैं कि सभी अनुमान-प्रमाणादो दार्शनिकोंने उसे सुलझानेका प्रयास किया है । प्रशस्तपादने^२ अन्यथ और व्यतिरेक द्वारा तथा घर्मकीतिने^३ तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति द्वारा व्यासिग्रहण प्रतिपादन किया है । अन्य सभी दार्शनिकोंने भूयोदर्शन या सहचारदर्शनरूप प्रत्यक्षको व्यासिग्राहक बतलाया है । सारूप्यदर्शनमें विज्ञानभिक्षु^४ और न्यायदर्शनमें 'वाचस्पति'^५ ये दो ऐसे तार्किक हैं जिन्होंने तर्कको भी व्यासिग्रहणकी सामग्रीमें सहायकरूपमें निविष्ट किया है । उनके बाद उदयनने^६ उसका विशेष समर्थन किया है । बर्ढमानोपाध्याय^७ तो तर्कपर अधिक बल देते हुए यहां तक कहते हैं कि जो तर्कके बिना ही मात्र सहचारदर्शनसे व्यासिग्रह मानते हैं उनके अनुमानोंमें 'पक्षेतरत्व' उपाधिका होना अनिवार्य है, जिसका निवारण तर्कके बिना सम्भव नहीं है । पिछले सभी तार्किकोंने व्यासिग्रहकी सामग्रीमें तर्कको विशेष स्थान देकर उसे आवश्यक रूपमें मान लिया है ।

(च) जैन विचारकोंका मत :

जैन विचारकोंने आरम्भसे ही तर्कको व्यासिका निश्चायक प्रतिपादन किया है । जैनागमोंमें अनुमानको अव्यवहित^८ पूर्ववर्ती सामग्रीके रूपमें 'चिन्ता' शब्दसे

१. यमाचन्द्र, प्रसेकक० मा० २।२, पृष्ठ १७७ ।

२. यस्त० मा० १० १०२ ।

३. यमाणवा० १।३० ।

४. सार्ववद० या० या० ४।२९ ।

५. न्यायवा० ता० दी० १।१५, पृष्ठ १३६, १६७ ।

६. किरणा० पृष्ठ १०१ ।

७. न्यायवा० ता० दी० १० परिशु० न्यायनिव० या० १।१५, पृष्ठ ७०१ ।

८. यद्ग० ५।५।४२, तथा ता० स० १।१३ ।

उसका निर्देश मिलता है। चिन्तन, उह, ऊहापोह और उक्त उसीके पर्याय हैं। अकलंकने^१ चिन्तन और उक्तको, विद्यानन्द^२, माणिक्यनन्द^३, प्रभावद्वय^४, देव-सूरि^५, और हेमचन्द्रने^६ उक्त, उह तथा ऊहापोहको चिन्ताका पर्याय प्रतिपादन किया है। भारतीय तार्किकोंमें जैन तार्किक अकलंक^७ ही ऐसे प्रथम तार्किक प्रतीत होते हैं जिन्होंने उक्तका व्याप्तिशाहकरूपमें सर्वप्रथम समर्थन किया और उसका सबलताके साथ प्रामाण्य स्वापित किया है। यद्यपि गौतम अजपादने^८ उक्तको सोलह पदार्थोंमें परिणित किया है, पर उन्होंने उसे मात्र तत्त्वज्ञानार्थ माना है और उनके व्याख्याकार वात्स्यायन^९ तथा उद्घोतकरने^{१०} उसे जिज्ञासात्कक्ष, प्रमाण-सहायक, प्रमाणानुप्राहक या संशय और निर्णयका मध्यवर्ती बतलाया है, उसे व्याप्तिशाहक सामग्रीमें स्थान दिया तथा व्याप्तिशाहकरूपमें ढृतासे मान लिया है। पर उसे प्रमाण स्वीकार नहीं किया।

अकलंकने उक्तके प्रामाण्य, स्वरूप, विषय और क्षेत्रविस्तारका भी निर्धारण किया है। उन्होंने^{११} उसे प्रमाण सिद्ध करते हुए युक्तिपूर्वक कहा कि उसे प्रमाण न मानने पर उससे उत्पन्न होने वाले लैंगिक (अनुमान) का प्रामाण्य भी असन्दिध एवं निरापद नहीं रह सकेगा। दूसरे, प्रत्यक्ष और अनुमानको तरह वह भी संबादी है, अतः उसे अवश्य प्रमाण मानना चाहिए। उक्तका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने^{१२}

१. 'चिन्तनं चिन्ता ।'

—तत्त्वात् वा० १।१३, पृ० ५८ ।

'चिन्तायाः उक्तस्य ।'

—लघो० स्वोप० २० १।२।१०, पृ० ५ ।

२. त० क०० १।१३, पृ० १८८, १९४, १९६ ।

३. प० म०० १।११, ११ ।

४. प० क० म०० १।११, ११ ।

५. प० ल० त०० ३।१७ ।

६. प० म००० १।२।५, ११ ।

७. न्या० विठ० का० ३२९, ३३० । लघो० का० १०, ११, ४९ । प० स० का० १२ ।

८. न्या० द१०८० १।१४० ।

९. न्या० भा० १।१।१। पृ० ९, १।१।४०, पृ० ५४, ५५, ५६ ।

१०. न्या० वा० १।१।४०, पृ० १४१-१४२ ।

११. न्या० विलिं० का० ३३०, ३३१, तथा लघो० का० ४६ और प० स० स्वो० २० का० १२ ।

१२. सम्भवप्रत्ययस्तकः प्रत्यक्षानुप्रलम्भतः । अन्यथासम्भासिद्देत्तदस्यानुमानतः ॥

—प्रमाण स० का० १२, अकलंकम० पृ० १०० ।

प्रतिपादन किया कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्ब पूर्वक जो 'उसके बिना वह सम्भव नहीं' इस प्रकारका सम्भव प्रत्यय (ज्ञान) होता है वह तर्क है । यहाँ 'प्रत्यक्ष' से उहूँ उपलम्ब (अन्वयज्ञान) अर्थ अभिप्रेत है तथा उपलम्बसे प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाण विवक्षित है, क्योंकि प्रत्यक्षगम्य साध्य-साधनोंकी तरह अनुमेयादि साध्य-साधनोंमें भी व्याप्ति होती है । सुर्यमें गतिशक्ति गतिमत्वहेतुसे और गतिमत्व देशादेशान्तरप्राप्तिहेतुसे अनुमित होता है । अकलंकके प्रत्यक्ष और अनुपलम्ब शब्द यद्यपि प्रशस्तपादके अन्वय और व्यतिरेके स्मारक हैं । पर उनमें अन्तर है । अकलंकके प्रत्यक्ष और अनुपलम्ब शब्द ज्ञान-प्ररक है और प्रशस्तपादके अन्वय और व्यतिरेक ज्ञेयसूचक । यतः जैव दर्शनमें ज्ञानको ही ज्ञानका कारण माना गया है, ज्ञेयको नहीं । अतः अनुमानका उत्पादक तर्क और तर्कके उत्पादक प्रत्यक्ष और अनुपलम्ब ज्ञानात्मक है । तथ्य यह^१ कि व्याप्ति अविनाभाव (अर्थात् साध्य के अभावमें साधनका न होना और साध्यके सद्भावमें हो साधनका होना) रूप है और उसे तर्क ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह सर्वोपर्यंहारवती (अर्थात् जितना भूम है वह अन्य कालों और अन्य देशोंमें अग्निका हो कार्य है, अग्निका नहीं, इस प्रकार सर्वदेश और सर्वकाल वर्तिनी) होती है । उसका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा सम्भव नहीं है^२, कारणकि प्रत्यक्ष सन्निहित और वर्तमानको ही जानता है, असन्निहित एवं अवर्तमान (अतीत-अनागत) को नहीं । अनुमान द्वारा भी व्याप्ति ग्रहण असम्भव है, क्योंकि व्याप्तिज्ञान हुए बिना अनुमानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । अन्य अनुमानसे व्याप्तिग्रहण मानने पर अनवस्था आती है । आगमादि प्रमाणोंका विषय भिन्न होनेसे उनके द्वारा भी व्याप्तिनिश्चय अशक्य है । अतः व्याप्तिज्ञानके लिए परोक्षात्मक तर्कको पृष्ठक प्रमाण स्वीकार करना अनिवार्य है ।

१. सत्यव्याख्यविज्ञाने से तर्कपरिनिघितः । अविनाभावसम्बन्धः साक्षयेनावधार्यते ॥

सहृदैश्च घमेत्तज्ज विना तथ्य सम्भवः । इति तर्कमपेषेत नियमेनैव हैंगिकम् ॥

तस्माद् वस्तुकुलादेव प्रमाण ॥

—न्यायविज्ञान० का० ३२६ ३३१, अ० अ० पृष्ठ ७४ ।

२. अविकल्पाधया लिङ्ग न किञ्चित्सम्मतीवते ।

नानुमानादसिद्धत्वात् प्रमाणान्तरमाज्ञानम् ॥

न हि प्रत्यक्ष 'पावान् कृष्णद्वयः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्तैव कार्य नार्थान्तरस्य' इतीवतो व्यापारान् कर्तुं समर्थं सञ्जिहतविषयवलोपत्तेऽविचारकत्वात् । नायनुमानान्तरम्, सर्वत्राविद्येषात् । न हि साक्षयेन लिङ्गस्य छिंगना व्याप्तिरासदौ स्वचित् किञ्चिदनुमाने नाम ।

—सुखोद० स्वो० २० का० ११, १२, अ० अ० पृष्ठ ५ ।

३. व्याप्ति साध्येन हेतोः सुट्टियति न विना चिन्तयेकम् दृष्टः, साक्षयेनैव तत्कोऽनिवार्यविषयः तत्कुलाधयेषो ।

छत्तीव० का० ४६, अ० अ० ।

अकलज्ञके इस विवेचनसे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्बपूर्वक सर्वदेश और सर्वकालके उपसंहाररूप अविनाभाव (व्यासि) का निश्चय करनेकाला जान तर्क है और वह प्रमाण है। इसमें प्रत्यक्ष^१, स्मरण और सावृश्यप्रत्यभिज्ञान परम्परा सहायक है।

तर्कका क्षेत्र व्यापक और विशाल है। प्रत्यक्ष जहाँ संशिहतको, अनुमान नियत देश-काल में विद्यमान अनुमेयकों, उपमान सावृश्यको और आगम साक्षात्कंत-तादिपर निर्भरितको जानते हैं वहाँ तर्क संशिहत-असाम्राहित, नियत-ननियत देश-कालमें विद्यमान साध्य-साधनगत अविनाभावको विषय करता है। तात्पर्य यह कि तर्क केवल प्रत्यक्षके विषयभूत साध्य-साधनोंके अविनाभावको हो नहीं, अपितु अनुमेय एवं आगमगम्य साध्य-साधनोंके भी अविनाभावको उपलम्ब और अनुपलम्बके आधारमें अवगत करता है।

पर्वती विद्यानन्द, माणिक्यनन्द, प्रभाचन्द्र, देवसूरि, हेमचन्द्र, धर्मभूषण प्रभूति सभी जैन तात्किकोने अकलंकदेवका अनसरण करते हुए तर्क द्वारा ही व्याप्तिप्राप्तिका कथन किया है। विद्यानन्द कहते हैं कि प्रतिपत्ता^२ साध्य और साधनोंके व्याप्ति-सम्बन्धका जिस प्रत्यय (जान) द्वारा निश्चय करके अनुमानके लिए प्रवृत्त होता है वह तर्क है तथा व्यासिसम्बन्धमें संबादी होनेसे वह प्रमाण है। यदि वह संबादी न हो तो तदुत्पत्त अनुमान भी संबादी नहीं हो सकता। यतः अनुमान संबादी है अतः व्याप्ति-सम्बन्धप्राही तर्क भी अवश्य संबादी है। यदि उसके सम्बादमें सन्देह किया जाए तो अनुमानाको निश्चक अनुमिति नहीं हो सकती। अगर कहा

१. समक्षावकल्पानुस्मरणपरामर्शसम्बन्धाभिन्नताभस्तकः प्रमाणम्।

—प्रमाणस० स्व० २० का० १२, अ० ३० पृष्ठ १००।

२. देनांतोन्दित्यसाध्यसाधनयोरागमानुमाननिश्चयदेत्युक्तसम्बन्धवाचस्थापि संघटाजा-व्यासि। यदा 'अस्त्यस्य माणिनो धर्मविकेनो विशिष्टसुखादिसद्भावान्यवानुपपत्तेः', इत्यादी, 'आदित्यस्य गमनशक्तिसम्बन्धोऽस्ति गतमत्वान्वदानुपपत्तेः' इत्यादी च। त खलु धर्मविकेनोऽप्रवचनादन्यतः प्राप्तपत्तु शक्यः, नाप्तोऽनुमानादन्यतः कुरुक्षित्यमाणादादित्यस्य ... इति।

—प्रमाचन्द्र, प्रमेयक० भा० ११, पृ० १४८।

३. येन हि प्रत्ययेन प्रतिपत्ता साध्यसाधनाव्याप्ता व्याप्त्या सम्बन्ध निश्चित्यानुमानाय प्रवर्त्तते स तर्कः सम्बन्धे संबादतप्रमाणमिति गत्यामहे...। न हि तर्कस्यानुप्राप्तिविवरणे सम्बन्धे संबादाभावेऽनुमानस्य संबादः सम्भवी।...तर्कसंबादसन्देहे निःशक्तानुमितिः यत ते।... गृहीतप्रणालीकौऽप्रमाणमिति चेत्त ते।... प्रत्यक्षानुपलम्बाभ्यां सम्बन्धो देशलो गतः। साध्यसाधनयोरत्कर्त्ता। सम्बन्धेनेति चिन्तितम्। ...प्रमाणमूह...प्रमाणं तर्क...साध्यसाधनसम्बन्धाभावनिहितिरूपे साक्षात्स्वार्थनिश्चयने फले साक्षत्मस्तकः...।

—विद्यानन्द, तत्त्वार्थज्ञानो १११। ४७-११६।

जाए कि भूहीतप्राहो होनेसे वह प्रमाण नहीं है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष परिच्छिति करनेके कारण वह अपूर्वार्थप्राहो है । स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्ब द्वारा साध्य और साधनका सम्बन्ध एकदेशसे ही जाना जाता है और तर्कसे वह सामर्स्येन अवगत किया जाता है । दूसरी बात यह है कि समारोप-स्थबच्छेदक होनेसे भी तर्क प्रमाण है । अतः साध्य और साधनके सम्बन्ध (अविनाभाव) विवेक अज्ञानको दूर करने रूप फलमें साधकतम होनेसे तर्क प्रमाण है ।

माणिक्यनन्दिने^१ अकलंक और विद्यानन्दका समर्थन करते हुए प्रतिपादित किया है कि व्याप्तिका निष्ठय तर्कसे होता है जो उपलम्ब तथा अनुपलम्भपूर्वक होता है । उसका उन्होने उदाहरण दिया है—जैसे अनलके होनेपर ही धूमका होना और अनलाभावमें धूमका न होना । इनकी विशेषता है कि इन्होने^२ उस व्याप्तिसम्बन्ध—अविनाभावको सहभाव और क्रमभाव नियमरूप बतलाया है । सहचारियों (रूपरसादिको) और व्याप्त-व्यापकों (शिशपात्र-वृक्षत्वादिकों)में सहभावनियम होता है तथा पूर्वचर-उत्तरचरों और कार्यकारणोंमें क्रमभावनियम । प्रतीत होता है कि माणिक्यनन्दिने वर्मकीति द्वारा व्यासिस्थापकरूपमें प्रतिपादित तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धोके स्थानमें सहभाव और क्रमभावनियमकी स्थापना करके उनके उक्त सम्बन्धोको अव्याप्त बतलाया है । प्रकट है कि रूपरसादि सहचरों और शक्तोदय-कृतिकोदयादि पूर्वोत्तरचरोंमें न तादात्म्य सम्भव है और न तदुत्पत्ति । पर उनमें अविनाभाव होनेसे गम्भीरभक्तभाव माना गया है । प्रभावन्दने भी अपनी व्याख्या द्वारा उनके प्रतिपादनकी सम्मुष्टि की है ।

देवसूरिने^३ व्याप्तिसम्बन्धको त्रिकालवर्ती बतलाते हुए कहा है कि उसका प्रहृण सञ्चिह्नप्राहो प्रत्यक्षसे और नियतदेशग्राहक अनुमानसे सम्भव नहीं है । उसका ज्ञान एकमात्र तर्क (कह)से ही हो सकता है । उनका उदाहरण माणिक्यनन्दिके ही समान है ।

१. प० सु० ३।१९, ११, १२, १३, १६, १७, १८ ।

२. सहक्रमभावनियमोडिविनाभावः । सहचारियोर्मायव्यापकयोश्च सहभावः । पूर्वोत्तर-चारिणोः कार्यकारणयोश्च क्रमभावः ।

—३० सु० ३।१६, १७, १८ ।

३. प्रमेयक० मा० ३।१९, ११, १२, १३ ।

४. उपलम्भानुपलम्भसम्बन्ध त्रिकालीकरितसाध्यसाधनसम्बन्धात्मनमिदमस्मिन्सत्येव भवतीशक्तारं सदेवनमूहापरनामा तर्क हति ।*** यथा वावान्करिच्छूमः स सर्वैः वहौ सत्येव भवतीर्ति ॥

—४० न० त० ३।१७, ८ तथा इसकी दीक्षा स्थापा० २० प० ५०४५५१४ ।

अनन्तबीर्यने^१ प्रत्यक्ष और अनुमानकी तरह आगम, उपमान, अधारिति, अभाव अनुपलम्भ, कारणानुपलम्भ, व्यापकानुपलम्भ और प्रत्यक्षफल ऊहापोहविकल्पसे व्याप्तिग्रहकी सम्भावनाओंको भी निरस्त करके तर्कों ही व्याप्तिग्रहक सिद्ध किया है। उनका मन्त्रम् है कि आगम संकेतद्वारा अस्तुको, उपमान सादृश्यको, अर्थापिति अन्यथानुपपदमान अर्थको और अभाव अभावको विषय करता है। इसमें सार्वत्रिक और सार्वदिक व्याप्तिको कोई प्रहण नहीं करता। सबका विषय सर्वथा मिश्न-मिश्न है। अनुपलम्भ उपलम्भकी तरह प्रत्यक्षका विषय अवश्य स्वयं प्रत्यक्ष है और कारणानुपलम्भ तथा व्यापकानुपलम्भ दोनों लिंगरूप होनेसे तज्जनित ज्ञान अनुमान है और प्रत्यक्ष एवं अनुमान व्याप्तिग्रहमें असमर्थ है। ऊहापोहविकल्पको, जिसे वैशेषिक प्रत्यक्षका फल मानते हैं, प्रत्यक्ष या अनुमानके अन्तर्गत माननेपर उनके द्वारा व्याप्तिग्रह असमर्थ है। अतः उसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे पृथक प्रमाण मानना ही उचित है। प्रत्यक्षका फल होनेसे उसे अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैशेषिकोंने स्वयं विशेषणज्ञानको सञ्चिकर्षका फल होनेपर भी विशेषणज्ञान-रूप फलको उत्पन्न करनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है। उसी तरह ऊहापोहविकल्प, जो तर्कसे मिश्न नहीं है, अनुमानज्ञानका कारण होनेसे प्रमाण माना जाना चाहिए।

हेमचन्द्रका^२ ऊहलक्षण और उसका व्याप्तिनिश्चायकत्व प्रतिपादन माणिक्यनन्दिके प्रतिपादनसे शब्दशः मिलता है। हाँ, उन्होंने माणिक्यनन्द और देवसूरिकी तरह उदाहरणका प्रदर्शन नहीं किया, किन्तु बोद्ध तार्किक धर्मकोर्ति^३ अभिवित एवं अर्चट^४ द्वारा समर्थित व्याप्ति-लक्षण अवश्य संगृहीत किया है। वे लिखते हैं कि व्याप्ति, व्याप्य और व्यापक दोनोंका धर्म है। जब व्यापक (गम्य)का धर्म व्याप्ति विवक्षित हो तब व्यापकका व्याप्यके होनेपर होना ही व्याप्ति है और जब व्याप्य (गमक)का धर्म व्याप्ति अभिग्रेत हो तब व्याप्यका व्यापकके होनेपर ही होना व्याप्ति है। इस प्रकार हेमचन्द्रने^५ व्याप्तिके दो रूप प्रदर्शित किये हैं। प्रथम रूपमें अयोगव्यवच्छेदरूपसे व्याप्तिकी प्रतीति होती है और दूसरेमें अन्ययोगव्यवच्छेदरूपसे। व्याप्तिके इन रूपोंको अन्य जैन तार्किकोंने प्रस्तुत नहीं किया।

१. म० रत्न० २-२, पृष्ठ ५७-६२।

२. हेमचन्द्र, प्रमाणसौ० १।२।४, ६, १०।

३. ४. हेतुविन्दुदी० १० १७, १८।

५. व्याप्तिव्यापकत्व व्याप्ये सति माद यद व्याप्यस्य वा तत्रैव मादः।...पूर्वत्रावोगव्यवच्छेदेनेति...।

—हेमचन्द्र, म० मी० १।२।६, तथा इसीकी व्याप्ता।

पैंग सुखलाल जी संवदोका^१ मत है कि धर्मकीर्ति और अर्चटसे प्रभावित होकर ही हेमचन्द्रने यह निरूपण अपनाया है।

धर्मभूषणने' भी व्याप्तिका प्रकाशक तर्को ही माना है। उनका कहना है कि व्याप्ति सर्वोपसंहारतो होती है। अर्थात् 'जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है' इस उदाहरणमें धूमके होने पर अनेकबार अग्निकी उपलब्धि और अग्निके अभावमें धूमकी अनुपलब्धि पायी जानेपर 'सब जगह और सब कालमें धूबां अग्निका व्यभिचारी नहीं है—अग्निके होनेपर ही होता है और अग्निके अभावमें नहीं होता' इस प्रकारके सर्वदेश और सर्वकाल व्यापारका नाम व्याप्ति है। उसका ग्रहण प्रत्यक्षादिसे सम्भव नहीं है। इन्द्रियप्रत्यक्ष नियत और वर्तमान ग्राही है। वह इतने लम्बे व्यापारको नहीं कर सकता। मानसप्रत्यक्ष यद्यपि उसे ग्रहण कर सकता है किन्तु वह ज्ञान विशदज्ञान है और उपर्युक्त सर्वोपसंहारी व्याप्ति-ज्ञान अविशद है। अतः उसे मानस प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता। अनुमान द्वारा भी व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमानकी उत्पत्ति स्वयं व्याप्ति-ज्ञानके अधीन है। अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और अनेकों बारका हुआ प्रत्यक्ष में दीनों मिलकर एक ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करते हैं जो व्याप्तिके ग्रहण करनेमें समर्थ है और वह तर्क है।

योगिप्रत्यक्ष द्वारा^३ व्याप्तिप्रहणकी बात इसलिए निरर्थक है, क्योंकि योगी तो प्रत्यक्षसे ही समस्त साध्य-साधनोंको जान लेता है, अतः उसे न व्याप्तिप्रहणकी आवश्यकता है और न अनुमानकी हो। व्याप्तिप्रहण और अनुमानकी आवश्यकता अल्पज्ञोंके लिए है। अतएव अल्पज्ञोंको व्याप्तिका अविषद किन्तु अविसंवादी ज्ञान करनेवाला तर्कप्रमाण ही है।

सामान्यलक्षणा प्रत्यासृतिसे^४ अग्नित्वेन समस्त अग्नियों और धूमत्वेन सकल धर्मोंका ज्ञान हो सकता है, पर उनके व्यापिसम्बन्धका ज्ञान उससे सम्भव नहीं।

१. प० सुखलाल संबवी, प० मी० माशाडि० पृष्ठ ७३।

यत्र यत्र भूमकर्त्ता तत्र तत्राग्निमात्रविभागात्... सर्वोपेषाहारवती हि व्यासः।^{१००} प्रत्यक्षस्य सञ्जितिदेशं एव भूमाग्निसमन्वयमकाशनाम् व्यासिमकाशकर्त्तम्।^{१०१} अनुमानादिकं तु व्यासिमाणी प्रस्तुतं ग्रन्थात्मेतत्।

—३४१० दी० प० ८३६५ ।

（五）对本办法有意见的，可以向本办法制定机关反映。

(४) समेत या वा वा वा

(५) अमरपाल माठ शारदा,

५. शिः सः सर्वानाम् या ५३. तथा अन् ते ग्रन्थान् बोधनं करेत् ।

है। अतः साध्य-साधनव्यक्तियोंका ज्ञान सामान्यलक्षणा द्वारा हो जानेपर भी 'धूम वहिव्याप्त है, देशान्तर-कालान्तरमें बहिके बिना नहीं होता' इस प्रकारका ज्ञान चिन्ता अथवा तर्क या यह द्वारा ही सम्भव है और वह संबादी होनेसे प्रभाण है। प्रभाणके विषयका परिषोषक या प्रभाणानुशास्त्रक माननेपर^१ भी उसे प्रभाण अवश्य मानवा चाहिए, क्योंकि अप्रभाणसे न तो प्रभाणविषयका परिषोषन ही हो सकता है और न प्रभाणोंका अनुग्रह। अन्यथा संशयादिसे भी वह हो जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अनुमानप्रभाणके लिए आवश्यक साध्य-साधनोंके अविनाभाव (व्याप्ति)का विश्वय जैन तार्किक विस तर्क द्वारा स्वीकार करते हैं वह भारतीय वाङ्मयमें अपरिचित नहीं है। ऋग्वेदमें^२ यह वातुसे उसका उल्लेख है। पाणिनि व्याकरणसूत्रमें^३ भी यह वातुसे उसका निर्देश है। स्वयं तर्क शब्द कठोपनिषद्^४ और रामायणके^५ अतिरिक्त जैनागमों^६ पिटकों^७ और दर्शनसूत्रोंमें^८ उपलब्ध है। जैनगमोंमें^९ उसके लिए 'चिन्ता और यह 'शब्द भी आये हैं, उनका सामान्य अर्थ एक ही है और वह ही विचारात्मक ज्ञानव्यापार। उसी अथवा कुछ भिन्न भावका द्वारक यह शब्द जैमिनीयसूत्र और उसके शाब्दरभाष्य आदिमें^{१०} भी पाया जाता है।

१. प्रभेक्षण मातृ३।१३, पृ० ३५२, ३५३।

२. ऋग्वेद २०।११।१०।

३. 'उपसर्गाद्भूत्व कहते।'

—पा० स० ७।४।२।

४. 'नैषा तर्केण मतिरपनेषा।'

—कठो० २।६।

५. रामायण ३।२४।१२।

६. 'तुक्ता जर्य न विचार।'

—आचा० स० १७०।

७. 'विहिसा वितक्त।'

—पञ्चिक० सम्बासवस्तु० २।६।

८. 'तक्ताप्रतिहानात्।'

—ज्ञासु० २।१।१।

९. 'सण्णा सदी मदी चिता चेदि।'

—वट्टख० ५।५।४८।

१०. विविधव जह।

—शालरमा० ४।१।१।

३५५ : जैन तर्कसामाजिक-विचार

व्यायसूत्रमें^१ तर्कको एक स्वतन्त्र पदार्थके रूपमें माना गया है और उसके समाजके साथ उह शब्द भी प्रयुक्त है। परन्तु उसे व्यायसूत्रकारने न प्रमाण माना है और न व्यासिप्राहक। बाचस्पतिने^२ अवश्य उसे व्यासिज्ञानमें बाधक होनेवाली व्यभि-चारसंकाको हटाकर व्यासिनिर्णयमें सहायता करनेवाला स्वीकार किया है, पर उसे प्रमाण उन्होने भी नहीं माना। बोद्धतांकिक^३ भी तर्कात्मक विकल्पज्ञानको व्यासिज्ञानोपयोगी मानते हुए भी उसे प्रमाण नहीं मानते। इस तरह तर्कको प्रमाणरूप माननेकी मीमांसकपरम्परा और अप्रमाणरूप स्वीकार करनेकी नैयायिक तथा बोद्ध परम्परा है।

जैन परम्परामें प्रमाणरूपसे माने जानेवाले मतिज्ञानके एक भेदका नाम ऊहा है,^४ जो वस्तुतः युण-दोषविचारणात्मक ज्ञान-व्यापार ही है। उसके लिए चिन्ता, ईहा, अपोहा, मीमांसा, गवेषणा, मार्गणा और तर्क ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अकलंकने^५ तर्कको सर्वप्रथम व्यासिप्राहक प्रतिपादनकर उसका प्रामाण्य एवं स्पष्टतया स्थापित किया है। उनके पश्चात् बाचस्पति आदि नैयायिकों और विज्ञानभिन्न आदि दार्शनिकोंने उसे व्यासिप्राहक सामग्रीमें स्थान देकर भी उसका प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया। अकलंकका अनुसरण जैन परम्पराके परवर्ती सभी तार्किकोंने किया है। यों तो तत्त्वार्थसूत्रकार^६ उसका परोक्ष प्रमाणके अन्तर्गत 'चिन्ता' पदके द्वारा प्रतिपादन कर चुके थे। पर तार्किकरूपमें उसकी परोक्ष प्रमाणोंमें परिणामा सर्व-प्रथम अकलंकने^७ की है। इस प्रकार जहाँ अन्य तार्किक व्यासिका ग्रहण मानसप्रत्यक्ष, भूयोदर्शन, व्यभिचाराग्रहसंहित सहचारदर्शन, अन्वय-व्यतिरेक, सामान्यलक्षणा और तादात्म्य-न्तदुर्पति सम्बन्धोंसे मानते हैं वहाँ जैन तार्किक एकमात्र तर्कसे स्वीकार करते तथा संवादी होनेसे उसे प्रमाण बर्णित करते हैं।

१. न्याय० स० १।१५० ।

२. न्यायवा० ता० टी० १।१५, पृ० १६६, १६७ ।

३. हेतुवि० टी० पृ० २४ ।

४. बद्ध० आ४३८ ।

५. व्यासि साध्येन हेतोः सुट्टवति न विना चिन्तयैकत्र दृष्टिः,
साकाल्यैव तकोऽनविगतविषयः तत्कृतार्थकदेशे ।

—लघीय० का० ४९, अ० ४० । तथा न्या० विनि० का० ३०६, ३० ।

६. त० स० १।१६ ।

७. (क) 'परोक्ष व्यविज्ञान ।

—लघीय० का० ३ ।

(स) 'परोक्ष प्रत्यभिज्ञादि ।'

—म० स० २, तथा लघीय० का० १०, २१, ६१ ।

(४) व्यासि-भेद :

समव्यासि-विषमव्यासि :

तर्कप्रबन्धोंमें व्यासिके अनेक प्रकारसे भेद उपलब्ध होते हैं। कुमारिलके भीमां-साश्लोकवार्तिकमें सम और विषमके भेदसे व्यासिके दो भेद मिलते हैं। जब व्याप्य व्यापकके देश और कालकी अपेक्षा सम देश-कालवृत्ति होता है तब उसे समव्यास और उसमें रहनेवाली व्यासिको समव्यासि कहा गया है^१ और जब वह व्यापकके देश-कालसे न्यून देश-कालवृत्ति होता है तब उसे विषमव्यास तथा उसमें विद्वानान व्यासिको विषमव्यासि प्रतिपादित किया गया है^२। पर व्यान रहे, व्यापक व्याप्यके सम और अधिक देश-कालवृत्ति होता है, व्याप्य नहीं; अतः व्याप्य तो व्यापकका गमक ही सकता है, पर व्यापक व्याप्यका नहीं। अतएव व्याप्यको ही गमक और व्यापकको ही गम्य माना गया है। व्यासिके इस द्विविध प्रकारका उल्लेख कुमारिलके पररतीं जयन्तभट्ट^३, उदयन^४ और गंगेशने^५ भी किया है।

अन्वयव्याप्ति-व्यतिरेकव्याप्ति :

अन्वयव्यासि और व्यतिरेकव्यासिके भेदसे भी व्यासिके दो भेद पाये जाते हैं। इन भेदोंका सर्वप्रथम संकेत प्रशस्तपादने^६ किया है, जिसका स्पष्टीकरण एवं समर्थन उदयने^७ किया है। जयन्तभट्ट^८, गंगेश,^९ केशवभित्र^{१०}, विश्वनाथ पंचा-

१, २, ३. यो यस्य देशकाठाभ्या समो न्यूनोऽपि वा भवेत् ।

स व्याप्या व्यापकस्तस्य समो वाऽन्यधिकोऽपि वा ॥

व्याप्यस्य गमकत्वं च व्यापकं गम्यमव्यते ।

ऐन व्याप्ये गृहीतेऽप्येवं व्यापकस्तस्य गृहाते ।

न शान्त्या भवत्येवा व्याप्यव्यापकता तयोः ॥

—मी० सौ० बनुमा० परि० सौ० ५, ५, ६ पृष्ठ ३४८ ।

४. न्यायवास० पू० १४० ।

५. न्यायवाव० ता० परि० १।१।५, पृष्ठ ७०५ ।

६. त० चि० उपाधिवाद पू० ११६, ११७, २१६, १५५ ।

७. प्रवा० भाष्य पृ० १०२ ।

८. तदनेनान्वयव्यतिरेकौ एव भूयोदर्शनसहचारिणौ तद्यहापाय इति दर्शितम् । अन्वय-व्यतिरेकाभ्या प्रशमदश्वने एव व्यासिगृहाते ।

—किरणा० पू० २६५ ।

९. व्यास्यातः प्रतिबन्धश्च व्यतिरेकान्वयात्प्रकः ।

—न्यायम० पू० १६६ ।

१०. अन्वयव्याप्तिविचायकावयवं ...व्यतिरेकव्याप्तिविचायकावयव... ।

—त० चि० पृष्ठ ७१५, ५२९-५३३ ।

११. तक्षमा० पू० ५०,६१ ।

तस्मै और असम्भटे^४ प्रभृति नैयायिकों द्वारा यही व्यासि-द्वैविद्य अधिक आदृत हुआ है। बौद्ध दार्शनिक अर्थकीर्ति, अर्चट आदिने भी इसी व्यासिद्वैविद्यका उल्लेख किया है^५। साध्य-साधनके भावास्तमक रूपको अन्वयव्याप्ति और उनके अभावास्तमक रूपको अतिरेकव्याप्ति कहा गया है। इन्हींको साधम्भव्याप्ति और दैवर्यव्याप्ति नामोंसे भी व्यबहृत किया गया है।

जैन तार्किकोंने^६ इन्हें क्रमशः तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति संज्ञाओंसे प्रति-पादित किया है। साध्यके होने पर ही साधनका होना तथोपपत्ति है और साध्यके न होनेपर साधनका न होना अन्यथानुपपत्ति है। यथा—वहिंके होनेपर ही भूमका होना और वहिंके न होनेपर भूमका न होना। यथार्थमें उनके मतसे ये व्याप्तिके दो भेद नहीं हैं—व्याप्ति तो एक ही प्रकारकी है। किन्तु उसका प्रदर्शन या प्रयोग दो तरहसे होता है—तथोपपत्तिरूपसे अथवा अन्यथानुपपत्तिरूपसे। यही कारण है कि इन दो प्रयोगोंमें से अन्यतर प्रयोगको ही पर्याप्त माना गया है^७। माणिक्यनन्दिन्दे^८ व्याप्तिके आधार सहभावी और क्रमभावी पदार्थ होनेसे व्याप्तिके सहभावनियम और क्रमभावनियमलप्से द्वैविद्यका वर्णन किया है। इसका समर्थन अभिनवचाह-कीर्तिने^९ भी किया है।

१. द्वैविद्य भवेद्व्याप्तास्तरन्वयन्तिरेकतः ।

अन्वयव्याप्तिस्त्रिक्तैव अतिरेकाद्बोच्यते ॥

—सिं० मु० का० १४२, प० १२५।

२. यत्र भूमस्तत्राग्नर्यथा महानसामित्थन्वयव्याप्तिः । यत्र वहिनास्ति तत्र भूमोऽपि नास्ति यथा हृष्ट वृति अतिरेकव्याप्तिः ।

—तर्कसं० पृष्ठ ६२।

३. “अन्यदो अतिरेको वा उक्तः” वेदितन्य इति सम्बन्धः । अन्वयव्याप्तिरेकरूपत्वात् व्याप्तिरिति भावः ।

—हेतुविन्दु तथा उसकी टीका प० १६।

४. सतयेन नाभ्ये हेतोरप्यपत्तिस्तत्योपपत्तिरिति । असति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानु-पत्तिरिति ।

—देवसूर, ममाणनवतत्त्वा० ३।१०, ३१।

५. अनुत्पत्तिप्रयोगस्तु तथोपपत्त्वाऽन्यथानुपपत्तिरैव वा ।

—माणिक्यनन्द, परोक्षामु० ३।९४। हेमचन्द्र, ममाणयो० २।१।५५।

६. सहक्रममावनियमोऽविनामावः ।

—परोक्षामु० ३।१६।

७. भगवरत्नालंकार ३।१६, प० १०६।

व्याप्तिके उपर्युक्त चेदोंके अतिरिक्त जैन तर्कप्रम्योंमें^१ उसके हीम चेदोंका भी प्रतिपादन है। वे हैं—(१) बहिर्व्याप्ति, (२) सकलव्याप्ति और (३) अन्त-व्याप्ति। सप्तमे साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति होना बहिर्व्याप्ति है और पक्ष तथा सप्तक दोनोंमें साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति होना सकलव्याप्ति है। पक्ष-सप्तक न हों अथवा उनमें हेतु न रहे—केवल साध्यके साथ साधनका अविनाभाव होना अन्तव्याप्ति है^२। इन विविध व्याप्तियोंमें आद्य दोनों व्याप्तियोंके न होनेपर भी मात्र अन्तव्याप्तिके बलसे जैन तात्किकोने साधनको साध्यका गमक माना है^३। यदि अन्तव्याप्ति न हो तो अन्य दोनों व्याप्तिया निरर्थक हैं। 'स श्यामः तत्पुत्रत्वात्, इतरतप्तुत्रवत्' इस अनुभानमें बहिर्व्याप्ति और सकलव्याप्ति दोनों हैं, पर अन्त-व्याप्तिके न होनेसे 'तप्तुत्रत्व' हेतु 'श्यामत्व' साध्यका साधक नहीं है। इसी प्रकार 'उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात्' इस अनुभानमें न बहिर्व्याप्ति है और न सकलव्याप्ति। किन्तु साधनकी साध्यके साथ अन्तव्याप्ति होनेसे 'कृत्तिकोदय' हेतु शकटोदयका गमक

१. 'सा च त्रिधा—बहिर्व्याप्तिः', सकलव्याप्तिः अन्तव्याप्तिः चेति । ...

—प्रभाचन्द्र, प्रयोगक० मा० ३।१५, प० ३६४। अकल्पक, सिद्धिवि० ५।१५, १६, प्रमाणमं० ३२, ३३, प० १०६। देवसूरि, प्र० न० ३० ३।३८, ३९। यशोविजय, जैन तर्कमा० प० १० १२।

२. (क) पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तव्याप्तिः, अन्यत तु बहिर्व्याप्तिरिति । *** वहि: पक्षीकृतादिष्यादन्तव्य तु दृष्टान्तवर्त्मिण्य तस्य तेन व्याप्तिर्वहि-व्याप्तिरमिथीते ।

—देवसूरि, प्रमाणनयत० ३।३४।

(ख) पक्षे सप्तके च सर्वत्र साध्यसाधनयोः व्याप्तिः सकलव्याप्तिः ।

—सि० वि० टी० टिप्प० ५।१६, प० ३४७।

(ग) पक्ष एव साधनस्य साध्येन व्याप्तिः अन्तव्याप्तिः ।

—वही, प० ३० ३४६।

३. (क) अन्तव्याप्त्येव साध्यस्य सिद्धो बहिरकदाहतिः ।

व्याप्ता स्यात्तदसद्भावेऽप्येव न्यायविदो विदुः ॥

—सिद्धसेन, न्यायाव० का० २०।

(ख) विनाशी भाव इति वा हेतुनैत्र अविद्यति ।

अन्तव्याप्तावसिद्धात्मां बहिर्व्याप्तिरसाधन् ।

साकल्येन कर्यं व्याप्तिरन्तव्याप्ता विना भवेत् ।

—अकल्पक, सि० वि० ५।१५, १६, प० ३४५-३४७। प्रमाणमं० ३२-३३।

(ग) अन्तव्याप्त्या हेतोः साध्यप्रत्याप्ते वाक्ताववाक्तौ च बहिर्व्याप्तिरक्षावनं व्यष्टम् इति

—देवसूरि, प्र० न० ३० ३।३६, प० ५६२।

१७८ : विन वर्षाकालमें अनुमान-विचार

है। अतएव सिद्धसेतु^१, बकलंक^२, विशाखन्द^३, वारीभृति^४, वेष्टूरि^५ आदि जैन विचारकोंने यथार्थमें अन्तर्व्याप्तिको ही व्याप्ति और उसे ही साम्बसाधक माना है तथा अन्य दोनोंको उसके बिना न व्याप्ति कहा है और न उन्हें साम्यका गमक ही बहुलादा है। यशोविजयने^६ विष्वव्याप्तिसे सहुचारमानताका लाभ और अन्तर्व्याप्ति-को हेतुका अध्यभिवारि लक्षण बतलाते हुए भी व्याप्तिमेवको नहीं माना।



१. न्यायाव० का० २०।

२. लिंगविं० खा१५, १६ तथा प्रमाणर्थ० का० ३२, ३३, ३० १०६।

३. द० एठो० ११३। १५५-१५९, १७५, १८७।

४. विं च पक्षादिभर्त्यवेऽप्यन्तव्याप्तेरमावतः ॥

अनुवाचविद्वेत्तुनां गमक्षत्वे न दृश्यते ।

पक्षादिभर्त्यवेऽप्य गमकः कुरुत्वादवः ॥

अन्तर्व्याप्तेरतः सैव गमक्षत्वमसाधते ।

तथोपपत्तिरेवमन्यवाजुपत्तता ॥

सा च हेतोः स्वरूपं तद् अन्तर्व्याप्तिक्ष विद्धि नः ।

—स्वा० छि० ४८२-८४, ४७८, ४८१ ।

५. म० न० द० ३।३६, ३७ ५६३ ।

६. वैनतक्षा० पृष्ठ १२ ।

प्रथम परिच्छेद अवयव-विमर्श

अवयवोंका विकासक्रम :

अनुमानके सर्वाङ्गीण विचारके हेतु अवयवोंका विवेचन आवश्यक है। जैन तर्कशास्त्रमें अनुमानके अवयवोंका सर्वप्रथम संकेत हमें आचार्य गुद्धपिच्छके तत्त्वार्थसूत्रमें मिलता है। गुद्धपिच्छने अनुमानका उल्लेख अनुमानशब्द द्वारा नहीं किया। न उन्होंने अवयवोंका निरेश भी अवयवरूपमें किया है। पर उनके द्वारा सूत्रोंमें प्रतिपादित आत्माके ऊर्जगमन-सिद्धान्तसे प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव फलित होते हैं। सूत्रकारने मूकजीवके ऊर्जगमनकी सिद्धि तर्क-पुरस्तर करते हुए निम्न प्रकार लिखा है—

- (१) तदनन्तरमूर्च्छ गच्छस्थाकोकामाद् ।
- (२) पूर्वप्रयोगादसङ्क्षादन्वच्छेदात्मगतिपरिणामाच्छ ।
- (३) आविद्यकुक्ताकामवृद्धयगतकेपाकावृद्धवैरण्डीजवद्विनिश्चिलावच्छ ।

इन सूत्रोंमें ऊर्जगमनरूप प्रतिज्ञा (पञ्च), 'पूर्वप्रयोगाद्', 'व्यसङ्क्षाद्', 'वृद्धच्छेदाद्' और 'तमगतिपरिणामाद्' ये चार हेतु तथा इन चार हेतुवाँके समर्थनके लिए क्रमशः 'आविद्यकुक्ताकामवृद्ध', 'वृद्धयगतकेपाकावृद्ध', 'पूर्वच्छेदाद्' और 'आविद्यकुक्ताकामवृद्ध' ये चार दृष्टान्त प्रयुक्त हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य गुद्धपिच्छने अनुमानके तीन अवयवोंका यही संकेत किया है।

१६० : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

हमारे उक्त कथनको सम्पुष्टि पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिसे भी होती है। उसमें उक्त सूत्रोंकी व्याख्या देते हुए उन्होंने बताया है कि हेतुके कथन किये बिना ठर्डगमन (प्रतिज्ञा)का निश्चय नहीं हो सकता। तथा पुष्कल हेतुओंका प्रयोग होनेपर भी वे दृष्टान्तके समर्थन बिना अभिप्रेतार्थकी सिद्धि करनेमें असमर्थ हैं। अतएव सूत्रकारने प्रतिज्ञा (अर्थगमन)को सिद्ध करनेके लिए हेतु और दृष्टान्त प्रतिपादित किये हैं।

पूज्यपादके उक्त व्याख्यानसे निम्नलिखित निष्कर्ष निःसृत होते हैं :—

(१) गृद्धपिच्छुने प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्तका व्याख्यविवेचना कथन भले ही न किया हो, पर अपने अभिप्रेत अर्थको सिद्ध करनेके लिए उनका अर्थतः निर्देश अवश्य किया है।

(२) पूज्यपादने सूत्रकारके कथनका समर्थन व्यायसरणिका अनुसरण करके किया है। अतः नामतः निर्देश न होनेपर भी सूत्रकार अवयवत्रयसे परिचित थे। यतः व्याख्याकार या भाष्यकार अपने युगके विचारोंके आलोकमें प्राचीन तथ्योंके स्पष्टीकरणके साथ नवीन तथ्योंको प्रस्तुत करता है। अतः प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्तके स्पष्टीकरणको हम पूज्यपादकी विचारधारा नहीं मान सकते। पूज्यपादने गृद्धपिच्छुकी मान्यताका ही स्फोटन कर उक्त अवयवत्रयकी उनकी मान्यताको अंकित किया है।

(३) गृद्धपिच्छुके अवयवत्रयके संकेतको पूज्यपादने तर्क (अनुमान)का रूप दिया है। यही कारण है कि उन्होंने प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीनके औचित्यका समर्थन किया है।

(४) जैन नैवायिकोंके अवयव-विचारका सूत्रपात संकेतरूपसे तत्त्वार्थसूत्रमें मिल जाता है। अतएव अवयवोंकी स्वापनाका मूल श्रेय जैन तर्कशास्त्रमें आ० गृद्धपिच्छुको प्राप्त है।

ऐतिहासिक क्रमानुसार गृद्धपिच्छुके अनन्तर स्थामी समन्तभद्रका स्थान आता है। समन्तभद्रने भी गृद्धपिच्छुके समान उक्त अवयवत्रयका नामतः उल्लेख किये बिना अनुमेयकी सिद्धि प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीनों अवयवोंसे की है। किन्तु समन्तभद्रकी विशेषता यह है कि उन्होंने अनुमेय-सिद्धि पुष्ट तर्कके आलोकमें की है। यहाँ आ० गृद्धपिच्छु चार-चार हेतु और चार-चार दृष्टान्त उपस्थित कर साध्यको सिद्धि करते हैं वहाँ आ० समन्तभद्र एक पुष्ट प्रतिज्ञा और उसकी

१. अनुपरिलिङ्गेत्रुक्तमिद्यूर्जगमते कथमध्यवसातुं शक्यमिति । अशोकदे—

आह—हेरवर्णः पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थसाक्षात् भालमिति; उच्चते—
—स० सिं १०१६, ७ की चत्वारिंकार्दें ।

सिद्धिके लिए एक-एक ही पुष्ट हेतु और दृष्टान्त प्रयुक्त करते हुए लिखते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि समन्तभद्रने प्रतिज्ञा,^१ हेतु^२ और दृष्टान्त^३ इन तीनों-का शब्दतः भी प्रयोग किया है, जो उनके शब्दोंमें विशकलित उपलब्ध होते हैं। किन्तु गृद्धपिच्छने उनका विशकलित प्रयोग भी नहीं किया।

दोनों आचार्योंकी प्रतिपादनशैलीका अध्ययन करनेपर निम्न लिखित तथ्य प्रस्फुटित होते हैं :—

१. समन्तभद्रके समय तक तर्कशैली विकसित हो चुकी थी, अतः वे अपने अभिप्रेतकी सिद्धिके लिए उक्त तीनों अवयवोंका तो व्यवहार करते ही हैं, पर साधर्म्य और वैषम्य दृष्टान्तमेंदोंका भी उपयोग करते हैं।

२. त्यायसरणसे अवयवोंका सूक्ष्म और विशद विचार समन्तभद्रसे आरम्भ होता है। समन्तभद्रने अविनाभाव, सधर्मा, साधर्म्य, वैषम्य, साध्य, साधन, प्रतिज्ञा, हेतु, अहेतु, प्रतिज्ञादोष, हेतुदोष जैसे तर्कशास्त्रीय शब्दोंका प्रयोग कर अवयवोपयोगी नया चिन्तन प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट है कि गृद्धपिच्छने जिन अवयवोंका मात्र संकेत किया था उन्हें तर्क (अनुमान)का रूप समन्तभद्रने दिया है।

३. समन्तभद्र सर्वज्ञ, अनेकान्त और स्याद्वाद जैसे दार्शनिक प्रमेयोंको अनुमानकी कस्ती घोड़े पर रखकर उक्त तीन अवयवोंसे उन्हे सिद्ध करते हैं। पर गृद्धपिच्छने इन प्रमेयोंपर अनुमानसे कोई विचार नहीं किया।

हम यहाँ अपने कथनकी पुष्टिके लिए समन्तभद्रके उक्त अवयवत्रयके प्रदर्शक कुछ उद्धरण उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं :—

(क) सूक्ष्मान्तरितदूरार्थः प्रत्यक्षाः कस्यविद्यया ॥

अनुमेवत्वसोऽन्वादिरिति सर्वज्ञ-संस्थितिः ॥

(ल) वास्तित्वं प्रतिषेधेनाविनाभव्येकवर्मिणि ॥

विषेवत्वात्साधर्म्यं यथा भेद-विवक्षया ॥

(ग) वास्तित्वं प्रतिषेधेनाविनाभव्येकवर्मिणि ॥

विषेवत्वात्साधर्म्यं यथाऽभेद-विवक्षया ॥

(घ) विषेध-प्रतिषेध्यात्मा विषेधः शब्दगोचरः ॥

साध्यर्थमो यथा हेतुरहेतुश्चात्मप्रेक्षया ॥^४

१., २. न साध्य न च हेतुष्ट प्रतिज्ञा-हेतुदोषतः ।

—आसमी० का० ८० । युक्त्यतु० का० ११, १३, ४४ ।

३. नयः स दृष्टान्तसमर्थनस्ते ॥ “दृष्टान्तसद्गुणयोर्विवादे” ॥

—स्वयम्भ० लेखनी० ५२, ५४ ।

४. आसमी० का० ५, १७, १८, १९ ।

इन चारों उद्घारणोंमें समन्वयभूमि मुद्दपिच्छले धर्मिक विकसित अनुमानप्रणाली-को प्रस्तुत कर उसके तीन अवयवों (प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त) से अनुमेयकी सिद्धि की है। अतः प्रकट है कि उन्हें ये तीन अवयव मान्य रहे हैं। यह भी उल्लेखनोय है कि समन्वयभूमि के उक्त प्रतिपादनपरं सबह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने उक्त तीन अवयवोंका प्रयोग किस प्रकारके प्रतिपाद (विनेय) की अपेक्षासे किया है—व्युत्पन्न या अव्युत्पन्न ? प्रकरणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उनका उक्त कवच प्रतिपादनामन्त्रकी अपेक्षासे हुआ है। आ० गुद्धपिच्छला भी निरूपण अविशेष रूपसे ही हुआ है।

जैन न्यायके विकासक्रममें समन्वयभूमि के पश्चात् न्यायावतारकार सिद्धसेनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। सिद्धसेनने^१ न्यायावतारमें पक्षादि वचनको परार्थानुमान कहकर उसके पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंका स्पष्टत : निर्देश किया है तथा प्रत्येकका स्वरूप-विवेचन भी किया है। 'पक्षादि वचन' के प्रयोगसे सकेतित होता है कि न्यायावतारके पूर्व उक्त तीन अवयवोंको मान्यताकी पूर्णतया प्रतिष्ठा हो चुकी थी। यतः 'आदि' शब्द द्वारा संगृहामान तथ्योंका अध्याहार तभी किया जाता है जब वे सर्वमान्यरूपमें प्रसिद्ध एवं प्रचलित हो जाते हैं और वक्ता जिन्हें अभिप्रायमें रखता है। हम लोकमें देखते हैं कि जानेवाले व्यक्तियोंमें राम, श्याम आदिका कथन करने पर 'आदि' शब्द राम, श्यामके महत्त्वको तो प्रकट करता ही है, पर संगृहामाणोंको भी सामान्यतया प्रतिपादित करता है। अतएव यह निष्कर्ष निकालना दूरकी कड़ी मिलाना नहीं होगा कि सिद्धसेनने 'पक्षादि' शब्दके प्रयोगद्वारा त्रिरवयवकी प्रसिद्ध मान्यता^२ एवं सर्वबोधगम्यताको व्यक्त किया है।

जैन तात्किकोंमें सिद्धसेन ही प्रथम तात्किक है, जिन्होंने उक्त तीन अवयवोंके निरूपणमें प्रतिज्ञाके स्थानमें 'पक्ष' शब्दका प्रयोग किया है। भारतीय तर्कशास्त्रके प्रकाशमें 'पक्ष' शब्दके इतिहासको देखनेसे ज्ञात होता है कि प्रतिज्ञाके स्थानमें 'पक्ष' का प्रयोग सर्वप्रथम विङ्गाग या उनके शिष्य शंकरस्वामीने^३ किया है। और सम्भवतः उनका अनुकरण सिद्धसेनने किया होया।

सिद्धसेनके उक्त अवयवसम्बन्धी स्पष्ट प्रतिपादनसे उनका महत्त्व निम्न लिखित कारणोंसे बढ़ जाता है—

१. साध्याविनायुक्तो हेतुवेद्यो अव्याप्तिपादकम् ।

परार्थानुमानं तत् पक्षादिवचनात्मकम् ॥

—न्यायावा० का० १५ । तथा १४, १७, १८ और १९ भी देखिए ।

२. ३. पक्षादिवचनानि साधनत् । पक्षहेतुद्वान्तवचनैर्हि प्राप्तिनकालामपतीतोऽवृः प्रति-
पादये । *** यतान्तेष्व शब्दोऽवयवा व्युत्पन्नते ।

—न्या० म० प० १, २ ।

१. उन्होंने इस अवयवोंका प्रतिकाराओं सहित किसेवन किया है, जो उनके पूर्व जैन तर्कशास्त्रमें उपलब्ध नहीं है।

२. प्रतिकारे स्थानमें उन्होंने पक्षको रखा है और जिससे निम्न दो नये तथ्य सामने आते हैं—

(अ) गृहपिण्ड, समन्तभद्र और पूज्यपाद द्वारा अर्थतः या शब्दातः प्रतिपादित प्रतिकारायः पक्षके पूरे अर्थका स्पष्टीकरण करनेमें असमर्थ है, अतः सिद्धसेनने उनके स्थानमें 'पक्ष' शब्दको देकर उसकी व्याख्याद्वारा प्रतिकारा स्पीकरण निर्दिष्ट किया है।

(आ) सिद्धान्तयुगमें प्रतिकाराशब्दका प्रयोग स्वयं तिद्वियोंकी स्वीकृतिके लिए भी होता था; अतः प्रतिकारे सिद्धान्त और तर्क दोनों रूपोंका बोध किया जाता है। पर पक्षशब्दने स्वयं तिद्वियोंसे हटाकर तर्कके लेखमें विचारविनिमयकी आवश्यकता तर्कप्रणालीको पुष्ट किया एवं प्रश्न दिया। सम्भवतः सिद्धसेनका प्रतिकारे के स्थानमें पक्षशब्दको रखनेका यही आवश्यक रहा होगा।

प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयव प्रयोग :

सिद्धसेन तक जैन चिन्तकोंने प्रतिपाद्यविवेषकी अपेक्षासे अवयवोंका विचार नहीं किया। केवल सामान्य प्राविनकोंको लक्ष्यमें रखकर उनका प्रयोग किया है। किन्तु जागे चल कर प्रतिपाद्योंको दो बगोंमें विभक्त कर उनकी दृष्टिसे अवयवोंका प्रयोग स्वीकार किया गया है। प्रतिपाद्य दो प्रकारके हैं—(१) अव्युत्पन्न और (२) अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न वे हैं जो रूपेष्य या संकेतमें वस्तुस्वरूपको समझ सकते हैं और जिनके हृदयमें तर्कका प्रवैश है। अव्युत्पन्न वे प्रतिपाद्य हैं जो अल्पप्रज्ञ हैं, जिन्हें विस्तारसे समझाना आवश्यक होता है और जिनके हृदयमें तर्कका प्रवैश कम रहता है।

अकलकूदेवने अवयवोंकी समीक्षा करते हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अवयवोंका समर्थन किया है। उनका अभिमत है कि कुछ अनुमान ऐसे भी हैं, जिनमें दृष्टान्त नहीं मिलता। पर वे उक्त दो अवयवोंके सम्भावसे समीक्षा भाने जाते हैं। वे पक्ष और हेतुकी समीक्षा न कर केवल दृष्टान्तकी मान्यताका आलोचन करते हुए कहते हैं कि दृष्टान्त सर्वत्र आवश्यक नहीं है। अवश्य 'सभी पदार्थ क्षणिक हैं, क्षणिक वे सत् हैं' इस अनुमानमें दृष्टान्तका अभाव होनेसे क्षणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव अकलकूदे के विचारसे किन्हीं प्रतिपाद्योंके लिए या कहीं पक्ष

१. सर्वत्रैव न दृष्टान्तोऽनन्दवेयेनापि साप्तानात्।

अन्वया सर्वमात्रानामसिद्धोऽप्य शापकायः ॥

—स्त्रा० वि० का० ३८१, अकलकूद्य० ।

१६७ : जैन उक्तवादस्थामें अमुमान-विचार

और हेतु ये दो ही अवयव पर्याप्त हैं। दृष्टान्त किसी प्रतिपादाविक्षेप अथवा स्पष्ट विक्षेपकी अपेक्षा आधुनि है, सर्वत्र नहीं।

बा० विचानन्दने प्रमाणपरीक्षा^१ और पत्रपरीक्षामें^२ कुमारनन्द भट्टारके वादन्यायके, जो आज अनुपलब्ध है, कुछ उद्घरण प्रस्तुत किये हैं, जिनमें बताया गया है कि परार्थानुमानके अवयवोंके प्रयोगकी व्यवस्था प्रतिपादोंके अनुसार की जानी चाहिए।

कुमारनन्दने अवयवव्यवस्थामें एक नया मोड़ उपस्थित किया। इस मोड़को हम विकासात्मक कह सकते हैं। उन्होंने अवयवोंके प्रयोगको 'प्रतिपादानुरोधतः' (प्रतिपादानुसार) कह कर स्पष्टतया नयी दिशा प्रदान की है। लिखा है कि जिस प्रकार विद्वानोंने प्रतिपादोंके अनुरोधसे प्रतिज्ञाको कहा है उसी प्रकार उनकी दृष्टिसे उन्होंने उदाहरणादिको भी बतलाया है।^३

विचानन्दने प्रायः कुमारनन्दके वादोंको ही दोहराते और उनके वाचायको स्पष्ट करते हुए कहा है कि परानुग्रहप्रवृत्तैरभ्युपगमत् ।^४

(क) प्रयोगपरिपाद्या: प्रतिपादानुरोधतः परानुग्रहप्रवृत्तैरभ्युपगमत् ।^५
(ल) बोध्यानुरोधमात्रात् शोषावबवदर्भनात् ।^६

विचानन्दके इस प्रतिपादनसे स्पष्ट है कि पक्ष और हेतु ये दो अवयव व्युत्पन्नों और शेष (दृष्टान्तादि) अवयव बोध्योंके अनुरोधसे प्रदर्शित हैं। तत्त्वार्थवलोक-वात्तिकमें उन्होंने^७ सन्दर्भ, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न ये तीन प्रकारके बोध्य (प्रतिपाद्य) बतलाये हैं तथा उनके बोधार्थ सन्दर्भ, विपर्यस्त और अव्युत्पन्न रूप साध्य (पक्ष) का प्रयोग निर्दिष्ट किया है। पत्रपरीक्षामें पत्रलक्षणके प्रसङ्गमें

१. तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दभट्टारकैः—

अन्यथानुपत्त्येकलक्षण हिंगमंचयते ।

प्रयोगपरिपादो तु प्रतिपादानुरोधतः ॥

—५० १० १० ७२ ।

२. तथैव हि कुमारनन्दभट्टारकैरपि स्वावदन्याये निर्गादितत्वात्तदाह—

प्रतिपादानुरोधेन प्रवासेषु पुनर्येद्या । प्रतिपादा शोध्यते तज्ज्वेस्तवोदाहरणादिकम् ॥

अन्यथानुपत्त्येकलक्षण हिंगमंचयते । प्रयोगपरिपादो तु प्रतिपादानुरोधतः ॥

—५० १० १० ३ ।

३. पक्षप० १० ३ तथा उपर्युक्त १ व २ नंबरका फ्रूटलोट ।

४. ५० १० १० ७२ ।

५ १० १० १० १७ ।

६. १० को० १।१३।१५५-१६१, १० ११५ ।

विद्वानन्दने^१ विशेष (व्युत्पत्ति) प्रतिपादिकी अपेक्षासे पक्ष और हेतु हन दो अवयवोंके प्रयोगका स्पष्ट विवेच किया है ।

माणिक्यनन्दिनी^२, प्रभाकरन्द्री^३, वेदसूरि^४ और हेमचन्द्र^५ भी अकलज्ञ और विद्वानन्दका अनुगमन करते हैं । इन सभीने लिखा है कि साध्यवर्द्धके आधारका निर्णय और साधनके आधारका उद्घोषण करनेके लिए पक्षका प्रयोग आवश्यक है ।^६ उसके अभावमें व्युत्पत्तिको भी साध्यवर्द्धाधारमें सञ्चेह हो सकता है । अतः उसे हूर करनेके लिए पक्षका प्रयोग करना चाहिए । दूसरे, त्रिरूप हेतुको कह कर उसका समर्थन करने पर तो पक्षका स्वीकार अनिवार्य है, क्योंकि पक्षके विना समर्थन—असिद्धादि दोष परिहार नहीं हो सकता । इसी प्रकार साध्यविमर्शके लिए तथोपर्पत्ति अथवा अन्यथानुपपत्तिरूप हेतुका प्रयोग भी अत्यन्त आवश्यक है । उसके अभावमें अभिप्रेतकी सिद्धि सम्भव नहीं । इस प्रकार पक्ष और हेतु ये दो ही पराधार्मिनामनके अवधार हैं । इन दोके द्वारा ही व्युत्पत्ति प्रतिपादिको अनुमेयका ज्ञान हो सकता है ।

उनके लिए दृष्टान्तादिकी अनावश्यकता बतलाते हुए माणिक्यनन्दिनी^७ समुक्तिक्रियक प्रतिपादन किया है कि दृष्टान्त, उपनय और निगमन इन तीन अवयवोंका स्वीकार यास्त्र (बोतराग कथा) में हो है, बाद (विजिगोषु कथा) में नहीं, क्योंकि बाद करने वाले व्युत्पत्ति होते हैं और व्युत्पत्तिको दृष्टान्तादिकी आवश्यकता ही नहीं । वे^८ कहते हैं कि दृष्टान्त न साध्यज्ञानके लिए आवश्यक है और न अविनाभावके निश्चयके लिए; क्योंकि साध्यका ज्ञान निश्चित साध्याविनाभावी हेतुके प्रयोगसे होता है और आविनाभावका निश्चय विपक्षमें बाधक रहनेसे होता है । दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त व्यक्तिरूप होता है और अविनाभाव (व्याप्ति)

१. साध्यवर्द्धमविशिष्टत्व धर्मिणः साधनस्य च । वचः प्रमुच्यते पत्रे विशेषाभ्यतो वक्ता ।
साध्यानदेशसदितस्वैव हेतुः प्रयागः हृत्वसमर्थनात् ।

—१० १० १० ९ ।

२. इ. पतद्वयमेवानुमानाङ्ग नोदाहरणम् ।

—१० मु० ३।३७ । प्रमेयक० मा० ३।३७

३. पक्षहेतुवचनलक्षणमवयवद्यमेव परमतिष्ठर्तरं न वृष्टान्तादिवचनम् ।

—१० न० १० ३।२८ ।

४. पतावान् प्रेक्षप्रयोगः ।

—१० मी० २।१९, १० ५२ ।

५. साध्यवर्द्धमवारात्सन्देहापनोदाव गम्यमानस्यादि पक्षस्य वचनम् । को वा विषा हेतुमुक्त्वा समर्थकमानो न पक्षवति ।

—१० मु० ३।३४, ३५ । म० न० १० १० ३।२४, २५ । प० म०० २।१।६ ।

६. १० मु० ३।४६, ३६, ३७, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ ।

१६६ : वैदिक तुलनात्मक अनुमान-विचार

सामाजिक स्थिति । यदि दृष्टान्तगत अविनाभावमें भी सन्देह हो जाये तो उसके निराकरणके लिए दूसरे दृष्टान्तको और दूसरे दृष्टान्तमें तोसरे आदिकी अपेक्षा होगी, जिससे अनवस्था दोष जायेगा । व्यासिस्मरणके लिए भी उदाहरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यासिका स्मरण साध्याविनाभावी हेतुके प्रयोगसे ही ही जाता है । माणिक्यनन्दिके व्यास्याकार चालकीति कहते हैं कि उदाहरणका प्रयोग उस्टा साध्य-वर्मी (पक्ष) में साध्य और साधनके सद्भावको सन्दिश बना देता है ।^१ यही कारण है कि उपनय और निगमनका प्रयोग उक्त सन्देहको स्थितिको दूर करनेके लिए होता है । यदि कहा जाय^२ कि उपनय साधनके सन्देह और निगमन साध्यके सन्देहकी निवृत्तिके लिए प्रयुक्त नहीं किये जाते, अपितु हेतुमें पक्षवृत्तिताका प्रतिपादन करनेके लिए उपनयको तथा अवाधितत्व और अस्त्रप्रतिपक्षतत्वका कथन करनेके लिए निगमनको कहा जाता है तो यह भी ठीक नहीं है,^३ यतः अविनाभावी हेतु और प्रत्यक्षावधितत्व साध्यके प्रयोगसे ही हेतुमें पक्षवृत्तित्व, अवाधितत्व और अस्त्रप्रतिपक्षतत्व तीनोंका निश्चय हो जाता है । अतएव उपनय और निगमन अनुमान-के अंग नहीं हैं । फिर भी यदि उन्हें अनुमानान्तर माना जाय तो उससे युक्त यह है कि समर्थन अवश्य हेतुरूप अनुभवनके अवयवको ही कहना पर्याप्त है, क्योंकि साध्यसिद्धिमें उसका प्रयोग परमावश्यक है । स्पष्ट है कि जब तक असिद्धादि दोषोंका परिहार करके साध्यके साथ साधनका अविनाभावप्रदर्शनरूप समर्थन या अत्यन्त आवश्यक हेतुका प्रयोग नहीं किया जाएगा तबतक दृष्टान्तादि साध्यसिद्धिमें केवल अनुपयोगी ही न रहेंगे, बल्कि निरर्थक भी होंगे । अतः अनुपत्ति प्रतिपाद्यके लिए पक्ष और हेतु ये दो ही अवयव अनुमेयके ज्ञान (अनुमान) में आवश्यक हैं ।

प्रभाचन्द्र, अनन्तबीर्य, देवसूरि, हेमचन्द्र और अर्घभूषण आदिने माणिक्यनन्दिका ही समर्थन किया है ।

तुलनात्मक अवयव-विचार :

यहाँ तुलनात्मक अवयव-विचार प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञातव्य है ।

१. उदाहरणेन महान्दे साध्यसिद्धिनिवायजननेऽपि पक्षे तयोर्निवायजननात् ।
— चारकीति, प्रवेषतत्त्वा ३।४२ ।

२. ननु पक्षे हेतुसाध्यसिद्धिनिवायजननेऽपि नोपनयनिगमनयोः प्रयोगः । किन्तुपक्षतत्व हेतौ पक्षाधर्मत्वप्रतिपादनार्थं निगमनस्य चावाधितत्वासामर्तिपक्षतत्वप्रतिपादनार्थं । अत एव तयोरप्यनुमानान्तरमावश्यकम् ।
— वही, ३।४४ की उत्तरानिका ।

३. पक्षधर्मतत्व हेतुवाच्यादेव लामात् । अवाधिततत्व हेतौ साध्यविविष्टपक्षवृत्तितत्व-तत्त्वाऽस्त्रप्रतिपक्षतत्वस्य च साध्याभावव्याधाभावविविष्टपक्षवृत्तितत्वरूपेण तयोरपि प्रतिष्ठाहेतुभ्यामेव सिद्धेः ।
— वही, ३।४४, ३० ११६ ।

न्याय और वैशेषिक तार्किकोंने पंचावयवके प्रतिपादक वचनोंको परावर्णनुमान स्वीकार किया है। पर ज्ञानको प्रमाण मानने वाले जैन और बौद्ध विचारकोंने वचनको उपचारसे परावर्णनुमान कहा है। उनका अभिमत है कि वचनके स्वार्थ-नुमानके विषय (साध्य और साधन) को कहने वाले वचनोंसे ओता (प्रतिपाद) को जो अनुमेयार्थका ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक मुख्य परावर्णनुमान है और उसके जनक वक्ताके वचन उसके कारण होनेसे उपचारतः परावर्णनुमान है।

विचारकृतीय है कि वक्ताका कितना वचनसमूह प्रतिपादके लिए अनुमेयकी प्रतिपत्तिमें आवश्यक है? न्यायसूत्रकार^३ और उनके अनुसर्ता वास्त्यायन, उद्घोष-कर, वाचस्पति, जवन्तभट्ट प्रशुति न्यायपरम्पराके तार्किकों तथा प्रशस्तपाद^४ आदि वैशेषिक विदानोंका भरत है कि प्रतिज्ञा, हेतु^५ उदाहरण^६, उपनय^७ और निगमन^८ में पांच वाक्यावयव अनुमेय-प्रतिपत्तिमें आवश्यक हैं। इनमेंसे एकका भी अभाव रहने पर अनुमान सम्भव नहीं हो सकता और न प्रतिपादको अनुमेयकी प्रतिपत्ति हो सकती है।^९

सार्वविद्वान् युक्तिदीपिकाकारने^{१०} उक्त पंचावयवोंमें विज्ञासा, संशय, प्रयोग, ज्ञान, शक्यप्राप्ति और संघयव्युदास इन पांच वयवोंको और सम्मिलित करके

१. परार्थ तु तदयंपरामर्शिवचनात्मक् । तदचन्मर्षि तदेतुलाद् ।

—माणिक्यनन्दि, परी० मु० ३।५५, ५६ ।

पञ्चेतुवचनात्मकं परार्थनुमानमुपचारादिति ।

—देवदीरि, प्र० न० त० ३।२३ ।

२. धर्मकोर्ति, न्यायाद० त० परि० प० ४० ४६ । तथा धर्मोत्तर, न्यायवि० टी० प० ४० ४६ ।

३. प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपतयनिषमनान्वयवाः ।

—न्यायद० १।१।१२ ।

४. अवयवाः पुनः प्रतिज्ञाऽपदेशनिर्दर्शनानुसन्धानपरामायाः ।

—प्रज्ञा० मा० प० ११।१४ ।

५, ६, ७, ८. प्रशस्तपादने हेतुके स्थानमें अपदेश, उदाहरणके लिए निष्ठान, उपनयकी जगह अनुसन्धान और निगमनके स्थानपर प्रथामाय नाम दिये हैं। पर अवयवोंकी पांच संख्या तथा उनके वयवमें यात्रा कोई अन्तर नहीं है।

९. असत्या प्रतिज्ञाओं अनावश्या हेत्वादयो न प्रवर्तन् । असति हेतौ कस्य साधनमायः प्रदर्शेत्... निगमनाभावे चानभिन्वचसम्बन्धानमेकावेन प्रवर्तनं 'तथा' इति प्रतिपादने कस्य ।

—ज्ञात्यावन, न्यायभा० १।१।१६, प० ५४ ।

१०. युक्तिदीपि० का० १ की शृंगिका, १० ३ तथा का० १, १० ५०-५१ ।

१६४ : जीव संकाशनमें अनुमान-विचार

परार्थनुमानवाक्यके दशावयदोंका कबल किया है। परन्तु माठरने^१ परार्थनुमान वाक्यके तीन (पक्ष, हेतु और दृष्टान्त) अवयव प्रतिपादित किये हैं। सांख्योंकी यही विवरणवाक्यता दार्शनिकोंद्वारा अधिक मान्य और आलोच्य रही है।

बोद्ध विद्वान् दिड्नागके शिष्य शंकरस्वामीका^२ मत है कि पक्ष, हेतु और दृष्टान्त द्वारा प्राविनकोंको अप्रतीत अर्थका प्रतिपादन किया जाता है, अतः उक्त तीन ही साधनावयव हैं। घर्मकीर्ति^३ इन तीन अवयवोंमेंसे पक्षको निकाल देते हैं और हेतु तथा दृष्टान्त इन दो अवयवा मात्र हेतुको ही परार्थनुमान वाक्यका अवयव मानते हैं।

मीमांसक तार्किक शालिकानाथ,^४ नारायणभट्ट^५ और पार्थसारथिने^६ उक्त तीन (प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त) अवयव वर्णित किये हैं। नारायणभट्ट दृष्टान्त, उपनय और निगमन इस प्रकारसे भी तीन अवयव मानते हुए भिलते हैं।

जैसा कि हम देख चुके हैं, जैन चिन्तक प्रतिपाद्योंकी दृष्टिसे अवयवोंका विचार करते हैं। आरम्भमें प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंकी मान्यता होने पर भी उत्तरकालमें अकलज्ञ, कुमारनन्द, विद्वानन्द, माणिक्यनन्द, प्रभाचन्द्र, देव-सूरि, हेमचन्द्र प्रभृति सभी तार्किकोंने प्रतिपाद्योंकी अपेक्षासे उनका प्रतिपादन किया है। किसी प्रतिपाद्यको दृष्टिसे दो, किसीकी अपेक्षासे तीन, किसीके अनुसार चार और किसी अन्य प्रतिपाद्यके अनुरोधसे पाँच अवयव भी कहे जा सकते हैं।

१. पक्षहेतुदृष्टान्ता इति अवयवम् ।

—माठरकृ० क० ५ ।

२. पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्राशनकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपादते इति ।... इतान्येव ऋबोऽवयवा इत्युच्चन्ते ।

—न्यायम० प० १, २ ।

३. प्रमाणवा० १।१२६ तथा न्यायवि० द० पां० प० ६१ । हेतुवि० प० ५५ ।

४ “तत्रावाधित” इति प्रतिज्ञा । “शातसम्बन्धनियमस्य” इत्येव दृष्टान्तवचनम् । “एक-देवदर्शनात्” इति हेत्यमिथानम् । तदेव अवयवं सापनम् ।

—प्रकरणर्थ० प० २२० ।

५. तस्मात्वयवं ज्ञमः पौनश्चत्वासहा वयम् ।
उदाहरणपर्यन्तं यदोदाहरणादिकम् ।

—मालमेषो० प० ६४ ।

६. न्यायरत्ना० (मो० को० अनु० परि० को० ५३) प० ३६१ ।

✓ १) प्रतिज्ञा :

प्रतिज्ञाका^१ दूसरा पर्याय पक्ष^२ अवयव घर्मी^३ है। प्रतिज्ञा शब्दका निर्देश सर्वप्रथम गौतमने^४ किया आन पड़ता है। पाँच अवयवोंमें उन्होंने^५ उसे प्रथम स्थान दिया है। उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है^६ कि साम्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कहते हैं। बास्त्यायनने^७ उसकी व्याख्यामें इतना और स्पष्ट किया है कि प्रज्ञा-पनीय (साधनीय) घर्मसे विशिष्ट घर्मीका प्रतिपादक वचन प्रतिज्ञा है। जैसे—‘शब्द अनित्य है’।

प्रशस्तपादने^८ भी अनुमानवाक्यके पञ्चावयवोंमें प्रथम अवयवका नाम प्रतिज्ञा ही दिया है। पर उसको परिभाषा गौतमकी प्रतिज्ञा-परिभाषासे विशिष्ट है। उसमें उन्होंने^९ ‘अविरोधी’ पद और देकर उसके द्वारा प्रत्यक्षवाचित्, अनुमान-वाचित् आदि पाँच वाचितोंको निरस्त करके प्रतिज्ञाको अवाचित प्रतिपादित किया है। साथ ही उसका विशदीकरण भी किया है। लिखा है^{१०} कि प्रतिपि-

१, २, ३. (क) पक्ष. मसिदो घर्मी ।

—शक्तरस्वामी, न्यायप० १० १।

(ख) मशापनोपेन घर्मेण घर्मिणो विशिष्टस्य परिप्रहवचने प्रतिज्ञा ।

—बास्त्यायन, न्या० भा० १० ४० ४८, १११३४।

(ग) प्रतिपादविचित्रघर्मविशिष्टस्य घर्मिणोऽपेक्षविचयमापादवित्तुमुरेकमात्रं प्रतिज्ञा ।

—प्रश० भा० १० ११४।

(घ) साध्यं घर्मः क्वचित्तदिक्षिणो वा घर्मी । पक्ष इति वाचत् । मसिदो घर्मी ।

—माणिक्यनन्द, परो० सु० श१२५, २६, २७।

४, ५. प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनवनिगमनान्यवयवाः ।

—शक्तपाद, न्यायस० १११३२।

६. साम्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ।

—वदो, १११३४।

७. न्यायमा० १११३३, १० ४८ । तथा इसी पृष्ठका १, २, ३ नं० (ख) का कुट्टोट ।

८. अनुमेयोदेकोऽविरोधी प्रतिज्ञा ।

—प्रश० भा० १० ११४।

९. अविरोधप्राहणात् प्रथक्षानुमानान्युपगतस्ववाक्यस्वचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति ।

—प्रश० भा० १० ११५।

१०. इसी पृष्ठका १, २, ३ नं० (ख) का कुट्टोट ।

पादविषित घरसे विशिष्ट घर्मीको हेतुका विषय प्रकट करनेके लिए उसका अभिवान करना प्रतिक्षा है। बास्तवमें यदि वह हेतुका विषय विवक्षित न हो तो वह कोई प्रतिक्षा होगी, अनुमानका अवश्यकृप प्रतिक्षा नहीं।

‘न्यायप्रबेशकारने’ प्रतिक्षाके स्थानमें पक्ष शब्द दिया है। यह परिवर्तन उन्होंने क्यों किया, यह विचारणीय है, क्योंकि दोनोंको प्रयोग एक ही अर्थमें किया गया है। प्रतिक्षाका अभिवेयार्थ स्वीकृत सिद्धान्त (कोटि) है और यही पक्षशब्दका है। पर विचार करनेपर उनमें सूक्ष्म अन्तर प्रतीत होता है। पक्षशब्द यही अपने सक्षा सपक्ष और प्रतिद्वन्द्वी विपक्षको लिए हुए होता है वहाँ प्रतिक्षाशब्दसे ऐसी कोई बात व्यवित नहीं होती। प्रतिक्षा तर्कके निकट कम है और आगमके निकट अधिक। पर पक्ष तर्कके निकट अधिक है और आगमके निकट कम। और यह प्रकट है कि अनुमानका संबल तर्क ही है—उसीपर वह प्रतिष्ठित है। अतः अनुमान-विचारमें प्रतिक्षाशब्दकी अपेक्षा पक्षशब्द अधिक अनुरूप है। सम्भवतः यही कारण है कि न्यायप्रबेशकारके पश्चात् पक्षशब्दका अधिक प्रयोग हुआ है^१। जैन और बौद्ध तर्कशब्दोंमें तो प्रायः यही शब्द अधिक प्रयुक्त मिलता है।

इसकी परिभाषामें न्यायप्रबेशकारने कहा है कि घर्मविशिष्ट घर्मीका नाम पक्ष है, जो प्रसिद्धविशेषणसे विशिष्ट होनेके कारण प्रसिद्ध होता है, साध्यरूपसे इह होता है और प्रत्यक्षादिसे अविकृद। वृत्तिकारके अनुसार विशेषण (साध्यरूप) की प्रसिद्धता^२ सपक्षमें सद्भावकी अपेक्षा कही गयी है, साध्यर्मी (पक्ष) में सत्त्वकी अपेक्षा नहीं, वही तो वह असिद्ध ही होता है। बस्तुतः जो सर्वथा अप्रसिद्ध हो वह खप्त्यकी तरह साध्य हो भी नहीं सकता। यही अभिप्राय न्याय-प्रबेशकारका साध्यको प्रसिद्ध बतलानेका प्रतीत होता है। तात्पर्य यह कि जो प्रसिद्ध घर्मबाला हो, साध्य हो, अभिप्रेत हो और प्रत्यक्षाद्यविकृद हो वह पक्ष है।

१. पक्षः प्रसिद्धो घर्मी प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनप्तिः। प्रत्यक्षाद्यविकृद इति वाक्यवेचः।

—न्याय श० ४० १।

२. उच्चोत्तरसे लेकर नव्यनैयायिकों तक न्यायपरम्परामें पक्षशब्दके प्रयोगकी बहुलता दृष्टिगोचर होती है।

३. इह घर्मिणस्तावत्प्रसिद्धता शुका विशेषणस्य त्वनिरपेक्षादैनें युज्यते। साध्यतात्।

“नैतदेवम्। सम्भगाद्यनवोधाद्। इह प्रसिद्धता विशेषणस्य न तस्मिन्नेव घर्मिणि समाप्तोवरे। किन्तु घर्मंन्तरे बढ़ाहो।”

—न्यायश० ४० ४० १५।

धर्मकीर्ति' भी पक्षकी यही परिभाषा प्रस्तुत की है। यथापि वे पक्षप्रदोषको साधनावयव नहीं मानते और इसलिए उनके द्वारा उसकी परिभाषा नहीं होती चाहिए। तथापि उनके व्याख्याकार धर्मोत्तरके^३ अनुसार पक्षप्रदसे उन्हें साध्यार्थ विवक्षित हैं और चूंकि कोई असाध्यको साध्य तथा साध्यको असाध्य मानते हैं, अतः साध्यासाध्यका विवाद निरस्त करनेके लिए उन्होंने पक्षका लक्षण किया है।

जैन तर्कशास्त्रमें अधिकाशतः पक्षप्रबद्ध ही अन्युपचार है। प्रतिज्ञाशब्दका प्रयोग बहुत कम हुआ है। बल्कि कुछ तार्किकोंने^४ उसकी समीक्षा की है। सिद्ध-सेन^५ पक्षका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि साध्यका स्वीकार पक्ष है, जो प्रत्यक्षादिसे निराकृत नहीं है और हेतुके विषयका प्रकाशक है। सिद्धसेनके इस पक्षलक्षणमें गौतम, प्रशस्तपाद, न्यायप्रवेशकार और धर्मकीर्तिके पक्षलक्षणोंका समावेश प्रतीत होता है। 'साध्यास्मृत्युगमः' पदसे गौतमके 'साध्य-निर्देशः' पदका 'हेतोर्गोचरदोषकः' पदसे प्रशस्तपादके 'अपदेशविषय'का और 'प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः' विशेषणसे प्रशस्तपादके 'अविरोधी', न्यायप्रवेशकारके 'प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध' तथा धर्म-कीर्तिके 'अनिराकृत'का संपर्क किया गया है। यह उनकी संशाहिणी प्रतिभाका द्वारातक है, जो एक ही पदमें सबका सार समाविष्ट कर लिया है।

अकलंकदेवने^६ साध्यको पक्ष कहा है। उनको दृष्टिमें पक्ष और साध्य दो नहीं हैं। अतएव वे न्यायविनिश्चय और प्रमाणसंग्रहमें पक्षसे अभिज्ञ साध्यका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—जो शक्य (अवाचित), अभिप्रेत और अप्रसिद्ध हो वह साध्य है। इससे विपरीत—अवश्य (वाचित) अनभिप्रेत और प्रसिद्धको उन्होंने साध्याभास निरूपित किया है, क्योंकि उन प्रकारका साध्य साधनका विषय नहीं होता। अकलंकने न्यायप्रवेशकारकी तरह पक्षलक्षणमें प्रसिद्ध विशेषण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब वह साध्य है तो वह अप्रसिद्ध होगा और यह अप्रसिद्धता साध्यर्थीकी अपेक्षासे ही विवक्षित है, सपक्षकी अपेक्षासे उसकी प्रसिद्धता बतलाना निर्दर्शक है। वादीकी अपेक्षासे अभिप्रेत, प्रतिवादीकी दृष्टिसे अप्रसिद्ध और वादी तथा प्रतिवादी दोनोंकी अपेक्षासे उसे शक्य—प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध

१.२. स्वरूपेषैव स्वयमिष्ठोऽनिराकृत पक्ष इति।

—न्यायविद् त० परि० प० ६० तथा इसीकी धर्मोत्तराकृत टीका प० ६०।

३. विद्यालन्द, त० स्लो० वा० ११६१५६; प० २०१।

४. साध्यास्मृत्युगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः।

तथ्यवोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोर्गोचरदोषकः॥

—न्यायविद् १४।

५. साध्यं शक्यमिप्रेतमपविष्ट ततोऽपरम्। साध्याभासं विकादि साधनविषयतः॥

—न्यायविद् २। १७२, प्रमाणसं० का० २०, प० १०२।

होता परीक्षा है। यही उल्लेखनीय है कि अकलकने^१ धर्मकीर्तिके^२ उस मतकी भीभासा भी की है जिसमें धर्मकीर्तिने धर्मोंको उपचारसे पक्ष माना है। अकलंक-का कहना है कि धर्मोंको उपचारसे पक्ष माननेपर उसका धर्म साध्य भी वास्तविक सिद्ध न होगा—उपचारित सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त धर्मों (पक्ष) का धर्म होनेसे पक्षधर्म—हेतु भी उपचारित होगा।

विचानन्दन^३ भी अकलका समर्थन करते हुए उपचारसे धर्मोंको पक्ष मानने-के धर्मकीर्तिके मन्त्राध्यका समालोचन किया है। उन्होंने धर्म-धर्मोंकी समुदायको पक्ष कहनेके विचारकी भी समीक्षा की है और साध्यधर्मको पक्ष स्वीकार किया है। उनका मत है कि हेतुका अविनाभाव साध्य-धर्मके साथ ही है, इसलिए साध्य-धर्म ही अनुमेय (पक्ष) है।

माणिग्रन्थनिका^४ विचार है कि व्यासिनिश्चयकालमें धर्म साध्य होता है और अनुमानप्रयोगकालमें धर्मविशिष्ट धर्मों। तथा धर्मोंका नाम ही पक्ष है। बात्स्वाध्य^५ और उद्योतकर्त्ते^६ भी द्विविध साध्य (धर्मविशिष्ट धर्म और धर्मविशिष्ट धर्मों) का तथा धर्मोंतरने^७ त्रिविध साध्य (हेतुलक्षणकालमें धर्म, व्यासिनिश्चयकालमें धर्म और साध्यप्रतिपत्तिकालमें समुदाय) वा प्रतिपादन किया है।

प्रभाचन्द्र^८, अनन्तवीर्य^९, बादिराज^{१०}, देवसूरि^{११}, हेमचन्द्र^{१२}, धर्मभूषण^{१३},

१. पक्षो धर्मोत्युच्चवरे तद्धर्मतपि न सिद्धा ।

—सिद्धिविदि० ६।२, ४० ३७३।

२. पक्षो धर्मो अवबो समुदायोपचारात् ।

—हेतुविदि० ४० ५३ तथा ३० वा० स्व०३० ४० १२, १३।

३. तथा च न धर्मविमिसमुदायः पक्षो, नापि तत्त्वद्वयो तद्धर्मत्वस्याविनाभावस्वभावत्वाभावत् । कि ताहि, साध्य पक्ष पक्ष इति प्रतिपत्तयों तद्धर्मत्वस्येवाविनाभावित्वनियमादित्युच्चवरे । साध्यः पक्षत्वु नः सिद्धतद्वयो हेतुरित्यपि ।

—१० झो० वा० १।१।१।१७, १६०, ४४ २०१। तथा ४० २६१।

४. साध्य धर्मः क्वचित्प्रदिशाणो वा धर्मो । पक्ष इति यावत् ।

—परीक्षामु० ३।३५, २६।

५. न्यायमा० १।१।३६, ४० ४६।

६. न्यायवा० १।१।३६, ४० ४४।

७. न्यायविदि० टी० ४० २४।

८. ९. प्रमेयक० मा० ३।२५, २६। प्रमेयर० मा० ३।२६, २७, ४० १५२।

१०. प्रमाणनि० ४० ६६।

११. म० न० त् । वै १४, २०।

१२. तिषायप्रविक्षित्वसिद्धमवाच्ये साध्यं पक्षः ।

—म० म० १।२।१३, ४० ४५।

१३. न्या० दी० ४० ७२।

वर्णोदिव्यम्', आशकीर्ति^१ प्रभूति तार्किकोंका प्राथः माणिक्यनन्द जैसा ही मतव्य है। हेमचन्द्रने^२ पक्षको साध्यका ही नामान्तर बतलाया है जो सिद्धसेन, अकलक और विद्यामन्दके अनुरूप है। प्रभाचन्द्रके मतानुसार माणिक्यनन्दिकी तरह अनुपात-प्रयोगकालमें साध्य न अग्नि आदि वर्म होता है और न पर्वत आदि वर्मों। अपितु अग्नि आदि वर्मविशिष्ट पर्वत आदि वर्मों अनुमेय होता है और वही प्रतिपादकका प्रतिपादके लिए पक्ष है। अतः साध्य (वर्मविशिष्ट वर्मों) को पक्ष कहनेमें कोई दोष नहीं है।^३

(२) हेतु :

अनुमेयको सिद्ध करनेके लिए साधन (लिङ्ग) के रूपमें जिस वाक्यावयवका प्रयोग किया जाता है वह हेतु^४ कहलाता है। साधन और हेतुमें यद्यपि साधारणतया कोई अन्तर नहीं है और इसलिए दोनोंका प्रयोग बहुधा पर्यायरूपमें मिलता है। पर उनमें वाच्य-वाचकका भेद है। साधन वाच्य है, क्योंकि वह कोई वस्तु रूप होता है। और हेतु वाचक है, यतः उसके द्वारा वह कही जाती है। अपादाने^५ हेतुका लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि उदाहरणके साधर्म्यं तथा वैधर्म्यसे साध्यको सिद्ध करना हेतु है। उनके इस हेतुलक्षणसे हेतुका प्रयोग दो तरहका सिद्ध होता है—(१) साधर्म्य और (२) वैधर्म्य। वात्स्यायन^६ और उद्योतकरने^७ उनके इन दोनों प्रयोगोंकी सम्पूर्णि की है। इन तार्किकोंके मतानुसार हेतुमें साध्यके उदाहरणका साधर्म्यं तथा वैधर्म्यं दोनों अपेक्षित हैं। अर्थात् हेतुको साध्य (पक्ष) में तो रहना ही चाहिए, साधर्म्यं उदाहरण (सपक्ष) में साध्यके साथ विद्यमान और वैधर्म्यं उदाहरण (विपक्ष) में साध्याभावके साथ अविद्यमान भी होना

१. जैन तत्क्षेमा० पृ० १३ ।

२. प्रभेऽरलाङ्ग० ३।२५, २६ ।

३. 'पक्षः' इति साध्यस्येव नामान्तरम् ।

—प० मी० १।२।१३, प० ४५ ।

४. प्रतिनियतसाधर्मविशेषणविशिष्टतया हि अभिणः साधयितुमिष्टवात् साध्यस्यपदेशाविरोधः
...साध्यस्यविशेषणविशिष्टतया हि अभिणः साधयितुमिष्टस्य पक्षान्मिथाने दोषाभावात् ।

—प्रभाचन्द्र, प्रभेऽर्क० मा० ३।२५, २६, प० ३७ ।

५. कणादने हेतु, अपदेश, हिंग, मराण और करण इन सबको हेतुका वर्णन बतलाया है।
—वैशो० ३।२।५ ।

६. उदाहरणसाधर्मान्तिसाध्यसाधन हेतुः । तथा वैधर्म्यात् ।
—न्यायस० १।१।४४, ४५ ।

७. न्यायमा० १।१।४४, ४५ ।

८. न्यायवा० १।१।४४, ४५, प० ११६-११४ ।

चाहिए। इस प्रकारके हेतुस्वरूपके अवधारण (निष्ठय) से हेत्वाभास निरस्त हो जाते हैं।

काश्यप (कणाद) और उनके व्याख्याकार प्रशस्तपादका^३ भी भत है कि जो अनुमेयके साथ सम्बद्ध है, अनुमेयसे अन्वित (साधर्म्य उदाहरण—सप्त) में प्रसिद्ध है और उसके अभाव (वैधर्म्य उदाहरण—विपक्ष) में नहीं रहता वह लिंग है। ऐसा त्रिलूप लिंग अनुमेयका अनुमापक होता है। इससे विपरीत अर्लिंग (हेत्वाभास) है और वह अनुमेयको सिद्धि नहीं कर सकता।

बौद्ध तार्किक न्यायप्रबेशकार^४ भी त्रिलूप हेतुके प्रयोगको ही अनुमेयका साथक बतलाते हैं। धर्मकोति^५, धर्मोत्तर^६ आदिने उसका समर्थन किया है।

उपर्युक्त अध्ययनमें अवगत होता है कि आरम्भमें त्रिलूपात्मक हेतुका प्रयोग अनुनेयप्रतिपत्तिके लिए आवश्यक माना जाता था। पर उत्तरकालमें न्यायपरम्परामें त्रिलूप हेतुके स्थानमें पंचलूप हेतुका प्रयोग अनिवार्य हो गया। उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन बाचस्पति मिथृ^७ और जयन्तभट्टने^८ किया है। आगे तो प्रायः सभी परवर्ती न्यायपरम्पराके विद्वानोने^९ पंचलूप हेतुके प्रयोगका ही समर्थन किया है। किन्तु घ्यान रहे, वैशेषिक और बौद्ध त्रिलूप हेतुके प्रयोगको मान्यतापर आरम्भसे अन्त तक दृढ़ रहे हैं।

प्रश्न है कि जैन तार्किकोने किस प्रकारके हेतुके प्रयोगको अनुमेयका गमक स्वीकार किया है? जैन परम्परामें सबसे पहले समन्तभद्रने हेतुके स्वरूपका निर्देश

१. तदेव हेतुस्वरूपावधारणादेत्वाभासा निराकृता भवन्ति ।

—न्यायवा०, १।३४, पृ० ११६ ।

२. यदनुमेयनाथेन देवविशेषे कालविशेषे वा सहचरितमनुमेयधमान्विते चान्यथ सर्वस्थित्यन्वेषेषो वा प्रसिद्धमनुमेयविपरीते च सर्वस्थित्यमाणतोऽसदैव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक लिङ्गं भवति ।

—प्रशा० मा० प० १०० ।

३. न्यायवा० प० १ ।

४. न्यायविन्दु प० २३, २४ । हेतुवि० प० ५२ ।

५. न्यायाद० टी० प० २२, २३ ।

६. देन सूत्रस्येन (चक्रवर्देन) अवाधितत्त्वमसरमतिपक्षत्वमपि रूपदैव समुचितमित्युक्तं भवति ।

—न्यायवा० ता० टी० १।१५, प० १७४ तथा १७५ ।

७. गम्यतेऽनेनेति लिंगम्, तत्त्वं पंचलक्षणम् ... एतैः पंचलिंगस्येषपन्नं लिंगमनुमापकं भवति ।

—न्यायम० प० १०१ ।

८. उदयन, न्यायवा० ता० परि० १।१५ । केतव, उक्तवा० प० ८५, ।

किया है। उन्होंने^१ आसमीमांसामें व्यायसूत्रकारके^२ मतसे सहमति प्रकट करते हुए हेतुको अविरोधी (साध्यके साथ ही रहनेवाला—साध्याभावके साथ न रहनेवाला अर्थात् अविनाभावी—अन्यथानुपपत्त) होना चिह्नों आवश्यक बतलाया है। उनके व्याख्याकार अकलंकदेवने^३ उनका आशय उद्धाटित करते हुए लिखा है कि 'सर्वर्गीय साध्यस्य आधर्यात्' इस वाक्यके द्वारा समन्वयमें हेतुको विलक्षण सूचित किया है और 'अविरोधतः' पदसे अन्यथानुपपत्तिको दिखलाकर केवल विलक्षणको जहेतु प्रतिपादन किया है। उदाहरणस्वरूप 'तत्पुत्रत्वं' आदि असद् हेतुओंको लिया जा सकता है, जिनमें त्रैरूप्य तो है, पर अन्यथानुपपत्ति न होनेसे वे गमक नहीं हैं। किन्तु अन्यथानुपपत्ति हेतुओंमें उन्होंने गमकता स्वीकार को है। अतएव 'नित्यस्वीकान्तपक्षेऽपि चिकिया नोपश्चते' (आसमी० का० ३७) इत्यादि स्थलोंमें अन्यथानुपपत्तिका ही समाधय लिया गया है। तात्पर्य यह कि समन्वयमें अन्यथानुपपत्ति हेतुके प्रयोगको ही अनुमेयका साधक माना है।

पात्रस्वामी^४, सिद्धसेन^५, कुमारनन्दि^६, अकलंक^७, विद्यानन्द^८, माणिक्यनन्दि^९, प्रभाचन्द्र^{१०}, वादिराज^{११}, अनन्तवीर्य^{१२}, देवसूरि^{१३}, सान्तिसूरि^{१४}, हेमचन्द्र^{१५} घर्मभूषण^{१६}, यशोविजय^{१७} और चारकीर्ति^{१८} वादिने भाव अविनाभावी—अन्यथानुपपत्ति हेतुके प्रयोगको ही अनुमेयका साधक माना है।

१. सधर्मणोंव साध्यस्य साध्यादविरोधतः।

—आसमी० का० १०६।

२. उदाहरणसाध्यांसाध्यसाधने हेतुः। तथा वैभव्यात्।—न्यायस० १।१।४, ४५।

३. अष्टश० अष्टस० ८० २८९ (आ० मी० का० १०६ को विवृति)।

४. तत्त्वसं० ८० ४०६ में उद्धृत पात्रस्वामीका 'अन्यथानुपपत्त्वं' पद्ध।

५. न्यायाव० का० २१।

६. पञ्चपरी० में उद्धृत कुमारनन्दिका 'अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण' पद्ध।

७. न्या० वि�० का० २६९, म० स० का० २१, अक० य० ४७ ६६ तथा १०२।

८. य० परी० ८० ७०, ७१।

९. परी० सु० ३।१५।

१०. यमेयक० या० ३।१५, ८० ३५४।

११. न्या० वि�० वि�० २।१ ८० २। म० लि० ८० ४२।

१२. यमेयर० मा० ३।११, ८० १४१-१४२।

१३. म० न० त० ३।११, ८० ५६७।

१४. न्यायाव० या० ३।४४, ८० १०२।

१५. य० सी० २।१।१२।

१६. न्या० दो० ८० ७६।

१७. जैनतक्ष्मा० ८० १२।

१८. यमेयरत्नाक० ३।१५, ८० १०४।

यह हेतुप्रयोग वो तरह से किया जाता है—(१) तबोपपत्तिकमसे और (२) अन्यथानुपपत्तिरूपसे । तबोपपत्तिका वर्ण है साम्यके होनेपर ही साधनका होना^१; जैसे अभिनके होनेपर ही भूम होता है । और अन्यथानुपपत्तिका बास्थ है साम्यके अभावमें साधनका न होना हो^२; यथा अभिनके अभावमें भूम नहीं हो होता । यद्यपि हेतुके ये दोनों प्रयोग साधर्म्य और वैधर्म्य अवबा अन्वय और अवतिरेकके तुरूप हैं । किन्तु उनमें अन्तर है । साधर्म्य और वैधर्म्य अवबा अन्वय और अवतिरेकके साथ एकार नहीं रहता, अतः ये अनियत भी हो सकते हैं, पर तबोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिके साथ एकार होनेसे उनमें अनियमको सम्भावना नहीं है—दोनों नियतरूप होते हैं । दूसरे, ये दोनों अनात्मक हैं, जब कि साधर्म्य और वैधर्म्य अवबा अन्वय और अवतिरेक ज्ञयथर्मात्मक हैं । अतः जैन तार्किकोने उन्हें स्वीकार न कर तबोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिको स्वीकार किया तथा इनमेंसे किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त माना है^३ ।

(३) दृष्टान्त :

हम पोछे कह आये हैं कि जो प्रतिपादा अनुत्पन्न नहीं है, न बादाधिकारी है और न बादेच्छुक है, किन्तु तत्त्वलिम्बु है उन्हें अनुत्पन्न, बाल अवबा मन्दमति कहा गया है^४ । इनकी अवेक्षा अनुमेयकी प्रतिपत्तिके किए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन,

१. अनुत्पन्नप्रयोगस्तु तबोपपत्तिअन्यथानुपपत्तैव वा । आगमानयं देशस्तवेव भूमवस्त्रोपपत्तेषु भवस्त्रान्यथानुपपत्तैवाऽप्त्वा ।

—परोऽसु ३१५ ।

हेतुप्रयोगस्तेषुपपत्तिअन्यथानुपपत्तिमया द्विप्रकार इति ।

—प्र० न० त० ३१६, प० ५५५ । न्यायाव० का० १७ । प्र० मी० २११४ ।

२. सत्येव साध्ये हेतोपपत्तिस्त्रोपपत्तिरिति ।

—देवसूरि, प्र० न० त० ३१३ । त० श्लो० ११३।१७ ।

३. असति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिरिति ।

—बही, ३।३१, प० ५६० ।

४. (क) अनयोन्यतरयोगेत्यैव साध्यतिपत्तौ द्वितीययोगस्त्रैकानुपशोग इति ।

—प्र० न० त० ३।३३, प० ५६० ।

(ख) हेतोस्तवोपपत्त्या वा स्वात्प्रयोगोऽन्यथापिता ।

द्विविदोऽन्यतरयोगिपत्तिसिद्धिर्मन्त्रेदिति ॥

—सिद्धसेन, न्यायाव० का० १७ ।

(ग) नालयोन्तरात्ययेऽमेदः । अतएव नोमदोः प्रयोगः ।

—हमचन्द्र, प्र० मी० ३।१५, ६, प० ५० ।

५. बालाना त्वनुपन्नप्रश्नाना*** ।

प्रयोगक० मा० ३।४६ का उत्त्वानिकावाक्य, प० ३७६ ।

प्रयोग० मा० ३।४४ का उत्त्वानिकावाक्य तथा उसकी व्याख्या ।

मन्दमतीस्तु अनुपादयितु ॥ ।

—देवसूरि, प्र० न० त० ३।४२, प० ५४५ ।

उपलब्धसहित चार और निगमन सहित पाच अवयवोंके प्रयोगोंको भी जैन तार्किकोंमें^१ स्वीकार किया है। भद्रबाहु^२, देवसूरि^३, हेमचन्द्र^४, यशोविजय^५ आदि तार्किकोंने प्रतिशाशुद्धि आदि दश अवयवोंके प्रयोगको भी मान्य किया है। यहां इन सभ-पर क्रमशः विचार किया जाता है।

दृष्टान्तके लिए उदाहरण और निर्दर्शन शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है। न्यायसूत्रकारने^६ दृष्टान्त और उदाहरण दोनों शब्द दिये हैं तथा दृष्टान्तके बचनको उदाहरणका स्थलपृष्ठ बतलाया है। प्रशंसतपादने^७ निर्दर्शन शब्द प्रयुक्त किया है। न्यायप्रबोधकारने^८ दृष्टान्त शब्दको चुना है। घर्मकीर्तने^९ दृष्टान्तको साधनावयवन माननेसे उसका निर्देश केवल निरासार्थ किया है।

जैन तार्किकोंने दृष्टान्त, निर्दर्शन और उदाहरण तीनों शब्दोंका प्रयोग किया है। सिद्धसेनने^{१०} दृष्टान्त, अकलंकने^{११} दृष्टान्त और निर्दर्शन तथा माणिक्यनन्दने^{१२} दृष्टान्त, निर्दर्शन और उदाहरण तीनोंको दिया है।

ध्यातव्य है कि न्यायदर्शनमें दृष्टान्तको उदाहरणसे पृथक् स्वतन्त्र पदार्थके रूपमें भी प्रतिपादित किया है और उसका कारण एवं विशेष प्रयोगन मह बतलाया गया है^{१३}

१. प्रतिपादानुरोधेन प्रयोगोपयमात् । यथैव हि कस्त्वचित्प्रतिबोधस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सन्धाऽभियोग्यते तथा दृष्टान्तादिकमपि । कुमारनन्दभद्राकैरख्युकतम्—
प्रतिपादानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यथा । प्रातःक्षा प्रोच्यते तज्जेस्त्वदोदाहरणादिकम् ॥
—विद्यानन्द, पञ्चरी० १०० ३, माणिक्यनन्द । देवसूरि, प्र० न० १०० श० ४२ । हेमचन्द्र,
प्र० न०० २११०१० । घर्मभूषण, न्या० दी० १०० १०३ । यशोविजय, जैनतर्कभा०
१० १६ ।
२. दशव० नि० ना० ५०, ११७ ।
३. स्वा० रत्ना० श० ४२, १०५६५ ।
४. प्र० न०० २११०१० की स्वो० १०० १०० ५२ ।
५. जैनतर्कभा० १० १६ ।
६. न्यायस० ११११६ ।
७. प्रश० मा० १०० ११४, १२२ ।
८. न्यायम० १०० १ ।
९. तावतैवार्थमतीतिरिति न पृष्ठदृष्टान्तो नाम ॥
—न्या० वि० त० परि० १४ ६१ ।
१०. न्यायाव० का० १०, १६ ।
११. अल्लैकामन्द० १० ८०, ४२, १०६, १२७ ।
१२. परीक्षाम्ब० श० २७, ४०, ४७, ४८, ४९ ।
१३. दृष्टान्तविरोधेन हि प्रतिपादा: प्रतिपेक्ष्या भवन्ति, दृष्टान्तसमाखिना च स्वपक्षः:
स्वापनीया भवन्तीति, अप्यवेतु चोदाहरणाय कल्पत इति ।
—नास्त्वावन, न्यायमा० १११२५, १०० ४३ ।

कि दृष्टान्त-विवेचन से प्रतिपक्षियोंको बादमें रोका जा सकता है तथा दृष्टान्तसमाधानसे अपना पक्ष परिपूछ किया जाता है और अवयवोंमें उदाहरणकी कल्पना दृष्टान्तसे ही होती है।

गीतमने^१ दृष्टान्तका स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिस अर्थमें लौकिक और परीक्षक दोनों सहमत हों वह दृष्टान्त है। इस दृष्टान्तका प्रदर्शन ही उदाहरण है^२। उदाहरणहारा उन दो घरोंमें साध्य-साधनभाव पूछ किया जाता है^३ जिनके अविनाभावी एकको साधन और दूसरेको साध्य बनाया जाता है। उदाहरणसे अच्छुत्पन्न प्रतिपाद्यको सरलतासे अनुमेयका बोध हो जाता है। अक्षपादने^४ दृष्टान्तके सामान्यलक्षणके अतिरिक्त एक-एक सूत्रमें साध्यम्योक्त और वैधम्योक्त उदाहरणका स्वरूप बताया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें उदाहरणके दो मेद विवेचित हैं—(१) साधम्य और (२) वैधम्य।

प्रशस्तपादने^५ भी निदर्शनके दो भेदोंका निवेश किया है और वे अक्षपाद जैसे हो है। न्यायप्रबेशकारने^६ भी अक्षपादकी तरह द्विविध दृष्टान्तोंका प्रतिपादन किया है।

जैन तात्किक सिद्धसेनने^७ दृष्टान्तके उक्त दोनों भेद स्वीकार किये हैं। जहाँ साध्य और साधनमें व्यापिका निश्चय किया जाता है उसे साधम्य दृष्टान्त तथा

१. लौकिकपरीक्षकाणा यस्मिन्नन्दें तुडिसाम्यं स दृष्टान्तः ।

—न्यायस० १।१।२५।

२. साध्यसाधनार्थं दृष्टान्तं उदाहरणम् ।

—वही, १।१।३६।

३. उदाहितेऽनेन घर्म्योः साधनभाव इत्युदाहरणम् ।

—वात्स्याबन, न्यायाभा० १।१।३६, प० ५०।

४. न्यायस० १।१।२५, १।१।३६, ३७।

५. द्विविध निदर्शने साध्यम्येण वैधम्येण च । तत्रानुमेयसामान्येन लिङ्गसामान्यस्यानुविधान-दर्शनं साध्यम्यनिदर्शनम् । तथाचा—यत् कियावत् तद् द्रव्यं दृष्टं यथा शर इति । अनु-मेयविधम्ये च लिङ्गसामान्यदर्शनं वैधम्यनिदर्शनम् । तथाचा—यदद्रव्यं तद् कियावत् भवनि यथा संसेति ।

—प्रश्नो भा० प० १० १२।

६. दृष्टान्तो द्विविधः । साधम्येण वैधम्येण च । तत्र साधम्येण ताक्तु । यत्र हेतोः सप्तप्रयासित्वं स्याप्यते । तथाचा । यत्कृतक तदनिर्यं दृष्टं यथा बटादिरिति । वैधम्येण्यापि । यत्र साध्याभावं हेतोरमाव पव कर्यते । तथाचा । याज्ञत्वं तदकृतकं दृष्टं यथाकांश-मिति ।

—न्यायस० प० १,२।

७. न्यायाभा० का० १८, १९।

है। तथा जहाँ साध्यके न होने पर साधनका न होना स्थापित किया जाता है उसे वैषम्य दृष्टान्त बतलाया है। विशेष यह कि इसमें उन्होंने पूर्वशृंहीत व्यासिसम्बन्ध के स्मरणकी अपेक्षा भी बतलायी है। साथ ही वे अन्तर्वर्तिसे ही साध्य-सिद्धि होनेपर बल देते हैं और उसके अभावमें उदाहरणको व्यर्थ बतलाते हैं।

अकलंकका^३ मत है कि दृष्टान्त अनुमेय-सिद्धिमें सर्वत्र आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ समस्त पदार्थोंको क्षणिक सिद्ध करनेमें कोई दृष्टान्त प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सभी पदार्थ पक्षान्तर्गत हो जानेसे सप्तकां अभाव है। अतः विना अन्यके भी मात्र अन्तर्वर्तिसे क्षणिक सिद्धि सम्भव है। हाँ, जहाँ दृष्टान्त मिलता है उसे दिया जा सकता है। अकलंकके^४ दृष्टान्तका क्षण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जहाँ साध्य और साधन वर्मका सम्बन्ध निर्णीत होता है वह दृष्टान्त है।

माणिक्यनन्दिने^५ भी दृष्टान्तके दो भेदोंका निरूपण किया है। अन्तर यह है कि उन्होंने साध्यम् और वैषम्यम् के स्थानमें क्रमशः अन्य और व्यतिरेक शब्द दिये हैं। जहाँ साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति विस्तृत जाए उस स्थानको अन्यदृष्टान्त तथा जहाँ साध्यके अभावको दिखाकर साधनका अभाव दिखाया जाए उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहा है।

देवसूरि^६ व्यासिस्मरणके आस्पद (महानसादि)को दृष्टान्त कहते हैं। माणिक्यनन्दिने दृष्टान्तके सामान्यलक्षणका प्रतिपादक कोई सूत्र नहीं रखा। पर देवसूरि

१. अन्तर्वर्त्येव साध्यस्य सिद्धेवंहितदाहतिः ।
व्यष्टो स्यात् तदसद्वावेऽयेवं न्यायविदो विदुः ॥
—न्यायाव० का० २० ।
२. सर्वत्रैव न दृष्टान्तोऽन्यवेनापि साधनात् ।
अन्यथा सर्वशाश्वानामसिद्धोऽयं क्षणक्षयः ॥
—न्यायविं० का० ३८१ ।
३. समन्यो यत्र निर्णीतः साध्यसाधनवर्मयोः ।
स दृष्टान्तः तदामासाः साध्यादिविकल्पादयः ॥
—न्यायविं० का० ३८० ।
४. दृष्टान्तो देषा, अन्यवर्त्येवेक्षयात् ।
साध्यव्याप्तं साधने यत्र प्रदर्शयेते सोऽन्यवदृष्टान्तः ।
साध्याभावे साधनामादो यत्र क्रमते स व्यतिरेकदृष्टान्तः ।
—५० शु० ३।४७, ४८, ४९ ।
५. प्रतिबन्धगतिपत्तेरासदं दृष्टान्त हति ।
—५० न० १० ३।४९, ४० ५३७ ।

ने उसका प्रतिपादक सूत्र दिया है^१। इन्होंने^२ दृष्टान्तके द्विविधमें माणिक्यनन्दि की तरह अन्वय-व्यतिरेक शब्द न देकर सिद्धसेनकी तरह साधन्य-वैधम्य शब्द प्रयुक्त किये हैं। हेमचन्द्रने^३ इस सम्बन्धमें देवसूरिका अनुसरण किया है।

बर्मभूषणने^४ दृष्टान्तके सम्यक् वचनको उदाहरण और व्याप्तिके सम्प्रतिपत्ति-प्रदेशको दृष्टान्त कहा है। जहाँ वादी और प्रतिवादीकी बुद्धिसाम्यता (अविवाद) है उस स्थानको सम्प्रतिपत्ति-प्रदेश कहते हैं। जैसे रसोईशाला आदि अथवा तालाब आदि। क्योंकि वहाँ 'धूमादिकके होनेपर नियमसे अन्यादिक पाये जाते हैं और अन्यादिकके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति सम्भव है। रसोईशाला आदि अन्वय दृष्टान्त है, क्योंकि वहाँ साध्य और साधनके सदृभावरूप अन्वयबुद्धि होती है। और तालाब आदि व्यतिरेक-दृष्टान्त है, क्योंकि वहाँ साध्य और साधन दोनोंके अभावरूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है। ये दोनों ही दृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य और साधन दोनोरूप अन्त—अर्थात् बर्म जहा सदृभाव अथवा असदृभाव रूपमें देखे जाते हैं वह दृष्टान्त है, ऐसा दृष्टान्त शब्दका अर्थ उनमें निहित है। धर्मभूषण^५ एक विशेष बात और कहते हैं। वह यह कि दृष्टान्तका दृष्टान्तरूपसे जो वचन-प्रयोग है वह उदाहरण है। केवल वचनका नाम उदाहरण नहीं है। इसके प्रयोगका वे निदाशन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—जैसे, जो जो धूमवाला होता है वह वह अभिनवाला होता है, यथा रसोईधर, और जहाँ अभिन नहीं है वहाँ वूम भी नहीं है, जैसे तालाब, इस प्रकारके वचनके साथ ही दृष्टान्त-का दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन करना उदाहरण है।

१. प्र० न० त०, ३।४४, प० ५६७।

२. स देषा साधन्यंतो वैषम्यतत्त्वेति । यत्र साधनस्यामवद्यं साधनस्यामेत्तदा प्रकाशयते स साधन्यदृष्टान्तं इति । यत्र तु साध्याभावे साधनस्यावद्यमभावः प्रदृशयते स वैषम्यदृष्टान्तं ।

—भवी, ३।४४, ४५, ४६, प० ५६७, ५६८।

३. स न्यासिद्धान्तमूर्मिः । स साधन्यवैषम्याभ्या देवा । साधनस्यामप्रयुक्तसाधनस्यामेषोभी साधन्यदृष्टान्तः । साधनस्यामन्त्यृतिप्रयुक्तसाधनस्यामेषोभी वैषम्यदृष्टान्तः ।

—भगवान्मी० १।३।२०, २१, २२, २३, प० ४८।

४. उदाहरणं च सम्यग्दृष्टान्तवचनम् । कोऽयं दृष्टान्तो नाम । इति चेत्, क्षम्यते, आस्ति-सम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः । “तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्तः—हृदादिस्तु व्यतिरेक-दृष्टान्तः ।” दृष्टान्तो चौत्रो दृष्टान्तो भग्ने साधनसाधनरूपे यत्र स दृष्टान्तं शक्यानुवृत्ते । —न्यायदी० १० १०४-१०५ । प्रमेयक० नाम० ३।४७, प० ३७।

५. न्यायदी० प० १०५ ।

यसोविजयने^१ मन्दमति प्रतिपादोंके लिए दृष्टान्तादिका प्रयोग उपयुक्त माना है। पर उनका विवेचन नहीं किया।

भाषणिकात्मनिदेशके व्याख्याकार अन्तिम जैन तार्किक चाहकीतिको गंगेश और उनके अनुबर्ती नव्य नैदायिकों द्वारा विकसित नव्यव्यायके चिन्तनका भी अवसर मिला है। अतः उन्होंने इससे लाभ उठाकर अन्वयि-उदाहरण और व्यतिरेकि उदाहरणके सङ्गम नव्यव्यायको पढ़तिसे प्रस्तुत किये हैं^२। जैन परम्पराके लिए उनका यह नया आलोक है।

(४) उपनय :

उपनयका स्वरूप बतलाते हुए गौतमने^३ लिखा है कि उदाहरणकी अपेक्षा रखते हुए 'बैसा ही यह है' या 'बैसा यह नहीं है' इस प्रकारसे साध्यका उपसंहार उपनय कहलाता है। वात्स्यायनने^४ गौतमके इस कथनका विशदीकरण इस प्रकार किया है—जिस अनुमाताने साध्यके सादृश्यसे युक्त उदाहरणमें स्थाली आदि द्रव्य-को उत्पत्तिधर्मक होनेसे अनित्य देखा है वह 'शब्द उत्पत्तिधर्मक है' इस अनुमातामें साध्य—स्थाली आदि द्रव्यका भी उत्पत्तिधर्मकत्वमें उपसंहार करता है। इसी तरह जिसने साध्यके बैसादृश्यसे युक्त उदाहरणमें आत्मा आदि द्रव्यको अनुपत्तिधर्मी होनेसे नित्य जाना है वह शब्दमें नित्यत्व न मिलनेपर अनुत्पत्तिधर्मकत्वके उपसंहार-प्रति-वेषसे उसमें उत्पत्तिधर्मकत्वका उपसंहार करता है। उपसंहारका अर्थ है दोहराना। जिस अनुमानावयवमें उदाहरणकी प्रसिद्धिपूर्वक हेतुविशिष्टत्वेन अनुमेयको दोहराया जाए वह उपनय है। वात्स्यायनने^५ गौतमके आशयानुसार उदाहरण तथा हेतुकी तरह उपनयके भी अन्वय और व्यतिरेकरूप दो भेदोंका निर्देश किया है। उसोत्तर आदि उत्तरवर्ती सभी नैदायिकोंने न्यायसूक्तकार और वात्स्यायनका समर्थन किया है।

१. मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिमयोगोऽन्युपशुद्ध्यते... अस्तु प्रतिबन्धाहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, ते मति शृणान्तोऽपि ।

—जैन तंत्रमां १० १६ ।

२. अ अन्वयव्याप्तिविशिष्टहेतुवचिक्षणपूर्वतविशेषकसाध्यकारकवोधजनकवावयत्वमन्वयुदाहरणस्य लक्षणम् ।... व्यतिरेकव्याप्तिविशिष्टसाध्यावचिक्षणविशेषकसाध्यप्रकारकवोधजनकावयवत्वं अन्वयुदाहरणस्य लक्षणम् ।

—प्रमथरत्नालं १० ४७, ४९, १० १२०, १२१ ।

३. उदाहरणापेक्षात्प्रत्येक्षुपसंहारो न तवेति वा साध्यस्योपनयः ।

—न्यायम् १० १६ ।

४. न्यायमा० १० १६, १० ५१ ।

५. वहो, १० १६, १० ५१ ।

बोहोने उपनयको स्वीकार नहीं किया। अतः उसके तत्क्रमन्थोमें उसका विवेचन भर्ही है। पर ही, धर्मकीर्तिने^१ हेतुका प्रयोग साधम्य और वैधम्यरूपसे द्विविष बदलाकर उसीके स्वरूपमें उदाहरण और उपनयको अन्तर्भूत कर लिया है। उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है—‘जो सत् है वह सब ज्ञानिक है। जैसे घटादिक। और मत् शब्द है। तथा ज्ञानिकता न होनेपर सत्त्व भी नहीं होता।’ हेतुके इस प्रयोगमें स्पष्टतया उदाहरण और उपनयका प्रबोध है। पर धर्मकीर्ति उन्हें हेतुका ही स्वरूप मानते हैं—उन्हें पृथक् स्वीकार नहीं करते।

अनन्तवीर्य^२ और उनके अनुसर्ता हेमचन्द्रने^३ भीमासकोंके नामसे चार अवयवमान्यताका उल्लेख किया है, जिसमें उपनय सम्मिलित है। इससे ज्ञात होता है कि भीमासकोने भी उपनयको माना है। परन्तु यह मान्यता भीमासकतकप्रन्थोमें उपलब्ध नहीं हाती। सास्यविद्वान् युक्तिदीपिकाकार^४ भी अपने दशावयवोमें उपनयका कथन करते हुए पाये जाते हैं। किन्तु माठरने^५ उपनयको स्वीकार नहीं किया। केवल पक्ष, हेतु और दृष्टान्तको उन्होने अंगीकार किया है।

जैन परम्परामें गुद्धपिच्छ, समन्तभद्र और सिद्धसेनने उपनयका कोई निर्देश नहीं किया। अकर्लंक^६ मात्र ‘उपनयादिसम्भू’ शब्दों द्वारा उपनयका उल्लेख तो करते हैं, पर उसके स्वरूपादिका उन्होने कोई कथन नहीं किया। इतना अवश्य है कि वे^७ प्रतिपाद्यविशेषके लिए उसके प्रयोगका समर्थन करते जान पड़ते हैं। उपनयके स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन माणिक्यनन्दिने^८ किया है। वे कहते हैं कि पक्षमें हेतुके

१. तत्पृष्ठ : हेतुः । द्विभा प्रयःग. । साधम्येण एकः, वैधम्येणापरः । यथा—यत् सत् तत् सत् ज्ञानिकम् । यथा घटादयः । सदन् शब्दः । तथा, ज्ञानिकत्वाभाव सत्त्वाभावः । सर्वोपसाहारेण व्याप्तिप्रदर्शनलक्षणौ साधम्यवैधम्यप्रबोधी उक्तौ ।
—हेतुविद्वान् पृ० ५५ ।

२. ढा० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचिं० ग्रस्तावना पृ० १५ ।

३. प्रमेयर० मा० ३३२, पृ० १६४ ।

४. प० मी० २११, पृ० ५२ ।

५. साध्यदृष्टातयोरेकाक्षीप्रसंहार उपनयः ।

—युक्तिदी० का० ६, पृ० ४८ ।

६. माठरन० का० ५ ।

७. समोहन्यवच्छेदेन तत्त्वावधारणे स्वयं साक्षात्कुतेऽपि साधनवचने कथचित्तिश्चित्य
***वाचकं उपनयादिसम्भू ।

—प० स० का० ५४, अक० अध० पृ० १११ ।

८. तावद् प्रयोक्तव्य यावता साध्यसाधनमधिकरण प्रत्येति ।

—वही, स्व० १० प० १११ ।

९. हेतुकृपतंहार उपनयः ।

—परीक्षामू० १५० ।

तुहरानेका नाम उपनय है । प्रभाचन्द्रने^१ उनके प्रतिपादनका बहुत सुन्दर व्याख्यान किया है । उन्होंने लिखा है कि जिसके द्वारा साध्यधर्मीमें साध्याविनाभावित्वपसे अर्थात् पक्षधर्मरूपसे विशिष्ट हेतु उपदर्शित हो वह उपनय कहा जाता है । यथार्थ में उपनयवाक्यके द्वारा दृष्टान्त सादृश्यसे हेतुमें साध्याविनाभावित्वक्य पक्षधर्म-ताको पुष्टि की जाती है । अतएव उपनयको उपमान भी कहा गया है^२ । इसका उदाहरण है—‘उसी प्रकार यह धूमवाला है’ । अनन्तवीर्यका^३ भी यही मत है । देवसूरि^४ माणिक्यनन्द और प्रभाचन्द्रका ही अनुगमन करते हैं । हेमचन्द्रने^५ उपनयके स्वरूपका प्रतिपादक सूत्र तो देवसूरि जैसा ही दिया है । पर उसको वृत्तिमें उन्होंने^६ कुछ विशेषता व्यक्त की है । कहा है कि जिस पक्षधर्म-साधनकी दृष्टान्त-धर्मीमें व्याप्ति (साध्याविनाभाव), को जान लिया है उसका साध्यधर्ममें उपसंहार करना उपनय है और वह वचनरूप है । जैसे ‘और धूमवाला यह है’ । चार्ण-कीर्तिका^७ उपनयलक्षण नव्यन्यायके परिवेशमें ग्रथित होनेसे उल्लेखनीय है । व्याप्त रहे न्यायपरम्परामें जहा साध्य (पक्ष) के उपसंहारको उपनय कहा है वहाँ जैसे न्यायमें पक्षमें हेतुके उपसंहारको उपनय बतलाया गया है । वास्तवमें उपनयका प्रयोगम प्रयुक्त हेतुमें साध्याविनाभावित्वकी सम्पुष्टि करना है । अतः पक्षनिष्ठत्वेन हेतुके पुन अभिधानको उपनय कहा जाना युक्त है ।

(५) निगमन .

परार्थनुमानका अन्तिम अवयव निगमन है । निगमनका स्वरूप केते हुए गौठ-

१. उपनया हि साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टोऽसाध्यधर्मस्युपनोपते येनापदरूपते हेतुः सोऽभिधीयते ।
—प्रमेयक० मा० ३।५०, प० ३७७ ।
२. उपनय उपमानम्, दृष्टान्तधर्मसाध्यधर्मिणोः सादृश्यात् । ..
—प्रमेयक० म० ३।३७, प० ३७४ ।
३. हेतोः पक्षधर्मतोपसंहार उपनय इति ।
—प्रमेयक० मा० ३।४६, प० १७२ ।
४. हेतोः साध्यधर्मस्युपसंहरणमुपनयः इति । उपनीयते साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टोऽहेतुः साध्यधर्मस्युपदरूपते येन स उपनय इति स्मृत्यते ।
—प० न० त० स्वा० ८० ३।४७, प० ५९६ ।
५. धर्मिणा साधनस्तोपसंहार उपनयः ।
—प० मी० २।१।१४, प० ५३ ।
६. दृष्टान्तधर्मिणि विस्तृतस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः उपसंहारः स उपनयः उपसंहितेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमकांश्चायमिति ।
—वही, २।१।१४, प० ५३ ।
७. प० रत्नाल० ३।५०, प० १२१ ।

तत्त्वे^१ लिखा है कि हेतुके कथनपूर्वक प्रतिज्ञाका पुनः अभिभान करना अर्थात् युह-रान्मनिगमन है। इसे बात्स्यायन^२ उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार हेतुकथनके उपरान्त साधर्म्यप्रयुक्त अथवा वैधर्म्यप्रयुक्त उदाहरणका उपरान्हार किया जाता है उसी प्रकार 'उत्पत्तिष्ठर्मक होनेसे शब्द अनित्य है' इस तरह हेतुकथन-पूर्वक प्रस्तावित पक्षको युहराना निगमन कहलाता है। वे^३ निगमन-साध्य अर्थको बतानानेके लिए साधर्म्य और वैधर्म्य प्रयुक्त अनुमानप्रयोजक वाक्योंके विश्लेषणके सार्थ कहते हैं—'शब्द अनित्य है' यह प्रतिज्ञा है, 'उत्पत्तिष्ठर्मा होनेसे' यह हेतु है, 'उत्पत्तिष्ठर्मा स्थानी आदि द्रव्य अनित्य होते हैं' यह उदाहरण है, 'वैसा ही यह शब्द है' यह उपनय है, 'इसलिए उत्पत्तिष्ठर्मा होनेसे शब्द अनित्य है' यह निगमन है। यह तो साधर्म्यप्रयुक्त अनुमानप्रयोजक वाक्यका उदाहरण है। वैधर्म्यप्रयुक्त वाक्यका उदाहरण इस प्रकार है—'शब्द अनित्य है', 'क्योंकि वह उत्पत्ति थर्मा है', 'अनुपत्तिष्ठर्मा आत्मादि द्रव्य नित्य देखा गया है', 'यह शब्द वैसा अनुत्पत्तिष्ठर्मा नहीं है', 'इसलिए उत्पत्तिष्ठर्मा होनेसे शब्द अनित्य है'। तात्पर्य यह कि पंचावयवाक्यमें पाँचों (प्रतिज्ञासे निगमनतक) अवयव मिलकर परस्पर सम्बद्ध रहते हुए ही अनुमेयको प्रतिपत्ति करते हैं। निगमनका काम है कि वह यह दिक्षाये कि पहले कहे गये चारों अवयववाक्य एकमात्र अनुमेयको प्रतिपत्ति कराने की सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं। उच्छोतकर^४ और बाचस्पति मिश्रने^५ उपनय और निगमनको अवयवान्तर स्वीकार न करनेवालोंकी मीमांसा करते हुए उन्हें पृथक् अवयव माननेकी आवश्यकताका प्रदर्शन किया है। उनका यत है कि दृष्टान्तगत थर्म-की अव्यभिचारिताको सिद्ध करके उसके द्वारा साध्यगत थर्मको तुल्यताका बोध करानेके लिए उपनयको और प्रतिज्ञात अर्थके प्रमाणों (चार अवयववाक्यों) से उपपन्न हो जानेपर साध्यविपरीतका प्रसंग निवेद करनेके लिए निगमनकी आव-

१. ईत्यपदेशाप्रतिज्ञायः पुनर्बन्धनं निगमनम् ।

—न्यायम० १।१।३५ ।

२. न्यायमा० १।१।३६, प० ५२ ।

३. वही, १।१।३६, प० ५२ ।

४. सर्वेषामेकार्थप्रतिपत्ती सामर्थ्यप्रदर्शनं निगमनमिति ।

—न्यायमा० १।१।३६, प० ५३ ।

५. दृष्टान्तगतस्य थर्मस्थान्यभिचारित्वे सिद्धे तेज साध्यगतस्य तुल्यथर्मतः एवं चार्य कुतक हृति ।

प्रतिज्ञाविषयस्थार्थस्यात्मादेवमाणोपपत्तौ साध्यविपरीतमसंगमतिषेभावं चतु पुनरभिभान तत् निगमनमिति ।

—न्यायमा० १।१।३६, ३६, प० १३७ ।

६. न्यायमा० दा० दी० १।१।३६, ३६, प० २६६-१०१ ।

व्यक्ति एवं उपर्योगिता है। 'वाचस्पति' कहते हैं कि प्रतिक्षादि चार वस्तुओं के द्वारा हेतुके केवल तीन अवधा दो रूपोंका प्रतिपादन होता है, अवाभित्विषयत्व और अस्तप्रतिपक्षत्वका नहीं और अविनामाव-पांच अवधा चार रूपोंमें समाप्त होता है। अतः अवाभित्विषयत्व तथा अस्तप्रतिपक्षत्व इन दो रूपोंका संसूचन करनेके लिए निगमन आवश्यक है।

प्रशस्तपादने निगमन शब्दके स्थानमें 'प्रत्याम्नाय' शब्द रखा है और उसका स्वरूप प्रायः वही प्रस्तुत किया है जो न्यायपरम्परामें निगमनका है। पर अब देवेपर उसमें कुछ बैशिष्ठपृष्ठ परिलक्षित होता है।^२ उनका मन्तव्य है कि अनुमेय-रूपसे जिसका उद्देश्य किया गया है और जिसका निश्चय नहीं हुआ है, उसका दूसरों (प्रतिपादों) को निश्चय करानेके लिए प्रतिक्षाका पुनः अभिवान करना प्रत्याम्नाय है। जिन प्रतिपादोंने हेत्वादि चार अवधवाक्योंसे अनुमेय-प्रतिपत्तिकी शक्ति तो प्राप्त कर ली है, पर उसका निश्चय नहीं, उन्हें प्रत्याम्नायावाक्यसे ही अनुमेयका निश्चय कराया जाता है। इसके बिना अन्य सभी अवधा प्रत्येक अवधव अनुमेयका निश्चय नहीं करा सकते। अतः प्रत्याम्नायावाक्यके कहे जानेपर ही पंचावधवरूप पराधानुमानवाक्य पूर्ण होता है और वही पराधानुमितिमें सकाम है।

बौद्ध और मीमांसक उपनिषद्की तरह निगमनको भी नहीं मानते। अतः उनके न्याय-ग्रन्थोंमें उसका समर्थन न होकर निरास ही उपलब्ध होता है। अर्मकीतिने तो उपनिषद् और निगमन दोनोंको असाधनांग कहकर उनके कहने पर असाधनांग निप्रहस्यान बतलाया है। सांख्यविद्वान् युक्तिवाचिकाकार निगमनको मानते हैं। पर माठर उसे स्वीकार नहीं करते।

जैन तर्कवास्त्रमें निगमनका स्पष्ट कथन माणिक्यनन्दिने आरम्भ किया है। उनके बाद देवसूरि, हेमचन्द्र आदिने भी उसका निश्चय किया है। माणिक्यनन्दिने^३

१. चतुर्भिः स्त्वववद्येहेतोस्त्रीणि स्माधि दे वा प्रतिपोदिते न तत्त्वाभित्विषयत्वासम्पत्ति-पक्षत्वे । पंचमु वा चतुर्थं वा रूपेषु हेतोत्तिविनामावः परिसमाप्ते, तत्त्वादवाभित्वत्वात्-प्रतिपक्षितावद्युपदेशसंबोधनाय निगमनम् ।

—न्या० ता०, १।१।३६, प० १०१-१०२ ।

२. अनुमेयत्वेनीर्दिष्टे चानिश्चते च परेण निश्चयापादनार्थं प्रतिक्षावाः पुनर्वद्यत्वे प्रत्याम्नायः । *** न हेतुलिङ्गस्ति परेणामववदानां समस्तानां अस्तानां वा तद्यवाचक्तव्य-मस्ति । ***तत्पात् पंचाववदेतैव*** ।

—मस्त० मा० प० १२४-१२७ ।

३. प्रतिक्षायास्तु निगमनम् ।

—पटीक्षास्तु प० १५१ ।

प्रतिक्रिये मुहरानेको नियमन कहा है। प्रभावन्दृ^१ उस अवयवको नियमन करताते हैं जिहके द्वारा प्रतिक्रिया, हेतु, उदाहरण और उपलब्ध चारोंको साध्यरूप एक वर्षमें साधकरूपसे सम्भवित किया जाता है। अनन्तकीर्यको इन दोनों परिमाणावर्षमें कुछ कमी प्रतीत हुई है और जो कुक भी है। वे^२ उसमें 'पक्षकर्मविशिष्टरूपसे' इतना विशेषण और जोड़ देना आवश्यक समझते हैं। अर्थात् उसकी दृष्टिसे साध्य-कर्मविशिष्टरूपसे प्रतिक्रिया प्रदर्शन (मुहराना) नियमन है। जैसे 'भूमवाला होनेसे यह अनिवाला है।' देखाउर^३ और हैमचन्द्रका^४ नियमन-स्वरूप माणिक्य-नन्द और प्रभावन्दृ जैसा ही है। अर्थमूलशने^५ साधनको मुहराते हुए साध्यके नियमरूप वचनको नियमन कहा है। चारकीर्तिने^६ उपनयकी तरह नियमनका भी लक्षण नव्यपद्धतिसे प्रथित किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम दो अवयवों पर जैन तार्किकोने उतना बहु नहीं विद्या जितना आरम्भके अवयवों पर विद्या है। यही कारण है कि माणिक्य-नन्दसे पूर्व इनपर विवेचन प्राप्त नहीं होता। इससे हम यह निष्कर्बं निकाल सकते हैं कि पंचाक्षयकी मान्यता मुख्यतया नैयायिकोंतथा वैज्ञेयिकोंको है और वह बाद तथा शास्त्र सेवकोंसे समान रूपसे स्वीकृत है। पर जैन विचारकोने^७ बादमें तीन या दो तथा शास्त्रमें तीन, चार और पाँच अवयवोंका समर्थन करके उन्हें दो (बाद तथा शास्त्र) सेवकोंमें विभक्त किया है। अतएव अन्तिम दो या तीन अवयवोंको बादापेक्षया स्वीकार न करने पर भी शास्त्रकी अपेक्षासे उनका जैन तर्कप्रबन्धोंमें स्वरूप निरूपित है।^८

(६-१०) पंच शुद्धियाँ :

भद्रबाहुने^९ उक्त प्रतिक्रिया द्वारा पंच अवयवोंके अतिरिक्त उनकी पाँच शुद्धियाँ

१. मध्येष्ठक० मा० ३।४८, प० ३७७।
२. प्रतिक्रिया उपसंहारः साध्यविशिष्टत्वेन प्रदर्शनं नियमनम् ।
—प्रभेवर० मा० ३।४७, प० १७४।
३. म० न० त० ३।४८, प० ५६९।
४. ग्र० मी० ३।१।१५, प० ५६।
५. साधनानुवादपुरस्तर साध्यनियमवचनं नियमनम् । तस्मादग्निमालेवेति ।
—न्या० दी० १० १११।
६. पक्षतावच्छेदकामयिकालविद्योत्पादानिष्पितहेतु बाध्यताविशिष्टसाध्यतावच्छेदकाम-
विकल्पमवारताशास्त्रिकोषवनकावापकर्त्त नियमनस्त्रयमित्यर्थः ।
—प्रभेवरत्नाल० ३।५१, प० १२१।
७. मध्येष्ठर० मा० ३।४७, प० १७६।
८. परोक्षासु० ३।४८। म० न० त० ३।४८।
९. दसव० लि० मा० ४९, ५०।

भी प्रतिपादित की है और इस प्रकार उन्होंने विवाद-विविक दश लक्षणोंका कलन किया है। ये इस प्रकार है :—१. प्रतिज्ञा, २. प्रतिज्ञासुद्धि, ३. हेतु, ४. हेतुशुद्धि, ५. दृष्टान्त, ६. दृष्टान्तशुद्धि, ७. उपसंहार, ८. उपसंहारशुद्धि, ९. नियमन और १०. निगमनशुद्धि। 'देवसूरि', हेमचन्द्र^१, और दशोविवियन^२ भी उक्त दशावयवोंका समर्थन किया है। इन तार्किकोंका मन्त्रात्म है कि जिस प्रतिपादाको प्रतिज्ञादि पंचावयवोंके स्वरूपमें शंका हो या उनमें पक्षाभासादि दोषोंकी सम्भावना हो तो उस प्रतिपादाको उनके परिहारके लिए उक्त प्रतिज्ञाशुद्धि आदि पाँच शुद्धियों-का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भद्रबहुने^३ एक दूसरे प्रकारसे भी दशावयवोंका निरूपण किया है। उनके नाम है—१. प्रतिज्ञा, २. प्रतिज्ञाविभक्ति, ३. हेतु, ४. हेतुविभक्ति, ५. विपक्ष, ६. विपक्ष-प्रतिवेष, ७. दृष्टान्त, ८. आशंका, ९. आशंकाप्रतिवेष और १०. निगमन। पर इन दश अवयवोंका देव-सूरि आदि किसी भी उत्तरवर्ती जैन तार्किकने अनुगमन नहीं किया और न उनका उल्लेख किया है।

ध्यान रहे कि ये दोनों दशावयवोंकी मान्यताएँ इतेताम्बर परम्परामें स्थीकृत हैं। दिगम्बर परम्पराके तार्किकोंने उन्हें प्रथम नहीं दिया। इसके कारण पर विचार करते हुए पं० सुखलालजी संघवीने^४ लिखा है कि 'इस तफावतका कारण दिगम्बर परम्पराके द्वारा इतेताम्बर आगम-साहित्यका परिस्थान जान पड़ता है।' हमारा अध्ययन है कि दिगम्बर परम्पराके तार्किकोंने अपने तर्कग्रन्थोंमें न्याय और वैज्ञानिक परम्पराके पंचावयवों पर ही चिन्तन किया है, क्योंकि वे ही सबसे अधिक लोकप्रसिद्ध, चर्चित और सामान्य हैं। यही कारण है कि बात्स्यायन द्वारा समीक्षित और युक्तिदीपिकाकार द्वारा प्रतिपादित विज्ञासादि दशावयवोंकी भी उन्होंने कोई अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा नहीं की। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार बात्स्यायनने^५ पाँचों अवयवोंका प्रयोजन बतलाते हुए हेतु और उदाहरणकी परिशुद्धिका जिक्र किया है, जिसका आशय यह है कि दृष्टान्तगत साध्य-साधनशर्ममें साध्यसाधनभाव व्यवस्थित हो जाने पर साधनभूत शर्मको हेतु बनानेसे वह अनुभेदका अव्यविचारी होता है। तात्पर्य यह कि बात्स्यायनने निर्दोष हेतु और उदाहरणके प्रयोग द्वारा ही पक्षादि दोषपरिहार हो जानेका प्रतिपादन किया है।

१. ग्र० न० त० स्वा० रत्ना० १।४२, प० ५६५।

२. ग्र० मी० स्व० दू० रा० १।१।१५, प० ५३।

३. जैनतक्तमा० प० १६।

४. दशव० लि० गा० १६७।

५. ग्र० मी० भा० टि० प० १५।

६. भा० भा० १।१।१६, प० ५४।

३५८ : वैष्ण उत्तराखण्डमें अनुमान-विचार

उसी तरह दिग्भवर जैन तार्किकोंने भी पक्षादि दोषोंका परिचार साध्याविनाभावी हेतुके प्रयोग और प्रत्यक्षाद्यविचरण पक्ष (साप्त) के प्रयोग द्वारा ही हो जानेए उन्हें स्वीकार नहीं किया ।

‘प्रातव्य’ है कि हैमचन्द्रने^१ स्वार्थानुमानके प्रकरणमें साधन, पक्ष और दृष्टान्त का तथा परार्थानुमानके निरूपणाद्यसरपर प्रतिश्लो, हेतु, उदाहरण, उपनय और विवरणका कथन किया है । प्रतीत होता है कि उनका यह प्रतिपादन ज्ञानात्मक स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमानके अङ्गों और शब्दात्मक परार्थानुमानके अवयवोंके विभाजनकी दृष्टिसे हुआ है । पर माणिक्यनन्द^२ और उनके अनुशासी प्रभावन्द^३, अनन्तबीर्य^४, देवसूरि^५ आदिने ऐसा पुष्ट किया है, शब्दात्मक परार्थानुमानके पाँच अवयवोंका नहीं । इसे आचार्योंकी एक विवकाशीन निरूपण-पद्धति ही समझना चाहिए ।



१. य० म० ११२।१०, १६, २०-२१, २।।।११, १२, १३, १४, १५ ।

२. परोक्षात्मा ३।१७ ।

३. प्रभेयक० मा० ३।१७, ३।५२ का उल्लंघिका वाक्य प० ३।५७ ।

४. प्रभेयक० मा० ३।१६, ३० १५५ तथा ३।५६, ५५, ५६, ५७ और ५८ की उल्लंघि ।

५. य० य० ३० ३।२८, ४३-४६ ।

द्वितीय परिच्छेद

हेतु-विमर्श

१. हेतु-स्वरूप :

अनुमानका प्रधान आवार-स्तम्भ हेतु है। उसके बिना अनुमानकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतएव अनुमानस्वरूप और अवयव-विमर्शके प्रसङ्गमें हेतुके प्रयोगका विचार करते हुए उसके स्वरूपपर भी यत्किंचित् लिखा गया है। यही उसका कुछ विस्तारसे विचार प्रस्तुत है।

साधारणतया आममात्रता है कि हेतुका स्वरूप त्रिलक्षण अथवा पंचलक्षण है। परन्तु अध्ययनसे ज्ञानत होता है कि हेतुका स्वरूप त्रिलक्षण अथवा पंचलक्षण ही दार्शनिकोंने नहीं माना, अपितु एकलक्षण, द्विलक्षण, चतुर्लक्षण, षड्लक्षण और सप्तलक्षण भी उन्होंने स्वीकार किया है।

‘वक्षपादने’ उदाहरणसादृश्य तथा उदाहरणवैसादृश्यसे साध्यवर्मको सिद्ध करनेवाले साधनवचनको हेतु कहा है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वात्स्यायनने^१ लिखा है कि साध्य (पक्ष) और साधार्थ उदाहरण (सप्तक) में वर्म (साधन) के सद्ग्राव तथा वैवर्म्य उदाहरण (विपक्ष) में उसके असद्ग्रावका प्रतिसन्धान कर साध्यको सिद्ध करनेवाला साधनताका बचन हेतु है। जैसे—‘कवद अनित्य है’ इस प्रतिक्रियाको सिद्ध करनेके लिए ‘उत्पत्ति वर्मबाला होनेसे’ ऐसे बचनका प्रयोग करना। जो उत्पत्तिवर्मबाला होता है वह अनित्य देखा गया है। जो उत्पत्ति नहीं होता वह नित्य होता है—यथा आत्मादि द्रव्य। उद्घोतकरने^२ न्यायसूत्रकार और भाष्यकार दोनोंका विस्तारपूर्वक समर्थन किया है।

१. उदाहरणसाधार्मासाधनाभन्ने हेतुः । तथा वैषम्याद् ।

—न्यायस० १।१।३४, ३५ ।

२. साध्ये प्रतिसन्धाव वर्मसुदाहरणे च प्रतिसन्धाव तत्व साधनतावचनं हेतुः …‘उत्पत्ति-वर्मबालाद्’ इति । उत्पत्तिवर्मबालित्य इष्टमिति । उदाहरणवैभर्मार्थ साधनाभन्ने हेतुः । कवद् ? अनित्यः काप्तः उत्पत्तिवर्मबालाद्, अनुत्पत्तिवर्मकं मित्यम् ॥ यथा आत्मादिद्रव्यम् ।

—न्यायमा० १।१।३४, ३५; १०।४८, ४९ ।

३. न्यायमा० १।१।३४, ३५; १०।१६-१७ ।

द्विलक्षण : विलक्षण

बलपाद और उनके व्याख्याता बास्त्वायन तथा उद्योतकरके उपर्युक्त हेतुल-लभ-विवेचनपर व्यान देनेसे प्रतीत होता है कि उन्होंने हेतुको द्विलक्षण और त्रिल-क्षण स्वीकार किया है। उद्योतकर^१ व्यायसूत्रकार और व्यायभाष्यकारके अभिप्राय-का उपचाटन करते हुए कहते हैं कि प्रतिसन्धानका अर्थ है साध्यमें व्यापकत्व और उदाहरणमें सम्भव (सत्त्व)। और इस प्रकार हेतु द्विलक्षण तथा विलक्षण प्राप्त होता है। जब कहा जाता है कि उदाहरणके साथ ही साध्यम्य हो तो विपक्षको स्वीकार न करनेसे द्विलक्षण हेतु कठित होता है। और जब विपक्षको अंगीकार किया जाता है तो यह कठित होता है कि उदाहरणके साथ ही साध्यम्य हो, अनुदाहरणके साथ नहीं। सात्पर्य यह कि हेतुको साध्य (पक्ष) में व्यापक, उदाहरण (सपक्ष) में विद्यमान और अनुदाहरण (विपक्ष) में अविद्यमान होना चाहिए। और इस प्रकार त्रिलक्षण हेतु अभिहित होता है। उद्योतकरने^२ एक अन्य स्वलपपर भी सूत्रकारके अनुमानसूत्रगत 'त्रिविवरम्' का व्याख्यान्तर देते हुए लिङ्ग (हेतु) को प्रसिद्ध, सत् और असन्दिग्ध कहकर प्रसिद्धसे पक्षमें व्यापक, सत्से सजातीयमें रहनेवाला और असन्दिग्धसे सजातीयविनाभावि (विपक्षव्यावृत्त) बतलाया है और इस तरह हेतुको त्रिलक्षण अवश्य त्रिकृप प्रकट किया है। इससे जान पड़ता है कि व्याय-परम्परामें आरम्भमें हेतुको द्विलक्षण और त्रिलक्षण भाना गया है।

प्रशास्तपादने^३ काश्यपकी दो कारिकाओंको उद्घृत किया है, जिनमें लिंग और अलिङ्गका स्वरूप देते हुए कहा गया है कि लिंग वह है जो अनुमेयसे सम्बद्ध है, अनुमेयसे अन्वितमें प्रसिद्ध है और अनुमेयाभावमें नहीं रहता है। ऐसा लिंग अनु-

१ सोऽर्थं हेतुः साध्योदाहरणाभ्यां प्रतिसंहितः । किं पुनरस्य प्रतिसन्धानम् ? साध्ये व्याय-कथं उदाहरणे च सम्भवः । एव द्विलक्षणस्त्रिलक्षणश्च हेतुर्भ्यते । उदाहरणनैव साध्यम्यमित्येव शुद्धाऽनुप्रयत्नविषयस्यायुदाहरणेनैव साध्यम्यमिति द्विलक्षणोऽपि हेतुर्भवतीयुक्तम् । यदा पुनर्विपक्षमन्युपैति उदाऽयुदाहरणेनैव साध्यम्य नानुदाहरणे-नेति त्रिलक्षणो हेतुरित्युक्तं मवति ।

—व्याख्या० १।१।१४; पृ० ११६ ।

२. अवश्य त्रिविवरिति त्रिकृप मसिद्दसदसन्दिग्धतामात्र । मसिद्दमिति पक्षे व्यापकं, सदिति सजातीयेऽस्ति, असन्दिग्धमिति सजातीयविनाभावि ।

—व्याख्या० १।१।१५, पृ० ४९ ।

३. यदनुमेयसे सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते ।

उद्धारे च नास्तयेव तत्त्वंगमनुमापकर् ।

विपरीतमतो यस्त्वादेकेन द्वित्वेन च ।

विकदासिद्दसन्दिग्धमितिं काश्यपोऽबोत ॥

—पक्ष० मां पृ० १०० ।

मैयका अनुभापक होता है। इससे विपरीत अर्किंग (लिङ्गाभास) है। यहाँ 'अनु-
मेयसे सम्बद्धका पक्षधर्म, 'अनुमेयसे अन्वितमें प्रसिद्ध' का सपक्षमें विद्यमान और
'अनुमेयाभावमें नहीं रहता है' का विपक्षमें अविद्यमान धर्म है। काशयपके इस
प्रतिपादनसे अवगत होता है कि उन्हें हेतु विरूप अभिमत है। उद्योतकरने^१ न्याय-
वार्तात्मकमें एक स्थलपर 'काइवीथम्' शब्दोंके साथ कणादका संशयलक्षणवाला
'सामान्यप्रस्तवकात्'^२ आदि सूत्र उद्भूत किया है। उद्योतकरका यह उस्तेज यदि
अभ्यान्त है तो यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि काशयप कणादका ही नामान्तर था,
जिन्होंने वैशेषिकदर्शनका प्रश्नयन एवं प्रबल्तन किया है। और तब हेतुको विरूप माल-
नेका सिद्धान्त कणादका है और वह अजपादसे भी पूर्ववर्ती है, यह दुइतापूर्वक
कहा जा सकता है। प्रश्नस्तपादने^३ कणादका समर्थन करते हुए उसका विद्यवीक-
रण किया है।

सांख्य विद्वान् माठरने^४ भी हेतुको विरूप बतलाया है।

बौद्ध तात्किं न्यायप्रवेशकारने^५ भी हेतुको विरूप प्रतिपादन किया, जिसका
अनुसरण धर्मकीर्ति^६ प्रभृति सभी बौद्ध विचारकोंने किया है।

इस प्रकार नैयायिको, वैशेषिकों, सांख्यों और बौद्धों द्वारा हेतुका लक्षण वैरूप्य
माना गया है। यसपि हेतुका वैरूप्य लक्षण बौद्धोंको ही मान्यताके रूपमें प्रसिद्ध है,
नैयायिको, वैशेषिको और सांख्योंकी मान्यताके रूपमें नहीं। इसका कारण यह
प्रतीत होता है कि वैरूप्य और हेतुके सम्बन्धमें जितना सूक्ष्म एवं विस्तृत विचार
बौद्धतात्मिकोंने किया तबा हेतुवार्तिक^७, हेतुविन्दु जैसे तात्त्विक स्वतन्त्र ग्रन्थोंका
प्रश्नयन किया, उतना अन्य विद्वानोंने न विचार ही किया और न कोई उस विषयकी
स्वतंत्र कृतियोंका निर्माण किया; पर उपर्युक्त अनुशूलनसे प्रकट है कि हेतुके
वैरूप्यस्वरूपकी मान्यता वैशेषिकों, नैयायिकों और संख्योंकी भी रही है और

१. न्यायवा० प० ५६।

२. वैशेषिकद० २।२।२।७।

३. अद्यनुमेयाद्येन...सहचरितमनुमेयधर्मान्विते चान्द्रव...पदिवमनुमेयविपरोडे च...
प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्तुमात्रं लिङ्गं भवतीति।...

—प्रश्न० मा० प० १००, १०१

४. साख्यका० माठरह० का० ५।

५. हेतुविरूपः । किं पुनर्लैक्यम् । पक्षसमेतम्, उपक्षे समेत्, विपक्षे चास्त्रमिति ।
—न्यायप्र० प० १।

६. न्यायवि० प० २२, २३ । हेतुवि० इ० ५२ । उपर्युक्त का० ११८२ आदि ।

७. न्यायवा० प० १२६ वर अस्तित्वित ।

वह बोझोंकी अपेक्षा प्रायः प्राचीन है। बोझोंकी त्रिकृप हेतुकी मान्यता सम्भवतः इसुबन्धु और दिनामसे आरम्भ हुई है।

चतुर्लक्षण : पंचलक्षण :

नैयायिकोंकी द्विलक्षण और विलक्षण हेतुकी दो मान्यताओंका उमर निर्देश किया गया है। उद्योतकर^१ और वाचस्पति मिथके^२ उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि न्यायपरम्परामें चतुर्लक्षण और पंचलक्षण हेतुकी भी मान्यताएँ स्वीकृत हुई हैं। वाचस्पतिने स्पष्ट लिखा है कि दो हेतु (केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी) चतुर्लक्षण हैं तथा एक हेतु (अन्वयव्यतिरेकी) पंचलक्षण। जयन्तभट्टका^३ मत है कि हेतु पंचलक्षण ही होता है, अपंचलक्षण नहीं। अतएव वे केवलान्वयीको हेतु ही नहीं मानते। शंकर मिथने^४ हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंको हेतुलक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्वयव्यतिरेकी हेतुमें पांच और केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुओंमें चार ही रूप गमकतोपयोगी बतलाये हैं। उन्हें पश्चात्यत्व, सप्तकास्त्व और विपक्षास्त्वमें अवाधितविषयत्वको मिलाकर चार तथा इन चारमें अस्तप्रतिपक्षत्वको सम्मिलित करके पांच रूप स्वीकार किये गये हैं। जयन्तभट्टका मत है कि गौतमने पांच हेत्वाभासों का प्रतिपादन किया है, अतः उनके निरासार्थ हेतुके पांच रूप मान्य हैं^५। वैशेषिक^६ और बोझोंने^७ भी हेतुके तीन रूपोंके स्वीकारका प्रयोजन अपने अभियंत तीन हेत्वाभासों (असिद्ध, विशद और सन्दिग्ध) का निराकरण बतलाया है। यहाँ वाचस्पति^८ और जयन्तभट्टकी^९ एक नवी बात उल्लेखनीय है। उन्होंने जैन तांत्रिकों द्वारा अभियंत हेतुके एकलक्षण अविवाभावके महत्व एवं अनिवार्यताको

१. वाचस्पतिनिधि, न्यायवा० ता० दी० १।१५, प० २८९। तथा प० १८९।

२. चाचादात्, प्रत्यक्षानामाविवद्द जैयेव चतुर्लक्षणं पंचलक्षणमनुमानमिति।
—न्यायवा० १।१५, प० ४६।

३. तत्र चतुर्लक्षणं इवम्। एकं पंचलक्षणमिति।
—न्याय० ता० दी० १।१५, प० १७४।

४. केवलान्वयी हेतुलाल्लयेव अर्थपंचलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्।
—न्यायकल्प० प० ९७।

५. वैशेषिक० उप० प० १७।

६. जयन्तभट्ट, न्यायकल्प० प० १४।

७. वैशेषिक० स० ३।१।१५। मण० पा० प० १००।

८. न्यायग्र० प० ३। मणायवा० १।१७।

९. यशविनामावः पंचतु चतुर्श्च वा छिंगस्य समाप्ते शतविनामावेनैव। सर्वाणि छिंगस्याणि संगृहान्ते, तत्पारीह मसिद्धसच्चाद्याम्बां दद्योः संग्रहे गोवलीवर्दन्वयेव तापरित्यन्य विपक्षव्यतिरेकासाप्रतिपक्षत्वाविविषयत्वानि संगृहान्ति।
—न्यायवा० ता० दी० १।१५, प० १७८।

१०. एतेवुं पंचलक्षणेषु अविवाभावः समाप्ते। —न्यायकल्प० १।

स्वीकार कर उसे पंचलक्षणोंमें समाप्त माना है। अर्थात् उसे पंचलक्षणका प्रकार किया है। वाचस्पति तो यह भी कहते हैं कि एक अविनाभावके द्वारा ही हेतुके पौर्णों खण्डोंका संयह हो जाता है। उनके इस कथनसे अविनाभावका महत्व स्पष्ट प्रतीत होता है। पर वे उसे तो त्वाप देते हैं, किन्तु पंचलक्षण या चार अलक्षण-बाली अपनी व्यायपरम्पराके भोगको नहीं छोड़ सके। इस अध्ययनसे स्पष्ट है कि व्यायपरम्परामें हेतुव्यष्टिकी त्रिलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण और पंचलक्षण ये कार मान्यताएँ रही हैं। उनका कोई एक निश्चित पक्ष रहा हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। पर ही, पंचलक्षण हेतुलक्षण उत्तरकालमें अधिक मान्य हुआ और उसीकी भीमांसा अन्य ताकिकोने की है।

भीमांसक विद्वान् शालिकामाधवने^१ त्रिलक्षण हेतुका निर्देश किया है। पर उनके त्रिलक्षण अन्य दार्शनिकोंके त्रिलक्षणोंसे भिन्न हैं और वे इस प्रकार हैं—(१) नियतसम्बन्धैकदर्शन, (२) सम्बन्धनियमस्मरण और (३) अवाधितविषयत्व।

षड्लक्षण :

‘षट्कीर्तिने’ हेतुविन्दुमें नैयायिकों और भीमांसकोंको किसी मान्यताके आधार-पर हेतुके षड्लक्षणका निर्देश किया है। इन षड्लक्षणोंमें—(१) पक्षघर्मत्व, (२) सप्तसास्त्व, (३) विपक्षास्त्व, (४) अवाधितविषयत्व, (५) विवक्षितैकसंवयत्व और (६) ज्ञातत्व ये छह रूप हैं। यद्यपि यह षड्लक्षण हेतुकी मान्यता न नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है और न भीमांसकोंके यहाँ। फिर भी सम्भव है किसी नैयायिक और भीमांसकका हेतुको षड्लक्षण माननेका पक्ष रहा हो और उसीका उल्लेख षट्कीर्ति तथा उनके टीकाकार अर्चन्दने किया हो। हमारा विचार है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान लिङ्गको और भाद्रमीमांसकोंने ज्ञातताको अनुमितिमें करण कहा है और जिसका उल्लेख करके समालोचन विवरनाथ पंचानन्दने^२ किया है, सम्भव है षट्कीर्ति और अर्चन्दने उसीका निर्देश किया है।

१. उसमाल्यैमिदमनुमानकारणप्रसिद्धमर्ग—नियतसम्बन्धैकदर्शन सम्बन्धनियमस्मरण चालाभक्तर्व चालाधितविषयत्व चेति ।

—प्रकार० पंचि० १० २१२ ।

२. (क) षट्लक्षणो हेतुरित्यपरे । ओणि चैतानि अवाधितविषयत्वं विवक्षितैकसंवयत्वं ज्ञातत्वं च ।

—हेतुवि० १० ६८ ।

(च) षट्लक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायिकीमांसकाद्यो मन्यन्ते ॥

—अर्चन्द, हेतुवि० ठी० १० २०५ ।

३. (क) मालीनाल्लु व्याख्येय शालमाले लिङमनुमित्तिकृत्यविति कदन्ति ॥

—सिकान्तम् शा० ६७, १० ५० ।

(च) मालाला मरे शालमलीन्द्रिवर्ग् । शालमन्दा ज्ञातता तथा ज्ञानमनुमोदते ।

—यही, १० ११९ ।

१९७ : जैन लक्षणसमेत अन्यान्यविचार

लक्षणविचार :

जैन तार्किक वादिराजने^१ न्यायविनिश्चयविवरणमें हेतुकी एक सप्तलक्षण भास्यकाका भी सूचन करके उसकी समीक्षा की है। उनके अनुसार सप्तलक्षण इस प्रकार है—(१) अन्यथानुपपत्तित्व, (२) शातत्व, (३) व्यापितविषयत्व, (४) असत्प्रतिपक्षत्व और (५-७) पक्षर्थमत्वादि तीन। पर यह भास्यका किसकी है, यह उन्होंने नहीं बतलाया और न अन्य साधनसे ज्ञात हो सका।

जैन तार्किकों द्वारा स्वीकृत हेतुका एकलक्षण : अन्य लक्षण-समीक्षा :

जैन विचारकोंने हेतुका स्वरूप एकलक्षण स्वीकार किया है, जो व्यविनामाद वा अन्यथानुपपत्तित्व है और जिसकी भीभास्या उद्घोतकर^२ (ई० ६००) तथा शान्तरक्षित^३ (ई० ७०५-७६३) ने की है। उसका मूल स्वामी समन्तभद्रकी ज्ञासनीमासागत 'व्यक्तिरोधतः'^४ पदमें सञ्चिहित है। उनके अन्यथाकार बकलकू-देवते^५ उसे 'एकलक्षण' हेतुका प्रतिपादक कहा है। विद्यानन्दने^६ भी उसे हेतु-लक्षण-प्रकाशक बतलाया है।

समन्तभद्रके पश्चात् पात्रस्वामीने स्पष्टतया हेतुका लक्षण एकमात्र 'अन्यथानु-पत्तित्व' (व्यविनामाद) प्रतिपादित किया और वैरूप्यकी समीक्षा की है, जिसका विस्तृत उद्धरण पात्रस्वामीके मतके रूपमें शान्तरक्षितने^७ तत्कासंग्रहमें उप-

१. अन्यथानुपत्तित्वादिभिक्षुभुविभिन्न सप्तलक्षणो हेतुरिति त्रयेषेति किम्—न्यायविदि० विदि० २।१४५, पृ० १७८-१८०।
२. (क) एतेन तात्त्वग्विनामाभिविक्ष्योपदर्शने हेतुरिति प्रख्युक्तम्।—न्यायविदा० १।१५, पृ० ५५।
(क) तात्त्वग्विनामाभिविक्ष्योपदर्शने हेतुरित्यर्थे... तात्त्वा विदा न भवति।—वही, १।११५, पृ० १३१।
३. तत्त्वर्थं का० १३६-१३७।
४. सप्तमंगेव द्वायस्य साधमर्यादिकिरोधतः।—आहमी० का० १०६।
५. सप्तकेषैव साध्यस्य साधमर्यादित्यनेन हेतोन्नेत्रेणाभ्यम्, अविद्योपादित्यन्यथानुपत्ति च दर्शयता केवलस्य विक्षेपस्यासाधनत्वमुक्ते रहपुण्यवादित्यत्। एकलक्षणस्य तु गम-कार्य...हति वक्षुलमन्यथानुपत्तेरेव समाधिकारात्।—वहात० वहात० पृ० २८६, का० ८०० का० १०५।
६. मनवन्तो हि हेतुलक्षणमेव भक्षासामन्ति।—वहात० पृ० २८६, का० ८०० का० १०५।
७. तत्त्वर्थं का० १३६-१३७।

सम्भव है। बाचार्य अनन्तवीर्यके^१ उत्सेवानुसार पात्रस्वामीने 'अन्यथानुपपत्तत्व'
को हेतुलक्षण सिद्ध करने और वैख्यको निरस्त करनेके लिए 'विकल्पव्यवहारधर्म'
नामक महत्वपूर्ण तर्कभूमि रचा था, जो आज अनुपलक्षण है और जिसके वस्तितत्व-
का मात्र उत्सेव मिलता है। पात्रस्वामीके उक्त हेतुलक्षणको परबर्ती सिद्धेव^२,
मकलकृ^३, कुमारनन्दित्य^४, वीरसेन^५, विद्यावन्द^६ आदि जैन वार्किंगोंने अनुसृत एवं
विस्तृत किया है।

पात्रस्वामीका मन्त्राभ्य है कि जिसमें अन्यथानुपपत्तत्व (अन्यथा—साध्य-
के वभावमें अनुपपत्तत्व—नहीं होना, अविनाभाव) है वह हेतु है, उसमें नैसर्य
रहे, चाहे न रहे, तथा जिसमें अन्यथानुपपत्तत्व नहीं है वह हेतु नहीं है उसमें
वैख्य रहनेवाले भी वह बेकार है। इस दोनों (अन्यथानुपपत्तत्वके सद्गमाव और
असद्गमाव) स्थलोंके यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(१) एक मुद्रार्थके बाद शाकट नामकका उदय होगा, क्योंकि कृतिकाल
उदय है। इस सद-अनुमानमें कृतिकोदय हेतु रोहिणी नामक पश्चमें नहीं रहता,
अतः पक्षघर्मत्व नहीं है। पर कृतिकोदयका शाकटोदय साध्यके साथ अन्यथानुपपत्तत्व
होनेके कारण वह गमक है और सद्गत है।

(२) गर्भस्थ मैत्रीपुरुष स्थान होना, क्योंकि वह मैत्रीका पुर है, अन्य पुरोंकी
तरह। इस असद-अनुमानमें पक्षघर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षासत्त्व दीनों हैं।
परन्तु तत्पुत्रत्वका स्थानमत्वके साथ अविनाभाव नहीं है और इसलिए तत्पुत्रत्व हेतु
स्थानमत्वका गमक नहीं है और न सद्गत है।

फलस्तः सर्वत्र हेतुलक्षणमें अन्यथानुपपत्तत्वके सद्गमयसे गमकता और असद्गमयसे
अगमकता है। पात्रस्वामीके इस मतको यहाँ तत्पत्रंश्रहसे उद्धृत किया जाता है—

अन्यथानुपपत्तत्वे ननु इति सुवेदुता ।

वासिति अंशकस्त्वापि तस्मात्कलीवास्त्रिकाभाणाः ॥

अन्यथानुपपत्तत्वं वस्त्वासौ हेतुरिष्वते ।

मृकलक्षणः सोऽयैक्यतुलक्षणको न वा ॥

१. अनन्तवीर्य, सिद्धिविदि० ६।२, पृष्ठ ३७।-३७२।

२. न्यायाव० का० ३८।

३. न्यायविदि० का० २।१५४, १५५, य० १७०।

४. ममालय० प० ७२ में विकासनद्वारा उक्त कुमारनन्दिका 'अन्यथानुपपत्तेकल्पत्व'

—वाच्य ।

५. एक० दी० वचला ५।५४, य० २८० लक्ष खापाधि०, य० १५५।

६. ममालय० प० ५२। द० एक० मा० १।१३।१५३, प० २०६।

१९६ : जीव एकलास्त्रमें अनुमान-विचार

अन्यथानुपपन्नत्वं यज्ञ तत्र ग्रयेण किम् ।

अन्यथानुपपन्नत्वं यज्ञ तत्र ग्रयेण किम् ॥

तेवैकलक्षणो हेतुः प्राप्तान्याद् गम्भोऽस्तु नः ।

पश्चचमेस्वादिभिस्तत्त्वन्यैः किं पर्यायैः परिकल्पितैः ॥^१

उत्थानिकावाक्य सहित इन कारिकाओंसे विदित है कि पाप्रस्वामीने हेतुका लक्षण अन्यथानुपपन्नत्व माना है ।

कमारलन्द भट्टारकने^२ भी अन्यथानुपपत्तिकृप एकलक्षणको ही लिंगका स्वरूप स्वीकार किया है । सिद्धसेतने^३ अन्यथानुपपन्नत्वको हेतुलक्षण माननेकी जैन तर्किकों-की प्रसिद्धिको बतलाते हुए उसे ही हेतुलक्षण अंगीकार किया है । विशेष यह कि उन्होंने^४ हेतुको साध्याविनाभावी कहकर अविनाभावको अन्यथानुपपन्नत्वका पर्याय प्रकट किया है, जिसका उत्तेज समन्तभद्र^५ पहले ही कर चुके थे । अकलंकने^६ सूक्ष्म और विस्तृत विचारणाद्वारा पाप्रस्वामीके उक्त हेतुलक्षणको पुष्ट किया है । न्यायविनिष्ठय^७ और प्रमाणसंग्रहमें^८ 'प्रकृताभावेऽनुपपन्नं साधनं' अर्थात् जो साध्यके अभावमें न हो वह साधन है । और लघीयस्त्रयमें^९ 'किंगास्ताप्याविनाभावामिनिष्ठौकलक्षणात्' अर्थात् साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित है वह लिंग है, यह कह कर उन्होंने अन्यथानुपपन्नत्व अथवा अविनाभावको ही हेतु-लक्षण समर्पित किया है । न्यायविनिष्ठयमें^{१०} एक स्थलपर पाप्रस्वामीकी 'अन्यथा-

१. तत्त्वस का० १३६४, १३६५, १३६६, १३७६, प० ४०५-४०७ ।

२. अन्यथानुपपत्तेकलक्षणं लिंगमयते ।

—उद्भूत, प्रमाणय० प० ७२ ।

३. अन्यथानुपपत्तें हेतुलक्षणमोरितम् ।

—न्यायाव० का० २२ ।

४. साध्याविनाभुवो हेतोः ॥

—वही, का० १३ ।

साध्याविनाभुवो लिंगात् ॥

—वही, का० ५ ।

५. आप्तमां० का० १७, १८, ७५ ।

६. न्यायविं० का० ३२३ ।

७. न्यायविं० का० २६९, अकलंकय० प० ६६ ।

८. प० सं० का० २१, अकलंकय० प० १०२ ।

९. (क) लघीय० का० १२, अकलंकय० प० ५ ।

(ल) साध्याविनाभावामिनिष्ठयैकलक्षणो हेतुः ।

—प्रमाणसं० स्वो० व० का० २१, अकलंकय० प० १०२ ।

(ग) त्रिलक्षणयोगेऽपि अधावनेकलक्षणं तत्रैव साधनसामर्थ्यंपरिनिष्ठिते । तदेव

प्रतिकृथः पूर्वदोत्तरसंयोग्यादिसम्बन्धेतुपतिष्ठापकम् ।

—अष्टक० अष्टक० प० २६६, का० ८०० का० १०६ ।

१०. न्या० विं० का० ३२३ ।

‘मुपन्नत्वं’ कारिकाको उसकी ३२३ चर्चा कारिकाके सूर्यमें प्रस्तुत करके उसे अन्य-
का ही अंग बना लिया है। जहाँ अन्यथानुपन्नत्व नहीं है उन्हें वे हेत्वाभाव बत-
लाते हैं और इस तरह परकल्पित स्वभावादि, वीतादि, संयोगादि और पूर्ववदादि
हेतुओंको उन्होंने अन्यथानुपन्नत्वके सद्ग्रावमें हेतु और असद्ग्रावमें हेत्वाभावसे घोषित
किया है। तात्पर्य यह कि अकलंक भी अन्यथानुपन्नत्व अथवा अविनाभावको हेतुका
प्रशान और एकलक्षण भानते हैं। तथा चिलक्षणोंको उसके बिना अनुपयोगी,
ब्यर्थ और अकिञ्चित्कर प्रतिपादन करते हैं।^१

धर्मकीर्तिने^२ भी यद्यपि अविनाभावको स्वीकार किया है, पर वे उसे उक
पक्षधर्मत्वादि तीन रूपों तथा स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि इन तीन हेतुमेंदोन्हें
ही सीमित प्रतिपादित करते हैं। अकलंकने^३ उनके इस मतको आलोचना करते
हुए कहा है कि कितने ही हेतु ऐसे हैं जिनमें न पक्षधर्मत्वादि हैं और न वे उक
तीन हेतुओंके अन्तर्गत हैं। पर उनमें अविनाभाव पाया जाता है। यथा^४—

(१) मुहूर्तान्तरमें शकटका उदय होगा, क्योंकि कृतिकाका उदय है।

यहाँ कृतिकाका उदय हेतु पक्ष—शकटमें नहीं रहता, अतः उसमें पक्षधर्मत्व
नहीं है। कोई सपक्ष न होनेसे सपक्षसत्त्व भी नहीं है। इसी प्रकार कृतिकाका
उदय शकटोदयका न स्वभाव है और न कार्य। तथा उपलभ्यकृप होनेसे उसके
अनुपलभ्य होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। अतः केवल अविनाभावके बलसे वह
अपने उत्तरवर्ती शकटोदयका गमक है।^५

(२) कल प्रातः सूर्यका उदय होगा, क्योंकि आज उसका उदय है।

यहाँ आजका सूर्योदय कलके प्रातःकालीन सूर्यमें नहीं रहता, अतः पक्षधर्मत्व

१. न्या० विं० का० ३४३, अकलंकम् ४० ७६।

२. न्या० विं० का० ३७०, ३७१, ४० ७९।

३. हेतुविं० ४० ५४।

४. लघोय० का० १३, १४, न्यायविं० का० ३३८, ३३९।

५. मविष्यत् प्रतिष्ठेत शकटं कृतिकोदयात् । यद्य आदित्य उद्देतेति ग्रहण वा मविष्यति ॥
—लघोय० का० १४।

६. शकटं रोहिणी भर्ती मुहूर्तान्ते मविष्यतुदेष्यरिति साध्यधर्मः, कुतः १ कृतिकोदयादिति
साध्यम् । न खलु कृतिकोदयः शकटोदयस्य कार्यं स्वभावो वा, केवलमाननामावबलाद्
गमयन्ते व्यवहारम् ।—तथा यद्य प्रातः आदित्यः सूर्यः उद्देता उद्देष्यति अद्यादित्योद-
यतिदिति प्रतिष्ठेत । तथा इन्होंनाहर्णं रात्रिसक्षों मविष्यति एवविषफलकांकार्दिति वा
प्रतिष्ठेत सर्वधर्मविचारात् ।

—अभ्यवचनन्द्रवर्ति, लघोय० का० ३० ४० ३३ ।

नहीं है। इसीतरह वह प्रातःकालीन सूर्योदयका न स्वभाव है और न कार्य। मात्र अविनाभावके कारण वह गमक है।

(३) ग्रहण पडेगा, क्योंकि अमुक कल है।

यहाँ भी न पश्चात्मत्वादि है और न स्वाभावादि है। केवल हेतु स्वसाध्यका अविनाभावी होनेसे उसका अनुभापक है।

अतः हेतुका वैष्णव और वैविद्यका नियम निर्दोष नहीं है। पर अविनाभाव ऐसा व्यापक और अन्यभिचारी लक्षण है जो समस्त सद्बेतुओंमें पाया जाता है तथा असद्बेतुओंमें नहीं। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा समस्त सद्बेतुओंका संग्रह भी हो जाता है। सम्भवतः इसीसे अकलंकदेवने पात्रस्वामीकी उक्त 'अन्यथानुपपत्त्व' कारिकाको अपनाकर 'अन्यथानुपपत्त्व' को ही हेतुका अन्यभिचारी और प्रधान लक्षण कहा है। अपिच्च, 'समस्त पदार्थ क्षणिक हैं, क्योंकि वे सत् हैं' इस अनुमानमें प्रयुक्त 'सत्' हेतुको सपक्षसत्त्वके अभावमें भी गमक माना गया है। स्पष्ट है कि सबको पछ बना केमे पर सपक्षका अभाव होनेसे सपक्षसत्त्व नहीं है। अतएव अविनाभाव तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धोंसे नियन्त्रित नहीं है, प्रत्युत वे अविनाभावसे नियन्त्रित हैं। अविनाभावका नियामक केवल सहभावनियम और क्रमभावनियम है^१। सहभावनियम कहीं तादात्म्यमूलक होता है और कही उसके बिना केवल सहभावमूलक। इसी तरह क्रमभावनियम कही कार्यकारणभाव (तदुत्पत्ति) मूलक और कही मात्र क्रमभावमूलक होता है। उदाहरणार्थ पूर्वचर^२, उत्तरचर^३, सहचर^४ आदि हेतु हैं, जिनमें न तादात्म्य है और न तदुत्पत्ति। पर मात्र क्रमभावनियम रहनेके पूर्वचर तथा उत्तरचर और सहभावनियम होनेसे सहचर हेतु गमक है।

बीरसेनने^५ भी हेतुको साध्याविनाभावी और अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणसे युक्त

१. न्यायविदि० काठ० ३८१, अकलंकम० २० ८०।

२. परीक्षामू० ३। १६, २७, १८।

३.४. सिद्धिविदि० ६। १६, छठी० काठ० १४।

५. सिद्धिविदि० ६। १५, न्यायविदि० काठ० ३४८, ३४९। अ० प्र०, १० ५५।

६. हेतुः साध्याविनाभाविं लिङ्गं अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणोपकलितः।

—कद्य० ए० ४० ५५। १० २८४।

किञ्चलक्षण लिङ्गं ? अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं। यत्कर्त्तव्यं सपक्षे सत्त्वं विषये चात्मकमिति शर्तेन्द्रियमिहाँसज्जेवक्षमिति वहनु किं न हिनामिति चेत्, न, अविचारात्। तथावा—यत्कान्यावकालयेकशाकामकर्त्तव्यानुपपत्त्येकलक्षणं—स्वतदेविं साधनाति विलक्षणान्यपि न साध्यसिद्धये मवन्ति। विषयमनेकान्तात्मकं सत्त्वात्, यद्यपि समुद्रशब्दवद्वद्वद्वन्वदानुपत्तेः—रात्रूभूमिः। रात्रूभूमिः विषयेकलक्षणं क्या अविचारोपकलितः। अन्यथानुपत्तेः स्वारीचि साधनानि

बहुलकाया है। तथा पक्षधर्मत्वादिको हेतुलक्षण माननेमें अस्तित्वासि और अव्याप्ति दोनों दोष दिलाये हैं। जैसे—(१) ये आज्ञारूप पक्ष हैं, क्योंकि एककालाप्रभव है, उपनुक आश्रयककी तरह। (२) वह दयाम है, क्योंकि उसका पुत्र है, अन्य पुत्रोंकी तरह। (३) वह भूमि समस्त्वल है, क्योंकि भूमि है, समस्त्वलक्षणसे प्रसिद्ध भूमायकी तरह। (४) वज्र लोहलेख्य है, क्योंकि याँचिव है, काष्ठकी तरह, इत्यादि हेतु विलक्षण होनेपर भी अविनामावके न होनेसे साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसके विपरीत अनेक हेतु ऐसे हैं जो तिळकाय नहीं हैं पर अन्यादानुपपत्तिमात्रके सद्भावसे बदक हैं। यथा—(१) विश्व अनेकान्तात्मक है, क्योंकि वह सत्स्वरूप है। (२) समुद्र बदता है, क्योंकि चन्द्रकी बृद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। (३) चन्द्रकान्तमणिसे बल अरता है, क्योंकि चन्द्रोदयकी उपपत्ति अन्यथा नहीं बन सकती। (४) रोहिणी उदित होगी, क्योंकि कृतिकाका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। (५) राजा मरनेबाला है, क्योंकि रात्रिमें इन्द्र-अनुष्टकी उत्पत्ति अन्यथा नहीं हो सकती। (६) राष्ट्रका भेंग या राष्ट्रपतिका मरण होगा, क्योंकि प्रतिमाका रुदन अन्यथा नहीं हो सकता। इत्यादि हेतुओंमें पक्षधर्मत्वादि बैरूप्य नहीं है फिर भी वे अन्यथानुपपत्तिमात्रके बलसे साध्यके साधक हैं। अतः ‘इदमन्तरेण इदमनुपपत्तिम्’—‘इसके द्विना यह नहीं हो सकता’ यही एक लक्षण किंगका है। अपने इस विषयणकी पुष्टिमें बीरसेनने पात्रस्वामीका पूर्वोक्त ‘अन्यथानुपपत्तिम्’ बादि द्व्याक मी प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है।

‘विद्यानन्दकी’ विद्योपता यह है कि उन्होंने अन्यथानुपपत्तिव अथवा अविनामावको हेतुलक्षण माननेके अतिरिक्त धर्मकीतिके उस बैरूप्यसमर्थनकी भी समीक्षा की है जिसमें धर्मकीतिनें^१ असिद्धके निरासके लिए पक्षधर्मत्व, विश्वद्वेष व्यवच्छेद-के लिए सपक्षसत्त्व और अनैकान्तिकके निराकरणके लिए विपक्षासत्त्वकी सार्थकता प्रदर्शित की है। विद्यानन्दका कहना है कि अकेले अन्यथानुपत्तिके सद्ग्रावसे ही उक्त तीनों दोषोंका परिहार हो जाता है^२। जो हेतु असिद्ध, विश्व या अनैकान्तिक

अनिष्टकणान्यपि साध्यसिद्धये प्रमदन्ति। ततः इदमन्तरेण इदमनुपपत्तिमतोदमेव लक्षणं लिङ्गस्येति ।

—एद० च०, आपात०, प० २४५, २४६ ।

१. तत्र साधने साध्याविनामाविनिष्पत्तिव्यवहारक्षणं लक्षणान्तरस्य साधनामस्तेऽपि मावाद् । विक्षणान्तरस्य साधनास्य साधनानुपपत्तेः, रूपादिलक्षणवत् ।

—प्रमाणप० द० ४० ।

२. हेतोस्त्रिव्यपि रूपेषु विष्णवदेव वर्णितः ।
असिद्धविपरीताद्यन्यमिच्चारिविषयतः ॥

—प्रमाणपा० १० १७ ।

३. प्रमाणप० द० ४२ ।

होगा उसमें अन्यथानुपर्याप्ति रहती ही नहीं—साध्यके होनेपर ही होनेवाले और साध्यके अभावमें न होनेवाले साथमें ही वह पायी जाती है। उच तो कह है कि जो हेतु अन्यथा उपपत्त है या साध्याभावके साथ ही रहता है या साध्याभावमें भी विद्यमान रहता है वह अन्यथानुपपत्त—साध्यके होनेपर ही होनेवाला और साध्यके अभावमें न होनेवाला कैसे कहा जा सकता है। अतः एक अन्यथानुपपत्तत्वलक्षणसे ही जब उक्त तीनों दोषोंका परिहार सम्भव है तब उनके व्यवच्छेदके लिए हेतुके तीन लक्षणोंका मानना व्यर्थका विस्तार है।

इसी सन्दर्भमें विद्यानन्दने^१ उद्घोतकर, बाचस्पति और जयन्तभट्टद्वारा स्वीकृत हेतुके पौच रूपोंकी भी भीमांसा करते हुए प्रतिपादन किया है कि अविनाभाविह हेतुके प्रयोग और प्रत्यक्षाद्यविद्वद् साध्यके निर्देशसे ही उक्त असिद्धादि तीन दोषोंके साथ बाधितविषय और सत्प्रतिपक्ष हेतुदोषोंका भी निरास ही जाता है। अतः उनके निराकरणके लिए पक्षाध्यापकत्व, अन्यथा, व्यतिरेक, अबाधितविषयत्व और असत्प्रतिपक्षत्व इन पौच हेतुरूपोंको मानना व्यर्थ और अनावश्यक है। ही, उन्हें अविनाभावनियमका प्रपञ्च कहा जा सकता है। पर आवश्यक और उपयोगी एक-मात्र अविनाभाव ही है, जिसे उन्हें भी मानना पड़ता है। यथार्थमें जो हेतु बाधित-विषय या सत्प्रतिपक्ष होगा, उसमें अविनाभाव नहीं रह सकता। अतः यदि असाधारण लक्षण कहना है तो अन्यथानुपपत्तत्वको ही हेतुका असाधारण लक्षण स्वीकार करना उचित एवं न्याय है। विद्यानन्दने पात्रस्वामीके त्रैरूप्यसंष्ठनके अनुकरण पर पौचरूपके खण्डनके लिए भी अधोलिखित कारिकाका निर्माण किया है—

अन्यथानुपपत्तत्वं रूपैः किं पंचमिः कृतम् ।

नान्यथानुपपत्तत्वं रूपैः किं पंचमिः कृतम् ॥^२

जहाँ अन्यथानुपपत्तत्व है वहाँ पौच रूपोंकी क्या आवश्यकता है ? और जहाँ अन्यथानुपपत्तत्व नहीं है वहाँ पौच रूप रहकर भी क्या कर सकते हैं ? तात्पर्य यह कि अन्यथानुपपत्तत्वके अभावमें पौच रूप अप्रयोजक है।

विद्यानन्दके उत्तरवर्ती बादिराज भी उनको तरह पौचरूप्य हेतुकी समीक्षा करते हुए अन्यथानुपपत्तिको ही हेतुका प्रधान लक्षण प्रतिपादन करते हैं—

अन्यथानुपपत्तिइचेत् पौचरूप्येण किं करम् ।

विनाऽपि सेन तन्मात्रात् हेतुमात्रावक्षयनात् ॥

नान्यथानुपपत्तिइचेत् पौचरूप्येण किं करम् ।

सलाऽपि व्यभिचारस्य तेवाक्षर्चनिराकृपेः ॥

१. प्रमाणप० प० ७० ७२ ।

२. वही, प० ७० ७२ ।

अन्यथानुपरसिश्चेदं पांचकृष्णेऽपि कल्पयते ।
पाहूरूप्यात् चंचकृष्टविश्वमो नावतिहते ॥
पांचकृष्टालिकैवेचं नान्यथानुपरक्षता ।
पक्षभर्मत्वाद्यमावेऽपि चास्वाः सर्वोपयाद्यात् ॥ १

'सहजमें सी' के न्यायानुसार उनकी त्रैरूप्य-समीक्षा इसी पांचकृष्ट-समीक्षामें आ जानेसे उसका पृथक् उल्लेख करना अनावश्यक है।

इसी परिप्रेक्षयमें बादोर्भिसंहृ^२ का भी मन्त्रकृपा उल्लेखनीय है। वे कहते हैं कि तथोपपत्ति ही अन्यथानुपरपत्ति है। और उसे ही हम अन्तर्भूति सावते तथा हेतुका स्वरूप स्वीकार करते हैं। इस अन्तर्भूति के बलपर ही हेतु साध्यका गमक होता है, बहिर्भूति या सकलव्याप्तिरूप त्रैरूप्य या पांचादिरूपके बलपर नहीं। यही कारण है^३ कि तत्पुत्रत्वादि हेतुओंमें पक्षभर्मत्वादि रहनेपर भी अन्तर्भूति के अभावसे उनमें गमकता नहीं है। और कुत्सिकोदय हेतु पक्षभर्मत्वरहित होनेपर भी अन्तर्भूति के रहनेसे अपने साध्य शक्टोदयका प्रसाधक होता है। इसी तरह 'बहू-तत्वादीके भी प्रमाण हैं, क्योंकि वह इष्टका साधन और अनिहका दूषण अन्यथा नहीं कर सकता' इस अनुमानमें हेतु पक्षमें नहीं रहता फिर भी वह साध्यका अविनाभावी होनेसे गमक है। इस प्रकार बादोर्भिसंहृने अन्यथानुपरसिश्वों ही हेतुका स्वरूप प्रतिपादित किया तथा त्रैरूप्य एवं पांचकृष्ट आदिको अध्यास और अतिव्यास बतलाया है।

माणिक्यनन्दिका^४ भी यही विचार है। जिसका साध्याविनाभाव निश्चित है उसे वे हेतु कहते हैं। और इस प्रकारका हेतु ही उनके मतसे साध्यका गमक होता है। उन्होंने अविनाभावका नियामक बोडोंकी तरह तत्पुत्ति और तादात्म्यको न बतला कर सहभावनियम और क्रमभावनियमको बतलाया है, क्योंकि जिनमें तदुत्पत्ति या तादात्म्य नहीं है उनमें भी क्रमभावनियम अथवा सहभावनियमके रहनेसे अविनाभाव प्रतिष्ठित होता है और उसके बलपर हेतु साध्यका अनुमापक होता

१. न्यायाविदि विदि ३।१७४, प० ३१०।

२. तथोपपत्तिरेवेदमन्यथानुपरक्षता । सा च हेतोः छवरूपं तत् शान्तर्भूतिस्त्रव विद्धि नः ॥

—स्था० सिं ४—५८, ७५।

३. किं च पक्षादिरूपत्वेऽप्यन्तर्भूतिरेभावतः । तत्पुत्रत्वादिहेतुना गमकर्व न दृश्यते ॥

पक्षभर्मत्वाद्यमेऽप्यन्यथानुपरपत्तिमात् । हेतुरेव, यथा सन्ति प्रमाणान्वीक्षणात् ॥

—बहौ, ४१२, ४३, ४४, ५०, ५८।

४. साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः ।

—प० मु० ३।५५।

है। उदाहरणस्वरूप भरणि और कृतिकोदयमें न तदुत्पत्ति सम्बन्ध है और न तादात्म्य। पर उनमें क्रमभावनियमके होनेसे अविनाभाव है और उसके बिनाे कृतिकोदय हेतु भरणिके उदयरूप साध्यका गमक होता है। इसी प्रकार रूप और रसमें तादात्म्य और तदुत्पत्ति दोनों नहीं हैं। परन्तु उनमें सहभावनियमके सदृशबद्ध सविनाभाव है तथा उसके बजाए रस रूपका या उन्माम नामका और अवरिभाव परभागका अनुमापक है। माणिक्यनन्दिकी^१ यह सहभाव और क्रमभाव नियमकी परिकल्पना इतनी संगत, निर्दोष और व्यापक है कि समस्त सद्गुरु इन दोनोंके द्वारा संग्रहीत एवं केन्द्रित हो जाते हैं और वस्त्रेतु निरस्त, जब कि तादात्म्य और तदुत्पत्तिद्वारा पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर आदि हेतुओंका संग्रह नहीं होता।

प्रभाचन्द्र^२, अनन्तवीर्य^३, अभयदेव^४, देवसूरि^५, हेमचन्द्र^६, चर्मभूषण^७, यशो-विजय^८, चारकीर्ति^९ आदि तार्किकोंने भी जैरूप्य और पाचरूप्यकी मीमांसा करते हुए अन्यथानुपत्तिको ही हेतुका असाधारण एवं प्रधान लक्षण बतलाया है और उसीके द्वारा त्रिविष और पञ्चविष आदि हेत्वाभासोंका निरास किया है। जब हेतुको अन्यथानुपत्तन कहा जाता है तो वह साध्यके साथ अवैश्य सम्बद्ध रहेगा, उसके बिना वह उपत्पन्न नहीं होगा और न साध्याभावके साथ रहेगा। इस तरह असिद्ध, विशद्ध और अनैकान्तिक इन तीन दोषोंका परिहार हो जाता है। तथा जब शक्य (अवाधित), इष्ट और अप्रसिद्ध साध्य^{१०} का निर्देश किया जायगा, जो हेतुका विषय होता है, उससे विपरीत बाधित, अनिष्ट और प्रसिद्धरूप साध्या-

१. सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः।

सहचारिणोः व्याख्यापक्याइच सहभावः।

पूर्वोत्तरचारिणोः कार्यकारणयाइच क्रमभावः।

—परोक्षामु० ३।१६, १७, १८।

२. प्रमेयक० मा० १।१५।

३. प्रमेयर० मा० १।११। १० १४२-१४४।

४. समर्पति० दी०।

५. म० न० द० ३।११, १२, १३।

६. म० मी० ३।२१९,१०।

७. न्या० दी० पू० ८५।

८. जैन तक्षमा० ८० १२।

९. प्रमेयरत्नालं० ३।१५।

१०. साध्य वाक्यमिश्रेतमप्रसिद्ध ततोऽपरम्।

साध्याभासं विशद्धादि साधनाविषयवतः।

—अक्षरांक, न्या० दी० का० १७२।

भास नहीं, तो हेतु वाचितविषय के से हो सकता है, जिसके निरासके लिए हेतुका अवाचितविषयत्व नामक चतुर्थ रूप कस्तिया किया जाए। सब तो यह है कि अविनाभावी हेतुमें वाचाको सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि वाचा और अविनाभावमें विरोध है।^१ प्रमाण-प्रसिद्ध अविनाभावकाले हेतुका समावलक्षाली कोई प्रतिपक्षी हेतु भी सम्भव नहीं है, अतः हेतुका अस्तप्रतिपक्षत्व नामका पाचवाँ रूप भी निरर्थक है।

हम ऊपर घड़कण हेतुका निवेदा कर आये हैं। उनमें एक नया रूप ज्ञातत्व है, जिसका अर्थ है हेतुका ज्ञात होना। पर उसे पृथक् रूप मानना अनावश्यक है, क्योंकि हेतु ज्ञात ही नहीं, अविनाभावी रूपसे निविच्छित होकर ही साध्यका अनुमापक होता है, अनिर्णीत नहीं, यह तो हेतुके लिए आवश्यक और प्राचीमिक शर्त है।^२ इसी तरह विविजितैकसंस्कृत्यत्वका कलन भी, जो अस्तप्रतिपक्षत्वरूप है, अनावश्यक है क्योंकि अविनाभावी हेतुके प्रतिपक्षी किसी द्वितीय हेतुकी सम्भावना ही नहीं है जो प्रकृत हेतुकी विविजित एकसंस्कृताका विभट्टन कर सके।^३ तात्पर्य यह कि विविजितैकसंस्कृत्यत्व अस्तप्रतिपक्षत्वरूप है और वह उपर्युक्त प्रकारसे अनावश्यक है।

कर्णकगोमिनेऽ रोहिणीके उदयका अनुमान कराने वाले हृतिकोदय हेतुमें काल या आकाशको पक्ष बना कर पक्षवर्मत्व घटानेका प्रयास किया है। विचार-नन्दने^४ इसकी भीमांसा करते हुए कहा है कि इस तरह परम्पराश्रित पक्षवर्मत्व सिद्ध करनेसे तो पृथिवीको पक्ष बना कर महानसगत चूमसे समुद्रमें भी अग्नि सिद्ध करनेमें वह पक्षवर्मत्वरहित नहीं होगा। अभिचारी हेतुओंमें भी काल, आकाश और पृथिवी आदिकी अपेक्षा पक्षवर्मत्व घटाया जा सकेगा। और इस तरह कोई अभिचारी हेतु अपक्षवर्म न रहेगा।

उपर्युक्त अध्ययनसे प्रकट है कि जैन चिन्तकोंने द्विलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण, पञ्चलक्षण, षष्ठलक्षण और सप्तलक्षणको अव्यास तथा अतिअव्यास होनेसे उन्हें हेतुका स्वरूप स्वीकार नहीं किया। प्रत्युत उनकी विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने एक-

१. हेतुविं १० ६६, हेतुविं दी० १० २०६।

२. साध्याविनाभाविनेन निविच्छितो हेतुः।

—परीक्षाम० ३। १५।

३. वा० यहेन्द्रकुमार जैन, तिक्ष्विं ३० वा० यस्ता० १० ११३।

४. व० वा० खण्ड० दी० १० ११।

५. विचारन्द, म० परी० १० ७१। व० छो० वा० १। १३, व० २०१।

तर्कण अविनाभाव या अन्यथानुपपन्नत्वको ही हेतुका स्वरूप माना है। इसके रहने पर अन्य रूप हों या न हों वह हेतु है, न रहनेपर नहीं।^१

२. हेतु-मेद :

जैन तर्कशास्त्रमें हेतुके आरम्भमें कितने भेद स्वीकृत हैं और उत्तराकालमें उनमें कितना विकास हुआ है, इसपर विचार करनेसे पर्व उचित होगा कि भारतीय दर्शनोंके हेतुमेदोंका सर्वेक्षण कर लिया जाय।

हेतुमेदोंका सर्वेक्षण :

कणादने^२ अपने वैशेषिकसूत्रमें हेतुके पांच भेद गिनाये हैं—(१) कार्य, (२) कारण, (३) संयोगी, (४) समवायी और (५) विरोधी। उनके व्याख्याकार प्रशस्तपाद^३ इतना और संकेत करते हैं कि उक्त भेद निदर्शनमात्र हैं। अर्थात् 'पांच ही है' ऐसा अवधारण नहीं है, क्योंकि कई हेतु ऐसे हैं जो न कार्य है न कारण, न संयोगी न समवायी औरन विरोधी। उदाहरणार्थं चन्द्रोदयसे व्यवहित समुद्रवृद्धि एवं कुमुदविकाशका व शारत्कालीन जलप्रसादसे अगस्त्योदयका अनुभाव होता है। पर ये हेतु न अहेतु (हेत्वाभास) हैं और न उक्त कार्यादि हेतुओंमें से किसीमें अन्तभूत हैं। अतः प्रशस्तपाद कणादने 'अस्येद' इस सूत्रवचनको सम्बन्धमात्रका बोधक बतलाकर उसके द्वारा उक्त प्रकारके और भी हेतुओंके संबंधकी सूचना करते हैं। तात्पर्य यह कि प्रशस्तपादके अभिप्रायानुसार वैशेषिक दर्शनमें पाचसे अधिक भी हेतु मान्य हैं। परन्तु प्रशस्तपादने यह नहीं बतलाया कि वे अमुक संज्ञक हेतु हैं। कणादने^४ विरोधि लिङ्गके (१) अभूतभूत, (२) भूतअभूत और (३) भूतभूत इन तीन भेदोंका भी कथन किया है। शंकरमिशने^५ उपस्कारमें इनका सोदाहरण विवेचन किया है।

१. बादिराज, न्यायविं० विं० २।१५५; पृ० १७७-१८० तथा २।१७४ ए० २१०।

२. अस्येदं कार्यं कारणं संयोगं विरोधं समवायं चेति टैक्सिकम्।

—वैसो० सू० १।२।१।

३. शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शनार्थं कृतं नावधारणार्थम्। कर्त्तात् ? व्याप्तिरेकदर्शनात्।

तथादा—अच्छवैर्योदावश्यन् व्यवहितस्य हेतुलिङ्गम् चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धेः कुमुदविकाशस्य च शारदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्येति। एवमादि, तत्सर्वमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात् सिद्धम्।

—प्रश्न० मा० प० १०४।

४. विरोधमूर्तं मूरत्स्यं। भूतमभूतस्यं। मूलो मूरत्स्यं।

—वैसो० सू० १।१।११, १२, १३।

५. शंकरमिशन, वैसो० सू० उपस्कार० १।१।११, १२, १३; प० ८८-८९।

न्यायपरम्पराके प्रतिष्ठाता अधिपादने^१ कणादकचित् उक्त पांच हेतुमेदोंको अन्तीकार नहीं किया। उन्होंने हेतुके अन्य तीन भेद निर्दिष्ट किये हैं। वे ये हैं—
 (१) पूर्ववत्, (२) शेषवत् और (३) सामान्यतोदृष्ट। इनमें प्रथम दो (पूर्ववत् और शेषवत्) बस्तुतः कणादके कार्य और कारणरूप ही हैं, केवल नामभेद है, अर्थभेद नहीं। सामान्यतोदृष्ट भी, जो अकार्यकारणरूप है, कहीं संयोगी, कहीं समवायी और कहीं विरोधीके रूपमें प्रहृण किया जा सकता है। बास्त्यायनने^२ न्यायसूत्रकारके साधर्म्य और वैधर्म्य प्रयुक्त द्विविध हेतुप्रयोगकी अपेक्षासे हेतुके दो भेदोंका भी उल्लेख किया है—(१) सामान्यहेतु और (२) वैधर्म्यहेतु। व्यार्थमें ये हेतुके भेद नहीं हैं, मात्र हेतुका प्रयोगद्विविध है। उच्छोतकरने^३ अवश्य हेतुके ऐसे तीन भेदोंका कथन किया है जो नये हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) केवलान्वयी, (२) केवलव्यतिरेकी और (३) अन्वयव्यतिरेकी। उच्छोतकरने^४ वीत और अवीतके भेदसे भी हेतुके दो भेदोंका निर्देश किया है।

ईश्वरकृष्ण^५ और उनके व्याख्याकारोंने^६ न्यायसूत्रकारकी तरह ही हेतुके तीन भेदोंका प्रतिपादन किया और उन्हींके स्वीकृत उनके नाम दिये हैं। विशेष यह कि युक्तिवीपिकाकारने^७ उच्छोतकरकी तरह हेतुके वीत और अवीत द्विविधका भी कथन किया है। पर वह द्विविध उन्होंने प्रयोगभेदसे सामान्यतोदृष्टका बतालाया है, सामान्य हेतुका नहीं। बाच्चस्पति मिश्रने^८ सास्यतत्त्वकीमुदीमें हेतु (अनुमान) के प्रथमतः वीत और अवीत दो भेद प्रदर्शित किये और उसके बाद अवीतको शेषवत् तथा वीतको पूर्ववत् और सामान्यतोदृष्ट द्विविध निरूपित किया है। सास्यदर्शनके इन हेतुमेदोंपर न्यायसूत्रकार और उच्छोतकरका प्रभाव लक्षित होता है।

१. न्यायसू. १।१।५।

२. द्विविधस्य उन्हेतोद्विविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारद्वेते च समानम्...।

—न्यायमा. १।१।३९ का उच्चानिकावाक्य, १० ५१।

३. अन्वयी अवितरेकी अन्वयव्यतिरेकी चेति।

न्यायमा. १।१।५; १० ४६।

४. लावेतौ वीतावीतहेतु लक्षणान्यां शृणगमिहिताचिति।

—वही, १।१।३५, १० १२६।

५. सांख्यका. ५।

६. शुक्लशी. सांख्यका. ५, १० ३।

७. तत्त्व प्रयोगमात्रभेदाद् द्विविधम्—वीतः अवीत इति।

—वही १० ४७।

८. तत्त्व प्रथमः (प्रथमतः) तावत् द्विविधम्—वीतमवीतम्... तत्रावीतं शेषवत्...। वीतं देखा पूर्ववत् सामान्यतोदृष्ट च।

—ज्ञा. १० कौ. का. ५, १० १०-११।

धर्मकीर्तिने^१ भी हेतुके तीन भेद बतलाये हैं। पर उनके तीव्र भेद उपर्युक्त भेदोंसे भिन्न हैं। वे हैं—(१) स्वभाव, (२) कार्य और (३) अनुपलब्धि। अनुपलब्धिके भी तीन भेदोंका उन्होंने^२ निर्देश किया है—(१) कारणानुपलब्धि, (२) व्यापकानुपलब्धि और (३) स्वभावानुपलब्धि। प्रमाणवाचिकमें अनुपलब्धिके चार और न्यायविन्दुमें प्रयोगभेदसे उसके ग्यारह भी भेद कहे हैं^३। धर्मकीर्तिने कणाव स्वीकृत हेतुभेदोंमें स्वीकृत होड़ दिये हैं, क्योंकि संयोग और समवाय बौद्धदर्शनमें स्वीकृत नहीं हैं, अतः उनके माध्यमसे होनेवाले संयोगी और समवायी हेतु सम्भव नहीं हैं। कारणके सम्बन्धमें धर्मकीर्तिका^४ मत है कि कारण कार्यका अवश्य अनमापक नहीं होता, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कारण हीने पर कार्य अवश्य हो, पर कार्य बिना कारणके नहीं होता। अतः कार्य तो हेतु है, किन्तु कारण नहीं। उनके अनुपलब्धिके तीन भेदोंकी संख्या कणावके अन्युपगत विवरिषिके तीन प्रकारोंको संख्याका स्मरण दिलाती है। व्यान रहे, धर्मकीर्तिने^५ उपर्युक्त तीन हेतुओंमें स्वभाव और कार्यको विविधाधक तथा अनुपलब्धिको प्रतिवेदिताधक ही वर्णित किया है। धर्मोत्तर^६, अर्चट^७ आदि व्याख्याकारोंने उनका समर्थन किया है।

जैन परम्परामें हेतुभेद :

जैन परम्परामें वट्टखण्डगममें^८ श्रुतके पर्यायोंके अन्तर्गत 'हेतुवाद' (हेतुवाद) नाम आया है। पर उसमें हेतुके भेदोंको कोई चर्चा उपलब्ध नहीं होती।

१. एतलक्षणो हतुस्तिप्रकार एव। स्वभावः, कार्यम्, अनुपलब्धिश्चेति।

—हेतुविं प० ५४। न्यायविं प० २५। प्रमाणवा० हृ०,५,५।

२. सेवमनुपलब्धिस्तिवा। सिद्धे कार्यकारणभावे सिद्धाभावस्य कारणस्यानुपलब्धिः, व्यायव्यापकभावमिदौ सिद्धाभावस्य व्यापकस्यानुपलब्धिः, स्वाभावानुपलब्धिश्च।

—हेतुविं प० ६८।

३. (क)—अनुपलब्धिश्चतुर्विधा।

—प० वा० १६।

(च) सा च प्रयोगभेदविकादप्रकारा।

—न्यायविं प० १५।

४. न्यायविं प० १५।

५. अथ द्वौ चक्षुसाक्षौ। पक्षः प्रतिवेशहेतुः।

—पही, प० २६।

६. पही, प० २५। धर्मोत्तरदी०।

७. हेतुविं दी० ५४।

८. मूरक्को-पुष्पस्त्र, पद्मस्त्र० ५५५।

व्याख्याकार दीरसेमले^१ अकथ्य 'हेतुवाद' पदकी व्याख्या करते हुए हेतुको दो प्रकारका कहा है—(१) साधनहेतु और (२) दूषणहेतु ।

स्थानाङ्गसूत्रनिदिष्ट हेतुमेद :

स्थानाङ्गसूत्रमें हेतुके चार प्रकारोंका निर्वेश है । ये चार प्रकार दार्शनिकोंके पूर्वोक्त हेतुमेदोंसे भिन्न हैं । इनके अध्ययनसे अवगत होता है कि यतः हेतु और साध्य दोनों अनुमानके प्रयोजक हैं और दोनों कहीं विविरूप होते हैं, कहीं निषेषरूप, कहीं विधिनिषेषरूप और कहीं निषेषविधिरूप । इन चारके अतिरिक्त अन्य राशि सम्बन्ध नहीं हैं । यतः हेतुके उक्त प्रकारसे चार मेद मान्य हैं । साध्य और साधन दोनोंके विधि (सञ्चाच) रूप होनेपर (१) विधि-विधि, दोनोंके निषेष (अभाव) रूप होनेपर (२) निषेष-निषेष, साध्यके विविरूप और साधनके निषेषरूप होनेपर (३) विधि-निषेष तथा साध्यके निषेषरूप और साधनके विधिरूप होनेपर (४) निषेषविधि ये चार मेद कलित होते हैं । इन्हें और विशदतासे निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

✓ १. विधिविधि—हेतुके जिस प्रकारमें हेतु और साध्य दोनों सञ्चाचरूप हों । जैसे—इस प्रदेशमें अन्नि है, क्योंकि धूम है । यहा साध्य (अन्नि) और साधन (धूम) दोनों सञ्चाचरूप हैं । इसे 'विधिसाधकविधिरूप' हेतु कहा जा सकता है ।

२. निषेषनिषेष—जिसमें साध्य और साधन दोनों असञ्चाचरूप हों । यथा—यहां धूम नहीं है क्योंकि अनलका अभाव है । यहां साध्य (धूम नहीं) और साधन (अनलका अभाव) दोनों असञ्चाचरूप हैं । इस हेतुको 'निषेषसाधक-निषेषरूप' नाम दिया जा सकता है ।

३. विधिनिषेष—जिसमें साध्य सञ्चाचरूप हो और साधन असञ्चाचरूप । जैसे—इस प्राणीमें रोगविद्योप है, क्योंकि उसकी स्वस्थ चेष्टा नहीं है । यहा साध्य (रोगविद्योप) सञ्चाचरूप है और साधन (स्वस्थ चेष्टा नहीं) असञ्चाचरूप । इसे 'विधिसाधकनिषेषरूप' हेतु कह सकते हैं ।

४. निषेषविधि—जिसमें साध्य असञ्चाचरूप हो और साधन सञ्चाचरूप । यथा—यहां शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उष्णता है । यहां साध्य (शीतस्पर्श नहीं) असञ्चाचरूप है और हेतु (उष्णता) सञ्चाचरूप । इस हेतुको 'निषेषसाधकविधि-रूप' हेतुके नामसे व्यबहृत कर सकते हैं ।

इन हेतुमेदोंपर न कथादके हेतुमेदोंका प्रभाव कलित होता है, न अकथ्याद और न अर्थकीर्तिके । साथ ही इस वर्णकरणमें जहां कार्य, कारण आदि सभी

१. पद०, लकड़ा दीक्षा घायपर; पू० २८० ।

२. स्थानां स० पू० १०५-११० तथा यहो 'जैल तर्हसाधने अनुगमनविचार' पू० २३ भी ।

प्रकारके हेतुओंका समावेश सम्भव है वहां यह अविदित रहता है कि विधिविधि आदि सामान्यरूपके सिवाय हेतुका विशेष (कार्य, कारण, व्याप्त आदि) रूप क्या है ? जब कि कणाद^१, अविदित और धर्मकीर्तिके हेतुभेदनिरूपणमें विशेष रूप ही दिखायी देता है । अतः हेतुभेदोंका यह वर्गीकरण अधिक प्राचीन हो तो आ-इच्छ्य नहीं, क्योंकि सामान्य कल्पनाके बाद ही विशेष कल्पना होती है । यद्यपि कणादने^२ विरोधी हेतुके जिन अभूतभूत, भूत अभूत और भूतभूत तीन भेदोंका कथन किया तथा विद्यानन्दने^३ बैश्यिकोंकी ओरसे अभूतअभूत नामक चौथे भेद-की भी कल्पना की है उनका इन हेतुभेदोंके साथ कुछ साम्य हो सकता है । तब भी स्थानाङ्गसूत्रगत हेतुभेदोंकी परम्परा सामान्यरूप होनेसे प्राचीन तो ही हो ।

अकलङ्कप्रतिपादित हेतुभेद :

स्थानाङ्गसूत्रके उक्त हेतुभेदोंको विकसित करने और उन्हें जैन तर्कशास्त्रमें विशदतया निरूपित करनेका श्रेय भट्ट अकलङ्कदेवको प्राप्त है । अकलङ्कदेवने^४ हेतुके मूलमें दो भेद स्वीकार किये हैं—(१) उपलब्धि (विधिरूप) और (२) अनु-पलब्धि (निर्वेषरूप) । ये दोनों हेतु भी विधि और प्रतिवेध दोनों तरहके साध्योंको सिद्ध करनेसे दो-दो प्रकारके कहे गये हैं । उपलब्धिके सद्ग्रावसाधक और सद्ग्राव-प्रतिवेषक तथा अनुपलब्धिके असद्ग्रावसाधक और असद्ग्रावप्रतिवेषक । इनमें सद्ग्राव-वसाधक उपलब्धिके भी (१) स्वभाव (२) स्वभावकार्य, (३) स्वभावकारण, (४) सहचर, (५) सहचरकार्य और (६) सहचरकारण ये छह अवान्तर भेद हैं । सिद्धिविनिदिचयके^५ अनुसार उसके छह भेद यों दिये गये हैं—(१) स्वभाव, (२) कार्य, (३) कारण, (४) पूर्वचर, (५) उत्तरचर और (६) सहचर । इनमेंसे धर्मकीर्तिने केवल स्वभाव और कार्य ये दो ही हेतु माने हैं । कणादने कार्य और कारणको स्वीकार किया है । पूर्वचर, उत्तरचर और सह-चर इन तीनोंको किसी अन्य ताकिकने स्वीकार किया हो, यह जात नहीं । किन्तु अकलंकने उनका स्पष्ट निर्वेषके साथ प्रतिपादन किया है । अतः यह उनकी मौलिक देन कहीं जा सकती है । उन्होंने स्वभाव और कार्यके अतिरिक्त कारणहेतु तथा इन तीनोंको समुक्तिक स्वतंत्र हेतु सिद्ध करके उनका निरूपण निम्न प्रकार किया है—

१. वैष्ण० स० ३।१।१, १२, १३ ।

२. ममाणप० प० ७० ७४ ।

३. सदृशुत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः ॥

तथा सदृशवहानाय स्वभावानुपलब्धयः । सदृशुत्तिप्रतिवेषाय तदिस्कोपलब्धयः ॥

—प्रमाणसं० का २९,३० । तथा इनकी स्पेषशास्त्री, अकलंकम० प० १०४-१०५ ।

४. लिं विं स्व० स० ३।५, १५, १६ ।

(१) कारणहेतु^२—बृक्षसे छावाका ज्ञान या चम्प्रसे जलमें पढ़नेवाले उसके प्रतिबिम्बका ज्ञान करना कारणहेतु है । यद्यपि यह तथ्य है कि कारण कार्यका अवश्य उत्पादक नहीं होता, किन्तु ऐसे कारणसे, जिसकी शक्तिमें कोई प्रतिबन्ध न हो और अन्य कारणोंकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान हो तो उसे कौन रोक सकता है ? अनुमाताकी अवश्यकी या अज्ञानसे अनुमानको सदोष नहीं कहा जा सकता ।

(२) पूर्वचर^३—जिन साध्य और साधनोंमें नियमसे क्रमभाव तो है परन्तु परस्पर कार्यकारणभाव है और न स्वभावस्वभाववान् सम्बन्ध है उनमें पूर्वभावीको हेतु और पश्चाद्भावीको साध्य बना कर अनुमान करना पूर्वचर हेतु है । जैसे—एक मुहूर्तके बाद शक्टका उदय होगा, क्योंकि कृतिकाका उदय है ।

(३) उत्तरचर^४—उक्त क्रमभावी साध्य-साधनोंमें उत्तरभावीको हेतु और पूर्वभावीको साध्य बना कर अनुमान करना उत्तरचर है । यथा—एक मुहूर्त पहले भरणिका उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिकाका उदय है । यहा 'कृतिकाका उदय' हेतु भरणिके अनन्तर होनेसे उत्तरचर है ।

(४) सहचर हेतु^५—तराजूके एक पलडेको उठा हुआ देख कर दूसरे पलड़ेके नीचे झुकनेका अनुमान या चन्द्रमाके इस भागको देख कर उस भागके अस्तित्वका अनुमान सहचरहेतु जन्म है । इनमें परस्पर न तादात्म्य सम्बन्ध है, न तदुत्पत्ति, न संयोग, न समवाय और न एकार्थसमवाय, क्योंकि एक अपनी स्थितिमें दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु दोनों एकसाथ होते हैं, अतः अविनाभाव अवश्य है ।

इस अविनाभावके बलपर हो जैन व्यायशास्त्रमें^६ उक्त पूर्वचर आदि हेतुओं को गमक माना है । और अविनाभावका नियामक केवल सहभावनियम तथा क्रमभावनियमको स्वीकार किया है, तादात्म्य, तदुत्पत्ति, संयोग, समवाय और एकार्थसमवायको नहीं, क्योंकि उनके रहने पर भी हेतु गमक नहीं होते और उनके न रहने पर भी मात्र सहभावनियम और क्रमभावनियमके वशसे वे गमक देखे जाते हैं ।

१. न हि वृक्षादिः छावादेः स्वभावः कार्यं वा । न चात्र विस्तवादोऽस्ति । चन्द्रस्तद्जलचन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथानुमा । न हि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः स्वभावः कार्यं वा ।

—लघीय० स्वो० वृ० का० १२, १३ तथा सि० वि० स्वो० वृ० ६।६, १५ ।

२. वही, का० १४ तथा सि० वि० स्वो० वृ० ६।६ ।

३. लघीय० स्वो० वृ० का० १४ तथा सि० वि० स्वो० वृ० ६।६ ।

४. सिद्धिय० स्वो० वृ० ६।६, ६, न्यायविद्य० २।६।६, म० सं० का० १६, वृ० १०७ ।

५. सिद्धिय० स्ववृ० ६।६ ।

लघीय० स्वो० वृ० का० १२, १३, १४ ।

२१० : जैन तर्कसाधारणे अनुमान-विचार

वैसांकि उपर्युक्त उदाहरणोंसे विद्वित है। इसीसे जैन दर्शनमें हेतुका एकमात्र अविनामाद ही सम्यक् लक्षण इष्ट है।

सद्भावप्रतिषेधक तीन उपलब्धियां अकलंकने^१ इस इस प्रकार बतलायी हैं—

(१) स्वभावविवृद्धोपलब्धि—यथा—पदार्थ कूटस्थ नहीं है, क्योंकि परिण-मनशील है। यहाँ हेतु सद्भावरूप है और साध्य निषेधरूप। तथा पदार्थका स्वभाव परिणमन करनेका है।

(२) कार्यविवृद्धोपलब्धि—यथा—लक्षणविज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि विसंबाद है। यहाँ भी हेतु सद्भावरूप है और साध्य निषेधरूप। विसंबाद अ-प्रमाणका कार्य है।

(३) कारणविवृद्धोपलब्धि—यथा—यह परोक्षक नहीं है, क्योंकि सर्वथा अभावको स्वीकार करता है। अपरोक्षकताका कारण सर्वथा अभावका स्वी-कार है।

अकलंकने^२ धर्मकीर्तिके इस कथनकी कि 'स्वभाव और कार्य हेतु भाव-साधक है तथा अनुपलब्धि अभावसाधक' समीक्षा करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कार्य दोनों हेतुबोंको भाव तथा अभाव उभयका साधक तथा अनुपलब्धिको भी दोनोंका साधक सिद्ध किया है। ऊपर हम उपलब्धिरूप हेतुको सद्भाव और असद्भाव दोनोंका साधक देख चुके हैं। आगे अनुपलब्धिको^३ भी दोनों-का साधक देखेंगे। इसके प्रथम भेद असद्भावसाधक प्रतिषेधरूपके ६ भेद बत-लाये हैं। यथा—

(१) स्वभावानुपलब्धि—अणिकैकान्त नहीं है, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता।

१. यथा स्वभावविवृद्धोपलब्धि—नाविच्छिन्नतात्मा भावः परिणामाद् ।***कार्यविवृद्धोप-लब्धिः—लक्षणविज्ञान न प्रमाण विसंबादात् प्रमाणान्तरापेक्षणे । कारणविवृद्धोप-लब्धिः—नास्य परीक्षापठन् अभावैकान्तयहणात् ।

—प० सं० स्व०२० का० १०, द० १०५, अकलंकय० ।

२. नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी ॥ ।

—प० सं० का० १० ।

३. स्वभावानुपलब्धि ॥यथा न कारणमेकान्तोऽनुपलब्धेः ॥***कार्यानुपलब्धिः ॥अत्र कार्याभावात् ॥ । कारणानुपलब्धिः—जैव कारणाभावात् ॥ ॥ स्वभावसहचरानु-पलब्धिः—अत्र ज्वापारव्याहारविकेवाभावात् ॥ ॥ सहचरकारणानुपलब्धिः—अवैव आहारभावात् ॥ ॥

—वही, स्व०२० का० १०, द० १०५ ।

(२) कारणानुपलब्धि—क्षणिके कान्त नहीं है, क्योंकि उसका कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता ।

(३) कारणानुपलब्धि—क्षणिके कान्त नहीं है, क्योंकि कोई कारण नहीं है ।

(४) स्वभावसहचरानुपलब्धि—इसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि रूपाद्विविशेषका अभाव है ।

(५) सहचरकार्यानुपलब्धि—इस प्राणीमें आत्मा नहीं है, क्योंकि व्यापार-व्याहारविशेषका अभाव है ।

(६) सहचरकारणानुपलब्धि—इस शरीरमें आत्मा नहीं है, क्योंकि भोजन-का अभाव है ।

अनुपलब्धिके दूसरे भेद असद्भावप्रतिवेषक (सद्भावसाधक) प्रतिवेषक-रूप अनुपलब्धिके कितते भेद उन्हें अभीष्ट है, इसका अकलंकने स्पष्ट निर्देश नहीं किया । पर उनके प्रतिपादनसे संकेत अवश्य मिलता है कि उसके भी उन्हें अनेक भेद अभिग्रह है ।

इस प्रकार अकलंकने सद्भावसाधक ६ और सद्भावप्रतिवेषक ३ इस तरह ९ उपलब्धियों तथा असद्भावसाधक ६ अनुपलब्धियोंका कण्ठतः वर्णन करके इनके और भी अवातर भेदोंका संकेत किया है । तथा उन्हें इन्हीमें अन्तर्भवि हो जानेका उल्लेख किया है ।

विद्यानन्दोक्त हेतु-भेद :

विद्यानन्दका हेतुभेदनिरूपण अकलंकके हेतुभेदनिरूपणका आभारी और उपजीव्य है । किन्तु विद्यानन्दकी निरूपणसरणि एवं समोक्षात्मक अनुशोलन अतिस्पष्ट और आकर्षक है । उन्होनें^१ अन्यथानुपृष्ठिरूप एकलक्षणसामान्यकी अपेक्षा हेतुको एक प्रकारका कह करके भी विशेषकी अपेक्षा अतिसंक्षेपमें विचित्रसाधन और निवेषसाधनके भेदसे द्विविध तथा संक्षेपमें कार्य, कारण और अकार्य-कारणके रूपमें त्रिविध प्रतिपादन किया और अन्य प्रकारोंका इन्हीमें अन्तर्भवि होनेका निर्देश किया है । उनका^२ वह निरूपण अधः प्रस्तुत है—

१. तत्त्व साधनं एकलभणसामान्यादेवकविषमपि विशेषतोऽतिसंक्षेपाद्विविष विभिन्नाधनं निवेषसाधनं च । सक्षेपात्तिविषप्रिवीयते—कार्य कारणस्य, कारणं कार्यस्य, अकार्य-कारणमकार्यकारणस्येति ॥

—प्रमाणप० प० ७२ ।

२. वही, प० ७२ से ७५ तथा ८० श्लो० १।१३, प० २०८-२१४ ।

४३२ : वैज्ञानिकमें अनुमान-विचार

(१) कार्यहेतु—यही अभिन्न है, क्योंकि घूम है। कार्यकार्य आदि परम्परा हेतुओंका इसीमें अन्तर्भवित किया गया है।

(२) कारणहेतु—यहा आया है, क्योंकि छन्न है। कारणकारण आदि परम्पराकारणहेतुओंका इसीमें अनुप्रवेश है। स्मरण रहे कि न तो केवल अधिक्षिण कारणको और न अस्तित्व कान प्राप्त कारणको कारणहेतु कहा जाता है, जिससे प्रतिबन्धके सद्भाव और कारणान्तरकी विकलतासे वह अविचारी हो तथा दूसरे क्षणमें कार्यके प्रत्यक्ष हो जानेसे अनुमान निरर्थक हो, किन्तु जो कार्यका अविनाभावी निर्णीत है तथा जिसकी सामर्थ्य किसी प्रतिबन्धकसे अवश्य नहीं है और न वाञ्छीय सामग्रीकी विकलता है, ऐसे विशिष्ट कारणको हेतु माना गया है।

(३) अकार्यकारण—इसके चार भेद हैं—१ व्याप्त, २ सहचर, ३ पूर्वचर और ४ उत्तरचर।

१. व्याप्त हेतु—जहाँ व्याप्तसे व्यापकका अनुमान होता है वह व्याप्तहेतु है। जैसे—समस्त पदार्थ अनेकान्तस्त्वरूप है, क्योंकि सत् है, अर्थात् वस्तु है।

२. सहचर हेतु—जहाँ एक सहभावीसे दूसरे सहभावीका अनुमान किया जाता है वह सहचर है। जैसे—अग्निमें स्पर्श है, क्योंकि रूप है। स्पर्श रूपका न कार्य है न कारण, क्योंकि दोनों सर्वत्र सर्वदा समकालवृत्ति होनेसे सहचर प्रसिद्ध है। व्यान रहे, वैशेषिकोंके संयोगी और एकार्थसमवायी हेतु विद्यानन्दके मतानुसार साध्यसमकालीन होनेसे सहचर है। जैसे समवायी कारणहेतु है, वह उससे पृथक नहीं है।

३. पूर्वचरहेतु—शक्टका उदय होगा, क्योंकि कृतिकाका उदय है। पूर्वचरादि परम्परापूर्वचरहेतुओंका इसीमें समावेश है।

४. उत्तरचरहेतु—भरणिका उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिकाका उदय है। उत्तरोत्तरचरादि परम्पराउत्तरचरहेतुओंका इसीके द्वारा संश्लह हो जाता है।

ये छह ($2 + 4 = 6$) हेतु^१ विधिरूप साध्यको सिद्ध करनेसे विधिसाधन (भूतभूत) हेतु कहे जाते हैं।

प्रतिवेषरूप साध्यको सिद्ध करनेवाले हेतु^२ तीन हैं।—(१) विशद्धकार्य, (२) विशद्धकारण और (३) विशद्धाकार्यकारण।

१. तदेतसाध्यस्य विधौ साधनं वृत्तिभूमिकम्।

—माणिक्य प० ४० ७३।

२. मतिवेषे तु मतिवेषस्य विशद्धं कार्यं विशद्धं कारणं विशद्धाकार्यकारणं चेति ...।

—म० ४० ४४ ७३।

(२) विरुद्धकार्यहेतु—यही शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि भूम है। स्पष्ट है कि शीतस्पर्शसे विरुद्ध अनल है, उसका कार्य भूम है। उसके सद्गुराबसे शीतस्पर्शका अभाव सिद्ध होता है।

(२) विरुद्धकारण—इस पुरुषके असत्य नहीं है, क्योंकि सम्यग्ज्ञान है। प्रकट है कि असत्यसे विरुद्ध सत्य है, उसका कारण सम्यग्ज्ञान है। रागद्वेषरहित यथार्थज्ञान सम्यग्ज्ञान है। वह उसके किसी यथार्थकथन आदिसे सिद्ध होता हुआ संख्यको सिद्ध करता है और वह भी सिद्ध होता हुआ असत्यका प्रतिवेष करता है।

(३) विरुद्धकार्यकारण—इसके बार भेद है—१. विरुद्धव्याप्त्य, २. विरुद्ध-सहचर, ३. विरुद्धपूर्वचर और ४. विरुद्धउत्तरचर।

१. विरुद्धव्याप्त्य—यही शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि उल्लंगता है। यही निश्चय ही शीतस्पर्शसे विरुद्ध अनिन है और उसका व्याप्त उल्लंगता है।

२. विरुद्धसहचर—इसके मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन है। यही मिथ्याज्ञानसे विरुद्ध सम्यग्ज्ञान है और उसका सहचर (सहभावी) सम्यग्दर्शन है।

३. विरुद्धपूर्वचर—मुहूर्तान्तिमें शकटका उदय नहीं होगा, क्योंकि रेखतीका उदय है। यहीं शकटोदयसे विरुद्ध अशिवनीका उदय है और उसका पूर्वचर रेखतीका उदय है।

४—विरुद्धोत्तरचर—एक मुहूर्त पूर्व भरणिका उदय नहीं हुआ, क्योंकि पुष्टका उदय है। भरणिके उदयसे विरुद्ध पुनर्वसुका उदय है और उसका उत्तरचर पुष्टका उदय है।

ये छह^१ साकात्प्रतिवेष्यसे विरुद्ध कार्यादिहेतु विचिदारा प्रतिवेषको सिद्ध करनेके कारण प्रतिवेषसाधन (अभूतभूत) हेतु उक है।

परम्परासे^२ होनेवाले कारणविरुद्धकार्य, व्यापकविरुद्धकार्य, कारणव्यापक विरुद्धकार्य, व्यापककारणविरुद्धकार्य, कारणविरुद्धकारण, व्यापकविरुद्धकारण, कारणव्यापकविरुद्धकारण और व्यापककारणविरुद्धकारण तथा कारणविरुद्धव्याप्तादि और कारणविरुद्धसहचरादि हेतुओंका भी विचालन्दने संकेत किया है। वे इस प्रकार हैं—

१. तान्येतानि साकात्प्रतिवेष्यविरुद्धकार्यादिनि लिंगानि विचिदारेण प्रतिवेषसाधनानि चक-भिहितानि ।

—५० प० ८० ७३ ।

२. परम्पराया तु कारणविरुद्धकार्यं व्यापकविरुद्धकार्यं कारणव्यापकविरुद्धकार्यं व्यापक-कारणविरुद्धकार्यं...वक्तव्यानि ।

—वही, ५० ७३ ।

१. कारणविश्लेषकार्य—इसके शीतजनित रोमहर्षादिविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। प्रतिबेध्य रोमहर्षादिविशेषका कारण शीत है, उसका विरोधी अनल है, उसका कार्य धूम है।

२. व्यापकविश्लेषकार्य—यहाँ शीतस्पर्शसामान्यसे व्याप स शीतस्पर्शविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। नियेध्य शीतस्पर्शविशेषका व्यापक शीतस्पर्शसामान्य है, उसका विरोधी अनल है, उसका कार्य धूम है।

३. कारणव्यापकविश्लेषकार्य—यहा हिमत्वव्याप हिमविशेषजनितरोमहर्षादिविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। रोमहर्षादिविशेषका कारण हिमविशेष है, उसका व्यापक हिमत्व है, उसका विरोधी अग्नि है, उसका कार्य धूम है।

४. व्यापककारणविश्लेषकार्य—यहा शीतस्पर्शविशेषव्यापक शीतस्पर्शसामान्यके कारण हिमसे होनेवाला शीतस्पर्शविशेष नहीं है, क्योंकि धूम है। प्रतिबेध्य शीतस्पर्शविशेषका व्यापक शीतस्पर्शसामान्य है, उसका कारण हिम है, उसका विरोधी अग्नि है, उसका कार्य धूम है।

५. कारणविश्लेषकारण—इसके मिथ्याचरण नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थोपदेशका ग्रहण है। मिथ्याचरणका कारण मिथ्याज्ञान है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।

६. व्यापकविश्लेषकारण—इसके आत्मामें मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थोपदेशका ग्रहण है। मिथ्याज्ञानविशेषका व्यापक मिथ्याज्ञानसामान्य है, उसका विरोधी सत्यज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।

७. कारणव्यापकविश्लेषकारण—इसके मिथ्याचरण नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थोपदेशका ग्रहण है। यहाँ मिथ्याचरणका कारण मिथ्याज्ञानविशेष है, उसका व्यापक मिथ्याज्ञानसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।

८. व्यापककारणविश्लेषकारण—इसके मिथ्याचरणविशेष नहीं है, क्योंकि तत्त्वार्थोपदेशका ग्रहण है। मिथ्याचरणविशेषका व्यापक मिथ्याचरणसामान्य है, उसका कारण मिथ्याज्ञान है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञान है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है।

९. कारणविश्लेषव्याप्य—सर्वथैकान्तवादीके प्रश्नम, संबेग, अनुकूल्या और आस्तिक्य नहीं है, क्योंकि विपरीतमिथ्यादर्शनविशेष है। प्रश्नमादिका कारण सम्यग्दर्शन है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शनसामान्य है, उससे व्याप्य विपरीत-मिथ्यादर्शनविशेष है।

१०. व्यापकविरुद्धव्याप्ति—स्थानादीके विपरीतादिमिथ्यादर्शनविशेष नहीं है, क्योंकि सत्यज्ञानविशेष है। विपरीतादिमिथ्यादर्शनविशेषोंका व्यापक मिथ्यादर्शनसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वज्ञानसामान्य है, उसका व्याप्त सत्यज्ञानविशेष है।

११. कारणव्यापकविरुद्धव्याप्ति—इसके प्रशम आदि नहीं हैं, क्योंकि मिथ्याज्ञानविशेष है। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शनविशेष है, उसका व्यापक सम्यग्दर्शनसामान्य है, उसका विरोधी मिथ्याज्ञानसामान्य है, उसका व्याप्त मिथ्याज्ञानविशेष है।

१२. व्यापककारणविरुद्धव्याप्ति—इसके तत्त्वज्ञानविशेष नहीं है, क्योंकि मिथ्यादर्थोपदेशका ग्रहण है। तत्त्वज्ञानविशेषोंका व्यापक तत्त्वज्ञानसामान्य है, उसका कारण तत्त्वार्थोपदेशग्रहण है, उसका विरोधी मिथ्यादर्थोपदेशग्रहणसामान्य है, उससे व्याप्त मिथ्यादर्थोपदेशग्रहणविशेष है।

१३. कारणविरुद्धसहचर^१—इसके प्रशम आदि नहीं है, क्योंकि मिथ्याज्ञान है। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शन है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शन है, उसका सहचर मिथ्याज्ञान है।

१४. व्यापकविरुद्धसहचर—इसके मिथ्यादर्शनविशेष नहीं हैं, क्योंकि सम्यग्ज्ञान है। मिथ्यादर्शनविशेषोंका व्यापक मिथ्यादर्शनसामान्य है, उसका विरोधी तत्त्वार्थथद्वानरूप सम्यग्दर्शन है, उसका सहचर सम्यग्ज्ञान है।

१५. कारणव्यापकविरुद्धसहचर—इसके प्रशम आदि नहीं हैं, क्योंकि मिथ्याज्ञान है। प्रशम आदिका कारण सम्यग्दर्शनविशेष है, उनका व्यापक सम्यग्दर्शनसामान्य है, उसका विरोधी मिथ्यादर्शन है, उसका सहचर मिथ्याज्ञान है।

१६. व्यापककारणविरुद्धसहचर—इसके मिथ्यादर्शनविशेष नहीं है, क्योंकि सत्यज्ञान है। मिथ्यादर्शनविशेषोंका व्यापक मिथ्यादर्शन सामान्य है, उसका कारण दर्शनमोहोदय है, उसका विरोधी सम्यग्दर्शन है, उसका सहचर सम्यग्ज्ञान है।

इस प्रकार विद्यानन्दने^२ विरोधी ६ परम्पराविरोधी १६ कुल २२ साक्षात् विरोधी हेतुओंका विस्तृत कथन किया है।

उल्लेखनीय है कि कणादने विरोधी हेतुके अभूतभूत, भूतअभूत और भूतभूत तीन प्रकारोंका निर्देश किया है। पर विद्यानन्दने^३ अभूत-अभूतनामक चौथे भेद

१. प० ५० प० ७४।

२. ३. तदेतत्सामान्यतो विरोधिणिंगं प्रदत्ततो द्वाविषतिप्रकारमपि भूतमभूतस्य गमकम-व्यापाकमपरितिनिमनिइचलाशयत्वात्प्रविष्टत्वम्।

—प० ५० प० ७४।

सहित उसके चार भेदोंका उल्लेख करके उनके साथ समन्वय भी प्रदर्शित किया है। उन्होंने बतलाया है कि उक्त २२ भेद अभूत-भूत (सद्भावप्रतिवेषक विधिरूप प्रतिवेषसाधन) हेतुके हैं और वे एकमात्र अध्यात्मानुपपत्तनियमनिदेशमें आधाररपर गमक हैं। विधिसाधकविधिरूप हेतुके पूर्वांलिङ्गित कार्यादि ६ भेद भूतभूतके प्रकार हैं।^१ इस तरह विद्यानन्दने हेतुके प्रथम भेद विधिसाधन (उपलब्धिः)के विधिसाधक और विधिप्रतिवेषक इन दो भेदों तथा उनके उक्त अवान्तर प्रकारोंको विस्तारा है।

इसके अनन्तर हेतुके दूसरे भेद^२ प्रतिवेषसाधन (अनुपलब्धिः) के भी अकलज्ञकी तरह विधिसाधक प्रतिवेषसाधन और प्रतिवेषसाधक प्रतिवेषसाधन इन दो भेदोंका कथन किया है। प्रथमको भूत-अभूत और द्वितीयको अभूत-अभूत कह कर पूर्ववत् कणादोक्त विरोधि लिंगके भेदोंका साथ समन्वय किया है। अध्यात्म है कि जहाँ कणादने विरोधि लिंगके मात्र तीन भेदोंका निर्देश किया है वहाँ विद्यानन्दने उसके चार भेदोंका वर्णन किया है, जिनमें अभूत-अभूत नामक प्रकार नया है और विसकी विद्यानन्दने ही परिकल्पना की जान पड़ता है, जो युक्तियुक्त है।

विधिसाधक प्रतिवेषसाधन हेतु (भूत-अभूत)^३—

जिन हेतुओंमें साध्य सद्भाव (भूत)रूप और साधन निषेध (अभूत)रूप हो उन्हें विधिसाधक प्रतिवेष (भूत-अभूत) हेतु कहते हैं। यथा—

१. इस प्राणोंके अधिविषेष है, क्योंकि निरामय चेष्टा नहीं है। इस हेतु का नाम विरुद्धकार्यानुपलब्धि है।

२. सर्वथा एकान्तवादका कथन करने वालोंके अज्ञानादि दोष है, क्योंकि उनके युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी वचन नहीं है। इसे विरुद्धकारणानुपलब्धि कहते हैं,

३. इस मुनिके आसत्त्व है, क्योंकि विसंवादी नहीं है। इसका नाम विरुद्धस्वभावानुपलब्धि है।

४. इस तालफलकी पतनक्रिया हो चुकी है, क्योंकि ढंगलके साथ संयोग नहीं है। यह विशद्द सहचरानुपलब्धि है।

१. प्र० प० ७४ ७५।

२. तदित्यं विधिमुखेन विधायकं प्रतिवेषमुखेन प्रतिवेषकं च लिङ्गमधिषाय सांगतं प्रतिवेषमुखेन विधायकं प्रतिवेषकं च साधनममिष्ठते। तत्रामृतं भूतस्य विधायकं ...।

—प्र० प० ७० ७४।

३. वही, प० ७४-७५।

विषिप्रतिवेषकप्रतिवेष साधनहेतु (अभूत-असूत)^१—

जिनमें साध्य निवेष (अभूत-अभाव) रूप हो और साधन भी निवेष (अभूत-अभाव) रूप हो उन्हें विषिप्रतिवेषक प्रतिवेष (अभूत-असूत) हेतु कहते हैं। यथा—

(१) इस शब्दशारीरमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि लेष्टा, वातलाप, विशिष्टजाकार-की उपलब्धि नहीं होती। यह विषिसाधक प्रतिवेषसाधन कार्यानुपलब्धि हेतु है।

(२) इसके प्रश्नम आदि नहीं हैं, क्योंकि तत्त्वार्थशब्दान उपलब्ध नहीं होता। यह कारणानुपलब्धि है।

(३) यहां शिशाणा नहीं है, क्योंकि बुक्ष नहीं हैं। यह व्यापकानुपलब्धि है।

(४) इसके तत्त्वज्ञान नहीं हैं, क्योंकि सम्यग्दर्शन नहीं है। यह सहचरा-नुपलब्धि है।

(५) एक मुहूर्तके अन्तमें शक्टका उदय नहीं होगा, क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं है। यह पूर्वचरानुपलब्धि है।

(६) एक मुहूर्त पहले भरणिका उदय नहीं हुआ, क्योंकि कृत्तिकाका उदय अनुपलब्ध है। यह उत्तरचरानुपलब्धि है।

इसी प्रकार विद्यानन्दने^२ कारणकारणादानुपलब्धि, व्यापकव्यापकानुपलब्धि आदि परम्पराप्रतिवेषसाधकप्रतिवेषसाधन हेतुओंका भी संकेत किया है। तथा इस समस्त निरूपणके अन्तमें अपने कथनकी सम्पुष्टिके लिए इन सब हेतुभेदोंके संग्राहक पूर्वाचार्योंके सात इलोकोंको^३ प्रस्तुत किया है। इसके अनन्तर उन्होंने^४ बौद्ध

१. प० ४० पृ० ७४ ।

२. वही, प० ४० ७४ ।

३. स्वातकार्य कारण व्याप्य ग्राक्षद्वान्तरचारि च ।

लिङ्गं तत्त्वज्ञानव्याप्तेभूतं भूतस्य साधकम् ॥

बोढा विरुद्धकार्यादि सक्षादेवापवृत्तिम् ।

लिङ्गं भूतमभूतस्य लिङ्गलक्षणयोगतः ॥२॥

पारम्पर्यानु कार्यं स्वात् कारणं व्याख्यमेव च ।

सहचारि च निर्दिष्ट प्रत्येकं तच्चतुर्विषम् ॥३॥

कारणादिष्टकार्यादिमेदेनोदाहृतं पुरा ।

यथा शोदशमेदं स्वात् द्वाविशतिविषं ततः ॥४॥

लिङ्गं समुदितं हेषमन्यवालुपपत्तिम् ।

तथा भूतमभूतस्यावृत्तमन्यदीपोदृशम् ॥५॥

अभूतं भूतमुक्तोर्तं भूतस्यानेकशा तुः ।

तथाऽभूतमभूतस्य यथायोग्यमुदाहरेत् ॥६॥

वहुधावेषमाल्यार्तं संक्षेपेण चतुर्विषम् ।

अविसंकेपतो द्वैषोपलम्भानुपलम्भन्तः ॥७॥

—वही, प० ४० ७४-७५ ।

४. वही, प० ४० ७५ ।

कल्पित स्वभावादि त्रिविष, नैयायिकसम्मत पूर्ववदादि त्रिविष, वैशेषिक स्वीकृत संयोग्यादि पंचविष और सास्याभ्युपगत बीतादि त्रिविष हेतुनियमकी समीक्षा करते हुए कहा है कि जब हेतुभेदोंको यह स्पष्ट स्थिति है तो उसे केवल त्रिविष आदि बतलाना संगत प्रतीत नहीं होता। अतः हेतुका एकमात्र प्रयोजक अन्यथा-नुपपत्त्वनियमनिश्चयको ही मानना चाहिए, जिसके द्वारा सभी प्रकारके हेतुओंका संदर्भ सम्मिलित है, त्रिविषत्वादिनियमको नहीं।

माणिक्यनन्दिकी उल्लेखनीय विशेषता है कि उन्होंने अकलंक और विद्यानन्दके वाह्यका बालोडन करके उसमें विशकलित हेतुभेदोंको सुसम्बद्ध ढंगसे सुगम एवं सरल सूत्रोंमें निबद्ध किया है। उनका यह व्यवस्थित हेतुभेदनिवन्धन उत्तरवर्ती प्रभावन्द, लघु अनन्तवीर्य, देवसूरि, हेमचन्द्र प्रभूति ताकिकोंके लिए पथप्रदर्शक तथा आधार सिद्ध हुआ है। यहाँ उसे न देनेपर एक न्यूनता रहेगी। अतः उसे दिया जाता है।

अकलंककी तरह माणिक्यनन्दिने^१ भी आरम्भमें हेतुके मूल दो भेद स्वीकार किये हैं—(१) उपलब्धि और (२) अनुपलब्धि। तथा इन दोनोंको विधि और प्रतिवेष उभयका साधक बतलाया है। और इसलिए दोनोंके उन्होंने दो-दो भेद कहे हैं—उपलब्धिके (१) अविरुद्धोपलब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि तथा अनुपलब्धिके (१) अविरुद्धानुपलब्धि और (२) विरुद्धानुपलब्धि। अविरुद्धोपलब्धिके^२ छह भेद हैं—(१) व्याप्य, (२) कार्य, (३) कारण, (४) पूर्वचर, (५) उत्तरचर और (६) सहचर। विरुद्धोपलब्धिके^३ भी अविरुद्धोपलब्धिकी तरह छह भेद हैं। वे ये हैं—(१) विरुद्धव्याप्य, (२) विरुद्धकार्य, (३) विरुद्धकारण, (४) विरुद्धपूर्वचर, (५) विरुद्धउत्तरचर और (६) विरुद्धसहचर। इसी-प्रकार अनुपलब्धिके प्रथम भेद अविरुद्धानुपलब्धि^४ प्रतिवेषरूप साध्यको सिद्ध करनेकी अपेक्षा सात प्रकारकी कही है—(१) अविरुद्धस्वभावानुपलब्धि, (२) व्यापकानुपलब्धि, (३) कार्यानुपलब्धि, (४) कारणानुपलब्धि, (५) पूर्वचरानुपलब्धि, (६) उत्तरचरानुपलब्धि और (७) सहचरानुपलब्धि। विरुद्ध-

१. परीक्षामु० शा०५७५८।

२. स हेतुभेदो उपलब्ध्यानुपलब्धिमेदात्। उपलब्धिविविधतिवेष्वोरनुपलब्धिवच। अविरुद्धोलब्धिविवेषो वेदा व्याप्यकार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्।

—१० मु० शा०५७५९।

३. विरुद्धतुपलब्धिः प्रतिवेषे तवेति।

—वही, शा०७१।

४. अविरुद्धानुपलब्धिः प्रतिवेषे सप्तभा स्वभावव्यापककार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरानुपलब्धम-भेदादिति।

—वही, शा०७८।

नुपलब्धि^१ विधिरूप साध्यको सिद्ध करनेमें तीन प्रकारकी कही गयी है—(१) विश्वकार्यानुपलब्धि, (२) विश्वकारणानुपलब्धि और (३) विश्वदस्वभावानुपलब्धि । इस तरह माणिक्यनन्दिने $6 + 6 + 7 + 3 = 22$ हेतुमेदोका सोदाहरण निरूपण किया है । विद्यानन्दकी तरह परम्पराहेतुओंकी भी उन्होंने सम्भावना करके उन्हें यथायोग्य उक्त हेतुओंमें ही अन्तर्भुवि करनेका इंगित किया है । माणिक्यनन्दिने^२ अकलंककी भाँति कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर इन हेतुओंको पृथक माननेकी आवश्यकताको भी संयुक्तिक बतलाया है ।

प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्त्तण्डमें और लघु अनन्तवोर्धने प्रमेयरत्नमालामें माणिक्यनन्दिनेके व्याख्याकार होनेसे उनका ही समर्थन एवं विशद व्याख्यान किया है ।

देवसूरिने^३ विषिसाधक तीन अनुपलब्धियोंके स्थानमें पाच अनुपलब्धियाँ बतायी हैं तथा निषेषसाधक विश्वोपलब्धिके छह भेदोंकी जगह सात भेद प्रतिपादित किये हैं । शेष निरूपण माणिक्यनन्द जैसा ही है । विद्यानन्दकी तरह विश्वोपलब्धिके सोलह परम्पराहेतुओंका भी उन्होंने^४ निरूपण किया और इस निरूपण को अभियुक्तों द्वारा अभिहित बतलाया है । इसके साथ ही अविश्वदानुपलब्धिके प्रतिपादक सूचने साक्षात् हेतु सात और उसकी व्याख्यामें परम्पराहेतु ग्यारह कुल अठारह प्रकारोंका भी कथन किया है ।^५ उनका यह प्रतिपादन विद्यानन्दकी प्रमाणपरीक्षा और तत्त्वार्थश्लोकवाच्चिकका आभारी है ।

वादिराजका^६ हेतुमेदविवेचन यद्यपि अकलंक और विद्यानन्दसे प्रभावित है किन्तु उनका वैशिष्ट्य भी उसमें परिलक्षित होता है । उन्होंने संक्षेपमें हेतुके

१. विश्वदानुपलब्धिः विचौ चेधा विश्वकार्यकारणस्वभावानुपलब्धिमेदात् ।

—५० मु० ३।६६ ।

२. वही, ३।६०-६४ ।

३ विश्वदानुपलब्धिस्तु विधिपतीतौ वचवेति । विश्वोपलब्धिस्तु प्रतिवेषपतिवेषपविषत्तौ सम्पकारेति ।

—५० न० त० ३।९६, ७९ ।

४ परम्परया विश्वाश्रयजेन त्वनेकमकारा विश्वोपलब्धिः सम्बन्धी स्वयमभियुक्तैरवगन्तव्या...इति पारम्पर्येण...वेदशमकारा ।

—वही, स्या० रत्ना० ३।८८, ४० ६०५ ।

५. इतीयमविश्वदानुपलब्धिः सहशक्त्वा प्रतिवेषपतिपत्ती सोदाहरणा सूक्ष्मः प्रतिवेषवस्तु-सम्बन्धिनां स्वभावकार्यादीनां साक्षादनुपलम्भदारेण प्रदर्शिता । परम्परया पुनरेवापि निषुणेनिरूप्यमाणेकादशापा सम्बद्धते ।...तदित्य सूत्रौचैः सहशिभेदैः सहामी निलिता पश्चादशमेदा अविश्वदानुपलब्धेऽदादेष संवृत्ता इति ।

—वही, स्या० रत्ना० ३।८८, ४० ६१३-६१५ ।

६. प्रमाणनि० ४० ४२-५० ।

विधिसाधन और प्रतिवेषसाधन दो भेद करके विधिसाधनके धर्मसाधन और धर्म-विशेषसाधन ये दो भेद बतलाये हैं तथा इन दोनोंके भी दो-दो भेद कहे हैं। प्रति-वेषसाधनको भी विधिरूप और प्रतिवेषरूप दो प्रकारका वर्णित करके दोनोंके अनेक भेदोंकी सूचना की है और उनके कलित्य उदाहरण दे कर उन्हें स्पष्ट किया है।

हेमचन्द्रने^१ कणाद, धर्मकीर्ति और विद्यानन्दकी तरह हेतुभेदोंका वर्गीकरण किया है फिर भी उनसे मिलता यह है कि उनके वर्गीकरणमें कोई भी अनुप-लब्धि विधिसाधकरूपसे वर्णित नहीं है^२ किन्तु धर्मकीर्तिकी तरह मात्र निषेध-साधकरूपसे वर्णित है।

धर्मभूषणने^३ विद्यानन्दके वर्गीकरणको स्वीकार किया है। अन्तर इतना ही है कि धर्मभूषणने आरम्भमें हेतुके दो भेद और दोनोंको विधिसाधक तथा प्रतिवेष-साधक प्रतिपादित किया है। पर विधिसाधक विधिरूप हेतुके छह भेदोंका ही उन्होंने उदाहरणाद्वारा प्रदर्शन किया है, अन्य भेदोंका नहीं और इस तरह ६ + १ + २ = ९ हेतुभेदोंका उन्होंने वर्णन किया है।

यशोविजयका^४ वर्गीकरण विद्यानन्द, भाणिक्यनन्दि, देवसूरि और धर्मभूषणके वर्गीकरणोंके आधारपर हुआ है। विशेषतया देवसूरि^५ और धर्मभूषणका^६ प्रभाव उसपर लक्षित होता है।

इस प्रकार जैन तात्कारोंका हेतुभेदनिरूपण अनेकविध एव सूक्ष्म होता हुआ उनकी चिन्तनविशेषताको प्रकट करता है।

१. प्रमाणमो० ११२।१२, प० ४२।

२. वही, १।२।४२, प० ४२-४५।

३. न्या० दो० प० ९५-९९।


४. जैन तत्त्वमो० प० १६-१८।

५. तुलना कीजिए—म० न० त० ३।५४-५५, ३।६८, ६६, ७७, ३।७८, ३।७९, ३।७०
३।८०, ३।८१, ३।८२, ३।८४-८५, ३।८५, ८६, ८७-८८, ३।१०३, ३।१४-१०२।

६. तुलना कीजिए, न्या० दो० प० ९५, ३६, ९७, ९८।


जैन हेतु-मेद

१. स्थानान्तरसूत्र (प० ३०६—३१०) के आधार से
हेतु—४



१. सक्रावसाधक उपलब्धि—६
२. सक्रावप्रतिवेशक उपलब्धि—३
३. अस-सक्रावप्रतिवेशक अनुपलब्धि—५
४. अस-क्रावसाधक अनुपलब्धि—अनेक

३. विचाराद् (प्रमाणपरीक्षा दृ० ७२-७५) के अनुसार




१०८-विमल : १२९


१२. विवि साधन - ६
१३. निषेच साधन २२

૧૮૮ કુલ હેતુ મેદ

२५. सामाजिकपत्रिका (परोपकार वि १६-१७) के अन्तर्गत



देवसुरि (प्रभाणपत्रत्वालक्षणमुक्तर शैवो-९६) के अनुसार



६. हेतुविषय (प्रमाणसंगता १०२०२) के अनुसार

हेतु—१ (स्वेच्छावृति १०२१२ के अनुसार से ११)

१३	१२	१३	१४
स्वेच्छा	कारण	कार्य	एकार्थसमवायि विरोधि

निवेचसाधकनिवेचक			
२	३	४	२
स्वभावादावापक	कारणादापक	कार्यादापक	व्यापकान्
१—निवेचसाधक			कारण
२—विरोधि	४ + ३ = ७		व्यापक

१५	अभिनव अमंथण (स्थानदीपिका पृष्ठ १५—१६) के अनुसार
हेतु—१	१५

प्रतिवेचक			
विविदप			
विविदसाधक	प्रतिवेचसाधक	विविदसाधक	प्रतिवेचसाधक
२	३	५	६
कारणस्य	विवेचक	पूर्वचर	उत्तरचर
= १ + १ + २ = ६			सद्वचर

अध्याय : ४ :

प्रथम परिच्छेद

अनुमानाभास-विमर्श

जैन तकन्त्रयोंमें अनुमान-सम्बन्धी दोषोंपर जो चिन्तन उपलब्ध है वह महत्त्व-पूर्ण, विलच्छय और व्यात्क्षय है। यहाँ उसपर विचार किया जाता है।

समन्तभद्रद्वारा निर्दिष्ट अनुमान-दोष :

समन्तभद्रने अनुमानदोषोंपर यद्यपि स्वतन्त्रभावसे कुछ नहीं लिखा, तथापि एकान्तवादीको समीक्षाके सन्दर्भमें उन्होंने कतिपय अनुमान-दोषोंका उल्लेख किया है। उनसे अवगत होता है कि समन्तभद्र उन दोषोंसे परिचित हो नहीं, उनके विषेषज्ञ नहीं थे। उदाहरणार्थ उनका यहाँ एक स्थल उपस्थित किया जाता है। विज्ञानाद्वैतकी समीक्षा करते हुए वे उसमें दोष-प्रदर्शन करते हैं। लिखते हैं^१ कि 'विज्ञानिमात्रताकी सिद्धि यदि साध्य और साधनके ज्ञानसे की जाती है तो अद्वैतकी स्वीकृति-के कारण न साध्य सम्भव है और न हेतु; अन्यथा प्रतिज्ञादोष और हेतुदोष प्राप्त होंगे।' समन्तभद्रके इस दोषापादनसे स्पष्ट है कि वे प्रतिज्ञादोष और हेतुदोष जैसे अनुमान-दोषोंसे सुपरिचित थे और वे उन्हें मानते थे। तथा इन दोषोंद्वारा एकान्तवाद-साधक अनुमानोंको दूषित अनुमान (अनुमानाभास) बतलाते थे। अतः समन्त-भद्रके उक्त प्रतिपादनपरसे इतना तो कहा ही जा सकता है कि उन्हें प्रतिज्ञादोष (प्रतिज्ञाभास—पक्षाभास) और हेतुदोष (हेत्वाभास) ये दो प्रकारके अनुमान-

१. साध्यसाधनविषयसर्वोदय विज्ञानिमात्रता।

न साध्यं न च हेतुदोष प्रतिज्ञादोषोक्तः॥

—आप्समी० का० ८०।

भास स्वीकृत है। साध्य-सिद्धि में दृष्टान्तको^१ भी अंग कहनेसे उसका दोष (दृष्टा-न्ताभास) भी उन्हें अभिग्रेत हो तो आश्चर्य नहीं। असिद्ध, विशद्, व्यभिचार जैसे हेत्वाभासोंका तो उन्होंने^२ स्पष्ट उल्लेख किया है।

सिद्धसेननिरूपित अनुमानाभास :

सिद्धसेनको^३ हम अनुमानाभासका स्पष्टतया विवेचक पाते हैं। यतः उन्होंने परायानुमानके पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन अवयव स्वीकार किये हैं यतः उसके दोष भी उन्होंने तीन प्रकारके वर्णित किये हैं। वे ये हैं—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास और (३) दृष्टान्ताभास। पक्षाभासके सिद्ध और बाधित ये दो भेद करके बाधितके सिद्धसेनने^४ अनेक अवर्ति चार भेद बतलाये हैं—(१) प्रत्यक्षबाधित, (२) लिङ्गबाधित, (३) लोकबाधित और (४) स्ववचनबाधित। हेत्वाभास उन्होंने^५ तीन प्रकारके प्रतिपादित किये हैं—(१) असिद्ध, (२) विशद् और (३) अनैकान्तिक। वैशेषिक और बौद्ध भी यही तीन हेत्वाभास मानते हैं और त्रैविष्यका उपपादन वे यों करते हैं कि यतः हेतु त्रिरूप है, यतः एक-एक रूपके अभावमें उक्त तीन ही हेत्वाभास सम्भव हैं।

यहीं प्रश्न हो सकता है कि हेतुका त्रैरूप्य लक्षण माननेके कारण उनके अभाव-में वैशेषिक और बौद्धोंका त्रिविष्य हेत्वाभास प्रतिपादन युक्त है। परं जैत तार्किकोंने एकमात्र अन्यथानुपर्याप्तिको ही हेतुलक्षण स्वीकार किया है। स्वयं सिद्धसेनने 'अन्यथा-नुपर्याप्त्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्' शब्दों द्वारा अन्यथानुपर्याप्तत्वको ही हेतुका लक्षण बतलाया है। यतः उनके अनुसार हेत्वाभास एक होना चाहिए, तीन नहीं? इसका उत्तर स्वयं सिद्धसेनने^६ युक्तिपुरस्सर यह दिया है कि चूंकि अन्यथानु-

१. दृष्टान्तसदानुभयोर्विवादे साध्य प्रसिद्धयेच तु वाङ्गास्त !

नयः स दृष्टान्तसमर्थनत्वे ।

—स्वयम्भू० का ५५ तथा ५६ ।

२. युक्त्य० का० १३, १८, २६ ।

३. न्यायाव० का० २१, २२, २३, २४, २५ ।

४. प्रतिपादनस्य यः सिद्धः पक्षाभासोऽस्मि-लिङ्गतः ।

लोक-स्ववचनात्म्यां च बाधितोऽनेकवा मतः ॥

—वही, का० २१ ।

५. ६. अन्यथानुपर्याप्त्वं हेतोर्लक्षणमीरितम् ।

तदप्रतीति-सन्देह-विषयसैस्तदामता ॥

असिद्धस्तप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपर्याप्तते ।

विशद् योऽन्यथाव्याप्त युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥

—वही, का० २२, २३ ।

प्रतिष्ठि या अन्यथानुपपत्तिका अभाव तीन तरहसे होता है। या तो उसकी प्रतीति न हो, या उसमें सन्देह हो और या उसका विपर्यास हो। प्रतीति न होने पर हेतु असिद्ध, सन्देह होनेपर अनैकानिक और विपर्यास होनेपर विशद् कहा जाता है। अतएव तीन हेतुताभासोंका प्रतिपादन भी जैन परम्परामें सम्भव है।

सिद्धसेनने^१ दृष्टान्तदोषोंको प्रथमतः दो बारोंमें विभक्त किया है—(१) साधर्म्यदृष्टान्तदोष और (२) वैषम्यदृष्टान्तदोष। तथा इन दोनोंको उन्होंने छह-छह प्रकारका बतलाया है। इनमें साध्यविकल, साधनविकल और उभयविकल ये तीन साधार्म्यदृष्टान्तदोष तथा साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त ये तीन वैषम्यदृष्टान्तदोष त्यायप्रवेश जैसे^२ हैं। परन्तु सन्दिग्धसाधन और सन्दिग्धोभय ये तीन साधार्म्यदृष्टान्तदोष तथा सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्त, सन्दिग्धसाधन-व्यावृत्त और सन्दिग्धोभय ये तीन वैषम्यदृष्टान्तदोष वर्मकीर्तिकी^३ तरह कथित हैं। त्यायप्रवेशगत अनभय और विपरीतान्वय ये दो साधार्म्यदृष्टान्ताभास तथा अव्यतिरेक और विपरीताव्यतिरेक ये दो वैषम्यदृष्टान्ताभास एवं घर्मकीर्ति स्वीकृत अप्रदीशितान्वय और अप्रदीशितव्यतिरेक ये दो साधार्म्य-वैषम्यदृष्टान्ताभास सिद्धसेनको मान्य नहीं हैं। इस सन्दर्भमें सिद्धविगणीको^४ अतिरिक्त दृष्टान्ताभास-समीक्षा दृष्टव्य है। सिद्धसेनने इन दृष्टान्तदोषोंको यद्यपि 'त्यायविदीरिता' शब्दों द्वारा त्यायवेत्ता-प्रतिपादित कहा है किर भी उनका अपना भी चिन्तन है। यही कारण है कि उन्होंने न तो त्यायप्रवेशकी तरह पौच-पौच और न घर्मकीर्तिकी तरह नौ-नौ साधार्म्य-वैषम्यदृष्टान्ताभास स्वीकार किये। हाँ, अपने अज्ञोक्त उक्त छह-छह दृष्टान्ताभासोंके बायनमें उन्होंने इन दोनोंसे मदद अवश्य ली है और उसकी सूचना 'त्यायविदीरिता' कह कर की है।

अकलकूलीय अनुमानदोषनिरूपण :

जैन त्यायमें अकलकूल ऐसे सूक्ष्म एवं प्रतिमासाली चिन्तक हैं, जिन्होंने अनुमान-भासोंकी मान्यतामें नया चिन्तन प्रस्तुत किया है। अकलकूलके पूर्व जैन दार्शनिक

१. साधर्म्येत्व दृष्टान्तदोषा त्यायविदीरिताः ।

अपदाणहेतुव्याः साधायविकलादयः ॥

वैषम्येत्वात् दृष्टान्तदोषा त्यायविदीरिताः ।

सोधसाधनयुग्मानामनिवृत्तेत्वं संशयात् ॥

—त्यायाव० का० २४, २५ ।

२. त्यायम् ० २० ५-७ ।

३. त्यायविदि० १० १४-१०१ ।

४. त्यायाव० ठी० का० २४, १० ५७ ।

अनुमानके तीन अवयवोंकी मान्यताके कारण तीन अनुमानाभास स्वीकार करते हैं। पर अकलकूदेव अनुमानके मूलतः दो ही अवयव (अज्ञ) मानते हैं—(१) साध्य और (२) साधन। तीसरा अवयव दृष्टान्त तो अल्पज्ञोंकी दृष्टिसे अथवा किसी स्थलविशेषकी अपेक्षासे ही प्रतिपादित है। अतः दृष्टान्ताभास नामक तीसरे अनुमानाभासका निरूपण सार्वजनीन नहीं है। अकलकूदकी उक्त मान्यतानुसार अनुमानाभास निम्न प्रकार है :—

साध्याभास :

अकलकूदसे पूर्व प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामका अनुमानाभास माना जाता था। पर अकलकूदे उसके स्थानमें साध्याभास नाम रखा है। अकलकूदको यह नामपरिवर्तन अथवा सुधार क्यों अभीष्ट हुआ ? पूर्व नामोंको ही उन्होंने क्यों नहीं रहने दिया ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा विचार है कि अनुमानके प्रयोगक तत्त्व मुख्यतया दो ही है—(१) जिसकी सिद्धि करता है अर्थात् साध्य और (२) जिससे उसकी सिद्धि करता है अर्थात् साधन। अनुमानका लक्षण^१ (साध्याभासाध्यविज्ञानमनुमानम्) भी इन दो ही तत्त्वोंपर आधारित माना गया है। अतः अनुमानके सर्वदमें साधनदोषोंकी तरह साध्यदोष (असाध्य या साध्याभास) ही विचारणीय है। जब अवाधित, अभिप्रेत और अप्रसिद्धको साध्य कहा जाता है^२ तो बाधित, अनभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास ही माना जायेगा^३, क्योंकि वह (बाधितादि साध्य) साधनका विषय नहीं होता। जो बाधित है वह सिद्ध नहीं किया जा सकता, अनभिप्रेतको सिद्ध करनेमें अतिप्रसङ्गदोष है और प्रसिद्धको सिद्ध करना निरर्थक है^४। अतः अकलकूदेवका उक्त संबोधन (नामपरिवर्तन) इस सूक्ष्म तथ्यका प्रकाशक जान पड़ता है। अतएव प्रतिज्ञाभास या पक्षाभास नामकी अपेक्षा अनुमानाभासके प्रथम भेदका नाम साध्याभास अधिक अनुरूप है। यों तो साध्यको अनुमेयकी तरह पक्ष और साध्याभासको अनुमेयाभासकी भाँति पक्षाभास या प्रतिज्ञाभास भी कहा जा सकता है। पर सूक्ष्म विचारकी दृष्टिसे साध्याभास नाम ही उपयुक्त है।

अकलकूदेवने साध्य और साध्याभासकी जो परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं उनके अनुसार साध्याभासके मूल तीन भेद कलित होते हैं—(१) अशक्य (विशद—

१. साधनारसाध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यये ।

—न्यायविदिः का० १७०; अनुमान प्रस्ताव (अफ्टॉन० श० प० ५२) ।

२. ३. सार्व्य शक्यमविभ्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् ।

साध्याभासं विशदादि साधनाविषयतः ॥

—शही, का० १७२; अनु० १० अल० श० प० ५२ ।

४. तदविषयतः च निराकृतसाधनाक्षमताविभ्रेतस्यातिप्रसंयात्मसिद्धत्य च वैपर्याय ।

—नादिराज, न्यायविदि, विं० २१३, ह० २४५ ।

बाधित—निराकृत), (२) अनभिप्रेत और (३) प्रसिद्ध । पर सिद्ध सेन अनभिप्रेत भेद नहीं मानते, लेकिं सिद्ध और बाधित ये दो ही भेद स्वीकार करते हैं । किन्तु जब साध्यको वादीकी अपेक्षा अभिप्रेत—इष्ट होना भी आवश्यक है, अन्यथा अनिष्ट भी साध्य हो जाएगा, तब अनभिप्रेत (अनिष्ट) को साध्याभासका एक प्रकार मानना ही चाहिए । उदाहरणार्थं साध्यकी अनित्यता असिद्ध और साध्य (बाधित) होनेपर भी मीमांसकके लिए वह अनिष्ट है । अतः मीमांसककी अपेक्षा वह अनिष्ट साध्याभास है । तात्पर्य यह कि साध्याभासके लक्षणमें अनभिप्रेत विशेषण दांछनीय है और तब साध्याभास द्विविध न होकर त्रिविध होगा । साध्याभासके सम्बन्धमें अकलंकों सिद्धसेनसे दूसरी भिन्नता यह है कि अकलंकने बाधित साध्याभासके अवान्तर भेदोंका उल्लेख नहीं किया, जबकि सिद्धसेनने उसके चार भेदोंका निर्देश किया है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं । ही, अकलंकके व्याख्याकार वादिराजने^१ अवश्य उनके 'विरुद्धादि' पदका व्याख्यान करते हुए बाधित (विरुद्ध—निराकृत) के प्रत्यक्षनिराकृत, अनुमाननिराकृत और आगमननिराकृत ये तीन भेद वर्णित किये हैं । इनमें आदिके दो भेद सिद्धसेनके उपर्युक्त चार भेदोंमें भी पाये जाते हैं । पर 'आगमननिराकृत' नामका भेद उनमें नहीं है और वह नया है । वादिराजने सिद्धसेनके स्वतन्त्रबाधित और लोकबाधित इन दो बाधितोंको यहाँ छोड़ दिया है । परन्तु अपनी स्वतन्त्र कृति प्रमाणनिर्णयमें^२ उक्त तीनों बाधितोंके अतिरिक्त इन दोका भी उन्होंने कथन किया है और इस प्रकार पांच बाधितोंका बहाँ निर्देश है ।

साधनाभास :

जैन तार्किक हेतु (साधन) का केवल एक अन्यथानुपपत्ति—अन्यथानुपपत्ति स्व मानते हैं । अतः यथार्थमें उनका^३ हेत्वाभास (साधनाभास) भी उसके अभावमें एक होना चाहिए, एकसे अधिक नहीं ? इसका समाधान यो तो सिद्धसेनने

१. विरुद्धादि । विविध सर्व निराकृत प्रत्यक्षादिना विरुद्धम् । अनेनाशक्यमुक्तम् । न हि प्रत्यक्षादिनिराकृतं शक्यं साधितुम् । ***तत्र प्रत्यक्षनिराकृतं ***तदेव चानुमाननिराकृतं *प्रवर्गामनिराकृतमपि ।

—न्यायविद् ० विं २१३, पृ० १२ ।

२. तत्र प्रत्यक्षविशद्दं ***अनुमानविशद्दं *** आगमविशद्दं ***स्वतन्त्रविशद्दं *** लोकविशद्दं यदा*** ।

—प्रमाणनिर्ण ० प० ६१-६२ ।

३. हेत्वाभासत्वमन्यवानुपपत्तैकल्पात् । तस्य जैकविषत्वात् तदभासानामन्येकविषत्वमेव आप्नोति, बहुविषत्वं चेष्टते तात्प्रविषिति चेत् ।

—न्या० विं ० २१५३, पृ० २४५ ।

किया ही है। पर अकलंकने वही योग्यता और सूखमतासे उत्तर दिया है। वे^१ कहते हैं कि जो साधन अन्यथानुपपत्ति नहीं है वह साधनभास है और वह वस्तुतः एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर। विशद्, असिद्ध और सन्दिग्ध ये उसीका विस्तार हैं। यतः अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक तरहसे होता है, अतः हेत्वाभास अनेक प्रकारका सम्भव है। अन्यथानुपपत्तिका निश्चय न होनेपर असिद्ध, विपर्यय होनेपर विशद् और सन्देह होनेपर सन्दिग्ध ये तीन हेत्वाभास कहे जा सकते हैं। अतएव जो हेतु त्रिलक्षणात्मक होनेपर भी अन्यथानुपपत्तवसे रहित है उन सबको अकलंक अकिञ्चित्कर हेत्वाभास मानते हैं।

यहां प्रश्न है कि पूर्वसे अप्रसिद्ध एवं अकलकुदेवद्वारा स्वीकृत इस अकिञ्चित्कर हेत्वाभासका आधार क्या है? क्योंकि वह न तो कणाद और दिग्नाम कथित तीन हेत्वाभासोंमें है और न गौतम स्वीकृत पौच हेत्वाभासोंमें? श्री पं० सुखलालजी संघवीका^२ विचार है कि 'जयन्तभट्टने अपनी न्यायमंजरी (पृ० १६३)में अन्यथासिद्ध अपरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभासको माननेका पूर्वपक्ष किया है जो वस्तुतः जयन्तके पहले कभीसे चला आता हुआ जान पड़ता है।'.....अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध मानने वाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थके आधारपर ही अकलंकने अकिञ्चित्कर हेत्वाभासकी अपने ढंगसे नयी सृष्टि की हो।' निस्तुन्देह जयन्तभट्टने^३ अप्रयोजक हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तारपूर्वक विचार किया है। वे पहले तो उसे छठवां ही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहा तक कह देते हैं कि विभागसूत्रका उल्लंघन होता है तो होने वो, सुस्पष्ट दृष्ट अप्रयोजक (अन्यथासिद्ध) हेत्वाभासका अपन्हव नहीं किया जा सकता और न वस्तुका अतिक्रमण। किन्तु पीछे उसे वे असिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। अन्तमें 'अथवा'^४के साथ कहा है कि अन्यथासिद्धत्व (अप्रयोजकत्व) सभी हेत्वाभासबुत्ति सामान्य रूप है, छठवां हेत्वाभास नहीं। इसी अन्तिम अभिमतको

१. (क) साधन ग्रन्थभावेऽनुपपत्तं ततोऽपरे ।

विशदासिद्धसन्दिग्धा अकिञ्चित्करविस्तरः ॥

—न्यायविं० ११०१-१०२, पृ० २२५-२३० ।

(ख) अन्यथासम्भवाभावमेदादस ब्रुता स्मृतः ।

विशदासिद्धसन्दिग्धैरकिञ्चित्करविस्तरैः ॥

—वही, २।१६७, पृ० २२५ ।

(ग) अन्यथानुपपत्तवरहिता ये त्रिलक्षणाः ।

अकिञ्चित्कारकान् सर्वात्मान् वर्यं संगिरामहे ॥

—वही, २।२०३, पृ० २३१ ।

२. प्र० मी० मालादि० पृ० ५७ ।

३. न्या० म० प० १६३-१६४ (मनेषमकरण) ।

१५२ : जैन तत्त्वात्मकमें अनुभाव-विचार

'अन्यकलिका' (पृ० १५)में भी स्थिर रखा है। श्रीरंबदीजोकी सम्माननापर वह हमने अकलंकसे पूर्ववर्ती तार्किक प्रश्नोंमें 'अन्यथासिद्ध'का बन्धेषण किया तो उच्छोतकरके न्यायवार्तिकमें^१ 'अन्यथासिद्ध' हेत्वाभास मिल गया, जिसे उन्होंने असिद्धके तीन भेदोंमें परिणामित किया है। वस्तुतः अन्यथासिद्ध एक प्रकारका अन्योजक या अंकिचित्कर हेत्वाभास हो है। जो हेतु निरर्थक हो—स्वीकृत साध्य-को सिद्ध न कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा अंकिचित्कर कहना चाहिए। अन्यथासिद्धत्व अन्यथानुपत्तन्त्रत्वके आधार—अन्यथा-उपपत्तन्त्रके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही कारण है कि अकलंकदेवने^२ सर्वलक्षण (विकृप अथवा पंचरूपादि) सम्पन्न होने पर भी अन्यथानुपत्तिरहित हेतुओंको अंकिचित्कर 'हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। अतएव अकलंकने उच्छोतकरके अन्यथासिद्धत्वके आधारपर अंकिचित्कर हेत्वाभासकी परिकल्पना की हो तो आश्वर्य नहीं। प्रमाणसंग्रहगत^३ प्रतिपादनसे प्रतीत होता है कि वे अंकिचित्करको पृष्ठक् हेत्वाभास भी मानते हैं, क्योंकि असिद्धादि अन्य तीन हेत्वाभासोंके लक्षणोंके साथ उसका भी स्वतन्त्र लक्षण दिया है।

इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें डा० महेन्द्रकुमार जैनका^४ मत है कि 'अकलंकदेव-का अभिप्राय अंकिचित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमें सुदृढ़ नहीं मालूम होता। वे लिखते हैं कि सामान्यसे एक असिद्ध हेत्वाभास है। वही विशद, असिद्ध और सन्दिक्षके भेदसे अनेक प्रकारका हो जाता है। फिर लिखा है कि अन्यथानुपत्तिरहित जितने विलक्षण है उन्हें अंकिचित्कर कहना चाहिए। इससे जात होता है कि वे सामान्यसे हेत्वाभासोंकी असिद्ध या अंकिचित्कर संज्ञा रखना चाहते हैं।'

इसमें सन्देह नहीं कि अंकिचित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेकी अपेक्षा अकलंकदेवका अधिक सूक्ष्म उसे सामान्य हेत्वाभास और विकृदादिको उसीका

१. अप्योऽवकृत च सर्वेहेत्वाभासानामनुगत रूपम्। अनित्यः परमाणुबोऽमूर्त्तिवात् इति सर्वलक्षणसम्पूर्णोऽप्यमयोजक एव।

—न्या० वा० १० १५।

२. सोऽयमसिद्धस्त्वेषा मवति प्रशापनोयचमंसमानः, आन्यथासिद्धः, अन्यथासिद्धस्त्वेति।

—न्या० वा० १२।२८, पृ० १७५।

३. अंकिचित्करकान् सर्वलक्षण् वर्य संगिरामहे।

—न्या० वि० २।२०२, पृ० २३२।

४. स विश्वोऽन्यथाभावात् असिद्धः सर्वात्मव्याप्तः।

अभिचरी विष्णुदेवि सिद्धेऽंकिचित्करोऽस्त्विलः॥

—प्र० सं० ४८, ४९, ल० ग० प० १११। तथा सि० वि० ६।१२, प० ४२६।

५. प्रस्तावना प० २०, न्या० वि० वि० द्वितीय मात्र।

विस्तार बतलानेकी ओर है। पर उन्होंने सामान्यसे एक असिद्ध हेत्वाभास महीं माना और न ही विश्व, असिद्ध तथा सन्दिग्धको उसका प्रकार कहा है। ज्ञात होता है कि ढा० जैनको अलंकदेवके 'अन्यथासम्भवाभावमेदात् स बहुधा स्मृतः'^१ इस वाक्यमें आये 'स' शब्दसे पूर्ववर्ती कारिकावाक्य 'असिद्धश्चाभ्युष्टवादिः शब्दानित्यसाधने'^२में आगत 'असिद्ध'के ग्रहणका भ्रम हुआ है। यथार्थमें 'स' शब्दसे वहाँ सामान्य हेत्वाभासका ग्रहण अकलकदेवको विवक्षित है। उनके व्याख्याकार वादिराजने^३ भी 'स हेत्वाभासो बहुधा बहुप्रकारः स्मृतः मतः' इस प्रकारसे 'स' शब्दका सामान्य हेत्वाभास व्याख्यान किया है, असिद्ध नहीं। दूसरे, जब प्रकारोमें भी 'असिद्ध' अभिहित है तब असिद्धका असिद्ध प्रकार कैसे सम्भव है? यह एक असंगति है। अतः अकलकूलको विशद्वादि अकिञ्चित्कर नामक सामान्य हेत्वाभासके तो प्रकार अभिमत है, पर असिद्धके नहीं। उसे स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेकी अपेक्षा चार हेत्वाभास स्वीकार कर अकलकूलने उनका निम्न प्रकार विवेचन किया है—

(१) असिद्ध^४—जो पक्षमें सर्वथा पाया ही न जाए अथवा जिसका साध्यके साथ अविनाभाव न हो वह असिद्ध है। जैसे—शब्द अनित्य है, क्योंकि चाक्षुष है। यहाँ चाक्षुषत्व हेतु शब्दमें नहीं रहता, शब्द तो आवण है। अतः असिद्ध है।

(२) विश्व^५—जो साध्यके अभावमें पाया जाए अथवा साध्याभावके साथ जिसका व्याप्ति हो वह विश्व है। जैसे—सब पदार्थ क्षणिक है, क्योंकि सत् है। यहाँ सत्त्व हेतु सर्वथा क्षणिकत्वसे विश्व कर्त्तव्यचित् क्षणिकत्वके साथ व्याप्ति रखता है। अतः विश्व है।

१. न्या० वि० वि० २१९७।

२. वहो, २१९६।

३. अन्यथासम्भवाभावः अन्यथानुपचलत्वसाधाभः तस्य मेदो नानार्थं तस्मात् स हेत्वाभासो बहुधा बहुप्रकारः स्मृतो मत ईति । कैः कृत्वा स बहुप्रत्याह विशद्वादिसन्दिग्धैर् किञ्चित्कलविस्तरैः ।

—वहो, २१९७।

४. असिद्धः सर्वथास्यात् ।

—प० सं० का० ४८, प० १११।

असिद्धश्चाभ्युष्टवादिः शब्दानित्यसाधने ।

—न्या० वि० २१९६।

५. स विशद्वाऽन्यथाभावात् ।

—प० सं० का० ४८, प० १११।

साध्याभावसम्भवनिषमनिषयैकलक्षणो विशद्वो हेत्वाभासः । यथा नित्यः शब्दः सत्त्वात् ईति ।

—वहो, स्व० व० ४० ४०, प० १०७

२१४ : जैन तक्षशालमें अनुमान-विचार

(३) सन्दिग्ध—जो पक्ष और सप्तकी तरह विषयमें भी रहे वह सन्दिग्ध अर्थात् अनैकान्तिक है। जैसे— वह सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि वक्ता है। वक्तृत्व हेतुके बसवंजको तरह सर्वज्ञमें भी रहनेका सन्देह है। अतः वह सन्दिग्ध है।

(४) अकिञ्चित्कर^३—जिसका साध्य सिद्ध हो, अथवा अन्यथानुपपत्तिसे रहित जितने भी हेतु हों वे सब अकिञ्चित्कर हैं। जैसे—शब्द विनाशी है, क्योंकि कृतक है। अथवा यह अनिन्दित है, क्योंकि धूम है। कृतकत्व और धूम हेतु प्रत्यक्ष-सिद्ध विनाशित्व और अनिन्दित होनेसे अकिञ्चित्कर है।

अकलंकने धर्मकीर्ति और अच्छट द्वारा उल्लिखित ज्ञातत्वरूपके अभावमें होनेवाले अज्ञात साधनाभासको असिद्धका एक भेद कहकर उसका असिद्धमें अन्तर्भवित किया है^४। इसो प्रकार दिग्माणके^५ विहद्वाध्यभिवारीका, जिसे उन्होंने अनैकान्तिकका एक भेद माना है, विहद्वमें समावेश किया है। परस्परविरोधी दो हेतुओंका एक धर्ममें प्रयोग होनेपर प्रथम हेतु विहद्वाध्यभिवारी कहा जाता है। यह नैयायिकोंके प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) हेत्वाभास जैसा है। दोनों हेतु संशयजनक होनेसे दोनोंका समुच्चयरूप यह विहद्वाध्यभिवारी अनैकान्तिक हेत्वाभास है^६। धर्म-कीर्तिने^७ इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मत है कि जिस हेतुका वैरूप्य प्रमाणसे प्रसिद्ध है, उसके विरोधी हेतुका अवसर ही नहीं है। प्रशस्तपादका^८ मंतव्य है कि उक्त हेत्वाभास संशयहेतु नहीं है, क्योंकि संशयका कारण विषयद्वैतदर्शन है। किन्तु समानासमान जातीय दो घमोंप तुल्य बल होनेसे परस्पर विरोध है और इस विरोधके कारण वे (दोनों हेतु) केवल एकपक्षीय निर्णयानुत्पादक हैं, न कि संशय-हेतु। दूसरे, वे तुल्यबल भी नहीं हैं, क्योंकि उनमेंसे एकका साध्य बाधित हो जाता

१. ध्यामिवारी |वप्तेऽपि । —प्र० स० का० ४८, प० १११ ।

अनिच्छितविषयहृत्तरनैकान्तिकः । —वहो, का० ४०, प० १०६ ।

२. सिद्धांकचित्करो हेतुः स्वय साध्यव्यपेशया । —प्र० स० का० ४४, प० ११० ।

सिद्धांकिच्छत्करोऽलिङ्गः । —वहो, का० ४६, प० १११ ।

३. साध्येऽपि कृतकत्वादिः अशोतः साधनाभासः । तदसिद्धलक्षणेन अपरो हेत्वाभासः ।

—प्र० स० स्तो० ह० ४४, प० ११० ।

४. न्या० प्र० प० ४-५ ।

५. रमयोः सशवहेतुवाद् द्वावप्येतावेकोऽनैकान्तिकः समुदितावेत् ।

—न्या० प्र० प० ५ ।

६. न्या० विठ० प० ८६ ।

७. 'न, संशयो विषयद्वैतदर्शनात् । ...तुल्यबलये च तदोः परस्परविरोधान्विनिर्णयानुत्पादकर्त्वं स्वयात् तु संशयहेतुव्यम् । न च तयोस्तुल्यबलव्यमस्ति अन्यतरस्वानुभेदेष्वागमवाप्तिकादर्थं तु विषयमेव एव ।

—न्या० मा० प० ११६ ।

है। अतः वह एक विशद्का भेद है—प्रत्यक्षादिविशद् प्रतिक्षाभासोंमें से कोई एक है। अकलंकका^१ मत है कि जो हेतु विशद्का अव्यभिचारी—विश्वामें रहनेवाला है उसे विशद् हेत्वाभास होना चाहिए। इस तरह अकलंकने सामान्यरूपसे एक अकिञ्चित्कर हेत्वाभास स्थीकार करके भी विशेषरूपसे उसके असिद्ध, विशद् और अनैकान्तिक ये तीन तथा अकिञ्चित्कर सहित चार हेत्वाभासोंका कथन किया है।

दृष्टान्ताभास :

अकलंकने^२ प्रतिपाद्यविशेष अथवा स्थलविशेषकी आवश्यकताको ध्यानमें रखते हुए ‘तद्वाभासाः साध्यादिविकलादयः’ शब्दों द्वारा साध्यविकल आदि दृष्टान्त-भासोंकी भी सूचना की है। परन्तु उनकी इस सक्षिप्त सूचनापरसे यह ज्ञात करना दुष्कर है कि उसके मूल और अवान्तर भेद कितने अभिप्रेत हैं। पर ही, उनके व्याख्याकार वादिराजके व्याख्यान (विवरण) से उनके आशयको जाना जा सकता है। वादिराजने^३ घर्मकीर्तिको^४ तरह उसके साधर्म्य और वैधर्म्य ये दो मूल भेद और उनके अवान्तर नौ-नौ प्रकार प्रदर्शित किये हैं। यथा—

१. साधर्म्यदृष्टान्ताभास :

- (१) साध्यविकल—शब्द नित्य है, क्योंकि अमूर्तिक है, कर्मकी तरह। यहा कर्म दृष्टान्त साध्यविकल है, कारण कि वह नित्य नहीं है, अनित्य है। यह साध्यविकल साधर्म्यदृष्टान्ताभासका निदर्शन है।
- (२) साधनविकल—उक्त अनुमानमें परमाणुका दृष्टान्त देना साधनविकल साधर्म्यदृष्टान्ताभास है, क्योंकि परमाणु अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है।
- (३) उभयर्थविकल—उपर्युक्त अनुमानमें ही घटका दृष्टान्त उभयविकल साधर्म्यदृष्टान्ताभास है, क्योंकि घट न नित्य है और न अमूर्तिक, वह अनित्य तथा मूर्तिक है।
- (४) सन्दिग्धसाध्य—सुगत रागादिमान् है, क्योंकि उत्पन्न होते हैं, रथ्यापुरुषकी तरह। यहा रथ्यापुरुषमें रागादिका निश्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादिसे उनका निश्चय करना जशक्य है।
- (५) सन्दिग्धसाधन—यह मरणशोल है, क्योंकि रागादिमान् है, रथ्यापुरुषकी तरह। यहा रथ्यापुरुषमें रागादिका पूर्ववत् अनिश्चय है।

१. विशद्वाभिचारी स्थान विशद्वे विदुषा पुनः।

—म० स० क० ४७ तथा क० ४४ को स्व० प० ११०-१११।

२. न्या० वि० २२११, प० २४०।

३. न्या० वि० २२११, प० २४०-४१।

४. न्यायवि० प० ९४-१०२।

२६६ : जैन तकनीकमें अनुमान-विचार

- (६) सन्दिग्धोमय—यह असर्वज्ञ है, क्योंकि रागादिमान् है, रथ्यापुरुषकी तरह। यहां रथ्यापुरुषमें साध्य और साधन दोनोंका अनिश्चय है।
- (७) अनन्वय—यह रागादिमान् है, क्योंकि बक्ता है, रथ्यापुरुषकी तरह यहा रथ्यापुरुषमें रागादिका सद्ग्राव सिद्ध न होनेसे अन्वय असिद्ध है।
- (८) अप्रदर्शितान्वय—शब्द अनित्य है, क्योंकि कृतक है, घटकोंका तरह। यहा 'जो जो कृतक होता है वह वह अनित्य होता है' ऐसा अन्वय प्रदर्शित नहीं है, क्योंकि कृतकताका ज्ञान होने पर भी अनित्यका ज्ञान शक्य नहीं है।
- (९) विपरीतान्वय—'जो अनित्य होता है वह कृतक होता है' ऐसा विपरीत अन्वय प्रस्तुत करना विपरीतान्वय साधर्म्यदृष्टान्ताभास है। ये नी साधर्म्यदृष्टान्ताभास हैं।

२. वैधम्यदृष्टान्ताभास :

- (१) साध्याव्यावृत्त—शब्द नित्य है, क्योंकि अमूर्त है, जो नित्य नहीं होता वह अमूर्त भी नहीं होता, जैसे परमाणु। यहा परमाणुका दृष्टान्त साध्याव्यावृत्त वैधम्यदृष्टान्तभास है, कारण कि परमाणुओंमें साधनकी व्यावृत्ति होनेपर भी साध्य (नित्यत्व)की व्यावृत्ति नहीं है।
- (२) साधनाव्यावृत्त—उक्त अनुमानमें कर्मका दृष्टान्त साधनाव्यावृत्त है, क्योंकि उसमें साध्य (नित्यत्व) को व्यावृत्ति रहने पर भी साधन (अमूर्तत्व) की अव्यावृत्ति है।
- (३) उभयाव्यावृत्त—उक्त अनुमानमें ही आकाशका दृष्टान्त उभयाव्यावृत्त है, क्योंकि आकाशमें न साध्य (नित्यत्व) को व्यावृत्ति है—नित्यत्व रहता ही है और न अमूर्तत्वको व्यावृत्ति है—वह उसमें रहता ही है।
- (४) सन्दिग्धसाधनव्यव्यतिरेक—सुगत सर्वज्ञ है, क्योंकि अनुपदेशादिप्रमाण-युक्ततत्त्वप्रवक्ता है, जो सर्वज्ञ नहीं वह उक्त प्रकारका प्रवक्ता नहीं, मथा बीघीपुरुष। यहां बीघीपुरुषमें सर्वज्ञत्वकी व्यावृत्ति अनिश्चित है, कारण कि परके मनकी आतको जानना दुःखर है।
- (५) सन्दिग्धसाधनव्यव्यतिरेक—शब्द अनित्य है क्योंकि सत् है, जो अनित्य नहीं होता वह सत् भी नहीं होता, जैसे गगन। गगनमें सत्त्वरूप साधनकी व्यावृत्ति सन्दिग्ध है, क्योंकि वह अवृश्य है।

- (६) सम्बद्धोभवत्तिरेक—हरिहरादि संसारी हैं, क्योंकि अज्ञानादि युक्त हैं। जो संसारी नहीं है वह अज्ञानादि दोष युक्त नहीं है, यथा बुद्ध। बुद्धमें संसारित्व साध्य और अज्ञानादियुक्तत्व साधन दोनों-की व्यावृत्ति अनिवार्य है।
- (७) अध्यतिरेक—शब्द नित्य है, क्योंकि अमूर्त है, जो नित्य नहीं वह अमूर्त नहीं, यथा बड़ा। घड़में साध्यकी व्यावृत्ति रहनेपर भी हेतु-की व्यावृत्ति तत्प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि कर्म अनित्य होनेपर भी अमूर्त है।
- (८) अप्रदर्शितत्वतिरेक—शब्द अनित्य है, क्योंकि सत् है, आकाशकी तरह। यहाँ वैषम्येण आकाशमें व्यतिरेक अप्रदर्शित है।
- (९) विपरीतत्वतिरेक—उक्त अनुमानमें ही 'जो सत् नहीं वह अनित्य भी नहीं, जैसे आकाश' यहाँ साधनकी व्यावृत्तिसे साध्यकी व्यावृत्ति दिखाई दयो है, जो विरुद्ध है।

इस तरह वादिराजने^१ अकलंकके अभिप्रायका उद्घाटन करते हुए नौ साधर्म्यदृष्टान्ताभास और नौ ही वैषम्यदृष्टान्ताभास कुल अठारह दृष्टान्ताभासों-का निरूपण किया है।

उपर्युक्त अध्ययनसे विदित होता कि अकलंकके चिन्तनमें हमें साध्याभासके तीन भेदोंकी मान्यता, हेत्वाभाससामान्यका अकिञ्चित्कर नामकरण और उसके तीन अथवा चार प्रकारोंको परिकल्पना तथा प्रतिपाद्यविशेषकी अपेक्षा साध्यविकलादि दृष्टान्ताभासोंकी स्वीकृति ये उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह अवश्य है कि इन अनुमानदोषोंका प्रतिपादन उनके उपलब्ध न्यायवाङ्मयमें कमबढ़ और एकत्र उपलब्ध नहीं होता—अतिसंक्षेपमें ही उनपर प्रकाश प्राप्त होता है। सम्भव है अनुमानदोषोंका निरूपण उन्हें उतना अभीष्ट न हो जितना सभीक्षण दार्शनिक प्रमेयों (विषयों) की समीक्षा। सम्भवतः इसीसे अकलंकके न्यायवाङ्मयके तलदृष्टा माणिक्यनन्दिका ध्यान उत्थर गया और उन्होंने अपने परीक्षामुख्यमें आभासोंका प्रतिपादक एक स्वतन्त्र ही परिच्छेद निर्मित कर उसमें अनुमानाभासों-का कमबढ़ एवं एकत्र विशद और विस्तृत निरूपण किया है।

माणिक्यनन्दिद्वारा अनुमानाभास-प्रतिपादन :

यद्यपि जैन परम्परामें जैनन्यायपर जल्पनिर्णय, त्रिलक्षणकदर्शन, वादन्याय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह जैसे महत्वपूर्ण अनेक प्रकरणग्रन्थ लिखे

१. ते हमे पूर्वसूचिता अदादपापि दृष्टान्ताभासः ।
—न्या० वि० वि० १२१, प० २४१ ।

जा चुके थे, पर गोतमके न्यायसूत्र, दिङ्गागशिष्य शङ्करस्वामीके न्यायप्रबेश और बर्मकीतिके न्यायबिन्दुकी तरह जैनन्यायको गदासूत्रोंमें निबद्ध करनेवाला कोई गदान्यायसूत्र ग्रन्थ नहीं रखा गया था। माणिक्यनन्दिने जैन न्यायको गदासूत्रोंमें निबद्ध करनेवाली अपनी महत्वपूर्ण कृति 'परीक्षामुख्य', जो जैन परम्पराका प्रथम 'न्यायसूत्र' है और जिसे उनके टीकाकार अनन्तवीर्यने 'न्यायविद्या' एवं अकलंक-के बचोम्भीषिका 'असूत्र' कहा है, लिखकर उक्त कमीको पूरा किया है।

इसके अन्तिम परिच्छेदमें माणिक्यनन्दिने^३ अनुमानाभास प्रकरणको आरम्भ करते हुए उसे चार बगोंमें विभक्त किया है—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास, (३) दृष्टान्ताभास और (४) बालप्रयोगाभास। इनमें आश तीन तो सभी तार्किकोंके द्वारा चर्चित एवं निरूपित है। किन्तु अन्तिम चतुर्थ बालप्रयोगाभास का निरूपण हम स्पष्टतया माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख्यमें पाते हैं।

(१) त्रिविध पक्षाभास

माणिक्यनन्दिने^३ अकलंककी तरह इसके तीन भेद बतलाये हैं—(१) बनिष्ठ, (२) सिद्ध और (३) बाधित। बाधितके भी उन्होंने पाच प्रकार निर्दिष्ट किये हैं। ये बही हैं जिनका वादिराजने भी निर्देश किया है और जिनके विषयमें हम ऊपर प्रकाश डाल आए हैं। पर माणिक्यनन्दिके उदाहरण इतने विशद और स्वाभाविक हैं कि अध्येता उनकी ओर स्वभावत आकृष्ट होता है। यथा—

(१) प्रत्यक्षवाचित^४—अनिष्ट अनुष्ठ है, क्योंकि द्रव्य है, जलकी तरह, यहा अस्तिकी अनुष्ठाता स्पार्शनप्रत्यक्षसे बाधित है।

(२) अनुमानवाचित^५—शब्द अपरिणामी है, क्योंकि कृतक है, घटकी तरह। यहा शब्द परिणयमनशील है, क्योंकि वह किया जाता है, जैसे घट। इस अनुमानसे उपर्युक्त पक्ष बाधित है।

१. अकलंकवचाम्बोधेश्वरे येन भीमता। न्यायविद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥

—प्रसेवर० मा० पृ० ३-४।

२. इदमनुमानाभासम् ।

—परोक्षामु० ६।११।

३. त्रिवानिष्ठादि: पक्षाभासः । अनिष्टो भीमासक्तस्यानित्यः शब्दः । सिद्धः आवणः शब्दः । बाधितः प्रत्यक्षानुमानायमलोकस्ववचनैः ।

—वही, ६।१२-१५।

४. तत्र प्रत्यक्षवाचितो वदाऽनुष्ठानोऽग्निद्वयत्वाजनकवत् ।

—परोक्षामु० ६।१६।

५. अपरिणामी शब्दः कृतकवाद् वटवद् ।

—वही, ६।१७।

(३) आगमबाधित^१—धर्म परलोकमें अनुजप्रद है, क्योंकि पुरुष डारा सम्पादित होता है, जैसे अधर्म। यहां पक्ष आगमबाधित है, क्योंकि आगममें धर्म सुखका और अधर्म दुःखका देने वाला बतलाया गया है।

(४) लोकबाधित^२—मनुष्यके शिरका कपाल पवित्र होता है, क्योंकि वह प्राणीका अवयव है, जैसे शंख-शूक्रित। यहा पक्ष लोकबाधित है, क्योंकि लोकमें प्राणीका अवयव होते हुए भी अमृत अवयव पवित्र और अमृत अपवित्र माना गया है।

(५) स्ववचनबाधित^३—मेरो माता बन्धा है, क्योंकि पुरुषसंयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता, जैसे प्रसिद्धवन्धा। यहां पक्ष स्ववचनबाधित है, क्योंकि स्वयं मौजूद होते हुए भी माताको बन्धा कह रहा है।

(२) चतुर्विध हेत्वाभास .

माणिक्यनन्दने^४ पूर्वसे प्रसिद्ध असिद्ध, विद्यु और अनैकान्तिक इन तीन हेत्वाभासोंमें अकलंकोवत् अकिञ्चित्कर हेत्वाभासको भी सम्मिलित करके चार हेत्वाभासोंका अकलंकोवत् तरह ही वर्णन किया है। विशेष यह कि माणिक्य-नन्दने^५ असिद्धके स्वरूपासिद्ध और सम्बिन्दधासिद्ध ये दो भेद स्पष्ट प्रतिपादित किये हैं। अज्ञातासिद्धका^६ भी उल्लेख करके उसका असिद्ध हेत्वाभासमें ही समावेश किया है और उसे सास्थकी अपेक्षा बतलाया है। उदाहरणार्थ सांख्यके लिए 'शब्द परिणमनशील है, क्योंकि वह कृतक है' इस प्रकार कृतकत्व हेतुसे शब्दको परिणमनशील सिद्ध करना, अज्ञातासिद्ध है, क्योंकि सास्थने कभी शब्दको कृतक नहीं जाना, वह तो उसकी अभिव्यक्ति जानता है। अनैकान्तिकके^७ भी दो घटावें—(१) निविच्तविषयकवृत्ति और (२) शंकितविषयकवृत्तिका माणिक्यनन्दने निर्देश करके उनका स्वरूप प्रतिपादन किया है।

१. मेत्यासुखपदो चमंः पुरुषाभित्वादधर्मवत् ।
—परी०, ६।१८ ।

२. शूचि नरशिरः कपाल प्राण्यगत्वाच्छश्चुक्तिवत् ।
—वही, ६।१९ ।

३. माता मे बन्धा पुरुषसंयोगेऽत्यग्भूत्वात् प्रसिद्धवन्धावत् ।
—वही, ६।२० ।

४. हेत्वाभासा असिद्धविद्यानैकान्तिकाकिञ्चित्कराः ।
—४० सु० ६।२१ ।

५. वही, ६।२२, २३, २४, २५, २६ ।

६. वही, ६।२७-२८ ।

७. वही, ६।३१-३२ ।

इनकी^१ उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इन्होंने अंकिचित्करके (१) सिद्ध और (२) बाधित ये दो भेद बतलाये हैं, जबकि अकलंकने अंकिचित्करका एक 'सिद्ध' मात्र भेद बतलाया है और बाधितको साध्याभासोंमें प्रहण किया है। यथार्थमें अंकिचित्कर हेत्वाभास^२ लक्षणविचारके समयमें ही होता है, बादके समय नहीं। बादके समय तो व्युत्पन्नके लिए किया गया प्रयोग पक्षमें दूषण-प्रदर्शन द्वारा ही दूषित हो जाता है। तात्पर्य यह कि बादकालमें पक्षको पक्षाभास बता देनेके बाद अंकिचित्कर हेत्वाभासका उद्भावन निरर्थक है। अतः मात्र लक्षण-विचारमें ही अंकिचित्करका विचार किया जाता है।

(३) द्विविध दृष्टान्तभास :

(१) अन्वयदृष्टान्तभास—माणिक्यनन्दिने^३ दृष्टान्तभासोंका निरूपण करते हुए उन्हें दो भागोंमें विभक्त किया है—(१) अन्वयदृष्टान्तभास और (२) व्यतिरेकदृष्टान्तभास। इनमें अन्वयदृष्टान्तभासके चार भेद है—(१) असिद्धसाध्य, (२) असिद्धसाधन, (३) असिद्धोभय और (४) विपरीतान्वय। इनमें आदिके तीन तो प्रशस्तपाद और दिङ्नाम कणित तथा चौथा दिग्नाम और धर्मकीर्ति प्रतिपादित है और जिन्हें हम बादिराज द्वारा उदाहृत पूर्वोक्त दृष्टान्तभासोंमें भी देख चुके हैं। माणिक्यनन्दिने प्रशस्तपाद, दिग्नाम और धर्मकीर्ति प्रतिपादित तथा बादिराज द्वारा अनुसृत शेष अन्वयदृष्टान्तभासोंको छोड़ दिया है।

(२) व्यतिरेकदृष्टान्तभास—अन्वयदृष्टान्तभासोंकी तरह व्यतिरेकदृष्टान्तभासके भी चार भेद^४ है—(१) असिद्धसाध्यव्यतिरेक, (२) असिद्धसाधनव्यतिरेक, (३) असिद्धोभयव्यतिरेक और (४) विपरीतव्यतिरेक। इनमें आद्य तीन प्रशस्तपाद और दिङ्नाम वर्णित तथा चतुर्थ दिग्नाम और धर्मकीर्ति अभिहित है और जिन्हें भी हम बादिराजके व्याख्यानमें ज्ञात कर चुके हैं। शेष उपर्युक्त तार्किकोड़ारा स्वीकृत तथा बादिराजद्वारा प्रदर्शित व्यतिरेकदृष्टान्तभासोंको भी माणिक्यनन्दिने स्वीकार नहीं किया।

(५) चतुर्विध बाल-प्रयोगभास :

अवयव-विमर्श प्रकरणमें यह स्पष्ट कर आये है कि परार्थानुमानका प्रयोग

१. परी०, ६।४५-४८।

२. वही० ६।४८।

३. दृष्टान्तभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोमया। अयौक्षेयः शब्दोऽमूर्तरबादिनिद्रवसुख्वरमाणुचटवत्। विपरीतान्वयवश यदपौख्ये तदमूर्तम्। विषुद्वादिनाऽतिप्रसंगात्।

४. परी० सु० ६।४०-४३।

५. वही० ६।४८-४९।

व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा दो प्रकारका है। अव्युत्पन्न प्रतिपाद्योंके प्रयोगको ही बाल-प्रयोग और उसके आभास (असत् प्रयोग)को बाल-प्रयोगभास कहा गया है। प्रकृतमें देखना है कि माणिक्यनन्दिने बालप्रयोगभासका क्या स्वरूप बतलाया है ? बालप्रयोगके विवेचनके समय यह ज्ञात कर चुके हैं कि विभिन्न मन्दमति प्रतिपाद्योंके लिए जैन तार्किकोंने उतने अवयवोंका प्रयोग आवश्यक माना है जिन्होंने उन्हें प्रकृतार्थप्रतिपत्ति हो जाए। किसी मन्दमतिके लिए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अवयवोंकी आवश्यकता होती है, किसीके लिए उपनयसहित चारोंकी और किसी अन्यके लिए निगमनसहित पाचोंकी। अतएव यथायोग्य प्रयोग बालप्रयोग और उसमें अन्यथा—न्यून अथवा विपरीत प्रयोग बालप्रयोगभास^१ है। और इस प्रकार बालप्रयोगभास चार प्रकारका सम्भव है—(१) द्वि-अवयवप्रयोगभास, (२) त्रि-अवयवप्रयोगभास, (३) चतुर-वयवप्रयोगभास और (४) विपरीतावयवप्रयोगभास।

(१) द्वि-अवयवप्रयोगभास किसी मन्दमति प्रतिपाद्यके लिए पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीनका प्रयोग आवश्यक है, किन्तु उसके लिए केवल पक्ष और हेतु दोका ही प्रयोग करना द्वि-अवयवप्रयोगभास नामका बालप्रयोगभास है।

(२) त्रि-अवयवप्रयोगभास—चार प्रयोगोंसे समझने वाले प्रतिपाद्यके लिए तीनका ही प्रयोग करना त्रि-अवयवप्रयोगभास है।

(३) चतुरवयवप्रयोगभास^२—पाच अवयवप्रयोगोंसे साध्यार्थका ज्ञान करनेवाले बालके लिए चार अवयवका ही प्रयोग करना चतुरवयव-बालप्रयोगभास है। जैसे^३—‘यह प्रदेश अग्निवाला है, क्योंकि घूमवाला है, जो घूमवाला होता है वह अग्निवाला होता है, यथा महानस, और घूमवाला यह है’ इन चारका ही प्रयोग करना, निगमनका नहीं।

(४) विपरीतावयवप्रयोगभास^४—क्रमबद्ध अवयवोंका प्रयोग न कर विपरीत प्रयोग करना विपरीतावयवप्रयोगभास है। जैसे उपनय न कहकर

१. बालप्रयोगभासः प चावयवेषु क्षियदीनता।

—परी० मु० ६।४६।

२. अग्निमानर्थ देशो घूमवस्त्वात्, यदिर्थं तदिर्थं यथा महानसः, घूमवांशचायमिति वा।
—वहो, ६।४७-४८।

३. त्रस्मादग्निमान् घूमवांशचायम्।

—परीक्षामु० ६।४९।

२४३ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

निगमनका प्रयोग करना । यथा—धूमवाला होनेसे अग्निवाला है (निगमन), और यह धूमवाला है (उपनय) ।

माणिक्यनन्दिने^१ उक्त प्रकारके प्रयोगोंको बालप्रयोगभास इसलिए बतलाया है क्योंकि जिस प्रतिपाद्यने अमुक संस्थक अवयवोंसे साध्यार्थप्रतिपत्तिका संकेत ग्रहण कर रखा है उसके लिए उतने संस्थक अवयवोंका प्रयोग न कर कम प्रयोग अवश्य कमर्भंग कर प्रयोग करनेसे उसे प्रकृतार्थकी स्पष्टतासे प्रतिपत्ति नहीं हो सकती ।

प्रश्न है कि जब मन्दप्रश्नोंके लिए कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच अवयव अपेक्षणीय हैं तो उनके आभास भी कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच होना चाहिए । किन्तु उपर्युक्त विवेचनमें पक्षाभास, हेत्वाभास और दृष्टान्ताभास इन तीन अवयवाभासोंका तो कथन उपलब्ध है, पर उपनयाभास और निगमनाभास इन दोका नहीं, यह विचारणीय है ?

हमारा विचार है कि हेतुकी आवृत्तिको उपनय और प्रतिज्ञाके उपर्यंहारको निगमन कहा गया है । अत. हेतुदोषोंके अधिभाससे उपनयाभास और पक्षदोषोंके कथनसे निगमनाभास प्रतिपादित हो जाते हैं । दूसरे, बालप्रयोगभासके अन्तर्गत जो चतुर्थ विपरीतावयवप्रयोगभास अभिहित है उसका अर्थ उपनयाभास तथा निगमनाभास है, क्योंकि उपनयके स्थानमें उपनयका और निगमनके स्थानमें निगमनका प्रयोग न कर विपरीत अर्थात् निगमन और उपनयका उचितानुपर्योगका उल्लंघन करके प्रयोग करना ही निगमनाभास तथा उपनयाभास है । जैसाकि चार्कीतिके^२ मन्त्रव्याप्तिके अनुमानन्तर उनका स्पष्ट प्रतिपादन खोजते हुए वह भी हमें देवसूरिके प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकारमें^३ उपलब्ध हो गया । देवसूरिने उक्त पक्षाभासादिके अतिरिक्त उपनयाभास और निगमनाभासका भी एक-एक सूत्रद्वारा स्वरूप-निर्देश किया है ।

देवसूरि-प्रतिपादित अनुमानाभास :

देवसूरिका भी अनुमानाभासप्रतिपादन उल्लेखनीय है । उन्होंने^४ पक्षा-

१. स्पष्टतया प्रकृतार्थप्रतिपत्तेरयोगात् ।

—परी० ६।५० ।

२. उपनयानन्तर निगमनप्रयोगे कर्तव्ये निगमनन्तरमुपनयप्रयोगोऽन्याभास एव उचितानुपूर्विकत्वाभावादित्यर्थः ।

—प्रभेकरत्नालं० ६।४९, प० २०० ।

३. म० न० त० ६।८८, ८२, प० १२३६-१२४० ।

४. पक्षाभासादिष्टभूत शानमनुमानाभासमिति ।

—म० न० त० ६।४७, प० १००७ ।

भासादिसे उत्पन्न ज्ञानको अनुमानाभास बतलाते हुए अकलंक और माणिक्यनन्दि-
को तरह प्रथमतः त्रिविष पक्षाभासों तथा निराकृतपक्षाभासके प्रत्यक्षनिराकृत
आदि पौच भेदोंका ९ सूत्रोंमें^१ एवं सूत्रोंके 'आदि' शब्दसे^२ स्मरणनिराकृतसाध्य-
घर्मविशेषण और तर्कनिराकृतसाध्यघर्मविशेषण इन दोका व्याख्या (स्पष्टाद-
रत्नाकर)में कथन किया है । इसके पश्चात् सिद्धेनकी तरह तीन हेत्वाभासों-
का^३ विरूपण किया है । इनको^४ विशेषता यह है कि इन्होंने उभयासिद्ध और
अन्यतरासिद्ध दो असिद्धोंका सूत्रोंमें उत्ता अन्य स्वीकृत भागासिद्ध, स्वरूपासिद्ध,
सन्दिग्धासिद्ध, प्रतिज्ञार्थकदेशासिद्ध, अधिकरणासिद्ध आदि असिद्ध भेदोंकी
समीका प्रस्तुत की है । इसी प्रकार पराभिमत आठ विशद्भेदोंकी^५ भी सीमांसा
करते हुए उन्हें पृष्ठक स्वीकार नहीं किया । अनेकान्तिकके भी दो^६ ही भेद माने
हैं । अठारह दृष्टान्ताभासोंका^७ निरूपण घर्मकीर्ति और वादिराजकी तरह है ।
इनको^८ जो अन्य उल्लेखयोग्य विशेषता है वह है को उपनयाभासों और दो निगमना-
भासोंका नया प्रतिपादन । इसके अतिरिक्त पक्षशुद्धाभास आदि पौच अन्य अव-
यवाभासोंका भी संकेत किया है । व्यात्य है कि इन्होंने^९ अकलंक और माणि-
क्यनन्द स्वीकृत अकिञ्चित्कर हेत्वाभासकी समीका की है । इनका^{१०} मन्तव्य है कि
अन्यथानुपत्तिका निश्चय न होनेपर असिद्ध, सन्देह होनेपर अनेकान्तिक और
विपरीत ज्ञान होनेपर विशद्य ये तीन ही हेत्वाभास आवश्यक हैं, अकिञ्चित्कर
नहीं ? किन्तु जहाँ साध्य सिद्ध (निश्चित, असंदिग्ध और अविपरीत) है वहाँ
उसे सिद्ध करनेके लिए यदि कोई प्रतिकादी हेतु प्रयोग करे तो उस हेतुको क्या
कहा जाएगा ? अतः ऐसे स्थलपर उक्त प्रकारके हेतुको सिद्धसाधन अकिञ्चित्कर
ही कहना होगा । इसोसे अकलंकने 'सिद्देऽकिञ्चित्करोऽस्मिलः' (वही, ४८) जैसे प्रति-
पादनों हारा अकिञ्चित्कर हेत्वाभासको आवश्यकता प्रदर्शित की है ।

१. प० न० त० ६।३८-४६ ।

२. वही, ६।४० ।

३. वही, ६।४७ ।

४. वही, ६।४८-५१, तथा व्याख्या ।

५. वही० ६।५३, १० १०२६ ।

६. वही, ६।५५

७. वही, ६।५८-६० ।

८. वही, ६।६१, ८२ ।

९. वही, ६।५७, १० १२३० ।

१०. वही, ६।५७, १० १२३० ।

हेमचन्द्रोक्त अनुमानभास :

हेमचन्द्रने^१ स्वार्थानुमान प्रकरणमें साध्यलक्षणके प्रसंगसे प्रत्यक्षाबाधा आदि छह बाधाओं (पक्षाभासों)। निर्देश किया है। इनमें पांच तो न्यायप्रबेशकार और माणिक्यनन्दि सम्मत है और अन्तिम प्रतीतिबाधा धर्मकोर्तिसम्मत। इन्होंने सिद्ध और अनिष्ट पक्षाभासोंको अस्वीकार तो नहीं किया, किन्तु उनका स्पष्ट प्रतिपादन भी नहीं किया। परार्थानुमान प्रकरणमें^२ दिडनाग, सिद्धसेन और देव-सूरि स्वीकृत तीन हेत्वाभासोंका कथन किया है। असिद्धके^३ स्वरूपासिद्ध और सन्दिग्धासिद्ध दो भेद बतलाकर वादी, प्रतिवादी और उभयकी अपेक्षासे उक्त दोनों असिद्धोंके तीन-नीन भेद और भी निरूपित किये हैं। विशेष्यासिद्धादि पराभिमत असिद्धभेदोंका इन्हींमें अन्तर्भव किया है। अन्य तार्किको द्वारा स्वीकृत आठ^४ विनाशभेदोंको उदाहृत करके उन्हें विनाशलक्षण द्वारा ही संश्लेषित किया है। हेमचन्द्रको विशेषता है कि इन्होंने^५ धर्मकोर्तिकी तरह ९-९ दृष्टान्ताभास न मान कर आठ-आठ माने हैं। अनन्य और अव्यतिरेक दो दृष्टान्ताभास स्वीकार नहीं किये, प्रत्युत उनकी मीमांसा की है और उन्हें अप्रदर्शितान्य और अप्रदर्शित-व्यतिरेक दृष्टान्ताभासोंसे अभिन्न बतलाया^६ है। उपनिषदाभास, निगमनाभास और वालप्रयोगाभासके विषयमें हेमचन्द्र मौन है।

अन्य जैन तार्किकोंका मन्तव्य .

१. धर्मभूषण—पिछले जैन तार्किक धर्मभूषण, चारुकोर्ति और यशोविजयने भी अनुमानदोयोंपर चिन्तन किया है। धर्मभूषणने^७ पक्षाभासोंका तो कोई पृथक् विचार नहीं किया। ही, बाधितपक्षाभासके भेदोंका अकिञ्चित्कर हेत्वाभासके द्वितीय भेद बाधितविषयके अन्तर्गत कथन अवश्य किया है। माणिक्यनन्दि सम्मत चार हेत्वाभास बतलाये हैं। अकिञ्चित्करके^८ सिद्धसाधन और बाधितविषय ये दो

१. प्र० मी० २.२।१४।

२. प्र० मी० २।१।३६।

३. वही, २।१।१७, २८, १९।

४. 'अनेन येऽन्यरन्ये विनाश उदाहृतस्तेऽपि सङ्गृहाताः' ..

—वही, २।१।२०।

५. साध्यत्वेवधर्माभ्यामप्यावश्यी दृष्टान्ताभासः।

—वही, २।१।२२।

६. प्र० मी० २।१।७, प० ५६।

७. न्या० दी० प० ६६।

८. अम्बोजको हेतुर्किञ्चित्करः। स दिविधः—सिद्धसाधनो बाधितविषयव्यवेति।.....

—न्या० दी० प० १०२-१०३।

मेद करके बाधितविषयके प्रत्यक्षबाधित, अनुमानबाधित, आगमबाधित और स्व-बचनबाधित इन चारको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है तथा 'आदि,' शब्दसे और भी अधिकितकर भेदोंको स्वयं विचारनेका संकेत किया है। दृष्टान्तभासोंके कथनका प्रकार उल्लेखनीय है। अदृष्टान्तके बचन और दृष्टान्तके अबचनको इन्होने^२ दृष्टान्तभास कहा है तथा अन्वयदृष्टान्तभास और अवितरेकदृष्टान्तभास दोनोंके उक्त प्रकारसे दो-दो मेद प्रदर्शित किये हैं। उपनयाभास और निगमनाभासका इन्होने^३ भी निर्देश किया है। दोनोंका व्यत्यय (विपरीतक्रम)से कथन करना उपनयाभास तथा निगमनाभास है। बालप्रयोगाभासका इन्होने प्रतिपादन नहीं किया।

२. चाहकीति—चाहकोति यद्यपि माणिक्यनन्दिके व्याख्याकार होनेसे उनका हो अनुसरण करते हुए मिलते हैं फिर भी इनका अपना वैशिष्ट्य है। इन्होने^४ पक्षाभासादिकी परिभाषाएं नव्यन्यायपद्धतिसे प्रस्तुत की हैं जो वस्तुतः जैनतक्परम्पराके लिए अभिनव हैं। माणिक्यनन्दिने पौच प्रकारके ही बाधितपक्षाभासोंका कथन किया था, किन्तु देवसुरिने जहाँ इनमें स्मरणनिराकृतसाध्यघर्मविशेषण और तर्कनिराकृतसाध्यघर्मविशेषण इन दो बाधितोंको सम्मिलित कर सात बाधितोंका वर्णन किया है वहाँ 'चाहकीतिने' इनमें एक प्रत्यभिज्ञाबाधित और मिलाकर आठका प्रतिपादन किया है तथा माणिक्यनन्दिके पंचविधत्वकथनको उपलक्षणपरक कहकर अपने अष्टविधत्वप्रतिपादनको सूत्रकारानुभत बतलाया है। इनकी^५ अन्य विशेषता यह है कि इन्होने नैयायिकोंके उस मतकी भी समीक्षा की है जिसमें प्रत्यक्षादिवाधिनस्थलमें बाध (कालात्ययापादिष्ट) हेत्वाभास माना गया है और अनुमानबाधितस्थलमें स्तप्रतिपक्ष। चाहकीतिका मत है कि अबाधितत्व पक्षका लक्षण है, अतः उससे रहित (बाधितत्व)को पक्षाभास कहना तो युक्त है, किन्तु हेत्वाभास नहीं, हेतुलक्षणके अभावमें ही हेत्वाभास मानना उचित है। अन्यथा हेत्वाभासस्थलमें भी पक्षाभासके स्वीकारका प्रसंग होनेसे हेत्वाभासका

१. पवादयोऽप्यकिञ्चित्करविशेषाः स्वयमूढाः ।

—न्या० दी १० १०२ ।

२. वही, पू० १०५, १०८ ।

३. अन्योर्धायेन क्यनमनदोरामासः ।

—वही, पू० ११३ ।

४. प्रवेषरलाल० ६।११ आदि ।

५. अब यद्यपि स्मृतिकाभितप्रत्यक्षिष्ठाबाधितत्वक्षबिहानापि सम्भवाद्वाधितस्याष्टविधत्वमेव दुष्टं न त् पंचविधत्वम् ।*** तद्यपि पंचविधत्वोक्तेष्पक्षज्ञापरत्वादष्टविधत्वमपि सुत्रकारानुमतेवेति बोध्यम् ।

—प्रवेषरलाल० ६।२०, पू० १५१ ।

६. वही, ६।२० पू० १६२ ।

हो विलोप हो जाएगा। इसीप्रकार अनुमानबाधित स्थलमें सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि पक्षके दोषको पक्षाभास ही मानना युक्त है, हेत्वाभास नहीं। इनका एक वैशिष्ट्य और है। इन्होंने^३ उचितानुपर्कोंके अभाव-में उपनयाभास और निगमनाभासका भी निर्देश किया है।

३. यशोविजय—यशोविजयने^४ पृथक् रूपसे पक्षाभासों और दृष्टान्ताभासों-का कथन नहीं किया, साध्यके लक्षण और दृष्टान्तप्रयोगके समर्थनमें उनका प्रतिपादनाभिप्राय प्रकट होता है। हेत्वाभासोंका उन्होंने^५ स्पष्ट निरूपण किया है। और सिद्धसेन तथा देवसूरिकी तरह उन्हे त्रिविध बतलाया है। अकिञ्चित्कर-को चतुर्थ हेत्वाभास माननेके घर्मभूषणके मन्तव्यका समालोचन भी किया है। उनका^६ कहना है कि सिद्धसाधन और बाधितविषय क्रमशः प्रतीत और निराकृत पक्षाभासभेदोंसे भिन्न नहीं है। और यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ पक्षदोष हो वहाँ हेतुदोष भी अवश्य हो। अन्यथा वहाँ दृष्टान्तादि दोष भी अवश्य मानना पड़ेगे।

किन्तु हम पहले कह आये हैं कि जहाँ साध्य सिद्ध है और उसे सिद्ध करनेके लिए कोई हेतुका प्रयोग करता है तो उसका वह हेतु पक्षदोषके अलावा अकिञ्चित्कर कहा जाएगा। यह नहीं कि पक्षदोष होनेपर हेतुदोष न हो—वह हो सकता है। जब विनेयोंको व्युत्पादन कराना आवश्यक है तो उनके लिए लक्षणव्युत्पादनशास्त्रमें अकिञ्चित्कर दोषका ज्ञान कराना हो चाहिए। हाँ, व्यु-त्पन्नोंके प्रयोगकालमें उसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो पक्षदोषोंका प्रदर्शन ही पर्याप्त है—उसोंसे व्युत्पन्नप्रयोग दूषित हो जाता है। चारकीति^७ भी यही कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन तर्कप्रम्णोंमें जहाँ अनुमान और उसके परि-कर (अवयवादि) पर चिन्तन उपलब्ध है वहाँ उसके दोषोंपर भी विचार किया गया है।

१. प्रभेयरत्ना०, ६।४६, पृ० २००।

२. जैनत० मा० पृ० १३, १६।

३. वही, पृ० १८।

४. अकिञ्चित्करास्त्रक्षतुदोषपि हेत्वाभासभेदो चर्मभूषणेनोदाहृतो न अद्वेषः। सिद्धसाधनो बाधितविषयस्येति द्विविभव्यायप्रयोजकाह् व्यश्य तस्य प्रतीत-निराकृतास्यपक्षाभास-भेदानतिरिवत्त्वात्। न च यत्र पक्षदोषस्तत्रावश्यं हेतुदोषोऽपि बाध्यः, दृष्टान्तादि-दोषस्वाप्यवश्यं बाध्यत्वाप्तोः।
—जैनत० मा० पृ० १६।

५. लक्षणव्युत्पादनशास्त्र एव असारकिञ्चित्करलक्षणो दोषो विनेयव्युत्पत्तवैः व्युत्पादते, न तु व्युत्पन्नाना प्रयोगकाले।
—प्रभेयरत्ना० ६।३९।

द्वितीय परिच्छेद

इतर परम्पराओंमें अनुमानाभास-विचार

जैन तर्कग्रन्थोंमें चिन्तित अनुमान-दोषोंके विवरणके साथ यदि यहाँ अन्य परम्पराओंके तर्कग्रन्थोंमें प्रतिपादित अनुमानाभासकी चर्चा न की जाय तो एक न्यूनता होगी और अनुमानाभासकी आवश्यक जानकारी (तुलनात्मक अध्ययन)से बंचित रहेंगे। अतः वैशेषिक, न्याय और बौद्ध परम्पराके न्यायग्रन्थोंमें बहुरचित अनुमानाभासपर भी यहाँ विचार किया जाता है। इससे जहाँ अन्य तार्किकोंकी अनुमानाभाससम्बन्धी उपलब्धियोंका अवगम होगा वहाँ जैन तार्किकोंकी भी अनुमानाभासचिन्तन-विषयक अनेक विशेषताएँ जात हो सकेंगी।

वैशेषिक परम्परा :

कणादने^१ अनुमानका व्यवहार अनुमानशब्दसे न करके 'लैङ्गिक' शब्दसे किया है और उन लिङ्गोंको गिनाया है जिनसे वह उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य है कि उनके मतानुसार 'लैङ्गिक' (अनुमान) को सामग्री मुख्यतया लिङ्ग है तथा लिङ्गाभास (अलिङ्ग) उसका अवरोधक। सम्भवतः इसीसे कणादने^२ लिङ्गके विचारके साथ लिङ्गाभासका भी ऊहापोह किया है। पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त अनुमानके अल्ङ्ग हैं, इसका उन्होंने निवेदा नहीं किया और इसी कारण प्रतिज्ञाभास तथा दृष्टान्ताभासका भी कथन नहीं किया। चूंकि लिङ्गको उन्होंने^३ त्रिरूप प्रतिपादन किया है, अतः उन रूपोंके अभावमें लिङ्गाभासको तीन प्रकारका बतलाया है—(१) अप्रसिद्ध, (२) असत् और (३) सन्दिग्ध।

कणादके भाष्यकार प्रशास्तपादने^४ उक्त तीन लिङ्गाभासोंके अतिरिक्त अन्यविसित नामके चौथे लिङ्गाभासका भी उल्लेख किया है। किन्तु बादको उसे

१. अस्येदं कार्यं कारणं सर्वोग्यं विरोधि समवाचि चेति लैङ्गिकम् ।

—ैषोऽष० ६० १२।१ ।

२. अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन् सन्दिग्धवाचानपदेशः ।

—ैषोऽष० ६० १।१५ ।

३. विपरीतमतो वद् स्यादेकेन द्वितयेन भा ।

विशदासिकसन्दिग्धमलिङ्गं काश्वरोऽनवीत ॥

—नहीं, प्रश्ना भा० १०० १०० पर वद्यूत पर्याप्ता वही, १।१५ ।

४. प्रश्ना भा० १०० ११६, १२० ।

असिद्धवर्गमें सम्मिलित कर लिया है। असिद्धके उन्होंने^१ चार भेद बतलाये हैं—
 (१) उभयासिद्ध, (२) अन्यतरासिद्ध, (३) तदभावासिद्ध और (४) अनु-
 मेयासिद्ध। ध्यान रहे, प्रशस्तपादने इन असिद्धभेदों तथा विश्वादि हेत्काभासोंका
 सोदाहण कथन किया है। विषेष यह कि उन्होंने^२ लैज़िककी सामग्री के बल
 लिङ्गको ही नहीं, प्रतिज्ञादि पाँचों अवयवोंको बतलाया है तथा प्रत्येकका लक्षण देते
 हुए प्रतिज्ञाके लक्षणमें ‘अविरोधि’ पदका निवेश करके उसके द्वारा प्रत्यक्षविरोधी,
 अनुमानविरोधी, आगमविरोधी, स्वशास्त्रविरोधी और स्वबचनविरोधी इन पाँच
 प्रतिज्ञाभासोंका निरास किया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें प्रतिज्ञाभास भी
 लिङ्गभासकी तरह अनुमानाभास मान्य है और उसके पाँच भेद इष्ट हैं। प्रशस्तपादने
 पूर्व प्रतिज्ञाभासोंका निरूपण उपलब्ध नहीं होता। प्रशस्तपादने^३ दृष्टान्तभासोंका
 भी, जिन्हें निर्दर्शनाभासके नामसे उल्लेखित किया गया है, निरूपण किया है और
 उनके मूलमें साधर्म्यनिर्दर्शनाभास तथा वैधर्म्यनिर्दर्शनाभास ये दो भेद बतलाये हैं।
 इन दोनोंके भी छह-छह भेद निम्न प्रकार निर्दिष्ट किये हैं—(१) लिंगासिद्ध,
 (२) अनुमेयासिद्ध, (३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अननुगत
 और (६) विपरीतानुगत ये छह साधर्म्यनिर्दर्शनाभास तथा (१) लिंगाव्यावृत्त,
 (२) अनुमेयाव्यावृत्त, (३) उभयाव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्ध, (५) अव्यावृत्त
 और (६) विपरीतव्यावृत्त ये छह वैधर्म्यनिर्दर्शनाभास हैं। इस प्रकार प्रशस्त-
 पादने बारह निर्दर्शनाभासोंका कथन किया है। पर अन्तम दो अवयवदोषों—
 अनुसन्धानाभास (उपनयाभास) और प्रत्यक्षाभ्यासाभास (निगमनाभास) का
 कोई निर्देश नहीं किया^४, जो होना चाहिए था।

न्याय-परम्परा :

अक्षपादके^५ अनुसार अनुमानको सामग्री पंचावयव है— उनसे ही अनुमान
 सम्पर्लपमें आत्मलाभ करता है। अतः उनके मतानुसार अनुमानके दोष पाँच

१. प्रश० भा० प० १३६-१२१।

२. अविरोधग्रहणात् प्रशस्तानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रवचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति ।
 यथाऽनुष्णोऽविनरितिं प्रत्यक्षविरोधी ॥।

—प्रश० भा० प० ११५।

३. अनेन निर्दर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति । तथा... लिङ्गानुमेयोभ्यासिद्धाननुगत-
 विपरीतानुगतः साधर्म्यनिर्दर्शनाभासाः । ...लिङ्गानुमेयोभ्याव्यावृत्ताभ्यासिद्धाव्या-
 वृत्तविपरीतव्यावृत्ता वैधर्म्यनिर्दर्शनाभासाः ।

—वही, प० १२२, १२४।

४. वही, १२३-१२७।

५. न्या० स० १११२।

होना चाहिए—(१) प्रतिज्ञाभास, (२) हेत्वाभास, (३) उदाहरणाभास, (४) उपलयाभास और (५) निगमनाभास । परन्तु अक्षपादने इनमेंसे केवल हेत्वाभासोंका वर्णन किया है, प्रतिज्ञाभासादिका नहीं; यह चिन्त्य है ? विचार करनेपर प्रतीत होता है कि यदि प्रतिज्ञादीके हेतुको हेत्वाभास प्रमाणित कर दिया जाए तो उसके द्वारा होनेवाली साध्य-सिद्धि प्रतिबन्धित हो जाती है और तब उसमें प्रतिज्ञादोष आदि दोषोंका उद्भावन निरर्थक है । उद्योतकरने 'साध्य-निर्देशः प्रतिज्ञा' इस न्यायसूत्रकार-बचन द्वारा दिविष साध्यदोषों (सिद्ध और अनुप-पद्मानानसाधन—असाध्यो) की निवृत्ति बतलाकर प्रतिज्ञादोषोंका संकेत उसीके द्वारा सूचित किया है । इसी प्रकार उदाहरण आदिके प्रतिपादक सूत्रोंके द्वारा उदाहरणादिदोष भी निरस्त किये गये हैं । अतएव उनका भी पृथक् प्रतिपादन आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न हो सकता है कि फिर हेतुप्रतिपादक सूत्रदृश्यसे हेतुदोषोंका निराकरण सम्भव होनेसे हेत्वाभासोंका भी पृथक् कथन नहीं किया जाना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि यथार्थमें हेतुप्रतिपादक सूत्रों द्वारा हेतुदोषोंका निरास हो जाता है फिर भी हेत्वाभासोंका जो पृथक् अभिधान किया गया है वह शास्त्रार्थमें प्रतिज्ञादीको पराजित करनेके लिए उसी प्रकार आवश्यक एवं उपयोगी है जिस प्रकार छल, जाति और निश्चहस्यानोंका । अन्य दोषोंकी अपेक्षा हेत्वाभास बलवान् और प्रधान दोष है । अत उनका आदीको पृथक् ज्ञान होना आवश्यक एवं अनिवार्य है । अतएव अक्षपादने कणादकी तरह हेत्वाभासोंका ही निरूपण किया है । मिश्रता इतनी ही है कि जहाँ कणादने तीन हेत्वाभास वर्णित किये हैं वहाँ अक्षपादने पाँच कहे हैं । इसका कारण यह है कि कणाद त्रिरूपलिङ्गसे अनुमान मानते हैं और अक्षपाद पंचरूपलिङ्गसे । अतएव एक-एक रूपके अभावमें कणादको तीन और अक्षपादको पाँच हेत्वाभास इष्ट है । वे ये हैं—(१) साध्यभिचार, (२) विरुद्ध, (३) प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष), (४) साध्यसम और (५) अतीतकाल (कालात्ययापदिष्ट—बाधितविषय) । वाचस्पति^३ और जयन्तभट्टने^४ भी एक-एक रूपके अभावसे होनेवाले पाँच हेत्वाभासोंका ही समर्थन एवं उपपादन किया है । जगन्तभट्टने तो स्पष्टतया हेतुदोषोंके कथनसे ही पक्षदोषों तथा दृष्टान्तदोषोंके भी

१. असाध्य च देखा सिद्धमनुपद्मानसाधनं च । तत्र साध्यनिर्देश इत्यनेन वचनेनोपयं निवृत्यते सिद्धमनुपद्मानसाधनं च ।

—न्यायवा० १११३, प० ११० ।

२. न्या० ८० १२४ ।

३. न्यायवा० ८० १२४, प० ११० ।

४. न्यायवा० ८० १४ । न्यायमें ८० ११७ ।

कथनकी बात कही है। उन्होंने^१ यहींतक बल दिया है कि वास्तवमें वे सब हेतु दोष ही हैं, पक्षदोषों और दृष्टान्तदोषोंका पृथक् वर्णन केवल प्रपञ्चमात्र है। एक-दूसरे स्थलपर^२ भी वे उन्हें हेतुदोषोंका अनुविचारोंहोनेके कारण हेतुदोष ही बतलाते हैं और कहते हैं कि इसीसे सूक्ष्मारने हेत्वाभासोंकी तरह उनका पृथक् उपदेश नहीं किया। हमने उनका प्रदर्शन मात्र शिष्यहितके लिए किया है। उचोतकरका^३ मन्तव्य है कि साधकत्व हेतुका और असाधकत्व हेत्वाभासका विशेष धर्म है। तथा साधकत्वसे तात्पर्य समस्त लक्षणोंका सद्भाव और असाधकत्वसे मतलब असमस्त लक्षणोंका सद्भाव है। आशय यह कि उचोतकर हेतुदोषोंको ही साध्यसिद्धिका प्रतिबन्धक मानते हैं, अन्य दोष तो उन्हींमें समा जाते हैं और वे प्रतिक्रियादिलक्षणसूत्रों द्वारा निरस्त हो जाते हैं। उचोतकरका हेत्वाभाससम्बन्धी विस्तृत निरूपण विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने^४ हेतु और हेत्वाभासोंके भेदोंका प्रपञ्च १७६ बतलाया है और उन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करके सूक्ष्मारनके हेत्वाभास-पंचकमें ही संग्रहीत किया है। पुनः असिद्धके ३८४, २०३२ और अनन्त भेदोंकी भी सूचना करके बनैकान्तिकके ६ और विशद्दके ४ भेदोंका भी उल्लेख किया है।

बौद्ध-परम्परा :

न्यायप्रवेशकारने^५ यतः पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन ही साधन (परार्थानु-मान) के अवयव स्थीकार किये हैं, अक्षपादकी तरह पात्र या कणादकी तरह एक नहीं, अतः साधनदोष भी उन्होंने^६ तीन प्रकारके प्रतिपादित किये हैं—(१) पक्षाभास, (२) हेत्वाभास और (३) दृष्टान्ताभास। उनका यह प्रतिपादन

१. ये चैते प्रत्यक्षविश्वदत्ताद्य. पक्षदोषः, ये च वक्ष्यमाणाः साधनविकलत्वादयो दृष्टान्त-दोषादेव वस्तुविष्ट्या सर्वे हेतुदोषा एव, प्रपञ्चमात्रं तु पक्षदृष्टान्तदध्यर्थनम्...।

—न्यायम० प० १३३-१३४।

२. यसे च वस्तुवृच्छेन हेतुदोषा एव तदनुविचारितात्, अत एव हेत्वाभासवत्सञ्चक्ता नापदिष्टाः, अस्मामित्यु शिष्यहिताद्य प्रदर्शिता एव।

—वही, प० १४०।

३. साधकत्वाभासभक्त्वे तु विशेषः हेतुः साधकत्वं भर्मोऽसाधकत्वं हेत्वाभासस्य। किं पुनर्लता? समस्तलक्षणोपदात्तरसमस्तलक्षणोपयतिः।

—न्यायम० ११२४, प० १६४-१६५।

४. वहो, ११२४, प० १६४-१६५।

५. पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैः प्राक्षिनकानामपतीतोऽर्थः प्रतिपादते।... यतान्पेत्र ग्रन्थोऽवश्यक शत्रुचक्ष्यते।

—न्यायम० प० १-२।

६. वहो, प० २-३।

संगत प्रतीत होता है। यथार्थमें परावर्तनमातके जितने प्रयोजक तत्त्व स्वीकृत एवं प्रतिपादित किये जाएं, उतने ही उसके अवरोधक दोषोंकी सम्भावना होनेसे उन सभीका भी प्रतिपादन करना उचित है। यह युक्त नहीं कि साधनावयवोंको तो अमुक संख्यामें मान कर उनका प्रत्येकका विवेचन किया जाए और उनके दोषोंकी संख्या उतनी ही सम्भाष्य होने पर उनका प्रतिपादन न किया जाए। जैसा कि हम अक्षपादके प्रतिपादनमें इस न्यूनताको देख चुके हैं। हेत्वाभासोंके द्वारा ही पक्षाभासादि दोषोंके संग्रहको जयन्तभट्टको युक्ति बुद्धिको नहीं लगती। अन्यथा अनुमानका प्रबान अंग हेतु होनेसे उसीका निरूपण किया जाना चाहिए और अन्य अवयवोंका उसके द्वारा ही संश्वह कर लेना चाहिए। यद्यपि इस असंगतिका परिहार करनेका प्रयास उन्होंने किया है पर उसमें उन्होंने कोई अकाटथ एवं बलवान् युक्ति प्रस्तुत नहीं की। इस दृष्टिसे न्यायप्रबेशकारका तीनों दोषोंका प्रतिपादन हम युक्त और संगतिके निकट पाते हैं।

जो सिद्ध करनेके लिए इष्ट होनेपर भी प्रत्यक्षादिविरुद्ध हो वह पक्षाभास^१ है। न्यायप्रबेशकारने^२ इसके नौ भेद प्रतिपादित किये हैं—(१) प्रत्यक्षविरुद्ध, (२) अनुमानविरुद्ध, (३) आगमविरुद्ध, (४) लोकविरुद्ध, (५) स्ववचनविरुद्ध, (६) अप्रसिद्धविशेषण, (७) अप्रसिद्धविशेष्य, (८) अप्रसिद्धोभय और (९) प्रसिद्धसम्बन्ध। इन्हींको प्रतिज्ञादोष (प्रतिज्ञाभास) कहते हैं। न्यायप्रबेशमें^३ इनका उदाहरणों द्वारा वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि धर्मकीर्तिने^४ प्रत्यक्ष-निराकृत, अनुमाननिराकृत, प्रतीतनिराकृत और स्ववचननिराकृत ये चार ही पक्षाभास स्वीकार किये हैं।

हेत्वाभास तीन हैं^५—(१) असिद्ध, (२) अनैकान्तिक और (३) विशद्। यतः न्यायप्रबेशकारने कणादकी तरह हेतुको त्रिस्प माना है, अतः उन तीन रूपोंके अभावमें उसके तीन दोषोंका प्रतिपादन भी उन्होंने कणादकी तरह किया है। एक-एक रूप (पक्षार्थस्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षसत्त्व)के अभावमें क्रमशः असिद्ध, विशद् और अनैकान्तिक ये तीन ही हेतु-दोष सम्भव हैं। असिद्ध चार प्रकारका है—(१) उभयासिद्ध, (२) अन्यतरासिद्ध, (३) सन्दिग्धासिद्ध और (४) आध्यासिद्ध। प्रशस्तपादने^६ भी ये चार भेद स्वीकार किये हैं, जैसा

१, २—न्यायम् पृ० २-३।

३. वही, पृ० ३।

४. न्या० वि० पृ० ६४-६६।

५. न्या० प्र० पृ० ३।

६. वही, पृ० ३।

७. प्रश० भा० पृ० ११६-११७।

कि कपर कहा जा सका है। अनैकन्तिकों कह मेद है—(१) साधारण, (२) असाधारण, (३) सपक्षीकदेशवृत्तिविपक्षव्यापी, (४) विपक्षीकदेशवृत्ति सपक्षव्यापी, (५) उभयपक्षीकदेशवृत्ति और (६) विहृदाभ्यभिचारी। उद्घोतकर-ने३ विहृदाभ्यभिचारीकी समीक्षा करके उसे अस्वीकार किया है। प्रतीत होता है कि इस विहृदाभ्यभिचारीकी मान्यता न्यायप्रबेशकारसे भी पूर्वजर्ती है, क्योंकि उसके पूर्व प्रशस्तपादने४ भी उसकी मीमांसा की है और उसे अनध्यवसितमें अन्तर्भूत किया है। धर्मकीर्तिने५ भी इसे स्वीकार नहीं किया। जयन्तभट्टने६ भी इसे नहीं माना। विहृदके७ चार प्रकार हैं—(१) धर्मस्वरूपविपरीतसाधन, धर्मविशेषविपरीतसाधन, (३) धर्मस्वरूपविपरीतसाधन और (४) धर्मविशेष-विपरीतसाधन। प्रशस्तपादने७ विहृदके भेदोंका कोई सकेत नहीं किया। पर उद्घोतकरने८ अवश्य उसके चार भेदोंका निर्देश किया है। धर्मकीर्तिने९ केवल दो मेद स्वीकार किये हैं।

दृष्टान्ताभासके दो मेद अभिहित हैं—(१) साधर्म्य और (२) वैधर्म्य। साधर्म्यदृष्टान्ताभास पाच प्रकारका है—(१) साधनधर्मासिद्ध, (२) साध्य-धर्मासिद्ध, (३) उभयधर्मासिद्ध, (४) अनन्य और (५) विपरीतान्य। वैधर्म्यदृष्टान्ताभासके भी पांच प्रकार हैं—(१) साध्याभ्यावृत्त, (२) साधनाभ्यावृत्त, (३) उभयाभ्यावृत्त, (४) अव्यतिरेक और (५) विपरीताव्यतिरेक। प्रशस्तपादके पूर्वोत्तर^{११} बारह निर्दर्शनाभासोंमें न्यायप्रबेशकारके दृष्टान्ताभासोंसे आश्रयासिद्ध नामक दो निर्दर्शनाभास अधिक हैं। अर्थात् न्यायप्रबेशमें जहा दश दृष्टान्ताभास वर्णित है वहा प्रशस्तपादभाष्यमें बारह अभिहित है। धर्मकीर्तिने^{१२}

१. न्याय० प० १० ३।

२. न्याय० वा० ११२४, प० १६६।

३. प्रश० मा० प० ११८।

४. न्यायविदि० प० ८६।

५. न्यायम० प० १५५।

६. न्यायप्र० प० ५।

७. प्रश० मा० प० ११७।

८. न्यायवा० ११२४, प० १६६।

९. न्यायविदि० प० ७८।

१०. न्यायम० प० ५-७।

११. प्रश० मा० प० १२३।

१२. साध्यसाधनमेंभविकल्पास्तथा सन्दिग्धसाध्यमाद्यक्षच ।...अनन्यबोड्मदक्षितान्यवृत्तच । तथा विपरीतान्यः । इति साधनेण । वैष्णवेणापि...साध्याभ्यतिरेकित्वा ।

तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकाश्वः ।...अव्यतिरेको वया...अपदक्षितव्यतिरेको...वैष्णवे-

शापि विपरीतव्यतिरेको...न्यायविदि० प० ९४-१०१।

जी साधर्म्य और जी ही वैधर्म्य दृष्टान्ताभास कहे हैं। इनमें सन्दिग्धसाधनान्वय, सन्दिग्धोभयान्वय और अप्रदर्शितान्वय ये चार साधर्म्य-दृष्टान्ताभास तथा सान्दिग्धसाध्यव्यतिरेक, सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक, सन्दिग्धोभयव्यतिरेक और अप्रदर्शितव्यव्यतिरेक ये चार वैधर्म्य-दृष्टान्ताभास न्यायप्रबेशोक्त दृष्टान्ताभासोंसे भिन्न और नये हैं और वर्मकीति-उपज हैं, योग दोनों दृष्टान्ताभासोंके पाच-पाच भेद न्यायप्रबेशोक्त ही हैं। नैदायिक जयन्तभट्टने^१ न्यायप्रबेशकी तरह उभयविषय पांच-पाच दृष्टान्ताभासोंका निरूपण किया है। पर उनका यह निरूपण उनकी परम्पराके लिए सर्वथा अभिनव है, क्योंकि उनके पूर्व न्यायपरम्परामें वह दृष्टिगोचर नहीं होता। जयन्तभट्टने^२ स्वयं कहा है कि हेत्वाभासको तरह सूत्रकारने उमका उपदेश नहीं किया, किन्तु हमने शिष्योंके हितार्थ प्रदर्शन किया है। जयन्तभट्टने^३ साध्यविकल, साधनविकल और उभयविकल इन तीन साधर्म्य-दृष्टान्ताभासोंको बस्तुदोषकृत तथा अनन्वय और विपरीतान्वय इन दो को बताके बचनदोषकृत बतलाया है। इसी प्रकार साध्याव्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त और उभयाव्यावृत्त इन तीन वैधर्म्य-दृष्टान्ताभासोंको भी बस्तुदोषकृत तथा अव्यतिरेक और विपरीतव्यतिरेक इन दोको बताके बचनदोषकृत प्रतिपादन किया है।

यद्यपि न्यायप्रबेशकारने^४ उपर्युक्त पक्षाभासादिको साधनाभास कहा है, अनुमानाभास नहीं, तथापि उन्हें साधनपदसे परार्थनुमान अभिप्रेत है और पक्ष हेतु तथा दृष्टान्त ये उसीके अवयव हैं। अतः साधनाभाससे परार्थनुमानाभास अर्थ ही न्यायप्रबेशकारको विवक्षित है। हा, स्वार्थनुमान, जिसे उन्होंने अनुमानशब्दसे उल्लेखित किया है, अवश्य मात्र लिंगापेक्ष है और इसीसे उसका लक्षण देते हुए कहा है कि 'लिंगादर्थदर्शनमनुमानम्'^५—लिंगसे जो अनुमेयका दर्शन होता है वह अनुमान है। तथा 'हेत्वाभासपूर्वकं ज्ञानमनुमानाभासम्'—हेत्वाभासपूर्वक होनेवाला ज्ञान अनुमानाभास है। यहा भी अनुमानाभाससे न्यायप्रबेशकारको स्वार्थनुमानाभास इष्ट है। तात्पर्य यह है कि स्वार्थनुमानविचारमें मात्र हेत्वाभासोंका विचार प्रयोजक है। पर परार्थनुमानविचारमें हेत्वाभासोंके अतिरिक्त पक्षाभासों और दृष्टान्ताभासोंका भी विचार आवश्यक है, क्योंकि प्रादिनकोको अप्रतीत अर्थका प्रतिपादन पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीनोंके बचनों द्वारा किया जाता है। अतएव उनको निरुद्घटाका ज्ञान होनेके लिए उक्त तीनों दोषोंका

१. न्यायम् पृ० १४०।

२. ह वही, पृ० १४०।

३. एवं पक्षहेतुदृष्टान्ताभासानां वचनानि साधनाभासम्।

—न्यायम् पृ० ७।

४. वही, पृ० ७।

३५४ : जैन उक्तिगोष्ठी में अनुमान-विचार

कथन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब अनुमानको आत्मप्रत्यायन और साधनको परप्रत्यायनका कारण कहा जाता है तो सुतरा अनुमानपदसे स्वार्थानु-मान और साधनपदसे परार्थानुमानका ग्रहण अभीष्ट है।

सांख्य, मीमांसा और वेदान्त दर्शनोंमें भी अनुमानदोषोंपर विचार उपलब्ध है, पर वह नहीं के बराबर है। अतएव उसपर यहाँ विमर्श नहीं किया—प्रथम अध्यायमें कुछ किया गया है।



उपसंहार

पिछले अध्यायोंमें भारतीय तर्कशास्त्रमें निरूपित एवं विवेचित अनुमान तथा उसके घटकोंके यथावश्यक तुलनात्मक अध्ययनके साथ जैन तर्कशास्त्रमें चिन्तित अनुमान एवं उसके परिकरका ऐतिहासिक तथा समीक्षात्मक विमर्श प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ जैन अनुमानकी उपलब्धियोंका संक्षेपमें निर्देश किया जायेगा, जिससे भारतीय अनुमानको जैन तार्किकोंकी क्या देन है, उन्होंने उसमें क्या अभिवृद्धि या संशोधन किया है, यह समझनेमें सहायता मिलेगी।

अध्ययनसे अवगत होता है कि उपनिषद् कालमें अनुमानकी आवश्यकता एवं प्रयोजनपर भार दिया जाने लगा था, उपनिषदोंमें 'आत्मा वाऽरे हृष्टः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिष्यामितव्यः' ^१ आदि वाक्योंद्वारा आत्माके श्रवणके साथ मननपर भी बल दिया गया है, जो उपत्तियों (युक्तियो) के द्वारा किया जाता था। ^२ इससे स्पष्ट है कि उस कालमें अनुमानको भी श्रुतिकी तरह ज्ञानका एक साधन माना जाता था—उसके बिना दर्शन अपूर्ण रहता था। यह सच है कि अनुमानका 'अनुमान' शब्दसे व्यवहार होनेकी अपेक्षा 'वाकोवाक्यम्', 'आन्वीक्षिकी', 'तर्क-विद्या', 'हेतुविद्या' जैसे शब्दों द्वारा अधिक होता था।

प्राचीन जैन वाहृयमें ज्ञानमीमांसा (ज्ञानमार्गणा) के अन्तर्गत अनुमानका 'हेतुवाद' शब्दसे निर्देश किया गया है और उसे श्रुतका एक पर्याय (नामान्तर) बतलाया गया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने उसे 'अभिनिष्ठोऽ' नामसे उल्लेखित किया है। तात्पर्य यह कि जैन दर्शनमें भी अनुमान अभिमत है तथा प्रत्यक्ष (सांख्य-हारिक और पारमाण्डिक ज्ञानों) की तरह उसे भी प्रमाण एवं अर्थनिष्ठायक माना गया है। अन्तर केवल उनमें वैशद्य और अवैशद्यका है। प्रत्यक्ष विशद है और अनुमान अविशद (परोक्ष)।

अनुमानके लिए किन घटकोंकी आवश्यकता है, इसका आरभिक प्रतिपादन कराने किया प्रतीत होता है। उन्होंने अनुमानका 'अनुमान' शब्दसे निर्देश न कर 'लैक्षिक' शब्दसे किया है, जिससे ज्ञात होता है कि अनुमानका मुख्य घटक लिङ्ग

१. शूद्रवारण्य० २।५।५।

२. श्रोतव्यः श्रुतिवाक्योऽस्यो मन्त्रव्यशोपपत्तिमिः ।

मत्वा च सततं ज्ञेयं यते दर्शनहेतुवः ॥

४५६ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

है। सम्भवतः इसी कारण उन्होंने मात्र लिङ्गों, लिङ्गरूपों और लिङ्गभासोंका निरूपण किया है। उसके और भी कोई घटक है, इसका कथादने कोई उल्लेख नहीं किया। उनके भाष्यकार प्रशस्तपादने अवश्य प्रतिशादि पौच अवयवोंको उसका घटक प्रतिपादित किया है।

तर्कशास्त्रका निवड्धक्षमे स्पष्ट विकास अक्षपादके न्यायसूत्रमें उपलब्ध होता है। अक्षपादने अनुमानको 'अनुमान' शब्दसे ही उल्लेखित किया तथा उसकी कारणसामग्री, भेदों, अवयवों और हेस्त्रभासोंका स्पष्ट विवेचन किया है। साथ ही अनुमानपरीक्षा, वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति, निप्रहस्थान जैसे अनुमान-सहायक तत्त्वोंका प्रतिपादन करके अनुमानको शास्त्रार्थीयोगी और एक स्तर तक पढ़ूँचा दिया है। वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन और गङ्गेशने उसे विशेष परिष्कृत किया तथा व्याप्ति, पक्षधर्मता, परामर्श जैसे तदुपयोगी अभिनव तत्त्वोंका विविक्त करके उनका विस्तृत एवं सूक्ष्म निरूपण किया है। वस्तुतः अक्षपाद और उनके अनुवर्ती तार्किकोने अनुमानको इतना परिष्कृत किया कि उनका दर्शन न्याय (तर्क-अनुमान) दर्शनके नामसे ही विश्वृत हो गया।

बसग, वसुबन्धु, दिहनाग, धर्मकीर्ति प्रभुति बौद्ध तार्किकोने न्यायदर्शनकी समालोचनापूर्वक अपनी विशिष्ट और नयी मान्यताओंके आधारपर अनुमानका सूक्ष्म और प्रचुर चिन्तन प्रस्तुत किया है। इनके चिन्तनका अवश्यमभावी परिणाम यह हुआ कि उनकालीन समय भारतीय तर्कशास्त्र उससे प्रभावित हुआ और अनुमानको विचारणा पर्याप्त आगे बढ़नेके साथ सूक्ष्म-मे-सूक्ष्म एवं जटिल होती गयी। वास्तवमें बौद्ध तार्किकोके चिन्तनने तर्कमें आधी कुछालोंको हटाकर और सभी प्रकार के परिवेशोंको दूर कर उन्मुक्तभावमें तत्त्वचिन्तनकी क्षमता प्रदान की। फलत् सभी दर्शनोंमें स्वीकृत अनुमानपर अधिक विचार हुआ और उसे महत्व मिला।

ईश्वरकृष्ण, युर्निक्दोपिकाकार, माठर, विज्ञानभिष्ठु आदि साक्षविद्वानों, प्रभाकर, कुमारिल, पार्थमारथि प्रभुति भीमासकचिन्तकोने भी अपने-अपने ढंगसे अनुमानका चिन्तन किया है। हमारा विचार है कि इन चिन्तकोंका चिन्तन-विषय प्रकृति-पुरुष और क्रियाकाण्ड होते हुए भी वे अनुमान-चिन्तनसे अछूते नहीं रहे। श्रुतिके अलावा अनुमानको भी इन्हें स्वीकार करना पड़ा और उसका कम-जदृ विवेचन किया है।

जैन विचारक तो आरम्भसे ही अनुमानको मानते आये हैं। भले ही उसे 'अनुमान' नाम न देकर 'हेतुवाद' या 'अभिनिषेद' संज्ञासे उन्होंने उसका व्यवहार किया हो। तत्त्वज्ञान, स्वतत्त्वसिद्धि, परपक्षदूषणोद्भावनके लिए उसे स्वीकार करके उन्होंने उसका पर्याप्त विवेचन किया है। उनके चिन्तनमें जो विशेषताएं उपलब्ध होती हैं उनमें कुछका उल्लेख यहाँ किया जाता है:—

अनुमानका परोक्षप्रमाणमें अन्तर्भवित :

अनुमान प्रमाणवादी सभी भारतीय शाकिकोंने अनुमानको स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया है। पर जैन तार्किकोंने उसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना। प्रमाणके उम्होंने मूलतः दो भेद माने हैं—(१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष। हम पीछे इन दोनोंकी परिभाषाएँ अस्तित्व कर आये हैं। उनके अनुसार अनुमान परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भूत है, क्योंकि वह अविशद ज्ञान है और उसके द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थके प्रतिपत्ति होती है। परोक्ष प्रमाणका केन्द्र इतना व्यापक और विशाल है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अर्थापत्ति, सम्बद्ध, अभाव और शब्द जैसे अप्रत्यक्ष अर्थके परिच्छेदक अविशद ज्ञानोंका इसीमें समावेश है। तथा वैशद्ध एवं अवैशद्धके आधार पर स्वीकृत प्रत्यक्ष और परोक्षके अतिरिक्त अन्य प्रमाण मान्य नहीं हैं।

अर्थापत्ति अनुमानसे पृथक् नहीं :

प्राभाकर और भाटू मीमांसक अनुमानसे पृथक् अर्थापत्ति नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उनका मन्तव्य है कि यहाँ अमुक अर्थ अमुक अर्थके बिना न होता हुआ उसका परिकल्पक होता है वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है। जैसे—‘पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुञ्चे’ इस वाक्यमें ‘उक्त ‘पीनत्व’ अर्थ ‘भोजन’ के बिना न होता हुआ ‘रात्रिभोजन’ की कल्पना करता है, क्योंकि दिवा भोजनका निषेध वाक्यमें स्वयं घोषित है। इस प्रकारके अर्थका बोध अनुमानसे न होकर अर्थापत्तिसे होता है। किन्तु जैन विचारक उसे अनुमानसे भिन्न स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि अनुमान अन्यथानुपपत्ति (अविनाभावी) हेतुसे उत्पन्न होता है और अर्थापत्ति अन्यथानुपपत्तिमान अर्थसे। अन्यथानुपपत्ति हेतु और अन्यथानुपपत्तिमान अर्थ दोनों एक है—उसमें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात् दोनों ही व्यासिविशिष्ट होनेसे अभिन्न हैं। डा० देवदत्त भी यही बात प्रकट करते हुए कहते हैं कि ‘एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तुका आक्षेप तभी हो सकता है जब दोनोंमें व्याप्त्यव्यापकमात्र या व्यासिसम्बन्ध हो।’^१ देवदत्त भोटा है और दिनमें खाता नहीं है, यहाँ अर्थापत्ति द्वारा रात्रिभोजनकी कल्पनाकी जाती है। पर वास्तवमें मोटापन भोजनका अविनाभावी होने तथा दिनमें भोजनका निषेध करनेसे वह देवदत्तके रात्रिभोजनका अनुमापक है। वह अनुमान इस प्रकार है—‘देवदत्तः रात्री भुञ्चे, दिवाऽभोजन्वे सति पीनस्वान्यथानुपपत्तेः।’ यहाँ अन्यथानुपत्तिसे अन्तर्भर्ति विवलित है, बहिर्भावित या सकलभ्याप्ति नहीं, क्योंकि ये दोनों व्यासियाँ अव्यभिचरित नहीं हैं। अतः अर्थापत्ति और अनुमान दोनों व्यासिपूर्वक होनेसे एक ही है—पृथक्-पृथक् प्रमाण नहीं।

१. पूर्वी और विक्की दस्तावेज, पृ० ७१।

अनुमानका विशिष्ट स्वरूप :

न्यायसूत्रकार अक्षयादकी 'तत्त्वं कमनुमानम्', प्रशस्तपादको 'लिङ्गदर्शनात्संज्ञायमानं लैङ्गिकम्' और उद्योतकरकी 'किंगपरामर्होऽनुमानम्' परिभाषाओंमें केवल कारणका निर्देश है, अनुमानके स्वरूपका नहीं। उद्योतकरकी एक अन्य परिभाषा 'लैङ्गिकी प्रतिपत्तिरनुमानम्' में भी लिङ्गरूप कारणका उल्लेख है, स्वरूपका नहीं। दिनांगशिष्य शङ्कुरस्वामीको 'अनुमानं किंगदर्शनम्' परिभाषामें यदापि कारण और स्वरूप दोनोंकी अभियालि है, पर उसमें कारण-के रूपमें लिङ्गको सूचित किया है, लिङ्गके ज्ञानको नहीं। तथ्य यह है कि अन्नायमान धूमादि लिङ्ग बग्नि आदिके अनुमापक नहीं हैं। अन्यथा जो पुष्ट दोया हुआ है, मूर्च्छित है, अगृहीतव्याप्तिक है उसे भी पर्वतमें धूमके सद्भाव मात्रसे अग्निका अनुमान हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। अतः शङ्कुरस्वामीके उक्त अनुमानलक्षणमें 'लिंगात्' के स्थानमें 'लिंगदर्शनात्' पद होने पर ही वह पूर्ण अनुमानलक्षण हो सकता है।

जैन तात्किक अकलङ्कृदेवने जो अनुमानका स्वरूप प्रस्तुत किया है वह उक्त न्यूनतावोंसे मुक्त है। उनका लक्षण है—

किंगस्ताध्याविनाभावाभिनिवोचैकलक्षणात् ।

किंश्चिद्वीरनुमानं तत्कलं हानादिकुद्यः ॥

इसमें अनुमानके साक्षात्कारण—लिङ्गज्ञानका भी प्रतिपादन है और उसका स्वरूप भी 'किंश्चिद्विः' शब्दके द्वारा निर्दिष्ट है। अकलङ्कृने स्वरूपनिर्देशमें केवल 'धीः' या 'प्रतिपत्तिः' नहीं कहा, किन्तु 'किंश्चिद्विः' कहा है, जिसका अर्थ है साध्य-का ज्ञान; और साध्यका ज्ञान होना ही अनुमान है। न्यायप्रबेशकार शङ्कुरस्वामी-ने साध्यका स्थानापन्थ 'अर्थ' का अवध्य निर्देश किया है। पर उन्होंने कारणका निर्देश अपूर्ण किया है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अकलङ्कृके इस लक्षण-की एक विशेषता और भी है। वह यह कि उन्होंने 'तत्कलं हानादिकुद्यः' शब्दों द्वारा अनुमानका फल भी निर्दिष्ट किया है। सम्भवतः इन्हीं सब बातोंसे उत्तरवर्ती सभी जैन तात्किकोंने अकलङ्कृकी इस प्रतिष्ठित और पूर्ण अनुमान-परिभाषाको ही अपनाया। इस अनुमानलक्षणसे स्पष्ट है कि वही साधन अधिका लिङ्ग लिङ्ग (साध्य—अनुमेय) का गमक हो सकता है जिसके अविनाभावका निश्चय है। यदि उसमें अविनाभावका निश्चय नहीं है तो वह साधन नहीं है, भले ही उसमें तीन या पाँच रूप भी विद्यमान हों। जैसे 'वर्ष लोह लेप्य है, व्योकि पार्श्व व है, काढ की तरह' इत्यादि हेतु तीन रूपों और पाँच रूपोंसे सम्पन्न होने पर भी अविनाभावके अभावसे सद्गतु नहीं हैं, अपितु हेत्याभाव है और इतीसे वे अपने साध्योंके अनुमापक नहीं माने जाते। इसी प्रकार 'एक मुहूर्त वाद शक्टका उदय होगा,

इयोंकि कृतिकाका उदय हो रहा है', 'समूहमें बृद्धि होना चाहिए अथवा कुमुदी-का विकास होना चाहिए, क्योंकि चन्द्रका उदय है' आदि हेतुओंमें पक्षघर्मत्व ज होनेसे न विरुपता है और न पंचरूपता। फिर भी अविनाभावके होनेसे कृतिकाका उदय शक्टोदयका और चन्द्रका उदय समुद्रबृद्धि एवं कुमुदविकासका गमक है।

हेतुका एकलक्षण (अन्यथानुपपञ्चत्व) स्वरूप :

हेतुके स्वरूपका प्रतिपादन अशपादसे आरम्भ होता है, ऐसा अनुसन्धानसे प्रतीत होता है। उनका वह लक्षण साधर्म्य और वैष्णव्य दोनों दृष्टान्तोंपर आधारित है। अत एव नैयायिक चिन्तकोंने उसे द्विलक्षण, त्रिलक्षण, चतुर्लक्षण और पंचलक्षण प्रतिपादित किया तथा उनकी व्याख्याएँ की हैं। वैशेषिक, बौद्ध, सास्थ आदि विचारकोंने उसे मात्र त्रिलक्षण बतलाया है। कुछ तार्किकोंने चालक्षण और सप्तलक्षण भी उसे कहा है, जैसा कि हम हेतुलक्षण प्रकरणमें पीछे देख आये हैं। पर जैन लेखकोंने अविनाभावको हो हेतुका प्रधान और एकलक्षण स्वीकार किया है तथा त्रैरूप्य, पाचरूप्य आदिको व्याप्ति और आत्मव्याप्ति बतलाया है, जैसाकि कठपर अनुमानके स्वरूपमें प्रदर्शित उदाहरणोंसे स्पष्ट है। इस अविनाभावको ही अन्यथानुपपञ्चत्व अथवा अन्यथानुपपत्ति या अन्ताभ्यासि कहा है। स्मरण रहे कि यह अविनाभाव या अन्यथानुपपञ्चत्व जैन लेखकोंको ही उपलब्धि है, जिसके उद्घावक आचार्य समन्तभद्र है, वह हम पीछे विस्तारके साथ कह आये हैं।

अनुमानका अङ्ग एकमात्र व्याप्ति :

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध सभीने पक्षघर्मता और व्याप्ति दोनोंको अनुमानका अङ्ग माना है। परन्तु जैन तार्किकोंने केवल व्याप्तिको उसका अङ्ग बतलाया है। उनका मत है कि अनुमानमें पक्षघर्मता अनावश्यक है। 'दपरि बृहिरभूत् अशोपूराम्यथानुपपत्तेः' आदि अनुमानोंमें हेतु पक्षघर्मतहीं है, फिर भी व्याप्तिके बलके वह गमक है। 'स इयामस्तन्मुद्रादितरत्सुब्रवत्' इत्यादि असद अनुमानोंमें हेतु पक्षघर्म है किन्तु अविनाभाव न होनेसे वे अनुमापक नहीं हैं। अतः जैन चिन्तक अनुमानका अङ्ग एकमात्र व्याप्ति (अविनाभाव) को ही स्वीकार करते हैं, पक्षघर्मताको नहीं।

पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर हेतुओंकी परिकल्पना :

अकलज्ञदेवने कुछ ऐसे हेतुओंकी परिकल्पना की है जो उनसे पूर्व नहीं माने याये जे। उनमें मुख्यतया पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर ये तीन हेतु हैं। इन्हें किसी भूम्य तार्किकने स्वीकार किया हो, यह जात नहीं। किन्तु अकलज्ञने इनकी आव-

दयकरता एवं अतिरिक्तताका स्पष्ट निर्देश करते हुए स्वस्य प्रतिपादन किया है। उत्तरः यह उनकी देन कही जा सकती है।

प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा अनुमान-प्रयोग :

अनुमानप्रयोगके सम्बन्धमें जहाँ अन्य भारतीय दर्शनोंमें व्युत्पन्न और अव्यु-
त्पन्न प्रतिपाद्योंकी विवक्षा किये बिना अवयवोंका सामान्य कथन मिलता है वहाँ
जैन विचारकोंने उक्त प्रतिपाद्योंकी अपेक्षा उनका विशेष प्रतिपादन भी किया है।
व्युत्पन्नोंके लिए उन्होंने पक्ष और हेतु ये दो अवयव आवश्यक बतलाये हैं। उन्हें
दृष्टान्त आवश्यक नहीं है। 'सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्' जैसे स्थलोंमें बौद्धोंने और 'सर्वं-
ममिष्वेषं प्रमेयत्वात्' जैसे केवलान्वयित्वेतुक अनुमानोंमें नियायिकोंने भी दृष्टान्तको
स्वीकार नहीं किया। अव्युत्पन्नोंके लिए उक्त दोनों अवयवोंके साथ दृष्टान्त,
उपनय और निगमन इन तीन अवयवोंकी भी जैन चिन्तकोंने यथायोग्य आवश्य-
कता प्रतिपादित की है। इसे और स्पष्ट यो समझिए—

गृहपिच्छ, समन्तभद्र, पूज्यपाद और सिद्धसेनके प्रतिपादनोंसे अवगत होता
है कि आरम्भमें प्रतिपाद्यसामान्यकी अपेक्षासे पक्ष, हेतु और दृष्टान्त इन तीन
अवयवोंसे अभिप्रेतार्थ (साध्य) की सिद्धि की जाती थी। पर उत्तरकालमें अक-
लकृका सङ्क्षेप पाकर कुमारनन्द और विद्यानन्दने प्रतिपाद्योंको व्युत्पन्न और
अव्युत्पन्न दो वर्गोंमें विभक्त करके उनकी अपेक्षासे पृथक्-पृथक् अवयवोंका कथन
किया। उनके बाद माणिक्यनन्द, देवसूरि आदि परवर्ती जैन ग्रन्थकारोंने उनका
समर्थन किया और स्पष्टतया व्युत्पन्नोंके लिए पक्ष और हेतु ये दो तथा अव्युत्पन्नों
के बोधार्थ उक्त दोके अतिरिक्त दृष्टान्त, उपनय और निगमन ये तीन सब
पिलाकर पाँच अवयव निरूपित किये। भद्रवाहने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाशुद्धि आदि दश
अवयवोंका भी उपदेश दिया, जिसका अनुसरण देवसूरि, हेमचन्द्र और यशो-
विजयने किया है।

व्यासिका ग्राहक एकमात्र तर्क :

अन्य भारतीय दर्शनोंमें भूयोदर्शन, सहचारदर्शन और अभिचारागृहको
व्यासिग्राहक माना गया है। न्यायदर्शनमें वाचस्पति और सांख्यदर्शनमें विज्ञान-
भिक्षु इन दो तार्किकोंने व्यासिग्राहकी उपर्युक्त सामग्रीमें तर्कको भी सम्मिलित
कर लिया। उनके बाद उदयन, गंगेश, वर्ढमान प्रभूति तार्किकोंने भी उसे व्यासि-
ग्राहक मान लिया। पर स्मरण रहे, जैन परम्परामें आरंभसे तर्कको, जिसे चिन्ता,
कहा आदि शब्दोंसे व्यवहृत किया गया है, अनुमानकी एकमात्र सामग्रीके रूपमें
प्रतिपादित किया है। अकलकृ ऐसे जैन तार्किक हैं जिन्होंने वाचस्पति और

विज्ञानभिक्षुसे पूर्व सर्व प्रथम तर्कको व्याप्तिशाहक समर्थित एवं सम्मुह किया तथा सबलतासे उसका प्रामाण्य स्थापित किया । उनके पश्चात् सभीने उसे व्याप्तिशाहक स्वीकार कर लिया ।

तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति :

यद्यपि बहिर्भासि, सकलव्याप्ति और अन्तर्भूमिके भेदसे व्याप्तिके तीन भेदों, समव्याप्ति और विषमव्याप्तिके भेदसे उसके दो प्रकारों तथा अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति इन दो भेदोंका वर्णन तर्कग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है किन्तु तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति इन दो व्याप्तिप्रकारों (व्याप्तिप्रयोगों) का कथन केवल जैन तर्कग्रन्थोंमें पाया जाता है । इनपर ध्यान देनेपर जो विशेषता ज्ञात होती है वह यह है कि अनुमान एक ज्ञान है उसका उपादान कारण ज्ञान हो होना चाहिए । तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति ये दोनों ज्ञानात्मक हैं, जब कि उपर्युक्त व्याप्तियाँ ज्ञेयात्मक (विषयात्मक) हैं । दूसरी बात यह है कि उनके व्याप्तियोंमें एक अन्तर्भूमिकी ऐसी व्याप्ति है, जो हेतुकी गमकतामें प्रयोजक है, अन्य व्याप्तियाँ अन्तर्भूमिके बिना अव्याप्त और अतिव्याप्त हैं, अत एव वे साधक नहीं हैं । तथा यह अन्तर्भूमिकी तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिहृषि है अथवा उनका विषय है । इन दोनोंमें से किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त है । इनका विशेष विवेचन तृतीय अध्यायमें किया गया है ।

साध्याभास :

अकलङ्कुने अनुमानाभासोंके विवेचनमें पक्षाभास या प्रतिज्ञाभासके व्याप्तिमें साध्याभास शब्दका प्रयोग किया है । अकलङ्कुके इस परिवर्तनके कारणपर सूक्ष्म व्याप्ति देनेपर अवगत होता है कि चूंकि साधनका विषय (वस्तु) साध्य होना है और साधनका अविनाभाव (व्याप्तिसम्बन्ध) साध्यके ही साथ होता है, पक्ष या प्रतिज्ञाके साथ नहीं, अतः साधनाभास (हेत्वाभास) का विषय साध्याभास होनेसे उसे ही साधनाभासोंकी तरह स्वीकार करना युक्त है । विज्ञानन्दने अकलङ्कुको इस सूक्ष्म दृष्टिको परखा और उनका सयुक्तिक समर्थन किया । यथार्थमें अनुमानके मुख्य प्रयोजक साधन और साध्य होनेसे तथा साधनका सोधा सम्बन्ध साध्यके साथ ही होनेसे साधनाभासकी भाँति साध्याभास ही विवेचनीय है । अकलङ्कुने शक्य, अभिप्रेत और असिद्धको साध्य तथा अशक्य, अनभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास प्रतिपादित किया है—(साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विकल्पादि साधनाविचयत्वतः ।

अकिञ्चित्वरकर हेत्वाभास :

हेत्वाभासोंके विवेचन-सन्दर्भमें सिद्धसेनने कणाद और न्यायप्रबेशकारक

तीन हेत्वाभासोंका कथन किया है, अलपादकी भाँति उन्होंने पाँच हेत्वाभास स्वीकार नहीं किये। प्रश्न हो सकता है कि जैन तात्किक हेतुका एक (अविनाभाव-अन्यथानुपपन्नत्व) रूप मानते हैं, अतः उसके अभावमें उनका हेत्वाभास एक ही होना चाहिए। वैशेषिक, बौद्ध और सार्वतों तो हेतुको त्रिरूप तथा नैयायिक पंचरूप स्वीकार करते हैं, अतः उसके अभावमें उनके अनुसार तीन और पाँच हेत्वाभास हो युक्त हैं। परं सिद्धेनका हेत्वाभास-चैविद्य प्रतिपादन कैसे युक्त है? इसका समाधान सिद्धेन स्वयं करते हुए कहते हैं कि खूँकि अन्यथानुपपन्नत्वका अभाव तीन तरहसे होता है—कहीं उसकी प्रतीति न होने, कहीं उसमें सन्देह होने और कहीं उसका विषयासि होनेसे; प्रतीति न होनेपर असिद्ध, सन्देह होनेपर अनैकान्तिक और विषयासि होनेपर विशद्य ये तीन हेत्वाभास होते हैं।

बकलझूँ कहते हैं कि यथार्थमें हेत्वाभास एक ही है और वह है अकिञ्चित्कर, जो अन्यथानुपपन्नत्वके अभावमें होता है। वास्तवमें अनुमानका उत्थापक अविनाभाव हेतु ही है, अतः अविनाभाव (अन्यथानुपपन्नत्व) के अभावमें हेत्वाभासकी सृष्टि होती है। यतः हेतु एक अन्यथानुपपन्नरूप ही है, अतः उसके अभावमें मूलतः एक ही हेत्वाभास मान्य है और वह है अन्यथा उपपन्नत्व अर्थात् अकिञ्चित्कर। असिद्धादि उसका विस्तार है। इस प्रकार बकलझूँके द्वारा 'अकिञ्चित्कर' नामके नये हेत्वाभासको परिकल्पना उनको अन्यतम उपलब्धि है।

बालप्रयोगाभास :

माणिक्यनन्दिने जाभासोंका विचार करते हुए अनुमानाभाससन्दर्भमें एक 'बालप्रयोगाभास' नामके नये अनुमानाभासकी चर्चा प्रस्तुत की है। इस प्रयोगाभासका तात्पर्य यह है कि जिस मन्दप्रज्ञको समझानेके लिए तीन अवयवोंको आवश्यकता है उसके लिए दो ही अवयवोंका प्रयोग करना, जिसे चारकी आवश्यकता है उसे तीन और जिसे पाँचको जरूरत है उसे चारका ही प्रयोग करना अथवा विपरीत क्रमसे अवयवोंका कथन करना बालप्रयोगाभास है और इस तरह वे चार (द्वि-अवयवप्रयोगाभास, त्रि-अवयवप्रयोगाभास, चतुरवयवप्रयोगाभास और विपरीतावयवप्रयोगाभास) सम्भव हैं। माणिक्यनन्दिसे पूर्व इनका कथन दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः इनके पुरस्कर्ता माणिक्यनन्द प्रतीत होते हैं।

अनुमानमें अभिनिबोध-मतिज्ञानरूपता और श्रुतरूपता :

- जैन बाड़मयमें अनुमानको अभिनिबोधमतिज्ञान और धूत दोनों निरूपित किया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने उसे अभिनिबोध कहा है जो मतिज्ञानके पर्यायोंमें पठित है। षट्खण्डागमकार भूतबलि-पुष्पदन्तने उसे 'हेतुशाद' नामसे ध्यवहृत किया है और श्रुतके पर्यायामोंमें गिनाया है। वज्रपि इन दोनों कथनोंमें कुछ विरोध-सा

प्रतीत होगा । पर विद्यानन्दने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि तत्त्वार्थसूत्रकारने स्वार्थानुमानको अभिनिवोष कहा है, जो वचनात्मक नहीं है और घट्क्षण्डागमकार तथा उनके अध्यात्माकार बीरसेनने परार्थानुमानको श्रुतरूप प्रतिपादित किया है, जो वचनात्मक होता है । विद्यानन्दका यह समन्वयात्मक सूक्ष्म चिन्तन जैन तर्क-शास्त्रमें एक मया विचार है जो विशेष उल्लेख्य है । इस उपलब्धिका सम्बन्ध विशेषतया जैन ज्ञानमीमांसके साथ है ।

इस तरह जैन चिन्तकोंकी अनुमानविषयमें अनेक उपलब्धियाँ हैं । उनका अनुमान-सम्बन्धी चिन्तन भारतीय तर्कशास्त्रके लिए कई नये तत्त्व देता है ।



परिशिष्ट-१

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

१. अकलंक

सम्पादक—महेन्द्रकुमार जैन ।

न्यायविनिश्चय भाग १-२—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९५४ ।

सिद्धिविनिश्चय भाग १-२—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९५५ ।

प्रमाणसंग्रह—अकलंकग्रन्थब्रयके अन्तर्गत, सिधी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३६ ।

लघुयस्त्रय—अकलंकग्रन्थब्रयके अन्तर्गत, सिधी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, सन् १९३९ ।

अष्टशती (अष्टस०)—सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बंबई, सन् १९१८ ।

तत्त्वार्थवार्तिक भाग १-२—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५३ ।

अकलंकग्रन्थब्रय—सिधी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन् १९५३ ।

२. अक्षयपाद

न्यायसूत्र—बौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १६१६ ।

३. अनन्तबोर्य

सिद्धिविनिश्चयटीका भाग १-२—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५९ ।

४. अनन्तबोर्य (लघू)

प्रमेयरत्नमाला—बौखम्भा, वाराणसी, वि० सं० २०२० ।

५. अप्समटृ

तर्कसंग्रह—निर्णयसागर प्रेस, बंबई, सन् १९३३

तर्कसंग्रह—(न्यायबोधिनी) श्री हरिकृष्ण निबन्ध भवनम्, वाराणसी ।

६. अभयदेव

सन्धितार्कटीका—गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

७. अचंट

हेतुविन्दुटीका—ओरियांटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, सन् १९४९ ।

८. हृष्टवरकृष्ण

सांख्यकारिका—बौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९१७ ।

२६६ : जैन तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

९. उदयन

न्यायवाचिकतात्प० परिं—गव० सं० कालेज, कलकत्ता, सन् १९११।

न्यायकुसुमाजलि—चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९६२।

किरणावलो—चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९१८।

१०. उद्योतकर

न्यायवाचिक—चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९१६।

११. उमास्वाति

तत्त्वार्थधिगमभाष्य—रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, बंबई।

१२. कणाद

वैशेषिकदर्शन—चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १६२३।

१३. कुमारिल

भीमासाश्लोकवाचिक—चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १८९८।

१४. केशवमिश्र

तर्कभाषा—चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९६३।

१५. कैलाशचन्द्र शास्त्री

जैन न्याय—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९६६।

१६. कीटिल्य

कीटिलीय अर्थशास्त्र—मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन् १९६१।

१७. गंगेश

तत्त्वचिन्तामणि—स्थाद्वाद महाविद्यालय काशीमें विद्यमान प्रति ८१सं० १०।

१८. गृद्धपिच्छ

तत्त्वार्थसूत्र—दि० जैन पुस्तकालय, सूरत, वी० नि० २४६७।

१९. चारुकीर्ति

प्रभेयरत्नालंकार—मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन् १९४८।

२०. जगदीश तर्कालिंकार

दीधितटीका—चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी।

२१. जयन्तभट्ट

न्यायमंजरी—चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९३४।

न्यायकलिका—नंगानाथ ज्ञा।

२२. जैमिनि

भीमासाश्लोक—मद्रास विद्यविद्यालय, मद्रास, खन् १९३४।

२३. दलसुखमाई

आगमयुगका जैन दर्शन—सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन् १९६६।

२४ द्वारिकादास (सं०)

न्यायभाष्य—(हिन्दी) भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी, सन् १९६६।

२५. दिल्लीनाग

प्रमाणसमुच्चय—(प्रत्यक्ष परिच्छेद) मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर, सन् १९३०।

२६. दुर्वेकमिश्र

धर्मोत्तरप्रदीप—काशीप्रसाद जायसबाल अनुशीलन संस्था, फटना, सन् १९५५।

२७. देवराज

पूर्वी और पश्चिमी दर्शन—(दि० आवृत्ति) बुद्धिवादी प्रकाश गृह, लखनऊ।

२८. देवसुरि

प्रमाणनयतत्त्वालोक—आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय, पूना, वी० नि० २४५३।

स्यादादरलाकर—(प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार), आर्हतमत प्रभाकर कार्यालय, पूना, वी० नि० २४५३।

२९. धर्मकीर्ति

न्यायविन्दु—(दि० आवृत्ति) चौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९५४।

प्रमाणवाचिक—किताब महल, इलाहाबाद, सन् १९४३।

हेतुविन्दु—ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा सन् १९४९।

वादन्याय—महाबोधि सभा, सारनाथ।

३०. धर्मभूषण

(सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया)

न्यायदीपिका—बीर सेवा मंदिर, दिल्ली, सन् १९४५।

३१. नरेन्द्रसेन

(सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया)

प्रमाणप्रमेयकलिका—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वी० नि० २४८७।

३२. नागार्जुन

उपायहृदय—प्री दिल्लाग बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ऑन लाजिक फॉम चाइनीज सोर्स-सेजके अन्तर्गत, ओरिं इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, सन् १९२९।

३३. नेमिचन्द्र

गोम्बटसार जीवकांड—रायचन्द्रकास्त्रमाला, बम्बई सन् १९२७।

३६ : जैन तर्कवादमें अनुमान-विचार

३४. पाल स्टेनथल

उदान

३५. पार्थसारथि

न्यायरत्नाकर (मी० इलो० आ०)—चौखम्भा सं० सी० बाराणसी ।

शास्त्रदीपिका—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९२५ ।

३६. पुष्पदन्त-भूतबली

षट्कण्डागम—(मूल हिन्दी सहित) ग्रन्थप्रकाशन समिति फलटन, सन् '६५ ।

३७. पूज्यपाद

सर्वार्थसिद्धि—भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५५ ।

३८. प्रभाकर

वृहती—मद्रास यूनिं मद्रास, सन् १९३६ ।

३९. प्रज्ञाकर

वार्त्तकालकार—महाबोधि सभा, सारनाथ ।

प्रमाणवात्तिकभाष्य—काशीप्रसाद जा० अनुशीलन संस्था पटना, सं० २०१० ।

४०. प्रभाचन्द्र

(समादक—महेन्द्रकुमार)

प्रमेयकमलमार्तण्ड—(द्वि० सं०) निर्णयसागर प्रेस बम्बई, सन् १९४१ ।

न्यायकुमुदचन्द्र—दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बई, सन् १९४१ ।

४१. प्रशस्तपाद

प्रशस्तपादभाष्य—चौ० सं० सी० बाराणसी, सन् १९२३ ।

४२. बलभाचार्य

न्यायलीलाबती—चौ० सं० सी० बाराणसी, सन् १९२७ ।

४३. भगवानदास डॉ०

दर्शनका प्रयोजन

४४. भद्रबाहु

दण्डवैकालिकनिर्युक्ति—आगमोदय समिति, सूरत ।

४५. भीमाचार्य

न्यायकोश—(तृ० आ०) प्राच्य विद्यासंशोधन मन्दिर बम्बई, सन् १९२८ ।

४६. मथुरानाथ तर्कवागीश

व्याप्रिपंचकम्—सत्यनामाक्ष्यमन्त्रालय काशी, संवत् १९८२ ।

४७. मनु

मनुस्मृति—बी० सं० सी०, वाराणसी, सन् १९५२।

४८. मलिलवेण

स्पादादमंजरी—भा० प्रा० संशोधन मन्दिर, पूना, सन् १९३३।

४९. महेन्द्रकुमार जैन

जैन दर्शन(द्वि० सं०)—बणी॑ जैन ग्रन्थमाला वाराणसी, सन् १९६६।

५०. माधवाचार्य

सर्वदर्शनसंग्रह—आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना, सन् १९२८।

५१. माणिक्यनन्दि

परीक्षामुख—पं० घनश्यामदास जैन स्या० म०, काशी, बी० सं० १९७२।

५२. मुनि कन्हैयालाल (सम्पादक)

मूलसुताणि—शान्तिलाल बी० सेठ, व्यावर, वि० सं० २०१०।

अनुयोगसूत्र—शान्तिलाल बी० सेठ, व्यावर, वि० सं० २०१०।

स्थानागसूत्र—घनपतिसिंह, कलकत्ता।

भगवतीसूत्र—घनपतिसिंह, कलकत्ता।

५३. यशोविजय

ज्ञानबिन्दुप्रकरण—सिंधी जैन ग्र०, अहमदाबाद सन् १९४२।

जैन तर्कभाषा—सिंधी जैन ग्र०, अहमदाबाद, सन् १९३८।

५४. राय डेविड (सम्पादक)

ब्रह्मजालसुत

५५. लक्ष्मीसिंह

नीलकण्ठी (त० सं० टी०)—निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३३।

५६. वाचस्पति

न्यायवार्तिकतात्प० टी०—बौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९२५।

सांक्षेपितत्वकौमुदी—बौखम्भा सं० सी०, वाराणसी, सन् १९१७।

५७. वद्धमानोपाध्याय

न्यायनिवन्धप्रकाश—गवर्नमेट सं० कालेज, कलकत्ता, सन् १९११।

५८. वसुबन्धु

तर्कशास्त्र—ओरियटल इंस्टीट्यूट, बड़ीदा, सन् १९२९।

५९. वाल्मीकि

रामायण—गोता प्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१७।

२०० : जैन संकाशवाचमें भासुभान-विचार

६०. वादिराज

न्यायविनिश्चयविं भाग १-२-भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् १९५४।
प्रमाणनिर्णय-मा० दि० जैन प्र०, बन्बई, वि० सं० १९७४।

६१. वादीभर्सिह

(सम्पादक—दरबारीलाल कोठिया)

स्याद्वादसिद्धि-मा० दि० जैन प्र०, बन्बई, सन् १९५०।

६२. वासुदेव (सम्पादक)

ईशायष्टोत्रशतोपनिषद्-निर्णयसागर प्रेस, बन्बई, सन् १९३२।
(ऋग्विन्दूपनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, सुबालोपनिषद्)

६३. विद्यानन्द

तत्त्वार्थश्लोकवा०—सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बन्बई, सन् १९१८।
अष्टसहस्री—सेठ रामचन्द्र नाथारंग, बन्बई, सन् १९१५।
प्रमाणपरीक्षा—सनातन जैन प्र० कलकत्ता, सन् १९१४।
पत्रपरीक्षा—सनातन जैन प्र० कलकत्ता, सन् १९१३।
युक्त्यनुशासनालंकार—मा० दि० जैन प्रम्बमाला, बंबई।

६४. विज्ञानभिक्षु

सांख्यदर्शनभाष्य—चौखम्भा, वाराणसी, वि० सं० १९८५।

६५. वीरसेन

धबला—जैन साहित्योदारक फण्ड, भेलसा, ई० १६५५।

जयधबला—जैन संघ, चौरासी, मधुरा, सन् १९४४।

६६. व्यास

महाभारत—गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१७।

६७. शब्दरस्वामी

भीमासादर्शनभाष्य—मद्रास यूनिं, मद्रास, सन् १९३४।

६८. शान्तरक्षित

तत्त्वसंग्रह—जनरल लायब्रेरी, बड़ौदा, सन् १९२६।

६९. शान्तिसूरि

न्यायावलीरबाटिक०—भारतीय विद्याभवन, बंबई, वि० सं० २००५।

७०. शालिकानाथ

प्रकरणपंचिका—का० हि० विश्ववि०, सन् १९६५।

७१. शंकरमिष्ठ-

वैशेषिकसूत्रोपस्कार—चौहम्मा, वाराणसी, सन् १९२३।

७२. शंकरस्वामी

न्यायप्रबोध—ओरियाटल इंस्टी०, बड़ीदा, सन् १९२०।

७३. शंकराचार्य

छान्दोग्योपनिःभाष्य—गीताप्रेस, गोरखपुर, वि० सं० २०१३।

७४. श्रुतसागर

तत्त्वार्थनृति—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन् १९४९।

७५. विश्वनाथ

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली—गुजराती प्रेस, बम्बई, सन् १९२३।

७६. सतीशचन्द्र विद्याभूषण

ए हिस्टरी ऑफ इंडियन लाजिक—कलकत्ता यूनि�०, कलकत्ता।

७७. सदानन्द

वेदान्तसार—चौहम्मा सं० सी० वाराणसी, सन् १९५९।

७८. समन्तभद्र

(सम्पादक—अनुवादक—जुगलकिशोर मुख्तार)

आप्तमीमांसा—बीरसेवामन्दिरट्रस्ट, दिल्ली, सन् १९६७।

युक्त्यनुशासन—बीरसेवामन्दिर, दिल्ली, सन् १९५१।

स्वयंभूस्तोत्र—बीरसेवामन्दिर, दिल्ली, सन् १९५१।

७९. सिद्धसेन

(सम्पादक—प० सुखलाल संघवी)

न्यायावतार—भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० सं० २००५।

सन्मतिप्रकरण—ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद, सन् १९६३।

८०. सिद्धर्घणि

न्यायावतारटीका—इवे० जैन महासभा, बम्बई, वि० सं० १९८५।

८१. हरिभद्र

षड्दर्षनसमुच्चय—आत्मानन्दसभा, भावनगर।

८२. हेमचन्द्र

प्रमाणमीमांसा—सिंधी जैन प्र०, अहमदाबाद, सन् १९३९।

८३. अक्षातकर्तुक

छान्दोग्योपनिषद्—गीता प्रेस, गोरखपुर।

२०२ : जैन तत्कालमें अनुमान-विचार

८४. अज्ञातकर्तृक

कहन्वेष

८५. अज्ञातकर्तृक

युक्तिवीपिका-कलकत्ता यूनिव० सं० सी०, कलकत्ता, सन् ১৯৩৮।

पत्र-पत्रिकाएँ

- (१) अनेकान्त-बीरसेबामन्दिर, दरियागंज, दिल्ली ।
- (२) जैन-सिद्धान्त-भास्कर-जैन सिद्धान्त भवन, आरा ।
- (३) दी जनरल ऑफ दी विहार एण्ड उडीसा-रिसर्च सोसायटी, पटना ।
- (४) जैन एविटवेरी-जैन सिद्धान्त भवन, आरा ।
- (५) दार्शनिक-राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर ।
- (६) भारतीय विद्या-भारतीय विद्या भवन, बम्बई ।



परिशिष्ट-२

नामानुक्रमणी

अ

अकलङ्का—८, ३१, ३७, ४१, ४७,
५२, ६५, ६६, ६७, ६९, ७३,
७७, ८०, ८१, ८५, ९२, ९३,
९४, ९५, ९६, ९७, १०५,
१०६, १०७, ११३, ११४, १२१,
१४७, १४८, १४९, १५०, १५४,
१५८, १६३, १६५, १६८, १७१,
१७२, १७३, १७५, १७७, १७९,
१८२, १९५, १९६, १९७, १९८,
२०८, २१०, २११, २१६, २१८,
२१९, २२८, २२९, २३०, २३१,
२३२, २३३, २३४, २३५, २३७,
२३८, २३९, २४०, २४३, २४८,
२५९, २६०, २६१, २६२।

असपाद—८, ९, ३५, ३७, ४०९,
१४७, १७३, १७८, १८९, १९०,
२०५, २०७, २०८, २४८, २४९,
२५०, २५६, २५८, २६२।

अर्चट—८, २२, ३६, ४०, १३१,
१३८, १५१, १५२, १५६, १९३,
२०६, २३४।

अर्द्धशास्त्र—६।

अवन्तरीय—३२, १२१, १२२, १५०,
१६६, १७२, १७५, १८२, १८३,
१८६, १८८, १९५, २०२, २११।

अलंकृत—१७, ३३, ६०, ११०, १४५,
१५६।

३५

बन्दुयोगद्वारासूत्र—७, २०, २५, २८,
२९, ४२, ४३, ८४, ११२।
अनेकान्तजयपताका—३२।
अभयदेव—३२, २०२।
अहसहस्री—३२।
असंग—२५६।

आ

आसमीमांसा—३१, ४७, ९१, ९२,
९६, ११५, ११४।

इ

इन्द्रघूति—२५।

ई

ईश्वरकृष्ण—२२, ४६, ६१, २०५,
२५६।

उ

उदयन—८, १६, ३६, ३९, ४९, ६०,
१३१, १३२, १३४, १३५, १४२,
१४४, १४६, १४७, १४५, २५६,
२६०।

उद्योतकर—८, १३, १४, १५, १६,
२१, ३६, ३८, ३९, ४३, ४९,
६०, ९१, ९५, ९७, ११०,
१११, १३१, १४२, १४३, १४७,
१६७, १७२, १७३, १९०, १९१,

२०४ : वैद तर्कशास्त्रमें अनुमान-विचार

- | | |
|--|--|
| १९२, १९४, २००, २०५, २३२,
२४९, २५०, २५२, २५६, २५८।

ऋ
ऋग्वेद—३, १५३।

क
कठोपनिषद्—१५३।
कणाद—१, १७, १८, ३५, ४१, ४२,
४९, ६०, ६९, १७४, १९१,
२०४, २०५, २०६, २०८, २१६,
२२०, २४७, २४९, २५०, २५१।
कर्णकगोमि—२०३।
काश्यप—१८, ४९, १७४, १९०,
१९१।
कुमारलन्दि—४१, १६४, १६८, १७५,
१७५, १९६, २६०।
कुमारिलभट्ट—८, २२, ४०, ५०, ६०,
६६, ६७, १४०, १४१, १५५,
२५६।
केशवमिथ—१७, ३६, ३९, ४३, ६०,
११०, १११, १३५, १४५, १५५।
कौटिल्य—६, ७।

ग
गंगेश—८, १०, १६, ३६, ३९, ११०,
१४५, १५५, १८१, २५६, २६०।
गदाधर—१७, ३९, १३३।
गृहपितृ—३०, ६६, ७३, ७४, ७६,
८४, १००, १०५, १५६, १६०,
१६१, १६२, १६३, १८२, २६०।
गीतम—८, ९, १०, १९, २४, २५,
३३, ३७, ४८, ४९, ६९, ९६,
१८, १९, १३१, १४२, १६९,
१७८, १८१, १९२, २३८। | च
चरक—२८, ४२, ७०।
चरकशास्त्र—११२।
चारकीति—१५६, १६६, १७३, १७५,
१८१, १८३, १८६, २०२, २४२,
२४४, २४५, २४६।

छ
छान्दोग्योपनिषद्—३, ४।

ज
जगदीश—१७, ३९, १३३।
जयन्तभट्ट—८, १६, ३८, ३९, ४३,
४९, ६०, ११०, १११, १२४,
१२८, १५५, १६७, १७४, १९२,
२००, २३१, २४३, २५१, २५३।
जयराशिभट्ट—१४६।
जल्पनिर्णय—२३७।
जैनतर्कभाषा—३२।
जैमिनिसूत्र—४०, १५३।

त
तर्कमाधा—१७।
तर्कपाद—२२।
तर्कसंग्रह—१७, ११०।
तत्त्वचिन्तामणि—१०, १६, ३९, १०५,
११०, १४५।
तत्त्वार्थश्लोकवातिक—३२, ७७, २११।
तत्त्वार्थसूत्र—२९, ७२, ७६, ७७, ७८,
७९, ८४, १५९, १६०।
तत्त्वरोधी—१०।

द
दलसुखमालवणिया—७१।
दण्डकालिक—२९। |
|--|--|

दिल्ली—८, १५, १८, २१, ४३, ६१,
६२, ९७, ११२, १२०, १६२,
१६८, १९२, २३४, २३८, २४०,
२४४, २५६, २५८।

देवेन्द्रदुर्दि—२२।

देवराज—२५७।

देवसूरि—८, ३२, ४७, ५२, ६७, ६९,
१२१, १२२, १२४, १२५, १२७,
१२८, १४७, १४९, १५०, १५१,
१५८, १६५, १६६, १६८, १७२,
१७५, १७७, १७९, १८०, १८३,
१८५, १८६, १८७, १८८, २०२,
२१८, २१९, २२०, २४२, २४४,
२४५, २४६, २६०।

ष

धर्मकीर्ति—८, १५, २१, ३६, ४०, ४३,
४७, ५२, ६२, ६६, ६८, ११२,
१२७, १३१, १३८, १३९, १४६,
१५०, १५१, १५२, १५६, १६८,
१७१, १७२, १७४, १७७, १८३,
१८५, १९१, १९३, १९७, १९९,
२०६, २०७, २०८, २१०, २२०,
२२८, २३४, २३५, २३८, २४०,
२४३, २४४, २५२, २५३, २५६।

धर्मोत्तर—८, २२, ३६, ४०, १७१,
१७२, १७४, २०६।

धर्मभूषण—३२, ४७, ६८, ६९, ७३,
९२, ९५, ९६, १२५, १२६,
१२७, १२८, १२९, १४९, १६६,
१७०, १७२, १७५, १८६, २०२,
२२०, २४४, २४६।

धर्मला—८१, ८५।

म

नारायणमट्ट—४७, १६८।

न्यायकलिका—१६।

न्यायकुमुदचन्द्र—३२, ११८।

न्यायावतार—३१, ५१, ९१, ९६,
१२२, १२४, १६२।

न्यायदीपिका—३२।

न्यायद्वार—२१।

न्यायप्रबेश—२०, २१, ३५, ४०, ४६,
५०, ५१, ५२, ११२, २२८,
२३८, २५३।

न्यायविन्दु—२१, ४७, ५२, २०६, २३८।

न्यायभाष्य—११, ३७, ५०, १०९,
११०, ११५, १३१।

न्यायमंजरी—१६, ११०, २३१।

न्यायरत्नाकर—४७।

न्यायवाचिक—१६, २१, ३८, ११०,
११५, १३१, २३२।

न्यायविनिश्चय—३१, ९२, ९५, ९६,
१७१, १९६, २३७।

न्यायविनिश्चयविवरण—३२, ११५,
१९४।

न्यायसूत्र—५, ८, ९, १०, १६, २०,
२४, २८, २९, ३५, ३७, ४२,
४४, ४८, ४९, ५०, ६०, १०९,
१११, १३१, १५४, २३८।

प

पद्मघरमिष्ठ—३१।

पतंजलि—१०।

२०६ : जैन लक्षणस्त्रमें अनुमान-विचार

- | | |
|--|---|
| पत्रपरीक्षा—३२, १६४। | पटीकामुक्त—३२, २३७, २३८। |
| प्रकरणपंचिका—२२, ४७। | पात्रस्वामी—८, ४१, १७५, १९४,
१९५, १९६, २००। |
| प्रजाकर—८, २२। | पार्थसारथि—२२, ४७, ५०, १४१,
१६८, २५६। |
| प्रभावन्द—८, ३२, ४३, ६९, ९२,
११२, ११५, ११८, १२१, १२२,
१४७, १४९, १५०, १६५, १६६,
१६८, १७२, १७३, १७५, १८३,
१८६, १८८, २०२, २१८, २१९। | पाणिनि—१५३। |
| प्रभावकर—२२, ६०, ६१, ६८, १४०,
२४६। | पूज्यपाद—२९, ४०, ६३, ६४, ६५,
६६, ७३, ७४, १६०, १६३,
२६०। |
| प्रभावनवतस्त्रालोकालंकार—३२, २४२। | पुष्टदन्त—८३, २६२। |
| प्रभाणपरीक्षा—३२, ७९, १६४, २१९। | ग |
| प्रभाणमीमांसा—३२, ६५। | बृहती—२२, ४१। |
| प्रभाणवात्तिक—२१, ४७, २०६। | ब्रह्माजालसुत्त—४। |
| प्रभाणवात्तिकालंकार—१२०। | ब्रह्मविन्दूपनिषद्—३। |
| प्रभाणसमुच्चय सवृत्ति—२१। | भ |
| प्रभाणसमुच्चय—२१, ११२। | भगवानदास—४। |
| प्रभाणसंप्रह—३१, १७१, १९६, २३२,
२३७। | भगवत्तीसूत्र—७, २५, ७०, ७१, ७२,
८४। |
| प्रभेयकमलमार्णव—३२, ११८, २१९। | भद्रबाहु—२६, ३०, ४६, ४१, १७७,
१८६, १८७, २६०। |
| प्रभेयरत्नमाला—३२, २१९। | भूतवलि—८३, २६२। |
| प्रबचनसार—८४। | म |
| प्रशस्तपाद—८, १७, १८, १९, २१,
४०, ४२, ४३, ४४, ४६, ५०,
५१, ६६, ९६, ९८, ९९, १०१,
१०८, १०९, ११०, १११, ११२,
१२०, १४१, १४२, १४६, १४८,
१५५, १६७, १६९, १७१, १७४,
१७७, १७८, १८५, १९०, १९१,
२०४, २३४, २४०, २४७, २४८,
२५१, २५२, २५६। | मनुस्मृति—७। |
| प्रशस्तपादभाष्य—१९, ३५, ३९, ४४,
५१, १२०, १४३, २५२। | महाभारत—५। |
| | महावीर—२५। |
| | मधुरानाथ—१७, १९, १६३। |
| | महेन्द्रकुमार—२३२, २३३। |
| | मलिलवेण—१२५। |
| | माठर—८, १५, ४२, ५१, १६८, १८२,
१९१, २५६। |

माठरवृत्ति—४६, १११।

मालमेयोदय—४७।

माणिक्यनन्दि—८, २२, ३२, ४१, ४७,
५२, ५९, ६७, ६८, ६९, ७३,
९२, ९४, ९५, १२१, १२२,
१२७, १३५, १४७, १४९, १५०,
१५१, १५६, १६५, १६६, १६८,
१७२, १७३, १७५, १७७, १७९,
१८०, १८१, १८२, ११३, १८५
१८६, १८८, २०१, २०२, २१८,
२१९, २२०, २३७ २३८, २३९,
२४०, २४१, २४२, २४३, २४४,
२४५, २६०।

मंत्रायणी-उपनिषद्—४।

य

यशोविजय—३२, ४७, १५८, १७३,
१७५, १७७, १८१, १८७, २०२,
२२०, २४४, २४६, २६०।

याज्ञवल्य—५।

युक्तिदीपिका—२०, ४५, ५१, १११।

युक्त्यनुशासन—३१।

र

रघुनाथसिंहोमणि—३९, १३३।

रामायण—५, १५३।

रूपनारायण—९।

ल

लघोयस्त्रय—३१, ७७, ९२, ९२, ९६,
९६।

लघु अनन्तवीर्य—३२, २१८, २१९।

ब

बर्द्धमान उपाध्याय—८, ३९, १३५,
१४४, १४५, १४६, १४७, २६०।

बसुदेव—८, १९२, २५६।

बात्सायन—६, ८, १०, ११, ११, १२,
२९, ३०, ३३, ३७, ४८, ४९, ६०,
६५, ९०, ९१, १३१, १४२,
१४७, १६७, १६९, १७२, १७३,
१८१, १८४, १८७, १९०, २०५,
२५६।

बाचस्पति—८, १५, २२, ३६, ३८,
३९, ४३, ४९, ११०, १११, १३१,
१३२, १३४, १४३, १४४, १४६,
१४७, १५४, १६७, १७४, १८४,
१८५, १९२, २००, २०५, २४९,
२५६, २६०।

बादन्याय—२३७

बादिराज—३२, ९०, ९२, ११५,
११६, ११८, १३१, १७२, १७५,
१९४, २००, २१९, २३०, २३३,
२३५, २३७, २३८ २४३।

बादीभसिह—३७, १५८, २०१।

बासुदेव विद्व—३९।

बाल्मीकि—५।

बिजानभिक्षु—२२, १४०, १४६, १५४,
२५६, २६०, २६१।

बिज्ञिमाश्रतासिद्धि—२२६।

बिद्यानन्द—८, ३२, ३७, ४७, ६६,
६७, ६८, ६९, ७३, ७७, ७८,
७९, ८१, ८५, ९२, ९४, ९८,
१००, १०१, १०५, १०६, ११५,
११६, १२१, १४७, १४९, १५०,
१५८, १६४, १६५, १६८, १७२,
१७३, १७५, १९४, १९५, १९९,
२००, २०३, २०८, २११, २१३,
२१५, २१६, २१७, २१८, २१९,
२२०, २६०, २६२।

विज्ञानूषण—६।	स
विनीतदेव—२२।	स्थानाङ्गसूत्र—७, २३, ७०, ७१, ८४, २०७, २०८।
विश्वावसु—५।	स्वयम्भूस्तोत्र—३१।
विश्ववाय—८, ३९, ६०, ११०, १४५, १५५।	सतीशचन्द्र—६।
व्योमशिव—१९।	सन्मतितर्कटीका—३२।
व्याकरणसूत्र—१५३।	समन्तभद्र—८, २३, २९, ३१, ४०, ४७, ६२, ६३, ६५, ६७, ६८, ७३, ७४, ९१, ९२, ९६, १६०, १६१, १६२, १६३, १७४, १८२, १९४, १९६, २२६, २५९, २६०।
वीरसेन—२३, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, १९५, १९८, २०७, २६२।	सर्वदेव—४९।
वैशेषिकसूत्र—९, १७, ३५।	सर्वार्थसिद्धि—५६।
श	सास्यकारिका—२८, ३१, ४२, १११।
शंकरस्वामी—३६, ४०, ११२, ११८, २३८, २४८।	सांख्यदर्शन—४३, ५१, ६१, १११, ११२, १४०, १४६, २०५, २६०।
शंकरमिथ—४०, १६२, २०४।	सास्यतत्त्वकोमुदी—२०५।
शब्द—४२, ९८, १०६, १४०।	सिद्धेन—८, २९, ३७, ४१, ४७, ५२, ६२, ६५, ७१, ९२, ९६, १२०, १२१, १२२, १२४, १५८, १६२, १६३, १७१, १८३, १७५, १७७, १७८, १८२, १९५, १९६, २२७, २२८, २३०, २४३, २४४, २४६, २६०, २६१, २६२।
शलोकवात्सिक—२२, ४०, १५५।	सिद्धिविलिङ्गय—३१, ३२, १२१, २०८, २३७।
शंकरभाष्य—४।	सिद्धिविगणि—९१।
शातभद्र—२२।	सुखलालसंघवी—१५२, १८७, २३१, २३२।
शांतरक्षित—८, ४१, ६२, ११४।	सुखालोपनिषद्—४।
शाबरभाष्य—४०, ४१, १५३।	ह
शालिकानाय—२३, ४७, ६१, १४०, १६८, १९३।	हरिभद्र—३२, ७१।
शास्त्रदीपिका—२२।	हेतुविन्दु—२१, १३९, १९१, १९३
शास्त्रवार्ता समुच्चय—३२।	
शान्तिसूरि—१७५।	
श्रीकण्ठ—८।	
श्रीघर—१९।	
श्रीहर्ष—१४६।	
श्रुतसागर—७७, ७९, ८१।	
व	
वट्टसण्डागम—७, २३, ७१, ८०, ८२, ८३, ८४, ८५, १०५, २०६, २६२।	

हेतुवार्ताक—१९१।	१२२, १२३, १४७, १४९, १५१,
हेतुचक्षसमर्थन—२१।	१५२, १६५, १६६, १६८, १७२,
हेतुचन्द्र—८, ३२, ४७, ५२, ६७,	१७३, १७५, १७७, १८०, १८२,
६८, ६९, ७३, ९२, ९५, १२१,	१८३, १८५, १८६, १८७, १८८,
	२०२, २१८, २२०, २४४, २६०।

●

परिशिष्ट—३

प्रमुख दार्शनिक-तार्किक-पारिभाषिक शब्द-सूची

अ

अकार्यकारणानुमान—११७।	१९९, २००, २०१, २०२, २११,
अकिञ्चित्तकर—२३१, २३२, २३३,	२२७, २२८, २३०, २३१, २३२,
२३४, २३५, २४०, २४३, २४४,	२३४, २४३, २५७, २५९, २६१
२४५, २६२।	अन्यथानुपपत्त्व—३१, ५७, ९२,
अतिव्याप—११२, ११४, १२३, २०१,	१०७, ११३, ११४, ११६, ११९,
२५९, २६१।	१२०, १३६, १९४, १९५, १९६,
अर्थापत्ति—३१, ६९, ७०, ७३, ७४,	१९७, १९८, १९९, २००, २०४,
९८, ९९, १००, १०१, १०२,	२१६, २१८, २२७, २२८, २३०,
१०३, १०५, १०६, १०७, १५०,	२३१, २३२, २५९, २६२
२५७।	अन्यथानुपपत्त्वमान—१०१, १०३, १५१,
अर्थापत्तिपूर्विका—१०३।	२५७।
अन्तर्घासि—३१, ३७, १५७, १५८,	अन्यव्याप्ति—११, १५५, १५६, २६१
१७९, २०१, २५७, २५९, २६१	अन्यव्याप्तिरेकी—१४, ५७, १०९,
अन्यथानुपत्ति—३१, ८२, ९१, १०२,	११६, १९२, २०५।
१०३, ११३, ११४, ११६, ११८,	अन्यव्यवसाय—९८।
११९, १२३, १३५, १५६, १६५,	अनुमूलि—६०, ६१।
१७५, १७६, १९४, १९९, १९८,	अनुमान—३, ४, ५, ६, ७, ८, ९,
	१०, १२, १३, १४, १६, २५,

- २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४७, ५८, ६८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७७, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०१, १०२ १०४, १०५, १०६, १०७, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३२, १३३, १३४, १३७, १४०, १४६, १४७, १४९, १५१, १५३, १५७, १५९, १६२, १६३, १७०, १८४, १८८, १८९, २०९, २२६, २२९, २३०, २३७, २३८, २४१, २४६, २४७, २४८, २५१, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६२, २६३।
- अनुमानाभास—१३, ८७, ११३, २२६, २२७, २२८, २२९, २३७, २४२, २४३, २४४, २४७, २४८, २५३, २६२।
- अनुमेय—१२, १३, १६, ३६, ३६, ३१, ३५, ३२६, ३४९, ३६०, ३६२, ३६६, ३६७, ३७२, ३७३, ३७४, ३७८, ३७९, ३८५, ३९०, ३८८, ३९३, ३८।
- अनुमेयार्थ—११, १५, १०४, १०९, १२८।
- अनेकान्तात्मक—११, १०२, १९९।
- अनेकान्तिक—१९९, २०२, २२८, २३४, २३५, २४३, २५०, २५१, २५२, २५१।
- अपूर्वार्थ—६१, ६६, ६७, ६८, ६९।
- अपोह—१५४।
- अवाधितत्व—१६६।
- अवाधितविषयत्व—१८५, १९२, १९३, ११४, २००, २०३।
- अभाव—३१, ६९, ७०, ८३, ८८, ९८, ९९, १००, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १३५, १५०, २०१, २०७, २२७, २५७।
- अभावाधिपति—१०३।
- अभिनिवोध—३०, ३१, ७२, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८४, ८५, १०६, २५५, २५६, २५८, २६२, २६३।
- अव्याप्त—११२, ११४, २०१, २५९, २६१।
- अवग्रह—१००।
- अवधि—७१, ७२, ७४, ७६।
- अविघा—९८।
- अविभाव—१६, ३१, ३४, ३७, ३९, ४०, ५७, ८७, ९४, ९५, ९६, ९७, १०१, १०२, ११३, ११६, ११८, ११९, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४८, १४९, १६०, १५३, १५७, १९१, १९५, १६६, १७२, १७५, १८५, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०९, २५८, २५९, २६१, २६२।

दार्शनिक-तार्किक-पारिभाषिक शब्द-सूची: २६१

अविसंवादि—६२, ६६, ८९, ८८, ।	९८, ९९, १००, १०१, १०५,
अवीत—१०९, १११, ११५, ११६,	१०६, १०७, १४९, १५० ।
२०५ ।	उपादान—१०, १३, ३१, ५९, ६५,
अवीतानुमान—११५ ।	९३ ।
असत्त्रतिषक्षण—२००, २०३, ।	उपेक्षा—९३ ।
असत्त्रतिषक्षत्व—१६६, १८५, १९२, ।	क
असमवायि—५९ ।	अहा—७५, ९०, १४७, १५१, १५३,
आगम—२३, २४, २९, ३३, ६८, ७०,	२६० ।
७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७,	अहापोह—१०१, १०४, १३७, १४७ ।
८४, ८५, १०१, १०५, १३९,	ए
१४९, १५१, १८७, २३०, २३९,	ऐतिहा—११, ६९, ९८, ९९, १०५,
२४५, २५१ ।	२५७ ।
आत्मसंवित्—११२ ।	क
इ	कल्पनापोठ—६५ ।
इन्द्रियज्ञान—८३ ।	कार्य—२५, २६, २९, ५९, १०८,
इन्द्रियव्यापार—८३ ।	२०४, २०६, २०८, २१०, २११,
ईदा—१५४ ।	२१४, २१६, २१८ ।
उ	कार्यकारणरूप—८, ९१६, ११७ ।
उत्तरचर—११८, १३८, १५०, १९८,	कार्यकारणभाव—५७, ८९, १३८,
२०२, २०८, २०९, २१३, २१३,	१३९, १९८ ।
२१८, २१९, २५९ ।	कार्यहेतु—८९, २१२ ।
उदाहरण—९, ११, १५, ३०, ३१,	कारकसाकल्प—६५ ।
७५, १६७, १७७, १७८, १८१,	कारण—२५, २६, २९, १०८, २०४,
१८२, १८४, १८५, १८८, १९१,	२०८, २१०, २११, २१४, २१६,
१९०, १९८, २०२, २२६, २३९,	२१८ ।
२५९ ।	कारणकार्यरूप—११६ ।
उपलब्ध—९, १६६, १६७, १७७, १८१	कारणहेतु—२०९, २१२ ।
१८२, १८३, १८४, १८५, १८६,	केवलज्ञान—७१, ७२, ७३, ७४, ७६ ।
१८८, २४१, २४२ ।	केवलव्याप्तयी—१४, १०९, ११०, १११
उपलब्धाभास—२४२, २४३, २४४,	१९२, २०५ ।
२४५, २४६, २४८, २४९ ।	केवलव्यतिरेकी—१४, १०९, ११२,
उपमान—६९, ७०, ७३, ७४, ७५,	२०५ ।
७६ ।	क्षयोपशम—७४ ।

२८६ : जैन तर्कसाक्षमें अनुमान-विचार

	१८४, १९५, १८६, १८७, १८८,
गवेषणा—१५४।	२४१, २४२।
	निगमनाभास—२४३, २४४, २४५,
व	२४६, २४८, २४९।
चिन्ता—३०, ३१, ७२, ७५, ७६, ८३,	निश्चलस्थान—३०, २५६।
९०, १००, १०१, १५३, १५४,	निष्ठ्य—६९, ९८, ९९।
२६०।	निर्दर्शनाभास—२४८, २५२।
चेष्टा—६९, ९८, ९९।	निविकल्पक—६५।
	४
छल—३०, २५६।	पच—२१, २९, ३१, ३४, ३५, ३६,
	३७, १६५, १६८, १६९, १७१,
ज	१७२, १८२, १८८, १८९, २४६,
जल्प—३०, २५६।	२५०, २५७, २५८, २५९।
ज्ञातत्व—१९३, १९४।	पञ्चवृत्तित्व—१६६।
	पञ्चवर्षमत्ता—९, १३, १६, १७, ३४,
त	३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१,
तर्क—१५, ५७, ६८, ७२, ७३, ७४,	१८३, १५६।
७५, ७८, ८०, ९०, ९८, १२१,	पञ्चवर्षमत्त्व—११३।
१२५, १३७, १४४, १४६, १४७,	परसंवेदी—६३।
१४८, १४९, १५३, १५४, १५५,	परार्थ—३१, ७८, ८५, ११०, १११,
१५३, १६३, १७०, १७१, २५६,	११२, ११९, १२२, १२४, १२५,
२६३।	१२९।
तर्करसिक—८९।	परार्थनुमान—१०६, १०८, १०९,
तथोपपत्ति—३१, १२३, १५६, १७६,	१२०, १२१, १२२, १२३, १२४,
२०१, २६१।	१२८, १२९, १६२, १६४, १६७,
	१६८, १८३, १८५, १८७, १८८,
द	२४०, २४४, २५०, २५१, २५३,
दृष्ट—२३, १०९।	२५४, २६३।
दृष्टान्ताभास—३१, २४१, २४२, २४६	परार्थनुमानाभास—२५३।
२४८, २५०, २५२, २५३।	परार्थसंवित्—११२।
	परार्थसंवित्—१०, १३, १४३, २५६
न	२५७।
नास्तिताज्ञान—१०३।	परोक्ष—३, ३०, ३१, ३३, ५८, ७३,
नास्तिताज्ञाहीज्ञान—१०३।	
निगमन—९, १६६, १६७, १८३,	

- ७३, ७४, ७६, ७७, १००, १२१
१४१।
- परोक्षप्रभाण—१०७, १५४, २५७।
- पूर्वचर—११८, १३८, १५०, १९८,
२०२, २०८, २०९, २१२, २१३,
२१८, २१९, २५९।
- पूर्ववत्—१४, २०, २५, २८, १०९,
११२, ११३, ११४, ११७।
- प्रतिज्ञा—१, ११, ३२, १२५, १२८,
१२९, १६१, १६२, १६३, १६७,
१६८, १६९, १७०, १७१, १८४,
१८५, १८६, १८७, १८८, १८९,
२२६, २४२, २४३, २४८, २४९,
२५६, २६०।
- प्रतिज्ञाभास—२२९, २४७, २४८,
२४९, २५१, २६१।
- प्रतिभा—१०० १०१ १०५।
- प्रतिषेधाष्टक—१०४।
- प्रतिपत्ति—१३, ९१, १६, ६७, १०६
१०७, १२१, १२५, १६७, १७४,
१८४, १८५, २५७, २५८।
- प्रत्यक्ष—१२, २०, ३३, ६५, ६७, ६९
७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ८४,
८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९८,
१००, १०३, १०४, १२२, १२४
१२५, १२६, १२७, १३४, १३५
१३८, १३९, १४०, १४१, १४३
१४७, १४८, १५०, १५२, १६६
१७०, २२६, २३०, २३५, २४५,
२४८, २५१, २५७।
- प्रत्यक्षोद्घसम्बन्ध—१०९।
- प्रत्यमिज्ञान—२५, २७, २९, ६८, ७३
७४, ७५, ७६, ७८, ८०, ९८
- १०१, १२१, १२५, १५२, २५७।
- प्रमा—६०, ६३।
- प्रमाण—१, ३, १७, १८, ३०, ३१,
३२, ३७, ४८, ४९, ६०, ६१,
६२, ६५, ७३, ८६, ९६, ९८,
९९, १०१, १०२, १२१, १२६,
१२७, १३६, १४०, १४३, १४५,
१४७, १५०, १५३, १५४, १७१
१८४, २०३, २१९, २३२, २३७
२५७।
- प्रमाणाभास—५८, ५९, ७१, ७२।
- प्रमेय—१०२।
- प्रामाण्य—६७, ८७, ८८, ८९, १३७,
१४६, १४७, १५४।
- प्रातिम—१८, ९९।
- प्रातिभज्ञान—१०५।
- व
- बुद्धि—१००।
- बहिर्व्याप्ति—१५७, १५८, २०१।
- म
- मति—३०, ३१, ७१, ७२, ७३, ७४
७६, ७७, ७८, ८०, ८१, ८२,
८३, ८४, ८५।
- मतिज्ञान—१०६।
- मनःपर्यय—७१, ७२, ७४, ७६।
- मारणा—१५४।
- मीमांसा—१५४।
- मुख्यानुमान—१२१।
- मेष्ठा—१००।
- य
- यशार्थिनुभव—६०।
- योग्यता—६२, ६३।

क

लिंग—१०, १२, १३, ३५, ३७, ३९,
४३, ८९, ९२, ९३, ९७, १०३,
१०५, १३०, १९३, २४६, २४९,
२५३, २५६, २५७।

लिंगदर्शन—१२, ७५, ९०, ९१, ९६,
१४३, २५८।

लिङ्गपरामर्श—१०, १३, १६, ९१,
९५, ९६, ९७।

लिङ्गाभास—१९०, २४७, २४८,
२५६।

लिङ्गलिङ्गीसंबंधस्मृति—११।

लैङ्गिक—९, ६९, ८२, ९८, १०१,
१०८, २४७, २४८, २५५, २५८।

ब

बात—५।

बाद—२०, ३०, २५६।

बिजान—१४।

बितण्डा—२०, ३०, २५६।

बिदा—८५।

बिपक्षव्यावृत्त—१९०।

बिपक्षास्त्रव—१९२, १९३, १९५,
१९९, २५१।

बिवक्षितकसंस्पत्त्व—१९३, २०३।

विरोधि—१०८।

बीत—१०९, १११, ११३, ११५,
११६, २०५।

बीतानुमान—११५।

व्यतिरेकव्याप्ति—१५५, १५६।

व्याप्ति—९, १०, १२, १५, १६, ३४,
३५, ३७, ३८, ३९, ४०, ७५,

८८, १०२, ११४, १२०, १२४,
१२५, १२६, १२८, १२९, १३०,

१३१, १३५, १३७, १३९, १४०,
१४१, १४४, १४५, १४६, १४७,
१४८, १५०, १५२, १५४, १५५,
१५६, १५७, १५८, १५९, १६०,
१७९, २५७, २५९, २६०, २६१।

व्याप्तिनिर्णय—१०।

व्याप्तिनिष्ठय—१०, १०२, १४८,
१५१।

व्याप्तिसमरण—७५, ९०, ९६।

श

शब्द—८, ९, ११, १९, ३३, ३५,
३६, ३८, ४१, ५०, ६९, ७१,
७७, ८१, ८२, ८५, ९१, १५१,
१५३, १६२, १८१, १८४, २३४,
२३६, २३७।

शब्दार्थपत्ति—१०३।

शेषवत्—८, १४, २०, २५, २७, २९,
११४, ११६, ११७।

शुत—३०, ७१, ७२, ७४, ७६, ७७,
८१, ८२, ८३, ८४, ८५, १००,
१०५, १०७, १२१।

स

सम्भव—३१, ६९, ९८, ९९, १००,
१०४, १०५, १०६, १०७, ११७।

संज्ञा—३०, ३१, ७३, ७५, ७६, ८३,
१००।

संयोगी—१०८, ११३, ११८, २०४,
२०६।

सत्प्रतिपक्ष—२००, २३४, २४६,
२४९।

सत्प्रिकर्व—६३, ६५।

सपक्षास्त्रव—२१, ३६, १९२, १७३,
१९७, १९८, १९९, २५१।

- सप्तक—३६, ३७, १७१, १७२, १८१
 १९०, १९१, १९५, १९७, २५२।
- समवाय—६४, २०९।
- समवायि—१७, ५९, १०८, ११३,
 ११८, २०४, २०६, २१२।
- सहचर—११७, १३८, १९८, २०२,
 २०८, २०९, २११, २१२, २१३
 २१५, २१८, २१९।
- सर्वज्ञता—६३।
- सविकल्पक—६८।
- साध्य—६, ११, १३, ३०, ३१, ३४,
 ३५, ३७, ७५, ७७, ८२, ८७,
 ९२, ९३, ९४, १०१, १०२,
 ११२, ११३, ११५, ११८, ११९
 १२१, १२४, १२६, १२८, १२९
 १३१, १३२, १३४, १३६, १३७
 १३९, १४३, १४८, १४९, १५१
 १५३, १५६, १५७, १५८, १६१
 १६५, १६९, १७०, १७१, १७२
 १७३, १७६, १७८, १७९, १८०
 १८१, १८४, १८६, १८७, १८८
 १८९, १९६, १९९, २००, २०१,
 २०२, २०३, २०७, २११, २२८
 २२९, २३५, २३७, २४०, २४९,
 २५०, २५२, २५३, २५८, २६०।
- साध्यनान—६२, ९६, ११३, १२३,
 १२४, १२९।
- साध्यनिश्चय—९२।
- साध्यप्रतिपत्ति—११९, १७२।
- साध्यविनाभाव—१३, ७५, ७७, ८२
 ८३, ८८, ९२, ९३, ९४, ९७,
 १२१, १२४, १६५, १६६, १८३
 १८८, २०१, २५८।
- साज्ज्याभास—१३६, १४३, २०२,
 २२९, २३०, २४०, २६१।
- साध्यसाधनभाव—९, १३०, १८७।
- साधन—३१, ३४, ३७, ७२, ७७, ७८
 ८२, ८३, ८५, ८७, ९२, ९३,
 ९४, १०१, १०२, ११९, १२६,
 १२८, १२९, १३१, १३२, १३५
 १३६, १३७, १४८, १४९, १५१
 १५३, १५६, १५७, १५८, १६१
 १६५, १७६, १७८, १७९, १८०
 १८७, १८८, १८९, १९०, २०१
 २११, २१५, २२८, २२९, २३५
 २३६, २३७, १४०, २५०, २५१,
 २५३, २५४, २५५, २६१।
- साधनाभास—१३२, १३६, २३०,
 २३१, २४३, २६१।
- साधर्म्यव्याप्ति—१५६।
- सामान्यतोदृष्टि—८, १२, १४, २८,
 १०८, १०९, १११, ११६, ११७,
 २०५।
- स्वरज—१०१, १०३, १०४, १२१
 १२२, २५१।
- स्मृति—१२, ३०, ३१, ६८, ७२, ७३,
 ७४, ७५, ७६, ७८, ९८, ९९,
 १००, १०६, १२५, २५७।
- स्वार्थ—३१, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१,
 ११०, १११, ११२, ११३, १२२
 १२५।
- स्वार्थनुभाल—१०६, १०९, ११२,
 ११९, १२०, १२१, १२२, १२४
 १२५, १२६, १२८, १२९, १६७
 १८७, १८८, २६३।

४८६ : श्रीम रामेश्वरम् अनुमान-विचार

स्वाधीनुमालाभास—२५३।	१९२, १९३, १९४, १९५, १९६,
स्वविद्यवार्थानुमाल—१०९, १०८।	१९७, १९८, १९९, २००, २०१,
स्वसंबोधी—६२, ६८।	२०२, २०३, २०४, २०५, २०६,
स्वाधादन्वय—११।	२०७, २०९, २१५, २१६, २१९,
ह	२२७, २४४, २४२, २४५, २४९,
हेतु—३, ४, ५, ६, ९, ११, १५, १६,	२५०, २५५, २१६, २५८, २५९,
१९, ३१, ३४, ३८, ३९, ७१,	२६२।
८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ९१,	हेत्वाभास—९, १०, १६, ३०, ३१,
९२, ११३, ११८, १२०, १२२,	८५, ८६, ९४, ११३, ११४,
१२३, १२४, १२८, १२९, १३४,	११६, ११८, ११९, १३१, १७४,
१३९, १४५, १५६, १५७, १५८,	१९२, १६७, २०२, २२७, २३१,
१५९, १६०, १६१, १६२, १६४,	२३२, २३३, २३४, २३५, २३८,
१६७, १६८, १७१, १७३, १७४,	२३९, २४०, २४२, २४३, २४४,
१७५, १७६, १८२, १८४, १८६,	२४५, २४६, २४८, २४९, २५०,
१८७, १८८, १८९, १९०, १९१,	२५१, २५३, २६१, २६२।



परिशिष्ट—४

प्रमुख जैनतर्कग्रन्थकार और उनकी तर्ककृतियाँ

गृहपित्ता	तत्त्वार्थसूत्र	प्रकाशित
(वि० १-३ शती)		
समन्तभद्र	आत्मोमांसा	प्रकाशित
(वि सं २-३ शती)	युक्त्यनुशासन स्वयम्भूत्योत्र जीवसिद्धि	" " पार्श्वनाथचरित में वादिराज द्वारा उल्लिखित
सिद्धसेन	सन्मतितर्क	प्रकाशित
(वि. ४-५ वी शती)	कुछ द्वार्गित्रशतिकाएँ	प्रकाशित
देवनन्द-पूज्यपाद	सारसंग्रह	धबला-टीकामें उल्लिखित
(वि. ६ वी शती)	सर्वर्थसिद्धि	भारतीय ज्ञानपीठ, बाराणसी
श्रीदत्त	जल्पनिर्णय	तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें
(वि. ६ वी श.)		विद्यानन्द द्वारा उल्लिखित
सुमति	सन्मतितर्क-टीका	पार्श्वनाथचरितमें
(वि. ६ वी श.)	सुमतिसप्तक	मल्लियेण प्रशस्तिमें निर्दिष्ट
		(इन्हींका निर्देश शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहमें 'सुमतेदिगम्बरस्य' के रूपमें है)
पात्रस्वामी (पात्र केशरी)	त्रिलक्षणकदर्घन	अनन्तवीर्याचार्य द्वारा सिद्धि-
(वि. ६ वी)		विनिश्चय टीकामें उल्लिखित
वादिसिंह		और तत्त्वसंग्रहमें शान्त-
(वि. ६-७ श.)		रक्षितद्वारा आलोचित
		वादिराजके पार्श्वनाथचरित
		और जिनसेनके महापुराणमें
		स्मृत

१. यह सूची वर्णी प्रथमाला द्वारा प्रकाशित बैन दर्शन, भारतीय ज्ञानपीठद्वारा प्रकाशित बैन न्याय और वीरसेवानन्दिरसे प्रकाशित ज्ञात्यरोक्ताके आधारसे दी गयी है।

अकलकृदेव (वि. ७ वी.)	लघीयस्त्रय (स्ववृत्तिसहित) न्यायविनिश्चय (स्ववृत्तिस.) प्रमाणसंश्रह (स्ववृत्तिसहित) सिद्धिविनिश्चय (स्वोपज्ञवृत्तिसहित) अष्टवातो (आपमीमांसाबृत्ति)	सिद्धी जैन ग्रन्थमाला अकलंक ग्रन्थत्रयके अन्तर्गत " " भारतीय ज्ञानपीठ काशी गाधीनाथारंग जैन ग्रन्थमाला भारतीय ज्ञानपीठ काशी
हरिमद्र (वि ८ वी शती)	अनेकान्तजयपताका अनेकान्तवादप्रवेश षड्दर्थनसमुच्चय शास्त्रवातसिमुच्चय न्यायप्रवेशटोका	गायकबाड़ सीरिज बडौदा आत्मानन्द सभा भावनगर देवचन्द्र लालभाई सूरत गायकबाड़ सीरिज बडौदा
कुमारसेन (वि. ७७०)		जिनसेनद्वारा 'महापुराणमे और विद्यानन्दद्वारा अह- सहस्रमें स्मृत
सिद्धमेन(न्यायावतारकार) (वि. ८ वी श.)	न्यायावतार कुछ द्वार्तिशतिकाएँ	प्रकाशित ..
कुमारनन्द (वि. ८वी श.)	वादन्याय	विद्यानन्दद्वारा प्रमाण- परीक्षामे उन्निखित
वादीभसिंह' (वि. ८ वी श.)	स्थाद्वादसिद्धि नवपदार्थनिश्चय	मा० दि० जैन ग्रन्थमालासे प्रकाशित
अनन्तवीर्य (वृ३) (वि. ८-९ वीं शती)	सिद्धिविनिश्चयटीका	मूढिक्की भण्डार रविभद्रपादोपजीवि अनन्त- वीर्यद्वारा सिद्धिविनिश्चय- टीकामे निर्दिष्ट
अनन्तवीर्य रविभद्रपादोपजीवि (वि. ९ वीं शती)	सिद्धिविनिश्चयटीका	भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

१. विशेषके लिए दोख्लए, मेरे द्वारा सम्पादित और मार्णिकचन्द्र अनुमाला द्वारा प्रका-
शित स्थाद्वादसिद्धिको प्रस्तावना ।

प्रमुख जैन तर्कग्रन्थकार और उनकी तर्कहृतियाँ : २८५

विद्यानन्द ^१ (वि० ८३२-८९७)	विद्यानन्दमहोदय तत्त्वार्थदलोकवार्तिक अष्टसहस्री (आसमीमासा- अष्टशतीटीका)	तत्त्वार्थदलोकवार्तिकमें स्वयं निर्विहृ तथा देवसूरि द्वारा स्पाद्वादरत्नाकरमें उद्बृत गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला गांधी नाथारंग ग्रन्थमाला
	आसपरीका प्रमाणपरीका पत्रपरीका	बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, सनातन जैन ग्रन्थमाला " "
	युक्त्यनुशासनालंकार (युक्त्यनुशासनटीका)	माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला
	सत्यशासनपरीका श्रीपुरणार्शवनाथस्तोत्र	भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
अनन्तकीति (वि. १०वी शती)	जीवसिद्धिटीका बृहत्सर्वज्ञसिद्धि लघुसर्वज्ञसिद्धि	वादिराजके पार्श्वनाथ- चरितमें उल्लिखित माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला
देवसेन (वि० ९९०)	नयचक (प्राकृत) आलापपद्धति	" " " " प्रकाशित
वसुनन्दि (वि. १०-११८.) माणिकचन्द्र ^२ (वि. सं. १०५०-१११०)	आसमीमासादृति परीक्षामुख	सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी अनेक स्थानोंसे प्रकाशित
सोमदेव	स्पाद्वादोपनिषद्	दानपत्रमें उल्लिखित, जैन साहित्य और इतिहास पृ० ८८
वादिराज (वि० १०८२)	न्यायविनिश्चयविवरण प्रमाणनिर्णय	भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी
प्रभाचन्द्र ^३ (वि. सं. १०६७-११३७)	प्रभेयकमलमार्त्तण्ड (परीक्षामुखटीका)	माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला निर्णयसागर प्रेस बम्बई
	न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्तटीका)	माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला

१. इसका विशेष परिचय भेरे द्वारा सम्पादित और बीरसेवामन्दिर-द्वारा प्रकाशित आस-

परीक्षाकी प्रस्तावना है।

२. विशेषके लिए देखें, आसपरीकाकी प्रस्तावना।

२६० : जैन तंकास्त्रमें अनुभान-विचार

सिद्धि (वि. ११वीं श.)	न्यायावतारवृत्ति	रायचन्द्र शास्त्रमाला बन्वई
अभयदेव (वि. १०६७- सम्मतितर्कटीका ११३७)		गुजरात विद्यापीठ
अनन्तलीर्य	प्रमेयरत्नमाला	अहमदाबाद
(वि. १२वीं शती)	(परीक्षामुखवृत्ति)	चौकाम्बा संस्कृत सोरिज
शान्तिसूरि (वि. १२वीं श.)	न्यायावतारवार्तिक सूति	द्वाराणसी
देवसूरि	प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार	आहंत प्रभाकर कार्यालय
(वि. ११४३-१२२६)		पूता
	स्पादादरत्नाकर	" "
हेमचन्द्र	प्रमाणमीमांसा	सिंधी जैन ग्रन्थमाला बन्वई
(वि. ११४५-१२२९)	अन्यथोगव्यवच्छेद-	प्रकाशित
	द्वात्रिशतिका वादानुशासन	अनुपलब्ध
	वेदाकृष्ण	प्रकाशित
भावसेन त्रैविद्य	विद्वतत्त्वप्रकाश	जीवराज जैन ग्रन्थमाला,
(वि १२-१३ शती)		सोलापुर
लघुसमन्तभद्र	अष्टसहस्री-टिप्पणी	प्रकाशित
(वि १३ वीं श.)		
आशाघर	प्रमेयरत्नाकर	आशाघर प्रशस्ति मे
(वि १३ वीं शती)		उल्लिखित
शान्तिवेण	प्रमेयरत्नसार	जैन सिद्धान्तभवन आरा
(वि १३ वीं शती)		(अप्रकाशित)
अभयचन्द्र (वि. १३वीं श.)	लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति	माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला
रत्नप्रभसूरि	स्पादादरत्नाकरावतारिका	प्रकाशित
(वि १३ वीं शती)		
मल्लिवेण	स्पादादमंजरी	रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला
(वि १४ वीं शती)		बन्वई
जिनदेव	कारण्यकलिका	न्यायदीपिकामे उल्लिखित
चर्मभूषणे (वि. १५वीं श.)	न्यायदीपिका	बीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
अजितसेन	न्यायमणिदीपिका	जैन सिद्धान्तभवन आरा
	(प्रमेयरत्नमालाटीका)	(अप्रकाशित)

२. विशेषके लिए देखिए, मेरे हारा सम्पादित और शीरसेवामन्दिर दिल्ली-द्वारा प्रकाशित 'न्यायदीपिका' को प्रस्तावना।

प्रमुख जैन तकन्पत्रकार और दस्तावेज़ : २९१

शान्तिवर्णी	प्रमेयकथिका	जैन सिद्धान्त भवन आरा (अप्रकाशित)
नरेन्द्रसेन' (वि. १७८७)	प्रमाणप्रमेयकलिका	माणिकचन्द्र जैन प्रन्थमाला
आरुकीर्ति ^३ (वि. १८वीं)	प्रमेयरत्नालंकार	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर
	अर्थप्रकाशिका	अप्रकाशित
	सप्तमज्ञीतरञ्जनी	प्रकाशित
	प्रमेयकमलभार्तर्षटिष्ठण (अपूर्ण)	अप्रकाशित
यशोविजय (वि १८वीं)	अष्टसहस्रोविवरण	प्रकाशित
	अनेकान्तर्व्यवस्था	
	जैनतक्भाषा	सिधी जैन प्रन्थमाला
	ज्ञानविभृतु	सिधी जैन प्रन्थमाला
	न्यायवर्णकलाच	प्रकाशित
	अनेकान्तप्रबेश	"
	न्यायालोक	"
	शासववार्तासमुच्चयटीका	"
	गुरुतत्त्वविनिश्चय	"



१. विशेषके हिम देखिए, मारतीय शानदीठ बाराणसी द्वारा प्रकाशित भेरो प्रमाणप्रमेय-
कथिकाकी प्रस्तावना।

२. विशेषके हिम देखिए, मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित प्रमेयरत्नालंकारकी प्रस्तावना।

ग्रन्थ-संकेत सूची

अकलंकश०	अकलंकशन्यत्रय	न्यायस०—न्यायसूत्र	
व० द०		न्यायम०—न्यायमंजरी	
अष्टश०—अष्टशती		न्यायर०—न्यायरत्नाकर	
अष्ट० स०—अष्टहस्ती		न्यायवा० ता०—न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका	
आसमी० म०—आसमीमांसा		न्यायाव०—न्यायावतार	
उ० ह०—उपायहृदय		न्यायकुमु०—न्यायकुमुमांजलि	
अनुयो० स०—अनुयोगसूत्र		न्यायकुमु०	न्यायकुमुदचन्द्र
किरणा०—किरणाबली		न्या० कु०	
गो० जी०—गोम्भट्टार जीवकाण्ड		न्या० प्र०	न्यायप्रवेश
जै० त० भा०—तैन तर्कभाषा		न्या० को०	न्यायकोश
तर्कसं०	तर्कसंभ्रह	न्यायक०—न्यायकलिका	
त० स०		न्यायवा० वा—न्यायावतारवार्तिकवृत्ति	
तस्वसं०—तस्वसंग्रह		न्या० दी०	न्यायदीपिका
त० भा०	तर्कभाषा	न्यायनिध० प्र०—न्यायनिबन्धप्रकाश	
त० वा०	तस्वार्थवा०	न्या० वा० ता० परि—न्यायवार्तिक-	
तस्वार्थवा०		,, तात्पर्यपरिशुद्धि	
त० चि०—तस्वचिन्तामणि		प० मु०	परीक्षामुख
त० शा०—तर्कशास्त्र		परीक्षामु०	
त० स०—तस्वार्थसूत्र		प्रमाणप्रमेयक०—प्रमाणप्रमेयकलिका	
त० ब०—तस्वार्थवृत्ति		प्र० मं०—प्रमाणमंजरी	
त० इलो०	तस्वार्थश्लोकवार्तिक	प्र० नि०—प्रमाणनिर्णय	
तस्वार्थश्लो०		प्रमाणसं०—प्रमाणसंग्रह	
त० भा०—तस्वार्थार्थगमभाष्य		प्रशस्त० भा०	प्रशस्तपादभाष्य
दशबै० नि०—दशबैकालिकनियुक्ति		प्र० भा०	
न्या० दि०	न्यायविनिश्चयविवरण	प्र० वा०—प्रमाणवार्तिक	
न्यायवि०		प्र० प०	प्रमाणपरीक्षा
न्या० दि०	न्यायविन्दु	प्रमाणप०	
न्यायवा०—न्यायवार्तिक		प्रमेयक० मा०—प्रमेयकमलमार्तिष्ठ	
न्यायभा०—न्यायभाष्य			

प्र. न. तं } प्रमाणयतस्त्वालोक	सां० का०—सांख्यकारिका
प्रमेयर० मा०—प्रमेयरत्नमाला	सां० मा०—सांख्यदर्शनभाष्य
प्र० भी०—प्रमाणमीमांसा	सां० त० कौ०—सांक्यतत्त्वकौमुदि
प्रमेयरत्ना०—प्रमेयरत्नालंकार	शास्त्रदी०—शास्त्रदीपिका
भ० स०—भगवती सूत्र	पट्टखण्डा०—षट्खण्डागम
प० प० } पत्रपरीक्षा	स० सि०—सबर्चिसिद्धि
पत्रप० }	सि० वि०—सिद्धिविनिश्चय
भी० इल० वा०—भीमासाश्लोकवार्तिक	सिद्धिविनिश्चयटीका
भी० द०—भीमांसादर्शन	स्वयम्भू०—स्वयम्भूस्तोत्र
मूलसु०—मूलसुत्ताणि	स्याद्वादर०—स्याद्वादरत्नाकर
युक्तिदी० } युक्तिदीपिका	स्था० सि०—स्याद्वादसिद्धि
यु० दी० }	सि० मु०—सिद्धान्तमुक्ताबली
युक्त्यनु०—युक्त्यनुशासन	स्थानांगसू०—स्थानांगसूत्र
वैशे० द०—वैशेषिकदर्शन	सर्वद० सं०—सर्वदर्शनसंग्रह
वैशेषिकसूत्रो० } वैशेषिकसूत्रोपस्कार	हेतुवि०—हेतुविन्दु
वैशे० उस० }	हेतुवि० टी०—हेतुविन्दुटीका
वैदान्तसा०—वैदान्तसार	ज्ञानवि०—ज्ञानविन्दुप्रकरण

संशोधन

अचुद	चुद	प०	पंक्ति
पात्रस्वामी	पात्रस्वामी	८	८
न्यायमाल्य	न्यायभाल्य	११	३
....मुदाहरणे....	मुदाहरणे	११	२२
उपलब्धि	उपलब्धि	१२	१८
मिगपरामर्श	लिंगपरामर्श	१३	१३
चतुर्लक्षण	चतुर्लक्षण	१४	१५
हेतु	हेतु	१५	६
अवयव....	अवयव....	१५	१४
सागोपाग	सागोपाग	१६	६
अन्तर्भूत	अन्तर्भूत	१६	१२
....समानाधिकरण....	समानाधिकरण	१७	२६
प्रभावित	प्रभावित	१९	१५
उपायहृदय	उपायहृदयमे	२०	५
विशेषतया	विशेषतया	२१	१०
प्रयाण-	प्रमाण-	२१	१२
धर्मकीर्ति	धर्मकीर्ति	२१	२४
न्यायाविन्दु	न्यायाविन्दु	२१	२४
तर्कशास्त्र	तर्कशास्त्र	२३	९
स्थानाग	स्थानाग	२३	१३
धर्मभूषण	धर्मभूषण	२४	२४
शेषवत्	शेषवत्	२९	१
अभिभिनोष	अभिनिबोष	३०	१८
जाना	जान	४०	१८
प्रतिपादित	प्रतिपादित	४३	१९
स्वर्था—	स्वर्था—	४४	२४
ही	ही	४४	२६
प्रत्यक्षाधिरूप	प्रत्यक्षाधिरूप	४६	१५
न्याय—	न्याय—	५०	७

वर्णन	शब्द	पृष्ठ	पंक्ति
आश्रयहित	आश्रयासिद्ध	५२	१
पदार्थों	पदार्थोंमें	६४	१९
प्रयाणों	प्रमाणों	७०	२
कहलाहा	कहलाता	७५	१४
बौध	बोध	८८	१३
.....तारदतरिद	८९	१२
गमयसि	गमयति	८२	५
पर्याय—	पर्याय—	८५	१५
कमारनन्दि	कुमारनन्दि	१९६	७
न्यायप्रवेशकारक	न्यायप्रवेशकारकी तरह	२५१	३२
सामहित	समाहित	८५	१५
हेतु	(हेतु)	८६	१५
वृक्षका	वृक्षकी	८६	१६
सकता	सकती	८६	१६
अग्नि	अग्नि	८७	१७
लिंगदर्शनात्	लिंगदर्शनात्	९७	१५
अवधारणात्मक	अवधारणात्मक	९९	५
पदार्थों	पदार्थों	१००	११
.....केवल पांचकेवल इन पांच	१००	२
(प्रत्यभिज्ञान	(प्रत्यभिज्ञान)	१०१	५
अभावाश	अभावाश	१०३	१४
तथा है	तथ्य यह है	१०४	२२
घटरहिता	घटरहितता	१०४	२
प्रतीयते	प्रतीयते	१०४	२६
स्वार्थानिमान	स्वार्थानुमान	११२	१९
वितृत	विस्तृत	११५	२
पह	यह	११५	४
न्यायप्रवेश—	न्याय प्रवेश—	१२०	९
प्रशस्तपादने ^१	प्रशस्तपादने ^१	१२०	१५
प्रमाण.....कारने ^२	प्रमाण.....कारने ^२	१२०	६५
सिद्धसेनने ^३	सिद्धसेनने ^३	१२०	१६
दूसरी	दूसरी ^४	१२०	१८
स्वरूप	स्वरूप	१२२	१७

.१९६ : जैन तकनीकास्त्रमें अनुमान-विचार

अनुद	सूचि	पृ०	पंक्ति
पदार्थ	परार्थ	१२५	१६
विवक्षा	विवक्षा	१२६	२८
विकल्पसिद्धि	विकल्पसिद्धि	१२७	१७
वर्तमान " होता	वर्तमान " होना	१२८	११
या अनु मान	या आगमगम्य होना		
आद्विन्दन—	आद्विन्दन—	१३४	२
नियमे	नियमे	१३८	३०
.....भद्रात्	भेदात्	१३८	३१
वेदान्तियो—	वेदान्तियो—	१३९	१६
....दर्शन—	दर्शन—	१४०	५
....दत्रं—	दत्रं	१४१	१९
न्याया—	न्याय—	१४२	१२
....अर्थात् भीयतेअर्थात् भीयते	१४२	३०
भीमासकादि	भीमासकादि	१४५	५
'चिन्ता'	'चिन्ता'	१५३	१३
कहा	'कहा'	१५३	१३
विजङ्गइ	विजङ्गइ	१५३	२३
षटटख०	षटख०	१५३	३०
सर्वप्रथम व्याप्ति—	सर्वप्रथम	१५४	१२
....एवं स्पष्टतया व्याप्ति ग्राहक ...			
न्यायबा—	न्यायबा—	१५४	२३
उदयने	उदयने	१५५	१६
किए	लिए	१७६	१६
शान्तराजितने	शान्तराजितने	१९४	१५
उत्तेख	उत्तेख	१९६	११
दार्शनिकों	दार्शनिकों	२०७	४
विद्यानन्दने विरोधी....	विद्यानन्दने सा—		
साक्षात्	सात विरोधी....	२१५	२५
न्यायविदीरता:	न्यायविदीरता:	२२६	१६
३० (वा कर्मा)	३१ (वा कर्मा)	२४१	३३
व्यभिचारा गृह	व्यभिचाराग्रह	२६०	२५
सिलासिजम	सिलाजिजम प्राक्कथन	५	१०
अनुमान	अनुमान प्रस्तुत-कृति	९	१०
वाराणी	वाराणसी "	१०	२१
सिद्ध वाधित	सिद्ध विषय-सूची	१८	१२

प्रमाणपरीक्षणत हेतुमेह-प्रदर्शक संशोधित चिक्क

है त्

विधि साधन नियेष साधन

विधि साधक विद्या साधन प्रतिवेषसाधक विद्या साधन प्रतिवेषसाधक नियेष साधन
 (भूमूलभूत) = ६ (अभूतभूत) = २२ (भूत अभूत) = ४
 (अभूत अभूत) = ३

विरुद्धकार्यानु० विद्या कारणानु० विद्या स्वभावानु० विद्या सहचरानु०

विरुद्ध कार्य, विरुद्ध कारण विरुद्धकार्यकारण०

विरुद्ध वाय० विरुद्ध सहचर विरुद्धपूर्व० विषय उत्तर०

अविरुद्धकार्यानु० ल० कारणानु० अ. व्यापकानु० अ. सह० अ० पूर्व० अ. उत्तर०
 विधिसाधक नियेष साधन = ५ प्रतिवेष साधन = २२ प्रतिवेष साधक नियेष साधन = ६

धोर सेवा मन्दिर

२३२-१ पुस्तकालय

~~प्राचीन कालिका~~

काल न०

सेवक लौहिष्यजैन दरबारीहाल

शीर्षक जैन तत्त्वज्ञानम् अनुवान

संग्रह

कम सत्या